


महात्मा गांधी

मेरे सपनों
का भारत



प्रकाशकका निवेदन

विस पुस्तकका अंग्रेजी संस्करण पहले-पहल 'बिडिया ऑफ माय ड्रीम्स' नामसे १५ अगस्त, १९४७ के दिन प्रकाशित हुआ था, जो स्वतंत्र भारतके इतिहासमें अनोखा महत्त्व रखता है। प्रथम संस्करणके लिये भारतके वर्तमान राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्रप्रसादने जो प्रेरणादायी प्राक्कथन लिखा था, उसका समावेश विस हिन्दी संस्करणमें किया गया है। वह विस पुस्तकके महत्त्व पर अच्छा प्रकाश डालता है।

श्री आर० के० प्रभुने विस पुस्तकमें बड़ी कुशलतासे गांधीजीके लेखों, भाषणों तथा अन्य स्रोतोंसे उपयुक्त वचनोंका संग्रह किया है और पाठकोंको विस बातकी कल्पना करानेका प्रयत्न किया है कि गांधीजी स्वतंत्र भारतसे अपने घरेलू मामलोंमें तथा विदेशोंके सायके उसके सम्बन्धोंमें कैसे व्यवहारकी आशा रखते थे। पुस्तकको पढ़कर हमारे सामने गांधीजीके सपनोंके भारतका वह कल्पना-चित्र खड़ा होता है, जो उस महान कलाकारने 'यंग बिडिया' तथा 'हरिजन' के अमर पृष्ठोंमें अतनी सफलतासे अंकित किया है।

सन् १९५९ में मूल अंग्रेजीका दूसरा संस्करण नवजीवन ट्रस्टने प्रकाशित किया, जिसमें देशकी बदली हुई परिस्थितिके अनुसार संग्राहकने अनेक परिवर्तन किये। यह संशोधित और परिवर्धित संस्करण तैयार करनेमें संग्राहकका हेतु और प्रयत्न पाठकोंके हाथमें एक ऐसी छोटी किन्तु अधिकृत पुस्तक रखनेका है, जिसमें भारतके सारे महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर गांधीजीके बुनियादी विचार एक जगह पढ़नेको मिल जायें; और विस तरह यह पुस्तक न सिर्फ गांधी-विचारका अध्ययन करनेवालोंके लिये, परन्तु सक्रिय रूपमें देशसेवाका काम करनेवाले रचनात्मक कार्यकर्ताओंके लिये भी उपयोगी सिद्ध हो।

अंग्रेजीके दूसरे संस्करणके आधार पर तैयार किया गया यह हिन्दी संस्करण पाठकोंकी सेवामें प्रस्तुत करते हुये हमें आनन्द होता है। स्वतंत्र भारतके नवनिर्माणके युगमें ऐसी पुस्तकका कितना महत्त्व है, यह कहनेकी जरूरत नहीं होनी चाहिये। आज राष्ट्रपिताके सपनोंके भारतको मूर्तरूप देनेकी जिम्मेदारी हमारे सिर आजी है। यह जिम्मेदारी हम तभी पूरी कर सकेंगे जब उनके बताये मार्ग पर हम सतत जाग्रत रहकर चलनेका सच्चा प्रयत्न करेंगे।

प्राक्कथन

आजके जिस अवसर पर, जब हम अपने इतिहासके एक नये युगमें प्रवेश कर रहे हैं, दुनियाके और देशके सामने गांधीजीके सपनोंके भारतकी तसवीर रखना एक शुभ विचार है। हमने जो स्वतंत्रता प्राप्त की है उसके फलस्वरूप हमारे ऊपर गम्भीर जिम्मेदारियां आ पड़ी हैं — हम चाहें तो भारतका भविष्य बना सकते हैं और चाहें तो विगाड़ भी सकते हैं। हमारी यह स्वतंत्रता अविभाजमें महात्मा गांधीके ही महान नेतृत्वका फल है। सत्य और अहिंसाके जिस अनुपम हथियारका उन्होंने उपयोग किया आज दुनियाको उसकी बड़ी आवश्यकता है; जिस हथियारके द्वारा ही वह उन सारी वुरावियोंसे त्राण पा सकती है जिनसे आज वह पीड़ित है। हम जानते हैं कि अपने साधनके रूपमें गांधीजीको जिन लोगोंका उपयोग करना पड़ा वे कितने अघूरे थे; किन्तु इतिहास गवाही देगा कि समान स्थितिमें किसी भी दूसरे देशको अपना अद्देश्य हासिल करनेमें जो बलिदान करना पड़ता, उसकी तुलनामें हमें बहुत ही कम बलिदान करना पड़ा है। जिस तरह हमारी लड़ाईका हथियार अनुपम था उसी तरह स्वतंत्रताकी प्राप्तिने हमारे सामने जो सारी सम्भावनायें खोल दी हैं वे भी अनुपम हैं। विजय और आनन्दकी घड़ियोंमें न तो हम अपने नेताको भुला सकते हैं और न उनके अमर सिद्धान्तोंको भुला सकते हैं। स्वतंत्रता अन्तमें तो किसी अधिक महान और अधिक अुदात्त साध्यका साधन ही है; और महात्मा गांधीके सपनोंके भारतकी सिद्धि उन अुद्देश्यों और आदर्शोंकी भव्य परिणति होगी, जिनके लिये वे जिये और जिनके वे प्रतीक बन गये हैं। जिस अवसर पर हमें गांधीजीकी शिक्षाके वुनियादी अुसूलोंको याद करना चाहिये।

यह पुस्तक पाठकोंके सामने न केवल उन आधारभूत वुनियादी अुसूलोंको ही रखती है, बल्कि यह भी बताती है कि स्वतंत्रता-प्राप्तिके

वाद अपयुक्त राजनीतिक और सामाजिक जीवनकी स्थापना करके संविधानकी मददसे तथा अपार मानव-शक्तिकी मददसे, जिसे यह विशाल देश विना किसी भीतरी या बाहरी बन्धनोंके अब काममें लगायेगा, हम गांधीजीके अुन अुसूलोंको, कैसे मूर्त रूप दे सकते हैं। मुझे आशा है कि सब कोअी अिस पुस्तकका स्वागत करेंगे। श्री आर० के० प्रभुने बड़ी चतुराअीसे गांधीजीके लेखों, पुस्तकों और भाषणोंसे अत्यन्त प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अुद्धरणोंका संग्रह किया है। और मेरा विश्वास है कि यह पुस्तक अिस विषयके साहित्यमें अेक कीमती वृद्धि करेगी।

नयी दिल्ली,

८ अगस्त, १९४७

राजेन्द्रप्रसाद

अनुक्रमणिका

प्रकाशकका निवेदन	३
प्राक्कथन	राजेन्द्रप्रसाद ४
१. मेरे सपनोंका भारत	३
२. स्वराज्यका अर्थ	७
३. राष्ट्रवादका सच्चा स्वरूप	१४
४. भारतीय लोकतंत्र	१७
५. भारत और समाजवाद	२४
६. भारत और साम्यवाद	२९
७. बुद्धोगवादका अभिशाप	३२
८. वर्गयुद्ध	३७
९. हड़तालें	४०
१०. मजदूर क्या चुनेंगे ?	४३
११. अधिकार या कर्तव्य ?	४८
१२. बेकारीका सवाल	५१
१३. दरिद्र-नारायण	५६
१४. शरीर-श्रम	५९
१५. सर्वोदय	६६
१६. संरक्षकताका सिद्धान्त	७१
१७. अहिंसक अर्थ-व्यवस्था	७५
१८. समान वितरणका रास्ता	७९
१९. भारतमें अहिंसाकी अुपासना	८२
२०. सर्वोदयी राज्य	८४
२१. सत्याग्रह और दुराग्रह	८७
२२. किसान	९३

२३. गांवोंकी ओर	९६
२४. ग्राम-स्वराज्य	१०२
२५. पंचायत राज	१०५
२६. ग्रामोद्योग	१०८
२७. सरकार क्या कर सकती है ?	११७
२८. ग्राम-प्रदर्शनियां	११९
२९. चरखेका संगीत	१२१
३०. मिल-उद्योग	१२५
३१. स्वदेशी	१२८
३२. गोरक्षा	१३६
३३. सहकारी गोपालन	१३९
३४. गांवोंकी सफाई	१४२
३५. गांवका आरोग्य	१४७
३६. गांवोंका आहार	१५०
३७. ग्रामसेवक	१५३
३८. समग्र ग्रामसेवा	१५८
३९. युवकोंको आह्वान	१६०
४०. राष्ट्रका आरोग्य, स्वच्छता और आहार	१६४
४१. शराब और अन्य मादक द्रव्य	१७१
४२. शहरोंकी सफाई	१७६
४३. विदेशी माध्यमकी बुराई	१८०
४४. मेरा अपना अनुभव	१८८
४५. भारतकी सांस्कृतिक विरासत	१९४
४६. नयी तालीम	१९५
४७. बुनियादी शिक्षा	१९९
४८. उच्च शिक्षा	२०१
४९. शिक्षाका आश्रमी आदर्श	२१०

५०. राष्ट्रभाषा और लिपि	२१४
५१. प्रान्तीय भाषायें	२२०
५२. दक्षिणमें हिन्दी	२२४
५३. विद्यार्थियोंके लिये अनुशासनके नियम	२३१
५४. भारतीय स्त्रियोंका पुनरुत्थान	२३६
५५. स्त्रियोंकी शिक्षा	२४४
५६. संतति-नियमन	२४७
५७. काम-विज्ञानकी शिक्षा	२५३
५८. बालक	२५५
५९. साम्प्रदायिक ऐक्यता	२५७
६०. वर्णाश्रम धर्म	२६१
६१. अस्पृश्यताका अभिशाप	२६५
६२. भारतमें धार्मिक सहिष्णुता	२६९
६३. धर्म-परिवर्तन	२७३
६४. शासन-सम्बन्धी समस्यायें	२७७
६५. प्रान्तोंका पुनर्घटन	२८६
६६. अल्पसंख्यकोंकी समस्यायें	२९२
६७. भारतीय गवर्नर	२९५
६८. समाचार-पत्र	२९७
६९. शान्तिसेना	२९९
७०. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	३०५
७१. भारत, पाकिस्तान और काश्मीर	३०९
७२. भारतमें विदेशी वस्तियां	३१४
७३. भारत और विश्वशान्ति	३१५
७४. पूर्वका संदेश	३१८
७५. स्फुट वचन	३२०
सूची	३३०

मेरे सपनोंका भारत

मेरे सपनोंका भारत

भारतकी हर चीज मुझे आर्काषित करती है। सर्वोच्च आकांक्षायें रखनेवाले किसी व्यक्तिको अपने विकासके लिये जो कुछ चाहिये, वह सब उसे भारतमें मिल सकता है।

यंग इंडिया, २१-२-'२९

भारत अपने मूल स्वरूपमें कर्मभूमि है, भोगभूमि नहीं।

यंग इंडिया, ५-२-'२५

भारत दुनियाके उन अनेक-अनेक देशोंमें से है, जिन्होंने अपनी अर्धिकांश पुरानी संस्थाओंको, यद्यपि उन पर अन्व-विश्वास और भूल-भ्रान्तियोंकी काबी चढ़ गयी है, कायम रखा है। साथ ही वह अभी तक अन्व-विश्वास और भूल-भ्रान्तियोंकी जिस कार्याको दूर करनेकी और जिस तरह अपना शुद्ध रूप प्रगट करनेकी अपनी सहज क्षमता भी प्रगट करता है। उसके लाखों-करोड़ों निवासियोंके सामने जो आर्थिक कठिनाइयां खड़ी हैं, उन्हें मुलझा सकनेकी अमकी योग्यतामें मेरा विश्वास अतना बुज्ज्वल कभी नहीं रहा जितना आज है।

यंग इंडिया, ६-८-'२५

मेरा विश्वास है कि भारतका व्यय दूसरे देशोंके व्ययसे कुछ अलग है। भारतमें ऐसी योग्यता है कि वह वर्मके क्षेत्रमें दुनियामें सबसे बड़ा हो सकता है। भारतने आत्मशुद्धिके लिये स्वेच्छापूर्वक जैसा प्रयत्न किया है, उसका दुनियामें कौबी दूसरा अदाहरण नहीं मिलता। भारतको फौलादके हथियारोंकी अतनी आवश्यकता नहीं है; वह दैवी हथियारोंसे लड़ा है और आज भी वह अन्हीं हथियारोंसे लड़ सकता है। दूसरे देश पशुवलके पुजारी रहे हैं। यूरोपमें अभी जो भयंकर युद्ध

मैं भारतको स्वतंत्र और बलवान बना हुआ देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वह दुनियाके भलेके लिये स्वेच्छापूर्वक अपनी पवित्र आहुति दे सके। भारतकी स्वतंत्रतासे शान्ति और युद्धके वारेमें दुनियाकी दृष्टिमें जड़मूलसे क्रान्ति हो जायगी। अुसकी मौजूदा लाचारी और कमजोरीका सारी दुनिया पर बुरा असर पड़ता है।

यंग अिडिया, १७-९-'२५

मैं यह मानने जितना नम्र तो हूँ ही कि पश्चिमके पास बहुत कुछ वैसा है, जिसे हम अुससे ले सकते हैं, पचा सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। ज्ञान किसी एक देश या जातिके अेकाधिकारकी वस्तु नहीं है। पाश्चात्य सम्यताका मेरा विरोध असलमें अुस विचारहीन और विवेकहीन नकलका विरोध है, जो यह मानकर की जाती है कि अेशिया-निवासी तो पश्चिमसे आनेवाली हरअेक चीजकी नकल करने जितनी ही योग्यता रखते हैं। . . . मैं दृढ़तापूर्वक विश्वास करता हूँ कि यदि भारतने दुःख और तपस्याकी आगमें से गुजरने जितना धीरज दिखाया और अपनी सम्यता पर—जो अपूर्ण होते हुअे भी अभी तक कालके प्रभावको झेल सकी है—किसी भी दिशासे कोअी अनुचित आक्रमण न होने दिया, तो वह दुनियाकी शान्ति और ठोस प्रगतिमें स्थायी योगदान कर सकती है।

यंग अिडिया, ११-८-'२७

भारतका भविष्य पश्चिमके अुस रक्त-रंजित मार्ग पर नहीं है, जिस पर चलते-चलते पश्चिम अब खुद थक गया है; अुसका भविष्य तो सरल धार्मिक जीवन द्वारा प्राप्त शान्तिके अहिंसक रास्ते पर चलनेमें ही है। भारतके सामने अिस समय अपनी आत्माको खोनेका खतरा अुपस्थित है। और यह संभव नहीं है कि अपनी आत्माको खोकर भी वह जीवित रह सके। अिसलिये आलसीकी तरह अुसे लाचारी प्रकट करते हुअे अैसा नहीं कहना चाहिये कि "पश्चिमकी अिस वाढ़से मैं बच नहीं सकता।" अपनी और दुनियाकी भलाअीके लिये अुस वाढ़को रोकने योग्य शक्तिशाली तो अुसे बनना ही होगा।

हिन्दी नवजीवन, ७-१०-'२६

यूरोपीय सभ्यता वेशक यूरोपके निवासियोंके लिये अनुकूल है; लेकिन यदि हमने उसकी नकल करनेकी कोशिश की, तो भारतके लिये उसका अर्थ अपना नाश कर लेना होगा। जिसका यह मतलब नहीं कि उसमें जो कुछ अच्छी और हम पचा सकें असा हो, उसे हम लें नहीं या पचायें नहीं। इसी तरह उसका यह मतलब भी नहीं है कि उस सभ्यतामें जो दोष घुस गये हैं, उन्हें यूरोपियोंको दूर नहीं करना पड़ेगा। शारीरिक सुख-सुविधाओंकी सतत खोज और उनकी संख्यामें तेजीसे हो रही वृद्धि असा ही एक दोष है; और मैं साहसपूर्वक यह घोषणा करता हूँ कि जिन सुख-सुविधाओंके वे गुलाम बनते जा रहे हैं उनके बोझसे यदि उन्हें कुचल नहीं जाना है, तो यूरोपीय लोगोंको अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। संभव है मेरा यह निष्कर्ष गलत हो, लेकिन यह मैं निश्चयपूर्वक जानता हूँ कि भारतके लिये जिस सुनहले माया-मृगके पीछे दौड़नेका अर्थ आत्मनाशके सिवा और कुछ न होगा। हमें अपने हृदयों पर एक पश्चात्त्य तत्त्ववेत्ताका यह बोधवाक्य अंकित कर लेना चाहिये — 'सादा जीवन और अुच्च चिन्तन'। आज तो यह निश्चित है कि हमारे लाखों-करोड़ों लोगोंके लिये सुख-सुविधाओंवाला अुच्च जीवन संभव नहीं है और हम मुट्ठीभर लोग, जो सामान्य जनताके लिये चिन्तन करनेका दावा करते हैं, सुख-सुविधाओंवाले अुच्च जीवनकी निरर्थक खोजमें अुच्च चिन्तनको खोनेकी जोखिम अुठा रहे हैं।

यंग अिडिया, ३०-४-३१

मैं जैसे संविधानकी रचना करवानेका प्रयत्न करूँगा, जो भारतको हर तरहकी गुलामी और परावलम्बनसे मुक्त कर दे और उसे, आवश्यकता हो तो, पाप करने तकका अधिकार दे। मैं जैसे भारतके लिये कोशिश करूँगा जिसमें गरीबसे गरीब लोग भी यह महसूस करेंगे कि वह उनका देश है — जिसके निर्माणमें उनकी आवाजका महत्व है। मैं जैसे भारतके लिये कोशिश करूँगा जिसमें अूँचे और नीचे वर्गोंका भेद नहीं होगा और जिसमें विविध सम्प्रदायोंमें पूरा मेलजोल होगा। जैसे भारतमें अस्पृश्यताके या शराब और दूसरी नशीली चीजोंके अभिशापके लिये कोभी स्थान नहीं हो सकता। उसमें स्त्रियोंको वही अधिकार

होंगे जो पुरुषोंको । चूँकि शोष सारी दुनियाके साथ हमारा सम्बन्ध शान्तिका होगा, यानी न तो हम किसीका शोषण करेंगे और न किसीके द्वारा अपना शोषण होने देंगे, जिसलिये हमारी सेना छोटीसे छोटी होगी । जैसे सब हितोंका, जिनका करोड़ों मूक लोगोंके हितोंसे कोझी विरोध नहीं है, पूरा सम्मान किया जायगा, फिर वे देशी हों या विदेशी । अपने लिये तो मैं यह भी कह सकता हूँ कि मैं देशी और विदेशीके फर्कसे नफरत करता हूँ । यह है मेरे सपनोंका भारत । . . . जिससे भिन्न किसी चीजसे मुझे संतोष नहीं होगा ।

यंग इंडिया, १०-९-'३१

२

स्वराज्यका अर्थ

स्वराज्य एक पवित्र शब्द है; वह एक वैदिक शब्द है जिसका अर्थ आत्म-शासन और आत्म-संयम है । अंग्रेजी शब्द 'इंडिपेंडेंस' अक्सर सब प्रकारकी मर्यादाओंसे मुक्त निरंकुश आजादीका या स्वच्छंदताका अर्थ देता है; वह अर्थ स्वराज्य शब्दमें नहीं है ।

यंग इंडिया, १९-३-'३१

स्वराज्यसे मेरा अभिप्राय है लोक-सम्मतिके अनुसार होनेवाला भारतवर्षका शासन । लोक-सम्मतिका निश्चय देशके वालिग लोगोंकी बड़ीसे बड़ी तादादके मतके जरियेसे हो, फिर वे चाहे स्त्रियां हों या पुरुष, किसी देशके हों या जिस देशमें आकर बस गये हों । वे लोग जैसे हों जिन्होंने अपने शारीरिक श्रमके द्वारा राज्यकी कुछ सेवा की हो और जिन्होंने मतदाताओंकी सूचीमें अपना नाम लिखवा लिया हो । . . . सच्चा स्वराज्य थोड़े लोगोंके द्वारा सत्ता प्राप्त कर लेनेसे नहीं, बल्कि जब सत्ताका दुरुपयोग होता हो तब सब लोगोंके द्वारा उसका प्रतिकार करनेकी क्षमता प्राप्त करके हासिल किया जा सकता है । दूसरे शब्दोंमें, स्वराज्य

जनतामें जिस बातका ज्ञान पैदा करके प्राप्त किया जा सकता है कि सत्ता पर कब्जा करने और उसका नियमन करनेकी क्षमता उसमें है।'

हिन्दी नवजीवन, २९-१-'२५

आखिर स्वराज्य निर्भर करता है हमारी आन्तरिक शक्ति पर, वड़ीसे वड़ी कठिनाइयोंसे जूझनेकी हमारी ताकत पर। सच पूछो तो वह स्वराज्य, जिसे पानेके लिये अनवरत प्रयत्न और वचाये रखनेके लिये सतत जाग्रति नहीं चाहिये, स्वराज्य कहलानेके लायक ही नहीं है। जैसा कि आपको मालूम है, मैंने वचन और कार्यसे यह दिखलानेकी कोशिश की है कि स्त्री-पुरुषोंके विशाल समूहका राजनीतिक स्वराज्य अके अके शस्त्रके अलग-अलग स्वराज्यसे कोभी ज्यादा अच्छी चीज नहीं है और जिसलिये उसे पानेका तरीका वही है जो अके अके आदमीके आत्म-स्वराज्य या आत्म-संयमका है।

हिन्दी नवजीवन, ८-१२-'२७

स्वराज्यका अर्थ है सरकारी नियंत्रणसे मुक्त होनेके लिये लगातार प्रयत्न करना, फिर वह नियंत्रण विदेशी सरकारका हो या स्वदेशी सरकारका। यदि स्वराज्य हो जाने पर लोग अपने जीवनकी हर छोटी बातके नियमनके लिये सरकारका मुंह ताकना शुरू कर दें, तो वह स्वराज्य-सरकार किसी कामकी नहीं होगी।

यंग इंडिया, ६-८-'२५

मेरा स्वराज्य तो हमारी सभ्यताकी आत्माको अक्षुण्ण रखना है। मैं बहुतसी नयी चीजें लिखना चाहता हूँ, पर वे तमाम हिन्दुस्तानकी स्लेट पर लिखी जानी चाहिये। हाँ, मैं पश्चिमसे भी खुशीसे अधार लूंगा, पर तभी जब कि मैं उसे अच्छे सूदके साथ वापस कर सकूँ।

हिन्दी नवजीवन, २९-६-'२४

स्वराज्यकी रक्षा केवल वहीं हो सकती है, जहाँ देशवासियोंकी ज्यादा बड़ी संख्या जैसे देशभक्तोंकी हो, जिनके लिये दूसरी सब चीजोंसे — अपने निजी लाभसे भी — देशकी भलायकी ज्यादा महत्त्व हो।

स्वराज्यका अर्थ है देशकी बहुसंख्यक जनताका शासन । जाहिर है कि जहाँ बहुसंख्यक जनता नीतिभ्रष्ट हो या स्वार्थी हो, वहाँ युनकी सरकार अराजकताकी ही स्थिति पैदा कर सकती है, दूसरा कुछ नहीं ।

यंग विडिया, २८-७-'२१

मेरे . . . हमारे . . . सपनोंके स्वराज्यमें जाति (रैस) या धर्मके भेदोंको कोई स्थान नहीं हो सकता । उस पर शिक्षितों या बनवानोंका अेकाधिपत्य नहीं होगा । वह स्वराज्य सबके लिये — सबके कल्याणके लिये होगा । सबकी गिनतीमें किसान तो आते ही हैं, किन्तु लूले, लंगड़े, अंधे और भूखसे मरनेवाले लाखों-करोड़ों मेहनतकश मजदूर भी अवश्य आते हैं ।

यंग विडिया, २६-३-'३१

कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भारतीय स्वराज्य तो ज्यादा संख्यावाले समाजका यानी हिन्दुओंका ही राज्य होगा । जिस मान्यतासे ज्यादा बड़ी कोई दूसरी गलती नहीं हो सकती । अगर यह सही सिद्ध हो तो अपने लिये मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मैं उसे स्वराज्य माननेसे अिनकार कर दूंगा और अपनी सारी शक्ति लगाकर उसका विरोध करूंगा । मेरे लिये हिन्द स्वराज्यका अर्थ सब लोगोंका राज्य, न्यायका राज्य है ।

यंग विडिया, १६-४-'३१

अगर स्वराज्यका अर्थ हमें सम्य बनाना और हमारी सम्यताको अधिक शुद्ध तथा मजबूत बनाना न हो, तो वह किसी कीमतका नहीं होगा । हमारी सम्यताका मूल तत्त्व ही यह है कि हम अपने सब कामोंमें, वे निजी हों या सार्वजनिक, नीतिके पालनको सर्वोच्च स्थान देते हैं ।

यंग विडिया, २३-१-'३०

पूर्ण स्वराज्य . . . कहनेमें आशय यह है कि वह जितना किसी राजाके लिये होगा उतना ही किसानके लिये, जितना किसी बनवान जमींदारके लिये होगा उतना ही भूमिहीन खेतिहरके लिये, जितना हिन्दुओंके लिये होगा उतना ही मुसलमानोंके लिये, जितना जैन, यहूदी और सिक्ख लोगोंके लिये होगा उतना ही पारसियों और अीनाजियोंके

लिखे। अिसमें जाति-पाति, धर्म या दरजेके भेदभावके लिखे कोअी स्थान नहीं होगा।

यंग अिडिया, ५-३-३१

स्वराज्य शब्दका अर्थ स्वयं और अिसकी प्राप्तिके साधन यानी सत्य और अहिंसा—जिनका पालन करनेके लिखे हम प्रतिज्ञावद्ध हैं—अैसी किसी संभावनाको असंभव सिद्ध करते हैं कि हमारा स्वराज्य किसीके लिखे तो अधिक होगा और किसीके लिखे कम, किसीके लिखे लाभकारी होगा और किसीके लिखे हानिकारी या कम लाभकारी।

यंग अिडिया, ५-३-३१

✓ मेरे सपनेका स्वराज्य तो गरीबोंका स्वराज्य होगा। जीवनकी जिन आवश्यकताओंका अुपभोग राजा और अमीर लोग करते हैं, वही तुम्हें भी सुलभ होनी चाहिये; अिसमें फर्कके लिखे स्थान नहीं हो सकता। लेकिन अिसका यह अर्थ नहीं कि हमारे पास अुनके जैसे महल होने चाहिये। सुखी जीवनके लिखे महलोंकी कोअी आवश्यकता नहीं। हमें महलोंमें रख दिया जाये तो हम घबड़ा जायें। लेकिन तुम्हें जीवनकी वे सामान्य सुविधायें अवश्य मिलना चाहिये, जिनका अुपभोग अमीर आदमी करता है। मुझे अिस बातमें विलकुल भी सन्देह नहीं है कि हमारा स्वराज्य तब तक पूर्ण स्वराज्य नहीं होगा, जब तक वह तुम्हें ये सारी सुविधायें देनेकी पूरी व्यवस्था नहीं कर देता।

यंग अिडिया, २६-३-३१

पूर्ण स्वराज्यकी मेरी कल्पना दूसरे देशोंसे कोअी नाता न रखने-वाली स्वतंत्रताकी नहीं, बल्कि स्वस्थ और गम्भीर किस्मकी स्वतंत्रताकी है। मेरा राष्ट्रप्रेम अुग्र तो है, पर वह वर्जनशील नहीं है; अुसमें किसी दूसरे राष्ट्र या व्यक्तिको नुकसान पहुंचानेकी भावना नहीं है। कानूनी सिद्धान्त असलमें नैतिक सिद्धान्त ही हैं। 'अपनी सम्पत्तिका अुपयोग अिस तरह करो कि पड़ोसीकी सम्पत्तिको कोअी हानि न पहुंचे।'—यह

कानूनी सिद्धान्त अेक सनातन सत्यको प्रकट करता है और अुसमें मेरा पूरा विश्वास है।

यंग अिडिया, २६-३-३१

यह सब अिस बात पर निर्भर है कि पूर्ण स्वराज्यसे हमारा आशय क्या है और अुसके द्वारा हम पाना क्या चाहते हैं। अगर हमारा आशय यह है कि जनतामें जाग्रति होनी चाहिये, अुन्हें अपने सच्चे हितका ज्ञान होना चाहिये और सारी दुनियाके विरोधका सामना करके भी अुस हितकी सिद्धिके लिये कोशिश करनेकी योग्यता होनी चाहिये; और यदि पूर्ण स्वराज्यके द्वारा हम सुमेल, भीतरी या वाहरी आक्रमणसे रक्षा और जनताकी आर्थिक स्थितिमें अुत्तरोत्तर सुधार चाहते हों, तो हम अपना अुद्देश्य राजनीतिक सत्ताके विना ही, सत्ता जिनके हाथमें ही अुन पर अपना सीधा प्रभाव डालकर, सिद्ध कर सकते हैं।

यंग अिडिया, १८-६-३१

स्वराज्यकी मेरी कल्पनाके विषयमें किसीको कोयी गलतफहमी नहीं होनी चाहिये। अुसका अर्थ विदेशी नियंत्रणसे पूरी मुक्ति और पूर्ण आर्थिक स्वतंत्रता है। अुसके दो दूसरे अुद्देश्य भी हैं; अेक छोर पर है नैतिक और सामाजिक अुद्देश्य और दूसरे छोर पर अिसी कक्षाका दूसरा अुद्देश्य है धर्म। यहां धर्म शब्दका सर्वोच्च अर्थ अभीष्ट है। अुसमें हिन्दू धर्म, अिस्लाम, अीसाजी धर्म आदि सबका समावेश होता है, लेकिन वह अिन सबसे अूंचा है। . . . अिसे हम स्वराज्यका समचतुर्भुज कह सकते हैं; यदि अुसका अेक भी कोण विषम हुआ तो अुसका रूप विकृत हो जायेगा।

हरिजन, २-१-३७

मेरी कल्पनाका स्वराज्य तभी आयगा जब हमारे मनमें यह बात अच्छी तरह जम जाय कि हमें अपना स्वराज्य सत्य और अहिंसाके शुद्ध साधनों द्वारा ही हासिल करना है, अुन्हींके द्वारा हमें अुसका संचालन करना है और अुन्हींके द्वारा हमें अुसे कायम रखना है। सच्ची लोकसत्ता या जनताका स्वराज्य कभी भी असत्यमय और हिंसक साधनोंसे

नहीं आ सकता। कारण स्पष्ट और सीधा है: यदि असत्यमय हिंसक अुपायोंका प्रयोग किया गया, तो अुसका स्वाभाविक परिणाम होगा कि सारा विरोध या तो विरोधियोंको दबाकर या अुनका करके खतम कर दिया जायंगा। अैसी स्थितिमें वैयक्तिक स्वतंत्रता रक्षा नहीं हो सकती। वैयक्तिक स्वतंत्रताको प्रगट होनेका पूरा अवक केवल विशुद्ध अहिंसा पर आधारित शासनमें ही मिल सकता है।

हरिजन, २७-५-'३९

अहिंसा पर आधारित स्वराज्यमें लोगोंको अपने अधिकारोंका न हो तो कोअी बात नहीं, लेकिन अुन्हें अपने कर्तव्योंका ज्ञान अद होना चाहिये। हरअेक कर्तव्यके साथ अुसकी तौलका अधिकार उ हुआ होता ही है, और सच्चे अधिकार तो वे ही हैं जो अपने कर्तव्य योग्य पालन करके प्राप्त किये गये हों। अिसलिअे नागरिकताके अधिक सिर्फ अुन्हींको मिल सकते हैं जो जिस राज्यमें वे रहते हों अुसकी र करते हों। और सिर्फ वे ही अिन अधिकारोंके साथ पूरा न्याय सकते हैं। हरअेक आदमीको झूठ बोलने और गुंडागिरी करनेका अधिक है, किन्तु अिस अधिकारका प्रयोग अुस आदमी और समाज, दोनोंके हि हानिकारी है। लेकिन जो व्यक्ति सत्य और अहिंसाका पालन क है अुसे प्रतिष्ठा मिलती है और अिस प्रतिष्ठाके फलस्वरूप अुसे अधिक मिल जाते हैं। और अिन लोगोंको अधिकार अपने कर्तव्योंके पाल फलस्वरूप मिलते हैं, वे अुनका अुपयोग समाजकी सेवाके लिअे ही क हैं, अपने लिअे कभी नहीं। किसी राष्ट्रीय समाजके 'स्वराज्यका अुस समाजके विभिन्न व्यक्तियोंके स्वराज्य (अर्थात् आत्म-शासन) योग ही है। और अैसा स्वराज्य व्यक्तियोंके द्वारा नागरिकोंके र अपने कर्तव्यके पालनसे ही आता है। अुसमें कोअी अपने अधिकार बात नहीं सोचता। जब अुनकी आवश्यकता होती है तब वे अुन्हें अ आप मिल जाते हैं और अिसलिअे मिलते हैं कि वे अपने कर्तव्य सम्पादन ज्यादा अच्छी तरह कर सकें।

हरिजन, २५-३-'३९

अहिंसा पर आवारित स्वराज्यमें कोजी किसीका शत्रु नहीं होता, सारीं जनताकी भलाजीका सामान्य अद्देश्य सिद्ध करनेमें हरजेक अपना अभीष्ट योग देता है, सब लिख-पढ़ सकते हैं और बुनका ज्ञान दिन-दिन बढ़ता रहता है। बीमारी और रोग कम-से-कम हो जायं, अैसी व्यवस्था की जाती है। कोजी कंगाल नहीं होता और मजदूरी करना चाहनेवालेको काम अवश्य मिल जाता है। अैसी शासन-व्यवस्थामें जुआ, शराबखोरी और दुराचारको या वर्ग-विद्वेषको कोजी स्थान नहीं होता। अमीर लोग अपने धनका अुपयोग वुद्धिपूर्वक अुपयोगी कार्योंमें करेंगे; अपनी शान-शौकत बढ़ानेमें या शारीरिक सुखोंकी वृद्धिमें अुसका अुपव्यय नहीं करेंगे। अुसमें अैसा नहीं हो सकता, होना नहीं चाहिये, कि चंद अमीर तो रत्न-जटित महलोंमें रहें और लाखों-करोड़ों अैसी मनहूस झोंपड़ियोंमें, जिनमें हवा और प्रकाशका प्रवेश न हो। अहिंसक स्वराज्यमें न्यायपूर्ण अधिकारोंका किसीके भी द्वारा कोजी अतिक्रमण नहीं हो सकता और अिसी तरह किसीको कोजी अन्यायपूर्ण अधिकार नहीं हो सकते। सुसंघटित राज्यमें किसीके न्याय्य अधिकारका किसी दूसरेके द्वारा अन्याय-पूर्वक छीना जाना असंभव होना चाहिये और कभी अैसा हो जाय तो अपहर्ताको अपदस्थ करनेके लिये हिंसाका आश्रय लेनेकी जरूरत नहीं होना चाहिये।

हरिजन, २५-३-३९

राष्ट्रवादका सच्चा स्वरूप

मेरे लिये देशप्रेम और मानव-प्रेममें कोई भेद नहीं है; दोनों एक ही हैं। मैं देशप्रेमी हूँ, क्योंकि मैं मानव-प्रेमी हूँ। मेरा देशप्रेम वर्जनशील नहीं है। मैं भारतके हितकी सेवाके लिये अंग्लैंड या जर्मनीका नुकसान नहीं करूँगा। जीवनकी मेरी योजनामें साम्राज्यवादके लिये कोई स्थान नहीं है। देशप्रेमीकी जीवन-नीति किसी कुल या कबीलेके अधिपतिकी जीवन-नीतिसे भिन्न नहीं है। और यदि कोई देशप्रेमी अतना ही अग्र मानव-प्रेमी नहीं है, तो कहना चाहिये कि उसके देश-प्रेममें अतनी न्यूनता है। वैयक्तिक आचरण और राजनीतिक आचरणमें कोई विरोध नहीं है; सदाचारका नियम दोनोंको लागू होता है।

यंग अिडिया, १६-३-२१

जिस तरह देशप्रेमका धर्म हमें आज यह सिखाता है कि व्यक्तिको परिवारके लिये, परिवारको ग्रामके लिये, ग्रामको जनपदके लिये और जनपदको प्रदेशके लिये मरना सीखना चाहिये, इसी तरह किसी देशको स्वतंत्र असलिये होना चाहिये कि वह आवश्यकता होने पर संसारके कल्याणके लिये अपना वलिदान दे सके। असलिये राष्ट्रवादकी मेरी कल्पना यह है कि मेरा देश असलिये स्वाधीन हो कि प्रयोजन उपस्थित होने पर सारा ही देश मानव-जातिकी प्राणरक्षाके लिये स्वेच्छापूर्वक मृत्युका आलिगन करे। अिसमें जातिद्वेषके लिये कोई स्थान नहीं है। मेरी कामना है कि हमारा राष्ट्रप्रेम अैसा ही हो।

गांधीजी अिन अिडियन विलेजेज, पृ० १७०

मैं भारतका अुत्थान असलिये चाहता हूँ कि सारी दुनिया अिससे लाभ अुठा सके। मैं यह नहीं चाहता कि भारतका अुत्थान दूसरे देशोंके नाशकी नींव पर हो।

यंग अिडिया, १२-३-२५

✓ यूरोपके पांवोंमें पड़ा हुआ अवनत भारत मानव-जातिको कोअी आशा नहीं दे सकता । किंतु जाग्रत और स्वतंत्र भारत दर्दसे कराहती हुअी दुनियाको शान्ति और सद्भावका सन्देश अवश्य देगा ।

यंग इंडिया, १-६-'२१

राष्ट्रवादी हुअे बिना कोअी आन्तर-राष्ट्रीयतावादी नहीं हो सकता । आन्तर-राष्ट्रीयतावाद तभी सम्भव है जब राष्ट्रवाद सिद्ध हो चुके — यानी जब विभिन्न देशोंके निवासी अपना संघटन कर लें और हिल-मिलकर अेकतापूर्वक काम करनेका सामर्थ्य प्राप्त कर लें । राष्ट्रवादमें कोअी बुराअी नहीं है; बुराअी तो अुस संकुचितता, स्वार्थवृत्ति और वहिष्कार-वृत्तिमें है, जो मौजूदा राष्ट्रोंके मानसमें जहरकी तरह मिली हुअी है । हरअेक राष्ट्र दूसरेकी हानि करके अपना लाभ करना चाहता है और अुसके नाश पर अपना निर्माण करना चाहता है । भारतीय राष्ट्रवादने अेक नया रास्ता लिया है । वह अपना संघटन या अपने लिअे आत्म-प्रकाशनका पूरा अवकाश विशाल मानव-जातिके लाभके लिअे, अुसकी सेवाके लिअे ही चाहता है ।

यंग इंडिया, १८-६-'२५

भगवानने मुझे भारतमें जन्म दिया है और अिस तरह मेरा भाग्य अिस देशकी प्रजाके भाग्यके साथ वांध दिया है, अिसलिअे यदि मैं अुसकी सेवा न करूं तो मैं अपने विवाताके सामने अपराधी ठहूंगा । यदि मैं यह नहीं जानता कि अुसकी सेवा कैसे की जाय, तो मैं मानव-जातिकी सेवा करना सीख ही नहीं सकता । और यदि अपने देशकी सेवा करते हुअे मैं दूसरे देशोंको कोअी नुकसान नहीं पहुंचाता, तो मेरे पयभ्रष्ट होनेकी कोअी सम्भावना नहीं है ।

यंग इंडिया, १८-६-'२५

मेरा देशप्रेम कोअी वहिष्कारशील वस्तु नहीं वल्कि अतिशय व्यापक वस्तु है और मैं अुस देशप्रेमको वर्ज्य मानता हूं जो दूसरे राष्ट्रोंको तकलीफ देकर या अुनका शोषण करके अपने देशको अुठाना चाहता है । देश-

प्रेमकी मेरी कल्पना यह है कि वह हमेशा, बिना किसी अपवादके हरएक स्थितिमें, मानव-जातिके विशालतम हितके साथ सुसंगत होना चाहिये। यदि अँसा न हो तो देशप्रेमकी कोअी कीमत नहीं। अितना ही नहीं, मेरे धर्म और अुस धर्मसे ही प्रसूत मेरे देशप्रेमके दायरेमें प्राणिमात्रका समावेश होता है। मैं न केवल मनुष्य नामसे पहिचाने जानेवाले प्राणियोंके साथ भ्रातृत्व और अेकात्मता सिद्ध करना चाहता हूँ, वल्कि समस्त प्राणियोंके साथ — रेंगनेवाले साँप आदि जैसे प्राणियोंके साथ भी — अुसी अेकात्मताका अनुभव करना चाहता हूँ। कारण, हम सब अुसी अेक स्रष्टाकी सन्तति होनेका दावा करते हैं और अिसलिअे सब प्राणी, अुनका रूप कुछ भी हो, मूलमें अेक ही हैं।

यंग अिडिया, ४-४-'२९

हमारा राष्ट्रवाद दूसरे देशोंके लिअे कभी संकटका कारण नहीं हो सकता। क्योंकि जिस तरह हम किसीको अपना शोपण नहीं करने देंगे, अुसी तरह हम भी किसीका शोपण नहीं करेंगे। स्वराज्यके द्वारा हम सारी मानव-जातिकी सेवा करेंगे।

यंग अिडिया, १६-४-'३१

सार्वजनिक जीवनके लगभग ५० वर्षके अनुभवके बाद आज मैं यह कह सकता हूँ कि अपने देशकी सेवा दुनियाकी सेवासे असंगत नहीं है — अिस सिद्धान्तमें मेरा विश्वास बढा ही है। यह अेक अुत्तम सिद्धान्त है। अिस सिद्धान्तको स्वीकार करके ही दुनियाकी मौजूदा कठिनाअियां आसान की जा सकती हैं और विभिन्न राष्ट्रोंमें जो पारस्परिक द्वेषभाव नजर आता है अुसे रोका जा सकता है।

हरिजन, १७-११-'३३

भारतीय लोकतंत्र

सर्वोच्च कोटिकी स्वतंत्रताके साथ सर्वोच्च कोटिका अनुशासन और विनय होता है। अनुशासन और विनयसे मिलनेवाली स्वतंत्रताको कोठी छीन नहीं सकता। संयमहीन स्वच्छंदता संस्कारहीनताकी द्योतक है; अतसे व्यक्तिकी अपनी और पड़ोसियोंकी भी हानि होती है।

यंग विडिया, ३-६-२६

कोठी भी मनुष्यकी बनायी हुयी संस्था वैसी नहीं है जिसमें खतरा न हो। संस्था जितनी बड़ी होगी, अतसे दुरुपयोगकी संभावनायें भी अतनी ही बड़ी होंगी। लोकतंत्र एक बड़ी संस्था है, जिसलिसे अतका दुरुपयोग भी बहुत हो सकता है। लेकिन अतका बिलज लोकतंत्रसे बचना नहीं, बल्कि दुरुपयोगकी संभावनाको कम-से-कम बनाना है।

यंग विडिया, ७-५-३१

जनताकी रायके अनुसार चलनेवाला राज्य जनमतसे आगे बढ़कर कोठी काम नहीं कर सकता। यदि वह जनमतके खिलाफ जाय तो नष्ट हो जाय। अनुशासन और विवेकयुक्त जनतंत्र दुनियाकी सबसे सुन्दर वस्तु है। लेकिन राग-द्वेष, अज्ञान और अन्व-विश्वास आदि दुर्गुणोंसे ग्रस्त जनतंत्र अराजकताके गड्ढेमें गिरता है और अपना नाश खुद कर डालता है।

यंग विडिया, ३०-७-३१

मैंने अक्सर यह कहा है कि अमुक विचार रखनेवाला कोठी भी पक्ष यह दावा नहीं कर सकता कि प्रस्तुत प्रश्नोंके सही निर्णय केवल वही कर सकता है। हम सबसे भूलें होती हैं और हमें अक्सर अपने निर्णयोंमें परिवर्तन करने पड़ते हैं। हमारे जैसे विशाल देशमें श्रीमानदारीमें विचार करनेवाले सभी पक्षोंको स्थान होना चाहिये। जिसलिसे हमारा

अपने प्रति और दूसरोंके प्रति कम-से-कम यह कर्तव्य तो है ही कि हम प्रतिपक्षीका दृष्टिकोण समझनेकी कोशिश करें। और यदि हम उसे स्वीकार न कर सकें तो भी जिस तरह हम यह चाहेंगे कि वह हमारे मतका आदर करे, उसी तरह हम भी उसके मतका आदर करें। यह चीज स्वस्थ सार्वजनिक जीवनकी और स्वराज्यकी योग्यताकी अनिवार्य कर्तव्योंमें से एक है। यदि हममें अुदारता और सहिष्णुता नहीं है तो हम अपने भेद कभी मित्रतापूर्वक नहीं सुलझा सकेंगे और फल यह होगा कि हमें तौसरे पक्षको अपना पंच मानना पड़ेगा, यानी विदेशी अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी।

यंग अिडिया, १७-४-'२४

जब राजसत्ता जनताके हाथमें आ जाती है तब प्रजाकी आजादीमें होनेवाले हस्तक्षेपकी मात्रा कम-से-कम हो जाती है। दूसरे शब्दोंमें, जो राष्ट्र अपना काम राज्यके हस्तक्षेपके विना ही शान्तिपूर्वक और प्रभावपूर्ण ढंगसे कर दिखाता है, उसे ही सच्चे अर्थोंमें लोकतंत्रात्मक कहा जा सकता है। जहां अैसी स्थिति न हो वहां सरकारका वाहरी रूप लोकतंत्रात्मक भले हो, परन्तु वह नामके लिये ही लोकतंत्रात्मक है।

हरिजन, ११-१-'३६

लोकतंत्र और हिंसाका मेल नहीं बैठ सकता। जो राज्य आज नाममात्रके लिये लोकतंत्रात्मक हैं अुन्हें या तो स्पष्ट रूपसे तानाशाहीका हामी हो जाना चाहिये, या अगर अुन्हें सचमुच लोकतंत्रात्मक बनना है तो अुन्हें साहसके साथ अहिंसक बन जाना चाहिये। यह कहना विलकुल अविचारपूर्ण है कि अहिंसाका पालन केवल व्यक्ति ही कर सकते हैं, और राष्ट्र — जो व्यक्तियोंसे ही बनते हैं — हरगिज नहीं।

हरिजनसेवक, १२-११-'३८

प्रजातंत्रका सार ही यह है कि अुसमें हरअेक व्यक्ति विविध स्वार्थोंका प्रतिनिधित्व करता है, जिनसे राष्ट्र बनता है। यह सच है कि अिसका यह मतलब नहीं कि विशेष स्वार्थोंके विशेष प्रतिनिधियोंको

प्रतिनिधित्व करनेसे रोक दिया जाये, लेकिन असा प्रतिनिधित्व अुसकी कसीटी नहीं है। यह अुसकी अपूर्णताकी अेक निशानी है।

हरिजनसेवक, २२-४-'३९

सच्ची लोकसत्ता या जनताका स्वराज्य कभी भी असत्यमय या हिंसक साधनोंसे नहीं आ सकता। कारण स्पष्ट और सीधा है। यदि असत्यमय और हिंसक अुपायोंका प्रयोग किया गया, तो अुसका स्वाभाविक परिणाम यह होगा कि सारा विरोध या तो विरोधियोंको दबाकर या अुनका नाश करके खतम कर दिया जायगा। अैसी स्थितिमें वैयक्तिक स्वतंत्रताकी रक्षा नहीं हो सकती। वैयक्तिक स्वतंत्रताको प्रगट होनेका पूरा अवकाश केवल विशुद्ध अहिंसा पर आधारित शासनमें ही मिल सकता है।

हरिजन, २७-५-'३९

आजाद प्रजातांत्रिक भारत आक्रमणके खिलाफ पारस्परिक रक्षण और आर्थिक सहकारके लिये दूसरे आजाद देशोंके साथ खुशीसे सहयोग करेगा। वह आजादी और जनतंत्र पर आधारित अैसी विश्व-व्यवस्थाकी स्थापनाके लिये काम करेगा, जो मानव-जातिकी प्रगति और विकासके लिये दुनियाके समूचे ज्ञान और अुसकी समूची साधन-सम्पत्तिका अुपयोग करेगी।

हरिजन, २३-९-'३९

प्रजातंत्रका अर्थ मैं यह समझा हूँ कि अिस तंत्रमें नीचेसे नीचे और अूँचेसे अूँचे आदमीको आगे बढ़नेका समान अवसर मिलना चाहिये। लेकिन सिवा अहिंसाके अैसा कभी हो ही नहीं सकता। संसारमें आज कोअी भी देश अैसा नहीं है जहां कमजोरोंके हककी रक्षा वतौर फर्जके होती हो। अगर गरीबोंके लिये कुछ किया भी जाता है, तो वह मेहरवानीके तीर पर किया जाता है।

पश्चिमका आजका प्रजातंत्र जरा हल्के रंगका नाजी और फासिस्ट तंत्र ही है। ज्यादासे ज्यादा प्रजातंत्र साम्राज्यवादकी नाजी और फासिस्ट चालको ढंकनेके लिये अेक आडम्बर है। . . . हिन्दुस्तान संच्चा

प्रजातंत्र घड़नेका प्रयत्न कर रहा है, अर्थात् ऐसा प्रजातंत्र जिसमें हिंसाके लिये कोई स्थान न होगा। हमारा हथियार सत्याग्रह है। उसका व्यक्त स्वरूप है चरखा, ग्रामोद्योग, अद्योगके जरिये प्राथमिक शिक्षा-प्रणाली, अस्पृश्यता-निवारण, मद्य-निषेध, अहिंसक तरीकेसे मजदूरोंका संगठन, जैसा कि अहमदावादमें हो रहा है, और साम्प्रदायिक अक्षय। इस कार्यक्रमके लिये जनताको सामुदायिक रूपमें प्रयत्न करना पड़ता है, और सामुदायिक रूपसे जनताको शिक्षण भी मिल जाता है। अिन प्रवृत्तियोंको चलानेके लिये हमारे पास बड़े-बड़े संघ हैं, पर कार्यकर्ता पूरी तरह स्वेच्छासे अिन कामोंमें आये हैं। अुनके पीछे अगर कोई शक्ति है, तो वह अुनकी अत्यन्त दीन-दुर्बलोंकी सेवा-भावना ही है।

हरिजनसेवक, १८-५-'४०

जन्मजात लोकतंत्रवादी वह होता है, जो जन्मसे ही अनुशासनका पालन करनेवाला हो। लोकतंत्र स्वाभाविक रूपमें अुसीको प्राप्त होता है, जो साधारण रूपमें अपनेको मानवी तथा दैवी सभी नियमोंका स्वेच्छा-पूर्वक पालन करनेका अभ्यस्त बना ले। . . . जो लोग लोकतंत्रके अिच्छुक हैं अुन्हें चाहिये कि पहले वे लोकतंत्रकी अिस कसीटी पर अपनेको परख लें। अिसके अलावा, लोकतंत्रवादीको निःस्वार्थ भी होना चाहिये। अुसे अपनी या अपने दलकी दृष्टिसे नहीं बल्कि अेकमात्र लोकतंत्रकी ही दृष्टिसे सब-कुछ सोचना चाहिये। तभी वह सविनय अवज्ञाका अधिकारी हो सकता है। . . . व्यक्तिगत स्वतंत्रताकी मैं कदर करता हूं, लेकिन आपको यह हरगिज नहीं भूलना चाहिये कि मनुष्य मूलतः अेक सामाजिक प्राणी ही है। सामाजिक प्रगतिकी आवश्यकताओंके अनुसार अपने व्यक्तित्वको ढालना सीखकर ही वह वर्तमान स्थिति तक पहुंचा है। अवाध व्यक्तिवाद वन्य पशुओंका नियम है। हमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक अंगमके बीच समन्वय करना सीखना है। समस्त समाजके हितके खातिर अंगमके आगे स्वेच्छापूर्वक सिर झुकानेसे व्यक्ति और समाज, अंगमके अंग अेक सदस्य है, दोनोंका ही कल्याण होता है।

५-३९

जो व्यक्ति अपने कर्तव्यका अचित्त पालन करता है, उसे अधिकार अपने-आप मिल जाते हैं। सच तो यह है कि एकमात्र अपने कर्तव्यके पालनका अधिकार ही ऐसा अधिकार है, जिसके लिये ही मनुष्यको जीना चाहिये और मरना चाहिये। अतः सच अचित्त अधिकारोंका समावेश हो जाता है। बाकी सब तो अनधिकार अपहरण जैसा है और अतः हमें हिंसाके बीज छिपे रहते हैं।

हरिजन, २७-५-'३९

लोकशाहीमें हर आदमीको समाजकी विच्छा यानी राज्यकी विच्छाके मुताबिक चलना होता है और अतः उसीके मुताबिक अपनी विच्छाओंकी हद बांधनी होती है। स्टेट लोकशाहीके द्वारा और लोकशाहीके लिये राज्य चलाती है। अगर हर आदमी कानून अपने हाथमें ले ले तो स्टेट नहीं रह जायेगी; वह अराजकता हो जायेगी, यानी सामाजिक नियम या स्टेटकी हस्ती मिट जायेगी। यह आजादीको मिटा देनेवाला रास्ता है। जिसलिये आपको अपने गुस्से पर काबू पाना चाहिये और राज्यको न्याय पानेका मौका देना चाहिये।

दिल्ली-डायरी, पृ० १९

प्रजातंत्रमें लोगोंको चाहिये कि वे सरकारकी कोधी गलती देखें, तो अतः उसकी तरफ अतः उसका ध्यान खींचें और सन्तुष्ट हो जायें। अगर वे चाहें तो अपनी सरकारको हटा सकते हैं, मगर अतः उसके खिलाफ आन्दोलन करके अतः उसके कामोंमें बाधा न डालें। हमारी सरकार जबरदस्त जलसेना और थलसेना रखनेवाली कोधी विदेशी सरकार तो है नहीं। अतः उसका बल तो जनता ही है।

दिल्ली-डायरी, पृ० १०

सच्ची लोकशाही केन्द्रमें बैठे हुए बीस आदमी नहीं चला सकते। वह तो नीचेसे हर एक गांवके लोगों द्वारा चलायी जानी चाहिये।

हरिजन, १८-१-'४८

भीड़का राज्य

मैं खुद तो सरकारकी नाराजीकी अतनी परवाह नहीं करता जितनी भीड़की नाराजीकी। भीड़की मनमानी राष्ट्रीय वीमारीका लक्षण है और अिसलिये सरकारकी नाराजीकी — जो कि अल्पकाय संघ तक ही सीमित होती है — तुलनामें अुससे निपटना ज्यादा मुश्किल है। अैसी किसी सरकारको जिसने अपनेको शासनके लिये अयोग्य सिद्ध कर दिया हो अपदस्थ करना आसान है, लेकिन किसी भीड़में शामिल अनजाने आद-मियोंका पागलपन दूर करना ज्यादा कठिन है।

यंग अिडिया, २८-७-'२०

भीड़को अनुशासन सिखानेसे ज्यादा आसान और कुछ नहीं है। कारण सीधा है। भीड़ कोअी काम बुद्धिपूर्वक नहीं करती, अुसकी कोअी पहलेसे सोची हृथी योजना नहीं होती। भीड़के लोग जो कुछ करते हैं सो आवेशमें करते हैं। अपनी गलतीके लिये पश्चात्ताप भी वे जल्दी करते हैं। मैं असहयोगका अुपयोग लोकशाहीका विकास करनेके लिये कर रहा हूं।

यंग अिडिया, ८-९-'२०

हमें अिन हजारों-लाखों लोगोंको, जिनका हृदय सोनेका है, जिन्हें देशसे प्रेम है, जो सीखना चाहते हैं और यह अिच्छा रखते हैं कि कोअी अुनका नेतृत्व करे, सही तालीम देनी चाहिये। केवल थोड़ेसे बुद्धिमान और निष्ठावान कार्यकर्ताओंकी जरूरत है। वे मिल जायं तो सारे राष्ट्रको बुद्धिपूर्वक काम करनेके लिये संघटित किया जा सकता है तथा भीड़की अराजकताकी जगह सही प्रजातंत्रका विकास किया जा सकता है।

यंग अिडिया, २२-९-'२०

सरकारकी ओरसे या प्रजाकी ओरसे आतंकवाद चलाया जा रहा हो, तब लोकशाहीकी भावनाकी स्थापना करना असंभव है। और कुछ अंशोंमें सरकारी आतंकवादकी तुलनामें प्रजाकीय आतंकवाद लोकशाहीकी भावनाके प्रसारका ज्यादा बड़ा शत्रु है। कारण, सरकारी आतंकवादसे

लोकशाहीकी भावनाको बल मिलता है, जब कि प्रजाकीय आतंकवाद तो उसका हनन करता है।

यंग इंडिया, २३-२-२१

बहुसंख्यक दल और अल्पसंख्यक दल

अगर हम लोकशाहीकी सच्ची भावनाका विकास करना चाहते हैं, तो हम असहिष्णु नहीं हो सकते। असहिष्णुता बताती है कि अपने व्येयकी सचायीमें हमारा पूरा विश्वास नहीं है।

यंग इंडिया, २-२-२१

हम अपने लिये स्वतंत्रतापूर्वक अपना मत प्रकट करने और कार्य करनेके अधिकारका दावा करते हैं, तो यही अधिकार हमें दूसरोंको भी देना चाहिये। बहुसंख्यक दलका शासन, जब वह लोगोंके साथ जबरदस्ती करने लगता है तब, अतना ही असह्य हो अठता है, जितना किसी अल्पसंख्यक नाँकरशाहीका। हमें अल्पसंख्यकोंको अपने पक्षमें वीरजके साथ, समझा-बुझाकर और दलील करके ही लानेकी कोशिश करनी चाहिये।

यंग इंडिया, २६-१-२२

बहुसंख्यक दलका शासन अमुक हद तक जरूर माना जाना चाहिये। यानी, व्यारेकी बातोंमें हमें बहुसंख्यक दलका निर्णय स्वीकार कर लेना चाहिये। लेकिन उसके निर्णय कुछ भी क्यों न हों, अन्हें हमेशा स्वीकार कर लेना गुलामीका चिह्न है। लोकशाही किसी ऐसी स्थितिका नाम नहीं है जिसमें लोग भेड़ोंकी तरह व्यवहार करें। लोकशाहीमें व्यक्तिके मत-स्वातंत्र्य और कार्य-स्वातंत्र्यकी रक्षा अत्यंत सावधानीसे की जाती है, और की जानी चाहिये। इसलिये मैं यह विश्वास करता हूँ कि अल्पसंख्यकोंको बहुसंख्यकोंसे अलग ढंगसे चलनेका पूरा अधिकार है।

यंग इंडिया, २-३-३२

अगर व्यक्तिका महत्त्व न रहे, तो समाजमें भी क्या सत्त्व रह जायगा? वैयक्तिक स्वतंत्रता ही मनुष्यको समाजकी सेवाके लिये स्वेच्छा-

पूर्वक अपना पूरा अर्पण करनेकी प्रेरणा दे सकती है। यदि अुससे यह स्वतंत्रता छीन ली जाय, तो वह अेक जड़ यंत्र जैसा हो जाता है और समाजकी वरवादी होती है। वैयक्तिक स्वतंत्रताको अस्वीकार करके कोअी सम्य समाज नहीं बनाया जा सकता।

हरिजन, १-२-४२

५

भारत और समाजवाद

पूजीपतियों द्वारा पूजीके दुरुपयोगकी बात लोगोंके ध्यानमें आयी, तब समाजवादका जन्म हुआ यह खयाल गलत है। जैसा कि मैंने पहले भी प्रतिपादित किया है समाजवाद, और अुसी तरह साम्यवाद भी, अीशोपनिषद्के पहले श्लोकमें स्पष्ट रूपसे मिल जाता है। हां, यह बात सही है कि जब कुछ सुधारकोंने हृदय-परिवर्तनकी क्रिया द्वारा आदर्श सिद्ध करनेकी प्रणालीमें विश्वास खो दिया, तब जिसे वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है अुसकी पद्धति ढूंढी गयी। मैं अुसी समस्याको हल करनेमें लगा हुआ हूं, जो वैज्ञानिक समाजवादियोंके सामने है। अलवत्ता, कामका मेरा ढंग शुद्ध अहिंसाके अनुसार प्रयत्न करनेका है। यह हो सकता है कि मैं अिस सिद्धान्तका, जिसमें मेरा विश्वास प्रतिदिन बढ़ रहा है, अच्छा व्याख्याता न होऊं। अखिल भारत चरखा-संघ और अखिल भारत ग्रामोद्योग-संघ अैसी संस्थायें हैं, जिनके द्वारा अहिंसाकी कार्य-पद्धतिका अखिल भारतीय पैमाने पर प्रयोग किया जा रहा है। वे कांग्रेसके द्वारा बनायी गयी अैसी स्वतंत्र संस्थायें हैं, जिनका अुद्देश्य कांग्रेस जैसी लोकतांत्रिक संस्थाकी नीतिमें हमेशा जिन परिवर्तनोंके होनेकी संभावना है अुन परिवर्तनोंसे बंधे बिना मुझे अपने प्रयोग अपनी अिच्छाके अनुसार करते रहनेका मौका देना है।

हरिजन, २०-२-३७

सच्चा समाजवाद तो हमें अपने पूर्वजोंसे प्राप्त हुआ है, जो हमें यह सिखा गये हैं कि 'सब भूमि गोपालकी है; जिसमें कहीं मेरी और तेरीकी सीमायें नहीं हैं। ये सीमायें तो आदमियोंने बनायीं हैं और जिसलिये वे जिन्हें तोड़ भी सकते हैं।' गोपाल यानी कृष्ण यानी भगवान। आधुनिक भाषामें गोपाल यानी राज्य यानी जनता। आज जर्मन जनताकी नहीं है, यह बात सही है। पर जिसमें दोष कुछ शिधाका नहीं है। दोष तो हमारा है जिन्होंने कुछ शिधाके अनुसार आचरण नहीं किया। मुझे जिसमें कोई सन्देह नहीं कि जिस आदर्शको जिस हृद तक रूस या और कोई देश पहुंच सकता है उसी हृद तक हम भी पहुंच सकते हैं, और वह भी हिंसाका आश्रय लिये बिना। पूंजीवालोंसे अूनकी पूंजी हिंसापूर्वक छीनी जाय, जिसके बजाय यदि चरखा और अूनके सारे फलितार्थ स्वीकार कर लिये जायें तो वही काम हो सकता है। चरखा हिंसक अपहरणकी जगह ले सकनेवाला अत्यंत प्रभावकारी साधन है। जर्मन और दूसरी सारी संपत्ति अूनकी है, जो अूनके लिये काम करे। दुःख जिस बातका है कि किसान और मजदूर या तो जिस सरल सत्यको जानते नहीं हैं या यों कहौ कि अूनहें जिसे जानने नहीं दिया गया है।

हरिजन, २-१-'३७

मैं सदासे यह मानता आया हूं कि नीचेसे नीचे और कमजोरसे कमजोरके प्रति हम जोर-जबरदस्तीसे सामाजिक न्यायका पालन नहीं कर सकते। मैं यह भी मानता आया हूं कि पतितसे पतित लोगोंको भी मुनासिव तालीम दी जाये, तो अहिंसक साधनों द्वारा सब प्रकारके अत्याचारोंका प्रतिकार किया जा सकता है। अहिंसक असहयोग ही अूनका मुख्य साधन है। कभी-कभी असहयोग भी अुतना ही कर्तव्य-रूप हो जाता है जितना कि सहयोग। अपनी विफलता या गुलामीमें खुद सहायक होनेके लिये कोई बंधा हुआ नहीं है। जो स्वतंत्रता दूसरोंके प्रयत्नों द्वारा — फिर वे कितने ही अुदार क्यों न हों — मिलती है, वह अून प्रयत्नोंके न रहने पर कायम नहीं रखी जा सकती। दूसरे शब्दोंमें, ऐसी स्वतंत्रता सच्ची स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन जब पतितसे

55

पतित भी अहिंसक असहयोग द्वारा अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करनेकी कला सीख लेते हैं, तो वे अुसके प्रकाशका अनुभव किये बिना नहीं रह सकते ।

मेरा यह पक्का विश्वास है कि जिस चीजको हिंसा कभी नहीं कर सकती, वही अहिंसात्मक असहयोग द्वारा सिद्ध की जा सकती है । और अुससे अन्तमें जाकर अत्याचारियोंका हृदय-परिवर्तन भी हो सकता है । हमने हिन्दुस्तानमें अहिंसाको अुसके अनुरूप मौका अभी तक दिया ही नहीं । फिर भी आश्चर्य है कि अपनी अिस मिलावटी अहिंसा द्वारा भी हम अितनी शक्ति प्राप्त कर सके हैं ।

हरिजनसेवक, २०-४-'४०

प्रतिष्ठित जीवनके लिये जितनी जमीनकी आवश्यकता है, अुससे अधिक किसी आदमीके पास नहीं होनी चाहिये । अैसा कौन है जो अिस हकीकतसे अिनकार कर सके कि आम जनताकी घोर गरीबीका कारण आज यही है कि अुसके पास अुसकी अपनी कहीं जानेवाली कोअी जमीन नहीं है ?

लेकिन यह याद रखना चाहिये कि अिस तरहके सुधार तुरन्त नहीं किये जा सकते । अगर ये सुधार अहिंसात्मक तरीकोंसे करने हैं, तो जमींदारों और गैर-जमींदारों दोनोंको सुशिक्षित बनाना लाजिमी हो जाता है । जमींदारोंको यह विश्वास दिलाना होगा कि अुनके साथ कभी जोर-जवरदस्ती नहीं की जायगी, और गैर-जमींदारोंको यह सिखाना और समझाना होगा कि अुनसे अुनकी मरजीके खिलाफ जवरन कोअी काम नहीं ले सकता, और यह कि कष्ट-सहन या अहिंसाकी कलाको सीखकर वे अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं । अगर अिस लक्ष्यको हमें प्राप्त करना है, तो अूपर मैंने जिस शिक्षाका जिक्र किया है अुसका आरम्भ अभीसे हो जाना चाहिये । अिसके लिये पहली जरूरत अैसा वातावरण तैयार करनेकी है, जिसमें पारस्परिक आदर और सद्भावका सुमेल हो । अुस अवस्थामें वर्गों और आम जनताके बीच किसी प्रकारका हिंसात्मक संघर्ष हो ही नहीं सकता ।

हरिजनसेवक, २०-४-'४०

समाजवादी कौन है ?

समाजवाद एक सुन्दर शब्द है। जहां तक मैं जानता हूँ, समाजवादमें समाजके सारे सदस्य बराबर होते हैं, न कोअी नीचा और न कोअी अूँचा। किसी आदमीके शरीरमें सिर जिसलिये अूँचा नहीं है कि वह सबसे अूँपर है और पाँवके तलुवे जिसलिये नीचे नहीं हैं कि वे जमीनको छूते हैं। जिस तरह मनुष्यके शरीरके सारे अंग बराबर हैं, अुसी तरह समाजरूपी शरीरके सारे अंग भी बराबर हैं। यही समाजवाद है।

जिस वादमें राजा और प्रजा, धनी और गरीब, मालिक और मजदूर सब बराबर हैं। जिस तरह समाजवाद यानी अद्वैतवाद। अुसमें द्वैत या भेदभावकी गुंजाबिश ही नहीं है।

सारी दुनियाके समाज पर नजर डालें तो हम देखेंगे कि हर जगह द्वैत ही द्वैत है। अेकता या अद्वैत कहीं नामको भी नहीं दिखाअी ही देता। वह आदमी अूँचा है, वह आदमी नीचा है। वह हिन्दू है, वह मुसलमान है, तीसरा अीसाअी है, चौथा पारसी है, पाँचवां सिक्ख है, छठा यहूदी है। अिनमें भी बहुतसी अुप-जातियां हैं। मेरे अद्वैतवादमें ये सब अेक हो जाते हैं ; अेकतामें समा जाते हैं।

जिस वाद तक पहुंचनेके लिये हम अेक-दूसरेकी तरफ ताकते न बैठें। जब तक सारे लोग समाजवादी न बन जायं तब तक हम कोअी हलचल न करें, अपने जीवनमें कोअी फेरफार न करके हम भाषण देते रहें, पार्टियां बनाते रहें और वाज पक्षीकी तरह जहां शिकार मिल जाय वहां अुस पर टूट पड़ें—यह समाजवाद हरगिज नहीं है। समाजवाद जैसी शानदार चीज झड़प मारनेसे हमसे दूर ही जानेवाली है।

समाजवादकी शुरुआत पहले समाजवादीसे होती है। अगर अेक भी अैसा समाजवादी हो तो अुस पर सिफर बढ़ाये जा सकते हैं। पहले सिफरसे अुसकी कीमत दस गुनी बढ़ती जायगी। लेकिन अगर पहला सिफर ही हो, दूसरे शब्दोंमें अगर कोअी आरंभ ही न करे, तो अुसके आगे कितने ही सिफर क्यों न बढ़ाये जायं अुनकी कीमत सिफर ही रहेगी। सिफरोंको लिखनेमें मेहनत और कागजकी बरवादी ही होगी।

यह समाजवाद बड़ी शुद्ध चीज है। जिसलिअे अिसे पानेके साधन भी शुद्ध ही होने चाहिये। गन्दे साधनोंसे मिलनेवाली चीज भी गन्दी ही होगी। जिसलिअे राजाको मारकर राजा और प्रजा अेकसे नहीं बन सकेंगे। मालिकका सिर काटकर मजदूर मालिक नहीं हो सकेंगे। यही बात सब पर लागू की जा सकती है।

कोअी असत्यसे सत्यको नहीं पा सकता। सत्यको पानेके लिअे हमेशा सत्यका आचरण करना ही होगा। अहिंसा और सत्यकी तो जोड़ी है न? हरगिज नहीं। सत्यमें अहिंसा छिपी हुअी है और अहिंसामें सत्य। जिसलिअे मैंने कहा है कि सत्य और अहिंसा अेक ही सिक्केके दो रूप हैं। दोनोंकी कीमत अेक ही है। केवल पढ़नेमें ही फर्क है; अेक तरफ अहिंसा है, दूसरी तरफ सत्य। सम्पूर्ण पवित्रताके विना अहिंसा और सत्य निभ ही नहीं सकते। शरीर या मनकी अपवित्रताको छिपानेसे असत्य और हिंसा ही पैदा होगी।

जिसलिअे केवल सत्यवादी, अहिंसक और पवित्र समाजवादी ही दुनियामें या हिन्दुस्तानमें समाजवाद फैला सकता है। जहां तक मैं जानता हूं, दुनियामें अैसा कोअी भी देश नहीं है जो पूरी तरह समाजवादी हो। मेरे वताये हुअे साधनोंके विना अैसा समाज कायम करना असंभव है।

हरिजनसेवक, १३-७-'४७

भारत और साम्यवाद

मुझे स्वीकार करना चाहिये कि बोलशेविज्म शब्दका अर्थ मैं अभी तक पूरा-पूरा नहीं समझा हूँ। मैं अतना ही जानता हूँ कि बुद्धका अद्देश्य निजी सम्पत्तिकी संस्थाको मिटाना है। यह तो अपरिग्रहके नैतिक आदर्शको अर्थके क्षेत्रमें प्रयुक्त करना हुआ; और यदि लोग जिस आदर्शको स्वेच्छासे स्वीकार कर लें या अन्हें शान्तिपूर्वक समझाया जाय और बुद्धके फलस्वरूप वे उसे स्वीकार कर लें, तो जिससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन बोलशेविज्मके वारेमें मुझे जो कुछ जाननेको मिला है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि वह न केवल हिंसाके प्रयोगका वहिष्कार नहीं करता, बल्कि निजी सम्पत्तिके अपहरणके लिये और उसे राज्यके स्वामित्वके अधीन बनाये रखनेके लिये हिंसाके प्रयोगकी खुली छूट देता है। और यदि ऐसा है तो मुझे यह कहनेमें कोई संकोच नहीं कि बोलशेविक शासन अपने मौजूदा रूपमें ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकता। कारण, मेरा दृढ़ विश्वास है कि हिंसाकी नींव पर किसी भी स्थायी रचनाका निर्माण नहीं हो सकता। लेकिन, वह जो भी हो, जिसमें कोई सन्देह नहीं कि बोलशेविक आदर्शके पीछे असंख्य पुरुषों और स्त्रियोंके — जिन्होंने बुद्धकी सिद्धिके लिये अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया है — शुद्धतम त्यागका बल है; और एक ऐसा आदर्श, जिसके पीछे लेनिन जैसे महा-पुरुषोंके त्यागका बल है, कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। बुद्धके त्यागका अज्ज्वल अुदाहरण चिरकाल तक जीवित रहेगा और समय ज्यों-ज्यों बीतेगा त्यों-त्यों वह जिस आदर्शको अधिकाधिक शुद्धि और वेग प्रदान करता रहेगा।

यंग अिडिया, १५-११-'२८

समाजवाद और साम्यवाद आदि पश्चिमके सिद्धान्त जिन विचारों पर आधारित हैं, वे हमारे तत्सम्बन्धी विचारोंसे वृत्तियादी तौर पर भिन्न हैं। ऐसा एक विचार बुद्धका यह विश्वास है कि मनुष्य-स्वभावमें

मूलगामी स्वार्थ-भावना है। मैं इस विचारको स्वीकार नहीं करता; क्योंकि मैं जानता हूँ कि मनुष्य और पशुमें यह बुनियादी फर्क है कि मनुष्य अपनी अन्तर्हित आत्माकी पुकारका उत्तर दे सकता है, उन बेकारोंके ऊपर उठ सकता है जो उसमें और पशुओंमें सामान्य रूपसे पाये जाते हैं और इसलिये वह स्वार्थ-भावना और हिंसाके भी ऊपर उठ सकता है। क्योंकि स्वार्थ-भावना और हिंसा पशु-स्वभावके अंग हैं, मनुष्यमें अन्तर्हित उसकी अमर आत्माके नहीं। यह हिन्दू धर्मका एक बुनियादी वैचार है और इस सत्यकी शोषके पीछे कितने ही तपस्वियोंकी अनेक अप्रियोंकी तपस्या और साधना है। यही कारण है कि हमारे यहां जैसे अन्त और महात्मा तो हुअे हैं, जिन्होंने आत्माके गूढ़ रहस्योंकी शोषमें अपना शरीर घिसा है और अपने प्राण दिये हैं; परन्तु पश्चिमकी तरह हमारे यहां जैसे लोग नहीं हुअे, जिन्होंने पृथ्वीके सुदूरतम कोनों या अंची श्रेणियोंकी खोजमें अपने प्राणोंका बलिदान किया हो। इसलिये हमारे समाजवाद या साम्यवादकी रचना अहिंसाके आधार पर और मजदूरों तथा पूंजीपतियों या जमींदारों तथा किसानोंके मीठे सहयोगके आधार पर होनी चाहिये।

अमृतवाजार पत्रिका, २-८-'३४

साम्यवादके अर्थकी छानबीन की जाय तो अन्तमें हम इसी निश्चय पर पहुंचते हैं कि उसका मतलब है—वर्गहीन समाज। यह बेशक उत्तम आदर्श है और उसके लिये अवश्य कोशिश होनी चाहिये। लेकिन तब इस आदर्शको हासिल करनेके लिये वह हिंसाका प्रयोग करनेकी बात करने लगता है, तब मेरा रास्ता उससे अलग हो जाता है। हम सब जन्मसे समान ही हैं, लेकिन हम हमेशासे भगवानकी इस अिच्छाकी वज्ञा करते आये हैं। असमानताकी या अंच-नीचकी भावना एक बुराअी है; किन्तु मैं इस बुराअीको मनुष्यके मनसे, उसे तलवार दिखाकर, निकाल भगानेमें विश्वास नहीं करता। मनुष्यके मनकी शुद्धिके लिये यह कोई कारगर साधन नहीं है।

हरिजन, १३-३-'३७

रूसका समाजवाद, यानी जनता पर जबरदस्ती लादा जानेवाला साम्यवाद, भारतको रूखेगा नहीं; भारतकी प्रकृतिके साथ अुनका मेल नहीं बैठ सकता। हां, यदि साम्यवाद बिना किसी हिंसाके आये तो हम अुसका स्वागत करेंगे। क्योंकि तब कोयी मनुष्य किसी भी तरहकी सम्पत्ति जनताके प्रतिनिधिकी तरह और जनताके हितके लिये ही रखेगा; अन्यथा नहीं। करोड़पतिके पास अुसके करोड़ रहेंगे तो सही, लेकिन वह अुन्हें अपने पास धरोहरके रूपमें जनताके हितके लिये ही रखेगा और सर्व-सामान्य प्रयोजनके लिये आवश्यकता होने पर विस सम्पत्तिकी राज्य अपने अधिकारमें ले सकेगा।

हरिजन, १३-३-'३७

साम्यवादियों और समाजवादियोंका कहना है कि आज वे आर्थिक समानताको जन्म देनेके लिये कुछ नहीं कर सकते। वे अुसके लिये प्रचार भर कर सकते हैं। विसके लिये लोगोंमें द्वेष या वैर पैदा करने और अुसे बढ़ानेमें अुनका विश्वास है। अुनका कहना है कि राज्यसत्ता पाने पर वे लोगोंसे समानताके सिद्धान्त पर अमल करवायेंगे। मेरी योजनाके अनुसार राज्य प्रजाकी विच्छाको पूरी करेगा, न कि लोगोंको हुकम देगा या अपनी आज्ञा जबरन अुन पर लादेगा। मैं घृणासे नहीं परन्तु प्रेमकी शक्तिसे लोगोंको अपनी बात समझाऊंगा और अहिंसाके द्वारा आर्थिक समानता पैदा करूंगा। मैं सारे समाजको अपने मतका बनाने तक रूकूंगा नहीं, बल्कि अपने पर ही यह प्रयोग शुरू कर दूंगा। विसमें जरा भी शक नहीं कि अगर मैं ५० मोटरोंका तो क्या, १० बीघा जमीनका भी मालिक हूं, तो मैं अपनी कल्पनाकी आर्थिक समानताको जन्म नहीं दे सकता। अुसके लिये मुझे गरीब बन जाना होगा। यही मैं पिछले ५० सालोंसे या अुससे भी ज्यादा वक्तसे करता आया हूं।

विसीलिये मैं पक्का कम्युनिस्ट होनेका दावा करता हूं। अगरचे मैं बनवानों द्वारा दी गयी मोटरों या दूसरे सुभीतोंसे फायदा अुठाता हूं, मगर मैं अुनके वशमें नहीं हूं। अगर आम जनताके हितोंका वैसा तकाजा हुआ, तो बातकी बातमें मैं अुनको अपनेसे दूर हटा सकता हूं।

हरिजनसेवक, ३१-३-'४६

हममें विदेशोंके दानके बजाय हमारी धरती जो कुछ पैदा कर सकती हो उस पर ही अपना निर्वाह कर सकनेकी योग्यता और साहस होना चाहिये । अन्यथा हम अके स्वतंत्र देशकी तरह रहनेके हकदार न होंगे । यही बात विदेशी विचारधारारोंके लिये भी लागू होती है । मैं अन्हें उसी हद तक स्वीकार करूंगा जिस हद तक मैं अन्हें हजम कर सकता हूं और अुनमें परिस्थितियोंके अनुरूप फर्क कर सकता हूं । लेकिन मैं अुनमें वह जानेसे अिनकार करूंगा ।

हरिजन, ६-१०-'४६

७

अुद्योगवादका अभिशाप

दुनियामें अैसे विवेकी पुरुषोंकी संख्या लगातार बढ़ रही है, जो अिस सभ्यताको — जिसके अेक छोर पर तो भौतिक समृद्धिकी कभी तृप्त न होनेवाली आकांक्षा है और दूसरे छोर पर अुसके फलस्वरूप पैदा होनेवाला युद्ध है — अविश्वासकी निगाहसे देखते हैं । लेकिन यह सभ्यता अच्छी हो या बुरी, भारतका पश्चिम जैसा अुद्योगीकरण करनेकी क्या जरूरत है ? पश्चिमी सभ्यता शहरी सभ्यता है । अंग्लैण्ड और अिटली जैसे छोटे देश अपनी व्यवस्थाओंका शहरीकरण कर सकते हैं । अमेरिका बड़ा देश है, किन्तु अुसकी आवादी बहुत विरल है । अिसलिये अुसे भी शायद वैसे ही करना पड़ेगा । लेकिन कोअी भी आदमी यदि सोचेगा तो यह मानेगा कि भारत जैसे बड़े देशको, जिसकी आवादी बहुत ज्यादा बड़ी है और ग्राम-जीवनकी अैसी पुरानी परम्परामें पोषित हुआ है जो अुसकी आवश्यकताओंको बराबर पूरा करती आयी है, पश्चिमी नमूनेकी नकल करनेकी कोअी जरूरत नहीं है और न अुसे अैसी नकल करनी चाहिये । विशेष परिस्थितियोंवाले किसी अेक देशके लिये जो बात अच्छी है वह भिन्न परिस्थितियोंवाले किसी दूसरे देशके लिये भी अच्छी ही हो यह जरूरी नहीं है । जो चीज किसी अेक आदमीके लिये पोषक आहारका काम देती हो, वही

यंत्रोंका भी स्थान है। और यंत्रोंने अपना स्थान प्राप्त भी कर लिया है। लेकिन मनुष्योंके लिये जिस प्रकारकी मेहनत करना अनिवार्य होना चाहिये, उसी प्रकारकी मेहनतका स्थान अन्हें ग्रहण न कर लेना चाहिये। घरमें चलाने लायक यंत्रोंमें सुधार किये जायं तो मैं उसका स्वागत करूंगा। लेकिन मैं यह भी समझता हूं कि जब तक लाखों किसानोंको अन्के घरमें कोई दूसरा धंधा करनेके लिये न दिया जाय, तब तक हाथ-मेहनतसे चरखा चलानेके बदले किसी दूसरी शक्तिसे कपड़ेका कारखाना चलाना गुनाह है।

हिन्दी नवजीवन, ५-११-'२५

यंत्रोंकी अपुरी विजयसे चमत्कृत होनेसे मैं अिनकार करता हूं। और मारक यंत्रोंके मैं अेकदम खिलाफ हूं; अुसमें मैं किसी तरहका समझौता स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन अैसे सादे औजारों, साधनों या यंत्रोंका, जो व्यक्तिकी मेहनत वचायें और झोपड़ियोंमें रहनेवाले लाखों-करोड़ों लोगोंका बोझ कम करें, मैं जरूर स्वागत करूंगा।

यंग अिडिया, १७-६-'२६

(हिन्दुस्तानके सात लाख गांवोंमें फैले हुअे ग्रामवासी-रूपी करोड़ों जीवित यंत्रोंके विरुद्ध अिन जड़ यंत्रोंको प्रतिद्वंद्वितामें नहीं लाना चाहिये। यंत्रोंका सदुपयोग तो यह कहा जायगा कि अुससे मनुष्यके प्रयत्नको सहारा मिले और अुसे वह आसान बना दे। यंत्रोंके मौजूदा अुपयोगका झुकाव तो अिस ओर ही बढ़ता जा रहा है कि कुछ अिने-गिने लोगोंके हाथमें खूब संपत्ति पहुंचाअी जाय और अिन करोड़ों स्त्री-पुरुषोंके मुंहसे रोटी छीन ली जाती है, अुन वेचारोंकी जरा भी परवाह न की जाय।

हरिजनसेवक, २०-९-'३५

बड़े पैमाने पर अुद्योगीकरणका अनिवार्य परिणाम यह होगा कि ज्यों-ज्यों प्रतिस्पर्धा और वाजारकी समस्यायें खड़ी होंगी त्यों-त्यों गांवोंका प्रगट या अप्रगट शोषण होगा। अिसलिये हमें अपनी शक्ति अिसी प्रयत्न पर केन्द्रित करनी चाहिये कि गांव स्वयंपूर्ण बनें और वस्तुओंका

निर्माण और उत्पादन अपने उपयोगके लिये करें। यदि उत्पादनकी यह पद्धति स्वीकार कर ली जाय तो फिर गांववाले जैसे आधुनिक यंत्रों और औजारोंका, जिन्हें वे बना सकते हों और जिनका उपयोग उन्हें आर्थिक दृष्टिसे पुसा सकता हो, उपयोग खुशीसे करें। उस पर आपत्ति नहीं की जा सकती। अलवत्ता, उनका उपयोग दूसरोंका शोषण करनेके लिये नहीं होना चाहिये।

हरिजन, २९-८-'३६

मैं नहीं मानता कि बुद्धोगीकरण हर हालतमें किसी भी देशके लिये जरूरी ही है। भारतके लिये तो वह उससे भी कम जरूरी है। मेरा विश्वास है कि आजाद भारत दुःखसे कराहती हुई दुनियाके प्रति अपने कर्तव्यका अंग अपने गांवोंका विकास करके और दुनियाके साथ मित्रताका व्यवहार करके और जिस तरह सादा परन्तु शुद्ध जीवन अपनाकर ही चुका सकता है। वनकी पूजाने हमारे ऊपर भौतिक समृद्धिके जिस जटिल और शीघ्रगामी जीवनको लाद दिया है, उसके साथ 'बुच्च चिन्तन' का मेल नहीं बैठता। जीवनका सम्पूर्ण सौन्दर्य तभी खिल सकता है जब हम बुच्च कोटिका जीवन जीना सीखें।

खतरोंवाला जीवन जीनेमें रोमांच और उत्तेजनाका अनुभव हो सकता है। पर खतरोंका सामना करते हुये जीनेमें और खतरोंवाला जीवन जीनेमें भेद है। जो आदमी जंगली जानवरोंसे और उनसे भी ज्यादा जंगली आदमियोंसे भरपूर जंगलमें अकेले, विना बन्दूकके और केवल आश्वरके सहारे रहनेकी हिम्मत दिखाता है, वह खतरोंका सामना करते हुये जीता है। दूसरा आदमी लगातार हवामें बुड़ता हुआ रहता है और टकटकी लगाकर देखनेवाले दर्शक-समुदायकी बाहवाही लूटनेके खयालसे नीचेकी ओर बुड़ी लगाता है; वह खतरोंवाला जीवन जीता है। पहले आदमी का जीवन लक्ष्यपूर्ण है, दूसरेका लक्ष्यहीन।

किसी अलग-थलग रहनेवाले देशके लिये, भले वह भूविस्तार और जनसंख्याकी दृष्टिसे कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसी दुनियामें जो शास्त्रास्त्रोंसे सिरसे पांव तक लदी है और जिसमें सर्वत्र वैभव-

विलासका ही वातावरण नजर आता है, असा सादा जीवन जीना सम्भव है या नहीं — यह असा सवाल है जिसमें संशयशील आदमीको अवश्य सन्देह होगा। लेकिन असका उत्तर सीधा है। यदि सादा जीवन जीने योग्य है तो यह प्रयत्न भी करने योग्य है, चाहे वह प्रयत्न किसी अके ही व्यक्ति या किसी अके ही समुदाय द्वारा क्यों न किया जाय।

लेकिन साथ ही मैं यह भी मानता हूं कि कुछ प्रमुख उद्योग जरूर होने चाहिये। आरामकुर्सीवाले या हिंसावाले समाजवादमें मेरा विश्वास नहीं है। मैं तो अपने विश्वासके अनुसार आचरण करनेमें मानता हूं और उसके लिये सब लोग मेरी बात मान लें तब तक ठहरना अनावश्यक समझता हूं। असलिये अिन प्रमुख उद्योगोंको गिनार्ये बिना ही मैं कह देता हूं कि जहां कहीं भी लोगोंको काफी बड़ी संख्यामें मिलकर काम करना पड़ता है वहां मैं राज्यकी मालिकीकी हिमायत करूंगा। अुनकी कुशल या अकुशल मेहनतसे जो कुछ अुत्पन्न होगा असकी मालिकी राज्यके द्वारा अुनकी ही होगी। लेकिन चूंकि मैं तो अस राज्यके अहिंसा पर ही आधारित होनेकी कल्पना कर सकता हूं, असलिये मैं अमीरोंसे अुनकी सम्पत्ति बलपूर्वक नहीं छीनूंगा, बल्कि अुक्त उद्योगों पर राज्यकी मालिकी कायम करनेकी प्रक्रियामें अुनका सहयोग मांगूंगा। अमीर हों या कंगाल, समाजमें कोअी भी वर्ग अछूत या पतित नहीं हैं। अमीर और गरीब दोनों अके ही रोगके दो रूप हैं। और सत्य यह है कि कोअी कैसा भी हो, है तो सब मनुष्य ही।

और मैं अपना यह विश्वास अुन सारी वर्वरताओंके बावजूद घोषित करता हूं, जो हमने भारतमें और दूसरे देशोंमें घटित होते देखी हैं और जिन्हें शायद हमें आगे और भी देखना पड़े। हम खतरोंका सामना करते हुअे जीना सीखें।

हरिजन, १-९-४६

वर्गयुद्ध

मैं आम लोगोंको यह नहीं सिखाता कि वे पूंजीपतियोंको अपना दुश्मन मानें । मैं तो अन्हें यह सिखाता हूं कि वे आप ही अपने दुश्मन हैं ।

यंग विडिया, २६-११-'३१

वर्गयुद्ध भारतके मूल स्वभावके खिलाफ है । भारतमें समान न्याय और सबके वुनियादी हकोंके विशाल आधार पर स्थापित एक अुदार किस्मका साम्यवाद निर्माण करनेकी क्षमता है । मेरे सपनेके रामराज्यमें राजा और रंक सबके अधिकार सुरक्षित होंगे ।

अमृतवाजार पत्रिका, २-८-'३४

मैंने यह कभी नहीं कहा कि शोपकों और शोपितोंमें सहयोग होना चाहिये । जब तक शोपण और शोपण करनेकी अिच्छा कायम है तब तक सहयोग नहीं हो सकता । अलवत्ता, मैं यह नहीं मानता कि सब पूंजीपति और जमींदार अपनी स्थितिकी किसी आन्तरिक आवश्यकताके फलस्वरूप शोपक ही हैं और न मैं यह मानता हूं कि अुनके और जनताके हितोंमें कोई वुनियादी या अकाट्य विरोध है । हर प्रकारका शोपण शोपितके सहयोग पर आधारित है, फिर वह सहयोग स्वेच्छासे दिया जाता हो या लाचारीसे । हम अिस सचाधीको स्वीकार करनेसे कितना ही अिनकार क्यों न करें, फिर भी सचाधी तो यही है कि यदि लोग शोपककी आज्ञा न मानें तो शोपण हो ही नहीं सकता । लेकिन अुसमें स्वार्थ आड़े आता है और हम अुन्हीं जंजीरोंको अपनी छातीसे लगाये रहते हैं जो हमें बांधती हैं । यह चीज बन्द होना चाहिये । जरूरत अिस बातकी नहीं है कि पूंजीपति और जमींदार खतम हो जायं; अुनमें और आम लोगोंमें आज जो सम्बन्ध है अुसे बदलकर ज्यादा स्वस्थ और शुद्ध सम्बन्ध बनानेकी जरूरत है ।

वर्गयुद्धका विचार मुझे नहीं भाता । भारतमें वर्गयुद्ध न सिर्फ अनिवार्य नहीं है बल्कि यदि हम अहिंसाके सन्देशको समझ गये हैं तो उसे टाला जा सकता है । जो लोग वर्गयुद्धको अनिवार्य बताते हैं उन्होंने या तो अहिंसाके फलितार्थोंको समझा नहीं है या अपूरी तौर पर ही समझा है ।

हमें पश्चिमसे आये हुअे मोहक नारोंके असरमें आनेसे बचना चाहिये । क्या हमारे पास हमारी विशिष्ट पूर्वी परम्परा नहीं है? क्या हम श्रम और पूंजीके सवालका कोअी अपना हल नहीं निकाल सकते? वर्णाश्रमकी व्यवस्था बड़े और छोटेका भेद दूर करने या पूंजी और श्रममें मेल साधनेका अेक अुत्तम साधन नहीं तो और क्या है? अिस विषयसे सम्बन्धित जो कुछ भी पश्चिमसे आया है वह हिंसाके रंगमें रंगा हुआ है । मैं अुसका विरोध करता हूं, क्योंकि मैंने अुस नाशको देखा है जो अिस मार्गके आखिरी छोर पर हमारी प्रतीक्षा कर रहा है । पश्चिमके भी ज्यादा विचारवान लोग अब यह समझने लगे हैं कि अुनकी व्यवस्था अुन्हें अेक गहरे गर्तकी ओर ले जा रही है और वे अुससे भयभीत हैं । पश्चिममें मेरा जो भी प्रभाव है अुसका कारण हिंसा और शोषणके अिस दुष्टचक्रसे अुद्धारका रास्ता ढूंढ निकालनेका मेरा अयक प्रयत्न ही है । मैं पश्चिमकी समाज-व्यवस्थाका सहानुभूतिशील विद्यार्थी रहा हूं और मैं अिस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि पश्चिमकी अिस वेचैनी और संघर्षके पीछे सत्यकी व्याकुल खोजकी भावना ही है । मैं अिस भावनाकी कीमत करता हूं । वैज्ञानिक जांचकी अुसी भावनासे हम पूर्वकी अपनी संस्थाओंका अव्ययन करें और मेरा विश्वास है कि दुनियाने अभी तक जिसका सपना देखा है अुससे कहीं ज्यादा सच्चे समाजवाद और सच्चे साम्यवादका हम विकास कर सकेंगे । यह मान लेना गलत है कि लोगोंकी गरीबीके सवाल पर पश्चिमी समाजवाद या साम्यवाद ही अन्तिम शब्द हैं ।

अमृतवाजार पत्रिका, ३-८-'३४

मैं जमींदारका नाश नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे अैसा भी नहीं लगता कि जमींदार अनिवार्य है । मैं जमींदारों और दूसरे पूंजीपतियोंका

अहिंसाके द्वारा हृदय-परिवर्तन करना चाहता हूँ और अिसलिये वर्गयुद्धकी अनिवार्यता मैं स्वीकार नहीं करता। कम-से-कम संघर्षका रास्ता लेना मेरे लिये अहिंसाके प्रयोगका एक जरूरी हिस्सा है। जर्मन पर मेहनत करनेवाले किसान और मजदूर ज्यों ही अपनी ताकत पहिचान लेंगे त्यों ही जमींदारीकी घुराधीका घुरापन दूर हो जायगा। अगर वे लोग यह कह दें कि अुन्हें सभ्य जीवनकी आवश्यकताओंके अनुसार अपने बच्चोंके भोजन, वस्त्र और शिक्षण आदिके लिये जब तक कार्पा मजदूरी नहीं दी जायगी, तब तक वे जमीनको जोतेंगे-बोयेंगे ही नहीं, तो जमींदार बेचारा कर ही क्या सकता है? सच तो यह है कि मेहनत करनेवाला जो कुछ पैसा करता है उसका मालिक वही है। अगर मेहनत करनेवाले बुद्धिपूर्वक एक हो जायं, तो वे एक अैसी ताकत बन जायेंगे जिसका मुकाबला कोयी नहीं कर सकता। और अिसीलिये मैं वर्गयुद्धकी कोयी जरूरत नहीं देखता। यदि मैं उसे अनिवार्य मानता होता तो उसका प्रचार करनेमें और लोगोंको उसकी तालीम देनेमें मुझे कोयी संकोच नहीं होता।

हरिजन, ५-१२-'३६

सवाल एक वर्गको दूसरे वर्गके खिलाफ भड़काने और भिड़ानेका नहीं है, बल्कि मजदूर-वर्गको अपनी स्थितिके महत्त्वका ज्ञान करानेका है। आखिर तो अमीरोंकी संख्या दुनियामें अिनी-गिनी ही है। ज्यों ही मजदूर-वर्गको अपनी ताकतका भान होगा और अपनी ताकत जानते हुअे भी वह अीमानदारीका व्यवहार करेगा, त्यों ही वे लोग भी अीमानदारीका व्यवहार करने लगेंगे। मजदूरोंको अमीरोंके खिलाफ भड़कानेका अर्थ वर्गद्वेषको और उससे निकलनेवाले तमाम घुरे नतीजोंको जारी रखना होगा। संघर्ष एक दुष्टचक्र है और उसे किमी भी कीमत पर टालना ही चाहिये। वह दुर्वलताकी स्वीकृतिका, हीनता-अंधिका चिह्न है। श्रम ज्यों ही अपनी स्थितिका महत्त्व और गौरव पहचान लेगा, त्यों ही घनको अपना अुचित दरजा मिल जायेगा, अर्थात् अमीर अुसे अपने पास मजदूरोंकी घरोहरके ही रूपमें रखेंगे। कारण, श्रम घनसे श्रेष्ठ है।

हरिजन, १९-१०-'३५

हड़तालें

आजकल हड़तालोंका दौरदारा है। वे वर्तमान असंतोषकी निशानी हैं। तरह तरहके अनिश्चित विचार हवामें फैल रहे हैं। सबके दिलोंमें अेक धुंधली-सी आशा बंधी हुयी है। और यदि वह आशा निश्चित रूप धारण नहीं करेगी, तो लोगोंको बड़ी निराशा होगी। और देशोंकी तरह भारतमें भी मजदूर-जगत अुन लोगोंकी दया पर निर्भर है, जो सलाहकार और पथदर्शक बन जाते हैं। ये लोग सदा सिद्धान्त-पालक नहीं होते और सिद्धान्त-पालक होते भी हैं तो हमेशा बुद्धिमान नहीं होते। मजदूरोंको अपनी हालत पर असंतोष है। असंतोषके लिये अुनके पास पूरे कारण हैं। अुन्हें यह सिखाया जा रहा है, और ठीक सिखाया जा रहा है, कि अपने मालिकोंको धनवान बनानेका मुख्य साधन वे ही हैं। राजनीतिक स्थिति भी भारतके मजदूरोंको प्रभावित करने लगी है। और अैसे मजदूर-नेताओंका अभाव नहीं है, जो समझते हैं कि राजनीतिक हेतुओंके लिये हड़तालें करायी जा सकती हैं।

मेरी रायमें अैसे हेतुके लिये मजदूर-हड़तालोंका अुपयोग करना अत्यंत गंभीर भूल होगी। मैं अिससे अिनकार नहीं करता कि अैसी हड़तालोंसे राजनीतिक गरज पूरी की जा सकती है। परन्तु वे अहिंसक असहयोगकी योजनामें नहीं आतीं। यह समझनेके लिये बुद्धि पर बहुत जोर डालनेकी जरूरत नहीं है कि जब तक मजदूर देशकी राजनीतिक स्थितिको समझ न लें और सबकी भलाअीके लिये काम करनेको तैयार न हों, तब तक मजदूरोंका राजनीतिक अुपयोग करना बहुत ही खतरनाक बात होगी। अिस व्यवहारकी अुनसे अचानक आशा रखना कठिन है। यह आशा अुस वक्त तक नहीं रखी जा सकती, जब तक वे अपनी खुदकी हालत अितनी अच्छी न बना लें कि शरीर और आत्माकी जरूरतें पूरी करके सभ्य और शिष्ट जीवन व्यतीत कर सकें।

स्प्रीचेज़ अेण्ड राअिटिगज़ ऑफ महात्मा गांधी, पृ० १०४९

जिसलिये सबसे बड़ी राजनीतिक सहायता मजदूर यह कर सकते हैं कि वे अपनी स्थिति सुधार लें, अधिक जानकार हो जायं, अपने अधिकारोंका आग्रह रखें और जिस मालके तैयार करनेमें उनका जितना महत्त्वपूर्ण हाथ होता है उसके अचित्त उपयोगकी भी मालिकोंसे मांग करें। जिसलिये मजदूरोंके लिये सही विकास यही होगा कि वे अपना दरजा बढ़ायें और आंशिक मालिकोंका दरजा प्राप्त करें।

अतः अभी तो हड़तालें मजदूरोंकी हालतके सीधे सुधारके लिये ही होनी चाहिये और जब उनमें देशभक्तिकी भावना पैदा हो जाय, तब अपने तैयार किये हुये मालकी कीमतोंके नियंत्रणके लिये भी हड़ताल की जा सकती है।

सफल हड़तालोंकी शर्तें सीधी-सादी हैं और जब वे पूरी हो जाती हैं तो हड़तालें कभी असफल सिद्ध होनी ही नहीं चाहिये :

१. हड़तालका कारण न्यायपूर्ण होना चाहिये।
२. हड़तालियोंमें व्यावहारिक ऐक्यता होना चाहिये।
३. हड़ताल न करनेवालोंके विरुद्ध हिंसा काममें नहीं लेनी चाहिये।
४. हड़तालियोंमें यह शक्ति होनी चाहिये कि संघके कोषका आश्रय लिये बिना वे हड़तालके दिनोंमें अपना पालन-पोषण कर सकें। इसके लिये उन्हें किसी उपयोगी और उत्पादक अस्थायी धंधेमें लगना चाहिये।
५. जब हड़तालियोंकी जगह लेनेके लिये दूसरे मजदूर काफी हों, तब हड़तालका अुपाय बेकार साबित होता है। अुन मूरतमें अन्यायपूर्ण व्यवहार हो, नाकाफी मजदूरी मिले या अैसा ही और कोअी कारण हो, तो त्यागपत्र ही अुसका अेकमात्र अुपाय है।
६. अुपरोक्त सारो शर्तें पूरी न होने पर भी सफल हड़तालें हुअी हैं। परन्तु अिससे तो अितना ही सिद्ध होता है कि मालिक कमजोर थे और अुनका अन्तःकरण अपराधी था।

यंग अिडिया, १६-२-२१

जाहिर है कि बिना वजनदार कारणके हड़ताल होनी ही न चाहिये। नाजायज हड़तालको न तो कामयाबी हासिल होनी चाहिये और न ही

किसी हालतमें उसे आम जनताकी हमदर्दी मिलनी चाहिये। आम तौर पर लोगोंको यह मालूम ही नहीं हो सकता कि हड़ताल जायज है या नाजायज, सिवा इसके कि हड़तालका समर्थन कोअी ऐसे लोग करें, जो निष्पक्ष हों और जिन पर आम लोगोंका पूरा विश्वास हो। हड़ताली खुद अपने मामलेमें राय देनेके हकदार नहीं। इसलिये य तौ मामला ऐसे पंचके सिपुर्द करना चाहिये, जो दोनों तरफके लोगोंको मंजूर हो, या उसे अदालती फैसले पर छोड़ना चाहिये। . . .

जब इस तरीकेसे काम किया जाता है, तो आम तौर पर पब्लिकके सामने हड़तालका मामला पेश करनेकी नीवत ही नहीं आती। अलवत्ता, कभी-कभी यह जरूर होता है कि मगरूर मालिक पंचके या अदालतके फैसलेको ठुकरा देते हैं, या गुमराह मजदूर अपनी ताकतके बल मालिकसे जबरदस्ती और भी रियायतें पानेके लिये फैसलेको मंजूर करनेसे अिनकार कर देते हैं। अैसी हालतमें मामला आम जनताके सामने आता है।

हरिजनसेवक, ११-८-'४६

जो हड़ताल माली हालतकी बेहतरीके लिये की जाती है, उसमें कभी अंतिम ध्येयके तौर पर राजनीतिक मकसदकी मिलावट नहीं होनी चाहिये। अैसा करनेसे राजनीतिक तरबकी कभी नहीं हो सकती। बल्कि होता यह है कि अकसर हड़तालियोंको ही इसका नतीजा भुगतना पड़ता है चाहे उन हड़तालोंका असर आम लोगोंकी जिन्दगी पर पड़े या न पड़े। सरकारके सामने कुछ दिक्कतें जरूर खड़ी हो सकती हैं, लेकिन उनकी बजहसे हुकूमतका काम रुक नहीं सकता। अमीर लोग रुपया खर्च करके अपनी डाकका बन्दोवस्त खुद कर लेंगे, लेकिन असल मुसीबत तो गरीबोंको झेलनी पड़ती है। अैसी हड़तालें तौ तभी करना चाहिये, जब अिन्साफ करानेके दूसरे सब अुचित साधन असफल साबित हों चुके हों। . . .

अपरकी अिन बातोंसे यह जाहिर है कि राजनीतिक हड़तालोंकी अपनी अलग जगह है और उनको आर्थिक हड़तालोंके साथ न तो मिलाना

चाहिये और न दोनोंका आपसमें बैसा कोअी रिश्ता रखा जाना चाहिये। अहिंसक लड़ाईमें राजनीतिक हड़तालकी अपनी अेक खास जगह होती है। वे चाहे जय और चाहे जैसे ढंगसे नहीं की जानी चाहिये। बैसी हड़तालें विलकुल खुली होनी चाहिये और अुनमें गुण्डाशाहीकी कोअी गुंजाअिश न रहनी चाहिये। अुनकी वजहसे कहीं किसी तरहकी हिंसा नहीं होनी चाहिये।

हरिजनसेवक, ११-८-'४६

१०

मजदूर क्या चुनेंगे ?

भारतके सामने आज दो रास्ते हैं; वह चाहे तो पश्चिमके 'शक्ति ही अधिकार है' वाले सिद्धान्तको अपनाये और चलाये या पूर्वके अिन्न सिद्धान्त पर दृढ़ रहे और अुसीकी विजयके लिअे अपनी सारी ताकत लगाये कि 'सत्यकी ही जीत होती है'; सत्यमें हार कभी है ही नहीं; और ताकतवर तथा कमजोर, दोनोंको न्याय पानेका समान अधिकार है। यह चुनाव सबसे पहले मजदूर-वर्गको करना है। क्या मजदूरोंको अपने वेतनमें वृद्धि, यदि बैसा सम्भव हो तो भी, हिंसाका आश्रय लेकर करानी चाहिये? अुनके दावे कितने भी अुचित क्यों न हों, अुन्हें हिंसाका आश्रय नहीं लेना चाहिये। अधिकार प्राप्त करनेके लिअे हिंसाका आश्रय लेना शायद आसान मालूम हो, किन्तु यह रास्ता अन्तमें कांटोंवाला सिद्ध होता है। जो लोग तलवारके द्वारा जीवित रहते हैं, वे तलवारसे ही मरते हैं। तैराक अकसर डूबकर मरता है। यूरोपकी ओर देखिये। वहां कोअी भी सुखी नहीं दिखायी देता, क्योंकि किसीको भी संतोष नहीं है। मजदूर पूंजीपतिका विश्वास नहीं करता और पूंजीपतिको मजदूरमें विश्वास नहीं है। दोनोंमें अेक प्रकारकी स्फूर्ति और ताकत है, लेकिन वह तो बैलोंमें भी होती है। बैल भी नरनेकी हद तक लड़ते हैं। कौसी भी गति प्रगति नहीं है। हमारे पास यह माननेका कोअी कारण नहीं है कि यूरोपके

लोग प्रगति कर रहे हैं। उनके पास जो पैसा है उससे यह सूचित नहीं होता कि उनमें कोई नैतिक या आध्यात्मिक सद्गुण हैं। दुर्योधन असीम धनका स्वामी था, लेकिन विदुर या सुदामाकी तुलनामें वह गरीब ही था। आज दुनिया विदुर और सुदामाकी पूजा करती है; लेकिन दुर्योधनका नाम तो उन सब वुराअियोंके प्रतीकके रूपमें ही याद किया जाता है जिनसे आदमीको बचना चाहिये।

. . . पूंजी और श्रममें चल रहे संघर्षके बारेमें आम तौर पर यह कहा जा सकता है कि गलती अकसर पूंजीपतियोंसे ही होती है। लेकिन जब मजदूरोंको अपनी ताकतका पूरा भान हो जायगा, तब मैं जानता हूँ कि वे लोग पूंजीपतियोंसे भी ज्यादा अत्याचार कर सकते हैं। यदि मजदूर मिल-मालिकोंकी बुद्धि हासिल कर लें, तो मिल-मालिकोंको मजदूरोंकी दी हुयी शर्तों पर काम करना पड़ेगा। लेकिन यह स्पष्ट है कि मजदूरोंमें वह बुद्धि कभी नहीं आ सकती। अगर वे वैसी बुद्धि प्राप्त कर लें तो मजदूर मजदूर ही न रहें और मालिक बन जायें। पूंजीपति केवल पूंजीकी ताकत पर नहीं लड़ते; उनके पास बुद्धि और कौशल भी है।

हमारे सामने सवाल यह है: मजदूरोंमें, उनके मजदूर रहते हुअे, अपनी शक्ति और अधिकारोंकी चेतना आ जाये, उस समय उन्हें किस मार्गका अवलम्बन करना चाहिये? अगर उस समय मजदूर अपनी संख्याके बलका यानी पशुशक्तिका आश्रय लें, तो यह उनके लिये आत्म-घातक सिद्ध होगा। असा करके वे देशके अद्योगोंको हानि पहुंचायेंगे। दूसरी ओर यदि वे शुद्ध न्यायका आधार लेकर लड़ें और उसे पानेके लिये खुद कष्ट-सहन करें, तो वे अपनी हर कोशिशमें न सिर्फ सफल होंगे बल्कि अपने मालिकोंके हृदयका परिवर्तन कर डालेंगे, अद्योगोंका ज्यादा विकास करेंगे और अन्तमें मालिक और मजदूर, दोनों अेक ही परिवारके सदस्योंकी भांति रहने लगेंगे। मजदूरोंकी हालतके संतोषजनक सुधारमें निम्नलिखित वस्तुओंका समावेश होना चाहिये:

(१) श्रमका समय अितना ही होना चाहिये कि मजदूरोंको आराम करनेके लिये भी काफी समय बचा रहे।

- (२) अन्हें अपने शिक्षणकी सुविधायें मिलनी चाहिये ।
- (३) अणुके बच्चोंकी आवश्यक शिक्षाके लिअे तथा वस्त्र और पर्याप्त दूधके लिअे व्यवस्था की जानी चाहिये ।
- (४) मजदूरोंके लिअे साफ-सुथरे घर होने चाहिये ।
- (५) अन्हें अितना वेतन मिलना चाहिये कि वे बुढ़ापेमें अपने निर्वाहके लिअे काफी रकम बचा सकें ।

अभी तो अिनमें से अेक भी शर्त पूरी नहीं होती । अिस हालतके लिअे दोनों ही पक्ष जिम्मेदार हैं । मालिक लोग केवल कामकी परवाह करते हैं । मजदूरोंका क्या होता है, अुससे वे कोअी सम्बन्ध नहीं रखते । अुनकी सारी कोशिशोंका मकसद यही होता है कि पैसा कम-से-कम देना पड़े और काम ज़्यादा-से-ज्यादा मिले । दूसरी ओर, मजदूरकी कोशिश अैसी सब युक्तियां करनेकी होती है जिससे पैसा अुसे ज़्यादा-से-ज्यादा मिले और काम कम-से-कम करना पड़े । परिणाम यह होता है कि यद्यपि मजदूरोंके वेतनमें वृद्धि होती है, परन्तु कामकी मात्रामें कोअी मुधार नहीं होता । दोनों पक्षोंके सम्बन्ध शुद्ध नहीं बनते और मजदूर लोग अपनी वेतन-वृद्धिका समुचित अुपयोग नहीं करते ।

अिन दोनों पक्षोंके बीचमें अेक तीसरा पक्ष खड़ा हो गया है । वह मजदूरोंका मित्र बन गया है । अैसे पक्षकी आवश्यकतासे अिनकार नहीं किया जा सकता । लेकिन यह पक्ष मजदूरोंके प्रति अपनी मित्रताका निर्वाह अुसी हद तक कर सकेगा, जिस हद तक अुनके प्रति अुसकी मित्रता स्वार्थसे अछूती होगी ।

अब वह समय आ पहुंचा है जब कि मजदूरोंका अुपयोग कअी तरहसे शतरंजके प्यादोंकी तरह करनेकी कोशिशें की जायेंगी । जो लोग राजनीतिमें भाग लेनेकी अिच्छा रखते हैं अुन्हें अिस सवाल पर विचार करना चाहिये । वे लोग क्या चुनेंगे : अपना हित या मजदूरोंकी और राष्ट्रकी सेवा ? मजदूरोंको मित्रोंकी बड़ी आवश्यकता है । वे नेतृत्वके बिना कुछ नहीं कर सकते । देखना यह है कि यह नेतृत्व अुन्हें किस किसके लोगोंसे मिलता है; क्योंकि अुससे ही मजदूरोंकी भावी परिस्थितियोंका निर्धारण होनेवाला है ।

मेरे सपनोंका भारत

काम छोड़कर बैठ जाना, हड़तालें आदि वेशक बहुत प्रभावशाली साधन हैं, लेकिन उनका दुरुपयोग आसान है। मजदूरोंको अपने शक्ति-शाली यूनियन बनाकर अपना संघटन कर लेना चाहिये और उन यूनियनोंकी सहमतिके बिना कभी भी कोई हड़ताल नहीं करनी चाहिये। हड़ताल करनेके पहले मिल-मालिकोंसे बातचीतके द्वारा समझौतेकी कोशिश होनी चाहिये; उसके बिना हड़तालका खतरा मोल लेना ठीक नहीं। यदि मिल-मालिक झगड़के निपटारेके लिये पंच-फैसलेका आश्रय लें, तो पंचायतकी बात जरूर स्वीकार की जानी चाहिये। और पंचोंकी नियुक्ति हो जानेके बाद दोनों पक्षोंको उसका निर्णय समान रूपसे जरूर मान लेना चाहिये, भले उन्हें वह पसंद आया हो या नहीं।

यंग अिडिया, ११-२-२०

मेरा सर्वत्र यही अनुभव रहा है कि सामान्यतः मालिककी तुलनामें मजदूर लोग अपने कर्तव्य ज्यादा अीमानदारीके साथ और ज्यादा परिणामकारी ढंगसे पूरे करते हैं, यद्यपि जिस तरह मालिकके प्रति मजदूरोंके कर्तव्य होते हैं उसी तरह मजदूरोंके प्रति मालिकके भी कर्तव्य होते हैं। और यही कारण है कि मजदूरोंको इस बातकी खोज करना आवश्यक हो जाता है कि वे मालिकोंसे अपनी मांग किस हद तक मनवा सकते हैं। अगर हम यह देखें कि हमें काफी वेतन नहीं मिलता या कि हमें निवासकी जैसी सुविधा चाहिये वैसी नहीं मिल रही है, तो हमें काफी वेतन और समुचित निवासकी सुविधा कैसे मिले, इस वातका रास्ता ढूँढ़ना पड़ता है। मजदूरोंको कितनी सुख-सुविधा चाहिये, इस वातका निश्चय कौन करे? सबसे अच्छी बात तो यही होगी कि तुम मजदूर लोग खुद यह समझो कि तुम्हारे अधिकार क्या हैं, उन अधिकारोंको मालिकोंसे मनवानेका अुपाय क्या है और फिर उन्हें उन लोगों को खुद ही हासिल करो। लेकिन उसके लिये तुम्हारे पास पहली हुआ थोड़ी-सी तालीम होनी चाहिये — शिक्षा होनी चाहिये। मेरी नम्र रायमें यदि मजदूरोंमें काफी संगठन हो और वलद भावना भी हो, तो उन्हें अपने प्रयत्नोंमें हमेशा सफलता मिल है। पूंजीपति कितने ही अत्याचारी हों, मुझे निश्चय है कि

मजदूरोंसे सम्बन्ध है और जो मजदूर-आन्दोलनका मार्गदर्शन करते हैं, खुद अन्हें ही अभी इस बातकी कल्पना नहीं है कि मजदूरोंकी साधन-सम्पत्ति कितनी विशाल है। अुनकी साधन-सम्पत्ति सचमुच अितनी विशाल है कि पूंजीपतियोंकी अुतनी कभी हो ही नहीं सकती। अगर मजदूर इस बातको पूरी तरह समझ लें कि पूंजी श्रमका सहारा पाये बिना कुछ नहीं कर सकती, तो अुन्हें अपना अुचित स्थान तुरंत ही प्राप्त हो जायगा।

स्पीचेज़ अेण्ड रायिटीरज़ ऑफ महात्मा गांधी, पृ० १०४६

दुर्भाग्यवश हमारा मन पूंजीकी मोहिनीसे मूढ़ हो गया है और हम यह मानने लगे हैं कि दुनियामें पूंजी ही सब कुछ है। लेकिन यदि हम गहरा विचार करें तो क्षणमात्रमें हमें यह पता चल जायगा कि मजदूरोंके पास जो पूंजी है वह पूंजीपतियोंके पास कभी हो ही नहीं सकती। . . . अंग्रेजीमें अेक बहुत जोरदार शब्द है—यह शब्द आपकी फ्रेंच भाषामें और दुनियाकी दूसरी भाषाओंमें भी है। यह है 'नहीं'। वस, हमने अपनी सफलताके लिये यही रहस्य खोज निकाला है कि जब पूंजीपति मजदूरोंसे 'हां' कहलवाना चाहते हों अुस समय यदि मजदूर 'हां' न कहकर 'नहीं' कहनेकी अिच्छा रखते हों तो अुन्हें निस्संकोच 'नहीं' का ही गर्जन करना चाहिये। अैसा करने पर मजदूरोंको तुरंत ही इस बातका ज्ञान हो जायगा कि अुन्हें यह आजादी है कि जब वे 'हां' कहना चाहें तब 'हां' कहें और जब 'नहीं' कहना चाहें तब 'नहीं' कह दें; और यह कि वे पूंजीके अधीन नहीं हैं बल्कि पूंजीको ही अुन्हें खुश रखना है। पूंजीके पास वंदूक और तोप और यहां तक कि जहरीले गैस जैसे डरावने अस्त्र भी हैं, तो भी इस स्थितिमें कोअी फर्क नहीं पड़ सकता। अगर मजदूर अपनी 'नहीं' की टेक कायम रखें, तो पूंजी अपने अुन सब शस्त्रास्त्रोंके बावजूद पूरी तरह असहाय सिद्ध होगी। अुस हालतमें मजदूर प्रत्याक्रमण नहीं करेंगे, बल्कि गोलियों और जहरीले गैसकी मार सहते हुअे भी झुकेंगे नहीं और अपनी 'नहीं' की टेक पर अडिग रहेंगे। मजदूर अपने प्रयत्नमें अकसर असफल होते हैं, अुसका कारण यह है कि वे अैसा मने कहा है वैसा करके पूंजीका शोधन नहीं करते,

वल्कि (मैं खुद मजदूरके नाते ही यह कह रहा हूँ) उस पूंजीको स्वयं हथियाना चाहते हैं और खुद इस शब्दके वुरे अर्थमें पूंजीपति बनना चाहते हैं। और इसलिये पूंजीपतियोंको, जो अच्छी तरह संगठित हैं और अपनी जगह मजदूरीसे डटे हुए हैं, मजदूरोंमें अपना दरजा पानेके अभिलाषी बुम्मीदवार मिल जाते हैं और वे मजदूरोंके इस अंशका अपुयोग मजदूरोंको दवानेके लिये करते हैं। अगर हम लोग पूंजीकी इस मोहिनीके प्रभावमें न होते तो हममें से हरअेक इस बुनियादी सत्यको आसानीसे समझ लेता।

यंग इंडिया, १४-१-'३२

११

अधिकार या कर्तव्य ?

मैं आज उस बहुत बड़ी बुराईकी चर्चा करना चाहता हूँ, जिसने समाजको मुसीबतमें डाल रखा है। अेक तरफ पूंजीपति और जमींदार अपने हकोंकी बात करते हैं, दूसरी तरफ मजदूर अपने हकोंकी। राजा-महाराजा कहते हैं कि हमें शासन करनेका दैवी अधिकार मिला हुआ है, तो दूसरी तरफ अनुकी रैयत कहती है कि उसे राजाओंके इस हकका विरोध करनेका अधिकार है। अगर सब लोग सिर्फ अपने हकों पर ही जोर दें और फर्जोंको भूल जायं, तो चारों तरफ बड़ी गड़बड़ी और अंधाबुंधी मच जाय।

अगर हर आदमी हकों पर जोर देनेके वजाय अपना फर्ज अदा करे, तो मनुष्य-जातिमें जल्दी ही व्यवस्था और अमनका राज्य कायम हो जाय। राजाओंके राज्य करनेके दैवी अधिकार जैसी या रैयतके विज्जतसे अपने मालिकोंका हुकम माननेके नम्र कर्तव्य जैसी कोअी चीज नहीं है। यह सच है कि राजा और रैयतके पैदाअिशी भेद मिटने ही चाहिये, क्योंकि वे समाजके हितको नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन यह भी सच है कि अभी तक कुचले और दवाकर रखे गये लाखों-करोड़ों लोगोंके हकोंका ठिठाअीभरा दावा भी समाजके हितको ज्यादा नहीं

तो अतना ही नुकसान जरूर पहुंचाता है। अतुके अलस दावेसे देवी अधिकारों या दूसरे हकोंकी दुहायी देनेवाले राजा-महाराजा या जमींदारों वगैराके वनलस्वत करोड़ों लोगोंको ही ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। ये मुट्ठीभर जमींदार, राजा-महाराजा, या पूंजीपति वहादुरी या वुजदिलीसे मर सकते हैं, लेकिन अतुके मरनेसे ही सारे समाजका जीवन व्यवस्थित, सुखी और सन्तुष्ट नहीं बन सकता। अलसललजे यह जरूरी है कि हम हकों और फर्जोंका आपसी सम्वन्ध समझ लें। मैं यह कहनेकी हिम्मत कसंगा कि जो हक पूरी तरह अदा कलये गये फर्जसे नहीं मिलते, वे प्राप्त करने और रखने लायक नहीं हैं। वे दूसरोंसे छीने गये हक होंगे। अतुहें जल्दीसे जल्दी छोड़ देनेमें ही भला है। जो अभागे मां-बाप वच्चोंके प्रति अपना फर्ज अदा कलये वलना अतुसे अपना हुकम मनवानेका दावा करते हैं, वे वच्चोंकी नफरतको ही भड़कायेंगे। जो वदचलन पति अपनी वफादार पत्नीसे हर बात मनवानेकी आशा करता है, वह धर्मके वचनको गलत समझता है; अतुसका अेकतरफा अर्य करता है। लेकिन जो वच्चे हमेशा फर्ज अदा करनेके ललजे तैयार रहनेवाले मां-बापको जलील करते हैं, वे कृतघ्न समझे जायेंगे और मां-बापके मुकावले खुदका ज्यादा नुकसान करेंगे। यही बात पति और पत्नीके वारेमें भी कही जा सकती है। अगर यह सादा और सब पर लागू होनेवाला कायदा मालिकों और मजदूरों, जमींदारों और किसानों, राजाओं और रैयत, या हिन्दू और मुसलमानों पर लगाया जाय, तो हम देखेंगे कि जीवनके हर क्षेत्रमें अच्छेसे अच्छे सम्वन्ध कायम कलये जा सकते हैं। और, अैसा करनेसे न तो हिन्दुस्तान या दुनियाके दूसरे हिस्सोंकी तरह सामाजिक जीवन या व्यापारमें किसी तरहकी रुकावट आयेगी और न गड़बड़ी पैदा होगी। मैं अलसे सत्याग्रह कहता हूं, वह नियम अपने-अपने फर्जों और अतुके पालनसे अपने-आप प्रकट होनेवाले हकोंके सिद्धान्तोंको वरावर समझ लेनेका नतीजा है।

अेक हिन्दूका अपने मुसलमान पड़ोसीके प्रति क्या फर्ज होना चाहिये? अतुसे चाहिये कि वह अेक मनुष्यके नाते अतुसे दोस्ती करे और अतुसके सुख-दुःखमें हाथ वंटाकर मुसीबतमें अतुसकी मदद करे। तब

अुसे अपने मुसलमान पड़ोसीसे जैसे ही बरतावकी आशा रखनेका हक प्राप्त होगा । और शायद मुसलमान भी अुसके साथ ऐसा ही बरताव करे जिसकी अुसे अुम्मीद हो । मान लीजिये कि किसी गांवमें हिन्दुओंकी तादाद बहुत ज्यादा है और मुसलमान वहां अिने-गिने ही हैं, तो अुस ज्यादा तादादवाली जातिकी अपने थोड़ेसे मुसलमान पड़ोसियोंकी तरफकी जिम्मेदारी कभी गुनी बढ़ जाती है । यहां तक कि अुन्हें मुसलमानोंको यह महसूस करनेका मौका भी न देना चाहिये कि अुनके धर्मके भेदकी वजहसे हिन्दू अुनके साथ अलग किस्मका बरताव करते हैं । तभी, अिससे पहले नहीं, हिन्दू यह हक हासिल कर सकेंगे कि मुसलमान अुनके सच्चे दोस्त बन जायें और खतरेके समय दोनों कौमें अेक होकर काम करें । लेकिन मान लीजिये कि वे थोड़ेसे मुसलमान ज्यादा तादादवाले हिन्दुओंके अच्छे बरतावके बावजूद अुनसे अच्छा बरताव नहीं करते और हर बातमें लड़नेके लिये तैयार हो जाते हैं, तो यह अुनकी कायरता होगी । तब अुन ज्यादा तादादवाले हिन्दुओंका क्या फर्ज होगा ? बेशक, बहुमतकी अपनी दानवी शक्तिसे अुन पर काबू पाना नहीं । यह तो बिना हासिल किये हुअे हकको जबरदस्ती छीनना होगा । अुनका फर्ज यह होगा कि वे मुसलमानोंके अमानुषिक बरतावको अुसी तरह रोकें, जिस तरह वे अपने सगे भाअियोंके जैसे बरतावको रोकेंगे । अिस अुदाहरणको और ज्यादा बढ़ाना मैं जरूरी नहीं समझता । अितना कहकर मैं अपनी बात पूरी करता हूं कि जब हिन्दुओंकी जगह मुसलमान बहुमतमें हों और हिन्दू सिर्फ अिने-गिने हों, तब भी बहुमतवालोंको ठीक अिसी तरहका बरताव करना चाहिये । जो कुछ मैंने कहा है अुसका मौजूदा हालतमें हर जगह अुपयोग करके फायदा अुठारा जा सकता है । मौजूदा हालत घबड़ाहट पैदा करनेवाली बन गयी है, क्योंकि लोग अपने बरतावमें अिस सिद्धान्त पर अमल नहीं करते कि कोअी फर्ज पूरी तरह अदा करनेके बाद ही हमें अुससे सम्बन्ध रखनेवाला हक हासिल होता है ।

यही नियम राजाओं और रैयत पर भी लागू होता है । राजाओंका फर्ज है कि वे रिआयाके सच्चे सेवकोंकी तरह काम करें । वे किसी बाहरी सत्ताके दिये हुअे हकोंके बल पर राज्य नहीं करेंगे और तलवारके

जोरसे तो कभी नहीं। वे सेवासे हासिल किये गये हकसे और खुदको मिलीं हुयी विशेष वृद्धिके हकसे राज्य करेंगे। तब अन्हें खुशीसे दिये जानेवाले टैक्स वसूल करनेका और अतनी ही राजी-खुशीसे की जानेवाली कुछ सेवायें लेनेका हक हासिल होगा। और यह टैक्स वे अपने लिये नहीं बल्कि अपने आश्रयमें रहनेवाली प्रजाके लिये वसूल करेंगे। अगर राजा लोग अिस स्रादे और वुनियादी फर्जको अदा करनेमें असफल रहते हैं, तो प्रजाके अुनके प्रति रहनेवाले सारे फर्ज ही खतम नहीं हो जाते, बल्कि प्रजाका यह फर्ज हो जाता है कि वह राजाओंकी मनमानी चालोंका मुकाबला करे। दूसरे शब्दोंमें यों कहा जा सकता है कि प्रजा राजाओंके वुरे शासन या मनमानीका मुकाबला करनेका हक हासिल कर लेती है। अगर हमारा मुकाबला हत्या, वरवादी और लूट-मारका रूप ले ले, तो फर्जके नाते यह कहा जायगा कि वह मुकाबला मनुष्य-जातिके खिलाफ अेक गुनाह बन जाता है। जो शक्ति कुदरती तौर पर फर्जको अदा करनेसे पैदा होती है, वह सत्याग्रहसे पैदा होनेवाली और किसीसे न जीती जा सकनेवाली अहिंसक शक्ति होती है।

हरिजनसेवक, ६-७-४७

१२

बेकारीका सवाल

जब तक अेक भी सशक्त आदमी अैसा हो जिसे काम न मिलता हो या भोजन न मिलता हो, तब तक हमें आराम करने या भरपेट भोजन करनेमें शर्म महसूस होनी चाहिये।

यंग अिडिया, ६-१०-२१

अैसे देशकी कल्पना कीजिये जहां लोग प्रतिदिन अैसतन पांच ही घंटे काम करते हों और वह भी स्वेच्छासे नहीं बल्कि परिस्थितियोंकी लाचारीके कारण; वस, आपको भारतकी सही तसवीर मिल जायगी। यदि पाठक अिस तसवीरको देखना चाहता हो तो अुसे अपने मनसे

शहरी जीवनमें पायी जानेवाली व्यस्त दौड़ादौड़को, या कारखानोंके मजदूरोंकी शरीरको चूर कर देनेवाली थकावटको या चाय-वागानोंमें दिखायी पड़नेवाली गुलामीको दूर कर देना चाहिये। ये तो भारतकी आवादीके समुद्रकी कुछ बूंदें ही हैं। अगर उसे कंकाल-मात्र रह गये भूखे भारतीयोंकी तसवीर देखना हो, तो उसे उस अस्सी प्रतिशत आवादीकी बात सोचना चाहिये जो अपने खेतोंमें काम करती है, जिसके पास सालमें करीब चार महीने तक कोअी धंधा नहीं होता, और जिसलिअे जो लगभग भुखमरीकी जिन्दगी जीती है। यह उसकी सामान्य स्थिति है। जिस विवश बेकारीमें बार-बार पड़नेवाले अकाल काफी बड़ी वृद्धि करते हैं।

यंग अिडिया, ३-११-'२१

हमारी औसत आयु अितनी कम है कि सोचकर दुःख होता है। इसी तरह हम दिन-दिन अधिकाधिक गरीब होते जा रहे हैं। जिसका कारण यह है कि हमने अपने सात लाख गांवोंकी अपेक्षा की है। उनका खयाल नहीं रखा। उनसे जितने पैसे मिल सकें उतने लेनेकी हम कोशिश करते हैं, उन्हें कंगाल करके हम स्वयं कंगाल हो रहे हैं। यह हिन्दुस्तान पहले सुवर्ण-भूमि कहलाता था। यह किसकी वदौलत कंगाल हुआ? हमारी ही वदौलत। हमारे पास तमाम अैश-आरामकी चीजें हैं। मोटरें हैं, सोनेको गद्दे हैं और अन्य सुविधायें हैं; परन्तु सच पूछा जाय तो हमको अिनमें से अेक भी चीजका अधिकार नहीं है।

हिन्दुस्तानकी सम्यता पश्चिमकी सम्यतासे निराली है। जहां जमीन ज्यादा और लोग कम, और जहां जमीन कम और लोग ज्यादा, उसमें तो फर्क होना ही चाहिये। मशीनें या कलें उन अमेरिकावालोंके लिअे जरूरी होंगी ही जहां लोग कम और काम ज्यादा है, किन्तु हिन्दुस्तानमें जहां अेक कामके लिअे अनेक लोग खाली हैं, मशीनरीकी जरूरत नहीं और न जिस प्रकार भूखों मरकर समय बचाना ही ठीक है। यदि हम खाना भी यंत्र द्वारा खायें तो मैं समझता हूं कि आप कभी वह पसन्द न करेंगे। इसिलिअे हमें उस खाली या बेकार जनताका अपुयोग कर लेना चाहिये। हिन्दुस्तानकी आवादी अितनी बढ़ गयी है कि उसके भरण-पोषणके लिअे उसकी जमीन बहुत कम है, अैसा बहुतसे अर्थशास्त्रज्ञ

कहते हैं। मैं जिसे नहीं मानता। हम यदि बुद्धोग करें तो दूना पैदा कर सकते हैं। जिसमें मुझे पूरा विश्वास है। यह हमारे सोचनेकी बात है कि हम सच्चा बुद्धोग करें और देहातियोंके साथ सम्पर्क बढ़ावें और बुनके सच्चे सेवक बन जायं, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम हिन्दुस्तानके छोटे-छोटे बुद्धोगोंसे करोड़ों रुपयेका वन पैदा कर सकते हैं। बुसमें पैसेकी भी विशेष आवश्यकता नहीं, जरूरत है लोगोंकी, मेहनतकी। यदि हम विचारशील जीवन रखें तो हमारा बड़ा फायदा हो सकता है।

हम लोग जो आटा खाते हैं वह आटा नहीं जहर खाते हैं। हमारे लिये आस्ट्रेलियासे खानेको आटा आता है वह तो जहर ही है। ऐसा मैं नहीं कहता, आपके डॉक्टर लोग कहते हैं। यहां हम अमृतको भी जहर बनाकर खाते हैं। जो आटा हम कलसे पिसवाकर खाते हैं, बुसका सब द्रव्य निकल जाता है और हम निःसत्त्व भोजन खाते हैं। जिससे हम दिनोंदिन क्षीण हो रहे हैं। आटा तो रोज घरकी चक्कीमें पीसकर ताजा खाना चाहिये। मनों आटा पीसकर नहीं रख छोड़ना चाहिये। क्योंकि कुछ दिनके बाद वह दूषित हो जाता है। जिस प्रकार घरमें आटा पीस लेनेसे दो फायदे हैं। पहला तो शुद्ध, शक्तियुक्त भोजन खानेको मिलता है, जिससे हम दीर्घजीवी हो सकते हैं; और दूसरे, बुस वहाने हमारी वहिनोका, जो निकम्मी-सी हो गयी है, व्यायाम हो जायगा, जिससे वे भी स्वास्थ्यलाभ कर सकेंगी। यदि अितना पैसा जिसे हम कलमें पिसवानेके लिये देते हैं बच रहे, तो सब मिलकर देशका कितना फायदा हो सकता है? जिससे तो आमके आम और गुठलीके दास भी मिल जाते हैं। हमारी जिससे कितनी बचत हो सकती है? वन भी बचे और स्वास्थ्यलाभ भी हो। यह अर्थशास्त्रकी बात नहीं, अनुभवकी बात है।

जिसी प्रकार चावलके साथ भी हम अत्याचार करते हैं। आज मैं यह दुःखकी बात सुनता हूं। चावलकी भूसी कलों द्वारा न निकलवानी चाहिये। बुससे चावलका पोषक द्रव्य नष्ट हो जाता है। बुसे तो घरमें ही हाथोंसे कूटकर साफ करना चाहिये। यही बात तेल और गुड़के लिये है। हमें शक्करका प्रयोग न करके गुड़ खाना चाहिये। गुड़की

ललाची ही खूनको बढ़ाती है, शक्करकी सफेदी नहीं। वह तो जहर है। लेकिन आजकल तो शुद्ध गुड़ भी नहीं मिलता। उसे तो हमें स्वयं तैयार करना चाहिये। इससे भी दूना लाभ होगा। शहद-जैसी कीमती चीज भी इसी प्रकार पैदा की जा सकती है। अभी तो शहद अितना कीमती है कि या तो बड़े-बड़े लोग उसे काममें ला सकते हैं या वैद्यराज अपनी गोलियां बनानेमें, सर्व-साधारण नहीं।

अिसे भी मधुमक्खियोंको पालकर पैदा किया जा सकता है। हमें गुड़ और शहदके लिअे देखना होगा कि वह सफाीसे बनाया और निकाला जाय। अिन छोटे-छोटे बुद्योगोंसे आगे बढ़ें तो हमारा जीवन ही कलामय हो जाय और हम करोड़ों रुपया पैदा कर सकें। हम आरोग्यशास्त्र भी नहीं जानते। अिससे तो हमें स्वयं ही आरोग्यशास्त्रका सामान्य ज्ञान हो सकता है। मल भी अशुद्ध नहीं है, अुससे भी हम सोना बना सकते हैं, अर्थात् अच्छी खाद बनानेके अुपयोगमें वह आसकता है। अुसका प्रयोग न करके हम अुसका दुरुपयोग करते हैं और बाहर दरिया बगीरामें फेंककर अनेक रोग पैदा करते हैं, जो हमारे प्राण-घातक हैं।

संक्षेपमें मेरा यही निवेदन है कि मैंने आपका ध्यान अिधर खींचनेकी कोशिश की है। यदि आप अिससे लाभ न अुठावें तो मैं लाचार हूं। आप अिन छोटी-छोटी बातोंसे बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अेक शर्त है कि अिन्हें चन्द लोग करें, और बाकी अुन पर निर्भर रहें तो वे अवश्य भूखे मरेंगे। किन्तु यदि सब मिलकर करेंगे तो करोड़ों रुपयेका फायदा हो सकता है, अैसा मेरा पूर्ण विश्वास है। सबको अपना हिस्सा देना चाहिये। यह बात अुद्यमशीलके लिअे है, अनुद्यमीके लिअे नहीं। मैं अुम्मीद करता हूं कि आप लोग अिस पर अवश्य विचार करके अिसे अमलमें लायेंगे।

[अिन्दौरकी अेक आम सभामें दिये गये मूल हिन्दी भाषणसे संक्षिप्त ।]

हरिजनसेवक, १०-५-३५

अेक तरहसे देखें तो हमारे देशमें बेकारीका सवाल अुतना कठिन नहीं है जितना दूसरे देशोंमें है। अिस सवालसे लोगोंकी रहन-सहनके तरीकेको घनिष्ठ सम्बन्ध है। पश्चिमके बेकार मजदूरोंको गरम कपड़े

चाहिये, दूसरे लोगोंकी ही तरह जूते और मोजे चाहिये, गरम घर चाहिये और ठंडी आवहवामें आवश्यक अन्य अनेक वस्तुयें चाहिये। हमें अिन सब चीजोंकी जरूरत नहीं है। अपने देशमें जो भयानक गरीबी और बेकारी है, उसे देखकर मुझे रोना आया है। लेकिन मुझे स्वीकार करना चाहिये कि अिस स्थितिके लिये हमारी अपनी अपेक्षा और अज्ञान ही जिम्मेदार हैं। शरीर-श्रम करनेमें जो गौरव है उसे हम नहीं जानते। अुदाहरणके लिये, मोची जूते बनानेके सिवा कौअी दूसरा काम नहीं करता; वह अँसा समझता है कि दूसरे काम अुसकी प्रतिष्ठाके अनुकूल नहीं हैं। यह गलत खयाल दूर होना चाहिये। अुन सब लोगोंके लिये, जो अपने हाथों और पांवोंसे अीमानदारीके साथ मेहनत करना चाहते हैं, हिन्दुस्तानमें काफी बंधा है। अीश्वरने हरअेकको काम करनेकी और अपनी रोजकी रोटीसे ज्यादा कमानेकी क्षमता दी है। और जो भी अिस क्षमताका अुपयोग करनेके लिये तैयार हो उसे काम अवश्य मिल सकता है। अीमानकी केमाथी करनेकी अिच्छा रखनेवालेको चाहिये कि वह किमी भी कामको नीचा न माने। जरूरत अिस बातकी है कि अीश्वरने हमें जो हाथ-पांव दिये हैं, हम अुनका अुपयोग करनेके लिये तैयार रहें।

हरिजन, १९-१२-'३६

मैं मानता हूँ कि मेहनत-मजदूरी करके अपनी जीविका कमाने-वालोंके लिये विविध धन्धोंके पर्याप्त ज्ञानकी वही कीमत है जो कि पैसेकी पूंजीपतिके लिये है। मजदूरका कौशल ही अुसकी अूंर्ची पूंजी है। जिस तरह पूंजीपति अपनी पूंजीको मजदूरोंके सहयोगके विना फलप्रद नहीं बना सकता, अुसी तरह मजदूर भी अपनी मेहनतको पूंजीके सहयोगके विना फलप्रद नहीं बना सकते। और मजदूरों तथा पूंजीवालों, दोनोंकी बुद्धिका विकास समान रूपसे हुआ हो और दोनोंको अेक-दूसरेसे न्यायोचित व्यवहार हासिल करनेकी अपनी धमतीमें विश्वास हो, तो वे अेक-दूसरेको किसी समान कार्यमें लगे अुअे समान दरजेके सहकारी मानना सीखेंगे, और अेक-दूसरेका वैसा ही आदर करने लगेंगे। जरूरत अिस बातकी है कि वे अेक-दूसरेको अपना अँसा विरोधी समझना बन्द कर दें, जिनमें मेल कभी हो ही नहीं सकता। कठिनाअी यह है कि आज

पूँजीवालोंमें तो संघटन है और ऐसा भी मालूम होता है कि अन्होंने अपने पैर मजदूरीसे जमा रखे हैं; लेकिन मजदूरोंका ऐसा नहीं है। जिसके सिवा मजदूर अपने जड़ और यांत्रिक व्यवसायसे भी जकड़ा हुआ है। जिस व्यवसायके कारण उसे अपनी बुद्धिका विकास करनेके लिये मौका ही नहीं मिलता। इसीलिये वह अपनी स्थितिकी शक्ति और उसके गौरवको पूरी तरह समझनेमें असमर्थ रहा है। उसे यह मानना सिखाया गया है कि उसका वेतन तो पूँजीवाले ही तय करेंगे; उसके सम्बन्धमें वह खुद अपनी कोई मांग नहीं कर सकता। उपाय यह है कि वे सही ढंगसे अपना संघटन करें, अपनी बुद्धिका विकास करें और अकसे अधिक घंघोंमें निपुणता प्राप्त करें। ज्यों ही वे ऐसा करेंगे त्यों ही वे अपना सिर अँचा रखकर चलनेमें समर्थ हो जायेंगे और अपनी जीविकाके बारेमें फिर अन्हें डरनेकी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी।

हरिजन, ३-७-'३७

१३

दरिद्र-नारायण

मनुष्य-जाति अीश्वरको — जो वैसे नामहीन है और मनुष्यकी बुद्धिकी पहुंचके परे है — जिन अनन्त नामोंसे पहिचानती है, उनमें से अक नाम दरिद्र-नारायण है; उसका अर्थ है गरीबोंका या गरीबोंके हृदयमें प्रगट होनेवाला अीश्वर।

यंग अिडिया, ४-४-'२९

गरीबोंके लिये रोटी ही अघ्यात्म है। भूखसे पीड़ित उन लाखों-करोड़ों लोगों पर किसी और चीजका प्रभाव पड़ ही नहीं सकता। कोई दूसरी बात उनके हृदयोंको छू ही नहीं सकती। लेकिन उनके पास आप रोटी लेकर जाअिये और वे आपको ही भगवानकी तरह पूजेंगे। रोटीके सिवा अन्हें और कुछ सूझ ही नहीं सकता।

यंग अिडिया, ५-५-'२७

अपने जिन्हीं हाथोंसे मैंने अुनके फटे-पुराने कपड़ोंकी गांठोंमें मजबूतीसे बंधे हुअे मटमैले पैसों विकटूठे किये हैं। अुनसे आधुनिक प्रगतिकी बातें न कीजिये। अुनके सामने व्यर्थ ही अीश्वरका नाम लेकर अुनका अपमान मत कीजिये। हम अुनसे अीश्वरकी बात करेंगे तो वे आपको और मुझे राक्षस बतायेंगे। अगर वे किसी अीश्वरको पहिचानते हैं तो अुसके वारेमें अुनकी कल्पना यही हो सकती है कि वह लोगोंको आतंकित करनेवाला, दण्ड देनेवाला, अेक निर्दय अत्याचारी है।

यंग विडिया, १५-९-'२७

भूखा रहकर आत्महत्या करनेकी जिच्छाका संवरण मैं अपने जिनो विश्वासके कारण कर पाया हूं कि भारत जागेगा और यह कि अुनमें जिस विनाशकारी गरीबीसे अपना अुद्धार कर सकनेकी सामर्थ्य है। यदि जिस सम्भावनामें मेरा विश्वास न हो तो मुझे जीनेमें कोयी दिलचस्पी न रहे।

यंग विडिया, ३-४-'३१

मुझे अुनके पास अीश्वरका सन्देश ले जानेकी हिम्मत नहीं होती। मैं अुन करोड़ों भूखोंके सामने, जिनकी आंखोंमें तेज नहीं और जिनका अीश्वर अुनकी रोटी ही है, अीश्वरका नाम लूं तो फिर वहां खड़े अुस कुत्तेके सामने भी ले सकता हूं। अुनके पास अीश्वरका सन्देश ले जाना हो, तो यह काम मैं अुनके पास पवित्र परिश्रमका सन्देश ले जाकर ही कर सकता हूं। हम यहां बढ़िया नाश्ता अुड़ा कर बैठे हों और अुससे भी बढ़िया भोजनकी आशा रखते हों, तब अीश्वरकी बात करना भला मालूम होता है। लेकिन जिन लाखों लोगोंको दो जून खानेको भी नसीब नहीं होता, अुनसे मैं अीश्वरकी बात कैसे कहूं? अुनके सामने तो अीश्वर रोटी और मक्खनके रूपमें ही प्रगट हो सकता है। भारतके किसानोंको रोटी अपनी जमीनसे मिल रही थी। मैंने अुन्हें चरखा दिया, ताकि अुन्हें थोड़ा मक्खन भी मिल सके। अगर आज यहां मैं लंगोटी पहिनकर आया हूं तो जिसका कारण यही है कि मैं अुन लाखों आधे भूखे, आधे नंगे और मूक मानव-प्राणियोंका अेकमात्र प्रतिनिधि बनकर आया हूं।

यंग विडिया, १५-१०-'३१

हमारे लाखों मूक देशवासियोंके हृदयोंमें जो अीश्वर निवास करता है, अुसके सिवा मैं किसी दूसरे अीश्वरको नहीं जानता। वे अुसकी अुपस्थितिका अनुभव नहीं करते; मैं करता हूं। और मैं सत्यरूप अीश्वर या अीश्वररूप सत्यकी पूजा अिन मूक देशवासियोंकी सेवाके द्वारा ही करता हूं।

हरिजन, ११-३-३९

रोजकी जरूरत जितना ही रोज पैदा करनेका अीश्वरका नियम हम नहीं जानते, या जानते हुअे भी अुसे पालते नहीं। अिसलिये जगतमें असमानता और अुसमें से पैदा होनेवाले दुःख हम भुगतते हैं। अमीरके यहां अुसको न चाहिये वैसी चीजें भरी पड़ी होती हैं, वे लापरवाहीसे खो जाती हैं, विगड़ जाती हैं; जब कि अिन्हीं चीजोंकी कमीके कारण करोड़ों लोग भटकते हैं, भूखों मरते हैं, ठंडसे ठिठुर जाते हैं। सब अगर अपनी जरूरतकी चीजोंका ही संग्रह करें, तो किसीकी तंगी महसूस न हो और सबको संतोष हो। आज तो दोनों (तंगी) महसूस करते हैं। करोड़पति अरबपति होना चाहता है, फिर भी अुसको संतोष नहीं होता। कंगाल करोड़पति होना चाहता है; कंगालको भरपेट ही मिलनेसे संतोष होता हो असा नहीं देखा जाता। फिर भी अुसे भरपेट पानेका हक है, और अुसे अुतना पानेवाला बनाना समाजका फर्ज है। अिसलिये अुसके (गरीबके) और अपने संतोषके खातिर अमीरको पहल करनी चाहिये। अगर वह अपना बहुत ज्यादा परिग्रह छोड़े तो कंगालको अपनी जरूरतका आसानीसे मिल जाय और दोनों पक्ष संतोषका सबक सीखें।

मंगल-प्रभात, पृ० २९-३०, प्रक० ६

सही सुवार, सच्ची सम्यताका लक्षण परिग्रह बढ़ाना नहीं है, बल्कि सोच-समझकर और अपनी अिच्छासे अुसे कम करना है। ज्यों ज्यों हम परिग्रह घटाते जाते हैं त्यों त्यों सच्चा सुख और सच्चा संतोष बढ़ता जाता है, सेवाकी शक्ति बढ़ती जाती है। अम्याससे, आदत डालनेसे आदमी अपनी हाजतें घटा सकता है; और ज्यों ज्यों अुन्हें घटाता जाता है त्यों त्यों वह सुखी, शान्त और सब तरहसे तन्दुरुस्त होता जाता है।

मंगल-प्रभात, पृ० ३१, प्रक० ६

सुनहला नियम तो . . . यह है कि जो चीज लाखों लोगोंको नहीं मिल सकती उसे लेनेसे हम भी दृढ़तापूर्वक अिनकार कर दें। त्यागकी यह शक्ति हमें कहींसे अेकाअेक नहीं मिल जायगी। पहले तो हमें अैसी मनोवृत्ति पैदा करनी चाहिये कि हमें अुन सुख-सुविधाओंका अुपयोग नहीं करना है जिनसे लाखों लोग वंचित हैं। और अुसके बाद तुरन्त ही अपनी अिस मनोवृत्तिके अनुसार हमें शीघ्रतापूर्वक अपना जीवन बदलनेमें लग जाना चाहिये।

यंग अिडिया, २४-६-'२६

अीसा, मुहम्मद, बुद्ध, नानक, कवीर, चैतन्य, शंकर, दयानन्द, रामकृष्ण आदि अैसे व्यक्त थे, जिनका हजारों-लाखों लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा और जिन्होंने अुनके चरित्रका निर्माण किया। वे दुनियामें आये तो अुससे दुनिया समृद्ध हुअी है। और वे सब अैसे व्यक्ति थे जिन्होंने गरीबीको जान-बूझकर अपनाया।

स्पीचेज़ अेण्ड राअिअिंगज़ ऑफ महात्मा गांधी, पृ० ३५३

१४

शरीर-श्रम

महान प्रकृतिकी अिच्छा तो यही है कि हम अपनी रोटी पमीना वहाकर कमायें। अिसलिअे जो आदमी अपना अेक मिनट भी वेकारोंमें विताता है वह अुस हद तक अपने पड़ोसियों पर बोझ बनता है। और अैसा करना अहिंसाके विलकुल पहले ही नियमका अुल्लंघन करना है। . . . अहिंसा यदि अपने पड़ोसीके हितका खयाल रखना न हो तब तो अुसका कोई अर्थ ही न रहे। आलसी आदमी अहिंसाकी अिस प्रारंभिक कर्साटीमें ही खोटा सिद्ध होता है।

यंग अिडिया, ११-४-'२९

✓ रोटीके लिअे हरअेक मनुष्यको मजदूरी करना चाहिये, शरीरको (कमरको) झुकाना चाहिये, यह अीश्वरक्ख कानून है। यह मूल खोज

टॉल्स्टॉयकी नहीं है, लेकिन उससे बहुत कम मशहूर रशियन लेखक टी० अेम० वोन्दरेव्हकी है। टॉल्स्टॉयने उसे रोशन किया और अपनाया। जिसकी झांकी मेरी आंखें भगवद्गीताके तीसरे अध्यायमें करती हैं। यज्ञ किये बिना जो खाता है वह चोरीका अन्न खाता है, असा कठिन शाप यज्ञ नहीं करनेवालेको दिया गया है। यहां यज्ञका अर्थ जात-मेहनत या रोटी-मजदूरी ही शोभता है और मेरी रायमें यही मुमकिन है ॥

जो भी हो, हमारे जिस व्रतका जन्म जिस तरह हुआ है। बुद्धि भी उस चीजकी ओर हमें ले जाती है। जो मजदूरी नहीं करता उसे खानेका क्या हक है? वाजिवल कहती है: 'अपनी रोटी तू अपना पसीना बहाकर कमा और खा'। करोड़पति भी अगर अपने पलंग पर लोटता रहे और उसके मुंहमें कोअी खाना डाले तब खाये, तो वह ज्यादा देर तक खा नहीं सकेगा, जिसमें उसको मजा भी नहीं आयेगा। जिसलिअे वह कसरत वगैरा करके भूख पैदा करता है और खाता तो है अपने ही हाथ-मुंह हिलाकर। अगर यों किसी न किसी रूपमें अंगोंकी कसरत राय-रंक सबको करनी ही पड़ती है, तो रोटी पैदा करनेकी कसरत ही सब क्यों न करें? यह सवाल कुदरती तौर पर अुठता है। किसानको हवाखोरी या कसरत करनेके लिअे कोअी कहता नहीं है और दुनियाके ९० फीसदीसे भी ज्यादा लोगोंका निर्वाह खेती पर होता है। बाकीके दस फीसदी लोग अगर अिनकी नकल करें तो जगतमें कितना सुख, कितनी शांति और कितनी तन्दुरुस्ती फैल जाये? और अगर खेतीके साथ बुद्धि भी मिले तो खेतीसे सम्बन्ध रखनेवाली बहुतसी मुसीबतें आसानीसे दूर हो जायेंगी। फिर, अगर जिस जात-मेहनतके निरपवाद कानूनको सब मानें तो अूंच-नीचका भेद मिट जाय।

आज तो जहां अूंच-नीचकी गंध भी नहीं थी वहां यानी वर्ण-व्यवस्थामें भी वह घुस गयी है। मालिक-मजदूरका भेद आम और स्थायी हो गया है और गरीब धनवानसे जलता है। अगर सब रोटीके लिअे मजदूरी करें, तो अूंच-नीचका भेद न रहे; और फिर भी धनिक वर्ग रहेगा तो वह खुदको मालिक नहीं बल्कि उस धनका रखवाला या ट्रस्टी मानेगा और उसका ज्यादातर अुपयोग सिर्फ लोगोंकी सेवाके लिअे ही करेगा।

जिसे अहिंसाका पालन करना है, सत्यकी भक्ति करनी है, ब्रह्मचर्यको कुदरती बनाना है, अुसके लिये तो जात-मेहनत रामबाण-सी हो जाती है। यह मेहनत सचमुच तो खेतीमें ही है। लेकिन सब खेती नहीं कर सकते, औसी आज तो हालत है ही। जिसलिये खेतीके आदर्शको खयालमें रखकर खेतीके अेवजमें आदमी भले दूसरी मजदूरी करे — जैसे कतायी, बुनायी, बढ़ागीरी, लुहारी वगैरा वगैरा। सबको खुदके भंगी तो बनना ही चाहिये। जो खाता है वह टट्टी तो फिरेगा ही। जो टट्टी फिरता है वही अपनी टट्टी जमीनमें गाड़ दे यह अुत्तम रिवाज है। अगर यह नहीं ही हो सके तो प्रत्येक कुटुम्ब अपना यह फर्ज अदा करे।

जिस समाजमें भंगीका अलग पेशा माना गया है, वहां कोअी बड़ा दोष पैठ गया है, औसा मुझे तो बरसोंसे लगता रहा है। जिस जरूरी और तन्दुरुस्ती बढ़ानेवाले (आरोग्य-पोषक) कामको सबसे नीचा काम पहले-पहल किसने माना, जिसका अितिहास हमारे पास नहीं है। जिसने माना अुसने हम पर अुपकार तो नहीं ही किया। हम सब भंगी हैं यह भावना हमारे मनमें बचपनसे ही जम जानी चाहिये; और अुसका सबसे आसान तरीका यह है कि जो समझ गये हैं वे जात-मेहनतका आरम्भ पाखाना-सफाअीसे करें। जो समझ-बूझकर, ज्ञानपूर्वक यह करेगा, वह अुसी क्षणसे धर्मको निराले ढंगसे औरी सही तरीकेसे समझने लगेगा ॥

मंगल-प्रभात, पृ० ४१-४४, प्रक० ९

अधिकारोंकी अुत्पत्तिका सच्चा स्रोत कर्तव्योंका पालन है। यदि हम सब अपने कर्तव्योंका पालन करें तो अधिकारोंको ज्यादा ढूंढनेकी जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन यदि हम कर्तव्योंको पूरा किये बिना अधिकारोंके पीछे दौड़ें, तो वह मृग-मरीचिकाके पीछे पड़ने जैसा ही व्यर्थ सिद्ध होगा। जितना हम अुनके पीछे जायेंगे अुतने ही वे हमसे दूर हटते जायेंगे। यही शिक्षा श्रीकृष्णने अिन अमर शब्दोंमें दी है: 'तुम्हारा अधिकार कर्ममें ही है, फलमें कदापि नहीं।' यहां कर्म कर्तव्य है और फल अधिकार।

यंग अिडिया, ८-१-'२५

जीवनकी आवश्यकताओंको पानेका हरअेक आदमीको समान अधिकार है । यह अधिकार तो पशुओं और पक्षियोंको भी है । और चूँकि प्रत्येक अधिकारके साथ अेक सम्बन्धित कर्तव्य जुड़ा हुआ है और अुस अधिकार पर कहींसे कोअी आक्रमण हो तो अुसका वैसा ही अिलाज भी है, अिसलिअे हमारी समस्याका रूप यह है कि हम अुस प्रारम्भिक वुनियादी समानताको सिद्ध करनेके लिअे अुस समानताके अधिकारसे जुड़े अुसे कर्तव्य और अिलाज ढूँढ निकालें । वह कर्तव्य यह है कि हम अपने हाथ-पाँवोंसे मेहनत करें और वह अिलाज यह है कि जो हमें हमारी मेहनतके फलसे वंचित करे अुसके साथ हम असहयोग करें ।

यंग अिडिया, २६-३-३१

(ीयदि सब लोग अपने ही परिश्रमकी कमाअी खावें तो दुनियामें अन्नकी कमी न रहे, और सबको अवकाशका काफी समय भी मिले । न तब किसीको जनसंख्याकी वृद्धिकी शिकायत रहे, न कोअी बीमारी आवे, और न मनुष्यको कोअी कष्ट या क्लेश ही सतावे । वह श्रम अुच्च-से-अुच्च प्रकारका यज्ञ होगा । अिसमें संदेह नहीं कि मनुष्य अपने शरीर या वृद्धिके द्वारा और भी अनेक काम करेंगे, पर अुनका वह सब श्रम लोक-कल्याणके-लिअे प्रेमका श्रम होगा । अुस अवस्थामें न कोअी राव होगा, न कोअी रंक; न कोअी अूँच होगा, न कोअी नीच; न कोअी स्पृश्य रहेगा, न कोअी अस्पृश्य ।

भले ही वह अेक अलभ्य आदर्श हो, पर अिस कारण हमें अपना प्रयत्न बन्द कर देनेकी जरूरत नहीं । यज्ञके सम्पूर्ण नियमको अर्थात् अपने 'जीवनके नियम' को पूरा किये बिना भी अगर हम अपने नित्यके निर्वाहके लिअे पर्याप्त शारीरिक श्रम करेंगे, तो अुस आदर्शके बहुत कुछ निकट तो हम पहुंच ही जायंगे ।

यदि हम अैसा करेंगे तो हमारी आवश्यकतायें बहुत कम हो जायंगी । और हमारा भोजन भी सादा बन जायगा । तब हम जीनेके लिअे खायेंगे, न कि खानेके लिअे जीयेंगे । अिस वातकी यथार्थतामें जिसे शंका हो वह अपने परिश्रमकी कमाअी खानेका प्रयत्न करे । अपने पसीनेकी कमाअी खानेमें अुसे कुछ और ही स्वाद मिलेगा, अुसका

स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, और उसे यह मान्य हो जायगा कि जो बहुतसी विलासकी चीजें उसने अपने ऊपर लाद रखी थीं वे सब विलकुल ही फिजूल थीं।)

हरिजनसेवक, ५-७-'३५.

बुद्धिपूर्वक किया हुआ शरीर-श्रम समाज-सेवाका सर्वोत्कृष्ट रूप है। यहां शरीर-श्रम शब्दके साथ 'बुद्धिपूर्वक किया हुआ' विशेषण यह दिवानेके लिये जोड़ा गया है कि किये हुये शरीर-श्रमके पीछे समाज-सेवाका निश्चित अद्देश्य हो तभी उसे समाज-सेवाका दर्जा मिल सकता है। ऐसा न हो तब तो कहा जायगा कि हरएक मजदूर समाज-सेवा करता ही है। वैसे, एक अर्थमें यह कथन सही भी है, लेकिन यहां उससे कुछ ज्यादा अभीष्ट है। जो आदमी सब लोगोंके सामान्य कल्याणके लिये परिश्रम करता है वह जरूर समाजकी ही सेवा करता है और उसकी आवश्यकतायें पूरी होनी ही चाहिये। जिसलिये ऐसा शरीर-श्रम समाज-सेवासे भिन्न नहीं है।)

हरिजन, १-६-'३५

(क्या मनुष्य अपने बौद्धिक श्रमसे अपनी आजीविका नहीं कमा सकते? नहीं। शरीरकी आवश्यकतायें शरीर द्वारा ही पूरी होनी चाहिये। केवल मानसिक और बौद्धिक श्रम आत्माके लिये और स्वयं अपने ही संतोषके लिये है। उसका पुरस्कार कभी नहीं मांगा जाना चाहिये। आदर्श राज्यमें डॉक्टर, वकील और जैसे ही दूसरे लोग केवल समाजके लाभके लिये काम करेंगे; अपने लिये नहीं। शारीरिक श्रमके धर्मका पालन करनेसे समाजकी रचनामें एक शान्त क्रान्ति हो जायगी। मनुष्यकी विजय जिसमें होगी कि उसने जीवन-संग्रामके वजाय परस्पर सेवाके संग्रामकी स्थापना कर दी। पशुधर्मके स्थान पर मानव-धर्म कायम हो जायगा।

देहातमें लौट जानेका अर्थ यह है कि शरीर-श्रमके धर्मको उसके तमाम अंगोंके साथ हम निश्चित-रूपमें स्वेच्छापूर्वक स्वीकार करते हैं। परन्तु आलोचक कहते हैं, 'भारतकी करोड़ों संतानें आज भी देहातमें

रहती है, फिर भी अन्हें पेटभर भोजन नसीब नहीं होता।' अफसोसके साथ कहना पड़ता है कि यह विलकुल सच बात है। सौभाग्यसे हम जानते हैं कि अुनका शरीर-श्रमके धर्मका पालन स्वेच्छापूर्ण नहीं है। अुनका बस चले तो वे शरीर-श्रम कभी न करें और नजदीकके शहरमें कोअी व्यवस्था हो जाय तो वहां दौड़ कर चले जायं। मजबूर होकर किसी मालिककी आज्ञा पालना गुलामीकी स्थिति है, स्वेच्छासे अपने पिताकी आज्ञा मानना पुत्रत्वका गौरव है। अिसी प्रकार शरीर-श्रमके नियमका विवश होकर पालन करनेसे दरिद्रता, रोग और असंतोष अुत्पन्न होते हैं। यह दासत्वकी दशा है। शरीर-श्रमके नियमका स्वेच्छा-पूर्वक पालन करनेसे संतोष और स्वास्थ्य मिलता है। और तन्दुरुस्ती ही असली दीलत है, न कि सोने-चांदीके टुकड़े। ग्रामोद्योग-संघ स्वेच्छा-पूर्ण शरीर-श्रमका ही अेक प्रयोग है।

हरिजन, ३९-६-३५

भिखारियोंकी समस्या

मेरी अहिंसा किसी अैसे तन्दुरुस्त आदमीको मुफ्त खाना देनेका विचार वरदारत नहीं करेगी, जिसने अुसके लिये अीमानदारीसे कुछ न कुछ काम न किया हो; और मेरा वश चले तो जहां मुफ्त भोजन मिलता है, वे सब सदाव्रत मैं वन्द कर दूँ। अिससे राष्ट्रका पतन हुआ है और सुस्ती, बेकारी, दंभ और अपराधोंको भी प्रोत्साहन मिला है अिस प्रकारका अनुचित दान देशके भौतिक या आध्यात्मिक धन कुछ भी वृद्धि नहीं करता और दाताके मनमें पुण्यात्मा होनेका इ भाव पैदा करता है। क्या ही अच्छी और बुद्धिमानीकी बात हो, दानी लोग अैसी संस्थायें खोलें जहां अुनके लिये काम करनेवाले पुरुषोंको स्वास्थ्यप्रद और स्वच्छ हालतमें भोजन दिया जाय। खुदका तो यह विचार है कि चरखा या अुससे सम्बन्धित क्रियाओं कोअी भी कार्य आदर्श होगा। परन्तु अन्हें यह स्वीकार न हो कोअी भी दूसरा काम चुन सकते हैं। जो भी हो, नियम यह चाहिये कि 'मेहनत नहीं तो खाना भी नहीं।' प्रत्येक शह

भिखमंगोंकी अपनी-अपनी अलग कठिन समस्या है, जिसके लिये धनवान जिम्मेदार हैं। मैं जानता हूँ कि आलसियोंको मुफ्त भोजन करा देना बहुत आसान है, परन्तु ऐसी संस्था संगठित करना बहुत कठिन है जहां किसीको खाना देनेसे पहले उससे बीमानदारीसे काम कराना जरूरी हो। आर्थिक दृष्टिसे, कमसे कम शुरूमें, लोगोंसे काम लेनेके बाद उन्हें खाना खिलानेका खर्च मौजूदा मुफ्तके भोजनालयोंके खर्चसे ज्यादा होगा। लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि यदि हम भूमितिकी गतिसे देशमें बढ़नेवाले आवारागर्द लोगोंकी संख्या नहीं बढ़ाना चाहते, तो अन्तमें यह व्यवस्था अधिक सस्ती पड़ेगी।

यंग जिंडिया, १३-८-'३५

भीख मांगनेको प्रोत्साहन देना बेशक बुरा है, लेकिन मैं किसी भिखारीको काम और भोजन दिये बिना नहीं लौटाऊंगा। हां, वह काम करना मंजूर न करे तो मैं उसे भोजनके बिना ही चला जाने दूंगा। जो लोग शरीरसे लाचार हैं, जैसे लंगड़े या विकलांग, उनका पोषण राज्यको करना चाहिये। लेकिन बनावटी या सच्ची अंधताकी आड़में भी काफी धोखा-घड़ी चल रही है। कितने ही ऐसे अंधे हैं जिन्होंने अपनी अंधताका लाभ अुठाकर काफी पैसा जमा कर लिया है। वे इस तरह अपनी अंधताका अेक अनुचित लाभ अुठायें, जिसके बजाय यह ज्यादा अच्छा होगा कि उन्हें अपाहिजोंकी देखभाल करनेवाली किसी संस्थामें रख दिया जाय।

हरिजन, ११-५-'३५

हमने देखा कि मनुष्यकी वृत्तियां चंचल हैं। उसका मन बेकारकी दीड़-धूप किया करता है। उसका शरीर जैसे जैसे ज्यादा देते जायं वैसे वैसे ज्यादा मांगता जाता है। ज्यादा लेकर भी वह सुखी नहीं होता। भोग भोगनेसे भोगकी अिच्छा बढ़ती जाती है। अिसलिअे हमारे पुरखोंने भोगकी हद बांध दी। बहुत सोचकर अुन्होंने देखा कि सुख-दुःख तो मनके कारण हैं। अमीर अपनी अमीरीकी वजहसे सुखी नहीं है, गरीब अपनी गरीबीके कारण दुखी नहीं है। अमीर दुखी देखनेमें आता है और गरीब सुखी देखनेमें आता है। करोड़ों लोग तो गरीब ही रहेंगे। अैसा देखकर पूर्वजोंने भोगकी वासना छुड़वायी। हजारों साल पहले जो हल काममें लिया जाता था अुससे हमने काम चलाया। हजारों साल पहले जैसे झोंपड़े थे अुन्हें हमने कायम रखा। हजारों साल पहले जैसी हमारी शिक्षा थी वही चलती आयी। हमने नाशकारक होड़को जगह नहीं दी। सब अपना अपना धंवा करते रहे। अुसमें अुन्होंने दस्तूरके मुताबिक दाम लिये। अैसा नहीं था कि हमें यंत्र वगैराकी खोज करना ही नहीं आता था। लेकिन हमारे पूर्वजोंने देखा कि लोग अगर यंत्र वगैराकी झंझटमें पड़ेंगे, तो गुलाम ही बनेंगे और अपनी नीतिको छोड़ देंगे। अुन्होंने सोच-समझकर कहा कि हमें अपने हाथ-पैरोंसे जो काम हो सके वही करना चाहिये। हाथ-पैरोंका अिस्तेमाल करनेमें ही सच्चा सुख है, अुसीमें तन्दुरुस्ती है।

अुन्होंने सोचा कि बड़े शहर कायम करना बेकारकी झंझट है। अुनमें लोग सुखी नहीं होंगे। अुनमें धूर्तोंकी टोलियां और बेश्याओंकी गलियां पैदा होंगी; गरीब अमीरोंसे लूटे जायेंगे। अिसलिअे अुन्होंने छोटे गांवोंसे ही संतोष माना।

अुन्होंने देखा कि राजाओं और अुनकी तलवारके बनिस्वत नीतिका बल ज्यादा बलवान है। अिसलिअे अुन्होंने राजाओंको नीतिवान पुरुषों — अृपियों और फकीरों — से कम दरजेका माना।

ऐसी जिस प्रजाकी गठन है, वह प्रजा दूसरोंको सिखाने लायक है; वह दूसरोंसे सीखने लायक नहीं है।

जिस राष्ट्रमें अदालतें थीं, वकील थे, डॉक्टर-वैद्य थे। लेकिन वे सब ठीक ढंगसे नियमके मुताबिक चलते थे। सब जानते थे कि ये बंधे बड़े बंधे नहीं हैं। और वकील, डॉक्टर वगैरा लोगोंमें लूट नहीं चलाते थे, वे तो लोगोंके आश्रित थे। वे लोगोंके मालिक बनकर नहीं रहते थे। अविनाश काफी अच्छा होता था। अदालतोंमें न जाना, लोगोंका ध्येय था। अन्हें भरमानेवाले स्वार्थी लोग समाजमें नहीं थे। अतनी सड़न भी सिर्फ राजा और राजधानीके आसपास ही थी। यों आम प्रजा तो अुनसे स्वतंत्र रहकर अपने खेतोंका मालिकी हक भोगती थी — खेती करके अपना निर्वाह करती थी। अुसके पास सच्चा स्वराज्य था।

हिन्द स्वराज्य, पृ० ४५-४६, प्रक० १३

ऐसी नम्रता — शून्यता — आदत डालनेसे कैसे आ सकती है? लेकिन ब्रतोंको सही ढंगसे समझनेसे नम्रता अपने-आप आने लगती है। सत्यका पालन करनेकी अिच्छा रखनेवाला अहंकारी कैसे हो सकता है? दूसरेके लिये प्राण न्योछावर करनेवाला अपनी जगह बनाने कहां जाय? अुंसने तो जब प्राण न्योछावर करनेका निश्चय किया तभी अपनी देहको फेंक दिया। ऐसी नम्रताका मतलब पुरुषार्थका अभाव तो नहीं है? ऐसा अर्थ हिन्दू धर्ममें कर डाला गया है सही। और अिसीलिये आलस्यको और पाखंडको बहुतेरे स्थानों पर जगह मिल गयी है। सचमुच तो नम्रताके मानी हैं तीव्रतम पुरुषार्थ, सख्तसे सख्त मेहनत। लेकिन वह सब परमार्थके लिये होना चाहिये। अीश्वर खुद चीवीसों घण्टे अेक सांससे काम करता रहता है, अंगड़ाअी लेने तककी फुरसत नहीं लेता। अुसके हम हो जायं, अुसमें हम मिल जायं, तो हमारा अुद्यम अुसके जैसा ही अंतर्द्रित हो जायगा — होना चाहिये।

मंगल-प्रभात, पृ० ५३-५४, प्रक० १२

भगवानके नाम पर किया गया और अुसे समर्पित किया गया कोअी भी काम अोटा नहीं है। अिस तरह किये गये हरअेक अोटे या

बड़े कामका समान मूल्य है। कोधी भंगी अपना काम भगवानकी सेवाकी भावनासे करता ही तो उसके और उस राजाके कामका, जो अपनी प्रतिभाका उपयोग भगवानके नाम पर और ट्रस्टीकी तरह करता है, समान महत्त्व है।

यंग अडिया, २५-११-२६

अहिंसाका पुजारी अपयोगितावाद (बड़ीसे बड़ी संख्याका ज्यादासे ज्यादा हित) का समर्थन नहीं कर सकता। वह तो 'सर्वभूत-हिताय' यानी सबके अधिकतम लाभके लिये ही प्रयत्न करेगा और अिस आदर्शकी प्राप्तिमें मर जायगा। अिस प्रकार वह अिसलिये मरना चाहेगा कि दूसरे जी सकें। दूसरोंके साथ-साथ वह अपनी सेवा भी आप मर कर करेगा। सबके अधिकतम सुखके भीतर अधिकांशका अधिकतम सुख भी मिला हुआ है। और अिसलिये अहिंसावादी और अपयोगितावादी अपने रास्ते पर कभी वार मिलेंगे। किन्तु अन्तमें असा भी अवसर आयेगा, जब अुन्हें अलग-अलग रास्ते पकड़ने होंगे और किसी-किसी दशामें अेक-दूसरेका विरोध भी करना होगा। तर्कसंगत बने रहनेके लिये अपयोगितावादी अपनेको कभी बलि नहीं कर सकता। परन्तु अहिंसावादी हमेशा मिट जानेको तैयार रहेगा।

हिन्दी नवजीवन, ९-१२-२६

जब तक सेवाकी जड़ प्रेम या अहिंसामें न हो तब तक वह सम्भव ही नहीं है। सच्चा प्रेम समुद्रकी तरह निस्सीम होता है और हृदयके भीतर ज्वारकी तरह अुठकर बढ़ते अुठे वह बाहर फैल जाता है तथा सीमाओंको पार करके दुनियाके छोरों तक जा पहुंचता है। सेवाके लिये आवश्यक दूसरी चीज है शरीर-श्रम, जिसे गीतामें यज्ञ कहा गया है; शरीर-श्रमके विना भी सेवा असंभव है। सेवाके लिये जब कोधी पुरुष या स्त्री शरीर-श्रम करती है तभी अुसे जीनेका अधिकार प्राप्त होता है।

यंग अडिया, २०-९-२८

जब तक हम अपना अहंकार भूलकर शून्यताकी स्थिति प्राप्त नहीं करते, तब तक हमारे लिये अपने दोषोंको जीतना सम्भव नहीं है।

वीश्वर, पूर्ण आत्म-समर्पणके विना संतुष्ट नहीं होता। वास्तविक स्वतंत्रताका अितना मूल्य वह अवश्य चाहता है। और जब मनुष्य अपना ऐसा समर्पण कर चुकता है तब तुरंत ही वह अपनेको प्राणिमात्रकी सेवामें लीन पाता है। यह सेवा ही तब उसके आनंद और आमोदका विषय हो जाती है। तब वह अके विलकुल नया ही आदमी बन जाता है और वीश्वरकी अिस सृष्टिकी सेवामें अपनेको खपाते हुअे कभी नहीं थकता।

हिन्दी नवजीवन, २०-१२-'२८

अिस सत्यकी भक्तिके खातिर ही हमारी हस्ती हो। अुसीके लिअे हमारा हरअेक काम, हरअेक प्रवृत्ति हो। अुसीके लिअे हम हर सांस लें। अैसा करना हम सीखें तो दूसरे सब नियमोंके पास भी आसानीसे पहुँच सकते हैं; और अुनका पालन भी आसान हो जायगा। सत्यके अगैर किसी भी नियमका शुद्ध पालन नामुमकिन है।

मंगल-प्रभात, पृ० ८, प्रक० १

सत्यकी खोज करनेवाला, अहिंसा वरतनेवाला परिग्रह नहीं कर सकता। परमात्मा परिग्रह नहीं करता। अपने लिअे जरूरी चीज वह रोजकी रोज पैदा करता है। अिसलिअे अगर हम अुस पर पूरा भरोसा रखते हैं, तो हमें समझना चाहिये कि हमारी जरूरतकी चीजें वह रोजाना देता है, और देगा।

मंगल-प्रभात, पृ० २९, प्रक० ६

साधन और साध्य

लोग कहते हैं, 'आखिर साधन तो साधन ही हैं।' मैं कहूंगा, 'आखिर तो साधन ही सब कुछ हैं।' जैसे साधन होंगे वैसा ही साध्य होगा। साधन और साध्यको अलग करनेवाली कोई दीवार नहीं है। वास्तवमें सृष्टिकर्ताने हमें साधनों पर नियंत्रण (और वह भी बहुत सीमित नियंत्रण) दिया है; साध्य पर तो कुछ भी नहीं दिया। लक्ष्य-

सिद्धि ठीक अतनी ही शुद्ध होती है, जितने हमारे साधन शुद्ध होते हैं। यह बात ऐसी है जिसमें किसी अपवादकी गुंजाअिश नहीं है।

यंग अिडिया, १७-७-'२४

हिंसापूर्ण अुपायोसे लिया गया स्वराज्य भी हिंसापूर्ण होगा और वह दुनियाके लिये तथा खुद भारतके लिये भयका कारण सिद्ध होगा।

यंग अिडिया, १७-७-'२४

गन्दे साधनोंसे मिलनेवाली चीज भी गन्दी ही होगी। अिसलिये राजाको मारकर राजा और प्रजा अेकसे नहीं बन सकेंगे। मालिकका सिंर काटकर मजदूर मालिक नहीं हो सकेंगे। यही बात सब पर लागू की जा सकती है।

कोअी असत्यसे सत्यको नहीं पा सकता। सत्यको पानेके लिये हमेशा सत्यका आचरण करना ही होगा। अहिंसा और सत्यकी तो जोड़ी है न? हरगिज नहीं। सत्यमें अहिंसा छिपी हुअी है और अहिंसामें सत्य। अिसीलिये मैंने कहा है कि सत्य और अहिंसा अेक ही सिक्केके दो रूख हैं। दोनोंकी कीमत अेक ही है। केवल पढ़नेमें ही फर्क है; अेक तरफ अहिंसा है, दूसरी तरफ सत्य। पूरी पूरी पवित्रताके बिना अहिंसा और सत्य निभ ही नहीं सकते। शरीर या मनकी अपवित्रताको छिपानेसे असत्य और हिंसा ही पैदा होंगी।

अिसलिये सत्यवादी, अहिंसक और पवित्र समाजवादी ही दुनियामें या हिन्दुस्तानमें समाजवाद फैला सकता है।

हरिजनसेवक, १३-७-'४७

संरक्षकताका सिद्धान्त

फर्ज कीजिये कि विरासतके या बुद्योग-व्यवसायके द्वारा मुझे प्रचुर सम्पत्ति मिल गयी। तब मुझे यह जानना चाहिये कि वह सब सम्पत्ति मेरी नहीं है, बल्कि मेरा तो उस पर जितना ही अधिकार है कि जिस तरह दूसरे लाखों आदमी गुजर करते हैं उसी तरह मैं भी अिज्जतके साथ अपना गुजर भर करूं। मेरी शेष सम्पत्ति पर राष्ट्रका हक है और उसीके हितार्थ उसका उपयोग होना आवश्यक है। इस सिद्धान्तका प्रतिपादन मैंने तब किया था, जब कि जमींदारों और राजाओंकी सम्पत्तिके सम्बन्धमें समाजवादी सिद्धान्त देशके सामने आया था। समाजवादी अिन सुविधा-प्राप्त वर्गोंको खतम कर देना चाहते हैं, जब कि मैं यह चाहता हूं कि वे (जमींदार और राजा-महाराजा) अपने लोभ और सम्पत्तिके बावजूद अुन लोगोंके समकक्ष बन जायं जो मेहनत करके रोटी कमाते हैं। मजदूरोंको भी यह महसूस करना होगा कि मजदूरका काम करनेकी शक्ति पर जितना अधिकार है, मालदार आदमीका अपनी सम्पत्ति पर उससे भी कम है।

यह दूसरी बात है कि इस तरहके सच्चे ट्रस्टी कितने हो सकते हैं। अगर सिद्धान्त ठीक हैं, तो यह बात गौण है कि अुनका पालन अनेक लोग कर सकते हैं या केवल अेक ही आदमी कर सकता है। यह प्रश्न आत्म-विश्वासका है। अगर आप अहिंसाके सिद्धान्तको स्वीकार करें, तो आपको उसके अनुसार आचरण करनेकी कोशिश करनी चाहिये, चाहे अुसमें आपको सफलता मिले या असफलता। आप यह तो कह सकते हैं कि इस पर अमल करना मुश्किल है, लेकिन इस सिद्धान्तमें अैसी कोअी बात नहीं है जिसके लिये यह कहा जा सके कि वह बुद्धि-ग्राह्य नहीं है।

हरिजनसेवक, ३-६-'३९

आप कह सकते हैं कि ट्रस्टीशिप तो कानून-शास्त्रकी एक कल्पना-मात्र है; व्यवहारमें उसका कहीं कोभी अस्तित्व दिखायी नहीं पड़ता। लेकिन यदि लोग उस पर सतत विचार करें और उसे आचरणमें अतारनेकी कोशिश भी करते रहें, तो मनुष्य-जातिके जीवनकी नियामक शक्तिके रूपमें प्रेम आज जितना प्रभावशाली दिखायी देता है, उससे कहीं अधिक दिखायी पड़ेगा। वेशक, पूर्ण ट्रस्टीशिप तो युक्लिडकी विन्दुकी व्याख्याकी तरह एक कल्पना ही है और अतनी ही अप्राप्य भी है। लेकिन यदि उसके लिये कोशिश की जाय तो दुनियामें समानताकी स्थापनाकी दिशामें हम दूसरे किसी अुपायसे जितनी दूर तक जा सकते हैं, उसके वजाय इस अुपायसे ज्यादा दूर तक जा सकेंगे। . . . मेरा दृढ़ निश्चय है कि यदि राज्यने पूंजीवादको हिंसाके द्वारा दवानेकी कोशिश की तो वह खुद ही हिंसाके जालमें फंस जायगा और फिर कभी भी अहिंसाका विकास नहीं कर सकेगा। राज्य हिंसाका एक केन्द्रित और संघटित रूप ही है। व्यक्तिमें आत्मा होती है, परंतु चूंकि राज्य एक जड़ यंत्रमात्र है इसलिये उसे हिंसासे कभी नहीं छुड़ाया जा सकता। क्योंकि हिंसासे ही तो उसका जन्म होता है। इसीलिये मैं ट्रस्टीशिपके सिद्धान्तको तरजीह देता हूं। यह डर हमेशा बना रहता है कि कहीं राज्य उन लोगोंके खिलाफ, जो उससे मतभेद रखते हैं, बहुत ज्यादा हिंसाका अुपयोग न करे। लोग यदि स्वेच्छासे ट्रस्टियोंकी तरह व्यवहार करने लगे तो मुझे सचमुच बड़ी खुशी होगी। लेकिन यदि वे ऐसा न करें तो मेरा खयाल है कि हमें राज्यके द्वारा भरसक कम हिंसाका आश्रय लेकर उनसे उनकी सम्पत्ति ले लेनी पड़ेगी। . . . (यही कारण है कि मैंने गोलमेज परिपदमें यह कहा था कि सभी निहित हितवालोंकी सम्पत्तिकी जांच होनी चाहिये और जहां आवश्यक मालूम हो वहां उनकी सम्पत्ति राज्यको . . . मुआवजा देकर या मुआवजा बिना दिये ही, जहां जैसा अुचित हो, अपने हाथमें कर लेनी चाहिये।) व्यक्तिगत तौर पर तो मैं यह चाहूंगा कि राज्यके हाथोंमें शक्तिका ज्यादा केन्द्रीकरण न हो, उसके वजाय ट्रस्टीशिपकी भावनाका विस्तार हो। क्योंकि मेरी रायमें राज्यकी हिंसाकी तुलनामें वैयक्तिक मालिकीकी

हिंसा कम हानिकर है । लेकिन यदि राज्यकी मालिकी अनिवार्य ही हो तो मैं भरसक कमसे कम राज्यकी मालिकीकी सिफारिश करूंगा ।

दि मॉडर्न रिव्यू, १९३५, पृ० ४१२

आजकल यह कहना एक फैशन हो गया है कि समाजको अहिंसाके आधार पर न तो संघटित किया जा सकता है और न चलाया जा सकता है । मैं जिस कथनका विरोध करता हूँ । परिवारमें जब पिता अपने पुत्रको अपराध करने पर थप्पड़ मार देता है, तो पुत्र अक्सर वदला लेनेकी बात नहीं सोचता । वह अपने पिताकी आज्ञा अिसलिये स्वीकार कर लेता है कि जिस थप्पड़के पीछे वह अपने पिताके प्यारको आहत हुआ देखता है, अिसलिये नहीं कि थप्पड़ अुसे वैसा अपराध दुवारा करनेसे रोकता है । मेरी रायमें समाजकी व्यवस्था अिस तरह होनी चाहिये; यह अुसका एक छोटा रूप है । जो बात परिवारके लिये सही है, वही समाजके लिये भी सही है; क्योंकि समाज एक बड़ा परिवार ही है ।

हरिजन, ३-१२-'३८

मेरी धारणा है कि अहिंसा केवल वैयक्तिक गुण नहीं है । वह एक सामाजिक गुण भी है और अन्य गुणोंकी तरह अुसका भी विकास किया जाना चाहिये । यह तो मानना ही होगा कि समाजके पारस्परिक व्यवहारोंका नियमन बहुत हद तक अहिंसाके द्वारा होता है । मैं अितना ही चाहता हूँ कि अिस सिद्धान्तका बड़े पैमाने पर, राष्ट्रीय और आन्तर-राष्ट्रीय पैमाने पर विस्तार किया जाय ।

हरिजन ७-१-'३९

मेरा ट्रस्टीशिपका सिद्धान्त कोअी अैसी चीज नहीं है, जो काम निकालनेके लिये आज घड़ लिया गया हो । अपनी मंशा छिपानेके लिये खड़ा किया गया आवरण तो वह हरगिज नहीं ह । मेरा विश्वास है कि दूसरे सिद्धान्त जब नहीं रहेंगे तब भी वह रहेगा । अुसके पीछे तत्त्वज्ञान और धर्मके समर्थनका बल है । धनके मालिकोंने अिस सिद्धान्तके अनुसार आचरण नहीं किया है, अिस बातसे यह सिद्ध नहीं होता कि वह

सिद्धान्त झूठा है; जिससे धनके मालिकोंकी कमजोरी मात्र सिद्ध होती है। अहिंसाके साथ किसी दूसरे सिद्धान्तका मेल ही नहीं बैठता। अहिंसक मार्गकी खूबी यह है कि अन्यायी यदि अपना अन्याय दूर नहीं करता तो वह अपना नाश खुद ही कर डालता है। क्योंकि अहिंसक असहयोगके कारण या तो वह अपनी गलती देखने और सुधारनेके लिये मजबूर हो जाता है या वह बिलकुल अकेला पड़ जाता है।

हरिजन, १६-१२-'३९

मैं जिस रायके साथ निःसंकोच अपनी सम्मति जाहिर करता हूँ कि आम तौर पर धनवान — केवल धनवान ही क्यों, बल्कि ज्यादातर लोग — जिस बातका विशेष विचार नहीं करते कि वे पैसा किस तरह कमाते हैं। अहिंसक अुपायका प्रयोग करते हुअे यह विश्वास तो होना ही चाहिये कि कोअी आदमी कितना ही पतित क्यों न हो, यदि अुसका अिलाज कुशलतापूर्वक और सहानुभूतिके साथ किया जाय तो अुसे सुधारा जा सकता है। हमें मनुष्योंमें रहनेवाले दैवी अंशको प्रभावित करना चाहिये और अपेक्षा करनी चाहिये कि अुसका अनुकूल परिणाम निकलेगा। यदि समाजका हरअेक सदस्य अपनी शक्तियोंका अुपयोग वैयक्तिक स्वार्थ साधनेके लिये नहीं बल्कि सबके कल्याणके लिये करे, तो क्या अिससे समाजकी सुख-समृद्धिमें वृद्धि नहीं होगी? हम अैसी जड़ समानताका निर्माण नहीं करना चाहते, जिसमें कोअी आदमी योग्यताओंका पूरा-पूरा अुपयोग कर ही न सके। अैसा समाज अन्तमें नष्ट हुअे बिना नहीं रह सकता। अिसलिये मेरी यह सलाह बिलकुल ठीक है कि धनवान लोग चाहे करोड़ों रुपये कमायें (वेशक, अीमानदारीसे), लेकिन अुनका अुद्देश्य वह सारा पैसा सबके कल्याणमें समर्पित कर देनेका होना चाहिये। 'तेन त्यक्तेन भुंजीथाः' मंत्रमें असाधारण ज्ञान भरा पड़ा है। मौजूदा जीवन-पद्धतिकी जगह, जिसमें हरअेक आदमी पड़ोसीकी परवाह किये बिना केवल अपने ही लिये जीता है, सर्व-कल्याणकारी नयी जीवन-पद्धतिका विकास करना हो, तो अुसका सबसे निश्चित मार्ग यही है।

हरिजन, १-२-'४२

अहिंसक अर्थ-व्यवस्था

मैं कहना चाहता हूँ कि हम सब एक तरहसे चोर हैं। अगर मैं कोभी ऐसी चीज लेता और रखता हूँ, जिसकी मुझे अपने किसी तात्कालिक उपयोगके लिये जरूरत नहीं है, तो मैं उसकी किसी दूसरेसे चोरी ही करता हूँ। यह प्रकृतिका एक निरपवाद, बुनियादी नियम है कि वह रोज केवल उतना ही पैदा करती है जितना हमें चाहिये। और यदि हरअेक आदमी जितना उसे चाहिये उतना ही ले, ज्यादा न ले, तो दुनियामें गरीबी न रहे और कोभी आदमी भूखा न मरे। मैं समाजवादी नहीं हूँ और जिनके पास सम्पत्तिका संचय है उनसे मैं उन्ने छीनना नहीं चाहता। लेकिन मैं यह जरूर कहता हूँ कि हममें से जो लोग प्रकाशकी खोजमें प्रयत्नशील हैं उन्हें व्यक्तिगत तौर पर जिस नियमका पालन करना चाहिये। मैं किसीसे उसकी सम्पत्ति छीनना नहीं चाहता, क्योंकि वसा करूं तो मैं अहिंसाके नियमसे च्युत हो जाऊंगा। यदि किसीके पास मेरी अपेक्षा ज्यादा सम्पत्ति है तो भले रहे। लेकिन यदि मुझे अपना जीवन नियमके अनुसार गढ़ना है तो मैं ऐसी कोभी चीज अपने पास नहीं रख सकता जिसकी मुझे जरूरत नहीं है। भारतमें लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें दिनमें केवल अेक ही वार खाकर संतोष कर लेना पड़ता है और उनके उस भोजनमें भी सूखी रोटी और चुटकी भर नमकके सिवा और कुछ नहीं होता। हमारे पास जो कुछ भी है उस पर हमें और आपको तब तक कोभी अधिकार नहीं है जब तक कि उन लोगोंके पास पहिननेके लिये कपड़ा और खानेके लिये अन्न नहीं हो जाता। हममें और आपमें ज्यादा समझ होनेकी आशा की जाती है। अतः हमें अपनी जरूरतोंका नियमन करना चाहिये और स्वेच्छापूर्वक अमुक अभाव भी सहना चाहिये, जिससे कि उन गरीबोंका पालन-पोषण हो सके, उन्हें कपड़ा और अन्न मिल सके।

स्पीचेज़ अेण्ड राबिर्टिगज़ ऑफ महात्मा गांधी, पृ० ३८४

मुझे स्वीकार करना चाहिये कि मैं अर्थविद्या और नीतिविद्यामें न सिर्फ़ कोअी स्पष्ट भेद नहीं करता, बल्कि भेद ही नहीं करता। जिस अर्थविद्यासे व्यक्ति या राष्ट्रके नैतिक कल्याणको हानि पहुंचती हो उसे मैं अनीतिमय और असलिये पापपूर्ण कहूंगा। अुदाहरणके लिये, जो अर्थ-विद्या किसी देशको किसी दूसरे देशका शोषण करनेकी अनुमति देती है वह अनैतिक है। जो मजदूरोंको योग्य मेहनताना नहीं देते और अुनके परिश्रमका शोषण करते हैं, अुनसे वस्तुअें खरीदना या अुन वस्तुओंका अुपयोग करना पापपूर्ण है।

यंग अिडिया, १३-१०-'२१

मेरी रायमें भारतकी — न सिर्फ़ भारतकी बल्कि सारी दुनियाकी — अर्थरचना अैसी होना चाहिये कि किसीको भी अन्न और वस्त्रके अभावकी तकलीफ़ न सहनी पड़े। दूसरे शब्दोंमें, हरअेकको अितना काम अवश्य मिल जाना चाहिये कि वह अपने खाने-पहिननेकी जरूरतें पूरी कर सके। और यह आदर्श निरपवाद रूपसे तभी कार्यान्वित किया जा संकता है जब जीवनकी प्राथमिक आवश्यकताओंके अुत्पादनके साधन जनताके नियंत्रणमें रहें। वे हरअेकको विना किसी बाधाके अुसी तरह अुपलब्ध होने चाहिये जिस तरह कि भगवानकी दी हुअी हवा और पानी हमें अुपलब्ध हैं; किसी भी हालतमें वे दूसरोंके शोषणके लिये चलाये जानेवाले व्यापारका वाहन न बनें। किसी भी देश, राष्ट्र या समुदायका अुन पर अेकाधिकार अन्यायपूर्ण होगा। हम आज न केवल अपने अिस दुःखी देशमें बल्कि दुनियाके दूसरे हिस्सोंमें भी जो गरीबी देखते हैं अुसका कारण अिस सरल सिद्धान्तकी अुपेक्षा ही है।

यंग अिडिया, १५-११-'२८

जिस तरह, सच्चे नीतिधर्ममें और अच्छे अर्थशास्त्रमें कोअी विरोध नहीं होता, अुसी तरह सच्चा अर्थशास्त्र कभी भी नीतिधर्मके अूंचेसे अूंचे आदर्शका विरोधी नहीं होता। जो अर्थशास्त्र धनकी पूजा करना सिखाता है और बलवानोंको दुर्बलोंका शोषण करके धनका संग्रह करनेकी सुविधा देता है अुसे शास्त्रका नाम नहीं दिया जा सकता। वह तो

एक झूठी चीज है जिससे हमें कोयी लाभ नहीं हो सकता। उसे अपनाकर हम मृत्युको न्योता देंगे। सच्चा अर्थशास्त्र तो सामाजिक न्यायकी हिमायत करता है; वह समान भावसे सबकी भलाओका — जिनमें कम-जोर भी शामिल हैं — प्रयत्न करता है और सम्यजनोचित सुन्दर जीवनके लिये अनिवार्य है।

हरिजन, ९-१०-३७

मैं ऐसी स्थिति लाना चाहता हूँ जिसमें सबका सामाजिक दरजा समान माना जाय। मजदूरी करनेवाले वर्गोंको सैकड़ों वर्षोंसे सम्य समाजसे अलग रखा गया है और उन्हें नीचा दरजा दिया गया है। उन्हें शूद्र कहा गया है और जिस शब्दका यह अर्थ किया गया है कि वे दूसरे वर्गोंसे नीचे हैं। मैं वुनकर, किसान और शिक्षकके लड़कोंमें कोयी भेद नहीं होने दे सकता।

हरिजन, १५-१-३८

रचनात्मक कामका यह अंग अहिंसापूर्ण स्वराज्यकी मुख्य चावी है। आर्थिक समानताके लिये काम करनेका मतलब है, पूंजी और मजदूरीके बीचके झगड़ोंको हमेशाके लिये मिटा देना। जिसका अर्थ यह होता है कि एक ओरसे जिन मुट्ठीभर पैसेवाले लोगोंके हाथमें राष्ट्रकी संपत्तिका बड़ा भाग अकट्ठा हो गया है, उनकी संपत्तिको कम करना और दूसरी ओरसे जो करोड़ों लोग अधपेट खाते और नंगे रहते हैं, उनकी संपत्तिमें वृद्धि करना। जब तक मुट्ठीभर धनवानों और करोड़ों भूखे रहनेवालोंके बीच वैअन्तहा अन्तर बना रहेगा, तब तक अहिंसाकी वुनियाद पर चलनेवाली राज-व्यवस्था कायम नहीं हो सकती। आजाद हिन्दुस्तानमें देशके बड़े-से-बड़े धनवानोंके हाथमें हुकूमतका जितना हिस्सा रहेगा, उतना ही गरीबोंके हाथमें भी होगा; और तब तब नयी दिल्लीके महलों और उनकी बगलमें बसी हुयी गरीब मजदूर वस्तियोंके टूटे-फूटे झोंपड़ोंके बीच जो दर्दनाक फर्क आज नजर आता है वह एक दिनको भी नहीं टिकेगा। अगर धनवान लोग अपने धनको और उसके कारण मिलनेवाली सत्ताको खुद राजी-खुशीसे छोड़कर और सबके कल्याणके

लिअे सबके साथ मिलकर बरतनेको तैयार न होंगे, तो यह तय समझिये कि हमारे देशमें हिंसक और खूंखार क्रांति हुअे विना न रहेगी। ट्रस्टी-शिप या सरपरस्तीके मेरे सिद्धान्तका बहुत मजाक बुड़ाया गया है, फिर भी मैं अुस पर कायम हूं। यह सच है कि अुस तक पहुंचने यानी अुसका पूरा-पूरा अमल करनेका काम कठिन है। क्या अहिंसाकी भी यही हालत नहीं है? फिर भी १९२० में हमने यह सीधी चढ़ाजी चढ़नेका निश्चय किया था।

रचनात्मक कार्यक्रम, पृ० ४०-४१

मेरी सूचना है कि यदि भारतको अपना विकास अहिंसाकी दिशामें करना है, तो अुसे बहुतसी चीजोंका विकेन्द्रीकरण करना पड़ेगा। केन्द्रीकरण किया जाय तो फिर अुसे कायम रखनेके लिअे और अुसकी रक्षाके लिअे हिंसावल अनिवार्य है। जिनमें चोरी करने या लूटनेके लिअे कुछ है ही नहीं अैसे सादे घरोंकी रक्षाके लिअे पुलिसकी जरूरत नहीं होती। लेकिन धनवानोंके महलोंके लिअे अवश्य बलवान पहरेदार चाहिये, जों डाकुओंसे अुनकी रक्षा करें। यही बात बड़े-बड़े कारखानोंकी है। गांवोंको मुख्य मानकर जिस भारतका निर्माण होगा अुसे शहर-प्रधान भारतकी अपेक्षा — शहर-प्रधान भारत जल, स्थल और वायुसेनाओंसे सुसज्जित होगा तो भी — विदेशी आक्रमणका कम खतरा रहेगा।

हरिजन, ३०-१२-३९

आज तो बहुत ज्यादा और असलिअे बहुत भद्दी आर्थिक असमानता है। समाजवादका आधार आर्थिक समानता है। अन्यायपूर्ण असमानताओंकी असि हालतमें, जहां चंद लोग मालामाल हैं और सामान्य प्रजाको भरपेट खाना भी नसीब नहीं होता, रामराज्य कैसे हो सकता है?

हरिजन, १-६-४७

समान वितरणका रास्ता

आर्थिक समानता, अर्थात् जगतके पास समान सम्पत्तिका होना, यानी सबके पास बितनी सम्पत्तिका होना कि जिससे वे अपनी कुदरती आवश्यकतायें पूरी कर सकें। कुदरतने ही एक आदमीका हाजमा अगर नाजुक बनाया हो और वह केवल पांच ही तोला अन्न खा सके, और दूसरेको बीस तोला अन्न खानेकी आवश्यकता हो, तो दोनोंको अपनी पाचन-शक्तिके अनुसार अन्न मिलना चाहिये। सारे समाजकी रचना इस आदर्शके आधार पर होनी चाहिये। अहिंसक समाजका दूसरा आदर्श नहीं रखना चाहिये। पूर्ण आदर्श तक हम कभी नहीं पहुंच सकते। मगर उसे नजरमें रखकर हम विधान बनावें और व्यवस्था करें। जिस हद तक हम इस आदर्शको पहुंच सकेंगे उसी हद तक सुख और संतोष प्राप्त करेंगे और उसी हद तक सामाजिक अहिंसा सिद्ध हुई कही जा सकेगी।

इस आर्थिक समानताके धर्मका पालन एक अकेला मनुष्य भी कर सकता है। दूसरोंके साथकी उसे आवश्यकता नहीं रहती। अगर एक आदमी इस धर्मका पालन कर सकता है तो जाहिर है कि एक मण्डल भी कर सकता है। यह कहनेकी जरूरत इसीलिए है कि किसी भी धर्मके पालनमें जहां तक दूसरे उसका पालन न करें वहां तक हमें रुके रहनेकी आवश्यकता नहीं। और फिर, ध्येयकी आखिरी हद तक न पहुंच सकें वहां तक कुछ भी त्याग न करनेकी वृत्ति बहुधा लोगोंमें देखनेमें आती है। यह भी हमारी गतिको रोकती है।

अहिंसाके द्वारा आर्थिक समानता कैसे लायी जा सकती है इसका विचार करें। पहला कदम यह है कि जिसने इस आदर्शको अपनाया हो, वह अपने जीवनमें आवश्यक परिवर्तन करे। हिन्दुस्तानकी गरीब प्रजाके साथ अपनी तुलना करके अपनी आवश्यकतायें कम करे। अपनी धन कमानेकी शक्तिको नियंत्रणमें रखे। जो धन कमावे उसे औमानदारीसे कमानेका निश्चय करे। सट्टेकी वृत्ति हो तो उसका त्याग करे। घर

भी अपनी सामान्य आवश्यकता पूरी करने लायक ही रखे और जीवनको हर तरहसे संयमी बनावे। अपने जीवनमें संभव सुधार कर लेनेके बाद अपने मिलने-जुलनेवालों और अपने पड़ोसियोंमें समानताके आदर्शका प्रचार करे।

आर्थिक समानताकी जड़में वनिकका ट्रस्टीपन निहित है। जिस आदर्शके अनुसार वनिकको अपने पड़ोसीसे अके कौड़ी भी ज्यादा रखनेका अधिकार नहीं। तब उसके पास जो ज्यादा है, क्या वह उससे छीन लिया जाये? ऐसा करनेके लिये हिंसाका आश्रय लेना पड़ेगा। और हिंसाके द्वारा ऐसा करना संभव हो, तो भी समाजको उससे कुछ फायदा होनेवाला नहीं है। क्योंकि द्रव्य अिकट्टा करनेकी शक्ति रखनेवाले अके आदमीकी शक्तको समाज खो बैठेगा। जिसलिये अहिंसक मार्ग यह हुआ कि जितनी मान्य हो सकें अतनी अपनी आवश्यकतायें पूरी करनेके बाद जो पैसा बाकी बचे उसका वह प्रजाकी ओरसे ट्रस्टी बन जाये। अगर वह प्रामाणिकतासे संरक्षक बनेगा तो जो पैसा पैदा करेगा उसका सद्व्यय भी करेगा। जब मनुष्य अपने-आपको समाजका सेवक मानेगा, समाजके खातिर धन कमावेगा, समाजके कल्याणके लिये उसे खर्च करेगा, तब उसकी कमायीमें शुद्धता आयेगी। उसके साहसमें भी अहिंसा होगी। जिस प्रकारकी कार्य-प्रणालीका आयोजन किया जाये तो समाजमें वगैर संघर्षके मूक क्रान्ति पैदा हो सकती है।

जिस प्रकार मनुष्य-स्वभावमें परिवर्तन होनेका अल्लेख इतिहासमें कहीं देखा गया है? ऐसा प्रश्न हो सकता है। व्यक्तियोंमें तो ऐसा हुआ ही है। बड़े पैमाने पर समाजमें परिवर्तन हुआ है, यह शायद सिद्ध न किया जा सके। जिसका अर्थ अतना ही है कि व्यापक अहिंसाका प्रयोग आज तक नहीं किया गया। हम लोगोंके हृदयमें जिस झूठी मान्यताने घर कर लिया है कि अहिंसा व्यक्तिगत रूपसे ही विकसित की जा सकती है और वह व्यक्ति तक ही मर्यादित है। दरअसल बात ऐसी है नहीं। अहिंसा सामाजिक धर्म है, सामाजिक धर्मके तौर पर वह विकसित किया जा सकता है, वह मनवानेका मेरा प्रयत्न और प्रयोग है। यह नयी चीज है, जिसलिये जिसे झूठ समझकर फेंक देनेकी बात जिस युगमें तो कोजी नहीं

कहेगा। यह कठिन है, जिसलिसे अशक्य है, यह भी जिस युगमें कोओ नहीं कहेगा। क्योंकि बहुतसी चीजें अपनी आंखोंके सामने नयी-पुरानी होती हमने देखी हैं। मेरी यह मान्यता है कि अहिंसाके क्षेत्रमें जिसमें बहुत ज्यादा साहस शक्य है, और विविध धर्मोंके इतिहास जिस बातके प्रमाणोंसे भरे पड़े हैं। समाजमें से धर्मको निकाल कर फेंक देनेका प्रयत्न वांझके घर पुत्र पैदा करने जितना ही निष्फल है; और अगर कहीं सफल हो जाये तो समाजका अुसमें नाश है। धर्मके रूपान्तर हो सकते हैं। अुसमें निहित प्रत्यक्ष बहम, सड़न और अपूर्णतायें दूर हो सकती हैं, हुओी हैं और होती रहेंगी। मगर धर्म तो जहां तक जगत है वहां तक चलता ही रहेगा, क्योंकि एक धर्म ही जगतका आधार है। धर्मकी अन्तिम व्याख्या है अीश्वरका कानून। अीश्वर और अुसका कानून अलग-अलग चीजें नहीं हैं। अीश्वर अर्थात् अचलित, जीता-जागता कानून। अुसका पार कोओ नहीं पा सकता। मगर अवतारोंने और पैगम्बरोंने तपस्या करके अुसके कानूनकी कुछ-न-कुछ झांकी जगतको कराओी है।

किन्तु महाप्रयत्न करने पर भी धनिक संरक्षक न बनें, और भूखों मरते हुओे करोड़ोंको अहिंसाके नामसे और अधिक कुचलते जायें तब क्या करें? जिस प्रश्नका अुत्तर ढूढनेमें ही अहिंसक कानून-भंग प्राप्त हुआ। कोओी धनवान गरीबोंके सहयोगके बिना धन नहीं कमा सकता। मनुष्यको अपनी हिंसक शक्तिका भान है, क्योंकि वह अुसे लाखों वर्षोंसे विरासतमें मिली हुओी है। जब अुसे चार पैरकी जगह दो पैर और दो हाथवाले प्राणीका आकार मिला, तब अुसमें अहिंसक शक्ति भी आओी। अहिंसा-शक्तिका भान भी धीरे-धीरे, किन्तु अचूक रीतिसे रोज-रोज बढ़ने लगा। वह भान गरीबोंमें प्रसार पा जाये, तो वे बलवान बनें और आर्थिक असमानताको, जिसके फि वे शिकार बने हुओे हैं, अहिंसक तरीकेसे दूर करना सीख लें।

हरिजनसेवक, २४-८-४०

✓ भारतकी जरूरत यह नहीं है कि चंद लोगोंके हाथोंमें बहुत नारी पूंजी अिकट्टी हो जाय। पूंजीका अैसा वितरण होना चाहिये कि वह

अस १९०० मील लम्बे और १५०० मील चौड़े विशाल देशको बनाने-वाले साढ़े-सात लाख गांवोंको आंसानीसे अपलव्ध हो सके।

यंग अिडिया, २३-३-'२१

१९

भारतमें अहिंसाकी अपासना

मैंने भारतके समक्ष आत्मत्यागका पुराना आदर्श रखनेका साहस किया है। सत्याग्रह और असकी शाखायें, असहयोग और सविनय कानून-भंग, तपस्याके ही दूसरे नाम हैं। अस हिंसामय जगतमें जिन्होंने अहिंसाका नियम ढूढ़ निकाला वे अृषि न्यूटनसे कहीं ज्यादा बड़े आविष्कारक थे। वे वेलिंग्टनसे ज्यादा बड़े योद्धा थे। वे शस्त्रास्त्रोंका अपुयोग जानते थे और अन्हें अुनकी व्यर्थताका निश्चय हो गया था। और तब अुन्होंने हिंसासे अूवी हुअी दुनियाको सिखाया कि अुसे अपनी मुक्तिका रास्ता हिंसामें नहीं बल्कि अहिंसामें मिलेगा। अपने सक्रिय रूपमें अहिंसाका अर्थ है ज्ञानपूर्वक कष्ट सहना। असका अर्थ अन्यायीकी अिच्छाके आगे दबकर घुटने टेकना नहीं है; असका अर्थ यह है कि अत्याचारीकी अिच्छाके खिलाफ अपनी आत्माकी सारी शक्ति लगा दी जाय। जीवनके अस नियमके अनुसार चलकर तो कोअी अकेला आदमी भी अपने सम्मान, धर्म और आत्माकी रक्षाके लिये किसी अन्यायी साम्राज्यके सम्पूर्ण बलको चुनौती दे सकता है और अस तरह अस साम्राज्यके नाश या सुधारकी नींव रख सकता है। और असलिये मैं भारतसे अहिंसाको अपनानेके लिये कह रहा हूं तो असका कारण यह नहीं है कि भारत कमजोर है। बल्कि मुझे असके बल और असकी वीरताका भान है, अिसीलिये मैं यह चाहता हूं कि वह अहिंसाके रास्ते पर चले। अुसे अपनी शक्तिको पहिचाननेके लिये शस्त्रास्त्रोंकी तालीमकी जरूरत नहीं है। हमें असकी जरूरत अिसलिये मालूम होती है कि हम समझते हैं कि हम शरीर-मात्र हैं। मैं चाहता हूं कि भारत अस बातको पहिचान ले कि वह शरीर

नहीं बल्कि अमर आत्मा है, जो हरअेक शारीरिक कमजोरीके अूपर अुठ सकती है और सारी दुनियाके सम्मिलित शारीरिक बलको चुनौती दे सकती है।

यंग अिडिया, ११-८-'२०

भारतकी हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख या गुरखा आदि सैनिक जातियोंकी वैयक्तिक वीरता और साहससे यह सिद्ध है कि भारतीय प्रजा कायर नहीं है। मेरा मतलब अितना ही है कि युद्ध और रक्तपात भारतको प्रिय नहीं है और संभवतः दुनियाके भावी विकासमें अुसे कोअी अूँचा हिस्सा अदा करना है। यह तो समय ही बतायेगा कि अुसका भविष्य क्या होनेवाला है।

यंग अिडिया, २२-६-'२१

भूतकालमें युगों तक भारतको, यानी भारतकी आम जनताको, जो तालीम मिलती रही है वह हिंसाके खिलाफ है। भारतमें मनुष्य-स्वभावका विकास अिस हद तक हो चुका है कि आम लोगोंके लिये हिंसाके वजाय अहिंसाका सिद्धान्त ज्यादा स्वाभाविक हो गया है।

यंग अिडिया, २६-१-'२२

भारतने कभी किसी 'राष्ट्रके खिलाफ युद्ध नहीं चलाया। हां, शुद्ध आत्मरक्षाके लिये अुसने आक्रमणकारियोंके खिलाफ कभी-कभी विरोधका असफल या अधूरा संघटन अवश्य किया है। अिसलिये अुसे शान्तिकी आकांक्षा पैदा करनेकी जरूरत नहीं है। शान्तिकी आकांक्षा तो अुसमें विपुल मात्रामें मौजूद ही है, भले वह अिस बातको जाने या न जाने। शान्तिकी वृद्धिके लिये अुसे शान्तिमय साधनोंके द्वारा अपने शोषणको रोकनेकी कोशिश करनी चाहिये, यानी अुसे शान्तिमय साधनोंके द्वारा अपनी स्वतंत्रता हासिल करनी चाहिये। अगर वह सफलतापूर्वक अैसा कर सके तो यह विश्वशांतिकी दिशामें अुसकी किसी अेक देशके द्वारा दी जा सकनेवाली ज्यादासे ज्यादा मदद होगी।

यंग अिडिया, ४-७-'२९

सर्वोदयी राज्य

मुझसे कितने ही लोगोंने संदेहसे सिर डुलाते हुअे कहा है : “लेकिन आप सामान्य जनताको अहिंसा नहीं सिखा सकते । अहिंसाका पालन केवल व्यक्ति ही कर सकते हैं और सो भी विरले व्यक्ति ।” मेरी रायमें यह धारणा अेक मोटी भूल है । यदि मनुष्य-जाति आदतन् अहिंसक न होती तो अुसने युगों पहले अपने हाथों अपना नाश कर लियो होता । लेकिन हिंसा और अहिंसाके पारस्परिक संघर्षमें अन्तमें अहिंसा ही सदा विजयी सिद्ध हुअी है । सच तो यह है कि हमने राजनीतिक अुद्देश्यकी प्राप्तिके लिये लोगोंमें अहिंसाकी शिक्षाके प्रसारकी पूरी कोशिश करने जितना धीरज ही कभी प्रगट नहीं किया ।

यंग अिडिया, २-१-’३०

मेरी दृष्टिमें राजनीतिक सत्ता कोअी साध्य नहीं है, परन्तु जीवनके प्रत्येक विभागमें लोगोंके लिये अपनी हालत सुधार सकनेका अेक साधन है । राजनीतिक सत्ताका अर्थ है राष्ट्रीय प्रतिनिधियों द्वारा राष्ट्रीय जीवनका नियमन करनेकी शक्ति । अगर राष्ट्रीय जीवन अितना पूर्ण हो जाता है कि वह स्वयं आत्म-नियमन कर ले, तो किसी प्रतिनिधित्वकी आवश्यकता नहीं रह जाती । अुस समय ज्ञानपूर्ण अराजकताकी स्थिति हो जाती है । अैसी स्थितिमें हरअेक अपना राजा होता है । वह अिस ढंगसे अपने पर शासन करता है कि अपने पड़ोसियोंके लिये कभी बाधक नहीं बनता । अिसलिये आदर्श अवस्थामें कोअी राजनीतिक सत्ता नहीं होती, क्योंकि कोअी राज्य नहीं होता । परन्तु जीवनमें आदर्शकी पूरी सिद्धि कभी नहीं होती । अिसीलिये थोरोने कहा है कि जो सबसे कम शासन करे वही अुत्तम सरकार है ।

यंग अिडिया, २-७-’३१

मैं राज्यकी सत्ताकी वृद्धिको बड़ेसे बड़े भयकी दृष्टिसे देखता हूँ। क्योंकि जाहिरा तौर पर तो वह शोषणको कमसे कम करके लाभ पहुंचाती है; परन्तु व्यक्तित्वको — जो सब प्रकारकी भुन्नतिकी जड़ है — नष्ट करके वह मानव-जातिको बड़ीसे बड़ी हानि पहुंचाती है।

राज्य केन्द्रित और संगठित रूपमें हिंसाका प्रतीक है। व्यक्तिके आत्मा होती है, परन्तु चूंकि राज्य एक आत्मा-रहित जड़ मशीन होता है, जिसलिखे उससे हिंसा कभी नहीं छुड़वायी जा सकती; उसका अस्तित्व ही हिंसा पर निर्भर है।

मेरा यह पक्का विश्वास है कि अगर राज्य हिंसासे पूंजीवादको दवा देगा, तो वह स्वयं हिंसाकी लपेटमें फंस जायगा और किसी भी समय अहिंसाका विकास नहीं कर सकेगा।

मैं स्वयं तो यह अधिक पसंद करूंगा कि राज्यके हाथोंमें सत्ता केन्द्रित न करके ट्रस्टीशिपकी भावनाका विस्तार किया जाय। क्योंकि मेरी रायमें व्यक्तित्वगत स्वामित्वकी हिंसा राज्यकी हिंसासे कम हानिकारक है। किन्तु अगर यह अनिवार्य हो तो मैं कमसे कम राजकीय स्वामित्वका समर्थन करूंगा।

मुझे जो बात नापसंद है वह है बलके आवार पर बना हुआ संगठन; और राज्य ऐसा ही संगठन है। स्वच्छापूर्वक संगठन जरूर होना चाहिये।

दि माॅडर्न रिव्यू, १९३५, पृ० ४१२

अब सवाल यह है कि आदर्श समाजमें कोधी राजसत्ता रहेगी या वह एक विलकुल अराजक समाज बनेगा? मेरे खयालमें ऐसा सवाल पूछनेसे कुछ भी फायदा नहीं हो सकता। अगर हम ऐसे समाजके लिये मेहनत करते रहें, तो वह किसी हद तक बनता रहेगा, और कुछ हद तक लोगोंको उससे फायदा पहुंचेगा। युक्लिडने कहा है कि लाइन वही हो सकती है जिसमें चौड़ायी न हो। लेकिन ऐसी लाइन या लकीर न तो आज तक कोधी बना पाया, न बना पायेगा। फिर भी ऐसी लाइनको खयालमें रखनेसे ही प्रगति हो सकती है। और, हरएक आदर्शके वारेमें यही सच है।

हां, अितना याद रखना चाहिये कि आज दुनियामें कहीं भी अराजक समाज मौजूद नहीं है। अगर कभी कहीं बन सकता है, तो अुसका आरम्भ हिन्दुस्तानमें ही हो सकता है। क्योंकि हिन्दुस्तानमें अैसा समाज बनानेकी कोशिश की-गयी है। आज तक हम आखिरी दरजेकी बहादुरी नहीं दिखा सके; मगर अुसे दिखानेका अेक ही रास्ता है, और वह यह है कि जो लोग अुसे मानते हैं वे अुसे दिखायें। अैसा कर दिखानेके लिये, जिस तरह हमने जेलोंका डर छोड़ दिया है, अुसी तरह हमें मृत्युका डर भी छोड़ देना होगा।

हरिजनसेवक, १५-९-'४६

पुलिस-बल

अहिंसक राज्यमें भी पुलिसकी जरूरत हो सकती है। मैं स्वीकार करता हूं कि यह मेरी अपूर्ण अहिंसाका चिह्न है। मुझमें फौजकी तरह पुलिसके बारेमें भी यह घोषणा करनेका साहस नहीं है कि हम पुलिसकी ताकतके बिना काम चला सकते हैं। अवश्य ही मैं अैसे राज्यकी कल्पना कर सकता हूं और करता हूं, जिसमें पुलिसकी जरूरत नहीं होगी; परन्तु यह कल्पना सफल होगी या नहीं, यह तो भविष्य ही बतायेगा।

परन्तु मेरी कल्पनाकी पुलिस आजकलकी पुलिससे विलकुल भिन्न होगी। अुसमें सभी सिपाही अहिंसामें माननेवाले होंगे। वे जनताके मालिक नहीं, सेवक होंगे। लोग स्वाभाविक रूपमें ही अुन्हें हर प्रकारकी सहायता देंगे और आपसके संयोगसे दिन-दिन घटनेवाले दंगोंका आसानीसे सामना कर लेंगे। पुलिसके पास किसी न किसी प्रकारके हथियार तो होंगे, परन्तु अुन्हें क्वचित् ही काममें लिया जायगा। असलमें तो पुलिसवाले सुधारक बन जायेंगे। अुनका काम मुख्यतः चोर-डाकुओं तक सीमित रह जायगा। मजदूरों और पूंजीपतियोंके झगड़े और हड़तालें अहिंसक राज्यमें यदा-कदा ही होंगी, क्योंकि अहिंसक बहुमतका असर अितना अधिक रहेगा कि समाजके मुख्य तत्त्व अुसका आदर करेंगे। अिसी तरह साम्प्रदायिक दंगोंकी भी गुंजाअिश नहीं रहेगी।

हरिजन, १-९-'४०

२१

सत्याग्रह और दुराग्रह

मेरी यह दृढ़ धारणा है कि सविनय कानून-भंग वैधानिक आन्दोलनका शुद्धतम रूप है। वेशक, अज्ञानमें विनय और अहिंसाकी जिन विशिष्टताका दावा किया जाता है वह यदि दूसरोंको धोखा देनेके लिये ओढ़ लिया गया झूठा आवरण-मात्र हो, तो वह लोगोंको गिराता है और निन्दनीय बन जाता है।

यंग अिडिया, १५-१२-'२१

कानूनकी अवज्ञा सच्चे भावसे और आदरपूर्वक की जाय, अज्ञानमें किसी प्रकारकी अदृष्टता न हो और वह किसी ठोस सिद्धान्त पर आधारित हो तथा उसके पीछे द्वेष या तिरस्कारका लेश भी न हो— यह आखिरी कसौटी सबसे ज्यादा महत्त्वकी है—तो ही उसे शुद्ध सत्याग्रह कहा जा सकता है।

यंग अिडिया, २४-३-'२०

कानूनकी सविनय अवज्ञामें केवल वे लोग ही हिस्सा ले सकते हैं, जो राज्य द्वारा लादे गये कष्टप्रद कानूनोंका—अगर वे अज्ञानकी धर्म-बुद्धि या अन्तःकरणको चोट न पहुंचाते हों तो—स्वेच्छापूर्वक पालन करते हैं और जो अिस तरह की गयी अवज्ञाका दण्ड भी अतनी ही खुशीसे भोगनेके लिये तैयार हों। कानूनकी अवज्ञा सविनय तभी कही जा सकती है जब वह पूरी तरह अहिंसक हो। सविनय अवज्ञाके पीछे सिद्धांत यह है कि प्रतिपक्षीको खुद कष्ट सहकर यानी प्रेमके द्वारा जीता जाये।

यंग अिडिया, ३-११-'२१

सविनय अवज्ञा नागरिकका जन्मसिद्ध अधिकार है। वह अपने अिस अधिकारको अपना मनुष्यत्व खोकर ही छोड़ सकता है। सविनय अवज्ञाका परिणाम कभी भी अराजकतामें नहीं आ सकता। दुष्ट हेतुसे की गयी

अवज्ञासे ही अराजकता पैदा हो सकती है। दुष्ट हेतुसे की जानेवाली अवज्ञाको हरअेक राज्य बलपूर्वक अवश्य दवायेगा। यदि वह अुसे नहीं दवायेगा तो वह खुद नष्ट हो जायेगा। किन्तु सविनय अवज्ञाको दवानेका अर्थ तो अन्तरात्माकी आवाजको दवानेकी कोशिश करना है।

यंग अिडिया, ५-१-'२२

चूँकि सत्याग्रह सीवी कार्रवाअीके अत्यंत बलशाली अुपायोंमें से अेक है, अिसलिये सत्याग्रही सत्याग्रहका आश्रय लेनेसे पहले और सब अुपाय आजमा कर देख लेता है। अिसके लिये वह सदा और निरन्तर सत्ताधारियोंके पास जायेगा, लोकमतको प्रभावित और शिक्षित करेगा, जो अुसकी सुनना चाहते हैं अुन सबके सामने अपना मामला शान्ति और ठंडे दिमागसे रखेगा और जब ये सब अुपाय वह आजमा चुकेगा तभी सत्याग्रहका आश्रय लेगा। परन्तु जब अुसे अन्तर्नादकी प्रेरक पुकार सुनाअी देती है और वह सत्याग्रह छोड़ देता है, तब वह अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है और पीछे कदम नहीं हटाता।

यंग अिडिया, २०-१०-'२७

सत्याग्रह शब्दका अुपयोग अकसर बहुत शिथिलतापूर्वक किया जाता है और छिपी हुअी हिंसाको भी यह नाम दे दिया जाता है। लेकिन अिस शब्दके रचयिताके नाते मुझे यह कहनेकी अनुमति मिलनी चाहिये कि अुसमें छिपी हुअी अथवा प्रकट सभी प्रकारकी हिंसाका, फिर वह कर्मकी हो या मन और वाणीकी हो, पूरा बहिष्कार है। प्रतिपक्षीका बुरा चाहना या अुसे हानि पहुंचानेके अिरादेसे अुससे या अुसके बारेमें बुरा बोलना सत्याग्रहका अुल्लंघन है। सत्याग्रह अेक सौम्य वस्तु है, वह कभी चोट नहीं पहुंचाता। अुसके पीछे क्रोध या द्वेष नहीं होना चाहिये। अुसमें शोरगुल, प्रदर्शन या अुतावली नहीं होती। वह जबरदस्तीसे बिलकुल अुलटी चीज है। अुसकी कल्पना हिंसासे अुलटी परन्तु हिंसाका स्थान पूरी तरह भर सकनेवाली चीजके रूपमें की गअी है।

हरिजन, १५-४-'३३

दुराग्रह

[अप्रैल १९१९ में पंजाब जाते हुये जब गांधीजीको गिरफ्तार कर लिया गया वृत्त समय बुनकी गिरफ्तारीकी खबर फैलते ही बम्बईमें और दूसरी जगहोंमें हिंसात्मक अपद्रव शुरू हो गये थे। बादमें जब पुलिसकी निगरानीमें अन्हें बम्बई वापिस लाया गया और ११ अप्रैलको छोड़ा गया तब अन्होंने एक सन्देश दिया था जो शामको होनेवाली सभाओंमें पढ़ा जाना था। जिस सन्देशका एक अंश जिस प्रकार था:]

मेरी गिरफ्तारी पर जितना धोम और जितनी गड़बड़ क्यों हुई, जिसका कारण मैं नहीं समझ सका हूँ। यह सत्याग्रह तो नहीं है; जितना ही नहीं, यह दुराग्रहसे भी बुरा है। जो लोग सत्याग्रहसे सम्बन्धित प्रदर्शनोंमें भाग लेते हैं, वे — अन्हें खतरा हो तो भी — हिंसा न करनेके लिये, पत्थर आदि न फेंकनेके लिये, किसीको भी किसी भी तरह चोट न पहुंचानेके लिये बंधे हुये हैं। लेकिन बम्बईमें हमने पत्थर फेंके हैं और रास्तोंमें एकावटें डालकर ट्राम-गाड़ियां रोकी हैं। यह सत्याग्रह नहीं है। हमने हिंसक प्रवृत्तियोंके कारण गिरफ्तार किये गये पचास आदमियोंके छोड़े जानेकी मांग भी की है। हमारा कर्तव्य तो मुख्यतः अपनेको गिरफ्तार करवाना है। जिन्होंने हिंसाकी प्रवृत्तियां की हैं अन्हें छुड़वानेकी कोशिश करना धार्मिक कर्तव्यका अल्लंघन है। जिसलिये गिरफ्तार लोगोंकी रिहाईकी मांग करना हमारे लिये किसी भी आचार पर अचित्त नहीं है।

स्वीचेज अेण्ड राजिस्टिग्ज ऑफ महात्मा गांधी, पृ० ४७४

मैंने असंख्य बार कहा है कि सत्याग्रहमें हिंसा, लूटमार, आगजनी आदिके लिये कोई स्थान नहीं है; लेकिन जिसके वावजूद हमने मकान जलाये हैं, बलपूर्वक हथियार छीने हैं, लोगोंको डरा-धमकाकर अनुसे पंसा लिया है, रेलगाड़ियां रोकी हैं, तार काटे हैं, निर्दोष आदमियोंकी हत्या की है और दुकानें तथा लोगोंके निजी घरोंमें लूटमार की है। जिस तरहके कामोंसे मुझे जेल या फांसीके तख्तेसे बचाया जा सकता हो तो भी मैं जिस तरह बचाया जाना पसन्द नहीं करूंगा।

स्वीचेज अेण्ड राजिस्टिग्ज ऑफ महात्मा गांधी, पृ० ४७६

हिंसाके अुपायोंके प्रयोगसे मुझे तो भारतके लिये नाशके सिवा और कुछ नजर नहीं आता। अगर मजदूर लोग अपना गुस्ता देशमें प्रचलित कानूनको दुष्ट भावसे तोड़कर प्रगट करें, तो मैं कहूंगा कि वे आत्मघात कर रहे हैं और भारतको अुसके फलस्वरूप अवर्णनीय कष्ट भोगने पड़ेंगे। जब मैंने सत्याग्रह और सविनय अवज्ञाका प्रचार शुरू किया तो अुसका यह अुद्देश्य कदापि नहीं था कि अुसमें कानूनोंकी दुष्ट भावसे की जानेवाली अुद्धत अवज्ञाका भी समावेश होगा। मेरा अनुभव मुझे सिखाता है कि सत्यका प्रचार हिंसाके द्वारा कभी नहीं किया जा सकता। जिन्हें अपने व्येयके औचित्यमें विश्वास है अुनमें असीम वीरज होना चाहिये। और कानूनकी सविनय अवज्ञाके लिये केवल वे ही व्यक्ति योग्य माने जा सकते हैं, जो अविनय अवज्ञा (क्रिमिनल डिस्ओबीडिअेन्स) या हिंसा किसी तरह कर ही न सकते हों। जिस तरह कोअी आदमी अेक ही समयमें संयत और कुपित नहीं हो सकता, अुसी तरह कोअी सविनय अवज्ञा और अविनय अवज्ञा, दोनों अेक साथ नहीं कर सकता। और जिस तरह आत्म-संयमकी शक्ति अपने मनोविकारों पर पूरा नियंत्रण पा चुकनेके बाद ही आती है, अुस तरह जब हम देशके कानूनोंका खुशीसे और पूरा-पूरा पालन करना सीख चुके हों तभी हम अुनकी सविनय अवज्ञा करनेकी योग्यता प्राप्त करते हैं। फिर, जिस तरह किसी आदमीको हम प्रलोभनोंकी पहुंचके अुपर तभी कह सकते हैं जब कि वह प्रलोभनोंसे घिरा रहा हो और फिर भी अुनका निवारण कर सका हो, अुसी तरह हमने क्रोधको जीत लिया है, अैसा तभी कहा जा सकता है जब क्रोधका काफी कारण होने पर भी हम अपने अुपर काबू रखनेमें कामयाब सिद्ध हों।

यंग अिडिया, २८-४-'२०

कुछ विद्यार्थियोंने धरना देनेके पुराने जंगलीपनको फिरसे जिन्दा किया है। मैं अिसे 'जंगलीपन' अिसलिये कहता हूं कि यह 'दवाव डालनेका भद्दा ढंग है। अिसमें कायरता भी है, क्योंकि जो धरना देता है वह जानता है कि अुसे कुचलकर कोअी नहीं जायेगा। अिस कृत्यको हिंसात्मक कहना तो कठिन है, मगर वह अिससे भी वदतर जरूर है। अगर हम अपने विरोधीसे लड़ते हैं तो कमसे कम अुसे वदलेमें वार

करनेका मौका तो देते हैं। लेकिन जब हम उसे अपनेको कुचलकर निकलनेकी चुनौती देते हैं—यह जानते हुये कि वह ऐसा नहीं करेगा—तब हम उसे एक अत्यंत विषम और अपमानजनक स्थितिमें रख देते हैं। मैं जानता हूँ कि घटना देनेके अत्यधिक जोशमें विद्यार्थियोंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि यह कृत्य जंगलीपन है। परन्तु जिनसे यह आशा की जाती है कि वह अन्तःकरणकी आवाज पर चलेगा और भारी विपत्तियोंका अकेले सामना करेगा, वह विचारहीन नहीं बन सकता। इसलिये असहयोगियोंको हर काममें पहलेसे ही सचेत रहना चाहिये। उनके काममें कोयी अधीरता, कोयी जंगलीपन, कोयी गुस्ताखी और कोयी अनुचित दबाव नहीं होना चाहिये।

यदि हम लोकशाहीकी सच्ची भावनाका विकास करना चाहते हैं तो असहिष्णु नहीं हो सकते। असहिष्णुतासे अपने ध्येयमें हमारे विश्वासकी कमी प्रगट होती है।

यंग अिडिया, २-२-२१

शासनके खिलाफ विवेकरहित विरोध चलाया जाय तो अुससे अराजकताकी, अनियंत्रित स्वच्छंदताकी स्थिति पैदा होगी और समाज अपने ही हाथों अपना नाश कर डालेगा।

यंग अिडिया, २-४-३१

कानूनकी सविनय अवज्ञाकी पूर्ववर्ती अनिवार्य शर्त यह है कि अुसमें जिस बातका पूरा आश्वासन होना चाहिये कि अवज्ञा आन्दोलनमें भाग लेनेवालोंकी ओरसे या आम जनताकी ओरसे कहीं कोयी हिंसा नहीं होगी। हिंसक अपद्रव होने पर यह कहना कि अुसके पीछे राज्यका या अवज्ञाकारियोंका विरोध करनेवाले दूसरे दलोंका हाथ है अुचित अुत्तर नहीं है। जाहिर है कि सविनय अवज्ञाका आन्दोलन हिंसाके वातावरणमें नहीं पनप सकता। जिसका यह मतलब नहीं कि अैसी स्थितिमें सत्याग्रहीके पास फिर कोयी अुपाय ही नहीं रह जाता। अुसे सविनय अवज्ञासे भिन्न दूसरे अुपायोंकी खोज करनी चाहिये।

हरिजन, १८-३-३९

सत्याग्रहमें उपवास

उपवास सत्याग्रहके शस्त्रागारका एक अत्यन्त शक्तिशाली अस्त्र है। उसे हर कोभी नहीं कर सकता। केवल चारीरिक योग्यता जिसके लिये कोभी योग्यता नहीं है। अश्वरमें जीती-जागती श्रद्धा न हो तो दूसरी योग्यतायें निरूपयोगी हैं। वह निरा यांत्रिक प्रयत्न या अनुकरण कभी नहीं होना चाहिये। उसकी प्रेरणा अपनी अन्तरात्माकी गहराभीसे आती चाहिये। जिसलिये वह बहुत विरल होता है।

हरिजनसेवक, १८-३-३१

शुद्ध उपवासमें स्वार्थ, क्रोध, अविश्वास या अवीरताके लिये कोभी जगह नहीं हो सकती। . . . अपार वीरज, दृढ़ता, ध्येयमें अकाग्र-निष्ठा, और पूर्ण शान्ति तो उपवास करनेवालेमें होनी ही चाहिये। ये सब गुण किसी व्यक्तिमें अकेले नहीं आ सकते, जिसलिये जिसने यम-नियमादिका पालन करके अपना जीवन शुद्ध न कर लिया हो, उसे सत्याग्रहके हेतुसे किया जानेवाला उपवास नहीं करना चाहिये।

हरिजन, १३-१०-४०

लेकिन मैं एक सामान्य सिद्धान्तका अल्लेख करना चाहूंगा। सत्याग्रहीको उपवास अन्तिम अुपायके तौर पर ही करना चाहिये, यानी तब जब कि अपनी शिकायत दूर करवानेके और सब अुपाय विफल हो गये हों। उपवासमें अनुकरणके लिये कोभी गुंजाबिश नहीं है। जिसमें आन्तरिक शक्ति न हो उसे उपवासका विचार भी नहीं करना चाहिये। उपवास सफलताकी आसक्ति रखकर कभी न किया जाय। . . . जिनमें उपवासका तत्त्व नहीं होता जैसे उपहासास्पद उपवास वीमारीकी तरह फैलते हैं और हानिकारक सिद्ध होते हैं।

हरिजन, २१-४-४६

वेशक, जिस बातसे अिनकार नहीं किया जा सकता कि उपवासोंमें बलात्कारका तत्त्व कभी कभी जरूर हो सकता है। कोभी स्वार्थपूर्ण अुद्देश्य प्राप्त करनेके लिये किये जानेवाले उपवासोंमें यह बात होती है।

किमी व्यक्तिसे उसकी विच्छाके खिलाफ पैसा खींचने या अना कोठी वैयक्तिक स्वार्थ सिद्ध करनेके लिये किया गया अपवान अनुचित दवाव डालना या बलात्कारका प्रयोग करना ही कहा जायगा। मेरे खिलाफ किये गये अपवासोंमें — अथवा जब मुझे अपने खिलाफ अपवान करनेकी बमकिया दी गयी हैं तब — मैंने अुनमें रहे अनुचित दवावका नफल प्रतिरोध किया है। अगर यह कहा जाय कि स्वार्थपूर्ण और स्वार्थहीन प्रयोजनोंकी विभाजक रेखा बहुत अस्पष्ट है और अिनलिधे अुनका ठीक निर्णय नहीं किया जा सकता, तो मेरी मलाह यह है कि जो आदमी किमी अपवानके अुद्देश्यको स्वार्थपूर्ण या अन्यथा निदर्नाय मानता है अुने अुन अपवानके सामने अुकनेसे दृढ़तापूर्वक अिनकार कर देना चाहिये, चाहे अिस कारण अपवान करनेवालेकी मृत्यु ही क्यों न हो जाये।

यदि लोग ऐसे अपवासोंकी अुपेक्षा करने लग जायें, जो अुनके मतानुसार अनुचित अुद्देश्योंकी प्राप्तिके लिये किये गये हों, तो अिन अपवासोंमें बलात्कार या अनुचित दवावका जो दोष पाया जाता है अुनमें वे मुक्त हो जायेंगे। दूसरी मनुष्य-कृत कार्य-प्रणालियोंकी तरह अपवानके भी अुचित और अनुचित दोनों किस्मके अुपयोग हों सकते हैं।

हरिजन, ६-५-'३३

२२

किसान

✓ यदि भारतीय समाजको शान्तिपूर्ण मार्ग पर सच्ची प्रगति करनी है, तो अिनिक वर्गको निश्चित रूपसे स्वीकार कर लेना होगा कि किमानके पास भी वैसी ही आत्मा है जैसी अुनके पास है और अपनी दौलतके कारण वे गरीबसे श्रेष्ठ नहीं हैं। जैसा जापानके अुमरावोंने किया, अुसी तरह अुन्हें भी अपने-आपको संरक्षक मानना चाहिये। अुनके पास जो धन है अुसे यह समझकर रखना चाहिये कि अुनका अुपयोग अुन्हें अपने संरक्षित किसानोंकी भलायतिके लिये करना है। अुन हाथमें वे अपने परिवर्धनके कर्माशनके रूपमें वाजिव रकमसे ज्यादा नहीं लेंगे। अिन समय अिनिक वर्गके

सर्वथा अनावश्यक दिखावे और फिजूलखर्चीमें तथा जिन किसानोंके बीचमें वे रहते हैं उनके गंदगीभरे वातावरण और कुचल डालनेवाले दारिद्र्यमें कोअी अनुपात नहीं है। जिसलिअे अेक आदर्श जमींदार किसानका बहुत कुछ बोझा, जो वह अभी अुठा रहा है, अेकदम घटा देगा। वह किसानोंके गहूरे संपर्कमें आयेगा और उनकी आवश्यकताओंको जानकर अुस निराशाके स्थान पर, जो उनके प्राणोंको सुखाये डाल रही है, उनमें आशाका संचार करेगा। वह किसानोंके सफाअी और तन्दुरुस्तीके नियमोंके अज्ञानको दर्शककी तरह देखता नहीं रहेगा, बल्कि अिस अज्ञानको दूर करेगा। किसानोंके जीवनकी आवश्यकताओंकी पूर्ति करनेके लिअे वह स्वयं अपनेको दरिद्र बना लेगा। वह अपने किसानोंकी आर्थिक स्थितिका अध्ययन करेगा और अैसे स्कूल खोलेगा, जिनमें किसानोंके बच्चोंके साथ-साथ अपने खुदके बच्चोंको भी पढ़ायेगा। वह गांवके कुअें और तालाबको साफ करायेगा। वह किसानोंको अपनी सड़कें और अपने पाखानें खुद आवश्यक परिश्रम करके साफ करना सिखायेगा। वह किसानोंके बेरोकटोक अिस्तेमालके लिअे अपने खुदके वाग-व्रगीचे निःसंकोच भावसे खोल देगा। जो गैरजरूरी अिमारतें वह अपनी मौजके लिअे रखता है, उनका अुपयोग अस्पताल, स्कूल या अैसे ही कामोंके लिअे करेगा।

भी नहीं रोक सकती। मैंने यह आशा रखी है कि भारतवर्ष जिस विपत्तिसे बचनेमें सफल रहेगा।

यंग विडिया, ५-१२-'२९

किसानोंका — वे भूमिहीन मजदूर हों या मेहनत करनेवाले जमीन-मालिक हों — स्थान पहला है। उनके परिश्रमसे ही पृथ्वी फलप्रसू और समृद्ध हुई है और जिसलिये सच कहा जाय तो जमीन उनका ही है या होनी चाहिये, जमीनसे दूर रहनेवाले जमींदारोंकी नहीं। लेकिन अहिंसक पद्धतिमें मजदूर-किसान जिन जमींदारोंसे उनका जमीन बलपूर्वक नहीं छीन सकता। उसे जिस तरह काम करना चाहिये कि जमींदारके लिये उसका शोषण करना असम्भव हो जाय। किसानोंमें आपसमें घनिष्ठ सहकार होना नितान्त आवश्यक है। जिस हेतुकी पूर्तिके लिये, जहां वैसी समितियां न हों, वहां वे बनायी जानी चाहिये और जहां हों वहां आवश्यक होने पर उनका पुनर्गठन होना चाहिये। किसान ज्यादातर अपढ़ हैं। स्कूल जानेकी उमरवालोंको और बयस्कोंको शिक्षा दी जानी चाहिये। शिक्षा पुरुषों और स्त्रियों, दोनोंको दी जानी चाहिये। भूमिहीन खेतिहर मजदूरोंकी मजदूरी जिस हद तक बढ़ायी जानी चाहिये कि वे सम्यजनोचित जीवनकी सुविधायें प्राप्त कर सकें। यानी, उन्हें संतुलित भोजन और आरोग्यकी दृष्टिसे जैसे चाहिये वैसे घर और कपड़े मिल सकें।

दि वॉम्बे क्रॉनिकल, २८-१०-'४४

मुझे जिसमें कोई सन्देह नहीं कि यदि हमें लोकतांत्रिक स्वराज्य हासिल हो — और यदि हमने अपनी स्वतंत्रता अहिंसासे पायी तो जरूर ऐसा ही होगा — तो उसमें किसानोंके पास राजनीतिक सत्ताके साथ हर किस्मकी सत्ता होनी चाहिये।

दि वॉम्बे क्रॉनिकल, १२-१-'४५

अगर स्वराज्य सारी जनताकी कोशिशोंके फलस्वरूप आता है, और चूंकि हमारा हथियार अहिंसा है जिसलिये ऐसा ही होगा, तो किसानोंको उनका योग्य स्थिति मिलनी ही चाहिये और देशमें उनका

आवाज ही सबसे ऊपर होनी चाहिये। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है और मर्यादित मताधिकारके आधार पर सरकार और प्रजाके बीच कोठी व्यावहारिक समझौता हो जाता है, तो किसानोंके हितोंको ध्यानसे देखते रहना होगा। अगर विधान-सभायें किसानोंके हितोंकी रक्षा करनेमें असमर्थ सिद्ध होती हैं, तो किसानोंके पास सविनय अवज्ञा और असहयोगका अचूक अिलाज तो हमेशा होगा ही। लेकिन . . . अन्तमें अन्याय या दमनसे जो चीज प्रजाकी रक्षा करती है, वह कागजों पर लिखे जानेवाले कानून, बीरतापूर्ण शब्द या जोशीले भाषण नहीं हैं, बल्कि अहिंसक संघटन, अनुशासन और बलिदानसे पैदा होनेवाली ताकत है।

दि. वाँम्बे क्रॉनिकल, १२-१-'४५

२३

गांवोंकी ओर

मेरा विश्वास है और मैंने इस बातको असंख्य बार दुहराया है कि भारत अपने चन्द्र शहरोंमें नहीं बल्कि सात लाख गांवोंमें बसा हुआ है। लेकिन हम शहरवासियोंका खयाल है कि भारत शहरोंमें ही है और गांवोंका निर्माण शहरोंकी जरूरतें पूरी करनेके लिये ही हुआ है। हमने कभी यह सोचनेकी तकलीफ ही नहीं उठायी कि अतः गरीबोंको पेट भरने जितना अन्न और शरीर ढकने जितना कपड़ा मिलता है या नहीं और धूप तथा वर्षासे बचनेके लिये अतः उनके सिर पर छप्पर है या नहीं।

हरिजन, ४-४-'३६

मैंने पाया है कि शहरवासियोंने आम तौर पर ग्रामवासियोंका शोषण किया है; सच तो यह है कि वे गरीब ग्रामवासियोंकी ही मेहनत पर जीते हैं। भारतके निवासियोंकी हालत पर कभी ब्रिटिश अधिकारियोंने बहुत कुछ लिखा है। जहां तक मैं जानता हूं किसीने भी यह नहीं कहा है कि भारतीय ग्रामवासियोंको भरपेट अन्न मिलता है। अल्टे, उन्होंने यह

स्वीकार किया है कि अधिकांश आवादी लगभग भुखमरीकी हालतमें रहती है, दस प्रतिशत अथभूखी रहती है और लाखों लोग चुटकीभर नमक और मिर्चोंके साथ मशीनोंका पालिश किया हुआ निःसत्व चावल या रुग्ना-सूखा अनाज खाकर अपना गुजारा चलाते हैं।

आप विश्वास कीजिये कि यदि अुस किस्मके भोजन पर हम लोगोंमें से किसीको रहनेके लिये कहा जाय, तो हम अेक माहसे ज्यादा जीनेकी आशा नहीं कर सकते, या फिर हमें यह डर लगेगा कि अैसा खानेमें कहीं हमारी दिमागी शक्तियां नष्ट न हो जायं। लेकिन हमारे ग्राम-वासियोंको तो अिस हालतमें से रोज-रोज गुजरना पड़ता है।

हरिजन, ४-४-'३६

हमारी आवादीका पचहत्तर प्रतिशतसे ज्यादा हिस्सा कृषिजीवी है। लेकिन यदि हम अुनसे अुनकी मेहनतका सारा फल खुद छीन लें या दूसरोंको छीन लेने दें, तो यह नहीं कहा जा सकता कि हममें स्वराज्यकी भावना काफी मात्रामें है।

स्पीचेज़ अेण्ड राथिंटिगज़ ऑफ महात्मा गांधी, पृ० ३२३

शहर अपनी हिफाजत आप कर सकते हैं। हमें तो अपना ध्यान गांवोंकी ओर लगाना चाहिये। हमें अुन्हें अुनकी संकुचित दृष्टि, अुनके पूर्वग्रहों और 'वहमों आदिसे' मुक्त करना है और अिसे करनेका सिवा अिसके और कोअी तरीका नहीं है कि हम अुनके साथ अुनके बीचमें रहें, अुनके सुख-दुःखमें हिस्सा लें और अुनमें शिक्षाका तथा अुपयोगी ज्ञानका प्रचार करें।

यंग अिडिया, ३०-३-'३१

हमें आदर्श ग्रामवासी बनना है; अैसे ग्रामवासी नहीं जिन्हें सफाअीकी या तो कोअी समझ ही नहीं है या है तो बहुत विचित्र प्रकारकी, और जो अिस बातका कोअी विचार ही नहीं करते कि वे क्या खाते हैं और कैसे खाते हैं। अुनमें से ज्यादातर लोग चाहे जिस तरह अपना खाना पका लेते हैं, किसी भी तरह खा लेते हैं और किसी भी तरह रह लेते हैं। वैसे हमें नहीं करना है। हमें चाहिये कि हम अुन्हें आदर्श आहार बतलायें।

मेरे सपनोंका भारत

आहारके चुनावमें हमें अपनी रुचियों और अरुचियोंका विचार नहीं करना चाहिये, बल्कि खाद्य वस्तुओंके पोषक तत्वों पर ही नजर रखनी चाहिये।

हरिजन, १-३-३५

हमें जिनकी पीठ पर जलता हुआ सूरज अपनी किरणोंके तीर बरसाता है और उस हालतमें भी जो कठिन परिश्रम करते रहते हैं उन ग्रामवासियोंसे अकेला साधनी है। हमें सोचना है कि जिस पोखरमें वे नहाते हैं और अपने कपड़े तथा बरतन धोते हैं और जिसमें उनके पशु लोटते और पानी पीते हैं उसीमें से यदि हमें भी उनकी तरह पीनेका पानी लेना पड़े तो हमें कैसा लगेगा। तभी हम उस जनताका ठीक प्रतिनिधित्व कर सकेंगे और तब वे हमारे कहने पर जरूर ध्यान देंगे।

हरिजन, १-३-३५

हमें अन्हें बताना है कि वे अपनी साग-भाजियां विशेष कुछ खर्च किये बिना खुद अुगा सकते हैं और अपने स्वास्थ्यकी ठीक रक्षा कर सकते हैं। हमें अन्हें यह भी सिखाना है कि पत्ता-भाजियोंको वे जिस तरह पकाते हैं, उसमें उनके अधिकांश विटामिन नष्ट हो जाते हैं।

हरिजन, १-३-३५

हमें अन्हें यह सिखाना है कि वे समय, स्वास्थ्य और पैसेकी बचत कैसे कर सकते हैं। लिओनेल कार्टिसने हमारे गांवोंका वर्णन करते हुअे अन्हें 'घूरेके ढेर' कहा है। हमें अन्हें आदर्श वस्तियोंमें बदलना है। हमारे ग्रामवासियोंको शुद्ध हवा नहीं मिलती, यद्यपि वे शुद्ध हवासे घिरे हुअे हैं; अन्हें ताजा अन्न नहीं मिलता, यद्यपि उनके चारों ओर ताजेसे ताजा अन्न होता है। इस अन्नके मामलेमें मैं मिशनरीकी तरह इसीलिये बोलता हूं कि मैं गांवोंको अेक सुन्दर दर्शनीय वस्तु बना देनेकी आकांक्षा रखता हूं।

हरिजन, १-३-३५

क्या भारतके गांव हमेशा वैसे ही थे जैसे कि वे आज हैं, इस प्रश्नकी छान-बीन करनेसे कोयी लाभ नहीं होगा। अगर वे कभी भी

जिससे अच्छे नहीं थे तो जिससे हमारी पुरानी सम्यताका, जिस पर हम अितना अभिमान करते हैं, अेक बड़ा दोष प्रगट होता है। लेकिन यदि वे कभी अच्छे नहीं थे तो सदियोंसे चली आ रही नाशकी क्रियाको, जो हम अपने आसपास आज भी देख रहे हैं, वे कैसे सह सके? . . . हरअेक देश-प्रेमीके सामने आज जो काम है वह यह है कि जिस नाशकी क्रियाको कैसे रोका जाय या दूसरे शब्दोंमें भारतके गांवोंका पुनर्निर्माण कैसे किया जाय, ताकि किसीके लिये भी अुनमें रहना अुतना ही आसान हो जाय जितना आसान वह शहरोंमें माना जाता है। सत्रमुच हरअेक देशभक्तके सामने आज यही काम है। सम्भव है कि ग्रामवासियोंका पुनरुद्धार अशक्य हो, और यही सच हो कि ग्राम-सम्यताके दिन अब बीत गये हैं और सात लाख गांवोंकी जगह अब केवल सात सौ सुव्यवस्थित शहर ही रहेंगे और अुनमें ३० करोड़ आदमी नहीं, केवल तीन ही करोड़ आदमी रहेंगे। अगर भारतके भाग्यमें यही हो तो भी यह स्थिति अेक दिनमें तो नहीं आयेगी; 'आखिर गांवों और ग्रामवासियोंकी अितनी बड़ी संख्याके मिटनेमें और जो वच रहेंगे अुनका शहरों और शहरवासियोंमें परिवर्तन करनेमें समय तो लगेगा ही।

हरिजन, ७-३-३६

ग्राम-सुधार आन्दोलनमें केवल ग्रामवासियोंके ही शिक्षणकी बात नहीं है; शहरवासियोंको भी अुससे अुतना ही शिक्षण लेना है। जिस कामको अुठानेके लिये शहरोंसे जो कार्यकर्ता आयें, अुन्हें ग्राम-मानसका विकास करना है और ग्रामवासियोंकी तरह रहनेकी कला सीखनी है। जिसका यह अर्थ नहीं कि अुन्हें ग्रामवासियोंकी तरह भूखे मरना है; लेकिन जिसका यह अर्थ जरूर है कि जीवनकी अुनकी पुरानी पद्धतिमें आमूल परिवर्तन होना चाहिये।

हरिजन, ११-४-३६

जिसका अेक ही अुपाय है : हम जाकर अुनके बीचमें बैठ जायें और अुनके आश्रयदाताओंकी तरह नहीं बल्कि अुनके सेवकोंकी तरह दृढ़ निष्ठासे अुनकी सेवा करें; हम अुनके भंगी बन जायें और अुनके स्वास्थ्यकी रक्षा

करनेवाले परिचारक बन जायें। हमें अपने सारे पूर्वग्रह भुला देना चाहिये। अके क्षणके लिये हम स्वराज्यको भी भूल जायें और अमीरोंकी बात तो भूल ही जायें, यद्यपि उनका होना हमें हर कदम पर खटकता है। वे तो अपनी जगह हैं ही। और कमी लोग हैं जो जिन बड़े सवालोंको सुलझानेमें लगे हुए हैं। हमें तो गांवोंके सुधारके इस छोटे काममें लग जाना चाहिये जो आज जरूरी है और तब भी जरूरी होगा जब हम अपना अद्देश्य प्राप्त कर चुकेंगे। सच तो यह है कि ग्रामकार्यकी यह सफलता स्वयं हमें अपने अद्देश्यके निकट ले जायगी।

हरिजन, १६-३-'३६

ग्राम-वस्तियोंका पुनरुत्थान होना चाहिये। भारतीय गांव भारतीय शहरोंकी सारी जरूरतें पैदा करते थे और अन्हें देते थे। भारतकी गरीबी तब शुरू हुई जब हमारे शहर विदेशी मालके बाजार बन गये और विदेशोंका सस्ता और भद्दा माल गांवोंमें भरकर अन्हें चूसने लगे।

हरिजन, २७-२-'३७

गांवों और शहरोंके बीच स्वास्थ्यपूर्ण और नीतियुक्त सम्बन्धका निर्माण तब होगा जब, कि शहरोंको अपने इस कर्तव्यका ज्ञान होगा कि अन्हें गांवोंका अपने स्वार्थके लिये शोषण करनेके बजाय गांवोंसे जो शक्ति और पोषण वे प्राप्त करते हैं उसका पर्याप्त बदला देना चाहिये। और यदि समाजके पुनर्निर्माणके इस महान और अुदात्त कार्यमें शहरके वालकोंको अपना हिस्सा अदा करना है, तो जिन अुद्योगोंके द्वारा अन्हें अपनी शिक्षा दी जाती है वे गांवोंकी जरूरतोंसे सीधे सम्बन्धित होने चाहिये।

हरिजन, १९-१०-'३७

हमें गांवोंको अपने चंगुलमें जकड़ रखनेवाली जिस त्रिविध बीमारीका अिलाज करना है, वह इस प्रकार है: (१) सार्वजनिक स्वच्छताकी कमी, (२) पर्याप्त और पोषक आहारकी कमी, (३) ग्रामवासियोंकी जड़ता। . . . ग्रामवासी जनता अपनी अुन्नतिकी ओरसे अुदासीन है। स्वच्छताके

आधुनिक अपायोंको न तो वे समझते हैं और न उनको कद्र करते हैं। अपने खेतोंको जोतने-बोने या जिस किस्मका परिश्रम वे करते आये हैं वैसे परिश्रम करनेके सिवा अधिक कोबी श्रम करनेके लिये वे राजी नहीं हैं। ये कठिनाधियां वास्तविक और गम्भीर हैं। लेकिन उनसे हमें घबड़ाने या हतोत्साह होनेकी जरूरत नहीं। हमें अपने व्यय और कार्यमें अमिट श्रद्धा होनी चाहिये। हमारे व्यवहारमें धीरज होना चाहिये। ग्रामकार्यमें हम खुद नौसिखियां ही तो हैं। हमें एक पुरानी और जटिल बीमारीका अिलाज करना है। धीरज और सतत परिश्रमसे, यदि हममें ये गुण हों तो, कठिनाधियोंके पहाड़ तक जीते जा सकते हैं। हम उन परिचारिकाओंकी स्थितिमें हैं जो उन्हें साँपे हुये बीमारोंको अिसलिये नहीं छोड़ सकतीं कि उन बीमारोंकी बीमारी असाध्य है।

हरिजन, १६-५-'३६

अिन भारतीय किसानोंसे ज्यों ही तुम बातचीत करोगे और वे तुमसे बोलने लगेंगे, त्यों ही तुम देखोगे कि उनके होंठोंसे ज्ञानका निरंतर बहता है। तुम देखोगे कि उनके अनगढ़ बाहरी रूपके पीछे आव्यात्मिक अनुभव और ज्ञानका गहरा संरोवर भरा पड़ा है। मैं अिसी चीजको संस्कृति कहता हूं। पश्चिममें तुम्हें यह चीज नहीं मिलेगी। तुम किसी यूरोपीय किसानसे बातचीत करके देखो, तुम पाओगे कि उसे आव्यात्मिक वस्तुओंमें कोबी रस नहीं है।

हरिजन, २८-१-'३९

भारतीय किसानमें फूहड़पनके बाहरी आवरणके पीछे युगों-पुरानी संस्कृति छिपी पड़ी है। अिस बाहरी आवरणको अलग कर दें, अुसकी दीर्घकालीन गरीबी और निरक्षरताको हटा दें, तो हमें सुसंस्कृत, सम्य और आजाद नागरिकका एक सुन्दरसे सुन्दर नमूना मिल जायगा।

हरिजन, २८-१-'३९

ग्राम-स्वराज्य

ग्राम-स्वराज्यकी मेरी कल्पना यह है कि वह अेक अैसा पूर्ण प्रजातंत्र होगा, जो अपनी अहम जरूरतोंके लिये अपने पड़ोसी पर भी निर्भर नहीं करेगा; और फिर भी बहुतेरी दूसरी जरूरतोंके लिये—जिनमें दूसरोंका सहयोग अनिवार्य होगा—वह परस्पर सहयोगसे काम लेगा। इस तरह हरअेक गांवका पहला काम यह होगा कि वह अपनी जरूरतका तमाम अनाज और कपड़ेके लिये कपास खुद पैदा कर ले। अुसके पास अितनी सुरक्षित जमीन होनी चाहिये, जिसमें ढोर चर सकें और गांवके बड़ों व बच्चोंके लिये मनवहलावके सावन और खेलकूदके मैदान बगैराका बन्दोवस्त हो सके। इसके बाद भी जमीन बची तो अुसमें वह अैसी अुपयोगी फसलें बोयेगा, जिन्हें बेचकर वह आर्थिक लाभ अुठा सके; यों वह गांजा, तम्बाकू, अफीम बगैराकी खेतीसे बचेगा।

हरअेक गांवमें गांवकी अपनी अेक नाटकशाला, पाठशाला और सभा-भवन रहेगा। पानीके लिये अुसका अपना अिन्तजाम होगा—वाटर वर्क्स होंगे—जिससे गांवके सभी लोगोंको शुद्ध पानी मिला करेगा। कुओं और तालाबों पर गांवका पूरा नियंत्रण रखकर यह काम किया जा सकता है। बुनियादी तालीमके आखिरी दरजे तक शिक्षा सबके लिये लाजिमी होगी। जहां तक हो सकेगा, गांवके सारे काम सहयोगके आधार पर किये जायंगे। जात-पात और क्रमागत अस्पृश्यताके जैसे भेद आज हमारे समाजमें पाये जाते हैं, वैसे इस ग्राम-समाजमें विलकुल नहीं रहेंगे।

हरिजनसेवक, २-८-'४२

सत्याग्रह और असहयोगके शास्त्रके साथ अहिंसाकी सत्ता ही ग्रामीण समाजका शासन-बल होगी। गांवकी रक्षाके लिये ग्राम-सैनिकोंका अेक अैसा दल रहेगा, जिसे लाजिमी तौर पर वारी-वारीसे गांवके चौकी-पहरेका काम करना होगा। इसके लिये गांवमें अैसे लोगोंका रजिस्टर रखा जायगा। गांवका शासन चलानेके लिये हर साल गांवके पांच आदमियोंकी अेक पंचायत चुनी जायगी। इसके लिये नियमानुसार अेक

खास निर्धारित योग्यतावाले गांवके वालिग स्त्री-पुरुषोंको अधिकार होगा कि वे अपने पंच चुन लें। बिन पंचायतोंको सब प्रकारकी आवश्यक सत्ता और अधिकार रहेंगे। चूंकि बिस ग्राम-स्वराज्यमें आजके प्रचलित अर्थमें सजा या दंडका कोधी रिवाज नहीं रहेगा अिसलिधे यह पंचायत अपने अेक सालके कार्यकालमें स्वयं ही धारासभा, न्यायसभा और कार्यकारिणी सभाका सारा काम संयुक्त रूपसे करेगी।

आज भी अगर कोधी गांव चाहे तो अपने यहां बिस तरहका प्रजातंत्र कायम कर सकता है। अुसके बिस काममें मौजूदा सरकार भी ज्यादा दस्तदाजी नहीं करेगी। क्योंकि अुसका गांवसे जो भी कारगर संबंध है, वह सिर्फं मालगुजारी वसूल करने तक ही सीमित है। यहां मैंने बिस बातका विचार नहीं किया है कि बिस तरहके गांवका अपने पान-पढीसके गांवोंके साथ या केन्द्रीय सरकारके साथ, अगर वैसी कोधी सरकार हुयी, क्या संबंध रहेगा। मेरा हेतु तो ग्राम-शासनकी अेक रूपरेखा पेश करनेका ही है। बिस ग्राम-शासनमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आधार रखनेवाला संपूर्ण प्रजातंत्र काम करेगा। व्यक्ति ही अपनी बिस सरकारका निर्माता भी होगा। अुसकी सरकार और वह दोनों अहिंसाके नियमके बंध होकर चलेंगे। अपने गांवके साथ वह सारी दुनियाकी शक्तिका मुकाबला कर सकेगा। क्योंकि हरअेक देहातीके जीवनका सबसे बड़ा नियम यह होगा कि वह अपनी और अपने गांवकी अिज्जतकी रक्षाके लिधे मर मिटे।

संभव है अैसे गांवको तैयार करनेमें अेक आदमीकी पूरी जिन्दगी खतम हो जाय। सच्चे प्रजातंत्रका और ग्राम-जीवनका कोधी भी प्रेमी अेक गांवको लेकर बैठ सकता है और अुसीको अपनी सारी दुनिया मानकर अुसके काममें मशगूल रह सकता है। निश्चय ही अुसे अिमका अच्छा फल मिलेगा। वह गांवमें बैठते ही अेक साथ गांवके भर्गी, कतबैये, चौकीदार, वैद्य और शिक्षकका काम शुरू कर देगा। अगर गांवका कोधी आदमी अुसके पास न फटके, तो भी वह सन्तोषके साथ अपने सफायी और कतायीके काममें जुटा रहेगा।

हरिजनसेवक, २-८-'४२

देहातवालोंमें ऐसी कला और कारीगरीका विकास होना चाहिये, जिससे बाहर अुनकी पैदा की हुयी चीजोंकी कीमत की जा सके। जब गावोंका पूरा-पूरा विकास हो जायगा, तो देहातियोंकी बुद्धि और आत्माको सन्तुष्ट करनेवाली कला-कारीगरीके धनी स्त्री-पुरुषोंकी गांवोंमें कमी नहीं रहेगी। गांवमें कवि होंगे, चित्रकार होंगे, शिल्पी होंगे, भाषाके पंडित और शोध करनेवाले लोग भी होंगे। थोड़ेमें, जिन्दगीकी ऐसी कोयी चीज न होगी जो गांवमें न मिले। आज हमारे देहात अुजड़े हुअे और कूड़े-कचरेके ढेर बने हुअे हैं। कल वही सुन्दर बगीचे होंगे और ग्रामवासियोंको ठगना या अुनका शोषण करना असंभव हो जायगा।

अिस तरहके गांवोंकी पुनर्रचनाका काम आजसे ही शुरू हो जाना चाहिये। गांवोंकी पुनर्रचनाका काम कामचलाअू नहीं, बल्कि स्थायी होना चाहिये।

अुद्योग, हुनर, तन्दुरुस्ती और शिक्षा अिन चारोंका सुन्दर समन्वय करना चाहिये। नयी तालीममें अुद्योग और शिक्षा, तन्दुरुस्ती और हुनरका सुन्दर समन्वय है। अिन सबके मेलसे मांके पेटमें आनेके समयसे लेकर बुढ़ापे तकका अेक खूबसूरत फूल तैयार होता है। यही नयी तालीम है। अिसलिअे मैं शुरूमें ग्राम-रचनाके टुकड़े नहीं करूंगा, बल्कि यह कोशिश करूंगा कि अिन चारोंका आपसमें मेल बैठे। अिसलिअे मैं किसी अुद्योग और शिक्षाको अलग नहीं मानूंगा, बल्कि अुद्योगको शिक्षाका जरिया मानूंगा, और अिसिलिअे ऐसी योजनामें नयी तालीमको शामिल करूंगा।

हरिजनसेवक, १०-११-४६

मेरी कल्पनाकी ग्राम-अिकाअी मजबूतसे मजबूत होगी। मेरी कल्पनाके गांवमें १००० आदमी रहेंगे। जैसे गांवको अगर स्वावलम्बनके आधार पर अच्छी तरह संगठित किया जाय, तो वह बहुत कुछ कर सकता है।

हरिजन, ४-८-४६

आदर्श भारतीय ग्राम अिस तरह बनाया जायगा कि अुसमें आसानीसे स्वच्छताकी पूरी-पूरी व्यवस्था रहे। अुसकी झोपड़ियोंमें पर्याप्त प्रकाश और हवाका प्रवन्ध होगा और अुनके निर्माणमें जिस सामानका अुपयोग होगा

वह ऐसा होगा, जो गांवके आसपास पांच मीलकी त्रिज्याके अन्दर आनेवाले प्रदेशमें मिल सके। जिन झोपड़ियोंमें आंगन या खुली जगह होगी, जहां बस घरके लोग अपने उपयोगके लिये साग-भाजियां उगा सकें और अपने मवेशियोंको रख सकें। गांवकी गलियां और सड़कें जिस बूलको हटाया जा सकता है बससे मुक्त होंगी। बस गांवमें बसकी आवश्यकताके अनुसार कुएँ होंगे और वे सबके लिये खुले होंगे। बसमें सब लोगोंके लिये पूजाके स्थान होंगे, सबके लिये एक सभा-भवन होगा, मवेशियोंके चरनेके लिये गांवका चरागाह होगा, सहकारी डेरी होगी, प्राथमिक और माध्यमिक शालायें होंगी जिनमें मुख्यतः औद्योगिक शिक्षा दी जायगी और झगड़ोंके निपटारेके लिये ग्राम-पंचायत होगी। वह अपना अनाज, साग-भाजियां और फल तथा खादी खुद पैदा कर लेगा।

महात्मा, खंड ४, पृ० १४४

२५

पंचायत राज

आजादी नीचेसे शुरू होनी चाहिये। हरएक गांवमें जमहूरी सल्तनत या पंचायतका राज होगा। उसके पास पूरी सत्ता और ताकत होगी। जिसका मतलब यह है कि हरएक गांवको अपने पांव पर खड़ा होना होगा—अपनी जरूरतें खुद पूरी कर लेनी होंगी, ताकि वह अपना सारा कारोबार खुद चला सके। यहां तक कि वह सारी दुनियाके खिलाफ अपनी रक्षा खुद कर सके। उसे तालीम देकर जिस हद तक तैयार करना होगा कि वह बाहरी हमलेके मुकाबलेमें अपनी रक्षा करते हुये मर-मिटनेके लायक बन जाय। जिस तरह आखिर हमारी बुनियाद व्यक्ति पर होगी। जिसका यह मतलब नहीं कि पड़ोसियों पर या दुनिया पर भरोसा न रखा जाय; या अनुकी राजी-खुशीसे दी हुयी मदद न ली जाय। कल्पना यह है कि सब लोग आजाद होंगे और सब एक-दूसरे पर अपना असर डाल सकेंगे। जिस समाजका हरएक आदमी यह जानता है कि उसे क्या चाहिये और

जिससे भी बढ़कर जिसमें यह माना जाता है कि बराबरीकी मेहनत करके भी दूसरोंको जो चीज नहीं मिलती है वह खुद भी किसीको नहीं लेनी चाहिये, वह समाज जरूर ही बहुत अंचे दरजेकी सम्यतावाला होना चाहिये।

अैसे समाजकी रचना सत्य और अहिंसा पर ही हो सकती है। मेरी राय है कि जब तक अीश्वर पर जीता-जागता विश्वास न हो, तब तक सत्य और अहिंसा पर चलना असंभव है। अीश्वर या खुदा वह जिन्दा ताकत है, जिसमें दुनियाकी तमाम ताकतें समा जाती हैं। वह किसीका सहारा नहीं लेती और दुनियाकी दूसरी सब ताकतोंके खतम हो जाने पर भी कायम रहती है। जिस जीती-जागती रोशनी पर, जिसने अपने दामनमें सब कुछ लपेट रखा है, मैं विश्वास न रखूँ, तो मैं समझ न सकूंगा कि मैं आज किस तरह जिन्दा हूँ।

अैसा समाज अनगिनत गांवोंका बना होगा। अुसका फैलाव अेकके अूपर अेकके ढंग पर नहीं, बल्कि लहरोंकी तरह अेकके बाद अेककी शकलमें होगा। जिन्दगी मीनारकी शकलमें नहीं होगी, जहां अूपरकी तंग चोटीको नीचेके षौड़े पाये पर खड़ा होना पड़ता है। वहां तो समुद्रकी लहरोंकी तरह जिन्दगी अेकके बाद अेक घेरेकी शकलमें होगी और व्यक्ति अुसका मध्यविन्दु होगा। यह व्यक्ति हमेशा अपने गांवके खातिर मिटनेको तैयार रहेगा। गांव अपने अिर्दगिर्दके गांवोंके लिअे मिटनेको तैयार होगा। जिस तरह अाखिर सारा समाज अैसे लोगोंका बन जायगा, जो अुद्धत बनकर कभी किसी पर हमला नहीं करते, बल्कि हमेशा नम्र रहते हैं, और अपनेमें समुद्रकी अुस शानको महसूस करते हैं जिसके वे अेक जरूरी अंग हैं।

जिसलिअे सबसे बाहरका घेरा या दायरा अपनी ताकतका अुपयोग भीतरवालोंको कुचलनेमें नहीं करेगा, बल्कि अुन सबको ताकत देगा और अुनसे ताकत पायेगा। मुझे ताना दिया जा सकता है कि यह सब तो खयाली तसवीर है, अिसके बारेमें सोचकर वक्त क्यों विगाड़ा जाय? युक्लिडकी परिभाषावाला विन्दु कोअी मनुष्य खींच नहीं सकता, फिर भी अुसकी कीमत हमेशा रही है और रहेगी। अिसी तरह मेरी

जिस तसवीरकी भी कीमत है। जिसके लिये मनुष्य जिन्दा रह सकता है। अगरचे जिस तसवीरको पूरी तरह बनाना या पाना संभव नहीं है, तो भी जिस सही तसवीरको पाना या जिस तक पहुंचना हिन्दुस्तानकी जिन्दगीका मकसद होना चाहिये। जिस चीजको हम चाहते हैं उसकी सही-सही तसवीर हमारे सामने होनी चाहिये, तभी हम उससे मिलती-जुलती कोसी चीज पानेकी आशा रख सकते हैं। अगर हिन्दुस्तानके हरएक गांवमें कभी पंचायती राज कायम हुआ, तो मैं अपनी जिस तसवीरकी सचायी साबित कर सकूंगा, जिसमें सबसे पहला और सबसे आखिरी दोनों बराबर होंगे या यों कहिये कि न कोसी पहला होगा, न आखिरी।

जिस तसवीरमें हरएक धर्मकी अपनी पूरी और बराबरीकी जगह होगी। हम सब एक ही आलीशान पेड़के पत्ते हैं। जिस पेड़की जड़ हिलायी नहीं जा सकती, क्योंकि वह पाताल तक पहुंची हुई है। ज्वरदस्तसे ज्वरदस्त आंघी भी उसे हिला नहीं सकती।

जिस तसवीरमें उन मशीनोंके लिये कोसी जगह नहीं होगी, जो मनुष्यकी मेहनतकी जगह लेकर कुछ लोगोंके हाथोंमें सारी ताकत अिकट्ठी कर देती हैं। सम्य लोगोंकी दुनियामें मेहनतकी अपनी अनोखी जगह है। उसमें ऐसी मशीनोंकी गुंजाबिश्त होगी, जो हर आदमीको उसके काममें मदद पहुंचायें। लेकिन मुझे कबूल करना चाहिये कि मैंने कभी बैठकर यह सोचा नहीं कि जिस तरहकी मशीन कैसी हो सकती है। सिलायीकी सिंगर मशीनका खयाल मुझे आया था। लेकिन उसका जिक्र भी मैंने यों ही कर दिया था। अपनी जिस तसवीरको पूर्ण बनानेके लिये मुझे उसकी जरूरत नहीं।

हरिजनसेवक, २८-७-'४६

जब पंचायत राज स्थापित हो जायेगा तब लोकमत जैसे भी अनेक काम कर दिखायेगा जो हिंसा कभी नहीं कर सकती। जमींदारों, पूंजीपतियों और राजाओंकी मौजूदा सत्ता तभी तक चल सकती है जब तक कि सामान्य जनताको अपनी शक्तका भान नहीं होता। अगर लोग

जमींदारी और पूंजीवादकी बुराईसे सहयोग करना बंद कर दें, तो वह पोषणके अभावमें खुद ही मर जायगी। पंचायत राजमें केवल पंचायतकी आज्ञा मानी जायगी और पंचायत अपने बनाये हुअे कानूनके द्वारा ही अपना कार्य करेगी।

हरिजन, १-७-'४७

२६

ग्रामोद्योग

ग्रामोद्योगोंका यदि लोप हो गया, तो भारतके ७ लाख गांवोंका सर्वनाश ही समझिये।

ग्रामोद्योग-संबंधी मेरी प्रस्तावित योजना पर अधर दैनिक पत्रोंमें जो टीकायें हुअी हैं अन्हें मैंने पढा है। कभी पत्रोंने तो मुझे यह सलाह दी है कि मनुष्यकी अन्वेषण-बुद्धिने प्रकृतिकी जिन शक्तियोंको अपने वशमें कर लिया है, उनका अुपयोग करनेसे ही गांवोंकी मुक्ति होगी। अुन आलोचकोंका यह कहना है कि प्रगतिशील पश्चिममें जिस तरह पानी, हवा, तेल और विजलीका पूरा-पूरा अुपयोग हो रहा है, अुसी तरह हमें भी अिन चीजोंको काममें लाना चाहिये। वे कहते हैं कि अिन गुप्त प्राकृतिक शक्तियों पर कब्जा कर लेनेसे प्रत्येक अमेरिका-वासी ३३ गुलामोंको रख सकता है, अर्थात् ३३ गुलामोंका काम वह अिन शक्तियोंके द्वारा ले सकता है।

अिस रास्ते अगर हम हिन्दुस्तानमें चले, तो मैं यह वेवड़क कह सकता हूं कि प्रत्येक मनुष्यको ३३ गुलाम मिलनेके वजाय अिस मुल्कके अेक-अेक मनुष्यकी गुलामी ३३ गुनी बढ़ जायगी।

यंत्रोंसे काम लेना अुसी अवस्थामें अच्छा होता है, जब कि किसी निर्धारित कामको पूरा करनेके लिये आदमी बहुत ही कम हों या नपे-तुले हों। पर यह बात हिन्दुस्तानमें तो है नहीं। यहां कामके लिये जितने आदमी चाहिये, अुनसे कहीं अधिक वेकार पड़े हुअे हैं। अिसलिये अुद्योगोंके यंत्रीकरणसे यहांकी वेकारी घटेगी या बढ़ेगी? कुंठ

वर्गगज जमीन खोदनेके लिये मैं हलका अुपयोग नहीं कहूंगा। हमारे यहां सवाल यह नहीं है कि हमारे गांवोंमें जो लास्रों-करोड़ों आदमी पड़े हैं अुन्हें परिश्रमकी चक्कीसे निकाल कर किस तरह छुट्टी दिलायी जाय, बल्कि यह है कि अुन्हें सालमें जो कुछ महीनोंका समय यों ही बैठे-बैठे आलसमें विताना पड़ता है अुसका अुपयोग कैसे किया जाय। कुछ लोगोंको मेरी यह बात शायद विचित्र लगेगी, पर दरअनल बात यह है कि प्रत्येक मिल सामान्यतः आज गांवोंकी जनताके लिये त्रामरूप हो रही है। अुनकी रोजी पर ये मायाविनी मिलें छापा मार रही हैं। मैंने वारीकीसे आंकड़े अेकत्र नहीं किये, पर अितना तो कह ही सकता हूं कि गांवोंमें बैठकर कमसे कम दस मजदूर जितना काम करते हैं अुतना ही काम मिलका अेक मजदूर करता है। अिसे यों भी कह सकते हैं कि दस आदमियोंकी रोजी छीनकर यह अेक आदमी गांवमें जितना कमाता था अुससे कहीं अधिक कमा रहा है। अिस तरह कतायी और वुनायीकी मिलोंने गांवोंके लोगोंकी जीविकाका अेक बड़ा भारी साधन छीन लिया है।

अुपरकी दलीलका यह कोयी जवाब नहीं है कि ये मिलें जो कपड़ा तैयार करती हैं वह अधिक अच्छा और काफी सस्ता होता है। कारण यह है कि अिन मिलोंने अगर हजारों मजदूरोंका धंधा छीनकर अुन्हें बेकार बना दिया है, तो सस्तेसे सस्ता मिलका कपड़ा गांवोंकी बनी हुयी महंगीसे महंगी खादीसे भी ज्यादा महंगा है। कोयलेकी खानमें काम करनेवाले मजदूर जहां रहते हैं वहीं वे कायलेका अुपयोग कर सकते हैं, अिसलिये अुन्हें कोयला महंगा नहीं पड़ता। अिसी तरह जो ग्रामवासी अपनी जरूरत भरके लिये खुद खादी बना लेता है, अुसे वह महंगी नहीं पड़ती। पर मिलोंका बना कपड़ा अगर गांवोंके लोगोंको बेकार बना रहा है, तो चावल कूटने और आटा पीसनेकी मिलें हजारों स्त्रियोंकी न केवल रोजी ही छीन रही हैं, बल्कि बदनमें तमाम जनताके स्वास्थ्यको हानि भी पहुंचा रही हैं। जहां लोगोंको मांस खानेमें कोयी आपत्ति न हो और जहां मांसाहार पुसाता हो, वहां मैदा और पॉलिशदार चावलसे शायद हानि न होती हो। लेकिन हमारे देशमें,

जहां करोड़ों आदमी जैसे हैं जो मांस मिले तो खानेमें आपत्ति नहीं करेंगे, पर जिन्हें मांस मिलता ही नहीं, अन्हें हाथकी चक्कीके पिसे हुअे गेहूँके आटे और हाथ-कुटे चावलके पीण्डिक तथा जीवनप्रद तत्त्वोंसे वंचित रखना अेक प्रकारका पाप है। असलिये डॉक्टरों तथा दूसरे आहार-विशेषज्ञोंको चाहिये कि मैदे और मिलके कुटे पॉलिशदार चावलसे लोगोंके स्वास्थ्यको जो हानि हो रही है उससे वे जनताको आगाह कर दें।

मैंने सहज ही नजरमें आनेवाली जो कुछ मोटी-मोटी बातोंकी तरफ यहां ध्यान खींचा है, उसका अुद्देश्य यही है कि अगर ग्रामवासियोंको कुछ काम देना है तो वह यंत्रोंके द्वारा संभव नहीं। अुनके अुद्धारका सच्चा मार्ग तो यही है कि जिन अुद्योग-धंधोंको वे अब तक किसी कदर करते चले आ रहे हैं, अुन्हींको भलीभांति जीवित किया जाय।

हरिजनसेवक, २३-११-'३४

ग्रामोद्योगोंकी योजनाके पीछे मेरी कल्पना तो यह है कि हमें अपनी रोजमर्राकी आवश्यकतायें गांवोंकी बनी चीजोंसे ही पूरी करनी चाहिये; और जहां यह मालूम हो कि अमुक चीजें गांवोंमें मिलती ही नहीं, वहां हमें यह देखना चाहिये कि अुन चीजोंको थोड़े परिश्रम और संगठनसे बना कर गांववाले अुनसे कुछ मुनाफा अुठा सकते हैं या नहीं। मुनाफेका अंदाज लगानेमें हमें अपना नहीं, किन्तु गांववालोंका खयाल रखना चाहिये। संभव है कि शुरूमें हमें साधारण भावसे कुछ अधिक देना पड़े और चीज हलकी मिले। पर अगर हम अुन चीजोंके बनानेवालोंके काममें रस लें और यह आग्रह रखें कि वे बढ़ियासे बढ़िया चीजें तैयार करें, और सिर्फ आग्रह ही नहीं रखें बल्कि अुन लोगोंको पूरी मदद भी दें, तो यह हो नहीं सकता कि गांवोंकी बनी चीजोंमें दिन-दिन तरक्की न होती जाय।

हरिजनसेवक, ३०-११-'३४

मैं कहूंगा कि अगर गांवोंका नाश होता है तो भारतका भी नाश हो जायगा। अुस हालतमें भारत भारत नहीं रहेगा। दुनियाको अुसे जो संदेश देना है अुस संदेशको वह खो देगा।

गांवोंमें फिरसे जान तभी आ सकती है, जब वहांकी लूट-वसोट रुक जाय। बड़े पैमाने पर मालकी पैदावार जरूर ही व्यापारिक प्रतिस्पर्धा तथा माल निकालनेकी धुनके साथ-साथ गांवोंकी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपसे होनेवाली लूटके लिये जिम्मेवार है। जिसलिये हमें जिस वातकी सबसे ज्यादा कोशिश करनी चाहिये कि गांव हर वातमें स्वावलंबी और स्वयंपूर्ण हो जायं। वे अपनी जरूरतें पूरी करने भरके लिये चीजें तैयार करें। ग्रामोद्योगके जिस अंगकी अगर अच्छी तरह रक्षा की जाय, तो फिर भले ही देहाती लोग आजकलके अनु यंत्रों और औजारोंसे भी काम ले सकते हैं, जिन्हें वे बना और खरीद सकते हैं। शर्त सिर्फ यही है कि दूसरोंको लूटनेके लिये अनुका उपयोग नहीं होना चाहिये।

हरिजनसेवक, २९-८-'३६

सच तो यह है कि हमें गांवोंवाला भारत और शहरोंवाला भारत, अिन दोमें से अेकको चुन लेना है। गांव अुतने ही पुराने हैं, जितना कि यह भारत पुराना है। शहरोंको विदेशी आधिपत्यने बनाया है। जब यह आधिपत्य मिट जायगा, तब शहरोंको गांवोंके मातहत होकर रहना पड़ेगा। आज तो शहरोंका बोलवाला है और वे गांवोंकी सारी दीलत खींच लेते हैं। अिससे गांवोंका ह्रास और नाश हो रहा है। गांवोंका शोषण खुद अेक संगठित हिंसा है। अगर हमें स्वराज्यकी रचना अहिंसाके पाये पर करनी है, तो गांवोंको अनुका अुचित स्थान देना होगा।

हरिजनसेवक, २०-१-'४०

खादी

मेरे विचारमें खादी हिन्दुस्तानकी समस्त जनताकी अेकताकी, अुसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानताकी प्रतीक है, और अिसलिये जवाहरलालके काव्यमय शब्दोंमें कहूं तो वह 'हिन्दुस्तानकी आजादीकी पोशाक' है।

अिसके सिवा, खादीवृत्तिका अर्थ है, जीवनके लिये जरूरी चीजोंकी अुत्पत्ति और अनुके बंटवारेका विकेन्द्रीकरण। अिसलिये अब तक जो सिद्धांत बना है, वह यह है कि हरअेक गांवको अपनी जरूरतकी सब

चीजें खुद पैदा कर लेनी चाहिये, और शहरोंकी जरूरतें पूरी करनेके लिये कुछ अधिक उत्पात्ति करनी चाहिये।

अलवत्ता, बड़े-बड़े बुद्योग-धन्वोंको तो अेक जगह केन्द्रित करके राष्ट्रके अधीन रखना होगा। लेकिन समूचा देश मिलकर गांवोंमें जिन बड़े-बड़े आर्थिक बुद्योगोंको चलायेगा, उनके सामने ये कोअी चीज न रहेंगे।

खादीके उत्पादनमें ये काम शामिल हैं—कपास बोना, कपास चुनना, उसे झाड़-झटक कर साफ करना और ओटना, रुअी पींजना, पूनी बनाना, सूत कातना, सूतको मांड लगाना, सूत रंगना, उसका तांना भरना और वाना तैयार करना, सूत बुनना और कपड़ा धोना। अिनमें से रंगसाजीको छोड़कर बाकीके सारे काम खादीके सिलसिलेमें जरूरी और महत्त्वके हैं, और अुन्हें किये विना काम नहीं चल सकता। अिनमें से हरअेक काम गांवोंमें अच्छी तरह हो सकता है; और सच तो यह है कि अखिल भारत चरखा-संघ समूचे हिन्दुस्तानके जिन कअी गांवोंमें काम कर रहा है, वहां ये सारे काम आज हो रहे हैं।

जबसे गांवोंमें चलनेवाले अनेक बुद्योगोंमें से अिस मुख्य बुद्योगका और अिसके आसपास जड़ी हुअी कअी दस्तकारियोंका विना सोचे-समझे, मनमाने तरीकेसे और बेरहमीके साथ नाश किया गया है, तबसे हमारे गांवोंकी बुद्धि और तेज नष्ट हो गया है। वे सब निस्तेज और निष्प्राण बन गये हैं, और अुनकी हालत अुनके अपने भूखों मरनेवाले मरियल ढोरोंकी-सी हो गअी है।

रचनात्मक कार्यक्रम, पृ० २०, २१, २२

दूसरे ग्रामोद्योग

खादीके मुकाबले देहातमें चलनेवाले और देहातके लिये जरूरी दूसरे धन्वोंकी बात अलग है। अुन सब धन्वोंमें अपनी राजी-खुशीसे मजदूरी करनेकी बात बहुत अुपयोगी होने जैसी नहीं है। फिर, अुनमें से हरअेक धन्वा या बुद्योग अैसा है, जिसमें अेक खास तादादमें ही लोगोंको मजदूरी मिल सकती है। अिसलिये ये बुद्योग खादीके मुख्य

काममें सहायक हो सकते हैं। खादीके अभावमें अन्नकी कोथी हस्ती नहीं, और अन्नके बिना खादीका गौरव या शोभा नहीं है। हाथसे पीसना, हाथसे कूटना और कछोरना, सावुन बनाना, कागज बनाना, चमड़ा कमाना, तेल पेरना और अिस तरहके सामाजिक जीवनके लिये जरूरी और महत्त्वके दूसरे धन्वोंके बिना गांवोंकी आर्थिक रचना संपूर्ण नहीं हो सकती, यानी गांव स्वयंपूर्ण घटक नहीं बन सकते। कांग्रेसी आदमी अिन सब धन्वोंमें दिलचस्पी लेगा, और अगर वह गांवका वाशिन्दा होगा या गांवमें जाकर रहता होगा, तो अिन धन्वोंमें नयी जान फूँकेगा और अिन्हें नये रास्ते ले जायेगा। हरअेक आदमीको, हर हिन्दुस्तानीको, अिसे अपना धर्म समझना चाहिये कि जब-जब और जहां-जहां मिले, वहां वह हमेशा गांवोंकी बनी चीजें ही बरते। अगर अैसी चीजोंकी मांग पैदा हो जाय, तो अिसमें जरा भी शक नहीं कि हमारी ज्यादातर जरूरतें गांवोंसे पूरी हो सकती हैं। जब हम गांवोंके लिये सहानुभूतिसे सोचने लगेंगे और गांवोंकी बनी चीजें हमें पसंद आने लगेंगी, तो पश्चिमकी नकलके रूपमें यंत्रोंकी बनी चीजें हमें नहीं जंचेंगी, और हम अैसी राष्ट्रीय अभिरुचिका विकास करेंगे, जो गरीबी, भुखमरी और आलस्य या बेकारीसे मुक्त नये हिन्दुस्तानके आदर्शके साथ मेल खाती होगी।

रचनात्मक कार्यक्रम, पृ० २६-२७

मिश्र खाद

भारतकी जनता अिस प्रयत्नमें खुशीसे सहयोग करे तो यह देश न सिर्फ अनाजकी कमीको पूरा कर सकता है, बल्कि हमें जितना चाहिये अुससे कहीं ज्यादा अनाज पैदा कर सकता है। यह जीवित खाद (आर्गेनिक मैन्युर) जमीनके अपुजाअूपनको हमेशा बढ़ाता ही है, कभी कम नहीं करता। हर दिन जो कूड़ा-कचरा अिकट्टा होता है अुसे ठीक विधिके अनुसार गड्ढोंमें अिकट्टा किया जाय तो अुसका मुनहला खाद बन जाता है; और तब अुसे खेतकी जमीनमें मिला दिया जाय तो अुससे अनाजकी अपुज कभी गुनी बढ़ जाती है और फलतः हमें करोड़ों रुपयोंकी बचत होती है। अिसके सिवा कूड़े-कचरेका अिस तरह खाद बनानेके लिये

अुपयोग कर लिया जाय तो आसपासकी जगह साफ रहती है। और स्वच्छता अेक सद्गुण होनेके साथ-साथ स्वास्थ्यकी पोषक भी है।

हरिजन, २८-१२-'४७

गांवोंमें चमड़ेका धंधा

हमारे गांवोंका चमड़ेका धंधा अुतना ही प्राचीन है जितना कि स्वयं भारतवर्ष। यह कोअी नहीं बतला सकता कि चमड़ा कमानेका यह धंधा कब अनादरकी चीज समझा जाने लगा। प्राचीन कालमें तो यह बात हुआी नहीं होगी। लेकिन हम जानते हैं कि आज हमारे यहांके अिस अेक अत्यन्त जरूरी और अुपयोगी अुद्योगने संभवतः दस लाख आदमियोंको पुश्तैनी अछूत बना दिया है। वह कुदिन ही होगा जिस दिनसे अिस अभागे देशमें परिश्रमको लोग घृणाकी दृष्टिसे देखने लगे होंगे और अिस प्रकार अुसकी अुपेक्षा करने लगे होंगे। लाखों-करोड़ों मनुष्य, जो दुनियाके हीर थे और जिनके अुद्योग पर यह देश जी रहा था, नीच समझे जाने लगे और अूपरसे बड़े दीखनेवाले थोड़ेसे अहदी आदमियोंका वर्ग प्रतिष्ठित समझा जाने लगा! अिसका दुःखद परिणाम यह हुआ कि भारतको नैतिक और आर्थिक दोनों ही प्रकारकी भारी क्षति पहुंची। यह हिसाब लगाना असंभव नहीं तो कठिन जरूर है कि अिन दोनोंमें से कौनसी हानि बड़ी थी। किन्तु किसानों और कारीगरोंके प्रति बताओ गयी अिस अपराधपूर्ण लापरवाहीने हमें दरिद्र, मूढ़ और काहिल बना कर ही छोड़ा। भारतके पास कौनसे साधन नहीं हैं? अुसका सुन्दर जल-वायु, अुसके गगनचुम्बी पर्वत, अुसकी विशाल नदियां और अुसका विस्तृत समुद्र — ये सब अैसे असीम साधन हैं कि अगर अिन सबका पूरा-पूरा अुपयोग किया जाय, तो अिस स्वर्णदेशमें दारिद्र्य और रोग आयें ही क्यों? पर जबसे हमने शारीरिक श्रमसे बुद्धिका सम्बन्ध छुड़ाया, तबसे हमारी कौमका सब तरहसे पतन हो गया; दुनियामें आज हम सबसे अल्पजीवी, निपट साधनहीन और अत्यन्त पराजित प्रजा माने जाते हैं। चमड़ेके देशी धंधेकी आज जो हालत है, वह शायद मेरे अिस कथनका सबसे अच्छा सबूत है।

हिसाब लगाकर देखा गया है कि नौ करोड़ रुपयेका कच्चा चमड़ा हर साल हिन्दुस्तानसे बाहर जाता है और वह सबका सब बर्नी-बर्नाई चीजोंके रूपमें फिर यहां वापस आ जाता है। यह देशका सिर्फ आर्थिक ही नहीं बौद्धिक शोषण भी है। चमड़ा कमाने और अपने नित्यके उपयोगमें आनेवाली बुरसकी अनगिनत चीजें बनानेकी शिक्षा हमें आज कहां मिल रही है?

यहां शत-प्रतिशत स्वदेशी-प्रेमीके लिये काफी काम पड़ा हुआ है। साथ ही एक बहुत बड़े सवालके हल करनेमें जिस वैज्ञानिक जानकी आवश्यकता है उसे काममें लानेका क्षेत्र भी मौजूद है। जिस एक कामसे तीन अर्थ सधते हैं। एक तो जिससे हरिजनोंकी सेवा होती है; दूसरे ग्रामवासियोंकी सेवा होती है; और तीसरे मध्यमवर्गके जो बुद्धिशाली लोग रोजगार-धन्धेकी खोजमें बेकार फिरते हैं, उन्हें जीविकाका एक प्रतिष्ठित साधन मिल जाता है। और यह लाभ तो जुदा ही है कि गांवकी जनताके सीधे संसर्गमें आनेका भी उन्हें सुन्दर अवसर मिलता है।

हरिजनसेवक, १४-९-'३४

आरंभ कैसे करें?

बहुतसे सज्जन तो पत्र लिख-लिखकर और अनेक मित्र खुद मुझसे मिलकर यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि किस प्रकार तो हम ग्रामोद्योग-कार्यका आरंभ करें और सबसे पहले किस चीजको हाथमें लें।

जिसका स्पष्ट उत्तर तो यही है कि "जिस कार्यका श्रीगणेश आप खुद ही करें, और सबसे पहले उसी कामको हाथमें लें, जो आपको आसानसे आसान जान पड़े।"

पर जिस सूत्रात्मक उत्तरसे पूछताछ करनेवालोंको संतोष थोड़े ही होता है। जिसलिये जिसे मैं जरा और स्पष्ट कर दूं।

हममें से हरएक आदमी खाने-पीने, पहनने-ओढ़ने और अपने नित्यके उपयोगकी चीजोंको जांच-परख सकता है, और विलायती अथवा शहरकी बनी चीजोंकी जगह ग्रामवासियोंकी बनायी हुयी अथवा चीजोंको काममें ला सकता है, जिन्हें कि वे अपनी मढ़ियामें या खेत-बलिहानमें चार-छह

पैसेके मामूली औजारोंसे सहज ही तैयार कर सकते हैं। अिन औजारोंको वे लोग आसानीसे चला सकते हैं और विगड़ जायें तो अुन्हें सुधार भी सकते हैं। विदेशी या शहरकी बनी चीजोंकी जगह गांवोंकी बनी चीजोंको आप काममें लाने लगें, तो ग्रामोद्योग-कार्यका यह बड़ा अच्छा आरंभ होगा, और आपके लिअे यह खुद ही अेक बड़े महत्त्वकी चीज होगी। अिसके बाद फिर क्या करना होगा, यह तो आप ही मालूम हो जायगा। मान लीजिये कि आजतक कोअी आदमी वंबअीके किसी कल-कारखानेके बने टुथब्रशसे दांत साफ करता आ रहा है। अब अुसकी जगह वह गांवका बना टुथब्रश चाहता है। तो अुसे बबूल या नीमकी दातौनसे दांत साफ करनेकी सलाह दें। अगर अुसके दांत कमजोर हैं या दांत हैं ही नहीं, तो वह दातौनका अेक सिरा तो लोड़ी या हथौड़ीसे कुचल ले और दूसरे सिरेको चीरकर अुसकी फांकोंसे जीभीका काम ले। दातौनका यह ब्रश सस्ता भी काफी पड़ेगा और कारखानोंके बने हुअे अस्वच्छ ब्रशोंसे स्वच्छ भी अधिक होगा। शहरोंके बने दंतमंजनोंको वह छुअेगा ही नहीं। वह तो लकड़ीके कोयलेको खूब महीन पीसकर और अुसमें थोड़ा-सा साफ नमक मिलाकर अपने घरमें ही बढ़िया मंजन तैयार कर लेगा। मिलके बने कपड़ेके बजाय वह गांवकी बुनी खादी पहनेगा, मिलके दले चावलकी जगह हाथके दले विना पॉलिश किये चावलका और सफेद शक्करके स्थान पर गांवके बने गुड़का अुपयोग करेगा। अिन चीजोंको मैंने यहां बतौर नमूनेके ही दिया है और अिनकी चर्चा यद्यपि मैं 'हरिजनसेवक' में पहले कर चुका हूं, तो भी अिस विषय पर मेरे साथ जिन लोगोंकी लिखा-पढ़ी या बातचीत चल रही है, अुनकी बताअी हुअी कठिनाअियोंको दृष्टिमें रखकर मैंने पुनः खादी, चावल और गुड़का यहां अुल्लेख किया है।

हरिजनसेवक, २५-१-३५

सरकार क्या कर सकती है ?

यह पूछना जायज है कि कांग्रेसी मंत्री, जो अब ओहदों पर आ गये हैं, खद्दर और दूसरे देहाती धंधोंके लिये क्या करेंगे ? मैं तो जिस सवालको और भी फैलाना चाहता हूं, ताकि यह हिन्दुस्तानके तमाम सूबोंकी सरकारों पर लागू हो । गरीबी तो हिन्दुस्तानके तमाम सूबोंमें फैली हुयी है । जिसी तरह आम जनताके बुद्धारके जरिये भी वहां हैं । अखिल भारतीय चरखा-संघ और अखिल भारतीय ग्रामोद्योग-संघका अंसा ही अनुभव है । अेक यह तजवीज भी आयी है कि जिस कामके लिये अेक अलग मंत्री होना चाहिये । क्योंकि जिसके ठीक संगठनमें अेक मंत्रीका पूरा समय लग जायगा । मैं तो जिस तजवीजसे डरता हूं, क्योंकि अभी तक हम अपने खर्चके नापमें से अंग्रेजी पैमानेको छोड़ नहीं सके हैं । चाहे अलग मंत्री रखा जाय या न रखा जाय, जिस कामके लिये अेक महकमा तो वेशक जरूरी है । आजकल खाने और पहननेके संकटके जमानेमें यह महकमा बड़ी मदद कर सकता है । अखिल भारतीय चरखा-संघ और अखिल भारतीय ग्रामोद्योग-संघके विशेषज्ञ मंत्रियोंसे मिल सकते हैं । आज यह संभव है कि थोड़े समयमें थोड़ीसे थोड़ी रकम लगाकर सारे हिन्दुस्तानको खादी पहना दी जाय । हर प्रान्तकी सरकारको गांववालोंसे कहना होगा कि उनको अपने सुपयोगके लिये अपनी खादी आप तैयार कर लेनी चाहिये । जिस तरह अपने-आप स्थानीय बुत्पादन और बंटवारा हो जायगा । और वेशक शहरोंके लिये कमसे कम कुछ जरूर बच रहेगा, जिससे स्थानीय मिलों पर दबाव कम हो जायगा । तब ये मिलें दुनियाके दूसरे हिस्सोंमें कपड़ेकी जरूरत पूरी करनेमें हिस्सा लेने योग्य हो जायगी ।

यह नतीजा कैसे पैदा किया जा सकता है ?

सरकारोंको चाहिये कि गांववालोंको यह सूचना कर दे कि उनमें यह आशा रखी जायगी कि वे अपने गांवकी जरूरतोंके लिये अेक निश्चित

तारीखके अन्दर खादी तैयार करें। जिसके बाद अुनको कोअी कपड़ा नहीं दिया जायगा। सरकार अपनी तरफसे गांववालोंको विनीले या रूअी (जिसकी भी जरूरत हो) दामके दाम देगी और अुत्पादनके अीजार भी अैसे दामों पर देगी जो आसानीसे वसूल होनेवाली किस्तोंमें लगभग पांच साल या अिससे भी ज्यादामें अदा हो सकें। सरकार जहां कहीं जरूरी हो अुन्हें सिखानेवाले भी दे और यह जिम्मा ले कि अगर गांववालोंके पास अुनकी तैयार की हुअी खादीसे अुनकी जरूरतें पूरी हो जायं, तो फालतू खादी सरकार खरीद लेगी। अिस तरह विना हलचलके और बहुत थोड़ अूपरी खर्चके साथ कपड़ेकी कमी दूर हो जायगी।

गांवोंकी जांच-पड़ताल की जायगी और अैसी चीजोंकी अेक यादी तैयार की जायगी, जो किसी मददके विना या बहुत थोड़ी मददसे स्थानीय स्तर पर तैयार हो सकती हैं और जिनकी जरूरत गांवमें वरतनेके लिये या बाहर बेचनेके लिये हो। जैसे, धानीका तेल, धानीकी खली, धानीसे निकला हुआ जलानेका तेल, हाथका कुटा हुआ चावल, ताड़ीका गुड़, शहद, खिलौने, मिठाअियां, चटाअियां, हाथसे बना हुआ कागज, गांवका सावुन वगैरा चीजें। अगर अिस तरह काफी ध्यान दिया जाय तो अुन गांवोंमें, जिनमें से ज्यादातर अुजड़ चुके हैं या अुजड़ रहे हैं, जीवनकी चहल-पहल पैदा हो जाय और अुनमें अपनी और हिन्दुस्तानके शहरों और कस्बोंकी बहुत ज्यादा जरूरतें पूरी करनेकी जो ज्यादासे ज्यादा शक्ति है वह दिखाअी पड़ने लगे।

फिर हिन्दुस्तानमें अनगिनत पशुवन हैं, जिसकी तरफ हमने ध्यान न देकर गुनाह किया है। गोसेवा-संघको अभी ठीक अनुभव नहीं है, फिर भी वह कीमती मदद दे सकता है।

वुनियादी तालीमके विना गांववाले विद्यासे वंचित रहते हैं। यह जरूरी बात हिन्दुस्तानी तालीमी संघ पूरी कर सकता है।

ग्राम-प्रदर्शनियां

अगर हम यह चाहते हैं और मानते हैं कि गांवोंको न केवल जीवित रहना चाहिये, बल्कि अन्हें बलवान तथा समृद्ध बनना चाहिये, तो हमारे दृष्टिकोणमें गांवकी ही प्रधानता होनी चाहिये। और यदि यह सही हो तो फिर हमारी प्रदर्शनियोंमें शहरोंकी तड़क-भड़कके लिये कोअी जगह नहीं हो सकती। शहरी खेलों या मनोरंजनोंकी भी कोअी जरूरत नहीं। हम अपनी प्रदर्शनीको 'तमाशे' का रूप नहीं दे सकते, और न अुसे आयका साधन ही बना सकते हैं। अुसे व्यापारियोंके लिये अुनके मालका विज्ञापन करनेवाला साधन भी नहीं बनने देना चाहिये। वहां किसी तरहकी विक्री नहीं होनी चाहिये। खादी और ग्रामोद्योगोंकी बनी चीजें भी वहां नहीं विकनी चाहिये। प्रदर्शनीको शिक्षाका माध्यम होना चाहिये, अुसे आकर्षक होना चाहिये और असा होना चाहिये जिसे देखकर गांववालोंको कोअी ग्रामोद्योग सीखने और चलानेकी प्रेरणा मिले। अुसे मौजूदा ग्राम-जीवनकी त्रुटियां और कमियां दिखानी चाहिये और अन्हें सुधारनेके अुपाय बताने चाहिये। अुसे यह भी बताना चाहिये कि जब ग्राम-सुधारके अिस आन्दोलनका आरम्भ हुआ तबसे आज तक अिन दिशामें क्या क्या किया जा चुका है। अुसे यह भी सिखाना चाहिये कि ग्राम-जीवनको सुन्दर और कलामय कैसे बनाया जा सकता है।

अब हम देखें कि यदि ये सब शर्तें पूरी की जायें तो प्रदर्शनीका रूप क्या होगा :

१. गांवोंके दो तरहके नमूने दिखाने जायें — अेक तो जैसे वे आज हैं अुसका और दूसरा सुधरा हुआ, जैसा कि हम अुसे बनाना चाहते हैं। सुधरा हुआ गांव अेकदम साफ-सुधरा होगा। अुसके घर, गलियां और सड़कें, आसपासकी जमीन और खेत, सब स्वच्छ होंगे। मवेशियोंकी द्वागत भी आजसे बेहतर होगी। कितानों, नकशों और तमबीरोंके द्वारा यह दिखाना चाहिये कि किन अुद्योगोंसे ज्यादा आय ही सकती है और कैसे।

२. अुसे यह जरूर बताना चाहिये कि विविध ग्रामोद्योग कैसे चलाये जायें, अुनके जरूरी औजार कहाँसे मिल सकते हैं, और अुन्हें कैसे बनाया जा सकता है। हरअेक अुद्योगकी कार्य-प्रणाली प्रत्यक्ष करके दिखायी जानी चाहिये। अिनके सिवा नीचे लिखी बातें भी रहनी चाहिये :

- (क) आदर्श ग्राम-आहार
- (ख) ग्रामोद्योगों और यंत्र-अुद्योगोंकी तुलना
- (ग) पशु-पालनकी आदर्श शिक्षा
- (घ) कला-विभाग
- (ङ) ग्रामीण पाखानेका आदर्श नमूना
- (च) खेतोंसे मिलनेवाले, यानी कूड़ा-कचरा और गोबरके योगसे बननेवाले, खाद और रासायनिक खादकी तुलना
- (छ) मवेशियोंके चमड़े और अुनकी हड्डियों आदिका अुपयोग
- (ज) ग्रामीण संगीत, ग्रामीण वाद्य और ग्रामीण नाटक
- (झ) ग्रामीण खेल, अखाड़े और शारीरिक व्यायामके प्रकार
- (ञ) नयी तालीम
- (ट) ग्रामीण दवाअियां
- (ठ) ग्रामीण प्रसूति-गृह

लेखके आरम्भमें बताया गयी नीतिको ध्यानमें रखकर अिस सूचीमें और वृद्धि की जा सकती है। मैंने जो कुछ बताया है वह केवल मार्ग-दर्शनके लिये है। अुसमें सब आ गया है, अैसी बात नहीं है। मैंने चरखेकी और दूसरे ग्रामोद्योगोंकी चर्चा नहीं की है, क्यौंकि अुनकी आवश्यकता तो अब अेक जानी-मानी चीज हो गयी है। अुनके बिना प्रदर्शनी अेकदम व्यर्थ होगी।

ग्राम अुद्योग पत्रिका, जुलाअी, १९४६

चरखेका संगीत

मैं जितनी बार चरखे पर सूत निकालना हूँ, उतनी ही बार भारतके गरीबोंका विचार करता हूँ। भूखकी पीड़ासे व्यथित और पेट भरनेके सिवा और कोई विच्छा न रखनेवाले मनुष्यके लिये अंगका पेट ही बीश्वर है। उसे जो रोटी देता है, वही उसका मालिक है। उसके द्वारा वह बीश्वरके भी दर्शन कर सकता है। जैसे लोगोंको, जिनके हाथ-पैर सही-सलामत हैं, दान देना अपना और अंगका दाँतोंका पतन करना है। अन्हें तो किसी न किसी तरहके धंधेकी जरूरत है; और वह धंधा, जो करोड़ोंको काम देगा, केवल हाथ-कताअरीका ही हो सकता है। . . . अिनलिये मैंने कताअरीको प्रायश्चित्त या यज्ञ बताया है। और चूँकि मैं मानता हूँ कि जहाँ गरीबोंके लिये शुद्ध और सक्रिय प्रेम है वहाँ बीश्वर भी है, अिनलिये चरखे पर मैं जो सूत निकालता हूँ, उसके अेक अेक धागेमें मुझे बीश्वर दिखायी देता है।

यंग अिडिया, २०-५-२६

मेरा पक्का विश्वास है कि हाथ-कताअरी और हाथ-चुनाअरीके पुनरुज्जीवनसे भारतके आर्थिक और नैतिक पुनरुद्धारमें सबसे बड़ी मदद मिलेगी। करोड़ों आदमियोंको खेतीकी आयमें वृद्धि करनेके लिये कोई सादा अुद्योग चाहिये। वरसों पहले वह गृह-अुद्योग कताअरीका था; और करोड़ोंको भूखों मरनेसे बचाना हो तो अन्हें अिस योग्य बनाना पड़ेगा कि वे अपने घरोंमें फिरसे कताअरी जारी कर सकें और हर गाँवको अपना ही बुनकर फिरसे मिल जाय।

यंग अिडिया, २१-७-२०

जब मैं सोचता हूँ कि यज्ञार्थ किये जानेवाले शरीर-श्रमका सबसे अच्छा और सबको स्वीकार्य रूप क्या होगा, तो मुझे कताअरीके निवा और कुछ नहीं सूझता। मैं अिससे ज्यादा अुदात्त और ज्यादा राष्ट्रीय किसी दूसरी चीजकी कल्पना नहीं कर सकता कि प्रतिदिन अेक घंटा

हम सब कोभी ऐसा परिश्रम करें जो गरीबोंको करना ही पड़ता है और जिस तरह अनुके साथ और अनुके द्वारा सारी मानव-जातिके साथ अपनी अकेला साथें। मैं भगवानकी जिससे अच्छी पूजाकी कल्पना नहीं कर सकता कि अनुके नाम पर मैं गरीबोंके लिये गरीबोंकी ही तरह परिश्रम करूं। चरखा दुनियाके धनका अधिक समानतापूर्ण वंटवारा सिद्ध करता है।

यंग इंडिया, २०-१०-'२१

मैं . . . चरखेके लिये जिस सम्मानका दावा करता हूँ कि वह हमारी गरीबीकी समस्याको लगभग बिना कुछ खर्च किये और बिना किसी दिखावेके अत्यन्त सरल और स्वाभाविक ढंगसे हल कर सकता है। जिसलिये चरखा न केवल निरुपयोगी नहीं है . . . बल्कि वह एक ऐसी आवश्यक चीज है जो हरएक घरमें होनी ही चाहिये। वह राष्ट्रकी समृद्धिका और जिसलिये उसकी आजादीका चिह्न है।

चरखा व्यापारिक युद्धकी नहीं, व्यापारिक शान्तिकी निशानी है। उसका संदेश संसारके राष्ट्रोंके लिये दुर्भाविका नहीं, परन्तु सद्भावका और स्वावलम्बनका है। उसे संसारकी शान्तिके लिये खतरा बननेवाली या उसके साधनोंका शोषण करनेवाली किसी जलसेनाके संरक्षणकी जरूरत नहीं होगी; परन्तु उसे जरूरत होगी जैसे लाखों लोगोंके धार्मिक निश्चयकी, जो अपने-अपने घरोंमें उसी तरह सूत कात लें जैसे आज वे अपने-अपने घरोंमें भोजन बना लेते हैं। मैंने करनेके काम न करके और न करनेके काम करके ऐसी अनेक भूलें की हैं, जिनके लिये मैं भावी संतानोंके शापका भाजन बन सकता हूँ। मगर मुझे विश्वास है कि चरखेका पुनरुद्धार सुझाकर तो मैं अनुके आशीर्वादका ही अधिकारी बना हूँ। मैंने उस पर सारी वाजी लगा दी है, क्योंकि चरखेके हर तारमें शान्ति, सद्भाव और प्रेमकी भावना भरी है। और चूंकि चरखेको छोड़ देनेसे हिन्दुस्तान गुलाम बना है, जिसलिये चरखेके सब फलितार्थोंके साथ अनुके स्वेच्छापूर्ण पुनरुद्धारका अर्थ होगा हिन्दुस्तानकी स्वतंत्रता।

यंग इंडिया, ८-१२-'२१

कताबीके पदमें जो दावे किये जाते हैं वे ये हैं :

१. जिन लोगोंको फुरसत है और जिन्हें थोड़ेसे पैसोंकी भी जरूरत है, अन्हें इससे आसानीसे रोजगार मिल जाता है;
२. इसका हजारोंको ज्ञान है;
३. यह आसानीसे सीखी जाती है;
४. इसमें लगभग कुछ भी पूंजी लगानेकी जरूरत नहीं होती;
५. चरखा आसानीसे और सस्ते दामोंमें तैयार किया जा सकता है। हममें से अधिकांशको यह मालूम नहीं है कि कताबी अक ठीकरी और बांसकी खपचीसे यानी तकली पर भी की जा सकती है;
६. लोगोंको इससे अरुचि नहीं है;
७. इससे अकालके समय तात्कालिक राहत मिल जाती है;
८. विदेशी कपड़ा खरीदनेसे भारतका जो धन बाहर चला जा रहा है उसे यही रोक सकती है;
९. इससे करोड़ों रुपयोंकी जो वचत होती है वह अपने-आप सुपात्र गरीबोंमें वंट जाती है;
१०. इसकी छोटीसे छोटी सफलतासे भी लोगोंको बहुत कुछ तात्कालिक लाभ होता है;
११. लोगोंमें सहयोग पैदा करनेका यह अत्यंत प्रबल साधन है।

यंग अिडिया, २१-८-२४

अब आलोचक यह पूछेगा कि 'अगर हाथ-कताबीमें वे सब गुण हैं जो आप बताते हैं, तो क्या बात है कि अभी तक वह सब जगह नहीं अपनायी गयी है?' प्रश्न विलकुल न्यायपूर्ण है। अुत्तर सीधा है। चरखेका संदेश अैसे लोगोंके पास पहुंचाना है जिनमें कोअी आशा, कोअी आरंभ-शक्ति रह नहीं गयी है और जिन्हें यों ही छोड़ दिया जाय तो भूखों मर जाना मंजूर है, परन्तु काम करके जिन्दा रहना मंजूर नहीं। पहले यह हाल नहीं था, परन्तु लम्बी अुपेक्षाने आलस्यको अुनकी आदत बना दिया है। यह आलस्य अैसे चरित्रवान और अुद्योगी मनुष्योंके सजीव संपर्कसे ही मिटाया जा सकता है, जो अुनके सामने चरखा चलायें और अुन्हें

प्रेमपूर्वक रास्ता दिखायें। दूसरी वड़ी कठिनायी खादीके लिये यह है कि उसकी तुरन्त विक्री नहीं होती। मैं स्वीकार करता हूँ कि फिलहाल वह मिलके कपड़ेके साथ स्पर्धा नहीं कर सकती। मैं ऐसी किसी घातक स्पर्धामें पड़ूंगा भी नहीं। पूंजीपति लोग बाजार पर कब्जा करनेके लिये अपना माल मुफ्तमें भी बेच सकते हैं। लेकिन जिस आदमीकी अकेला पूंजी श्रम है, वह ऐसा नहीं कर सकता। क्या जड़ कृत्रिम गुलावमें — फिर वह कितना ही सुन्दर और सुडौल हो — और जीवित कुदरती गुलावमें, जिसकी कोयी दो पंखडियां समान नहीं होतीं, कोयी तुलना हो सकती है? खादी सजीव वस्तु है। लेकिन हिन्दुस्तानने सच्ची कलाकी परख खो दी है। इसलिये वह बाहरी कृत्रिम सुन्दरतासे सन्तुष्ट हो जाता है। उस स्वस्थ राष्ट्रीय सुरुचिको फिरसे जगाविये और भारतका हर गांव अद्योगोंसे गूंजने लगेगा। अभी तो खादी-संस्थाओंको अपनी अधिकांश शक्ति खादी बेचनेमें ही लगानी पड़ती है। . . . अद्भुत बात यह है कि भारी कठिनायियां होते हुअे भी यह आन्दोलन आगे बढ़ रहा है।

मैंने हाथ-कताओंके पक्षमें ऊपर जो कुछ कहा है, उससे किसी तरहका विचार-भ्रम नहीं होना चाहिये। मैं हाथ-करघेके विरुद्ध नहीं हूँ। वह अेक महान और फलता-फूलता गृह-अद्योग है। अगर चरखा सफल हुआ तो हाथ-करघेकी प्रगति अपने-आप होगी। अगर चरखा असफल हुआ तो हाथ-करघा मरे बिना नहीं रहेगा।

यंग अिडिया, ११-११-'२६

चरखा मुझे जनसाधारणकी आशाओंका प्रतीक मालूम होता है। चरखेको खोकर अुन्होंने अपनी आजादी, जैसी कुछ भी वह थी, खो दी। चरखा देहातकी खेतीकी पूर्ति करता था और अुसे गौरव प्रदान करता था। वह विधवाओंका मित्र और सहारा था। वह देहातियोंको आलस्यसे बचाता था, क्योंकि चरखेमें पहले और पीछेके सब अद्योग — लोढ़ाअी, पिंजाअी, ताना करना, मांड लगना, रंगाअी और वुनाअी — आ जाते थे। और अिनसे गांवके बढ़अी और लुहार काममें लगे रहते थे। चरखेसे सात लाख गांव आत्म-निर्भर रहते थे। चरखेके चले जाने पर तेलघानी आदि दूसरे ग्रामोद्योग भी खतम हो गये। अिन धंधोंकी जगह और किसी धंधेने

नहीं ली। जिसलिये गांवोंके विविध धंधे, बुनकी बुत्पादक प्रतिभा और बुनसे होनेवाली थोड़ी आमदनी, सबका सफाया हो गया।

जिसलिये अगर ग्रामीणोंको फिरसे अपनी स्थितिमें वापस आना हो, तो सबसे स्वभाविक बात जो सूझती है, वह यह है कि चरखे और बुसके साथ लगी हुईी सब बातोंका पुनरुद्धार हो।

यह पुनरुद्धार तब तक नहीं हो सकता जब तक बुद्धि और देशभक्ति-वाले निःस्वार्थ भारतीयोंकी अेक सेना न हो और वह चरखेका नंदेय देहातियोंमें फैलाने और बुनकी निम्नोच्च आंखोंमें आशा और प्रकाशकी किरण जगानेके लिये दत्तचित्त होकर काम न करने लगे। यह नहीं ढंगके सहयोग और प्रांढ़ शिक्षाका जबरदस्त प्रयत्न है। यह चरखेकी शांत परन्तु प्राणदायक गतिकी तरह ही अेक शांत और निश्चित क्रान्तिको लानेवाला है।

हरिजन, १३-४-४०

३०

मिल-बुद्योग

हमारी मिलें अभी अितना मूल पैदा नहीं कर सकतीं कि कपड़ेकी हमारी सारी जरूरत बुनसे पूरी हो जाय, और यदि वे करती होतीं तो भी जब तक बुन्हें वाच्य न किया जाता वे कीमत कम करनेके लिये तैयार न होतीं। बुनका बुद्देश्य जाहिरा तौर पर पैसे कमाना है और जिसलिये यह तो हो नहीं सकता कि वे राष्ट्रकी आवश्यकताओंका ख्याल करके अपनी कीमतोंका नियमन करें। अतः हाथ-कतावी ही अेक अैसा साधन है जिसके द्वारा गरीब देहातियोंके हाथोंमें करोड़ों रुपये रखे जा सकते हैं। हरअेक कृषि-प्रधान देशको अैसे अेक पूरक बुद्योगकी जरूरत होती है, जिससे किसान अपने अवकाशके समयका बुपयोग कर सकें। भारतमें यह पूरक बुद्योग हमेशा कतावी रहा है। जिस बुद्योगके नाशके फलस्वरूप गुलामी और गरीबी आयी और बुस अनुपम कला-प्रतिभाका लोप हो गया, जो किसी समय चमत्कारपूर्ण भारतीय वस्त्रोंमें दिखाना देती थी और

जो दुनियाकी औप्युक्तिका विषय थी, उस प्राचीन औद्योगिको पुनर्जीवित करनेके प्रयत्नको क्या स्वप्न-सेवियोंका आदर्श कहा जा सकता है?

यंग अिडिया, १६-२-२१

आम तौर पर यह दावा जरूर किया जा सकता है कि बड़ा मिल-औद्योग हिन्दुस्तानी औद्योग है। पर जापान और लंकाशायरके साथ टक्कर लेनेकी शक्ति होते हुअे भी यह औद्योग जितने अंशोंमें खादीके अपर विजय प्राप्त करता है, अुतने ही अंशोंमें जनसाधारणका शोषण करता और उसकी दरिद्रताको बढ़ाता है। सारे देशमें भारी-भारी यांत्रिक औद्योग खड़े कर देनेकी अिस जमानेकी धुनमें मेरे अिस विचारको यद्यपि विलकुल ठुकरा नहीं दिया गया है, तो भी अिसके विषयमें कुछ लोगोंने शंका तो अुठाअी ही है। अिसके विरोधमें यह कहा गया है कि यांत्रिक औद्योगोंकी प्रगतिके कारण जनसाधारणकी दरिद्रता जो बढ़ती जाती है वह अनिवार्य है, और अिसलिअे अुसको सहन करना ही चाहिये। अिस अनिष्टको सहन करना तो दूर, मैं तो यह भी नहीं मानता कि वह अनिवार्य है। अखिल भारत चरखा-संघने सफलतापूर्वक यह बतल दिया है कि लोगोंके फुरसतके समयका अुपयोग अगर कातने और अुसके पूर्वकी क्रियाओंमें किया जाय, तो अितनेसे ही गांवोंमें हिन्दुस्तानकी जरूरतके लायक कपड़ा पैदा हो सकता है। कठिनाअी तो जनतासे मिलका कपड़ा छुड़वानेमें है।

हरिजनसेवक, ३०-१०-३७

मिल-मालिक कुछ परोपकारी तो हैं नहीं कि वे हाथ-करघेके वुनकरोंको तब भी सूत देते रहेंगे जब ये अुनके साथ अुन्हें नुकसान पहुंचानेवाली प्रतिस्पर्धा करने लगेंगे।

हरिजन, २५-८-४६

ज्यों ही मिल-मालिकोंको अैसा लगेगा कि सूत बेचनेके बजाय वुननेमें ज्यादा लाभ है, त्यों ही वे अुसे बेचना बन्द कर देंगे और वुनना शुरू कर देंगे। वे कुछ परोपकारी नहीं हैं। अुन्होंने मिलें पैसा कमानेके

लिखे ही खड़ी की हैं। यदि वे देखेंगे कि सूत बुननेमें ज्यादा लाभ है, तो वे उसे हाथ-करवेके बुनकरोंको बेचना बन्द कर देंगे।

हरिजन, ३१-३-'४६

मिलके सूतका अुपयोग हाथ-करघा अुद्योगके मार्गकी अेक घातक बाधा है। अुसकी मुक्ति हाथ-कताअीके सूतका अुपयोग करनेमें ही है। अगर चरखा असफल रहा और मिट गया, तो हाथ-करवेका नाश भी निश्चित ही है।

हरिजन, २५-८-'४६

मैं अनेक कम्पनियोंके संघबद्ध होकर काम करने या बड़े-बड़े यंत्रोंका अुपयोग करके अुद्योगोंका केन्द्रीकरण करनेके खिलाफ हूं। अगर भारत खादीको और खादीके फलितार्थोंको अपनाये, तो मैं अैसी आशा करता हूं कि भारत आधुनिक यंत्रोंमें से केवल अुतनोंका ही अुपयोग करेगा, जो जीवनकी सुख-सुविधा बढ़ाने और श्रमकी बचतके लिखे आवश्यक माने जायं।

यंग अिडिया, २४-७-'२४

चन्द लोगोंके हाथमें धन और सत्ताका केन्द्रीकरण करनेके लिखे यंत्रोंके संघटनको मैं विलकुल गलत समझता हूं। आजकल यंत्रोंकी अधिकांश योजनाओंका यही अुद्देश्य होता है। चरखेका आन्दोलन यंत्रों द्वारा हेनेवाला शोषण और धन तथा सत्ताका यह केन्द्रीकरण रोकनेके लिखे किया जा रहा संघटित प्रयत्न है। अिसलिखे मेरी योजनामें यंत्रोंके अधिकारी अपने लाभकी या अपने देशके लाभकी बात नहीं सोचेंगे, बल्कि सारी मानव-जातिके लाभकी बात सोचेंगे। अुदाहरणके लिखे, लंकाशायरके लोग अपने यंत्रोंका अुपयोग भारतके या दूसरे देशोंके शोषणके लिखे नहीं करेंगे; अुलटे, वे अैसे साधन ढूँँगे जिनसे भारत अपने कपासको अपने गांवोंमें ही कपड़ेका रूप देनेमें समर्थ हो जाये। अिसी तरह मेरी योजनामें अमेरिकाके लोग भी अपनी आविष्कारक प्रतिभाके द्वारा दुनियाकी दूसरी जातियोंका शोषण करनेकी कोशिश नहीं करेंगे।

यंग अिडिया, १७-९-'२५

स्वदेशी

स्वदेशीकी भावनाका अर्थ है हमारी वह भावना जो हमें दूरको छोड़कर अपने समीपवर्ती प्रदेशका ही अुपयोग और सेवा करना सिखाती है। अुदाहरणके लिये, जिस परिभाषाके अनुसार धर्मके सम्बन्धमें यह कहा जायगा कि मुझे अपने पूर्वजोंसे प्राप्त धर्मका ही पालन करना चाहिये। अपने समीपवर्ती धार्मिक परिवेष्टनका अुपयोग इसी तरह हो सकेगा। यदि मैं अुसमें दोष पाऊं तो मुझे अुन दोषोंको दूर करके अुसकी सेवा करना चाहिये। इसी तरह राजनीतिके क्षेत्रमें मुझे स्थानीय संस्थाओंका अुपयोग करना चाहिये और अुनके जाने-माने दोषोंको दूर करके अुनकी सेवा करना चाहिये। अर्थके क्षेत्रमें मुझे अपने पड़ोसियों द्वारा बनायी गयी वस्तुओंका ही अुपयोग करना चाहिये और अुन अुद्योगोंकी कमियां दूर करके, अुन्हें ज्यादा सम्पूर्ण और सक्षम बनाकर अुनकी सेवा करना चाहिये। मुझे लगता है कि यदि स्वदेशीको व्यवहारमें अुतारा जाय, तो मानवताके स्वर्णयुगकी अवतारणा की जा सकती है। . . .

अुपर स्वदेशीकी जिन तीन शाखाओंका अुल्लेख हुआ है अुन पर अब हम थोड़ा विचार करें। हिन्दू धर्म अुसकी दूनियादमें निहित जिस स्वदेशीकी भावनाके कारण ही स्थितिशील और फलस्वरूप अत्यंत शक्तिशाली बन गया। चूंकि वह दूसरे धर्मोंके अनुयायियोंको अपने दायरेमें खींचनेकी न तो अिच्छा ही रखता है और न प्रयत्न ही करता है, अिसलिये वह सबसे ज्यादा सहिष्णु है और वह आज भी अपना विस्तार करनेकी वैसे ही योग्यता रखता है जैसी कि वह भूतकालमें दिखा चुका है। कुछ लोग अैसा मानते हैं कि अुसने वीद्ध धर्मको खदेड़कर भारतके बाहर भगा दिया। यह धारणा गलत है। अुलटे अुसने वीद्ध धर्मको आत्मसात् कर लिया है। स्वदेशीकी भावनाके ही कारण हिन्दू अपने धर्मका परिवर्तन करनेसे अिनकार करता है। अिसका यह अर्थ नहीं कि वह अुसे सर्वश्रेष्ठ मानता है, लेकिन वह जानता है कि वह अुसमें जरूरी सुधार दाखिल कर सकता है और अुसे सम्पूर्ण बना सकता है। और

जो कुछ मैंने हिन्दू धर्मके बारेमें कहा है, मेरा खयाल है वह सब दुनियाके दूसरे बड़े धर्मोंके लिये भी सही है। अन्तर केवल यह है कि हिन्दू धर्मके लिये यह विशेष रूपसे सही है। यहां मुझे एक बात कहनी है। भारतमें काम करनेवाली मिशनरी संस्थाओंने भारतके लिये बहुत-कुछ किया है और अभी भी कर रही हैं और भारत जिसके लिये उनका कृतज्ञ है। लेकिन यदि मैंने जो कुछ कहा है उसमें कोई सत्य है, तो क्या यह ज्यादा अच्छा न होगा कि वे धर्म-परिवर्तनका कार्य छोड़ दें और केवल परोपकारकी ही प्रवृत्तियां जारी रखें? क्या इस तरह वे अन्तर्धी धर्मके आन्तरिक तत्त्वकी अधिक सेवा नहीं करेंगी?

स्वदेशीकी भावनाकी खोज करते हुये जब मैं देशकी संस्थाओं पर नजर डालता हूं तो मुझे ग्राम-पंचायतें बहुत ज्यादा आकर्षित करती हैं। भारत वस्तुतः प्रजातंत्रका अुपासक देश है; और वह प्रजातंत्रका अुपासक है जिसलिये वह अुन सब चोटोंको सह सका है, जो आज तक अुन पर की गयी हैं। राजाओं और नवाबोंने, वे भारतीय रहे हों या विदेशी, प्रजासे सिर्फ कर वसूल किया है; अुसके सिवा प्रजासे अुनका कोई सम्पर्क शायद ही रहा है। और प्रजाने राजाको अुसका प्राप्य देकर, अपना बाकी जीवन-व्यवहार अपनी अिच्छाके अनुसार चलाया है। वर्ण और जातियोंका विशाल संघटन न केवल समाजकी धार्मिक आवश्यकतायें पूरी करता था, बल्कि अुसकी राजनीतिक आवश्यकताओंकी पूर्ति भी करता था। गांववाले अपना आन्तरिक कामकाज जाति-संघटनके द्वारा चलाते थे और अुसीके द्वारा वे राजकीय शक्तिके अत्याचारोंका भी मुकाबला करते थे। जाति-संघटनके द्वारा अपनी संघटन-शक्तिका असा अच्छा परिचय जिस राष्ट्रने दिया है, अुसकी संघटन-शक्तिकी क्षमतासे अिनकार नहीं किया जा सकता। आप हरिद्वारके कुम्भ मेलेको देखें। . . . आपको पता चल जायगा कि जो संघटन लगभग अनायास ही लाखों तीर्थयात्रियोंकी व्यवस्था कर सकता है, वह कितना कौशलपूर्ण न होगा? फिर भी यह कहनेकी फ़ैशन हो गयी है कि हम लोगोंमें संघटनकी योग्यता नहीं है। हां, यह बात अुनके बारेमें अमुक हद तक सही हो सकती है, जो नयी परंपराओंमें पले और बड़े हुये हैं।

स्वदेशीकी भावनासे हट जानेके कारण हमें भयंकर विघ्न-बाधाओंसे गुजरना पड़ा है। हम शिक्षित वर्गके लोगोंको हमारी शिक्षा विदेशी भाषाके माध्यमसे मिली है। इसलिये आम जनताको हम तनिक भी प्रभावित नहीं कर सके हैं। हम जनताका प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, पर हम अुसमें असफल सिद्ध होते हैं। वे किसी अंग्रेज अधिकारीको जितना जानते-पहिचानते हैं, अुससे अधिक हमें वहीं जानते-पहिचानते। अुनके दिलमें क्या है, अिसे न अंग्रेज शासक जानते हैं, न हम लोग। अुनकी आकांक्षायें हमारी आकांक्षायें नहीं हैं। इसलिये हमारा और अुनका सम्बन्ध-सूत्र टूट-सा गया है। हम प्रजाका संघटन करनेमें असफल सिद्ध हुअे हैं, यह बात नहीं है; सच बात यह है कि प्रतिनिधियोंमें और प्रजामें आपसका नाता ही नहीं है। अगर पिछले पचास वर्षोंमें हमें अपनी ही भाषाओंके माध्यमसे शिक्षा मिली होती, तो हमारे बड़े-बूढ़े, घरके नौकर और पड़ोसी, सब हमारे अुस ज्ञानमें हिस्सा लेते। बौस और राय जैसे वैज्ञानिकोंके आविष्कार रामायण और महाभारतकी तरह ही हरअेक घरमें प्रवेश कर जाते। अभी तो स्थिति अैसी है कि जनताके लिये ये आविष्कार विदेशी वैज्ञानिकों द्वारा किये गये आविष्कारों जैसे ही हैं। यदि विविध पाठ्य-विषयोंकी शिक्षा देशी भाषाओं द्वारा दी गयी होती, तो मैं यह कहनेका साहस करता हूं कि हमारी अिन भाषाओंकी आश्चर्यजनक समृद्धि हुअी होती। गांवोंकी स्वच्छता आदिके सवाल वर्षों पहले हल हो गये होते। ग्राम-पंचायतें जीवित शक्तिके रूपमें काम कर रही होतीं, भारतको जैसा स्वराज्य चाहिये वैसा स्वराज्य वह भोगता होता और अुसे अपनी पुनीत भूमि पर संघटित हत्याका अपमानकारी दृश्य न देखना पड़ता। खैर, अभी भी अवसर है कि हम अपनी भूलें सुधार लें।

अब हम स्वदेशीकी अन्तिम शाखा पर विचार करें। यहां भी जनताकी अधिकांश गरीबीका कारण यह है कि आर्थिक और औद्योगिक जीवनमें हमने स्वदेशीके नियमका भंग किया है। अगर भारतमें व्यापारकी कोअी भी वस्तु विदेशोंसे न लायी गयी होती, तो हमारी भूमिमें दूध और मधुकी नदियां बहती होतीं। लेकिन यह तो होना नहीं था। हमें

लोम था और अंग्लैण्डको भी लोम था। अंग्लैण्ड और भारतका सम्बन्ध स्पष्टतया गलती पर कायम था। लेकिन यहां रहनेमें वह गलती नहीं कर रहा है। यहां रहनेमें अुनकी घोषित नीति यह है कि वह भारतको अपनी सम्पत्ति नहीं मानता; वह अुसे जनताकी धरोहरके रूपमें अुर्माके भलेके लिये अपने पास रख रहा है। अगर वह सही है तो लंकाशायरको भारतमें व्यापार करनेका लालच छोड़ देना चाहिये। और यदि स्वदेशीका सिद्धान्त नहीं है तो अिससे लंकाशायरकी कोठी हानि नहीं होगी। अलवत्ता, अुर्मा कुछ समयके लिये अुसे कुछ अटपटा-सा लगेगा। मैं स्वदेशीको बदला लेनेके लिये चलाया गया बहिष्कारका आन्दोलन नहीं मानता। मैं अुसे अैसा धार्मिक सिद्धान्त मानता हूं, जिसका पालन सब लोगोंको करना चाहिये। मैं अर्थशास्त्री नहीं हूं, लेकिन मैंने कुछ कितायें पढ़ी हैं जिनमें बतलाया गया है कि अंग्लैण्ड आसानीसे अपनी सारी जबरतों खुद पैदा करनेवाला आत्म-निर्भर देश बन सकता था। हों सकता है वह बात हास्यास्पद हो; और वह सच नहीं हो सकती, अिसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि अंग्लैण्ड दुनियाके अुन देशोंमें है जो बाहरसे सबसे ज्यादा माल आयात करते हैं। लेकिन जब तक भारत अपने जीवनका अुत्तम निर्वह करने योग्य नहीं हो जाता है, तब तक अुनसे यह आशा नहीं की जा सकती कि वह लंकाशायरके अथवा किसी दूसरे देशके लिये जिये। और वह अपने जीवनका अुत्तम निर्वह तभी कर सकता है जब वह — अपने प्रयत्नसे या दूसरोंकी मदद लेकर — अपनी आवश्यकताकी सारी वस्तुअें अपनी ही सीमामें अुत्पन्न करने लगे। अुसे नागकारी प्रतिस्पर्धि अुस चक्करमें नहीं पड़ना चाहिये जो आपसी लड़ाई-अंगड़ाई, अर्पा और अन्य अनेक बुराअियोंको जन्म देता है। लेकिन अुनके बड़े सेठों और करोड़पतियोंको अिस विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामें पड़नेसे कौन रोकेगा? कानून तो निश्चय ही अैसा नहीं कर सकता। लेकिन लोकमतका बल और समुचित शिक्षा अवश्य अिस दिशामें बहुत कुछ कर सकती हैं। हाथ-करघा अुद्योग लगभग मरनेकी स्थितिमें है। अपनी यात्राओंमें... मैंने भरसक ज्यादासे ज्यादा बुनकरोंसे मिलने और अुनकी कठिनाअियों समझनेकी कोशिश की और मुझे यह देखकर हादिक दुःख हुआ कि किन

तरह अनेक वुनकर परिवारोंको यह अद्योग — जो किसी समय तरक्की पर था और सम्मानास्पद माना जाता था — छोड़ देना पड़ा है।

अगर हम स्वदेशीके सिद्धान्तका पालन करें तो हमारा और आपका यह कर्तव्य होगा कि हम अुन बेरोजगार पड़ोसियोंको ढूँँ जो हमारी आवश्यकताकी वस्तुअँ हमें दे सकते हँँ और यदि वे अिन वस्तुओंको बनाना न जानते हँँ तो अुन्हँँ अुसकी प्रक्रिया सिखायँँ। अँसा हो तो भारतका हरअेक गांव लगभग अेक स्वाश्रयी और स्वयंपूर्ण अिकाअी बन जाये। दूसरे गांवोंके साथ वह अुन अंद वस्तुओंका आदान-प्रदान जरूर करेगा, जिन्हँँ वह खुद अपनी सीमामें पैदा नहीं कर सकता। मुमकिन है कुछ-लोगोंको यह बात व्यर्थ मालूम हो। अुन लोगोंसे मैं कहूँगा कि भारत अेक विचित्र देश है। कोअी दयालु मुसलमान शुद्ध पानी पिलानेके लिये तैयार हो, तो भी हजारों परम्परावादी हिन्दू अँसे हँँ जो प्याससे अपना गला सूखने देंगे, लेकिन मुसलमानके हाथका पानी नहीं पियेंगे। यह बात अर्थहीन तो है, लेकिन अिस देशमें वह होती है। अिसी तरह अिन लोगोंको अेक वार अिस बातका निश्चय करा दिया जाय कि धर्मके अनुसार अुन्हँँ भारतमें ही बने हुअे कपड़े पहनना चाहिये और भारतमें ही पैदा हुआ अन्न खाना चाहिये, तो फिर वे कोअी दूसरे कपड़े पहनने या दूसरा अन्न खानेसे अिनकार कर देंगे।

भगवद्गीताका अेक श्लोक है जिसमें कहा गया है कि सामान्य जन श्रेष्ठ जनोंका अनुकरण करते हँँ। स्वदेशीका व्रत लेने पर कुछ समय तक असुविधायँँ तो भोगना पड़ेंगी, लेकिन अुन असुविधाओंके बावजूद यदि समाजके विचारशील व्यक्ति स्वदेशीका व्रत अपना लें, तो हम अुन अनेक बुराअियोंका निवारण कर सकते हँँ जिनसे हम पीड़ित हँँ। मैं कानून द्वारा किये जानेवाले हस्तक्षेपको, वह जीवनके किसी भी विभागमें क्यों न किया जाय, विलकुल नापसन्द करता हूँ। अुसके समर्थनमें ज्यादासे ज्यादा यही कहा जा सकता है कि दूसरी बुराअीकी तुलनामें वह कम बुरी है। लेकिन अपनी अिस नापसन्दगीके बावजूद मैं विदेशी माल पर सख्त आयात-कर लगाना न सिर्फ सह लूँगा, बल्कि मैं चाहूँगा कि अँसा

किया जाय। नेटाल अेक त्रिटिया अुपनिवेश है, किन्तु अुसने अेक दूसरे त्रिटिया अुपनिवेश मारीशससे आनेवाली शक्कर पर काफ़ी कर लगाया था और अिस तरह अपनी शक्करकी रक्षा की थी। अंग्लैण्डने भारत पर स्वतंत्र व्यापारकी नीति लादकर भारतके प्रति बड़ा अन्याय किया है। यह नीति अंग्लैण्डके लिये आहारकी तरह पोषक सिद्ध हुअी होगी, किन्तु भारतके लिये तो वह जहर सावित हुअी है।

कहा जाता है कि भारत कमसे कम आर्थिक जीवनमें तो स्वदेशीके नियमका आचरण नहीं कर सकता। जो लोग यह दलील देने हैं वे स्वदेशीको जीवनके अेक अनिवार्य सिद्धान्तके रूपमें नहीं मानते। अुनके लिये वह महज देशसेवाका कार्य है, जो अगर अुसमें ज्यादा आत्म-निग्रह करना पड़ता हो तो छोड़ा भी जा सकता है। जैसा कि अूपर बताया गया है, स्वदेशी अेक धार्मिक नियम है जिसका पालन अुनसे होनेवाले सारे शारीरिक कष्टोंके वावजूद भी होना ही चाहिये। स्वदेशीका सच्चा प्रेम हो तो सुअी या पिन जैसी चीजोंका अभाव — क्योंकि वे भारतमें नहीं बनती हैं — भयका कारण नहीं होना चाहिये। स्वदेशीका व्रत लेनेवाला अैसी सैकड़ों चीजोंके विना ही अपना काम चलाना सीख लेगा, जिन्हें आज वह जरूरी समझता है। फिर यह बात भी तो है कि जो लोग स्वदेशीको असंभव कहकर टाल देना चाहते हैं, वे यह भूल जाते हैं कि स्वदेशी आखिर अेक आदर्श है जिसे लगातार कोशिश करके क्रमशः प्राप्त करना है। और यदि फिलहाल हम अिस नियमको अमुक वस्तुओं तक ही मर्यादित रखें और जो वस्तुअें देशमें प्राप्य नहीं हैं अुनका अुपयोग जारी रखें, तो भी हम आदर्शकी दिशामें बढ़ते रह सकते हैं।

अन्तमें मुझे स्वदेशीके खिलाफ अुठाये जानेवाले अेक अन्य आक्षेप पर और विचार करना है। आक्षेपकारोंका कहना है कि वह अेक अत्यन्त स्वार्थपूर्ण सिद्धान्त है और सम्यजनोंकी मानी हुअी नीतिमें अुगे कोई स्थान नहीं हो सकता। वे समझते हैं कि स्वदेशीका पालन तो असंभ्यताके युगकी ओर लौटने जैसा होगा। मैं यहां अिन कथनका विस्तृत विश्लेषण नहीं कर सकता। किन्तु मैं यह कहूंगा कि नम्रता

और प्रेमके नियमोंके साथ अकेलाने स्वदेशीका ही मेल बैठ सकता है। यदि मैं अपने परिवारकी भी यथोचित सेवा नहीं कर पाता हूँ, तो अुस हालतमें मेरा सम्पूर्ण भारतकी सेवाका विचार करना दुरभिमान ही कहा जायगा। अुस हालतमें तो यही अच्छा होगा कि मैं अपना प्रयत्न परिवारकी सेवा पर ही केन्द्रित करूँ और अैसा समझूँ कि परिवारकी सेवा द्वारा मैं पूरे देशकी या, यों कहो कि, पूरी मानव-जातिकी सेवा कर रहा हूँ। नम्रता और प्रेम अिसीमें है। कार्यका मूल्य अुसके प्रेरक हेतुसे निश्चित होता है। परिवारकी सेवा मैं अुससे दूसरोंको होनेवाले कष्टोंकी परवाह किये बिना भी कर सकता हूँ। अुदाहरणके लिये हम लोगोंसे जवरदस्ती अुनका पैसा छीननेका पेशा अख्तियार कर सकते हैं। अुसके द्वारा हम धनवान बनकर परिवारकी अनेक अनुचित माँगोंको पूरा कर सकते हैं। लेकिन यदि हम अैसा करें तो अुससे न तो परिवारकी सेवा होगी और न राज्यकी। परिवारकी सेवाका दूसरा तरीका यह होगा कि मैं अिस बातको पहिचान लूँ कि भगवानने मुझे अपने आश्रितोंके पोषणके लिये हाथ-पांव दिये हैं। और मुझे अुनसे काम लेना चाहिये। अैसा हो तो मैं अेकदम अपना और जिनसे मेरा सीधा सम्बन्ध है अुनका जीवन सादा बनानेमें लग जाऊँगा। यदि मैं अैसा करूँ तो अपने परिवारकी भी सेवा करूँगा और किसी दूसरेकी कोअी हानि भी नहीं करूँगा। अगर हरअेक आदमी यह जीवन-पद्धति अपना ले, तो अेकदम आदर्श स्थितिका निर्माण हो जाय। सब लोग अुस स्थितिको अेक साथ नहीं प्राप्त करेंगे। लेकिन जिन लोगोंने अिस बातको समझ लिया है और अिसलिये जो अुसे अपने आचरणमें अुतारेंगे, वे स्पष्टतः अुस शुभ दिनको पास लानेमें बड़ी मदद करेंगे। जीवनकी अिस योजनामें मैं केवल भारतकी ही सेवा करता दिखता हूँ, फिर भी मैं किसी दूसरे देशको हानि नहीं पहुंचाता। मेरी देशभक्ति वर्जनशील भी है और ग्रहणशील भी है। वह वर्जनशील अिस अर्थमें है कि मैं अत्यंत नम्रतापूर्वक अपना ध्यान अपनी जन्मभूमि पर ही देता हूँ और ग्रहणशील अिस अर्थमें है कि मेरी सेवामें स्पर्धा या विरोधकी भावना बिलकुल नहीं है। 'अपनी सम्पत्तिका अुपयोग अिस तरह करो कि अुससे तुम्हारे पड़ोसीको कोअी कष्ट न हो' — यह केवल

कानूनका सिद्धान्त नहीं परन्तु अेक महान जीवन-सिद्धान्त भी है। वह अहिंसा या प्रेमके समुचित पालनकी कुंजी है।

स्पीचेज़ अेण्ड राइटिंग्ज़ ऑफ महात्मा गांधी, पृ० ३३६-४४

लेकिन जो लोग चरखेसे जैसे-तैसे सूत कातकर खादी पहन-पहनाकर स्वदेशी-धर्मका पूरा पालन हुआ मान लेते हैं, वे बड़े मोहमें डूबे हुए हैं। खादी सामाजिक स्वदेशीकी प्रथम सीढ़ी है, वह स्वदेशी-धर्मकी आन्त्रिरी हृद नहीं है। अैसे खादीचारी देखे गये हैं, जो और सब चीजें परदेशी खरीदते हैं। वे स्वदेशी-धर्मका पालन नहीं करते। वे तो सिर्फ चालू बहावमें वह रहे हैं। स्वदेशी-व्रतका पालन करनेवाला हमेशा अपने आसपास निरीक्षण करेगा और जहां जहां पड़ोसियोंकी सेवा की जा सके, यानी जहां जहां अुनके हाथका तैयार किया हुआ जरूरतका माल होगा, वहां दूसरा छोड़कर अुसे लेगा। फिर भले ही स्वदेशी चीज पहले-पहल महंगी और कम दरजेकी हो। व्रतधारी अुसको सुधारनेकी कोशिश करेगा। स्वदेशी खराब है अिसलिये कायर बनकर परदेशीका अिस्तेमाल करने नहीं लग जायेगा।

लेकिन स्वदेशी-धर्म जाननेवाला अपने कुर्छमें डूब नहीं जायेगा। जो चीज स्वदेशमें नहीं बनती हो या बड़ी तकलीफसे बन सकती हो, वह परदेशके द्वेषके कारण अपने देशमें बनाने लग जाय तो अुसमें स्वदेशी-धर्म नहीं है। स्वदेशी-धर्म पालनेवाला परदेशीका द्वेष कभी नहीं करेगा। अिसलिये पूर्ण स्वदेशीमें किसीका द्वेष नहीं है। वह संकुचित धर्म नहीं है। वह प्रेममें से — अहिंसामें से — निकला हुआ सुन्दर धर्म है।

मंगल-प्रभात, पृ० ५९, प्रक० १६

गोरक्षा

हिन्दू धर्मकी मुख्य वस्तु है गोरक्षा। गोरक्षा मुझे मनुष्यके सारे विकास-क्रममें सबसे अलौकिक वस्तु मालूम हुआ है। गायका अर्थ मैं मनुष्यसे नीचेकी सारी गूंगी दुनिया करता हूं। इसमें गायके वहाने इस तत्त्वके द्वारा मनुष्यको संपूर्ण चेतन-सृष्टिके साथ आत्मीयताका अनुभव करानेका प्रयत्न है। मुझे तो यह भी स्पष्ट दीखता है कि गायको ही यह देवभाव क्यों प्रदान किया गया होगा। हिन्दुस्तानमें गाय ही मनुष्यका सबसे सच्चा साथी, सबसे बड़ा आधार था। यही हिन्दुस्तानको एक कामधेनु थी। वह सिर्फ दूध ही नहीं देती थी, बल्कि सारी खेतीका आधार-स्तंभ थी। गाय दयाधर्मकी मूर्तिमंत कविता है। इस गरीब और शरीफ जानवरमें हम केवल दया ही अमड़ती देखते हैं। यह लाखों-करोड़ों हिन्दुस्तानियोंको पालनेवाली माता है। इस गायकी रक्षा करना अश्वरकी सारी मूक सृष्टिकी रक्षा करना है। जिस अज्ञात अृषि या द्रष्टाने गोपूजा चलायी उसने गायसे शुरुआत की। इसके सिवा और कोअी ध्येय हो ही नहीं सकता। इस पशुसृष्टिकी फरियाद मूक होनेसे और भी प्रभावशाली है। गोरक्षा हिन्दू धर्मकी दुनियाको दी हुअी एक कीमती भेंट है। और हिन्दू धर्म भी तभी तक रहेगा, जब तक गायकी रक्षा करनेवाले हिन्दू हैं।

हिन्दुओंकी परीक्षा तिलक करने, स्वरशुद्ध मंत्र पढ़ने, तीर्थयात्रायें करने या जात-विरादरीके छोटे-छोटे नियमोंको कट्टरतासे पालनेसे नहीं होगी, बल्कि गायको बचानेकी अुनकी शक्तिसे ही होगी।

यंग अिडिया, ६-१०-'२१

गोमाता जन्म देनेवाली मांसे कहीं बढ़कर है। मां तो साल दो साल दूध पिलाकर हमसे फिर जीवनभर सेवाकी आशा रखती है। पर गोमाताको तो सिवा दाने और घासके कोअी सेवाकी आवश्यकता ही नहीं। मांकी तो हमें अुसकी वीमारीमें सेवा करनी पड़ती है। परन्तु गोमाता केवल जीवन-पर्यन्त ही हमारी अटूट सेवा नहीं करती, बल्कि अुसके मरनेके बाद भी हम अुसके मांस, चर्म, हड्डी, सींग आदिसे अनेक लाभ

बुठाते हैं। यह सब मैं जन्मदात्री माताका दरजा कम करनेको नहीं कहता, बल्कि यह दिखानेके लिये कहता हूँ कि गोमाता हमारे लिये कितनी पूज्य है।

हरिजनसेवक, २१-९-'४०

हमारे ढोरोंकी दुर्दशाके लिये अपनी गरीबीका राग भी हम नहीं अलाप सकते। यह हमारी निर्दय लापरवाहीके सिवा और किसी भी बातकी सूचक नहीं है। हालाँकि हमारे पिजरापोल हमारी दयावृत्ति पर खड़ी हुयी संस्थायें हैं, तो भी वे भुम वृत्तिका अत्यन्त भद्दा अमल करने-वाली संस्थायें ही हैं। वे आदर्श गोशालाओं या डेरियों और समृद्ध राष्ट्रीय संस्थाओंके रूपमें चलनेके बजाय केवल लूले-लंगड़े ढोर रखनेके धर्मादा खाते बन गये हैं। गोरक्षाके धर्मका दावा करते हुये भी हमने गाय और भुसकी सन्तानको गुलाम बनाया है और हम खुद भी गुलाम बन गये हैं।

यंग अिडिया, ६-१०-'२१

लेकिन मैं फिरसे इस बात पर जोर देता हूँ . . . कानून बनाकर गांवध वन्द करनेसे गोरक्षा नहीं हो जाती। वह तो गोरक्षाके कामका छोटेसे छोटा भाग है। . . . लोग अैसा मानते दाखते हैं कि किसी भी घुराधीके विरुद्ध कोई कानून बना कि तुरन्त वह किसी झंझटके बिना मिट जायगी। अैसी भयंकर आत्म-वंचना और कोई नहीं हो सकती। किसी दुष्ट वृद्धिवाले अजानी या छोटेसे समाजके खिलाफ कानून बनाया जाता है और भुसका असर भी होता है। लेकिन जिन कानूनके विरुद्ध समझदार और संगठित लोकमत हो, या धर्मके वहाने छोटेसे छोटे मंडलका भी विरोध हो, वह कानून सफल नहीं होता। गोरक्षाके प्रश्नका जैसे-जैसे मैं अधिक अध्ययन करता जाता हूँ, वैसे-वैसे मेरा यह मत दृढ़ होता जाता है कि गांवों और भुसकी जनताकी रक्षा तभी हो सकती है, जब कि मेरी अपर बताओ हुओ दिशामें निरन्तर प्रयत्न किया जाय।

यंग अिडिया, ७-७-'२७

अब सवाल यह है कि जब गाय अपने पाळन-पोषणके त्वर्चमे भी कान दूध देने लगती है या दूसरी तरहसे नुकसान पहुंचानेवाला बोज बन जाती

है, तब बिना भारे उसे कैसे बचाया जा सकता है? जिस सवालका जवाब थोड़ेमें जिस तरह दिया जा सकता है:

१. हिन्दू गाय और उसकी सन्तानकी तरफ अपना फर्ज पूरा करके उसे बचा सकते हैं। अगर वे ऐसा करें तो हमारे जानवर हिन्दुस्तान और दुनियाके गौरव बन सकते हैं। आज जिससे विलकुल अलंटा हो रहा है।

२. जानवरोंके पालन-पोषणका सायन्स सीखकर गायकी रक्षा की जा सकती है। आज तो जिस काममें पूरी अन्धाधुन्धी चलती है।

३. हिन्दुस्तानमें आज जिस बेरहम तरीकेसे बैलोंको बधिया बनाया जाता है, उसकी जगह पश्चिमके हमदर्दीभरे और नरम तरीके काममें लाकर उसे कष्टसे बचाया जा सकता है।

४. हिन्दुस्तानके सारे पिंजरापोलोंका पूरा-पूरा सुधार किया जाना चाहिये। आज तो हर जगह पिंजरापोलका अन्तजाम जैसे लोग करते हैं, जिनके पास न कोई योजना होती है और न वे अपने कामकी जानकारी ही रखते हैं।

५. जब ये महत्त्वके काम कर लिये जायेंगे, तो मुसलमान खुद दूसरे किसी कारणसे नहीं तो अपने हिन्दू भाइयोंके खातिर ही मांस या दूसरे मतलबके लिये गायको न मारनेकी जरूरतको समझ लेंगे।

पढ़नेवाले यह देखेंगे कि ऊपर बताया हुआ जरूरतोंके पीछे एक खास चीज है। वह है अहिंसा जिसे दूसरे शब्दोंमें प्राणीमात्र पर दया कहा जाता है। अगर जिस सबसे बड़े महत्त्वकी बातको समझ लिया जाय, तो दूसरी सब बातें आसान बन जाती हैं। जहां अहिंसा है वहां अपार धीरज, भीतरी शान्ति, भले-बुरेका ज्ञान, आत्मत्याग और सच्ची जानकारी भी है। गोरक्षा कोई आसान काम नहीं है। उसके नाम पर देशमें बहुत पैसा बरबाद किया जाता है। फिर भी अहिंसाके न होनेसे हिन्दू गायके रक्षक बननेके बजाय उसके नाश करनेवाले बन गये हैं। गोरक्षाका काम हिन्दुस्तानसे विदेशी हुकूमतको हटानेके कामसे भी ज्यादा कठिन है।

(नोट : कहा जाता है कि हिन्दुस्तानकी गाय रोजाना लगभग २ पाण्ड दूध देती है, जब कि न्यूजीलैण्डकी १४ पाण्ड, अंग्लैण्डकी १५ पाण्ड

और हालैण्डकी गाय रोजाना २० पीण्ड दूध देती है। जैसे-जैसे दूधकी पैदावार बढ़ती है वैसे-वैसे तन्दुरुस्तीके आँकड़े भी बढ़ते हैं।)

हरिजनसेवक, ३१-८-'४७

मुझे यह देखकर आश्चर्य होता है कि हम भैंसके दूध-वाँका कितना पक्षपात करते हैं। असलमें हम निकटका स्वार्थ देखते हैं, दूरके लाभका विचार नहीं करते। नहीं तो यह साफ है कि अन्तमें गाय ही ज्यादा उपयोगी है। गायके घी और मक्खनमें अके खान तरहका पोया रंग होता है, जिसमें भैंसके मक्खनसे कहीं अधिक कैरोटिन यानी विटामिन 'अ' रहता है। उसमें अके खान तरहका स्वाद भी है। मुझने मिलने आनेवाले विदेशी यात्री सेवाग्राममें गायका शुद्ध दूध पीकर खुश हो जाते हैं। और यूरोपमें तो भैंसके घी और मक्खनके बारेमें कोई जानना ही नहीं। हिन्दुस्तान ही ऐसा देश है, जहां भैंसका घी-दूध अितना पसन्द किया जाता है। इससे गायकी बरवादी हुई है। त्रिनील्लिअे में कहना हूँ कि हम सिर्फ गाय पर ही जोर न देंगे, तो गाय नहीं बच नकेगी।

हरिजनसेवक, २२-२-'४२

३३

सहकारी गोपालन

प्रत्येक किसान अपने घरमें गाय-बैल रखकर उनका पालन भली-भाँति और शास्त्रीय पद्धतिसे नहीं कर सकता। गोवंशके हानिके अनेक कारणोंमें व्यक्तिगत गोपालन भी अके कारण रहा है। यह वास्तव्यव्यक्तिक किसानकी शक्तके विलकुल बाहर है।

मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आज संसार हरअके काममें मानु-दायिक रूपसे शक्तिका संगठन करनेकी ओर जा रहा है। अित संगठनका नाम सहयोग है। बहुतसी बातें आजकल सहयोगमें हो रही हैं। हमारे मुल्कमें भी सहयोग आया तो है, लेकिन वह अैसे विकृत रूपमें आया है कि उसका सही लाभ हिन्दुस्तानके गरीबोंको विलकुल नहीं मिलता।

हमारी आवादी बढ़ती जा रही है और उसके साथ किसानकी व्यक्तिगत जमीन कम होती जा रही है। नतीजा यह हुआ है कि प्रत्येक किसानके पास जितनी चाहिये अुतनी जमीन नहीं है। जो है वह अुसकी अड़चनोंको बढ़ानेवाली है। अैसा किसान अपने घरमें या खेत पर गाय-बैल नहीं रख सकता। रखता है तो अपने हाथों अपनी बरवादीको न्योता भी देता है। आज हिन्दुस्तानकी यही हालत है। धर्म, दया या नीतिकी परवाह न करनेवाला अर्थशास्त्र तो पुकार-पुकार कर कहता है कि आज हिन्दुस्तानमें लाखों पशु मनुष्यको खा रहे हैं। क्योंकि अुनसे कुछ लाभ नहीं पहुंचने पर भी अुन्हें खिलाना तो पड़ता ही है। अिसलिअे अुन्हें मार डालना चाहिये। लेकिन धर्म कहो, नीति कहो या दया कहो; ये हमें अिन निकम्मे पशुओंको मारनेसे रोकते हैं।

अिस होलतमें क्या किया जाये? यही कि जितना प्रयत्न पशुओंको जीवित रखने और अुन्हें बोज़ न बनने देनेका ही सकता है अुतना किया जाय। अिस प्रयत्नमें सहयोगका बड़ा महत्त्व है। सहयोग अयवा सामुदायिक पद्धतिसे पशु-पालन करनेसे :

१. जगह बचेगी। किसानको अपने घरमें पशु नहीं रखने पड़ेंगे। आज तो जिस घरमें किसान रहता है, अुसीमें अुसके सारे मवेशी भी रहते हैं। अिससे हवा विगड़ती है और घरमें गंदगी रहती है। मनुष्य पशुके साथ अेक ही घरमें रहनेके लिअे पैदा नहीं किया गया है। अैसा करनेमें न दया है, न ज्ञान।

२. पशुओंकी वृद्धि होने पर अेक घरमें रहना असंभव हो जाता है। अिसलिअे किसान बछड़ेको बेच डालता है और भैंसे या पाड़ेको मार डालता है, या मरनेके लिअे छोड़ देता है। यह अधमता है। सहयोगसे यह रुकेगा।

३. जब पशु बीमार होता है, तब व्यक्तिगत रूपसे किसान अुसका शास्त्रीय अुपचार नहीं करवा सकता। सहयोगसे ही चिकित्सा सुलभ होती है।

४. प्रत्येक किसान सांड नहीं रख सकता। सहयोगके आधार पर बहुतसे पशुओंके लिअे अेक अच्छा सांड रखना सरल है।

५. प्रत्येक किसान गोचर-भूमि तो ठीक, पशुओंके लिये व्यायामकी यानी हिरने-फिरनेकी भूमि भी नहीं छोड़ सकता। किन्तु सहयोग द्वारा ये दोनों सुविधायें आसानीसे मिल सकती हैं।

६. व्यक्तिगत रूपमें किसानको घास अित्यादि पर बहुत खर्च करना पड़ता है। सहयोग द्वारा कम खर्चमें काम चल जायगा।

७. किसान व्यक्तिगत रूपमें अपना दूध आसानीसे नहीं बेच सकता। सहयोग द्वारा उसे दाम भी अच्छे मिलेंगे और वह दूधमें पानी वगैरा मिलानेके लालचसे भी बच सकेगा।

८. व्यक्तिगत रूपमें किसानके लिये पशुओंकी परीक्षा करना असंभव है, किन्तु गांवभरके पशुओंकी परीक्षा सुलभ है। और भुनकी नसलके सुधारका प्रश्न भी आसान हो जाता है।

९. सामुदायिक या सहयोगी पद्धतिके पक्षमें अितने कारण पर्याप्त होने चाहिये। परन्तु सबसे बड़ी और सचोट दलील तो यह है कि व्यक्तिगत पद्धतिके कारण ही हमारी और पशुओंकी दया आज अितनी दयनीय हो अुठी है। उसे बदल दें तो हम बच सकते हैं, और पशुओंको भी बचा सकते हैं।

मेरा तो विश्वास है कि जब हम अपनी जमीनको सामुदायिक पद्धतिसे जोतेंगे, तभी अुससे फायदा अुठा सकेंगे। गांवकी खेती अलग-अलग सी टुकड़ोंमें बांट जाय, अिसके बनिस्बत क्या यह बेहतर नहीं होगा कि सी कुटुम्ब सारे गांवकी खेती सहयोगसे करें और भुनकी जागदनी आपसमें बांट लिया करें? और जो खेतीके लिये मच है, वह पशुओंके लिये भी सच है।

यह दूसरी बात है कि आज लोगोंको सहयोगकी पद्धति पर जानेमें कठिनाई है। कठिनाई तो सभी सच्चे और अच्छे कामोंमें होती है। गोसेवाके सभी अंग कठिन हैं। कठिनायियां दूर करनेसे ही सेवाका मार्ग सुगम बन सकता है। यहां तो मुझे अितना ही बताना था कि सामुदायिक पद्धति क्या चीज है और यह कि वैयक्तिक पद्धति गलत है, सामुदायिक सही है। व्यक्ति अपने स्वार्थकी रक्षा भी सहयोगको स्वीकार करके

ही कर सकता है। अतएव सामुदायिक पद्धति अहिंसात्मक है, वैयक्तिक हिंसात्मक।

हरिजनसेवक, १५-२-४२

गोबर, कचरे और मनुष्यके मल वगैरामें से खूबसूरत और सुगन्धित खाद मिल सकती है। यह सुनहली चीज है। घूलमें से धन पैदा करनेकी बात है। . . . यह खाद बनाना भी एक ग्रामोद्योग है। यह तभी चल सकता है, जब करोड़ों अुसमें हिस्सा लें, मदद दें।

दिल्ली-डायरी, पृ० २८६-८७

३४

गांवोंकी सफाई

श्रम और बुद्धिके बीच जो अलगाव हो गया है, अुसके कारण हम अपने गांवोंके प्रति अितने लापरवाह हो गये हैं कि वह एक गुनाह ही माना जा सकता है। नतीजा यह हुआ है कि देशमें जगह-जगह सुहावने और मनभावने छोटे-छोटे गांवोंके बदले हमें घूरे जैसे गंदे गांव देखनेको मिलते हैं। बहुतसे या यों कहिये कि करीब-करीब सभी गांवोंमें घुसते समय जो अनुभव होता है, अुससे दिलको खुशी नहीं होती। गांवके बाहर और आसपास अितनी गंदगी होती है और वहां अितनी बदबू आती है कि अकसर गांवमें जानेवालेको आंख मूंदकर और नाक दबाकर ही जाना पड़ता है। ज्यादातर कांग्रेसी गांवके वाशिन्दे होने चाहिये; अगर अैसा हो तो अुनका फर्ज हो जाता है कि वे अपने गांवोंको सब तरहसे सफाईके नमूने बनायें। लेकिन गांववालोंके हमेशाके यानी रोज-रोजके जीवनमें शरीक होने या अुनके साथ घुलने-मिलनेको अुन्होंने कभी अपना कर्तव्य माना ही नहीं। हमने राष्ट्रीय या सामाजिक सफाईको न तो जरूरी गुण माना, और न अुसका विकास ही किया। यों रिवाजके कारण हम अपने ढंगसे नहाभर लेते हैं, मगर जिस नदी, तालाव या कुअैके किनारे हम श्राद्ध या वैसी ही दूसरी कोअी धार्मिक

क्रिया करते हैं और जिन जलाशयोंमें पवित्र होनेके विचारसे हम नहाते हैं, उनके पानीको बिगाड़ने या गन्दा करनेमें हमें कोई हिचक नहीं होती। हमारी अिस कमजोरीको मैं अेक बड़ा दुर्गुण मानता हूं। अिस दुर्गुणका ही यह नतीजा है कि हमारे गांवोंकी और हमारी पवित्र नदियोंके पवित्र तटोंकी लज्जाजनक दुर्दशा और गन्दगीसे पैदा होनेवाली बीमारियां हमें भोगनी पड़ती हैं।

रचनात्मक कार्यक्रम, पृ० २७-२८

गांवोंमें करनेके कार्य ये हैं कि उनमें जहां-जहां कूड़े-ककट तथा गोबरके ढेर हों, वहां-वहांसे उनको हटाया जाय और कुओं तथा तालाबोंकी सफाई की जाय। अगर कार्यकर्ता लोग नीकर रखे हुअे भंगियोंकी भांति खुद रोज सफाईका काम करना शुरू कर दें और साथ ही गांववालोंको यह भी बतलाते रहें कि उनसे सफाईके कार्यमें शरीक होनेकी आशा रखी जाती है, ताकि आगे चलकर अन्तमें सारा काम गांववाले स्वयं करने लग जायें, तो यह निश्चित है कि आगे या पीछे गांववाले अिस कार्यमें अवश्य सहयोग देने लगेंगे।

वहांके बाजार तथा गलियोंको सब प्रकारका कूड़ा-ककट हटाकर स्वच्छ बना लेना चाहिये। फिर अुस कूड़ेका वर्गीकरण कर देना चाहिये। अुसमें से कुछका तो खाद बनाया जा सकता है, कुछको सिर्फ जमीनमें गाड़ देनाभर बस होगा और कुछ हिस्सा अैसा होगा कि जो सीवा सम्पत्तिके रूपमें परिणत किया जा सकेगा। वहां मिली हुअी प्रत्येक हड्डी अेक बहुमूल्य कच्चा माल होगी, जिससे बहुतसी अुपयोगी चीजें बनाई जा सकेंगी, या जिसे पीसकर कीमती खाद बनाया जा सकेगा। कपड़ेके फटे-पुराने चिथड़ों तथा रद्दी कागजोंसे कागज बनाये जा सकते हैं और अिधर-अुधरसे अिकट्टा किया हुआ मल-मूत्र गांवके खेतोंके लिये सुनहले खादका काम देगा। मल-मूत्रको अुपयोगी बनानेके लिये यह करना चाहिये कि अुसके साथ — चाहे वह सूखा हो या तरल — मिट्टी मिलाकर अुसे ज्यादासे ज्यादा अेक फुट गहरा गड्ढा खोदकर जमीनमें गाड़ दिया जाय। गांवोंकी स्वास्थ्य-रक्षा पर लिखी हुअी अपनी पुस्तकमें डॉ० पूअरे

कहते हैं कि जमीनमें मल-मूत्रको नी या वारह अिचसे अधिक गहरा नहीं गाड़ना चाहिये। (मैं यह बात केवल स्मृतिके आधार पर लिख रहा हूँ।) अुनकी मान्यता यह है कि जमीनकी अूपरी सतह सूक्ष्म जीवोंसे परिपूर्ण होती है और हवा अेवं रोशनीकी सहायतासे — जो कि आसानीसे वहां तक पहुंच जाती है — ये जीव मल-मूत्रको अेक हफ्तेके अन्दर अेक अच्छी, मुलायम और सुगन्धित मिट्टीमें बदल देते हैं। कोअी भी ग्रामवासी स्वयं अिस बातकी सचाअीका पता लगा सकता है। यह कार्य दो प्रकारसे किया जा सकता है। या तो पाखाने बनाकर अुनमें शीघ्र जानेके लिये मिट्टी तथा लोहेकी वाल्टियां रख दी जायं और फिर प्रतिदिन अुन वाल्टियोंको पहलेसे तैयार की हुअी जमीनमें खाली करके अूपरसे मिट्टी डाल दी जाय, या फिर जमीनमें चौरस गड्ढा खोदकर सीधे अुसीमें मल-मूत्रका त्याग करके अूपरसे मिट्टी डाल दी जाय। यह मल-मूत्र या तो देहातके सामूहिक खेतोंमें गाड़ा जा सकता है या व्यक्तिगत खेतोंमें। लेकिन यह कार्य तभी संभव है जब कि गांववाले सहयोग दें। कोअी भी अुद्योगी ग्रामवासी कमसे कम अितना काम तो खुद भी कर ही सकता है कि मल-मूत्रको अेकत्र करके अुसको अपने लिये सम्पत्तिमें परिवर्तित कर दे। आजकल तो यह सारा कीमती खाद, जो लाखों रुपयेकी कीमतका है, प्रतिदिन व्यर्थ जाता है और बदलेमें हवाको गन्दी करता तथा बीमारियां फैलाता रहता है।

गांवोंके तालावोंसे स्त्री और पुरुष सब स्नान करने, कपड़े धोने, पानी पीने तथा भोजन बनानेका काम लिया करते हैं। बहुतसे गांवोंके तालाव पशुओंके काम भी आते हैं। बहुधा अुनमें भैंसों वैठी हुअी पाअी जाती हैं। आश्चर्य तो यह है कि तालावोंका अितना पापपूर्ण दुरुपयोग होते रहने पर भी महामारियोंसे गांवोंका नाश अब तक क्यों नहीं हो पाया है? आरोग्य-विज्ञान अिस विषयमें अेकमत है कि पानीकी सफाअीके संबंधमें गांववालोंकी अुपेक्षा-वृत्ति ही अुनकी बहुतसी बीमारियोंका कारण है।

पाठक अिस बातको स्वीकार करेंगे कि अिस प्रकारका सेवाकार्य शिक्षाप्रद होनेके साथ ही साथ अलौकिक रूपसे आनन्ददायक भी है

और जिसमें भारतवर्षके सन्ताप-पीड़ित जन-समाजका अनिर्वचनीय कल्याण भी समाया हुआ है। मुझे अुम्माद है कि जिस समस्याको मुलजानेके तरीकेका मैंने अपर जो वर्णन किया है, अुससे अितना तो नाफ हो गया होगा कि अगर अैसे अुत्साही कार्यकर्ता मिल जायं, जो झाडू और फावड़ेको भी अुतने ही आराम और गर्वके साथ हाथमें ले लें जैसे कि कलम और पेंसिलको लेते हैं, तो जिस कार्यमें खर्चका कोअी सवाल ही नहीं अुठेगा। अगर किसी खर्चकी जरूरत पड़ेगी भी तो वह केवल झाडू, फावड़ा, टोकरी, कुदाली और शायद कुछ कीटाणु-नाशक दवाअियां खरीदने तक ही सीमित रहेगा। सूखी राख संभवतः अुतनी ही अच्छी कीटाणु-नाशक दवा है, जितनी कि कोअी रसायनशास्त्री दे सकता है।

हरिजनसेवक, १५-२-३५

आदर्श भारतीय गांव जिस तरह वसाया और वनाया जाना चाहिये, जिससे वह सम्पूर्णतया नीरोग हो सके। अुसके झोंपड़ों और मकानोंमें काफी प्रकाश और वायु आ-जा सके। ये झोंपड़े अैसी चीजोंके वने हों जो पांच मीलकी सीमाके अन्दर अुपलब्ध हो सकती हैं। हर मकानके आसपास या आगे-पीछे अितना बड़ा आंगन हो, जिसमें गृहस्थ अपने लिये साग-भाजी लगा सकें और अपने पशुओंको रख सकें। गांवकी गलियों और रास्तों पर जहां तक हो सके धूल न हो। अपनी जरूरतके अनुसार गांवमें कुअें हों, जिनसे गांवके सब लोग पानी भर सकें। सबके लिये प्रार्थना-घर या मंदिर हों, सार्वजनिक सभा वगैराके लिये अेक अलग स्थान हो, गांवकी अपनी गौचर-भूमि हो, सहकारी ढंगकी अेक गोशाला हो, अैसी प्राथमिक और माध्यमिक शालायें हों जिनमें अुद्योगकी शिक्षा सर्वप्रधान वस्तु हो, और गांवके अपने मामलोंका निपटारा करनेके लिये अेक ग्राम-पंचायत भी हो। अपनी जरूरतोंके लिये अनाज, साग-भाजी, फल, खादी वगैरा खुद गांवमें ही पैदा हों। अेक आदर्श गांवकी मेरी अपनी यह कल्पना है। मौजूदा परिस्थितिमें अुसके मकान ज्योंके त्यों रहेंगे, सिर्फ यहां-वहां थोड़ा-सा सुधार कर देना अभी काफी होगा। अगर कहीं जमींदार हो और वह भला आदमी हो या गांवके लोगोंमें सहयोग और प्रेमभाव हो, तो वगैर सरकारी सहायताके खुद

ग्रामीण ही — जिनमें जमींदार भी शामिल है — अपने बल पर लगभग ये सारी बातें कर सकते हैं। हां, सिर्फ नये सिरेसे मकानोंको बनानेकी बात छोड़ दीजिये। और अगर सरकारी सहायता भी मिल जाय तब तो ग्रामीणोंकी जिस तरह पुनर्रचना हो सकती है कि जिसकी कोअी सीमा ही नहीं। पर अभी तो मैं यही सोच रहा हूं कि खुद ग्रामनिवासी अपने बल पर परस्पर सहयोगके साथ और सारे गांवके भलेके लिये हिल-मिलकर मेहनत करें, तो वे क्या क्या कर सकते हैं? मुझे तो यह निश्चय हो गया है कि अगर अन्हें अुचित सलाह और मार्गदर्शन मिलता रहे, तो गांवकी — मैं व्यक्तियोंकी बात नहीं करता — आय बराबर हुनी हो सकती है। व्यापारी दृष्टिसे काममें आने लायक अखूट साधन-सामग्री हर गांवमें भले ही न हो, पर स्थानीय अुपयोग और लाभके लिये तो लगभग हर गांवमें है। पर सबसे बड़ी बदकिस्मती तो यह है कि अपनी दशा सुधारनेके लिये गांवके लोग खुद कुछ नहीं करना चाहते।

अेक गांवके कार्यकर्ताको सबसे पहले गांवकी सफाअी और आरोग्यके सवालको अपने हाथमें लेना चाहिये। यों तो ग्रामसेवकोंको किंकर्तव्य-विमूढ बना देनेवाली अनेक समस्यायें हैं, पर यह समस्या अैसी है जिसकी सबसे अधिक लापरवाही की जा रही है। फलतः गांवकी तन्दुरुस्ती विगड़ती रहती है और रोग फैलते रहते हैं। अगर ग्रामसेवक स्वेच्छापूर्वक भंगी बन जाय, तो वह प्रतिदिन मैला अुठाकर अुसका खाद बना सकता है और गांवके रास्ते बृहार सकता है। वह लोगोंसे कहे कि अुन्हें पाखाना-पेशाब कहां करना चाहिये, किस तरह सफाअी रखनी चाहिये, अुसके क्या लाभ हैं, और अुसके न रखनेसे क्या क्या नुकसान होते हैं। गांवके लोग अुसकी बात चाहे सुनें या न सुनें, वह अपना काम बराबर करता रहे।

हरिजनसेवक, १६-१-३७

गांवका आरोग्य

मेरी रायमें जिस जगह शरीर-सफाई, घर-सफाई और ग्राम-सफाई हो तथा युक्ताहार और योग्य व्यायाम हो, वहां कमसे कम बीमारी होती है। और, अगर चित्तशुद्धि भी हो, तो कहा जा सकता है कि बीमारी असंभव हो जाती है। रामनामके बिना चित्तशुद्धि नहीं हो सकती। अगर देहातवाले अतनी वात समझ जायं, तो वैद्य, हकीम या डॉक्टरकी जरूरत न रह जाय।

कुदरती उपचारके गर्भमें यह बात रही है कि मानव-जीवनकी आदर्श रचनामें देहातकी या शहरकी आदर्श रचना आ ही जाती है। और उसका मध्यविन्दु तो भीस्वर ही हो सकता है।

कुदरती अिलाजके गर्भमें यह बात रही है कि उसमें कमसे कम खर्च और ज्यादासे ज्यादा सादगी होनी चाहिये। कुदरती उपचारका आदर्श ही यह है कि जहां तक संभव हो, उसके साधन जैसे होने चाहिये कि उपचार देहातमें ही हो सके। जो साधन नहीं हैं वे पैदा किये जाने चाहिये। कुदरती उपचारमें जीवन-परिवर्तनकी बात आती है। यह कोई वैद्यकी दी हुई पुड़िया लेनेकी बात नहीं है, और न अस्पताल जाकर मुफ्त दवा लेने या वहां रहनेकी बात है। जो मुफ्त दवा लेता है वह भिक्षुक बनता है। जो कुदरती उपचार करता है, वह कभी भिक्षुक नहीं बनता। वह अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाता है और अच्छा होनेका अपाय खुद ही कर लेता है। वह अपने शरीरमें से जहर निकाल कर ऐसा प्रयत्न करता है, जिससे दुवारा बीमार न पड़ सके। और कुदरती अिलाजमें मध्यविन्दु तो रामनाम ही है न?

पथ्य खुराक — युक्ताहार — अिस उपचारका अनिवार्य अंग है। आज हमारे देहात हमारी ही तरह कंगाल हैं। देहातमें साग-सब्जी, फल, दूध वगैरा पैदा करना कुदरती अिलाजका खास अंग है। अिसमें

जो समय खर्च होता है, वह व्यर्थ नहीं जाता। बल्कि अुससे सारे देहातियोंको और आखिरमें सारे हिन्दुस्तानको लाभ होता है।

हरिजनसेवक, २-६-'४६

निचोड़ यह निकला कि अगर हम सफाईके नियम जानें, अुनका पालन करें और सही खुराक लें, तो हम खुद अपने डॉक्टर बन जायें। जो आदमी जीनेके लिये खाता है, जो पांच महाभूतोंका यानी मिट्टी, पानी, आकाश, सूरज और हवाका दोस्त बनकर रहता है, जो अुनको बनानेवाले अीश्वरका दास बनकर जीता है, वह कभी बीमार न पड़ेगा। पड़ा भी तो अीश्वरके भरोसे रहता हुआ शान्तिसे मर जायगा। वह अपने गांवके मैदानों या खेतोंमें मिलनेवाली जड़ी-बूटी या औषधि लेकर ही सन्तोष मानेगा। करोड़ों लोग अिसी तरह जीते और मरते हैं। अुन्होंने तो डॉक्टरका नाम तक नहीं सुना। वे अुसका मुंह कहांसे देखें? हम भी ठीक अैसे ही बन जायं और हमारे पास जो देहाती लड़के और बड़े आते हैं अुनको भी अिसी तरह रहना सिखा दें। डॉक्टर लोग कहते हैं कि १०० में से ९९ रोग गन्दगीसे, न खाने जैसा खानेसे और खाने लायक चीजोंके न मिलने और न खानेसे होते हैं। अगर हम अिन ९९ लोगोंको जीनेकी कला सिखा दें, तो बाकी अेकको हम भूल जा सकते हैं। अुसके लिये कोअी परोपकारी डॉक्टर मिल जायेगा। हम अुसकी फिकर न करें। आज हमें न तो अच्छा पानी मिलता है, न अच्छी मिट्टी और न साफ हवा ही मिलती है। हम सूरजसे छिप-छिपकर रहते हैं। अगर हम अिन सब बातोंको सोचें और सही खुराक सही तरीकेसे लें, तो समझिये कि हमने जमानोंका काम कर लिया। अिसका ज्ञान पानेके लिये न तो हमें कोअी डिग्री चाहिये और न करोड़ों रुपये! जरूरत सिर्फ अिस बातकी है कि हममें अीश्वर पर श्रद्धा हो, सेवाकी लगन हो, पांच महाभूतोंका कुछ परिचय हो, और हो सही भोजनका सही ज्ञान। अितना तो हम स्कूल और कॉलेजकी शिक्षाके बनिस्वत खुद ही थोड़ी मेहनतसे और थोड़े समयमें हासिल कर सकते हैं।

हरिजनसेवक, १-९-'४६

जाने-अनजाने कुदरतके कानूनोंको तोड़नेसे ही बीमारी पैदा होती है। जिसलिये उसका अिलाज भी यही हो सकता है कि बीमार फिर कुदरतके कानूनों पर अमल करना शुरू कर दे। जिस आदमीने कुदरतके कानूनको हदसे ज्यादा तोड़ा है, उसे तो कुदरतकी सजा भोगनी ही पड़ेगी, या फिर उससे बचनेके लिये अपनी जरूरतके मुताबिक डॉक्टरों या सर्जनोंकी मदद लेनी होगी। वाजिब सजाको सोच-समझकर चुपचाप सह लेनेसे मनकी ताकत बढ़ती है, मगर उसे टालनेकी कोशिश करनेसे मन कमजोर बनता है।

हरिजनसेवक, १५-९-४६

मैं यह जानना चाहूंगा कि ये डॉक्टर और वैज्ञानिक लोग देशके लिये क्या कर रहे हैं? वे हमेशा खास-खान्न बीमारियोंके अिलाजके नये-नये तरीके सीखनेके लिये विदेशोंको जानेके लिये तैयार दिखायी देते हैं। मेरी सलाह है कि वे हिन्दुस्तानके ७ लाख गांवोंकी तरफ ध्यान दें। अज्ञान करने पर अन्हें जल्दी ही मालूम हो जायगा कि डॉक्टरोंकी डिग्रियां लिये हुये सारे मर्द और औरतोंकी, पश्चिमी नहीं बल्कि पूर्वी ढंग पर, ग्रामसेवाके काममें जरूरत है। तब वे अिलाजके बहुतसे देशी तरीकोंको अपना लेंगे। जब हिन्दुस्तानके गांवोंमें ही कभी तरहकी जड़ी-बूटियों और दवाअियोंका अखूट भण्डार मौजूद है, तब उसे पश्चिमी देशोंसे दवाअियां मंगानेकी कोयी जरूरत नहीं। लेकिन दवाअियोंसे भी ज्यादा अिन डॉक्टरोंको जीनेका सही तरीका गांववालोंको सिखाना होगा।

हरिजनसेवक, १५-६-४७

मेरा कुदरती अिलाज तो सिर्फ गांववालों और गांवोंके लिये ही है। जिसलिये उसमें खुर्दवीन, अेक्स-रे बगैराकी कोयी जगह नहीं है। और न ही कुदरती अिलाजमें कुनैन, अमिटीन, पेनिसिलीन बगैरा दवाओंकी गुंजाअिय है। उसमें अपनी सफाअी, घरकी सफाअी, गांवकी सफाअी और तन्दुरुस्तीकी अिफाजतका पहला और पूरा-पूरा स्यान है। अिसकी तहमें खयाल यह है कि अगर अितना किया जाय या हो सके, तो कोयी

बीमारी ही न हो। और बीमारी आ जाय तो उसे मिटानेके लिये कुदरतके सभी कानूनों पर अमल करनेके साथ-साथ रामनाम ही बुसका असल अिलाज है। यह अिलाज सार्वजनिक या आम नहीं हो सकता। जब तक खुद अिलाज करनेवालेमें रामनामकी सिद्धि न आ जाय, तब तक रामनामरूपी अिलाजको अेकदम आम नहीं बनाया जा सकता।

हरिजनसेवक, १८-८-१४६

३६

गांवोंका आहार

हाथ-कुटाअीका चावल

अगर चावल पुरानी पद्धतिसे गांवोंमें ही कूटा जाय, तो बुसकी मजदूरी हाथ-कुटाअी करनेवाली वहनोंके हाथमें जायगी और चावल खानेवाले लाखों लोगोंको, जिन्हें आज मिलोंके पालिश किये हुअे चावलसे केवल स्टार्च मिलता है, हाथ-कुटे चावलसे कुछ पोषक तत्त्व भी मिलेंगे। चावल पैदा करनेवाले प्रदेशोंमें जहां-तहां जो भयावनी चावलकी मिलें खड़ी दिखायी देती हैं उनका कारण मनुष्यका वह अमर्यादित लोभ ही है, जो न तो अपनी तृप्तिके लिये अपने पंजेमें आये हुअे लोगोंके स्वास्थ्यकी परवाह करता है और न उनके सुखकी। अगर लोकमत शक्तिशाली होता तो वह चावलकी मिलोंके मालिकोंसे अिस व्यापारको — जो समूचे राष्ट्रके स्वास्थ्यको खोखला बनाता है और गरीबोंको जीविकोपार्जनके अेक अीमान-दारीपूर्ण साधनसे वंचित करता है — बंद करनेका अनुरोध करता और हाथ-कुटाअीके चावलोंके ही अुपयोगका आग्रह रखकर चावल कूटनेवाली मिलोंका चलना अशक्य कर देता।

हरिजन, २६-१०-१४४

गेहूँका चोकर-युक्त आटा

यह तो सभी डॉक्टरोंकी राय है कि बिना चोकरका आटा अतना ही हानिकर है जितना कि पालिश किया हुआ चावल। बाजारमें जो महीन आटा या मैदा विकता है उसके मुकाबलेमें घरकी चक्कीका पिसा हुआ बिना चला गेहूँका आटा अच्छा भी होता है और सस्ता भी। सस्ता असलिये होता है कि पिसाओका पैसा बच जाता है। फिर घरके पिसे हुअे आटेका वजन कम नहीं होता। महीन आटे या मैदेमें तेल कम हो जाती है। गेहूँका सबसे पीष्टिक अंश उसके चोकरमें होता है। गेहूँकी भूसी चालकर निकाल डालनेसे उसके पीष्टिक तत्वकी बहुत बड़ी हानि होती है। ग्रामवासी या दूसरे लोग जो घरकी चक्कीका पिसा आटा बिना चला हुआ खाते हैं, वे पैसेके साथ-साथ अपना स्वास्थ्य भी नष्ट होनेसे बचा लेते हैं। आज आटेकी मिलें जो लाखों रुपये कमा रही हैं, उस रकमका काफी बड़ा हिस्सा गांवोंमें हाथकी चक्कियां फिरसे चलने लगनेसे गांवोंमें ही रहेगा और वह सत्तात्र गरीबोंके बीच बंटता रहेगा।

हरिजनसेवक, ८-२-३५

गुड़

डॉक्टरोंकी रायके अनुसार गुड़ . . . सफेद चीनीकी अपेक्षा कहीं अधिक पीष्टिक है; और अगर गांववालोंने गुड़ बनाना छोड़ दिया तो उनके बाल-बच्चोंके आहारमें से एक जरूरी चीज निकल जायगी। वे खुद शायद गुड़के बिना अपना काम चला सकेंगे, पर उनके बच्चोंकी शारीरिक ताकत गुड़के अभावमें निश्चय ही घट जायगी। . . . अगर गुड़ बनाना जारी रहा और लोगोंने उसका उपयोग करना न छोड़ा, तो ग्रामवासियोंका करोड़ों रुपया उनके पास ही रहेगा।

हरिजनसेवक, ८-२-३५

हरी पत्ता-भाजियां

आहार या विटामिनोंके विषय पर लिखी गयी कोअी भी आधुनिक पाठ्य-पुस्तक अठाविये, तो उसमें आप इस बातकी जोरदार सिफारिश

पायेंगे कि हरअेक भोजनके साथ थोड़ी-सी कच्ची हरी पत्ता-भाजी जरूर ली जाय। बेशक, खानेसे पहले अुन्हें चार-छह वार अच्छी तरह धो लेना चाहिये, ताकि अुनमें लगी हुअी मिट्टी और दूसरा कचरा विलकुल साफ हो जाय। ये पत्ता-भाजियां हरअेक गांवमें आसानीसे मिल सकती हैं; सिर्फ अुन्हें तोड़नेकी जरूरत है। फिर भी, हरी पत्ता-भाजियां शहरोंके ही लोगोंके शौककी चीज समझी जाती हैं।

भारतके अधिकांश हिस्सोंमें गांववाले तो दाल, चावल या रोटी पर ही गुजारा करते हैं और अिनके साथ बहुत-सी मिर्चे खाते हैं, जो शरीरको नुकसान पहुंचाती हैं। चूंकि गांवोंके आर्थिक पुनर्गठनका काम आहारके सुधारसे शुरू किया गया है, अिसलिअे सस्ते और सादे अैसे खाद्योंको ढूंढ निकालना बहुत जरूरी है जिनसे, गांववाले अपना खोया हुआ स्वास्थ्य पुनः प्राप्त कर सकें। भोजनके साथ थोड़ी-सी हरी पत्ता-भाजी लेनेसे गांवके लोग अैसे अनेक रोगोंसे बच जायेंगे जिनसे वे आज तकलीफ भोगते हैं। गांववालोंके भोजनमें विटामिनोंकी कमी है; अुनमें से अधिकांशकी पूर्ति ताजे हरे पत्तोंसे हो सकती है। मैंने अपने भोजनमें सरसों, सीया, शलजम, गाजर और मूलीकी पत्तियां लेना शुरू किया है। यह कहनेकी जरूरत नहीं कि शलजम, गाजर और मूलीकी सिर्फ पत्तियां ही नहीं, अुनके कंद भी कच्चे खाये जाते हैं। अिनकी पत्तियों या कंदोंको आग पर पकाकर खाना अुनके सुप्रिय स्वादको मारना और पैसेका दुर्व्यय करना है। आग पर पकानेसे अिन भाजियोंके विटामिन विलकुल या अधिकांश नष्ट हो जाते हैं। अिन्हें पका कर खाना अिनके स्वादकी हत्या करना है। अैसा मैं अिसलिअे कहता हूं कि कच्ची भाजियोंमें अेक प्राकृतिक स्वाद होता है, जो कि पकानेसे नष्ट हो जाता है।

हरिजन, १५-२-'३५

ग्रामसेवक

गांवोंमें जाकर काम करनेसे हम चौंकते हैं। हम शहरी लोगोंको देहाती जीवन अपनाना बहुत मुश्किल मालूम होता है। बहुतोंके शरीर ही गांवकी कठिन चर्याको सहनेसे बिनकार कर देते हैं। परंतु यदि हम स्वराज्यकी स्थापना जनताकी भलाबीके लिये करना चाहते हैं, सिर्फ शासकोंके मांजूदा दलकी जगह उनके जैसा ही कोई दूसरा दल — जो शायद उनसे भी बुरा सिद्ध हो — नहीं बिठाना चाहते, तो जिस कठिनायीका मुकाबला हमें साहसके साथ ही नहीं बल्कि वीरताके साथ, अपने प्राणोंकी बाजी लगाकर करना होगा। आज तक देहाती लोग, हजारों और लाखोंकी संख्यामें, हमारे जीवनका पोषण करनेके लिये मरते आये हैं, अब उनके जीवनका पोषण करनेके लिये हमें मरना होगा। वेशक, उनके मरनेमें और हमारे मरनेमें बुनियादी फर्क होगा। वे बिन-जाने और अनिच्छापूर्वक मरे हैं। उनके जिस विचित्र बलिदानने हमें गिराया है। अब यदि हम ज्ञानपूर्वक और विच्छापूर्वक मरेंगे, तो हमारा बलिदान हमें और हमारे साथ समूचे राष्ट्रको ऊपर उठावेगा। यदि हम एक आजाद और स्वावलंबी देशकी तरह जीना चाहते हैं, तो जिस आवश्यक बलिदानसे हमें अपना कदम पीछे नहीं हटाना चाहिये।

यंग इंडिया, १७-४-२४

सुसंस्कृत घर जैसी कोई पाठशाला नहीं और भीमानदार तथा सदाचारी माता-पिता जैसे कोई शिक्षक नहीं। स्कूलोंमें मिलनेवाली प्रचलित शिक्षा गांववालों पर एक व्यर्थका बोझ है, जिसका उनके लिये कोई उपयोग नहीं है। उनके बच्चे उसे पानेकी आशा नहीं कर सकते। और भगवानको धन्यवाद है कि यदि उन्हें सुसंस्कृत घरकी तालीम मिल सके, तो उन्हें कभी भी उसकी कमी खटकेगी नहीं। अगर ग्रामसेवक संस्कारवान नहीं है, अगर वह अपने घरमें सुसंस्कृत वातावरण पैदा करनेकी क्षमता नहीं रखता, तो उसे ग्रामसेवक बननेकी, ग्रामसेवक होनेका सम्मान और अधिकार पानेकी, आकांक्षा छोड़ देना चाहिये। . . . उन्हें

लिखने-पढ़नेके ज्ञानकी नहीं, अपनी आर्थिक स्थिति और उसे सुधारनेके उपायोंके ज्ञानकी जरूरत है। आज तो वे यंत्रोंकी तरह जड़वत् काम करते हैं; न तो उनमें अपने आसपासकी परिस्थितियोंके प्रति अपनी जिम्मेदारीका भान है और न उन्हें अपने काममें कोसी आनन्द ही आता है।

हरिजन, २३-११-'३५

गांवोंकी ऐसी बुरी हालतका कारण यह है कि जिन्हें शिक्षाका सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उन्होंने गांवोंकी बहुत अपेक्षा की है। उन्होंने अपने लिये शहरी जीवन चुना है। ग्राम-आन्दोलन तो इसी बातका एक प्रयत्न है कि जो लोग सेवाकी भावना रखते हैं, उन्हें गांवोंमें बसकर ग्रामवासियोंकी सेवामें लग जानेके लिये प्रेरित करके गांवोंके साथ स्वास्थ्य-प्रद संपर्क स्थापित किया जाय। जो लोग सेवाभावसे ग्रामोंमें बसे हैं, वे अपने सामने कठिनाइयां देखकर हतोत्साह नहीं होते। वे तो इस बातको जानकर ही वहां जाते हैं कि अनेक कठिनाइयोंमें, यहां तक कि गांववालोंकी अदासीनताके होते हुए भी, उन्हें वहां काम करना है। जिन्हें अपने मिशनमें और खुद अपने-आपमें विश्वास है, वे ही गांववालोंकी सेवा करके उनके जीवन पर कुछ असर डाल सकेंगे। सच्चा जीवन बिताना खुद ऐसा सबक है, जिसका आसपासके लोगों पर जरूर असर पड़ता है। लेकिन इस नवयुवकके साथ शायद कठिनायी यह है कि वह किसी सेवाभावसे नहीं, बल्कि सिर्फ अपने जीवन-निर्वाहके लिये रोजी कमानेको गांवमें गया है। और जो सिर्फ कमाओके लिये ही वहां जाते हैं, उनके लिये ग्राम-जीवनमें कोसी आकर्षण नहीं है, यह मैं स्वीकार करता हूं। सेवाभावके बगैर जो लोग गांवोंमें जाते हैं, उनके लिये तो उसकी नवीनता नष्ट होते ही ग्राम-जीवन नीरस हो जायगा।

अतः गांवोंमें जानेवाले किसी नवयुवकको कठिनाइयोंसे घबराकर तो कभी अपना रास्ता नहीं छोड़ना चाहिये। सबके साथ प्रयत्न जारी रखा जाय, तो मालूम पड़ेगा कि गांववाले शहरवालोंसे बहुत भिन्न नहीं हैं। और उन पर दया करने और ध्यान देनेसे वे भी साथ देंगे। यह निस्सन्देह सच है कि गांवोंमें देशके बड़े आदमियोंके सम्पर्कका अवसर नहीं मिलता है। हां, ग्राम-मनोवृत्तिकी वृद्धि होने पर नेताओंके लिये

यह जरूरी हो जायगा कि वे गांवोंमें दौरा करके अनुके साथ जीवित सम्पर्क स्थापित करें। मगर चैतन्य, रामकृष्ण, तुलसीदास, कबीर, नानक, दादू, तुकाराम, तिरुवल्लुवर जैसे सन्तोंके ग्रन्थोंके रूपमें महान और श्रेष्ठ जनोंका सत्संग तो सबको आज भी प्राप्त है। कठिनायी यही है कि मनको जिन स्थायी महत्त्वकी बातोंको ग्रहण करने लायक कैसे बनाया जाय। अगर आधुनिक विचारोंका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और वैज्ञानिक साहित्य प्राप्त करनेसे यहां आशय हो, तो कुतूहल शांत करनेके लिये ऐसा साहित्य मिल सकता है। लेकिन मैं यह मंजूर करता हूं कि जिस आसानीसे धार्मिक साहित्य मिल जाता है, वैसे यह साहित्य नहीं मिलता। सन्तोंने तो सर्व-साधारणके ही लिये लिखा और कहा है। पर आधुनिक विचारोंको सर्व-साधारणके ग्रहण करने योग्य रूपमें अनूदित करनेका शौक अभी पूरे रूपमें सामने नहीं आया है। यह जरूर है कि समय रहते ऐसा होना चाहिये। अतएव नवयुवकोंको मेरी सलाह है कि...वे अपना प्रयत्न छोड़ न दें, बल्कि अुसमें लगे रहें और अपनी अुपस्थितिसे गांवोंको अधिक प्रिय और रहने योग्य बना दें। लेकिन यह वे करेंगे ऐसी सेवाके ही द्वारा, जो गांववालोंके अनुकूल हो। अपने ही परिश्रमसे गांवोंको अधिक साफ-सुथरा बनाकर और अपनी योग्यतानुसार गांवोंकी निरक्षरता दूर करके हरअेक व्यक्ति, जिसकी शुरुआत कर सकता है। और अगर अनुके जीवन साफ, सुवड़ और परिश्रमी हों, तो जिसमें कोई शक नहीं कि जिन गांवोंमें वे काम कर रहे होंगे, अनुमें भी अुसकी छूत फैलेगी और गांववाले भी साफ, सुवड़ और परिश्रमी बनेंगे।

हरिजनसेवक, २०-२-३७

ग्रामसेवाके आवश्यक अंग

ग्राम-अुद्धारमें अगर सफाई न आवे, तो हमारे गांव कचरेके घूरे जैसे ही रहेंगे। ग्राम-सफाईका सवाल प्रजाके जीवनका अविभाज्य अंग है। यह प्रश्न जितना आवश्यक है अुतना ही कठिन भी है। दीर्घ कालसे जिस अस्वच्छताकी आदत हमें पड़ गयी है, अुसे दूर करनेके लिये महान पराक्रमकी आवश्यकता है। जो सेवक ग्राम-सफाईका शास्त्र

नहीं जानता, खुद भंगीका काम नहीं करता, वह ग्रामसेवाके लायक नहीं बन सकता।

नयी तालीमके बिना हिन्दुस्तानके करोड़ों बालकोंको शिक्षण देना लगभग असंभव है, यह चीज सर्वमान्य हो गयी कही जा सकती है। जिसलिये ग्रामसेवकको उसका ज्ञान होना ही चाहिये। उसे नयी तालीमका शिक्षक होना चाहिये। जिस तालीमके पीछे प्रौढ़-शिक्षण तो अपने-आप चला आयेगा। जहां नयी तालीमने घर कर लिया होगा, वहां बच्चे ही माता-पिताके शिक्षक बन जानेवाले हैं। कुछ भी हो, ग्रामसेवकके मनमें प्रौढ़-शिक्षण देनेकी लगन होनी चाहिये।

स्त्रीको अर्धांगिनी माना गया है। जब तक कानूनसे स्त्री और पुरुषके हक समान नहीं माने जाते, जब तक लड़कीके जन्मका लड़केके जन्म जितना ही स्वागत नहीं किया जाता, तब तक समझना चाहिये कि हिन्दुस्तान लकवेके रोगसे ग्रस्त है। स्त्रीकी अवगणना अहिंसाकी विरोधी है। जिसलिये ग्रामसेवकको चाहिये कि वह हर स्त्रीको मां, बहन या बेटेके समान समझे और उसके प्रति आदर-भाव रखे। ऐसा ग्रामसेवक ही ग्रामवासियोंका विश्वास प्राप्त कर सकेगा।

रोगी प्रजाके लिये स्वराज्य प्राप्त करना मैं असंभव मानता हूं। जिसलिये हम लोग आरोग्य-शास्त्रकी जो अवगणना करते हैं वह दूर होनी चाहिये। अतः ग्रामसेवकको आरोग्य-शास्त्रका सामान्य ज्ञान होना चाहिये।

राष्ट्रभाषाके बिना राष्ट्र नहीं बन सकता। 'हिन्दी-हिन्दुस्तानी-अर्दू' के झगड़ेमें न पड़कर ग्रामसेवक, अगर वह राष्ट्रभाषा नहीं जानता, उसका ज्ञान हासिल करे। उसकी बोली ऐसी होनी चाहिये, जिसे हिन्दू-मुसलमान सब समझ सकें।

हमने अंग्रेजीके मोहमें फंसकर मातृभाषाका द्रोह किया है। जिस द्रोहके प्रायश्चित्तके तौर पर भी ग्रामसेवक मातृभाषाके प्रति लोगोंके मनमें प्रेम उत्पन्न करेगा। उसके मनमें हिन्दुस्तानकी सब भाषाओंके लिये आदर होगा। उसकी अपनी मातृभाषा जो भी हो, जिस प्रदेशमें वह बसेगा वहांकी मातृभाषा वह स्वयं सीखकर अपनी मातृभाषाके प्रति वहांके लोगोंकी भावना बढ़ायेगा।

अगर जिस सबके साथ-साथ आर्थिक समानताका प्रचार न किया गया, तो यह सब निकम्मा समझना चाहिये। आर्थिक समानताका यह अर्थ हरगिज नहीं कि हरअेकके पास धनकी समान राशि होगी। मगर यह अर्थ जरूर है कि हरअेकके पास ऐसा घरवार, वस्त्र और खाने-पीनेका सामान होगा कि जिससे वह सुखसे रह सके। और जो घातक असमानता आज मौजूद है, वह केवल अहिंसक उपायोंसे ही नष्ट होगी।

हरिजनसेवक, १७-८-४०

आवश्यक योग्यतायें

[नीचे दी गयी कुछ आवश्यक योग्यतायें गांधीजीने सत्याग्रहियोंके लिये आवश्यक बतलायी थीं। लेकिन चूंकि अुनके मतानुसार अेक ग्राम-सेवकको भी सच्चा सत्याग्रही होना चाहिये, जिसलिये ये योग्यतायें ग्रामसेवक पर भी लागू होनेवाली मानी जा सकती हैं।]

१. अीश्वरमें अुसकी सजीव श्रद्धा होनी चाहिये, क्योंकि वही अुसका आधार है।

२. वह सत्य और अहिंसाको धर्म मानता हो और जिसलिये अुसे मनुष्य-स्वभावकी सुप्त सात्त्विकतामें विश्वास होना चाहिये। अपनी तपश्चर्याके रूपमें प्रदर्शित सत्य और प्रेमके द्वारा वह अुस सात्त्विकताको जाग्रत करना चाहता है।

३. वह चारित्र्यवान हो और अपने लक्ष्यके लिये जान और मालको कुरवान करनेके लिये तैयार हो।

४. वह आदतन खादीवारी हो और कातता हो। हिन्दुस्तानके लिये यह लाजिमी है।

५. वह निर्व्यसनी हो, जिससे कि अुसकी बुद्धि हमेशा स्वच्छ और स्थिर रहे।

६. अनुशासनके नियमोंका पालन करनेमें हमेशा तत्पर रहता हो।

यह न समझना चाहिये कि अिन शर्तोंमें ही सत्याग्रहीकी योग्यताओंकी परिसमाप्ति हो जाती है। ये तो केवल दिशादर्शक हैं।

हरिजनसेवक, २५-३-३९

समग्र ग्रामसेवा

गांवमें जितने लोग रहते हैं उन्हें पहचानना, उन्हें जो सेवा चाहिये वह देना, अर्थात् उसके लिये साधन जुटा देना और उनको वह काम करना सिखा देना, दूसरे कार्यकर्ता पैदा करना आदि काम ग्रामसेवक करेगा। ग्रामसेवक ग्रामवासियों पर अितना प्रभाव डालेगा कि वे खुद आकर उससे सेवा मांगेंगे, और उसके लिये जो साधन या दूसरे कार्यकर्ता चाहिये, उन्हें जुटानेके लिये उसकी पूरी मदद करेंगे। मानो कि मैं देहातमें घानी लगाकर बैठा हूं, तो मैं घानीसे संबंध रखनेवाले सब काम तो कर ही लूंगा। मगर मैं सामान्य १५, २० रुपये कमानेवाला घांची (तेली) नहीं बनूंगा। मैं तो महात्मा घांची बनूंगा। 'महात्मा' शब्द मैंने विनोदमें अिस्तेमाल किया। अिसका अर्थ केवल यह है कि अपने घांचीपनेमें मैं अितनी सिद्धि डाल दूंगा कि गांववाले आश्चर्यचकित हो जायेंगे। मैं गीता पढ़नेवाला, कुरानशरीफ पढ़नेवाला, उनके लड़कोंको शिक्षा दे सकनेकी शक्ति रखनेवाला घांची होंगूंगा। समयके अभावसे मैं लड़कोंको सिखा न सकूं, यह दूसरी बात है। लोग आकर कहेंगे : 'तेली महाशय, हमारे लड़कोंके लिये अेक शिक्षक तो ला दीजियेगा।' मैं कहूंगा 'शिक्षक मैं ला दूंगा, मगर उसका खर्च आपको बरदाश्त करना होगा।' वे खुशीसे उसका स्वीकार करेंगे। मैं उन्हें कातना सिखा दूंगा। जब वे वुनकरकी मददकी मांग करेंगे, तो शिक्षककी तरह उन्हें वुनकर ला दूंगा, ताकि जो चाहे सो वुनना भी सीख ले। उन्हें मैं ग्राम-सफाअीका महत्त्व बताऊंगा। जब वे सफाअीके लिये भंगी मांगेंगे तो मैं कहूंगा, मैं खुद भंगी हूं, आअिये आपको यह काम भी सिखा दूं। यह है मेरी समग्र ग्रामसेवाकी कल्पना। आप कह सकते हैं कि अिस युगमें तो अैसा घांची पैदा नहीं होनेवाला है, तो मैं आपसे कहूंगा, तब अिस युगमें ग्राम भी अैसे-के-अैसे रहनेवाले हैं।

रशियाके घांचीको लीजिये। तेलकी मिलें चलानेवाले भी तो घांची ही हैं न? उनके पास पैसे रहते हैं। मगर पैसेको क्या महत्त्व देना था?

पैसा तो मनुष्यके हाथका मूल है। सच्ची शक्ति ज्ञानमें रही है। ज्ञानीके पास नैतिक प्रतिष्ठा और नैतिक बल रहता है, जिसलिये सब लोग जैसे आदमीकी जलाह पूछने जाते हैं।

हरिजनसेवक, १७-३-४६

गांवोंमें दलबंदी और मतभेद

यह हिन्दुस्तानकी बदकिस्मती है कि जैसी दलबन्दी और मतभेद शहरोंमें हैं, वैसे ही देहातोंमें भी देखे जाते हैं। और जब गांवोंकी भलाजीका खयाल न रखते हुये अपनी पार्टीकी ताकत बढ़ानेके लिये गांवोंका उपयोग करनेके खयालसे राजनीतिक सत्ताकी वृद्धि हमारे देहातोंमें पहुंचती है, तो उससे देहातियोंको मदद मिलनेके वजाय युनकी तरक्कीमें रुकावट ही होती है। मैं तो कहूंगा कि चाहे जो नतीजा हो, हमें ज्यादासे ज्यादा मात्रामें स्थानीय मदद लेनी चाहिये। और अगर हम राजनीतिक सत्ता हड़पनेकी बुराईसे दूर रहें, तो हमारे हाथों कोअी बुराजी होनेकी संभावना नहीं रहती। हमें याद रखना चाहिये कि शहरोंके अंग्रेजी पढ़े-लिखे स्त्री-पुरुषोंने हिन्दुस्तानके बाजार बने हुये गांवोंको भुला देनेका गुनाह किया है। जिसलिये आज तककी हमारी जिस लापरवाहीको याद करनेसे हममें धीरज पैदा होगा। अभी तक मैं जिस-जिस गांवमें गया हूं, वहां मुझे एक न एक सच्चा कार्यकर्ता मिला ही है। लेकिन गांवोंमें भी लेने लायक कोअी अच्छी चीज होती है, असा माननेकी नम्रता हममें नहीं है। और यही कारण है कि हमें वहां कोअी नहीं मिलता। बेशक, हमें स्थानीय राजनीतिक मामलोंसे परे रहना चाहिये। लेकिन यह हम तभी कर सकते हैं, जब हम सारी पार्टियोंकी और किसी भी पार्टीमें शामिल न होनेवाले लोगोंकी सच्ची मदद लेना सीख जायेंगे।

हरिजनसेवक, २-३-४७

युवकोंको आह्वान

मेरी आशा देशके युवकों पर है। उनमें से जो बुरी आदतोंके शिकार हैं, वे स्वभावसे बुरे नहीं हैं। वे उनमें लाचारीसे और बिना सोचे-समझे फंस जाते हैं। उन्हें समझना चाहिये कि जिससे उनका और देशके युवकोंका कितना नुकसान हुआ है। उन्हें यह भी समझना चाहिये कि कठोर अनुशासन द्वारा नियमित जीवन ही उन्हें और राष्ट्रको सम्पूर्ण विनाशसे बचा सकता है; कोयी दूसरी चीज नहीं।

यंग अिडिया, ९-७-'२५

सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्हें अीश्वरकी खोज करनी चाहिये और प्रलोभनोंसे बचनेके लिये उसकी मदद मांगनी चाहिये। उसके बिना यंत्रकी तरह केवल अनुशासनका पालन करनेसे विशेष लाभ नहीं होगा। अीश्वरकी खोजका, उसके ध्यान और दर्शनका अर्थ यह है कि जिस तरह बालक बिना किसी प्रदर्शनकी आवश्यकताके अपनी माँके प्रेमको महसूस करता है, उसी तरह हम भी यह महसूस करें कि अीश्वर हमारे हृदयोंमें विराजमान है।

यंग अिडिया, ९-७-'२५

युवकोंको, जो भविष्यके विधाता होनेका दावा करते हैं, राष्ट्रका नमक — रक्षक तत्व — होना चाहिये। यदि यह नमक ही अपना खारापन छोड़ दे तो उसे खारा कैसे बनाया जाय ?

यंग अिडिया, २२-१२-'२७

युवक तो सर्वत्र भावनाके प्रवाहमें बह जानेवाले होते हैं। इसीलिये अव्ययन-कालमें, यानी कमसे कम २५ वर्षकी आयु तक, प्रतिज्ञापूर्वक ब्रह्मचर्यका पालन करनेकी आवश्यकता है।

हरिजन, ६-५-'३३

युवावस्थाकी निर्दोष पवित्रता एक अमूल्य निधि है। विन्द्रियोंकी शक्ति तृप्तिके लिये, जिसे भूलसे मुत्रका नाम दिया जाता है, उसे खोना नहीं चाहिये।

हरिजन, २१-२-३५

अपना सारा ज्ञान और पांडित्य तराजूके एक पलड़े पर और सत्य तथा पवित्रताको दूसरे पलड़े पर रखकर देखो। सत्य और पवित्रतावाला पलड़ा पहले पलड़ेसे कहीं भारी पड़ेगा। नैतिक अपवित्रताकी चिपौली झा आज हमारे विद्यार्थियोंमें भी जा पहुंची है और किसी छिपी हुयी महामारीकी तरह युनकी भयंकर बरवादी कर रही है। जिसलिये मैं तुम लोगोंमें, लड़कोंमें और लड़कियोंमें, अनुरोध करता हूं कि तुम अपने मन और शरीर पवित्र रखो। तुम्हारा सारा पांडित्य और शास्त्रोंका तुम्हारा सारा अव्ययन विलकुल बेकार होगा, यदि तुम युनकी शिक्षाओंको अपने दैनिक जीवनमें न अतार सको। मैं जानता हूं कि शिक्षक भी जैसे हैं जो पवित्र और स्वच्छ जीवन नहीं बिताते। युनसे मैं कहूंगा कि वे अपने छात्रोंको दुनियाका सारा ज्ञान सिखा दें, परन्तु यदि वे युनमें सत्य और पवित्रताकी लगन पैदा न करें, तो यही कहना होगा कि युन्होंने अपने छात्रोंका द्रोह किया है और युन्हें अपूर अठानेके बजाय आत्मनाशके मार्गकी ओर प्रवृत्त किया है। चरित्रके अभावमें ज्ञान सुराजीको ही बढ़ानेवाली शक्ति है, जैसा कि हम अपूरसे भले दिखानेवाले किन्तु भीतरसे चोरी और बेसीमानीका धंवा करनेवाले अनेक लोगोंके मामलेमें देखते हैं।

यंग अिडिया, २१-२-३९.

मैं चाहता हूं कि तुम (नवयुवक) गांवोंमें जाओ और वहां जमकर बैठ जाओ—युनके मालिकों या अपकारकर्ताओंकी तरह नहीं बल्कि युनके विनम्र सेवकोंकी तरह। तुम्हारी दैनिक चयसि और तुम्हारे रहन-सहनसे युन्हें समझने दो कि युन्हें खुद क्या करना है और अपना रहनेका ढंग किस तरह बदलना है। महज भावनाका कोशी अपुपयोग नहीं है, ठीक असी तरह जैसे कि भापका अपने-आपमें कोशी

अुपयोग नहीं। भापको अुचित नियंत्रणमें रखा जाय तभी अुसमें ताकत पैदा होती है। यही बात भावनाकी है। मैं चाहता हूं कि तुम भारतकी आहत आत्माके लिये शान्तिदायी लेप लेकर जानेवाले भगवानके दूतोंकी तरह अुनके बीचमें जा पहुंचो।

यंग अिडिया, २९-१२-'२७

अनेक लड़कों और लड़कियोंके या तुम चाहो तो कह सकते हो कि हजारों लड़कों और लड़कियोंके पिताके नाते मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि आखिर तुम्हारा भाग्य तुम्हारे ही हाथोंमें है। यदि तुम केवल दो शर्तोंका पालन करो तो तुम पाठशालामें क्या सीखते हो या क्या नहीं सीखते, अिसकी मैं विलकुल परवाह नहीं करता। अेक शर्त तो यह कि परिस्थिति कुछ भी क्यों न हो, तुम्हें भारीसे भारी कठिनाअियोंमें भी पूरी निर्भयताके साथ सत्यका ही पालन करना चाहिये। सत्यनिष्ठ लड़का — सच्चा वीर अपने मनमें कभी किसी चींटीको भी चोट पहुंचानेका खयाल नहीं आने देगा। वह अपनी पाठशालाके सारे कमजोर लड़कोंका रक्षक बनकर रहेगा और पाठशालाके भीतर या बाहर अुन सब लोगोंकी मदद करेगा जिन्हें अुसकी मददकी आवश्यकता है। जो लड़का मन, शरीर और कार्यकी पवित्रताकी रक्षा नहीं करता, अुसका पाठशालामें कोअी काम नहीं, अुसे पाठशालासे निकाल देना चाहिये। शूर-वीर लड़का हमेशा अपना मन पवित्र रखेगा, अपनी आंखें पवित्र रखेगा और अपने हाथ पवित्र रखेगा। जीवनके अिन वुनियादी अुसूलोंको सीखनेके लिये तुम्हें किसी स्कूलमें जानेकी आवश्यकता नहीं। और यदि तुमने अिस त्रिविध पवित्रताको प्राप्त कर लिया, तो तुम यह मान लो कि तुम्हारे जीवनका निर्माण सुदृढ़ नींव पर होगा।

विथ गांधीजी अिन सीलोन, पृ० १०९

हम अेक अूंची ग्राम-सम्यताके अुत्तराधिकारी हैं। हमारे देशकी विशालता, आवादीकी विशालता और हमारी भूमिकी स्थिति तथा आवहवाने, मेरी रायमें, मानो यह तय कर दिया है कि अुसकी सम्यता ग्राम-सम्यता ही होगी। अुसके दोष मशहूर हैं, लेकिन अुनमें कोअी

वैसा नहीं है जिसका बिलाज न हो सकता हो। जिस सम्यताको मिटा कर उसकी जगह शहरी सम्यताको जमाना मुझे तो अशक्य मालूम होता है। हां, हम लोग किन्हीं कठोर अपायोंके द्वारा अपनी आवादी ३० करोड़से घटाकर ३ करोड़ या ३० लाख करनेको तैयार हो जायं तो दूसरी बात है। जिसलिये यह मानकर कि हम लोगोंको मीजूदा ग्राम-सम्यता ही कायम रखना है और उसके माने हुये दोषोंको दूर करनेका प्रयत्न करना है, मैं उन दोषोंके बिलाज मुझा सकता हूं। लेकिन जिन बिलाजोंका अपयोग तभी हो सकता है जब कि देशका युवक-वर्ग ग्राम-जीवनको अपना ले। और अगर वे वैसा करना चाहते हों तो उन्हें अपने जीवनका तार-तरीका बदलना चाहिये और अपनी छुट्टियोंका हरएक दिन अपने कॉलेज या हाईस्कूलके आसपासवाले गांवोंमें बिताना चाहिये; और जो अपनी शिक्षा पूरी कर चुके हों या जो शिक्षा ले ही न रहे हों, उन्हें गांवोंमें बसनेका बिरादा कर लेना चाहिये।

यंग बिडिया, ७-११-'२९

(अगर शारीरिक श्रमके साथ अकारण ही जो शर्मकी भावना जुड़ गयी है वह दूर की जा सके, तो सामान्य बुद्धिवाले हरएक युवक और युवतीके लिये उन्हें जितना चाहिये उससे कहीं अधिक काम पड़ा हुआ है।)

हरिजन, १-३-'३५

जो आदमी अपनी जीविका श्रीमानदारीसे कमाना चाहता है वह किसी भी श्रमको छोटा यानी अपनी प्रतिष्ठाको घटानेवाला नहीं मानेगा। महत्त्वकी बात यह है कि भगवानने हमें जो हाथ-पांव दिये हैं, हम उनका अपयोग करनेके लिये तैयार रहें।

हरिजन, १९-१२-'३६

राष्ट्रका आरोग्य, स्वच्छता और आहार

अब तो यह बात निर्विवाद सिद्ध हो चुकी है कि तन्दुरुस्तीके नियमोंको न जाननेसे और अतुन नियमोंके पालनमें लापरवाह रहनेसे ही मनुष्य-जातिका जिन-जिन रोगोंसे परिचय हुआ है, अतुनमें से ज्यादातर रोग अतुसे होते हैं। वेशक, हमारे देशकी दूसरे देशोंसे बढी-चढी मृत्युसंख्याका ज्यादातर कारण गरीबी है, जो हमारे देशवासियोंके शरीरको कुरेदकर खा रही है; लेकिन अगर अतुनको तन्दुरुस्तीके नियमोंकी ठीक-ठीक तालीम दी जाय, तो अिसमें बहुत कमी की जा सकती है।

मनुष्य-जातिके लिये साधारणतः पहला नियम यह है कि मन चंगा है तो शरीर भी चंगा है। नीरोग शरीरमें निर्विकार मनका वास होता है, यह अेक स्वयंसिद्ध सचाओी है। मन और शरीरके बीच अटूट सम्बन्ध है। अगर हमारे मन निर्विकार यानी नीरोग हों, तो वे हर तरहकी हिंसासे मुक्त हो जायं; फिर हमारे हाथों तन्दुरुस्तीके नियमोंका सहज भावसे पालन होने लगे और किसी तरहकी खास कोशिशके बिना ही हमारे शरीर तन्दुरुस्त रहने लगें। अिन कारणोंसे मैं यह आशा रखता हूं कि कोओी भी कांग्रेसी रचनात्मक कार्यक्रमके अिस अंगके वारेमें लापरवाह न रहेगा। तन्दुरुस्तीके कायदे और आरोग्यशास्त्रके नियम विलकुल सरल और सादे हैं और वे आसानीसे सीखे जा सकते हैं। मगर अतुन पर अमल करना मुश्किल है। नीचे मैं अैसे कुछ नियम देता हूं:

१. हमेशा शुद्ध विचार करो और तमाम गन्दे व निकम्मे विचारोंको मनसे निकाल दो।

२. दिन-रात ताजीसे ताजी हवाका सेवन करो।

३. शरीर और मनके कामका तौल बनाये रखो, यानी दोनोंको वेमेल न होने दो।

४. तनकर खड़े रहो, तनकर बैठो और अपने हर काममें साफ-सुथरे रहो; और अिन सब आदतोंको अपनी आन्तरिक स्वस्थताका प्रतिबिम्ब बनने दो।

५. खाना जिसलिजे खाओ कि अपने जैसे अपने मानव-बन्धुओंकी सेवाके लिजे ही जिया जा सके। भोग भोगनेके लिजे जीने और खानेका विचार छोड़ दो। अतयेव अतना ही खाओ, जितनेसे आपका मन और आपका शरीर अच्छी हालतमें रहे और ठीक-से काम कर सके। आदमी जैसा खाना खाता है, वैसा ही बन जाता है।

६. आप जो पानी पीयें, जो खाना खायें और जिस हवामें सांस लें, वे सब विलकुल साफ होने चाहिये। आप सिर्फ अपनी निजकी सफाईसे सन्तोष न मानें, बल्कि हवा, पानी और खुराककी जितनी सफाई आप अपने लिजे रखें, अतनी ही सफाईका शौक आप अपने आसपासके वातावरणमें भी फैलायें।

रचनात्मक कार्यक्रम, पृ० ३५-३६

न्यूनतम आहार

एक समय एक ही अनाज अिस्तेमाल करना चाहिये। चपाती, दाल-भात, दूध-घी, गुड़ और तेल ये खाद्य पदार्थ सञ्जी-तरकारी और फलोंके अपरान्त आम तौर पर हमारे घरोंमें अिस्तेमाल किये जाते हैं। आरोग्यकी दृष्टिसे यह मेल ठीक नहीं है। जिन लोगोंको दूध, पनीर, अंडे या मांसके रूपमें 'स्नायुवर्धक तत्त्व' मिल जाते हैं, अुन्हें दालकी विलकुल जरूरत नहीं रहती। गरीब लोगोंको तो सिर्फ वनस्पति द्वारा ही स्नायुवर्धक तत्त्व मिल सकते हैं। अगर धनिक वर्ग दाल और तेल लेना छोड़ दे, तो गरीबोंको जीवन-निर्वाहके लिजे ये आवश्यक पदार्थ मिलने लगे। धिन वेचारोंको न प्राणियोंके शरीरसे पैदा हुअे स्नायुवर्धक तत्त्व और न चर्बी ही मिल सकती है। अन्नको दलियाकी तरह मुलायम बनाकर कभी न खाना चाहिये। अगर अुसको किसी रसीली या तरल चीजमें डुबोये बगर सूखा ही खाया जाय, तो आधी मात्रासे ही काम चल जाता है। अन्नको कच्ची सलाद जैसे कि प्याज, गाजर, मूली, लेटिस, हरी पत्तियां और टमाटरके साथ खाया जाय तो अच्छा होता है। कच्ची हरी सब्जियोंकी सलादके अेक दो आंस ही आठ आंस पकायी हुअी सब्जियोंके बराबर होते हैं। चपाती या डवल रोटी दूधके साथ नहीं लेनी चाहिये। शुरूमें अेक वक्त चपाती या डवल रोटी और कच्ची सब्जियां और दूसरे वक्त

पकायी हुआ सज्जी दूध या दहीके साथ ले सकते हैं। मिष्टान्न भोजन विलकुल बन्द कर देने चाहिये। जिसकी जगह गुड़ या थोड़ी मात्रामें शक्कर अकेले या दूध या डबल रोटीके साथ ले सकते हैं।

ताजे फल खाना अच्छा है, परन्तु शरीरके पोषणके लिये थोड़ा फल-सेवन भी पर्याप्त होता है। यह महंगी वस्तु है और धनिक लोगोंके आवश्यकतासे अत्यन्त अधिक फल-सेवनके कारण गरीबों और बीमारोंको, जिन्हें धनिकोंकी अपेक्षा अधिक फलोंकी जरूरत है, फल मिलना दुश्वार हो गया है।

कोयी भी वैद्य या डॉक्टर, जिसने भोजनके शास्त्रका अध्ययन किया है, प्रमाणके साथ कह सकेगा कि मैंने ऊपर जो बताया है, उससे शरीरको किसी प्रकारका नुकसान नहीं हो सकता। अल्टे, तन्दुरुस्ती अधिक अच्छी अवश्य हो सकती है।

हरिजनसेवक, २५-१-'४२

मनुष्यको अपनी शक्तके सर्वोच्च स्तर पर कार्य कर सकनेके लिये पूरा पोषण पहुंचानेकी वनस्पति-जगतकी अपार क्षमताकी आधुनिक औषधि-विज्ञानने अभी तक कोयी जांच-पड़ताल नहीं की है। उसने तो बस मांस या बहुत हुआ तो दूध और दूधसे प्राप्त दूसरे पदार्थोंका ही सहारा पकड़ रखा है। भारतीय चिकित्सकोंका, जो परम्परासे शाका-हारी हैं, कर्तव्य है कि वे जिस कार्यको पूरा करें। विटामिनोंकी तेजीसे ही रही खोजोंसे, और जिस सम्भावनासे कि अधिक महत्त्वके विटामिनोंको सूर्यसे सीधा पाया जा सकता है, ऐसा प्रकट होता है कि आहारके क्षेत्रमें एक बड़ी क्रान्ति होने जा रही है और उसके विषयमें अभी तक जो स्वीकृत सिद्धान्त चले आ रहे थे तथा औषधि-विज्ञान अभी तक जिन विश्वासोंका पोषण करता आ रहा था, उनमें शीघ्र ही परिवर्तन होने-वाला है।

यंग जिडिया, १८-७-'२९

मुझे ऐसा दिखायी देता है कि जिस रास्तेकी विकट कठिनाइयोंको पार करने और अपने प्राणोंकी वाजी लगाकर भी जिस विषयके सत्यको

ढूँढ़ निकालनेका काम निष्णात डॉक्टर लोग नहीं, बल्कि सामान्य परन्तु बुद्धिहीन जिज्ञासु ही करनेवाले हैं। यदि सत्यके बिन विनम्र शोधकोंको वैज्ञानिक लोग मदद दें, तो मुझे बुरसे ही सन्तोष हो जायगा।

यंग विडिया, १५-८-२९

मेरा यह विश्वास है कि मनुष्योंको शायद ही दवा लेनेकी आवश्यकता रहती है। पथ्य तथा पानी, मिट्टी बिल्ट्यादिके बरेल्लु औपचारिकोंसे एक हजारमें से ९९९ रोगी स्वस्थ हो सकते हैं।

आत्मकथा, पृ० २३२

शरीरका भगवानके मन्दिरकी तरह अुपयोग करनेके बजाय हम अुसका अुपयोग विषय-भोगोंके साधनकी तरह करते हैं और बिन विषय-सुखोंको बढ़ानेकी कोशिशमें डॉक्टरोंके पास दीड़े जानेमें तथा अपने पार्थिव आवास, बिल्टिस शरीरका दुरुपयोग करनेमें लज्जाका अनुभव नहीं करते।

यंग विडिया, ८-८-२९

मनुष्य जैसा आहार करता है वैसा ही वह बनता है — जिस कहावतमें काफी सत्य है। आहार जितना तामस होगा, शरीर भी अुतना ही तामस होगा।

हरिजन, ५-८-३३

मैं यह अवश्य महसूस करता हूँ कि आध्यात्मिक प्रगतिके क्रममें एक अवस्था वैसी जरूर आती है, जिसकी यह मांग होती है कि हम अपने शरीरकी आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिये अपने सहजीवी प्राणियोंकी हत्या करना बन्द कर दें। आपके साथ शाकाहारके प्रति अपने जिस आकर्षणकी चर्चा करते हुये मुझे गोल्डस्थिमकी सुन्दर पंक्तियाँ याद आती हैं:

पहाड़की जिस घाटीमें आजादीसे विचरनेवाले

बिन प्राणियोंकी मैं हत्या नहीं करता।

जो परमशक्ति हमें अपनी दयाका दान देती है,

अससे मैं दयाकी सीख लेता हूँ;
और अन्हें अपनी दया देता हूँ।

अिण्डियाज्ज केस फॉर स्वराज, पृ० ४०२

किसी भी देशमें, किसी भी जलवायुमें और किसी भी स्थितिमें, जिसमें मनुष्योंका रहना साधारणतः सम्भव हो, मेरी समझमें हम लोगोंके लिअे मांसाहार आवश्यक नहीं है। मेरा विश्वास है कि हमारी नसल (मनुष्य-जाति) के लिअे मांसाहार अनुपयुक्त है। अगर हम पशुओंसे अपनेको अूँचा मानते हैं, तो फिर अुनकी नकल करनेमें भूल करते हैं। यह बात अनुभव-सिद्ध है कि जिन्हें आत्म-संयम अिष्ट है, अुनके लिअे मांसाहार अनुपयुक्त है।

किन्तु चरित्र-गठन और आत्म-संयमके लिअे भोजनके महत्त्वका अनुमान करनेमें अति करना भी भूल है। अस बातको भूलना नहीं होगा कि असके लिअे भोजन अेक मुख्य वस्तु है। मगर जिस प्रकार भोजनमें किसी तरहका संयम न रखना और मनमाना खाना-पीना अनुचित है, अुसी प्रकार सभी धर्म-कर्मका सार भोजनमें ही मान बैठना भी, जैसा कि प्रायः हिन्दुस्तानमें हुआ करता है, गलत है। हिन्दू धर्मके अमूल्य अुपदेशोंमें शाकाहार भी अेक है। अिसे हलके मनसे छोड़ देना ठीक नहीं होगा। असलिअे अस भूलका संशोधन करना परमावश्यक है कि शाकाहारके कारण दिमाग और देहसे हम कमजोर हो गये हैं और कर्मशीलतामें आलसी या निराग्रही बन गये हैं। हिन्दू धर्मके बड़ेसे बड़े सुधारक अपने अपने जमानेके सबसे बड़े कर्मठ पुरुष हुअे हैं। जैसे, शंकर या दयानन्दके जमानेका कौन पुरुष अुनसे अधिक कर्मशीलता दिखा सका था?

यंग अिडिया, ७-१०-२६

अुपवास कब किया जाय ?

अपने और अपने ही जैसे दूसरे प्रयोगियोंके काफी विस्तृत अनुभवके आधार पर मैं बिना किसी हिचकिचाहटके यह कहता हूँ कि नीचे लिखी हालतोंमें अुपवास जरूर किया जाय :

१. यदि कब्जकी शिकायत हो, २. यदि शरीरमें रक्तका अभाव हो और उसका रंग पीला पड़ गया हो, ३. यदि वुखार मालूम होता हो, ४. यदि अपच हो, ५. यदि सिरमें दर्द हो, ६. यदि संधिवात हो, ७. यदि घुटनोंमें और शरीरके दूसरे जोड़ोंमें दर्दकी बीमारी हो, ८. यदि वेचैनी महसूस होती हो, ९. यदि मन अुदास हो, १०. यदि अतिशय आनन्दके कारण मन ठिकाने न हो।

यदि अिन अवसरों पर अुपवासका आश्रय लिया जाय, तो डॉक्टरोंकी या कोअी दूसरी पेटेण्ट दवाअियां खानेकी कोअी जरूरत न रहेगी।

यंग अिडिया, १७-१२-'२५

राष्ट्रीय भोजन

मेरा खयाल है कि हमें अैसी टेव डालनी चाहिये कि अपने प्रान्तके सिवा दूसरे प्रान्तोंमें प्रचलित भोजनको भी स्वादसे खा सकें। मैं जानता हूं कि यह सवाल अुतना आसान नहीं है, जितना वह दिखाअी देता है। मैं अैसे कअी दक्षिण-भारतीयोंको जानता हूं जिन्होंने गुजराती भोजन करनेकी आदत डालनेकी वेहद कोशिश की, लेकिन जो अुसमें काम-याव नहीं हो सके। दूसरी तरफ, गुजरातियोंको दक्षिण भारतीयोंकी विधिसे वनायी गयी रसोअी पसन्द नहीं आती। बंगालके लोगोंकी वानगियां दूसरे प्रान्तवालोंको आसानीसे नहीं रुचतीं। लेकिन यदि हम प्रान्तीयतासे अूपर अुठकर अपनी रहन-सहनकी आदतोंमें राष्ट्रीय बनना चाहें, तो हमें अपनी भोजन-सम्बन्धी आदतोंमें फर्क करनेके लिये तथा अुनके आदान-प्रदानके लिये तैयार होना पड़ेगा, अपनी रुचियां सादी करना पड़ेंगी, और अैसी वानगियां बनाने और खानेका रिवाज डालना होगा जो स्वास्थ्यप्रद हों और जिन्हें सव लोग निःसंकोच ले सकें। अिसके लिये पहले तो हमें विविध प्रान्तों, जातियों और समुदायोंके भोजनका सावधानीसे अव्ययन करना होगा। दुर्भाग्यसे या सौभाग्यसे, न सिर्फ हरअेक प्रान्तका अपना विशेष भोजन है बल्कि अेक ही प्रान्तके विविध समुदायोंकी भोजनकी अपनी-अपनी शैलियां हैं। अिसलिये राष्ट्रीय कार्यकर्ताओंको चाहिये कि वे विविध प्रान्तोंके भोजनोंका और अुन्हें बनानेकी विधियोंका अव्ययन करें तथा

अन विविध भोजनोंमें पायी जानेवाली ऐसी सामान्य, सादी और वानगियां हूँद निकालें जिन्हें सब लोग अपने पाचन-यंत्रको विखतरा अुठायें विना खा सकें। और जो भी हो, यह तो स्वीकार क चाहिये कि विविध प्रान्तों और जातियोंके रीति-रिवाजों और रहन तरीकोंका ज्ञान हमारे कार्यकर्ताओंको होना ही चाहिये और अिस न होना शर्मकी बात मानी जानी चाहिये। . . . अिस कोशिशमें अुद्देश्य सामान्य लोगोंके लिये कुछ समान वानगियां हूँद निकालनेक चाहिये। और हमारी अिच्छा हो तो यह आसानीसे हो सकत लेकिन अिसे संभव बनानेके लिये कार्यकर्ताओंको स्वेच्छापूर्वक करनेकी कला सीखनी पड़ेगी, विविध भोजनोंके पोषक मूल्योंका करना होगा और आसानीसे बननेवाली सस्ती वानगियां तय करनी।

हरिजन, ५-१-'३४

कोढ़का रोग

हिन्दुस्तानमें लाखों आदमी अिस रोगके शिकार हैं। लोग वीमारीसे और कोढ़ियोंसे नफरत करते हैं। मेरी रायमें जो लो विचार रखते हैं, वे शरीरके कोढ़ियोंसे ज्यादा बुरे कोढ़ी हैं। किसी वीमारीके बजाय कोढ़की वीमारीके वारेमें ही कलंककी बात क्यों जानी चाहिये ?

पहले सिर्फ अीसाअी मिशनरी ही कोढ़ियोंकी सेवाका करीब सारा भार अपने अूपर लिये हुअे थे। मगर बादमें परोप भावनावाले हिन्दुस्तानियोंने भी (अगरचे बहुत कम तादादमें) सेवाके कामको अपने हाथमें लिया। मैंने अैसी अेक संस्था क देखी है। अिस तरहके दूसरे जनसेवक श्री मनोहर दीवान हैं। विनोबाके शिष्य हैं और अुनकी प्रेरणासे अुन्होंने यह काम अपने लिया है। मैं अुन्हें सच्चा महात्मा मानता हूँ।

दिल्ली-डायरी, पृष्ठ ११२-१३

खुजली, हैजा, प्लेग, यहां तक कि मामूली जुकाम भी अैसी वीमारियां हैं। जिनसे कोढ़की छत शायद बहुत कम लगती है

शराब और अन्य मादक द्रव्य

छूतकी बीमारियोंके वजाय कोढ़के वारेमें अितनी नफरत क्यों चाहिये ? मैं आपसे कह चुका हूँ कि सच्चे कोढ़ी तो वे हैं जिनके गन्दे हैं। किसी अिन्सानको अपनेसे नीचा समझना, किसी जाति या पि नफरतकी नजरसे देखना बीमार दिमागकी निशानी है, जिसे मैं इस कोढ़से ज्यादा बुरा समझता हूँ। जैसे लोग समाजके असली कोढ़ी खुद तो शब्दोंको ज्यादा महत्त्व नहीं देता। अगर गुलाबको किसी नामसे पुकारा जाय, तो उसकी खुशबू चली नहीं जायगी।

दिल्ली-डायरी, पृ० ११५

४१

शराब और अन्य मादक द्रव्य

जैसा कि कहा जाता है, शराब शैतानकी बीजाद है। अिस्व कितावोंमें कहा गया है कि जब शैतानने पुरुषों और स्त्रियोंको लल शुरु किया, तो उसने अुन्हें शराब दिखायी थी। मैंने कितने ही मा यह देखा है कि शराब आदमियोंसे न सिर्फ अुनका पैसा छीना लेती है, अुनकी बुद्धि भी हर लेती है। अुसके नशेमें वे कुछ क्षणोंके लिये और अनुचितका, पुण्य और पापका, यहां तक कि मां और स्त्रीका भी भूल जाते हैं। मैंने शराबके नशेमें मस्त वैरिस्ट्रोंको नालियोंमें और पुलिसके द्वारा घर ले जाये जाते हुअे देखा है। दो अवसरों पर जहाजके कप्तानोंको शराबके नशेमें ऐसा गर्क देखा है कि अुनकी जब तक अुनका होश वापिस नहीं आया तब तक अपने जहा नियंत्रण करने योग्य नहीं रह गयी थी। मांसाहार और शराब, व वारेमें अुत्तम नियम तो यह है कि 'हमें खाने, पीने और आमोद-प्र लिये नहीं जीना चाहिये, बल्कि अिसलिये खाना और पीना कि हमारे शरीर अीश्वरके मन्दिर बन जायें और हम अुनका अु मनुष्यकी सेवामें कर सकें।' औपधिके रूपमें कभी-कभी श आवश्यकता हो सकती है और मुमकिन है कि जब आदमी

करीब हो तो शरावका घूट उसकी जिन्दगीको थोड़ा और बढ़ा दे। लेकिन शरावके पक्षमें जिससे अधिक और कुछ नहीं कहा जा सकता।

अिन्डियाज़ केस फॉरें स्वराज, पृ० ४०३

आपको अपूरसे ठीक दिखायी देनेवाली जिस दलीलके भुलावेमें नहीं आना चाहिये कि शरावबन्दी जोर-जबरदस्तीके आधार पर नहीं होनी चाहिये और जो लोग शराव पीना चाहते हैं उन्हें उसकी सुविधायें मिलनी ही चाहिये। राज्यका यह कोअी कर्तव्य नहीं है कि वह अपनी प्रजाकी कुटेवोंके लिये अपनी ओरसे सुविधायें दे। हम बेर्यालयोंको अपना व्यापार चलानेके लिये अनुमति-पत्र नहीं देते। इसी तरह हम चोरोको अपनी चोरीकी प्रवृत्ति पूरी करनेकी सुविधाएँ नहीं देते। मैं शरावको चोरी और व्यभिचार, दोनोंसे ज्यादा निघ मानता हूँ। क्या वह अकसर इन दोनों वुराधियोंकी जननी नहीं होती?

यंग अिन्डिया, ८-६-'२१

शरावकी लत कुटेव तो है ही, लेकिन कुटेवसे भी ज्यादा वह अेक बीमारी है। मैं अैसे बीसियों आदमियोंको जानता हूँ जो यदि वे छोड़ सकें तो शराव पीना बड़ी खुशीसे छोड़ दें। मैं अैसे भी कुछ लोगोंको जानता हूँ, जिन्होंने यह कहा है कि शराव अुनके सामने न लायी जाय। और जब अुनके कहनेके अनुसार शराव अुनके सामने नहीं लायी गयी, तो मैंने अुन्हें लाचार होकर शरावकी चोरी करते हुअे देखा है। लेकिन इसलिये मैं यह नहीं मानता कि शराव अुनके पाससे हटा लेना गलत था। बीमारोंको अपने-आपसे यानी अपनी अनुचित अिच्छाओंसे लड़नेमें हमें मदद देनी ही चाहिये।

यंग अिन्डिया, १२-१-'२८

मजदूरोंके साथ अपनी आत्मीयताके फलस्वरूप मैं जानता हूँ कि शरावकी लतमें फंसे हुअे मजदूरोंके घरोंका शरावने कैसा नाश किया है। मैं जानता हूँ कि शराव आसानीसे न मिल सकती होती तो वे शरावको छूते भी नहीं। इसके सिवा, हमारे पास हालके अैसे प्रमाण मौजूद हैं कि शरावियोंमें से ही कअी खुद शरावबन्दीकी मांग कर रहे हैं।

हरिजन, ३-६-'३९

शराबकी आदत मनुष्यकी आत्माका नाश कर देती है। और उसे धीरे-धीरे पशु बना डालती है, जो पत्नी, मां और वहनमें भेद करना भूल जाता है। शराबके नशेमें यह भेद भूल जानेवाले लोगोंको मैंने खुद देखा है।

हरिजन, ९-३-'३४

शराब और अन्य मादक द्रव्योंसे होनेवाली हानि कभी अंशोंमें मलेरिया आदि बीमारियोंसे होनेवाली हानिकी अपेक्षा असंख्य-गुनी ज्यादा है। कारण, बीमारियोंसे तो केवल शरीरको हानि पहुंचती है जब कि शराब आदिसे शरीर और आत्मा, दोनोंका नाश हो जाता है।

यंग इंडिया, ३-३-'२७

मैं भारतका गरीब होना पसन्द कलंगा, लेकिन मैं यह वरदास्त नहीं कर सकता कि हमारे हजारों लोग शराबी हों। अगर भारतमें शराबबन्दी जारी करनेके लिये लोगोंको शिक्षा देना बन्द करना पड़े तो कोई परवाह नहीं; मैं यह कीमत चुकाकर भी शराबखोरी बन्द कलंगा।

यंग इंडिया, १५-९-'२७

जो राष्ट्र शराबकी आदतका शिकार है, कहना चाहिये कि उसके सामने विनाश मुंह बाये खड़ा है। इतिहासमें इस बातके कितने ही प्रमाण हैं कि इस वुराजीके कारण कभी साम्राज्य मिट्टीमें मिल गये हैं। प्राचीन भारतीय इतिहासमें, हम जानते हैं कि वह पराक्रमी जाति जिसमें श्रीकृष्णने जन्म लिया था इसी वुराजीके कारण नष्ट हो गयी। रोम-साम्राज्यके पतनका एक सहायक कारण निस्सन्देह यह वुराजी ही थी।

यंग इंडिया, ४-४-'२९

यदि मुझे एक घंटेके लिये भारतका डिक्टेटर बना दिया जाय, तो मेरा पहला काम यह होगा कि शराबकी दुकानोंको विना मुआवजा दिये बंद करा दिया जाय और कारखानोंके मालिकोंको अपने मजदूरोंके लिये मनुष्योचित परिस्थितियां निर्माण करने तथा उनके हितमें जैसे अुपाहार-गृह और मनोरंजन-गृह खोलनेके लिये मजबूर किया जाय, जहां

मजदूरोंको ताजगी देनेवाले निर्दोष पेय और अुतने ही निर्दोष मनोरंजन प्राप्त हो सकें।

यंग अिडिया, २५-६-'३१

ताड़ी

अेक पक्ष अैसा है कि जो निश्चित (मर्यादित) मात्रामें शराव पीनेका समर्थन करता है और कहता है कि अिससे फायदा होता है। मुझे अिस दलीलमें कुछ सार नहीं लगता। पर घड़ीभरके लिये अिस दलीलको मान लें, तो भी अनेक अैसे लोगोंके खातिर, जो कि मर्यादामें रह ही नहीं सकते, अिस चीजका त्याग करना चाहिये।

पारसी भावियोंने ताड़ीका बहुत समर्थन किया है। वे कहते हैं कि ताड़ीमें मादकता तो है, मगर ताड़ी अेक खुराक है और दूसरी खुराकको हजम करनेमें मदद पहुंचाती है। अिस दलील पर मैंने खूब विचार किया है और अिस वारेमें काफी पढ़ा भी है। मगर ताड़ी पीनेवाले बहुतसे गरीबोंकी मैंने जो दुर्दशा देखी है, अुस परसे मैं अिस निर्णय पर पहुंचा हूं कि ताड़ीको मनुष्यकी खुराकमें स्थान देनेकी कोअी आवश्यकता नहीं है।

ताड़ीमें जो गुण माने हैं, वे सब हमें दूसरी खुराकमें मिल जाते हैं। ताड़ी खजूरीके रससे बनती है। खजूरीके शुद्ध रसमें मादकता विलकुल नहीं होती। अुसे नीरा कहते हैं। ताजी नीराको अैसीकी अैसी पीनेसे कअी लोगोंको दस्त साफ आता है। मैंने खुद नीरा पीकर देखी है। मुझ पर अुसका अैसा असर नहीं हुआ। परन्तु वह खुराकका काम तो अच्छी तरहसे देती है। चाय अित्यादिके बदले मनुष्य सवेरे नीरा पी ले, तो अुसे दूसरा कुछ पीने या खानेकी आवश्यकता नहीं रहनी चाहिये।

नीराको गन्नेके रसकी तरह पकाया जाय, तो अुससे बहुत अच्छा गुड़ तैयार होता है। खजूरी ताड़की अेक किस्म है। हमारे देशमें अनेक प्रकारके ताड़ कुदरती तौर पर अुगते हैं। अुन सबमें से नीरा निकल सकती है। नीरा अैसी चीज है जिसे निकालनेकी जगह पर ही तुरन्त पीना अच्छा है। नीरामें मादकता जल्दी पैदा हो जाती है। अिसलिअे

जहां अुसका तुरंत अुपयोग न हो सके, वहां अुसका गुड़ बना लिया जाय, तो वह गन्नेके गुड़की जगह ले सकता है। कभी लोग मानते हैं कि ताड़-गुड़ गन्नेके गुड़से अधिक गुणकारी है। अुसमें मिठास कम होती है, अिसलिये वह गन्नेके गुड़की अपेक्षा अधिक मात्रामें खाया जा सकता है। जिन ताड़ोंके रससे ताड़ी बनायी जाती है अुन्हींसे गुड़ बनाया जाय, तो हिन्दुस्तानमें गुड़ और खांडकी कभी तंगी पैदा न हो और गरीबोंको सस्ते दाममें अच्छा गुड़ मिल सके।

ताड़-गुड़की मिश्री और शक्कर भी बनायी जा सकती है। मगर गुड़ शक्कर या चीनीसे बहुत अधिक गुणकारी है। गुड़में जो क्षार होते हैं वे शक्कर या चीनीमें नहीं होते। जैसे विना भूसीका आटा और विना भूसीका चावल होता है, वैसे ही विना क्षारकी शक्करको समझना चाहिये। अर्थात् यह कहा जा सकता है कि खुराक जितनी अधिक स्वाभाविक स्थितिमें खायी जाय, अुतना ही अधिक पोषण अुसमें से हमें मिलता है।

आरोग्यकी कुंजी, पृ० २२-२४

वीड़ी और सिगरेट पीना

शराबकी तरह वीड़ी और सिगरेटके लिये भी मेरे मनमें गंहरा तिरस्कार है। वीड़ी और सिगरेटको मैं कुटेव ही मानता हूं। वह मनुष्यकी विवेक-बुद्धिको जड़ बना देती है और अकसर शराबसे ज्यादा बुरी सिद्ध होती है, क्योंकि अुसका परिणाम अप्रत्यक्ष रीतिसे होता है। यह आदत आदमीको अेक वार लग भर जाय, फिर अुससे पिंड छुड़ाना बहुत कठिन होता है। अिसके सिवा वह खर्चीली भी है। वह मुंहको दुर्गन्ध-युक्त बनाती है, दांतोंका रंग विगाड़ती है और कभी-कभी कैंसर जैसी भयानक बीमारीको जन्म देती है। वह अेक गंदी आदत है।

यंग अिडिया, १२-१-२१

अेक दृष्टिसे वीड़ी और सिगरेट पीना शराबसे भी ज्यादा बड़ी बुराही है, क्योंकि अिस व्यसनका शिकार अुससे होनेवाली हानिको समय रहते अनुभव नहीं करता। वह जंगलीपनका चिह्न नहीं मानी जाती,

बल्कि सम्य लो॒ग तो अ॒सका गुण॒गान भी करते हैं। मैं अ॒तना क॒हूंगा कि जो लो॒ग छोड़ सकते हैं वे अ॒से छोड़ दें और दूस॒रोंके लि॒अे अ॒दाहरण पेश करें।

यंग अिडिया, ४-२-१२६

तम्बाकूने तो गजब ही ढाया है। अिसके पंजेसे भाग्यसे ही कोअी छूटता है। . . . टॉल्स्टॉयने अिसे व्यसनो॑में स॒वसे खराब व्यसन माना है।

हिन्दुस्तानमें हम लो॒ग तम्बाकू केवल पीते ही नहीं, सूंघते भी हैं और जरदेके रूपमें खाते भी हैं। . . . आरोग्यका पु॒जारी दृढ़ निश्चय करके स॒व व्यसनो॑की गुलामीसे छूट जायगा। वहु॒तोंको अिसमें से अेक या दो या तीनों व्यसन लगे होते हैं। अिसलि॒अे अुन्हें अिससे घृणा नहीं होती। मगर शान्त चि॒त्तसे विचार किया जाय तो तम्बाकू फूंकनेकी क्रियामें या लगभग सारा दिन जरदे या पानके वीडेसे गाल भर रखनेमें या नसवारकी डि॒बिया खोलकर सूंघते रहनेमें कोअी शोभा नहीं है। ये तीनों व्यसन गंदे हैं।

आरोग्यकी कुंजी, पृ० २८, २९-३०

४२

शहरोंकी सफाअी

पश्चिमसे हम अेक चीज जरूर सीख सकते हैं और वह हमें सीखनी ही चाहिये — शहरोंकी सफाअीका शास्त्र। पश्चिमके लो॒गोंने सामुदायिक आरोग्य और सफाअीका अेक शास्त्र ही तैयार कर लिया है, जिससे हमें वहु॒त-कुछ सीखना है। वेशक, सफाअीकी पश्चिमकी पद्धतियोंको हम अपनी आवश्यकताओंके अनुसार बदल सकते हैं।

यंग अिडिया, २६-१२-१२४

‘भगवत्प्रेमके वाद महत्त्वकी दृष्टिसे दूसरा स्थान स्वच्छताके प्रेमका ही है।’ जिस तरह हमारा मन मलिन हो तो हम भगवानका प्रेम सम्पादित नहीं कर सकते, अुसी तरह हमारा शरीर मलिन हो तो

भी हम अुसका आशीर्वाद नहीं पा सकते। और शहर अस्वच्छ हो तो शरीर स्वच्छ रहना संभव नहीं है।

यंग अिडिया, १९-११-'२५

कोअी भी म्युनिसिपैलिटी शहरकी अस्वच्छता और आवादीकी सघनताका सवाल महज टैक्स वसूल करके और सफाईका काम करने-वाले नौकरोंको रखकर हल करनेकी आशा नहीं कर सकती। यह जरूरी सुधार तो अमीर और गरीब, सब लोगोंके सम्पूर्ण और स्वेच्छापूर्ण सहयोग द्वारा ही शक्य है।

यंग अिडिया, २६-११-'२५

हम अछूत भाअियोंकी वस्तीवाले गांवोंकी सफाई करते हैं, यह अच्छा है। पर वह काफी नहीं है। अछूत लोग समझाने-बुझानेसे समझ जाते हैं। क्या हमें यह कहना पड़ेगा कि तथाकथित अुच्च जातियोंके लोग समझाने-बुझानेसे नहीं समझते; या कि शहरका जीवन वित्तानेके लिये आरोग्य और सफाईके जिन नियमोंका पालन करना जरूरी है, वे अुन पर लागू नहीं होते? गांवोंमें तो हम कअी बातें किसी किस्मका खतरा अुठाये बिना कर सकते हैं। लेकिन शहरोंकी घनी आवादीवाली तंग गलियोंमें, जहां सांस लेनेके लिये साफ हवा भी मुश्किलसे मिलती है, हम अैसा नहीं कर सकते। वहांका जीवन दूसरे प्रकारका है और वहां हमें सफाईके ज्यादा वारीक नियमोंका पालन करना चाहिये। क्या हम अैसा करते हैं? भारतके हरअेक शहरके मध्यवर्ती भागोंमें सफाईकी जो दयनीय स्थिति दिखायी देती है, अुसकी जिम्मेदारी हम म्युनिसिपैलिटी पर नहीं डाल सकते। और मेरा खयाल है कि दुनियाकी कोअी भी म्युनिसिपैलिटी लोगोंके अमुक वर्गकी अुन आदतोंका प्रतिकार नहीं कर सकती जो अुन्हें पीढ़ियोंकी परम्परासे मिली है। . . . अिसलिये मैं कहना चाहता हूं कि अगर हम अपनी म्युनिसिपैलिटियोंसे यह अुम्मीद करते हों कि अिन बड़े शहरोंमें जो सफाई-सम्बन्धी सुधारका सवाल पेश है अुसे वे अिस स्वेच्छापूर्ण सहयोगकी मददके बिना ही हल कर

लेंगी तो यह अशक्य है। अलवत्ता, मेरा मतलब यह विलकुल नहीं है कि म्युनिसिपैलिटीयोंकी जिस सम्बन्धमें कोअी जिम्मेदारी नहीं है।

स्पीचेज़ अेण्ड राअिटिंग्ज़ ऑफ महात्मा गांधी, पृ० ३७५-७६

मुझे म्युनिसिपैलिटीकी प्रवृत्तियोंमें बहुत दिलचस्पी है। म्युनिसिपैलिटीका सदस्य होना सचमुच बड़ा सौभाग्य है। लेकिन सार्वजनिक जीवनका अनुभव रखनेवाले व्यक्तिके नाते मैं आपसे यह भी कह दूँ कि जिस सौभाग्यपूर्ण अधिकारके अचित्त निर्वाहकी अेक अनिवार्य शर्त यह है कि अिन सदस्योंको जिस पदसे कोअी निजी स्वार्थ साधनेकी अिच्छा न रखनी चाहिये। अुन्हें अपना कार्य सेवाभावसे ही करना चाहिये। तभी अुसकी पवित्रता कायम रहेगी। अुन्हें अपनेको शहरकी सफाअीका काम करनेवाले भंगी कहनेमें गौरवका अनुभव करना चाहिये। मेरी मातृभाषामें म्युनिसिपैलिटीका अेक सार्थक नाम है; लोग अुसे 'कचरा-पट्टी' कहते हैं, जिसका मतलब है भंगियोंका विभाग। सचमुच म्युनिसिपैलिटीको सफाअी-काम करनेवाली अेक प्रमुख संस्था होना ही चाहिये और अुसमें न सिर्फ शहरकी बाहरी सफाअीका बल्कि सामाजिक और सार्वजनिक जीवनकी भीतरी सफाअीका भी समावेश होना चाहिये।

यंग अिडिया, २८-३-'२९

यदि मैं किसी म्युनिसिपैलिटी या लोकल बोर्डकी सीमामें रहनेवाला अुसका करदाता होता, तो जब तक करके रूपमें हम अिन संस्थाओंको जो पैसा देते हैं वह अुससे चौगुनी सेवाओंके रूपमें न लौटाया जाता तब तक अतिरिक्त करके रूपमें अेक पाअी भी ज्यादा देनेसे मैं अिनकार कर देता और दूसरोंको भी अैसा ही करनेकी सलाह देता। जो लोकल बोर्डों या म्युनिसिपैलिटीयोंमें प्रतिनिधियोंकी हैसियतसे जाते हैं, वे वहां प्रतिष्ठाके लालचसे या आपसमें लड़ने-झगड़नेके लिये नहीं जाते, बल्कि नागरिकोंकी प्रेमपूर्ण सेवा करनेके लिये जाते हैं। यह सेवा पैसे पर आधार नहीं रखती। हमारा देश गरीब है। अगर म्युनिसिपैलिटीयोंमें जानेवाले सदस्योंमें सेवाकी भावना हो, तो वे अवैतनिक मेहतर, भंगी और सड़कें बनानेवाले बन जायेंगे और अुसमें गौरवका अनुभव करेंगे।

वे दूसरे सदस्योंको, जो कांग्रेसके टिकिट पर न चुने गये हों, अपने काममें शरीक होनेका न्यौता देंगे और अपनेमें और अपने कार्यमें अन्हें श्रद्धा होगी, तो अुनके अुदाहरणका दूसरों पर अवश्य ही अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। जिसका अर्थ यह है कि म्युनिसिपल संस्थाके सदस्यको अपना सारा समय अुसी काममें लगानेवाला होना चाहिये। अुसका अपना कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिये। अुनका दूसरा कदम यह होगा कि म्युनिसिपैलिटी या लोकल बोर्डकी सीमाके अन्दर रहनेवाली सारी वयस्क आवादीकी गणना कर ली जाय और अुन सबसे म्युनिसिपैलिटीकी प्रवृत्तियोंमें योग देनेके लिये कहा जाय। जिसका एक व्यवस्थित रजिस्टर रखा जाना चाहिये। जो लोग ज्यादा गरीब हैं और पैसेकी मदद नहीं दे सकते अुनसे, अगर वे सशक्त हों तो, अमदान करनेके लिये कहा जा सकता है।

हरिजन, १८-२-३९

अगर मैलेका ठीक-ठीक अुपयोग किया जाय तो हमें लाखों रुपयोंकी कीमतका ख़ाद मिले और साथ ही कितनी ही बीमारियोंसे मुक्ति मिल जाय। अपनी गंदी आदतोंसे हम अपनी पवित्र नदियोंके किनारे विगाड़ते हैं और मक्खियोंकी पैदाअिषके लिये बढ़िया जमीन तैयार करते हैं। परिणाम यह होता है कि हमारी दण्डनीय लापरवाहीके कारण जो मक्खियां खुले मैले पर बैठती हैं, वे ही हमारे नहानेके बाद हमारे शरीर पर बैठती हैं और अुसे गंदा बनाती हैं। जिस भयंकर गंदगीसे बचनेके लिये कोई बड़ा साधन नहीं चाहिये; मात्र मामूली फावड़ेका अुपयोग करनेकी जरूरत है। जहां-तहां शौचके लिये बैठ जाना, नाक साफ करना या सड़क पर थूकना अीश्वर और मानव-जातिके खिलाफ अपराध है और दूसरोंके प्रति लिहाजकी दयनीय कमी प्रकट करता है। जो आदमी अपनी गंदगीको ढकता नहीं है वह भारी सजाका पात्र है, फिर चाहे वह जंगलमें ही क्यों न रहता हो।

सत्याग्रह अिन साधु अाफ्रिका, पृ० २४०

विदेशी माध्यमकी बुराई

करोड़ों लोगोंको अंग्रेजीकी शिक्षा देना अन्हें गुलामीमें डालने जैसा है। मेकॉलेने शिक्षाकी जो बुनियाद डाली, वह सचमुच गुलामीकी बुनियाद थी। अुसने अिसी अिरादेसे अपनी योजना बनायी थी, अैसा मैं सुझाना नहीं चाहता। लेकिन अुसके कामका नतीजा यही निकला है। . . . यह क्या कम जुल्मकी बात है कि अपने देशमें अगर मुझे अिन्साफ पाना हो तो मुझे अंग्रेजी भाषाका अुपयोग करना पड़े! वैरिस्टर होने पर मैं स्वभाषा बोल ही नहीं सकूँ! दूसरे आदमीको मेरे लिये तर-जुमा कर देना चाहिये! यह कुछ कम दंभ है? यह गुलामीकी हद नहीं तो और क्या है? अिसमें मैं अंग्रेजोंका दोष निकालूँ या अपना? हिन्दुस्तानको गुलाम बनानेवाले तो हम अंग्रेजी जाननेवाले लोग हैं। प्रजाकी हाथ अंग्रेजों पर नहीं पड़ेगी, बल्कि हम लोगों पर पड़ेगी।

हिन्द स्वराज्य, पृ० ७४-७५, १९५९

विदेशी भाषा द्वारा शिक्षा पानेमें जो बोझ दिमाग पर पड़ता है वह असह्य है। यह बोझ केवल हमारे ही बच्चे अुठा सकते हैं, लेकिन अुसकी कीमत अुन्हें चुकानी ही पड़ती है। वे दूसरा बोझ अुठानेके लायक नहीं रह जाते। अिससे हमारे ग्रेज्युअेट अधिकतर निकम्मे, कमजोर, निरुत्साही, रोगी और कोरे नकलची बन जाते हैं। अुनमें खोजकी शक्ति, विचार करनेकी ताकत, साहस, धीरज, बहादुरी, निडरता आदि गुण बहुत क्षीण हो जाते हैं। अिससे हम नयी योजनायें नहीं बना सकते। बनाते हैं तो अुन्हें पूरा नहीं कर सकते। कुछ लोग, जिनमें अुपरोक्त गुण दिखायी देते हैं, अकाल मृत्युके शिकार हो जाते हैं। . . . अंग्रेजी शिक्षा पाये हुअे हम लोग अिस नुकसानका अंदाज नहीं लगा सकते। यदि हम यह अंदाज लगा सकें कि सामान्य लोगों पर हमने कितना कम असर डाला है, तो अुसका कुछ खयाल हो सकता है।

मांके दूधके साथ जो संस्कार मिलते हैं और जो मीठे शब्द सुनायी देते हैं, अुनके और पाठशालाके बीच जो मेल होना चाहिये, वह विदेशी

भाषा द्वारा शिक्षा लेनेसे टूट जाता है। जिसे तोड़नेवालोंका हेतु पवित्र हो तो भी वे जनताके दुश्मन हैं। हम ऐसी शिक्षाके शिकार होकर मातृद्रोह करते हैं। विदेशी भाषा द्वारा मिलनेवाली शिक्षाकी हानि यहीं नहीं रहती। शिक्षित वर्ग और सामान्य जनताके बीचमें भेद पड़ गया है। हम सामान्य जनताको नहीं पहचानते। सामान्य जनता हमें नहीं जानती। हमें तो वह साहज समझ बैठती है और हमसे डरती है; वह हम पर भरोसा नहीं करती। . . . सीमाव्यसे शिक्षित वर्ग अपनी मूर्च्छासि जागते दिखायी दे रहे हैं। आम लोगोंके साथ मिलते समय अन्हें अपर वताये हुये दोष स्वयं दिखायी देते हैं। अुनमें जो जोश है वह जनतामें कैसे भरा जाय? अंग्रेजीसे तो यह काम हो नहीं सकता। . . . यह रकावट पैदा हो जानेसे राष्ट्रीय-जीवनका प्रवाह रुक गया है।

सच तो यह है कि जब अंग्रेजी अपनी जगह पर चली जायगी और मातृभाषाको अपना पद मिल जायगा, तब हमारे मन जो अभी रंघे हुये हैं, कँदसे छूटेंगे और शिक्षित और सुसंस्कृत होने पर भी ताजा रहे हुये दिमागको अंग्रेजी भाषाका ज्ञान प्राप्त करनेका बोझ भारी नहीं लगेगा। और मेरा तो यह भी विश्वास है कि अुस समय सीखी हुयी अंग्रेजी हमारी आजकी अंग्रेजीसे ज्यादा शोभा देनेवाली होगी।

जब हम मातृभाषा द्वारा शिक्षा पाने लगेंगे, तब हमारे घरके लोगोंके साथ हमारा दूसरा ही संबंध रहेगा। आज हम अपनी स्त्रियोंको अपनी सच्ची जीवन-सहचरी नहीं बना सकते। अुन्हें हमारे कामोंका बहुत कम पता होता है। हमारे माता-पिताको हमारी पढ़ाईका कुछ पता नहीं होता। यदि हम अपनी भाषाके जरिये सारा अुंचा ज्ञान लेते हों, तो हम अपने बोधी, नाथी, भंगी, सबको सहज ही शिक्षा दे सकेंगे। विलायतमें हजामत कराते-कराते हम नाथीसे राजनीतिकी बातें कर सकते हैं। यहां तो, हम अपने कुटुम्बमें भी ऐसा नहीं कर सकते। जिसका कारण यह नहीं कि हमारे कुटुम्बी या नाथी अज्ञानी हैं। अुस अंग्रेज नाथीके बराबर जानी तो ये भी हैं। अिनके साथ हम महाभारत, रामायण और तीर्थोंकी बातें करते हैं, क्योंकि जनताको किसी दिशाकी

शिक्षा मिलती है। परन्तु स्कूलकी शिक्षा घर तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि अंग्रेजीमें सीखा हुआ हम अपने कुटुम्बियोंको नहीं समझा सकते।

आजकल हमारी धारासभाओंका सारा कामकाज अंग्रेजीमें होता है। बहुतेरे क्षेत्रोंमें यही हाल हो रहा है। इससे विद्यावन कंजूसकी दौलतकी तरह गड़ा हुआ पड़ा रहता है। . . . असा कहते हैं कि भारतमें पहाड़ोंकी चोटियों परसे चौमासेमें पानीके जो प्रपात गिरते हैं, उनसे हम अपने अविचारके कारण कोअी लाभ नहीं अुठाते। हम हमेशा लाखों रुपयेका सोने जैसा कीमती खाद पैदा करते हैं और अुसका अुचित अुपयोग न करनेके कारण रोगोंके शिकार बनते हैं। इसी तरह अंग्रेजी भाषा पढ़नेके बोझसे कुचले हुअे हम लोग दीर्घदृष्टि न रखनेके कारण अूपर लिखे अनुसार जनताको जो कुछ मिलना चाहिये वह नहीं दे सकते। इस वाक्यमें अतिशयोक्ति नहीं है। वह तो मेरी तीव्र भावना बतानेवाला है। मातृभाषाका जो अनादर हम कर रहे हैं, अुसका हमें भारी प्रायश्चित्त करना पड़ेगा। इससे आम जनताका बड़ा नुकसान हुआ है। इस नुकसानसे अुसे बचाना मैं पढ़े-लिखे लोगोंका पहला फर्ज समझता हूं।

(२० अक्तूबर, १९१७ में भड़ौचमें हुअी दूसरी गुजरात शिक्षा-परिषद्के अध्यक्ष-पदसे दिये गये भाषणसे।)

सच्ची शिक्षा, प्रक० २, पृ० ११-१७

अंग्रेजी सीखनेके लिये हमारा जो विचारहीन मोह है अुससे खुद मुक्त होकर और समाजको मुक्त करके हम भारतीय जनताकी अेक वड़ीसे वड़ी सेवा कर सकते हैं। अंग्रेजी हमारी शालाओं, और विद्यालयोंमें शिक्षाका माध्यम हो गयी है। वह हमारे देशकी राष्ट्रभाषा हुअी जा रही है। हमारे विचार अुसीमें प्रगट-होते हैं। . . . अंग्रेजीके ज्ञानकी आवश्यकताके विश्वासने हमें गुलाम बना दिया है। अुसने हमें सच्ची देशसेवा करनेमें असमर्थ बना दिया है। अगर आदतने हमें अन्धा न बना दिया होता, तो हम यह देखे बिना न रहते कि शिक्षाका माध्यम अंग्रेजी होनेके कारण जनतासे हमारा सम्बन्ध टूट गया है, राष्ट्रका अुत्तम मानस अुपयुक्त भाषाके अभावमें अप्रकाशित रह जाता है और

आधुनिक शिक्षासे हमें जो नये-नये विचार प्राप्त हुए हैं उनका लाभ सामान्य लोगोंको नहीं मिलता। पिछले ६० वर्षोंसे हमारी सारी शक्ति जानीभारजनके बजाय अपरिचित शब्द और उनके उच्चारण सीखनेमें खर्च हो रही है। हमें अपने माता-पितासे जो तालीम मिलती है उसकी नींव पर नया निर्माण करनेके बजाय हमने उस तालीमको ही भुला दिया है। इतिहासमें जिस बातकी कोई दूसरी भिसाल नहीं मिलती। यह हमारे राष्ट्रकी एक अत्यन्त दुःखपूर्ण घटना है। हमारी पहली और बड़ीसे बड़ी समाज-सेवा यह होगी कि हम अपनी प्रान्तीय भाषाओंका उपयोग शुरू करें, हिन्दीको राष्ट्रभाषाके रूपमें उसका स्वाभाविक स्थान दें, प्रान्तीय कामकाज प्रान्तीय भाषाओंमें करें और राष्ट्रीय कामकाज हिन्दीमें करें। जब तक हमारे स्कूल और कॉलेज प्रान्तीय भाषाओंके माध्यमसे शिक्षण देना शुरू नहीं करते, तब तक हमें जिस दिशामें लगातार कोशिश करनी चाहिये। . . . वह दिन शीघ्र ही आना चाहिये जब हमारी विधान-सभायें राष्ट्रीय सवालोंकी चर्चा प्रान्तीय भाषाओंमें या जरूरतके अनुसार हिन्दीमें करेंगी। अभी तक सामान्य जनता तो विधान-सभाओंमें होनेवाली जिन चर्चाओंसे बिलकुल बेखबर ही रही है। स्वदेशी भाषाओंके पत्रोंने जिस घातक भूलको सुधारनेकी कुछ कोशिश की है। लेकिन यह काम उनकी क्षमताओंसे बड़ा सिद्ध हुआ है। 'पत्रिका' अपना तीखा व्यंग्य और 'बंगाली' अपना पाण्डित्य तो अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोगोंके लिये ही परोसता है। गम्भीर विचारकोंकी जिस पुरानी भूमिमें हमारे बीचमें टंगोर, बोस या रायका होना आश्चर्यका विषय नहीं होना चाहिये। दुःखकी बात तो यह है कि जिन मनीषियोंकी संख्या हमारे यहां जितनी कम है।

(२७ दिसम्बर, १९१७ में कलकत्तामें हुई पहली अ० भा० समाज-सेवा परिषद्के अव्यवस्थित भाषणसे।)

यह मेरा निश्चित मत है कि आजकी अंग्रेजी शिक्षाने शिक्षित भारतीयोंको निर्बल और शक्तिहीन बना दिया है। जिसने भारतीय विद्यार्थियोंकी शक्ति पर भारी बोझ डाला है, और हमें नकलची बना दिया है। देशी भाषाओंको अपनी जगहसे हटाकर अंग्रेजीको बैठानेकी

प्रक्रिया अंग्रेजोंके साथ हमारे सम्बन्धका अंक सबसे दुःखद प्रकरण है। राजा राममोहनराय ज्यादा बड़े सुधारक हुअे होते और लोकमान्य तिलक ज्यादा बड़े विद्वान बने होते, अगर अन्हें अंग्रेजीमें सोचने और अपने विचारोंको दूसरों तक मुख्यतः अंग्रेजीमें पहुंचानेकी कठिनाईसे आरम्भ नहीं करना पड़ता। अगर वे थोड़ी कम अस्वाभाविक पद्धतिमें पढ़-लिखकर बड़े होते, तो अपने लोगों पर अउनका असर, जो कि अद्भुत था, और भी ज्यादा होता! अिसमें कोअी शक नहीं कि अंग्रेजी साहित्यके समृद्ध भंडारका ज्ञान प्राप्त करनेसे अिन दोनोंको लाभ हुआ। लेकिन अिस भंडार तक अउनकी पहुंच अउनकी अपनी मातृभाषाओंके जरिये होनी चाहिये थी। कोअी भी देश नकलचियोंकी जाति पैदा करके राष्ट्र नहीं बना सकता। जरा कल्पना कीजिये कि यदि अंग्रेजोंके पास वाअि-वलका अपना प्रमाणभूत संस्करण न होता तो अउनका क्या होता? मेरा विश्वास है कि चैतन्य, कवीर, नानक, गुरु गोविन्दसिंह, शिवाजी और प्रताप राजा राममोहनराय और तिलककी अपेक्षा ज्यादा बड़े पुरुष थे।

मैं जानता हूं कि तुलनायें करना अच्छा नहीं है। अपने-अपने ढंगसे सभी समान रूपसे बड़े हैं। लेकिन फलकी दृष्टिसे देखें तो जनता पर राममोहनराय या तिलकका असर अुतना स्थायी और दूरगामी नहीं है जितना कि चैतन्य आदिका। अन्हें जिन बाधाओंका मुकाबला करना पड़ा अउनकी दृष्टिसे वे असाधारण कोटिके महापुरुष थे; और यदि जिस शिक्षा-प्रणालीसे अन्हें अपनी तालीम लेनी पड़ी अुसकी बाधा अन्हें न सहनी पड़ी होती, तो अन्होंने अवश्य ही ज्यादा बड़ी सफलतायें प्राप्त की होतीं। मैं यह माननेसे अिनकार करता हूं कि यदि राजा राममोहन राय और लोकमान्य तिलकको अंग्रेजी भाषाका ज्ञान न होता, तो अन्हें वे सब विचार सूझते ही नहीं जो अन्होंने किये। भारत आज जिन वहमोंका शिकार है अुनमें सबसे बड़ा वहम यह है कि स्वातंत्र्यसे सम्बन्धित विचारोंको हृदयंगम करनेके लिये और तर्कशुद्ध चिन्तनकी क्षमताका विकास करनेके लिये अंग्रेजी भाषाका ज्ञान आवश्यक है। यह याद रखना जरूरी है कि पिछले पचास वर्षोंसे देशके सामने शिक्षाकी अंक ही प्रणाली रही है और विचारोंकी अभिव्यक्तिके लिये अुसके पास जवरन

लादा हुआ एक ही माध्यम रहा है। जिसलिये हमारे पास जिस बातका निर्णय करनेके लिये कि मीजूदा स्कूलों और कॉलेजोंमें मिलनेवाली शिक्षा न होती तो हमारी क्या हालत होती, जो सामग्री चाहिये वह है ही नहीं। लेकिन यह हम जरूर जानते हैं कि भारत पचास साल पहलेकी अपेक्षा आज ज्यादा गरीब है, अपनी रक्षा करनेमें आज ज्यादा असमर्थ है और उसके लड़के-लड़कियोंकी शरीर-सम्पत्ति घट गयी है। जिसके बुत्तरमें कोई मुझसे यह न कहे कि जिसका कारण मीजूदा शासन-प्रणालीका दोष है। कारण, शिक्षा-प्रणाली जिस शासन-प्रणालीका सबसे दोषयुक्त अंग है।

जिस शिक्षा-प्रणालीका जन्म ही एक बड़ी भ्रान्तिमें से हुआ है। अंग्रेज शासक अमीमानदारीसे यह मानते थे कि देशी शिक्षा-प्रणाली निकम्मीसे भी ज्यादा बुरी है। और जिस शिक्षा-प्रणालीका पोषण पाममें हुआ क्योंकि उसका बुद्देश्य भारतीयोंको शरीर, मन और आत्मामें बीना बनानेका रहा है।

यंग इंडिया, २७-४-'२१

रविवावूको उत्तर

... आज अगर लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो व्यापारी बुद्धिसे और तथाकथित राजनीतिक फायदेके लिये ही पढ़ते हैं। हमारे विद्यार्थी असा मानने लगे हैं (और अभीकी हालत देखते हुए यह बिल्कुल स्वाभाविक है) कि अंग्रेजीके बिना उन्हें सरकारी नौकरी हरगिज नहीं मिल सकती। लड़कियोंको तो इसीलिये अंग्रेजी पढ़ायी जाती है कि उन्हें अच्छा वर मिल जायगा ! मैं असी कभी मिसालें जानता हूँ, जिनमें स्त्रियां जिसलिये अंग्रेजी पढ़ना चाहती हैं कि अंग्रेजोंके साथ उन्हें अंग्रेजी बोलना आ जाय। मैंने अैसे कितने ही पति देखे हैं कि जिनकी स्त्रियां उनके साथ या उनके दोस्तोंके साथ अंग्रेजीमें न बोल सकें तो उन्हें दुःख होता है ! मैं अैसे कुछ कुटुम्बोंको भी जानता हूँ, जिनमें अंग्रेजी भाषाको अपनी मातृ-भाषा 'बना लिया' जाता है ! सैकड़ों नौजवान असा समझते हैं कि अंग्रेजी जाने बिना हिन्दुस्तानको स्वराज्य मिलना नामुमकिन-सा है। जिस

बुराबीने समाजमें अितना घर कर लिया है, मानो शिक्षाका अर्थ अंग्रेजी भाषाके ज्ञानके सिवा और कुछ है ही नहीं। मेरे खयालसे तो ये सब हमारी गुलामी और गिरावटकी साफ निशानियां हैं। आज जिस तरह देसी भाषाओंकी अपेक्षा की जाती है और उनके विद्वानों व लेखकोंको रोटीके भी लाले पड़े हुअे हैं, सो मुझसे देखा नहीं जाता। मां-बाप अपने बच्चोंको और पति अपनी स्त्रीको अपनी भाषा छोड़कर अंग्रेजीमें पत्र लिखे, तो वह मुझसे कैसे वरदास्त हो सकता है? मुझे लगता है कि कवि-सम्राटके बराबर ही मेरी भी स्वतंत्र और खुली हवा पर श्रद्धा है। मैं नहीं चाहता कि मेरा घर सब तरफ खड़ी हुअी दीवारोंसे घिरा रहे और अुसके दरवाजे और खिड़कियां बन्द कर दी जायं। मैं भी यही चाहता हूं कि मेरे घरके आसपास देश-विदेशकी संस्कृतिकी हवा बहती रहे। पर मैं यह नहीं चाहता कि अुस हवासे जमीन परसे मेरे पैर अुखड़ जायं और मैं औंधे मुंह गिर पडूं। मैं दूसरेके घरमें अतिथि, भिखारी या गुलामकी हैसियतसे रहनेके लिये तैयार नहीं। झूठे घमण्डके बश होकर या तथाकथित सामाजिक प्रतिष्ठा पानेके लिये मैं अपने देशकी बहनों पर अंग्रेजी विद्याका नाहक बोझ डालनेसे अिनकार करता हूं। मैं चाहता हूं कि हमारे देशके जवान लड़के-लड़कियोंको साहित्यमें रस हो, तो वे भले ही दुनियाकी दूसरी भाषाओंकी तरह ही अंग्रेजी भी जीभर कर पढ़ें। फिर मैं अुनसे आशा रखूंगा कि वे अपने अंग्रेजी पढ़नेका लाभ डॉ० बोस, राय और खुद कवि-सम्राटकी तरह हिन्दुस्तानको और दुनियाको दें। लेकिन मुझे यह नहीं वरदास्त होगा कि हिन्दुस्तानका अेक भी आदमी अपनी मातृ-भाषाको भूल जाय, अुसकी हंसी अुड़ावे, अुससे शरमाये या अुसे यह लगे कि वह अपने अच्छेसे अच्छे विचार अपनी भाषामें नहीं रख सकता। मैं संकुचित या बन्द दरवाजेवाले धर्ममें विश्वास ही नहीं रखता। मेरे धर्ममें अीश्वरकी पैदा की हुअी छोटीसे छोटी चीजके लिये भी जगह है। मगर अुसमें जाति, धर्म, वर्ण या रंगके घमण्डके लिये कोअी स्थान नहीं।

यंग अिडिया, १-६-'२१

अस विदेशी भापाके माव्यमने वच्चोंके दिमागको शिथिल कर दिया है, अुनके स्नायुओं पर अनावश्यक जोर डाला है, अुन्हें रट्टू और नकलची बना दिया है तथा मौलिक कार्यों और विचारोंके लिअे सर्वथा अयोग्य बना दिया है। असकी वजहसे वे अपनी शिक्षाका सार अपने परिवारके लोगों तथा आम जनता तक पहुंचानेमें असमर्थ हो गये हैं। विदेशी माव्यमने हमारे बालकोंको अपने ही घरमें पूरा विदेशी बना दिया है। यह वर्तमान शिक्षा-प्रणालीका सबसे बड़ा कर्ण पहलू है। विदेशी माव्यमने हमारी देशी भापाओंकी प्रगति और विकासको रोक दिया है। अगर मेरे हाथोंमें तानाशाही सत्ता हो, तो मैं आजसे ही विदेशी माव्यमके जरिये दी जानेवाली हमारे लड़कों और लड़कियोंकी शिक्षा बन्द कर दूँ और सारे शिक्षकों और प्रोफेसरोंसे यह माव्यम तुरन्त बदलवा दूँ या अुन्हें बरखास्त करा दूँ। मैं पाठ्यपुस्तकोंकी तैयारीका अिन्तजार नहीं करूँगा। वे तो माव्यमके परिवर्तनके पीछे-पीछे अपने-आप चली आयेंगी। यह अेक अैसी वुराओ है, जिसका तुरन्त अिलाज होना चाहिये।

हिन्दी नवजीवन, २-९-'२१

हमें जो कुछ अुच्च शिक्षा मिली है अयवा जो भी शिक्षा मिली है, वह केवल अंग्रेजीके ही द्वारा न मिली होती, तो अैसी स्वयंसिद्ध बातको दलीलें देकर सिद्ध करनेकी कोओ जरूरत न होती कि किसी भी देशके वच्चोंको अपनी राष्ट्रीयता टिकाये रखनेके लिअे नीची या अूँची सारी शिक्षा अुनकी मातृभापाके जरिये ही मिलनी चाहिये। यह स्वयंसिद्ध बात है कि जब तक किसी देशके नीजवान अैसी भापामें शिक्षा पाकर अुसे पचा न लें जिसे प्रजा समझ सके, तब तक वे अपने देशकी जनताके साथ न तो जीता-जागता संबन्ध पैदा कर सकते हैं और न अुसे कायम रख सकते हैं। आज अस देशके हजारों नीजवान अेक अैसी विदेशी भापा और अुसके मुहावरे पर अधिकार पानेमें कओ साल नष्ट करनेको मजबूर किये जाते हैं, जो अुनके दैनिक जीवनके लिअे विलकुल बेकार है और जिसे सीखनेमें अुन्हें अपनी मातृभापा या अुसके साहित्यकी अुपेक्षा करनी पड़ती है। अससे होनेवाली राष्ट्रकी अपार हानिका अंदाजा कौन लगा सकता है? अससे बढ़कर कोओ वहम कभी

या ही नहीं कि अमुक भाषाका विकास हो ही नहीं सकता, या उसके द्वारा गूढ़ अथवा वैज्ञानिक विचार समझाये ही नहीं जा सकते। भाषा तो अपने बोलनेवालोंके चरित्र और विकासका सच्चा प्रतिबिम्ब है।

विदेशी शासनके अनेक दोषोंमें देशके नौजवानों पर डाला गया विदेशी भाषाके माध्यमका घातक बोझ अतिहासमें अेक सबसे बड़ा दोष माना जायगा। जिस माध्यमने राष्ट्रकी शक्ति हर ली है, विद्यार्थियोंकी आयु घटा दी है, अुन्हें आम जनतासे दूर कर दिया है और शिक्षणको बिना कारण खर्चीला बना दिया है। अगर यह प्रक्रिया अब भी जारी रही, तो जान पड़ता है वह राष्ट्रकी आत्माको नष्ट कर देगी। जिसलिअे शिक्षित भारतीय जितनी जल्दी विदेशी माध्यमके भयंकर वशीकरणसे बाहर निकल जायं, अुतना ही अुनका और जनताका लाभ होगा।

हिन्दी नवजीवन, ५-७-'२८

४४

मेरा अपना अनुभव

१२ वरसकी अुमर तक मैंने जो भी शिक्षा पायी वह अपनी मातृभाषा -गुजरातीमें पायी थी। अुस समय गणित, अितिहास और भूगोलका मुझे थोड़ा-थोड़ा ज्ञान था। जिसके बाद मैं अेक हायीस्कूलमें दाखिल हुआ। जिसमें भी पहले तीन साल तक तो मातृभाषा ही शिक्षाका माध्यम रही। लेकिन स्कूल-मास्टरका काम तो विद्यार्थियोंके दिमागमें जवरदस्ती अंग्रेजी ठूसना था। जिसलिअे हमारा आधेसे अधिक समय अंग्रेजी और अुसके मनमाने हिज्जों तथा अुच्चारण पर काबू पानेमें लगाया जाता था। अैसी भाषाका पढ़ना हमारे लिअे अेक कष्टपूर्ण अनुभव था, जिसका अुच्चारण ठीक अुसी तरह नहीं होता जैसी कि वह लिखी जाती है। हिज्जोंको कण्ठस्थ करना अेक अजीब-सा अनुभव था। लेकिन यह तो मैं प्रसंगवश कह गया, वस्तुतः मेरी दलीलसे

असका कोयी संवंव नहीं है। मगर पहले तीन साल तो तुलनामें ठीक ही निकल गये।

जिल्लत तो चौथे सालसे शुरू हुयी। अलजवरा (बीजगणित), केमिस्ट्री (रसायनशास्त्र), अस्ट्रानॉमी (ज्योतिष), हिस्ट्री (इतिहास), ज्याॅग्राफी (भूगोल) हरकेक विषय मातृभापाके वजाय अंग्रेजीमें ही पढ़ना पड़ा। कक्षामें अगर कोयी विद्यार्थी गुजराती, जिसे कि वह समझता था, बोलता तो उसे सजा दी जाती थी। हां, अंग्रेजीको, जिसे न तो वह पूरी तरह समझ सकता था और न शुद्ध बोल सकता था, अगर वह बुरी तरह बोलता तो भी शिक्षकको कोयी आपत्ति नहीं होती थी। शिक्षक भला अिस बातकी फिक्र क्यों करे? क्योंकि खुद उसकी ही अंग्रेजी निर्दोष नहीं थी। अिसके सिवा और हो भी क्या सकता था? क्योंकि अंग्रेजी उसके लिखे भी उसी तरह विदेशी भाषा थी, जिस तरह कि उसके विद्यार्थियोंके लिखे थी। अिससे बड़ी गड़बड़ होती थी। हम विद्यार्थियोंको अनेक बातें कण्ठस्थ करनी पड़तीं, हालांकि हम अुन्हें पूरी तरह समझ नहीं सकते थे और कभी-कभी तो विलकुल ही नहीं समझते थे। शिक्षकके हमें ज्याॅमेटरी (रेखागणित) समझानेकी भरपूर कोशिश करने पर मेरा सिर घूमने लगता था। सच तो यह है कि युक्लिड (रेखागणित) की पहली पुस्तकके १३ वें साध्य तक हम न पहुंच गये, तब तक मेरी समझमें ज्याॅमेटरी विलकुल नहीं आती। और पाठकोंके सामने मुझे यह मंजूर करना ही चाहिये कि मातृभापाके अपने सारे प्रेमके बावजूद आज भी मैं यह नहीं जानता कि ज्याॅमेटरी, अलजवरा आदिकी पारिभाषिक बातोंको गुजरातीमें क्या कहते हैं। हां, यह अब मैं जरूर देखता हूं कि जितना गणित, रेखागणित, बीजगणित, रसायनशास्त्र और ज्योतिष सीखनेमें मुझे चार साल लगे, अगर अंग्रेजीके वजाय गुजरातीमें अुन्हें पढ़ा होता तो अुतना मैंने अेक ही सालमें आसानीसे सीख लिया होता। अुस हालतमें मैं आसानी और स्पष्टताके साथ अिन विषयोंको समझ लेता। गुजरातीका मेरा शब्दज्ञान कहीं ज्यादा समृद्ध हो गया होता, और अुस ज्ञानका मैंने अपने घरमें अुपयोग किया होता। लेकिन अिस अंग्रेजीके माव्यमने तो मेरे और मेरे कुटुम्बियोंके बीच, जो कि अंग्रेजी स्कूलोंमें नहीं पढ़े थे, अेक अगम्य खाकी

खड़ी कर दी। मेरे पिताको कुछ पता न था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं चाहता तो भी अपने पिताकी जिस बातमें दिलचस्पी पैदा नहीं कर सकता था कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। क्योंकि यद्यपि बुद्धिकी अनुमति कोभी कमी न थी, मगर वे अंग्रेजी नहीं जानते थे। जिस प्रकार मैं अपने ही घरमें बड़ी तेजीके साथ अजनबी बनता जा रहा था। निश्चय ही मैं औरोसे अंचा आदमी बन गया था। यहाँ तक कि मेरी पोशाक भी अपने-आप बदलने लगी। लेकिन मेरा जो हाल हुआ वह कोभी असाधारण अनुभव नहीं था, बल्कि अधिकांश लोगोंका यही हाल होता है।

हाजीस्कूलके प्रथम तीन वर्षोंमें मेरे सामान्य ज्ञानमें बहुत कम वृद्धि हुई। यह समय तो लड़कोंको हरअेक चीज अंग्रेजीके जरिये सीखनेकी तैयारी का था। हाजीस्कूल तो अंग्रेजीकी सांस्कृतिक विजयके लिये थे। मेरे हाजीस्कूलके तीन सौ विद्यार्थियोंने जो ज्ञान प्राप्त किया वह तो हमीं तक सीमित रहा, वह सर्व-साधारण तक पहुंचानेके लिये नहीं था।

अेक-दो शब्द साहित्यके बारेमें भी। अंग्रेजी गद्य और पद्यकी हमें कभी किताबें पढ़नी पड़ी थीं। जिसमें शक नहीं कि यह बढ़िया साहित्य था। लेकिन सर्व-साधारणकी सेवा या उसके संपर्कमें आनेमें उस ज्ञानका मेरे लिये कोभी अपुयोग नहीं हुआ है। मैं यह कहनेमें असमर्थ हूँ कि मैंने अंग्रेजी गद्य और पद्य न पढ़ा होता तो मैं अेक बेशकीमती खजानेसे वंचित रह जाता। जिसके बजाय सच तो यह है कि अगर वे सात साल मैंने गुजराती पर प्रभुत्व प्राप्त करनेमें लगाये होते और गणित, विज्ञान तथा संस्कृत आदि विषयोंको गुजरातीमें पढ़ा होता, तो जिस तरह प्राप्त किये हुअे ज्ञानमें अपने अड़ोसी-पड़ोसियोंको आसानीसे हिस्सेदार बनाया होता। उस हालतमें मैंने गुजराती साहित्यको समृद्ध किया होता, और कौन कह सकता है कि अमलमें अुत्तारनेकी अपनी आदत तथा देश और मातृ-भाषाके प्रति अपने बेहद प्रेमके कारण सर्व-साधारणकी सेवामें मैं और भी अधिक अपनी देन क्यों न दे सकता ?

यह हरगिज न समझना चाहिये कि अंग्रेजी या उसके श्रेष्ठ साहित्यका मैं विरोधी हूँ। 'हरिजन' मेरे अंग्रेजी-प्रेमका पर्याप्त प्रमाण है। लेकिन उसके साहित्यकी महत्ता भारतीय राष्ट्रके लिये उससे अधिक अपुयोगी नहीं

जितना कि डिग्लैण्डका समशीतोष्ण जलवायु या वहाँके सुन्दर दृश्य हो सकते हैं। भारतको तो अपने ही जलवायु, दृश्यों और साहित्यमें तरक्की करनी होगी, फिर चाहे वे अंग्रेजी जलवायु, दृश्यों और साहित्यसे घटिया दरजेके ही क्यों न हों। हमें और हमारे बच्चोंको तो अपनी ही विरासत बनानी चाहिये। अगर हम दूसरोंकी विरासत लेंगे तो हमारी अपनी नष्ट हो जायगी। सच तो यह है कि विदेशी सामग्री पर हम कभी बुद्धि नहीं कर सकते। मैं तो चाहता हूँ कि राष्ट्र अपनी ही भाषाका भंडार भरे और जिसके लिये संसारकी अन्य भाषाओंका भंडार भी अपनी ही देशी भाषाओंमें संचित करे। रवीन्द्रनाथकी अनुपम कृतियोंका सौंदर्य जाननेके लिये मुझे बंगाली पढ़नेकी कोबी जरूरत नहीं, क्योंकि सुन्दर अनुवादोंके द्वारा मैं खुसे पा लेता हूँ। विसी तरह टॉल्स्टायकी संक्षिप्त कहानियोंकी कदर करनेके लिये गुजराती लड़के-लड़कियोंको रूसी भाषा पढ़नेकी कोबी जरूरत नहीं, क्योंकि अच्छे अनुवादोंके जरिये वे खुन्हें पढ़ लेते हैं। अंग्रेजोंको विस वातका गर्व है कि संसारकी सर्वोत्तम साहित्यिक रचनायें प्रकाशित होनेके अके सप्ताहके अन्दर-अन्दर सरल अंग्रेजीमें खुनके हाथोंमें आ पहुंचती हैं। वैसी हालतमें, शेक्सपीयर और मिल्टनके सर्वोत्तम विचारों और रचनाओंके लिये मुझे अंग्रेजी पढ़नेकी जरूरत क्यों हो?

यह अके तरहकी अच्छी मितव्ययिता होगी कि वैसे विद्यार्थियोंका अलग ही अके वर्ग कर दिया जाय, जिनका काम यह हो कि संसारकी विभिन्न भाषाओंमें पढ़ने लायक जो सर्वोत्तम सामग्री हो खुसको पढ़ें और देशी भाषाओंमें खुसका अनुवाद करें। हमारे प्रभुओंने तो हमारे लिये गलत ही रास्ता चुना है और आदत पड़ जानेके कारण गलती ही हमें ठीक मालूम पड़ने लगी है।

हमारी विस झूठी अमरतीय शिक्षासे लाखों आदमियोंका दिन-दिन जो अधिकाधिक नुकसान हो रहा है, खुसके प्रमाण मैं रोज ही पा रहा हूँ। जो ग्रेज्युअेट मेरे आदरणीय साथी हैं, खुन्हें जब अपने आन्तरिक विचारोंको व्यक्त करना पड़ता है तब वे खुद ही परेशान हो जाते हैं। वे तो अपने ही घरोंमें अजनबी बन गये हैं। अपनी मातृभाषाके शब्दोंका खुनका ज्ञान जितना सीमित है कि अंग्रेजी शब्दों और वाक्यों तकका सहारा

लिये वगैर वे अपने भाषणको समाप्त नहीं कर सकते। न अंग्रेजी कितावोंके वगैर वे रह सकते हैं। आपसमें भी वे अकसर अंग्रेजीमें ही लिखा-पढ़ी करते हैं। अपने साथियोंका अुदाहरण मैं यह वतानेके लिये दे रहा हूँ कि अिस बुराअीने कितनी गहरी जड़ जमा ली है। क्योंकि हम लोगोंने अपनेको सुधारनेका खुद जान-बूझकर प्रयत्न किया है।

हमारे कॉलेजोंमें जो समयकी बरवादी होती है अुसके पक्षमें दलील यह दी जाती है कि कॉलेजोंमें पढ़नेके कारण अितने विद्यार्थियोंमें से अगर अेक जगदीश बसु भी पैदा हो सके, तो हमें अिस बरवादीकी चिंता करनेकी जरूरत नहीं। अगर यह बरवादी अनिवार्य होती तो मैं जरूर अिस दलीलका समर्थन करता। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि मैंने यह वतला दिया है कि यह न तो पहले अनिवार्य थी और न आज ही अनिवार्य है। क्योंकि जगदीश बसु कौअी वर्तमान शिक्षाकी अुपज नहीं थे। वे तो भयंकर कठिनाअियों और वाघांअोंके बावजूद अपने परिश्रमकी वदौलत अूंचे अुठे, और अुनका ज्ञान लगभग अैसा बन गया जो सर्व-साधारण तक नहीं पहुंच सकता। बल्कि मालूम अैसा पड़ता है कि हम यह सोचने लगे हैं कि जब तक कौअी अंग्रेजी न जाने तब तक वह बसुके सदृश महान वैज्ञानिक होनेकी आशा नहीं कर सकता। यह अैसी मिथ्या धारणा है जिससे अधिक बड़ीकी मैं कल्पना ही नहीं कर सकता। जिस तरह हम अपनेको लाचार समझते मालूम पड़ते हैं, अुस तरह अेक भी जापानी अपनेको नहीं समझता।

शिक्षाका माध्यम तो अेकदम और हर हालतमें बदला जाना चाहिये और प्रान्तीय भाषाअोंको अुनका न्यायसंगत स्थान मिलना चाहिये। यह जो दंडनीय बरवादी रोज-बरोज हो रही है अिसके बजाय तो मैं अस्थायी रूपसे अव्यवस्था ही जाना भी ज्यादा पसन्द करूंगा।

प्रान्तीय भाषाअोंका दरजा और व्यावहारिक मूल्य बढ़ानेके लिये मैं चाहूंगा कि अदालतोंकी कार्रवाअी अपने-अपने प्रान्तकी भाषामें हो। प्रान्तीय धारासभाअोंकी कार्रवाअी भी प्रान्तीय भाषामें या जहां अेकसे अधिक भाषायें प्रचलित हों वहां अुनमें होनी चाहिये। धारासभाअोंके सदस्योंसे मैं कहना चाहता हूँ कि वे चाहें तो अेक महीनेके अन्दर-अन्दर

अपने प्रान्तोंकी भाषायें भलीभांति समझ सकते हैं। तामिल-भाषीके लिये ऐसी कोठी रूकावट नहीं, कि वह तेलगू, मलयालम और कन्नड़के, जो कि सब तामिलसे मिलती-जुलती ही हैं, मामूली व्याकरण और कुछ सी शब्द आसानीसे न सीख सके। केन्द्रमें हिन्दुस्तानीका प्रमुख स्थान रहना चाहिये।

मेरी सम्मतिमें यह कोठी ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका निर्णय साहित्यज्ञोंके द्वारा हो। वे जिस बातका निर्णय नहीं कर सकते कि किस स्थानके लड़के-लड़कियोंकी पढ़ाई किस भाषामें हो। क्योंकि जिस प्रश्नका निर्णय तो हरअेक देशमें पहले ही हो चुका है। न वे यही निर्णय कर सकते हैं कि किन विषयोंकी पढ़ाई हो। क्योंकि यह उस देशकी आवश्यकताओं पर निर्भर करता है, जिस देशके बालकोंकी पढ़ाई होती है। अन्हें तो बस यही सुविधा प्राप्त है कि राष्ट्रकी विच्छाको यथासंभव सर्वोत्तम रूपमें अमलमें लायें। अतः जब हमारा देश वस्तुतः स्वतंत्र होगा, तब शिक्षाके माध्यमका प्रश्न केवल अेक ही तरहसे हल होगा। साहित्यिक लोग पाठ्यक्रम बनायेंगे और फिर उसके अनुसार पाठ्यपुस्तकें तैयार करेंगे। और स्वतंत्र भारतकी शिक्षा पानेवाले देशकी जरूरतें उसी तरह पूरी करेंगे, जिस तरह आज वे विदेशी शासकोंकी जरूरतें पूरी करते हैं। जब तक हम शिक्षित वर्ग जिस प्रश्नके साथ खिलवाड़ करते रहेंगे तब तक मुझे जिस बातका बहुत भय है कि हम जिस स्वतंत्र और स्वस्थ भारतका स्वप्न देखते हैं, उसका निर्माण नहीं कर पायेंगे। हमें जी-तोड़ प्रयत्न करके अपने बन्धनसे मुक्त होना चाहिये, चाहे वह शिक्षणात्मक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो या राजनीतिक हो। हमारी तीन-चौथाई लड़ाई तो वह प्रयत्न होगा जो कि जिसके लिये किया जायगा।

हरिजनसेवक, ९-७-'३८

भारतकी सांस्कृतिक विरासत

मेरा यह कहना नहीं है कि हम शेष दुनियासे बचकर रहें या अपने आसपास दीवालें खड़ी कर लें। यह तो मेरे विचारोंसे बड़ी दूर भटक जाना है। लेकिन मैं यह जरूर कहता हूँ कि पहले हम अपनी संस्कृतिका सम्मान करना सीखें और उसे आत्मसात् करें। दूसरी संस्कृतियोंके सम्मानकी, अनुकी विशेषताओंको समझने और स्वीकार करनेकी बात उसके बाद ही आ सकती है, उसके पहले कभी नहीं। मेरी यह दृढ़ मान्यता है कि हमारी संस्कृतिमें जैसी मूल्यवान निधियां हैं, वैसी किसी दूसरी संस्कृतिमें नहीं हैं। हमने उसे पहिचाना नहीं है; हमें उसके अध्ययनका तिरस्कार करना, उसके गुणोंकी कम कीमत करना सिखाया गया है। अपने आचरणमें उसका व्यवहार करना तो हमने लगभग छोड़ ही दिया है। आचारके बिना कोरा बौद्धिक ज्ञान उस निर्जीव देहकी तरह है, जिसे मसाला भरकर सुरक्षित रखा जाता है। वह शायद देखनेमें अच्छा लग सकता है, किन्तु उसमें प्रेरणा देनेकी शक्ति नहीं होती। मेरा धर्म मुझे आदेश देता है कि मैं अपनी संस्कृतिको सीखूं, ग्रहण करूं और उसके अनुसार चलूं; अन्यथा अपनी संस्कृतिसे विच्छिन्न होकर हम एक समाजके रूपमें मानो आत्महत्या कर लेंगे। किन्तु साथ ही वह मुझे दूसरोंकी संस्कृतियोंका अनादर करने या उन्हें तुच्छ समझनेसे भी रोकता है।

यंग अिडिया, १-९-'२१

वह अनु विविध संस्कृतियोंके समन्वयकी पोषक है, जो इस देशमें सुस्थिर हो गयी हैं, जिन्होंने भारतीय जीवनको प्रभावित किया है और जो खुद भी इस भूमिके वातावरणसे प्रभावित हुयी हैं। जैसा कि स्वाभाविक है, वह समन्वय स्वदेशी ढंगका होगा, अर्थात् उसमें प्रत्येक संस्कृतिको अपना अुचित स्थान प्राप्त होगा। वह अमरीकी ढंगका नहीं होगा, जिसमें कोयी एक प्रमुख संस्कृति बाकी सबको पचा डालती है और जिसका

अद्देश्य सुभेल साधना नहीं वल्कि कृत्रिम और जवरदस्ती लादी जानेवाली अेकता निर्माण करना है।

यंग अिडिया, १७-११-'२० .

हमारे समयकी भारतीय संस्कृति अभी निर्माणकी अवस्थामें है। हम लोगोंमें से कभी अुन सारी संस्कृतियोंका अेक सुन्दर सम्मिश्रण रचनेका प्रयत्न कर रहे हैं, जो आज आपसमें लड़ती दिखायी देती हैं। अैसी कोअी भी संस्कृति, जो सबसे वचकर रहना चाहती हो, जीवित नहीं रह सकती। भारतमें आज शुद्ध आर्य संस्कृति जैसी कोअी चीज नहीं है। आर्य लोग भारतके ही रहनेवाले थे या यहां बाहरसे आये थे और यहांके मूल निवासियोंने अुनका विरोध किया था, अिस सवालमें मुझे ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। जिस बातमें मेरी दिलचस्पी है, वह यह है कि मेरे अतिप्राचीन पूर्वज अेक-दूसरेके साथ पूरी आजादीसे घुल-मिल गये थे और हम अुनकी वर्तमान सन्तान अुस मेलका ही परिणाम हैं। अपनी जन्मभूमिका और अिस पृथ्वीमाताका, जो हमारा पोपण करती है, हम कोअी हित कर रहे हैं या अुस पर वोझरूप हैं, यह तो भविष्य ही बतायेगा।

हरिजन, ९-५-'३६

४६

नयी तालीम

अन्य देशोंके वारेमें कुछ भी सही हो, कमसे कम भारतमें तो — जहां अस्सी फीसदी आवादी खेती करनेवाली है और दूसरी दस फीसदी अुद्योगोंमें काम करनेवाली है — शिक्षाको निरी साहित्यिक बना देना तथा लड़कों और लड़कियोंको अुत्तर-जीवनमें हाथके कामके लिये अयोग्य बना देना गुनाह है। मेरी तो राय है कि चूंकि हमारा अधिकांश समय अपनी रोजी कमानेमें लगता है, अिसलिये हमारे वच्चोंको वचपनसे ही अिस प्रकारके परिश्रमका गौरव सिखाना चाहिये। हमारे बालकोंकी पढाअी अैसी नहीं होनी चाहिये, जिससे वे मेहनतका तिरस्कार करने लगें। कोअी कारण नहीं कि क्यों अेक किसानका वेटा किसी स्कूलमें

जानेके बाद खेतीके मजदूरके रूपमें आजकलकी तरह निकम्मा बन जाय। यह अफसोसकी बात है कि हमारी पाठशालाओंके लड़के शारीरिक श्रमको तिरस्कारकी दृष्टिसे चाहे न देखते हों, पर नापसन्दगीकी नजरसे तो जरूर देखते हैं।

यंग अिडिया, १-९-'२१

मेरी रायमें तो अिस देशमें, जहां लाखों आदमी भूखों मरते हैं, बुद्धिपूर्वक किया जानेवाला श्रम ही सच्ची प्राथमिक शिक्षा या प्रौढ़ शिक्षा है।... अक्षर-ज्ञान हाथकी शिक्षाके बाद आना चाहिये, हाथसे काम करनेकी क्षमता — हस्त-कौशल ही तो वह चीज है, जो मनुष्यको पशुसे अलग करती है। लिखना-पढ़ना जाने बिना मनुष्यका सम्पूर्ण विकास नहीं हो सकता, अैसा मानना अेक वहम ही है। अिसमें शक नहीं कि अक्षर-ज्ञानसे जीवनका सौन्दर्य बढ़ जाता है, लेकिन यह बात गलत है कि अुसके बिना मनुष्यका नैतिक, शारीरिक और आर्थिक विकास हो ही नहीं सकता।

हरिजनसेवक, १५-३-'३५

मेरा मत है कि बुद्धिकी सच्ची शिक्षा हाथ, पैर, आंख, कान, नाक आदि शरीरके अंगोंके ठीक अभ्यास और शिक्षणसे ही हो सकती है। दूसरे शब्दोंमें, अिन्द्रियोंके बुद्धिपूर्वक अुपयोगसे बालककी बुद्धिके विकासका अुत्तम और शीघ्रतम मार्ग मिलता है। परन्तु जब तक मस्तिष्क और शरीरका विकास साथ साथ न हो और अुसी प्रमाणमें आत्माकी जाग्रति न होती रहे, तब तक केवल बुद्धिके अेकांगी विकाससे कुछ विशेष लाभ नहीं होगा। आध्यात्मिक शिक्षासे मेरा आशय हृदयकी तालीमसे है। अिसलिअे मस्तिष्कका ठीक और चतुर्मुखी विकास तभी हो सकता है, जब वह वच्चेकी शारीरिक और आध्यात्मिक शक्तियोंकी तालीमोंके साथ साथ होता हो। ये सब बातें अेक और अविभाज्य हैं। अिसलिअे अिस सिद्धान्तके अनुसार यह मान बैठना विलकुल गलत होगा कि अुनका विकास टुकड़े टुकड़े करके या अेक-दूसरेसे स्वतंत्र रूपमें किया जा सकता है।

हरिजन, ८-५-'३७

शरीर, मन और आत्माकी विविध शक्तियोंमें ठीक ठीक सहकार और सुमेल न होनेके दुष्परिणाम स्पष्ट हैं। वे हमारे चारों ओर विद्यमान हैं; अतना ही है कि वर्तमान विकृत संस्कारोंके कारण वे हमें दिखायी नहीं देते।

हरिजन, ८-५-'३७

मनुष्य न तो कोरी बुद्धि है, न स्थूल शरीर है और न केवल हृदय या आत्मा ही है। संपूर्ण मनुष्यके निर्माणके लिये तीनोंके अुचित और अेकरस मेलकी जरूरत होती है और यही शिक्षाकी सच्ची व्यवस्था है।

हरिजन, ८-५-'३७

शिक्षासे मेरा अभिप्राय यह है कि बालककी या प्रौढ़की शरीर, मन तथा आत्माकी अुत्तम क्षमताओंको अुद्घाटित किया जाय और बाहर प्रकाशमें लाया जाय। अक्षर-ज्ञान, न तो शिक्षाका अन्तिम लक्ष्य है और न अुसका आरम्भ। वह तो मनुष्यकी शिक्षाके कभी साधनोंमें से केवल अेक साधन है। अक्षर-ज्ञान अपने-आपमें शिक्षा नहीं है। अिसलिये मैं बच्चेकी शिक्षाका श्रीगणेश अुसे कोअी अुयोगी दस्तकारी सिखाकर और जिस क्षणसे वह अपनी शिक्षाका आरम्भ करे अुसी क्षणसे अुसे अुत्पादनके योग्य बनाकर कहूंगा। मेरा मत है कि अिस प्रकारकी शिक्षा-प्रणालीमें मस्तिष्क और आत्माका अुच्चतम विकास संभव है। अलवत्ता, प्रत्येक दस्तकारी आजकलकी तरह निरे यांत्रिक ढंगसे न सिखाकर वैज्ञानिक तरीके पर सिखानी पड़ेगी, अर्थात् बालकको प्रत्येक क्रियाका क्यों और कैसे बताना होगा।

हरिजन, ३१-७-'३७

शिक्षाकी मेरी योजनामें हाथ अक्षर लिखना सीखनेके पहले अीजार चलाना सीखेंगे। आंखें जिस तरह दूसरी चीजोंको तसवीरोंके रूपमें देखती और अुन्हें पहिचानना सीखती हैं, अुसी तरह वे अक्षरों और शब्दोंको तसवीरोंकी तरह देखकर अुन्हें पढ़ना सीखेंगी और कान चीजोंके नाम और वाक्योंका आशय पकड़ना सीखेंगे। गरज यह कि सारी तालीम स्वाभाविक होगी। बालकों पर वह लादी नहीं जायगी, बल्कि वे अुसमें

स्वतः दिलचस्पी लेंगे । और जिसलिये यह तालीम दुनियाकी दूसरी तमाम शिक्षा-पद्धतियोंसे जल्दी फल देनेवाली और सस्ती होगी ।

हरिजन, २८-८-'३७

हाथका काम जिस सारी योजना केन्द्रविन्दु होगा । . . . हाथकी तालीमका मतलब यह नहीं होगा कि विद्यार्थी पाठशालाके संग्रहालयमें रखने लायक वस्तुयें बनायें या जैसे खिलौने बनायें जिनका कोई मूल्य नहीं । उन्हें ऐसी वस्तुयें बनाना चाहिये, जो बाजारमें बेची जा सकें । कारखानोंके प्रारम्भिक कालमें जिस तरह वच्चे मारके भयसे काम करते थे, उस तरह हमारे वच्चे यह काम नहीं करेंगे । वे उसे जिसलिये करेंगे कि जिससे उन्हें आनन्द मिलता है और उनकी बुद्धिको स्फूर्ति मिलती है ।

हरिजन, ११-९-'३७

मैं भारतके लिये निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षाके सिद्धान्तमें दृढ़तापूर्वक मानता हूँ । मैं यह भी मानता हूँ कि जिस लक्ष्यको पानेका सिर्फ़ यही एक रास्ता है कि हम बच्चोंको कोई उपयोगी अद्योग सिखायें और उसके द्वारा उनकी शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक शक्तियोंका विकास सिद्ध करें । ऐसा किया जाय तो हमारे गांवोंके लगातार बढ़ रहे नाशकी प्रक्रिया रुकेगी और ऐसी न्यायपूर्ण समाज-व्यवस्थाकी नींव पड़ेगी, जिसमें अमीरों और गरीबोंके अस्वाभाविक विभेदकी गुंजायिश नहीं होगी और हरएकको जीवन-मजदूरी और स्वतंत्रताके अधिकारोंका आश्वासन दिया जा सकेगा ।

हरिजन, ९-१०-'३७

ओटासी और कतासी आदि गांवोंमें चलने योग्य हाथ-अद्योगोंके द्वारा प्राथमिक शिक्षणकी मेरी योजनाकी कल्पना चुपचाप चलनेवाली ऐसी सामाजिक क्रान्तिके रूपमें की गयी है, जिसके अत्यन्त दूरगामी परिणाम होंगे । वह शहरों और गांवोंमें स्वस्थ और नैतिक सम्बन्धोंकी स्थापनाके लिये सुदृढ़ आधार पेश करेगी और जिस तरह मौजूदा सामाजिक

अरक्षितता और वर्गोंके पारस्परिक सम्बन्धोंकी मौजूदा कटुताकी बुराइयों वड़ी हद तक दूर होंगी।

हरिजन, ९-१०-'३७

४७

बुनियादी शिक्षा

अस तालीमकी मंशा यह है कि गांवके बच्चोंको सुधार-संवार कर अन्हें गांवका आदर्श वाशिन्दा बनाया जाय। असकी योजना खासकर अन्हेंको ध्यानमें रखकर तैयार की गयी है। अस योजनाकी असल प्रेरणा भी गांवोंसे ही मिली है। जो कांग्रेसजन स्वराज्यकी अमारतको विलकुल असकी नींव या बुनियादसे चुनना चाहते हैं, वे देशके बच्चोंकी अपेक्षा कर ही नहीं सकते। परदेशी हुकूमत चलानेवालोंने, अनजाने ही क्यों न हो, शिक्षाके क्षेत्रमें अपने कामकी शुरुआत विना चूके विलकुल छोटे बच्चोंसे की है। हमारे यहां जिसे प्राथमिक शिक्षा कहा जाता है, वह तो एक मजाक है; असमें गांवोंमें बसनेवाले हिन्दुस्तानकी जरूरतों और मांगोंका जरा भी विचार नहीं किया गया है; और वैसे देखा जाय तो असमें शहरोंका भी कोयी विचार नहीं हुआ है। बुनियादी तालीम हिन्दुस्तानके तमाम बच्चोंको, फिर वे गांवोंके रहनेवाले हों या शहरोंके, हिन्दुस्तानके सभी श्रेष्ठ और स्थायी तत्त्वोंके साथ जोड़ देती है। यह तालीम बालकके मन और शरीर दोनोंका विकास करती है; बालकको अपने बतनके साथ जोड़ रखती है; असुसे अपने और देशके भविष्यका गौरवपूर्ण चित्र दिखाती है; और अस चित्रमें देखे हुअे भविष्यके हिन्दुस्तानका निर्माण करनेमें बालक या बालिका अपने स्कूल जानेके दिनसे ही हाथ बंटाने लगें, असका अन्तजाम करती है।

रचनात्मक कार्यक्रम, पृ० २८-२९

बुनियादी शिक्षाका अद्देश्य दस्तकारीके माध्यमसे बालकोंका शारीरिक, बौद्धिक और नैतिक विकास करना है। लेकिन मैं मानता हूं कि

कोजी भी पद्धति, जो शैक्षणिक दृष्टिसे सही हो और जो अच्छी तरह चलायी जाय, आर्थिक दृष्टिसे भी उपयुक्त सिद्ध होगी। अुदाहरणके लिये, हम अपने बच्चोंको मिट्टीके खिलौने बनाना भी सिखा सकते हैं, जो बादमें तोड़कर फेंक दिये जाते हैं। जिससे भी अुनकी बुद्धिका विकास तो होगा। लेकिन जिसमें जिस महत्त्वपूर्ण नैतिक सिद्धान्तकी अुपेक्षा होती है कि मनुष्यके श्रम और साधन-सामग्रीका अपव्यय कदापि न होना चाहिये। अुनका अनुत्पादक अुपयोग कभी नहीं करना चाहिये। अपने जीवनके प्रत्येक क्षणका सदुपयोग ही होना चाहिये, जिस सिद्धान्तके पालनका आग्रह नागरिकताके गुणका विकास करनेवाली सर्वोत्तम शिक्षा है, साथ ही जिससे वुनियादी तालीम स्वावलम्बी भी बनती है। ।

हरिजन, ६-४-'४०

यहां हम वुनियादी तालीमके खास खास सिद्धान्तों पर विचार करें :

१. पूरी शिक्षा स्वावलम्बी होनी चाहिये। यानी, आखिरमें पूंजीको छोड़कर अपना सारा खर्च अुसे खुद देना चाहिये।

२. जिसमें आखिरी दरजे तक हाथका पूरा-पूरा अुपयोग किया जाय। यानी, विद्यार्थी अपने हाथोंसे कोजी न कोजी अुद्योग-धंधा आखिरी दरजे तक करें।

३. सारी तालीम विद्यार्थियोंकी प्रान्तीय भाषा द्वारा दी जानी चाहिये।

४. जिसमें साम्प्रदायिक धार्मिक शिक्षाके लिये कोजी जगह नहीं होगी। लेकिन वुनियादी नैतिक तालीमके लिये काफ़ी गुंजाबिश होगी।

५. यह तालीम, फिर अुसे बच्चे लें या बड़े, औरतें लें या मर्द, विद्यार्थियोंके घरोंमें पहुँचेगी।

६. चूंकि जिस तालीमको पानेवाले लाखों-करोड़ों विद्यार्थी अपने-आपको सारे हिन्दुस्तानके नागरिक समझेंगे, जिसलिये अुन्हें अेक आंतर-प्रान्तीय भाषा सीखनी होगी। सारे देशकी यह अेक भाषा नागरी या अुर्दूमें लिखी जानेवाली हिन्दुस्तानी ही हो सकती है। जिसलिये विद्यार्थियोंको दोनों लिपियां अच्छी तरह सीखनी होंगी।

हरिजन, २-११-'४७

हमारे जैसे गरीब देशमें हाथकी तालीम जारी करनेसे दो हेतु सिद्ध होंगे। अुससे हमारे बालकोंकी शिक्षाका खर्च निकल आयेगा और वे जैसा धंधा सीख लेंगे, जिसका अगर वे चाहें तो अुत्तर-जीवनमें अपनी जीविकाके लिये सहारा ले सकते हैं। अिस पद्धतिसे हमारे बालक आत्म-निर्भर अवश्य हो जायेंगे। राष्ट्रको कोअी चीज अितना कमजोर नहीं बनायेगी, जितना यह बात कि हम श्रमका तिरस्कार करना सीखें।

यंग अिडिया, १-९-'२१

४८

अुच्च शिक्षा

मैं कॉलेजकी शिक्षामें कायापलट करके अुसे राष्ट्रीय आवश्यकताओंके अनुकूल बनाऊंगा। यंत्रविद्याके तथा अन्य अिजीनियरोंके लिये डिग्रियां होंगी। वे भिन्न भिन्न अुद्योगोंके साथ जोड़ दिये जायेंगे और अुन अुद्योगोंको जिन स्नातकोंकी जरूरत होगी अुनके प्रशिक्षणका खर्च वे अुद्योग ही देंगे। अिस प्रकार टाटावालोंसे आशा की जायगी कि वे राज्यकी देखरेखमें अिजीनियरोंको तालीम देनेके लिये अेक कॉलेज चलायें। अिसी तरह मिलोंके संघ अपनी जरूरतोंके स्नातकोंको तालीम देनेके लिये अपना कॉलेज चलायेंगे।

अिसी तरह और अुद्योगोंके नाम लिये जा सकते हैं। वाणिज्य-व्यवसायवालोंका अपना कॉलेज होगा। अब रह जाते हैं कला, अीपधि और खेती। कअी खानगी कला-कॉलेज आज भी स्वावलम्बी हैं। अिसलिये राज्य अैसे कॉलेज चलाना वन्द कर देगा। डॉक्टरीके कॉलेज प्रामाणिक अस्पतालोंके साथ जोड़ दिये जायेंगे। चूँकि ये धनवानोंमें लोकप्रिय हैं, अिसलिये अुनसे आशा रखी जाती है कि वे स्वेच्छासे दान देकर डॉक्टरीके कॉलेजोंको चलायेंगे। और कृषि-कॉलेज तो अपने नामको सार्यक करनेके लिये स्वावलम्बी होने ही चाहिये। मुझे कुछ कृषि-स्नातकोंका दुःखद अनुभव है। अुनका ज्ञान अूपरी होता है। अुनमें व्यावहारिक अनुभवकी कमी होती है। परन्तु यदि वे देशकी जरूरतोंके अनुसार चलनेवाले और

W
L
U

स्वावलम्बी खेतों पर तालीम लें, तो अन्हें अपनी डिग्रियां लेनेके बाद और अपने मालिकोंके खर्च पर तजुर्वा हासिल नहीं करना पड़ेगा।

हरिजन, ३१-७-'३७

राज्यके विश्वविद्यालय खालिस परीक्षा लेनेवाली सस्थायें रहें और वे अपना खर्च परीक्षा-शुल्कसे ही निकाल लिया करें।

विश्वविद्यालय शिक्षाके सारे क्षेत्रकी देखरेख रखेंगे और शिक्षाके विभिन्न विभागोंके पाठ्यक्रम तैयार करके अन्हें मंजूरी देंगे। कोअी खानगी स्कूल अपने-अपने विश्वविद्यालयोंसे पूर्व-स्वीकृति लिये बिना नहीं चलाये जाने चाहिये। विश्वविद्यालयके स्वीकृति-पत्र प्रमाणित योग्यतावाले और प्रामाणिक व्यक्तियोंकी किसी भी संस्थाको अुदारतापूर्वक दिये जाने चाहिये। और हमेशा यह समझकर चला जायगा कि विश्वविद्यालयोंका राज्य पर कोअी खर्च नहीं पड़ेगा। अुसे सिर्फ अेक केन्द्रीय शिक्षा-विभागका खर्च ही अुठाना होगा।

हरिजन, २-१०-'३७

नये विश्वविद्यालय

प्रान्तोंमें नये विश्वविद्यालय कायम करनेकी लोगों पर सनक-सी सवार हो गअी मालूम होती है। गुजरात गुजरातीके लिअे, महाराष्ट्र मराठीके लिअे, कर्नाटक कन्नड़के लिअे, अुड़ीसा अुड़ियाके लिअे और आसाम आसामीके लिअे विश्वविद्यालय चाहंता है। मैं अवश्य मानता हूं कि अगर अिन संपन्न प्रांतीय भाषाओं और अन्हें बोलनेवाले लोगोंकी पूरी अुन्नति करनी हो तो ये विश्वविद्यालय होने चाहिये।

साथ ही मुझे डर है कि अिस लक्ष्यको पूरा करनेमें हम अनुचित जल्दबाजी कर रहे हैं। अिसके लिअे पहला कदम प्रान्तोंका भाषावार राजनीतिक वंटवारा होना चाहिये। अुनका शासन अलग हो जायगा तो स्वाभाविक तौर पर जहां विश्वविद्यालय नहीं हैं वहां वे कायम हो जायंगे।

नये विश्वविद्यालयोंके लिअे अुचित पृष्ठभूमि होनी चाहिये। विश्व-विद्यालय हों अुसके पहले अुनका पोषण करनेवाले स्कूल और कॉलेज होने

चाहिये, जहाँ अपनी अपनी प्रान्तीय भाषाओंके माध्यमसे शिक्षा दी जाय। तभी विश्वविद्यालयोंका आवश्यक वातावरण खड़ा हुआ माना जा सकता है। विश्वविद्यालय चोटी पर होता है। शानदार चोटी तभी कायम रह सकती है जब बुनियाद अच्छी हो।

हम राजनीतिक दृष्टिसे तो स्वतंत्र हो गये, परन्तु पश्चिमके सूक्ष्म प्रभावसे मुक्त नहीं हुअे हैं। मुझे अुस विचारवाराके राजनीतिज्ञोंसे कुछ नहीं कहना है, जो यह मानते हैं कि ज्ञान पश्चिमसे ही आ सकता है। मैं जिस विश्वाससे भी सहमत नहीं हूँ कि पश्चिमसे कोअी अच्छी बात नहीं मिल सकती। मगर मुझे यह डर जरूर है कि अभी तक जिस मामलेमें हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके हैं। आशा है कोअी यह दावा नहीं करेगा कि चूंकि हमें विदेशी प्रभुतासे राजनीतिक मुक्ति मिल गयी मालूम होती है, सिर्फ जिसलिये हम विदेशी भाषा और विदेशी विचारोंके प्रभावसे भी मुक्त हो गये हैं। क्या यह बुद्धिमानी नहीं है, क्या देशके प्रति हमारे कर्तव्यकी यह मांग नहीं है कि नये विश्वविद्यालय खड़े करनेसे पहले हम जरा सुस्ता कर अपनी नवप्राप्त स्वतंत्रताके प्राणवायुसे अपने फेफड़ोंको भर लें ? विश्वविद्यालयको बहुतसी शानदार अिमारतों और सोने-चांदीके खजानेकी कभी आवश्यकता नहीं होती। अुसे सबसे ज्यादा जरूरत लोकमत द्वारा समझ कर दिये गये सहारेकी रहती है। अुसके पास शिक्षकोंका अेक बड़ा भण्डार होना चाहिये। अुसके संस्थापक दूरदर्शी होने चाहिये।

मेरी रायमें विश्वविद्यालयोंकी स्थापनाके लिये रुपया जुटाना लोकतांत्रिक राज्यका काम नहीं है। लोगोंको अुनकी जरूरत होगी तो वे आवश्यक पैसा खुद जुटा लेंगे। जिस प्रकार स्थापित विश्वविद्यालय देशके भूषण होंगे। जहाँ शासन विदेशियोंके हाथोंमें होता है, वहाँ लोगोंको जो कुछ मिलता है वह सब अुपरसे आता है और जिस प्रकार वे अधिकाधिक पराधीन हो जाते हैं। जहाँ अुसका आधार जनताकी अिच्छा पर होता है और जिसलिये व्यापक होता है, वहाँ हर चीज नीचेसे अुठती है और अिसलिये टिकती है। वह दीखनेमें भी अच्छी होती है और लोगोंको शक्ति देती है। अैसी लोकतांत्रिक योजनामें विद्या-प्रचारमें लगाया हुआ रुपया लोगोंको दस गुना लाभ पहुंचाता है, जैसे अच्छी जमीनमें बोया हुआ बीज बढ़िया

फसल देता है। विदेशी प्रभुताके अधीन कायम किये गये विश्वविद्यालय अलुटी दिशामें चले हैं। शायद दूसरा कोअी परिणाम हो भी नहीं सकता था। अिसल्लिअे जब तक भारतवर्ष अपनी नवप्राप्त स्वतंत्रताको पचा न ले, विश्वविद्यालय कायम करनेके वारेमें हर दृष्टिसे सावधान रहना चाहिये।

हरिजन, २-११-'४७

प्रौढ़शिक्षा

अगर बड़ी अुमरके स्त्री-पुरुषोंको तालीम देने या पढ़ानेका काम मेरे जिम्मे हो, तो मैं अपने विद्यार्थियोंको अपने देशके विस्तार और अुसकी महत्ताका बोध कराकर अुनकी पढ़ाअी शुरू करूं। हमारे देहातियोंके खयालमें अुनका गांव ही अुनका समूचा देश होता है। जब वे किसी दूसरे गांवको जाते हैं तो अिस तरह बात करते हैं, मानो अुनका अपना गांव ही अुनका समूचा देश या वतन हो। 'हिन्दुस्तान' तो अुनके खयालसे भूगोलकी किताबोंमें बरता जानेवाला अेक शब्दमात्र है। हमारे गांवोंमें कितना घोर अज्ञान घुसा हुआ है, अिसका हमें अंदाज भी नहीं है। हमारे देहाती भाअी और बहन नहीं जानते कि अिस देशमें जो विदेशी हुकूमत चल रही है, अुसका देश पर कितना बुरा असर हुआ है। . . . वे नहीं जानते कि अिस हुकूमतके पंजेसे, अिसकी बलासे, कैसे छूटा जाय। फिर, अुन्हें अिस बातका भी तो खयाल नहीं है कि विदेशियोंकी जो हुकूमत यहां कायम है, अुसका अेक कारण अुनकी अपनी कमजोरियां और खामियां भी हैं; और दूसरे, वे यह भी नहीं जानते कि अिस परदेशी हुकूमतकी बलाको दूर करनेकी ताकत खुद अुनमें है। अिसल्लिअे बड़ी अुमरके अपने देशवासियोंकी शिक्षाका सबसे पहला अर्थ मैं यह करता हूं कि अुन्हें जबानी तौर पर यानी सीधी बातचीतके जरिये सच्ची राजनीतिक तालीम दी जाय। . . . अिस जबानी तालीमके साथ ही साथ लिखने-पढ़नेकी तालीम भी चलेगी। अिसके लिये खास लियाकतकी जरूरत है। अिस सिलसिलेमें पढ़ाअीके बक्तको भरसक कम करनेके खयालसे कअी तरीके आजमाये जा रहे हैं।

रचनात्मक कार्यक्रम, पृ० ३०-३१

जन-साधारणमें फैली हुयी व्यापक निरक्षरता भारतका कलंक है। वह मिटना ही चाहिये। वेशक, साक्षरताकी मुहिमका आरम्भ और अन्त वर्णमालाके ज्ञानके साथ ही नहीं हो जाना चाहिये। वह अुपयोगी ज्ञानके प्रचारके साथ-साथ चलनी चाहिये। लिखने-पढ़ने और अंकगणितका शुष्क ज्ञान देहातियोंके जीवनका स्थायी अंग न आज है और न कभी हो सकता है। अुन्हें अैसा ज्ञान देना चाहिये जिसका अुन्हें रोज अुपयोग करना पड़े। वह अुन पर थोपा नहीं जाना चाहिये। अुसकी अुन्हें भूख होनी चाहिये। आजकल अुन्हें जो कुछ मिलता है वह अैसा है, जिसकी न तो अुन्हें आवश्यकता है और न कदर है। ग्रामवासियोंको गांवका गणित, गांवका भूगोल, गांवका इतिहास और साहित्यका वह ज्ञान सिखाअिये जिसे अुन्हें रोज काममें लेना पड़े, अर्थात् चिट्ठी-पत्री लिखना और पढ़ना बताअिये। वे अिस ज्ञानको जुटाकर रखेंगे और आगेकी मंजिलोंकी तरफ बढ़ेंगे। जिन पुस्तकोंसे अुन्हें दैनिक अुपयोगकी कोअी सामग्री नहीं मिलती, वे अुनके लिये किसी कामकी नहीं।

हरिजन, २२-६-'४०

धार्मिक शिक्षा

... अिसमें कोअी शक नहीं कि सरकारी स्कूल-कॉलेजोंसे निकले हुअे अधिकतर लड़के धार्मिक शिक्षणसे कोरे ही होते हैं। ... मैं जानता हूं कि अिस विचारवाले लोग भी हैं कि सार्वजनिक स्कूलोंमें सिर्फ अपने-अपने विषयोंकी ही शिक्षा देना चाहिये। मैं यह भी जानता हूं कि हिन्दुस्तान जैसे देशमें, जहां पर संसारके अधिकतर धर्मोंके अनुयायी मिलते हैं और जहां अेक ही धर्मके अितने भेद और अुपभेद हैं, धार्मिक शिक्षणका प्रवन्व करना कठिन होगा। लेकिन अगर हिन्दुस्तानको आध्यात्मिकताका दिवाला नहीं निकालना है, तो अुसे धार्मिक शिक्षाको भी विषयोंके शिक्षणके बराबर ही महत्त्व देना पड़ेगा। यह सच है कि धार्मिक पुस्तकोंके ज्ञानकी तुलना धर्मसे नहीं की जा सकती। मगर जब हमें धर्म नहीं मिल सकता तो हमें अपने लड़कों और लड़कियोंको अुससे दूसरे नम्बरकी वस्तु देनेमें ही संतोष मानना पड़ेगा। और फिर स्कूलोंमें अैसी शिक्षा दी जाय या नहीं,

मगर सयाने लड़कोंको तो जैसे और विषयोंमें वैसे धार्मिक विषयमें भी स्वावलम्बनकी आदत डालनी ही पड़ेगी। जैसे आज अुनकी वाद-विवाद, या चरखा-समित्तियां हैं, वैसे ही वे धार्मिक वर्ग भी खोलें।

हिन्दी नवजीवन, २५-८-'२७

मैं नहीं मानता कि सरकार मजहबी तालीमसे सम्बन्ध रख सकती है या अुस तालीमको निभा सकती है। मेरा विश्वास है कि मजहबी तालीम पूरी तरहसे सिर्फ मजहबी अंजुमनोंका ही विषय होनी चाहिये। धर्म और नीतिको मिलाना नहीं चाहिये। मेरे विश्वासके मुताबिक बुनियादी नीति सब धर्मोंमें अेक ही है। बुनियादी नीतिकी तालीम देना वेशक सरकारका काम है। धर्मसे मेरा मतलब बुनियादी नीति नहीं, बल्कि वह है जिसका सिक्का लगाकर अलग-अलग जमातें बनायी जाती हैं। हमने सरकारी मदद पानेवाले मजहब और सरकारी मजहबके बहुत नतीजे सहे हैं। जो समाज या समूह अपने धर्मकी हिफाजतके लिये किसी हद तक या पूरी तौर पर सरकारी मदद पर निर्भर रहता है, वह धर्म जैसी कोअी चीज रखनेका अधिकारी नहीं है, या यह कहना ज्यादा ठीक होगा कि, अुसका कोअी धर्म नहीं होता।

हरिजनसेवक, २३-३-'४७

धार्मिक शिक्षाके पाठ्यक्रममें अपने सिवा दूसरे धर्मोंके सिद्धान्तोंका अध्ययन भी शामिल होना चाहिये। अिसके लिये विद्यार्थियोंको अैसी तालीम दी जानी चाहिये जिससे वे संसारके विभिन्न महान धर्मोंके सिद्धान्तोंको आदर और अुदारतापूर्ण सहनशीलताकी भावना रखकर समझने और अुनकी कदर करनेकी आदत डालें। यह काम ठीक ढंगसे किया जाय तो अिससे अुनकी आध्यात्मिक निष्ठा दृढ़ होगी और स्वयं अपने धर्मकी अधिक अच्छी समझ प्राप्त करनेमें मदद मिलेगी। परन्तु अेक नियम अैसा है, जिसे सब महान धर्मोंका अध्ययन करते समय हमेशा ध्यानमें रखना चाहिये; और वह यह है कि अलग अलग धर्मोंका अध्ययन अुनके माने हुअे भक्तोंकी रचनाओंके द्वारा ही करना चाहिये।

यंग अिडिया, ६-१२-'२८

पाठ्यपुस्तकें

अिसमें कोअी सन्देह नहीं है कि आम स्कूलोंमें जो पुस्तकें खास तौर पर वच्चोंके लिये अिस्तेमाल की जाती हैं, वे जब हानिकारक नहीं होती हैं तो अधिकांशमें निकम्मी अवश्य होती हैं। अिससे अिनकार नहीं किया जा सकता कि अुनमें से बहुतसी हांशियारीके साय लिखी जाती हैं। जिन लोगों और जिन परिस्थितियोंके लिये वे लिखी जाती हैं, अुनके लिये वे सबसे अच्छी भी हो सकती हैं। परन्तु वे भारतीय लड़कों और लड़कियोंके लिये और भारतीय परिस्थितियोंके लिये नहीं लिखी जातीं। जब वे अिस तरह लिखी जाती हैं तो वे आम तौर पर अवकचरी नकल होती हैं और अुनसे विद्यार्थियोंकी आवश्यकतायें पूरी नहीं होतीं।

अिसलिये मैं अिन नतीजे पर पहुंचा हूं कि पुस्तकोंकी आवश्यकता विद्यार्थियोंकी अपेक्षा शिक्षकोंके लिये अधिक है। और प्रत्येक शिक्षकको, यदि अपने विद्यार्थियोंके प्रति वह पूरा न्याय करना चाहता है, अुपलब्ध सामग्रीसे अपना दैनिक पाठ खुद तैयार करना होगा। अिसे भी अुसे अपनी कक्षाकी विशेष आवश्यकताओंके अनुकूल बनाना होगा। सच्ची शिक्षाका काम शिक्षा पानेवाले लड़कों और लड़कियोंके अुत्तम गुणोंको बाहर लाना है। यह काम विद्यार्थियोंके दिमागमें अनाप-शानाप और अनचाही जानकारी ठूस देनेसे कभी नहीं हो सकता। अिस तरहकी जानकारी अेक जड़ बोझ बन जाती है, जो अुनकी सारी मालिकताको कुचल डालती है और अुन्हें निरी मशीनें बना देती है।

हरिजन, १-१२-३३

अध्यापक

अध्यापक कैसे हों अिस सम्बन्धमें मैं अिस पुराने विचारका मानने-वाला हूं कि अुन्हें अध्यापन, अध्यापन-कार्यके लिये अपने अनिचार्य प्रेमके कारण ही करना चाहिये और अिस कार्यसे अपने जीवन-निर्वाहके लिये जितना आवश्यक हो अुतना ही लेकर संतुष्ट रहना चाहिये। रोमन कैथलिकोंमें यह विचार अभी तक बचा रहा है और वे दुनियाकी कुछ सर्वोत्तम संस्थायें चला रहे हैं। प्राचीन भारतीय अृषियोंने तो और भी

अूँचा आदर्श स्वीकार किया था। वे विद्यार्थियोंको अपने परिवारमें ही शामिल कर लेते थे। लेकिन जो शिक्षा वे अुन दिनों दिया करते थे वह सामान्य जनताके लिये नहीं थी। अुन्होंने तो मनुष्य-जातिके सच्चे शिक्षकोंकी अेक पूरी जातिका ही निर्माण कर दिया। सामान्य जनताको अुसकी तालीम घरोंमें और अपने परम्परागत अुद्योग-धधोंमें मिलती थी। अुन दिनोंके लिये वह काफी अच्छी व्यवस्था थी। अब परिस्थितियां बदल गयी हैं। साहित्यिक तालीमके लिये आम मांग है और यह मांग जोरदार भी है। विशिष्ट वर्गोंकी शिक्षा पर जैसा ध्यान दिया जाता था, सामान्य लोग भी अब अपनी शिक्षा पर वैसा ही ध्यान चाहते हैं। यह बात कहां तक सम्भव है और मनुष्य-जातिके लिये कहां तक कल्याणकारी है, अिस प्रश्नकी चर्चा यहां नहीं हो सकती। लोगोंमें ज्ञानकी अिच्छा पैदा हो और वे अुसकी मांग करें, अिसमें कोअी बुराअी नहीं है। अगर अिस अिच्छाको अुचित दिशामें मोड़ा गया तो अुससे लाभ ही होगा। अिसलिये अब हमें जो अनिवार्य है अुसे टालनेके अुपाय ढूंढना छोड़कर अिस स्थितिका अच्छेसे अच्छा अुपयोग करना चाहिये। अिस कामके लिये हजारों शिक्षकोंकी आवश्यकता होगी और वे महज कहनेसे नहीं मिल जायेंगे। और न वे अपना जीवन-निर्वाह भीख मांग कर करेंगे। हमें अुन्हें अेक निश्चित वेतन देनेकी पूरी व्यवस्था करनी होगी। हमें शिक्षकोंकी मानो अेक पूरी सेना ही लगेगी। अुनके कार्यके महत्त्व और मूल्यके अनुसार अुन्हें पैसा दिया जाय यह तो अशक्य है। राष्ट्र अपनी आर्थिक क्षमताके अनुसार ही अुन्हें यथाशक्ति देगा। अलवत्ता, यह आशा रखी जा सकती है कि ज्यों-ज्यों लोग दूसरे धधोंके मुकाबलेमें अिस कार्यके महत्त्वको समझेंगे, त्यों-त्यों वे अुन्हें ज्यादा पैसा देनेको भी तैयार होंगे। लेकिन सम्भव है अुनकी आयमें यह अपेक्षित वृद्धि बहुत धीरे-धीरे हो। अिसलिये अैसे अनेक पुरुषों और स्त्रियोंको आगे आना चाहिये, जो आर्थिक लाभकी परवाह न करके शुद्ध देशसेवाके भावसे अध्यापनका धंधा अपनायें। यदि अैसा हो तो राष्ट्र शिक्षकके धंधेको छोटा नहीं समझेगा, बल्कि अिन त्यागी स्त्रियों और पुरुषोंको अपना प्रेम और आदर प्रदान करेगा। और अिस तरह विचार करने पर हम अिस नतीजे पर

पहुंचते हैं कि जिस तरह स्वराज्य हमें मुख्यतः अपने ही प्रयत्नोंसे मिलेगा, उसी तरह शिक्षकोंके दर्जेकी वृद्धि भी मुख्यतः उनके ही प्रयत्नोंसे संभव होगी। अुन्हें सफलता तक पहुंचनेके लिये मार्गकी कठिनायियोंसे वीरतापूर्वक जूझना चाहिये और धीरज रखकर आगे बढ़ते जाना चाहिये।

यंग अिडिया, ६-८-२५

स्वावलम्बी शिक्षा

यह सुझाव अकसर दिया गया है . . . कि यदि शिक्षा अनिवार्य करनी हो या शिक्षाप्राप्तिकी अिच्छा रखनेवाले सब लड़के-लड़कियोंके लिये अुसे सुलभ बनाना हो, तो हमारे स्कूल और कॉलेज पूरे नहीं तो करीब-करीब स्वावलम्बी हो जाने चाहिये। दान, राजकीय सहायता अथवा विद्यार्थियोंसे ली जानेवाली फीसके द्वारा भी अुन्हें स्वावलम्बी बनाया जा सकता है, लेकिन यहां वैसा स्वावलम्बन अिष्ट नहीं है। विद्यार्थियोंको खुद कुछ अैसा काम करते रहना चाहिये, जिससे आर्थिक प्राप्ति हो और अिस तरह स्कूल तथा कॉलेज स्वावलम्बी बनें। औद्योगिक तालीमको अनिवार्य बनाकर ही अैसा किया जा सकता है। विद्यार्थियोंको साहित्यिक तालीमके साथ-साथ औद्योगिक तालीम भी मिलनी चाहिये, अिस आवश्यकताके सिवा — और आजकल अिस बातका महत्त्व अधिकाधिक स्वीकार किया जा रहा है — हमारे देशमें तो औद्योगिक तालीमकी आवश्यकता शिक्षाको स्वावलम्बी बनानेके लिये भी है। लेकिन यह तभी हो सकता है जब हमारे विद्यार्थी श्रमका गौरव अनुभव करना सीखें और हाथ-अुद्योगके अज्ञानको अप्रतिष्ठाका चिह्न माना जाने लगे। अमेरिकामें, जो कि दुनियाका सबसे धनी देश है और अिसलिये जहां शिक्षाको स्वावलम्बी बनानेकी आवश्यकता कम-से-कम है, विद्यार्थी प्रायः अपनी पढ़ाअीका पूरा अथवा आंशिक खर्च खुद कोअी अुद्योग करके निकालते हैं। . . . अगर अमेरिका अपने स्कूल और कॉलेज अिस तरह चलाता है कि विद्यार्थी अपनी पढ़ाअीका खर्च खुद निकाल लिया करें, तो हमारे स्कूलों और कॉलेजोंमें तो अिस बातकी आवश्यकता और अधिक मानी जानी चाहिये। हम गरीब विद्यार्थियोंको फीसकी माफी आदिकी सुविधा दें, अुससे क्या यह ज्यादा अच्छा नहीं होगा कि हम अुनके लिये अैसा कोअी

काम दें जिसे करके वे अपना खर्च खुद निकाल लें? भारतीय युवकोंके मनमें यह वहम भरकर कि अपनी जीविका अथवा पढ़ाईका खर्च कमानेके लिये हाथ-पावोंकी मेहनत करना भद्रोचित नहीं है हम उनका अपार अहित करते हैं। यह अहित नैतिक भी है और भौतिक भी है; तथा भौतिककी अपेक्षा नैतिक ज्यादा है। फीस आदिकी माफी धर्मबुद्धि रखनेवाले विद्यार्थीके मन पर आजीवन बोझकी तरह पड़ी रहती है, और ऐसा होना भी चाहिये। अपने अन्तर-जीवनमें कोसी जिस बातका स्मरण कराना पसन्द नहीं करता कि उसे अपनी शिक्षाके लिये दानका आधार लेना पड़ा था। लेकिन यदि उसने अपनी शिक्षाके लिये परिश्रमपूर्वक अद्योग किया हो और जिस तरह अपनी पढ़ाईका खर्च निकालनेके साथ-साथ अपनी बुद्धि, शरीर और आत्माका विकास भी सिद्ध किया हो, तो ऐसा कौन है जो अपने उन दिनोंको गर्वसे याद न करेगा?

यंग इंडिया, २-८-'२८

४९

शिक्षाका आश्रमी आदर्श

शिक्षाके बारेमें मेरी अपनी कुछ मान्यतायें हैं। अन्हें मेरे सह-कारियोंने पूरा-पूरा स्वीकार तो नहीं किया है, फिर भी यहां देता हूं:

१. लड़कों और लड़कियोंको एक साथ शिक्षा देनी चाहिये। यह बाल्यावस्था आठ वर्ष तक मानी जाय।

२. उनका समय मुख्यतः शारीरिक काममें बीतना चाहिये और यह काम भी शिक्षककी देखरेखमें होना चाहिये। शारीरिक कामको शिक्षाका अंग माना जाय।

३. हर लड़के और लड़कीकी रुचिको पहचानकर उसे काम सौंपना चाहिये।

४. हरएक काम लेते समय उसके कारणकी जानकारी करानी चाहिये।

५. लड़का या लड़की समझने लगे, तभीसे उसे साधारण ज्ञान देना चाहिये। उसका यह ज्ञान अक्षर-ज्ञानसे पहले शुरू होना चाहिये।

६. अक्षर-ज्ञानको सुन्दर लेखन-कलाका अंग समझकर पहले बच्चेको भूमितिकी आकृतियां खींचना सिखाया जाय; और उसकी अंगुलियों पर उसका काबू हो जाय, तब उसे वर्णमाला लिखना सिखाया जाय। यानी उसे शुरूसे ही शुद्ध अक्षर लिखना सिखाया जाय।

७. लिखनेसे पहले बच्चा पढ़ना सीखे। यानी अक्षरोंको चित्र समझकर अन्हें पहचानना सीखे और फिर चित्र खींचे।

८. जिस तरहसे जो बच्चा शिक्षकके मुंहसे ज्ञान पायेगा, वह आठ वर्षके भीतर अपनी शक्तिके अनुसार काफी ज्ञान पा लेगा।

९. बच्चोंको जबरन् कुछ न सिखाया जाय।

१०. वे जो सीखें उसमें अन्हें रस आना ही चाहिये।

११. बच्चोंको शिक्षा खेल जैसी लगनी चाहिये। खेल-कूद भी शिक्षाका अंग है।

१२. बच्चोंकी सारी शिक्षा मातृभाषा द्वारा होनी चाहिये।

१३. बच्चोंको हिन्दी-अर्दूका ज्ञान राष्ट्रभाषाके तौर पर दिया जाय। उसका आरम्भ अक्षर-ज्ञानसे पहले होना चाहिये।

१४. धार्मिक शिक्षा जरूरी मानी जाय। वह पुस्तक द्वारा नहीं बल्कि शिक्षकके आचरण और उसके मुंहसे मिलनी चाहिये।

१५. नौसे सोलह वर्षका दूसरा काल है।

१६. दूसरे कालमें भी अन्त तक लड़के-लड़कियोंकी शिक्षा साथ-साथ ही तो अच्छा है।

१७. दूसरे कालमें हिन्दू बालकको संस्कृतका और मुसलमान बालकको अरबीका ज्ञान मिलना चाहिये।

१८. जिस कालमें भी शारीरिक काम तो चालू ही रहेगा। पढ़ाई-लिखाईका समय जरूरतके अनुसार बढ़ाया जाना चाहिये।

१९. जिस कालमें माता-पिताका धंधा यदि निश्चित हुआ जान पड़े, तो बच्चेको उसी धंधेका ज्ञान मिलना चाहिये; और उसे जिस तरह तैयार किया जाय कि वह अपने बाप-दादाके धंधेसे जीविका चलाना पसन्द करे। यह नियम लड़की पर लागू नहीं होता।

२०. सोलह वर्ष तक लड़के-लड़कियोंको दुनियाके इतिहास और भूगोलका तथा वनस्पति-शास्त्र, खगोल-विद्या, गणित, भूमिति और बीज-गणितका साधारण ज्ञान हो जाना चाहिये।

२१. सोलह वर्षके लड़के-लड़कीको सीना-पिरोना और रसोआ बनाना आ जाना चाहिये।

२२. सोलहसे पचीस वर्षके समयको मैं तीसरा काल मानता हूं। इस कालमें प्रत्येक युवक और युवतीको उसकी अच्छा और स्थितिके अनुसार शिक्षा मिले।

२३. नौ वर्षके बाद आरम्भ होनेवाली शिक्षा स्वावलम्बी होनी चाहिये। यानी विद्यार्थी पढ़ते हुए जैसे बुद्योगोंमें लगे रहें, जिनकी आमदनीसे शालाका खर्च चले।

२४. शालामें आमदनी तो पहलेसे ही होने लगनी चाहिये। किन्तु शुरूके वर्षोंमें खर्च पूरा होने लायक आमदनी नहीं होगी।

२५. शिक्षकोंको बड़ी-बड़ी तनखाहें नहीं मिल सकतीं, किन्तु वे जीविका चलाने लायक तो होनी ही चाहिये। शिक्षकोंमें सेवा-भावना होनी चाहिये। प्राथमिक शिक्षाके लिये कैसे भी शिक्षकसे काम चलानेका रिवाज निन्दनीय है। सभी शिक्षक चरित्रवान होते चाहिये।

२६. शिक्षाके लिये बड़ी और खर्चीली अमारतोंकी जरूरत नहीं है।

२७. अंग्रेजीका अभ्यास भाषाके रूपमें ही हो सकता है और उसे पाठ्यक्रममें जगह मिलनी चाहिये। जैसे हिन्दी राष्ट्रभाषा है, वैसे ही अंग्रेजीका उपयोग दूसरे राष्ट्रोंके साथके व्यवहार और व्यापारके लिये है।

सच्ची शिक्षा, पृ० ७-९; १९५९

*

स्त्रियोंकी विशेष शिक्षा कैसी हो और कहाँसे शुरू हो, इसके विषयमें मैं खुद निश्चय नहीं कर सका हूं। लेकिन यह मेरा दृढ़ मत है कि जितनी सुविधा पुरुषको मिलती है अतनी ही स्त्रीको भी मिलनी चाहिये और जहाँ विशेष सुविधाकी जरूरत हो वहाँ विशेष सुविधा भी मिलनी चाहिये।

प्रीड़ आयुवाले निरक्षर स्त्री-पुरुषोंके लिये रात्रिवर्गोंकी जरूरत है ही। किन्तु मैं ऐसा नहीं मानता कि अन्हें अक्षर-ज्ञान होना ही चाहिये। अन्हके लिये भाषणों आदिके जरिये साधारण ज्ञान मिलनेकी सुविधा होनी चाहिये। और जिन्हें पढ़ना-लिखना सीखनेकी अिच्छा हो, अन्हके लिये अुसकी पूरी सुविधा होनी चाहिये।

आश्रममें हमने आज तक जितने प्रयोग किये हैं अुनसे हमें अिस अेक बातका निश्चय हो गया है कि शिक्षामें अुद्योगको और खासकर कताअीको बड़ा स्थान मिलना चाहिये। शिक्षा ज्यादातर स्वावलम्बी, देहाती जीवनको ताकत पहुंचानेवाली और अुस जीवनके साथ सम्बन्ध रखनेवाली होनी चाहिये।

*

सच्ची शिक्षा तो स्कूल छोड़नेके बाद शुरू होती है। जिसने अुसका महत्त्व समझा है वह सदा ही विद्यार्थी है। अपना कर्तव्य-पालन करते हुअे अुसे अपना ज्ञान रोज बढ़ाना चाहिये। जो सब काम समझकर करता है अुसका ज्ञान रोज बढ़ना ही चाहिये।

शिक्षाकी प्रगतिमें अेक चीज रकावट डालती है। शिक्षकके बिना शिक्षा ली ही नहीं जा सकती, यह वहम समाजकी वुद्धिको रोक रहा है। मनुष्यका सच्चा शिक्षक वह खुद ही है। आजकल तो अपने-आप शिक्षा प्राप्त करनेके साधन खूब बढ़ गये हैं। बहुतसी बातोंका ज्ञान लगनसे हरअेकको मिल सकता है और जहां शिक्षककी ही जरूरत होती है वहां वह खुद शिक्षक ढूंढ लेता है। अनुभव बढ़े-से-बड़ा स्कूल है। कअी धन्वे अैसे हैं जो स्कूलमें नहीं सीखे जा सकते, वल्कि अुन वघोंकी दुकानों पर या कारखानोंमें ही सीखे जा सकते हैं। अुनका स्कूलमें पाया हुआ ज्ञान अकसर तोतेका-सा होता है। अिसलिये बड़ी अुमरवालोंके लिये स्कूलके बजाय अिच्छाकी, लगनकी और आत्म-विश्वासकी जरूरत है।

बच्चोंकी शिक्षा मां-बापका धर्म है। असा सोचें तो हमें बेशुमार पाठशालाओंकी अपेक्षा सच्ची शिक्षाका वायुमण्डल पैदा करनेकी ज्यादा जरूरत है। वह पैदा हुआ फिर तो जहां पाठशाला चाहिये वहां वह जरूर खड़ी हो जायगी।

आश्रमकी शिक्षा जिस दृष्टिसे होती है और जिस दृष्टिसे सोचने पर सफलता भी एक हद तक अच्छी मिली है। आश्रमका हर विभाग एक स्कूल है।

सत्याग्रह आश्रमका इतिहास, पृ० ६९-७०, ७२; १९५९

५०

राष्ट्रभाषा और लिपि

अगर हमें एक राष्ट्र होनेका अपना दावा सिद्ध करना है, तो हमारी अनेक बातें एकसी होनी चाहिये। भिन्न-भिन्न धर्म और सम्प्रदायोंको एक सूत्रमें बांधनेवाली हमारी एक सामान्य संस्कृति है। हमारी त्रुटियां और बाधाएँ भी एकसी हैं। मैं यह बतानेकी कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी पोशाकके लिये एक ही तरहका कपड़ा न केवल वांछनीय है, बल्कि आवश्यक भी है। हमें एक सामान्य भाषाकी भी जरूरत है, देशी भाषाओंकी जगह पर नहीं परन्तु उनके सिवा। जिस बातमें साधारण सहमति है कि यह माध्यम हिन्दुस्तानी ही होना चाहिये, जो हिन्दी और बुर्दूके मेलसे बने और जिसमें न तो संस्कृतकी और न फारसी या अरबीकी ही भरामर हो। हमारे रास्तेकी सबसे बड़ी रुकावट हमारी देशी भाषाओंकी कभी लिपियां हैं। अगर एक सामान्य लिपि अपनाया संभव हो, तो एक सामान्य भाषाका हमारा जो स्वप्न है—अभी तो वह स्वप्न ही है—अुसे पूरा करनेके मार्गकी एक बड़ी बाधा दूर हो जायगी।

भिन्न-भिन्न लिपियोंका होना कभी तरहसे बाधक है। वह ज्ञानकी प्राप्तिमें एक कारगर रुकावट है। आर्य भाषाओंमें अतनी समानता है कि अगर भिन्न-भिन्न लिपियां सीखनेमें बहुतसा समय बरबाद न करना पड़े, तो हम सब किसी बड़ी कठिनाईके बिना कभी भाषायें जान लें। अुदाहरणके लिये, जो लोग संस्कृतका थोड़ा भी ज्ञान रखते हैं, उनमें

से अधिकांशको रवीन्द्रनाथ टागोरकी अद्वितीय कृतियोंको समझनेमें कोची कठिनाधी न हो, अगर वे सब देवनागरी लिपिमें छपें। परन्तु बंगला लिपि मानो गैर-बंगालियोंके लिये 'दूर रहो' की सूचना है। जिसी तरह यदि बंगाली लोग देवनागरी लिपि जानते हों, तो वे तुलसीदासकी रचनाओंकी अद्भुत सुन्दरता और आध्यात्मिकताका तथा अन्य अनेक हिन्दुस्तानी लेखकोंका आनन्द अनायास लूट सकते हैं। . . . समस्त भारतके लिये एक सामान्य लिपि एक दूरका आदर्श है। परन्तु जो भारतीय संस्कृतसे अल्पत्र भाषायें और दक्षिणकी भाषायें बोलते हैं, उन सबके लिये एक सामान्य लिपि एक व्यावहारिक आदर्श है, अगर हम सिर्फ अपनी-अपनी प्रान्तीयता छोड़ दें। अुदाहरणके लिये, किसी गुजरातीका गुजराती लिपिसे चिपटे रहना अच्छी बात नहीं है। प्रान्तप्रेम वहां अच्छा है जहां वह अखिल भारतीय देशप्रेमकी बड़ी धाराको पुष्ट करता है। जिसी प्रकार अखिल भारतीय प्रेम भी अुसी हृद तक अच्छा है, जहां तक वह विश्वप्रेमके और भी बड़े लक्ष्यकी पूर्ति करता है। परन्तु जो प्रान्तप्रेम यह कहता है कि "भारत कुछ नहीं, गुजरात ही सर्वस्व है", वह बुरी चीज है। . . . मैं मानता हूं कि जिस बातका कोची प्रत्यक्ष प्रमाण देनेकी जरूरत नहीं कि देवनागरी ही सर्वसामान्य लिपि होनी चाहिये, क्योंकि अुसके पक्षमें निर्णायक बात यह है कि अुसे भारतके अधिकांश भागके लोग जानते हैं। . . . जो वृत्ति अितनी बर्जनशील और संकीर्ण हो कि हर बोलीको चिरस्थायी बनाना और विकसित करना चाहती हो, वह राष्ट्र-विरोधी और विश्व-विरोधी है। मेरी विनम्र सम्मतिमें तमाम अविकसित और अलिखित बोलियोंका बलिदान करके अुन्हें हिन्दुस्तानीकी बड़ी धारामें मिला देना चाहिये। यह आत्मोत्कर्षके लिये की गयी कुरबानी होगी, आत्महत्या नहीं। अगर हमें सुसंस्कृत भारतके लिये एक सामान्य भाषा बनानी हो, तो हमें भाषाओं और लिपियोंकी संख्या बढ़ानेवाली या देशकी शक्तियोंको छिन्न-भिन्न करनेवाली किसी भी क्रियाका बढ़ना रोकना होगा। हमें एक सामान्य भाषाकी वृद्धि करनी होगी। . . . अगर मेरी चले तो जमी हुई प्रान्तीय लिपिके साथ-साथ मैं सब प्रान्तोंमें देवनागरी लिपि और अुर्दू लिपिका सीखना

अनिवार्य कर दूँ और विभिन्न देशी भाषाओंकी मुख्य-मुख्य पुस्तकोंको अुनके शब्दशः हिन्दुस्तानी अनुवादके साथ देवनागरीमें छपवा दूँ।

यंग अिडिया, २७-८-२५

हमें राष्ट्रभाषाका भी विचार करना चाहिये। यदि अंग्रेजी राष्ट्रभाषा बननेवाली हो, तो अुसे हमारे स्कूलोंमें अनिवार्य स्थान मिलना चाहिये। तो अब हम पहले यह सोचें कि क्या अंग्रेजी हमारी राष्ट्रभाषा हो सकती है?

कुछ स्वदेशाभिमानी विद्वान कहते हैं कि अंग्रेजी राष्ट्रभाषा हो सकती है या नहीं, यह प्रश्न ही अज्ञानताको बताता है। अुनकी रायमें अंग्रेजी तो राष्ट्रभाषा बन ही चुकी है।

हमारे पढ़े-लिखे लोगोंकी दशाको देखते हुअे अैसा लगता है कि अंग्रेजीके बिना हमारा कारवार बन्द हो जायेगा। अैसा होने पर भी जरा गहरे जाकर देखेंगे, तो पता चलेगा कि अंग्रेजी राष्ट्रभाषा न तो हो सकती है, और न होनी चाहिये।

तब फिर हम यह देखें कि राष्ट्रभाषाके क्या लक्षण होने चाहिये :

१. वह भाषा सरकारी नौकरोंके लिये आसान होनी चाहिये।
२. अुस भाषाके द्वारा भारतका आपसी धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक कामकाज हो सकना चाहिये।
३. अुस भाषाको भारतके ज्यादातर लोग बोलते हों।
४. वह भाषा राष्ट्रके लिये आसान हो।
५. अुस भाषाका विचार करते समय क्षणिक या कुछ समय तक रहनेवाली स्थिति पर जोर न दिया जाय।

अंग्रेजी भाषामें अिनमें से अेक भी लक्षण नहीं है।

पहला लक्षण मुझे अन्तमें रखना चाहिये था। परन्तु मैंने अुसे पहले अिसलिये रखा है कि वह लक्षण अंग्रेजी भाषामें दिखायी पड़ सकता है। ज्यादा सोचने पर हम देखेंगे कि आज भी राज्यके नौकरोंके लिये वह भाषा आसान नहीं है। यहांके शासनका ढांचा अिस तरह सोचा गया है कि अुसमें अंग्रेज कम होंगे, यहां तक कि अन्तमें वाअिसराय और

दूसरे अंगुलियों पर गिनने लायक अंग्रेज ही बसमें रहेंगे। अधिकतर कर्मचारी आज भी भारतीय हैं और वे दिन-दिन बढ़ते ही जायेंगे। यह तो सभी मानेंगे कि जिस वर्गके लिये भारतकी किसी भी भाषासे अंग्रेजी ज्यादा कठिन है।

दूसरा लक्षण विचारते समय हम देखते हैं कि जब तक आम लोग अंग्रेजी बोलनेवाले न हो जायं, तब तक हमारा वार्मिक व्यवहार अंग्रेजीमें नहीं हो सकता। जिस हद तक अंग्रेजी भाषाका समाजमें फैल जाना असंभव मालूम होता है।

तीसरा लक्षण अंग्रेजीमें नहीं हो सकता, क्योंकि वह भारतके अधिकतर लोगोंकी भाषा नहीं है।

चौथा लक्षण भी अंग्रेजीमें नहीं है, क्योंकि सारे राष्ट्रके लिये वह जितनी वासान नहीं है।

पांचवें लक्षण पर विचार करते समय हम देखते हैं कि अंग्रेजी भाषाकी आजकी सत्ता क्षणिक है। सदा बनी रहनेवाली स्थिति तो यह है कि भारतमें जनताके राष्ट्रीय काममें अंग्रेजी भाषाकी जरूरत थोड़ी ही रहेगी। अंग्रेजी साम्राज्यके कामकाजमें बसकी जरूरत रहेगी। यह दूसरी बात है कि वह साम्राज्यके राजनीतिक कामकाज (डिप्लोमेसी) की भाषा होगी। बस कामके लिये अंग्रेजीकी जरूरत रहेगी। हमें अंग्रेजी भाषासे कुछ भी बैर नहीं है। हमारा वाग्रह तो जितना ही है कि बससे हदसे बाहर न जाने दिया जाय। साम्राज्यकी भाषा तो अंग्रेजी ही होगी और जिसलिये हम अपने मालवीयजी, शास्त्रीजी, वेनर्जी आदिको यह भाषा सीखनेके लिये मजबूर करेंगे और यह विश्वास रखेंगे कि ये लोग भारतकी कीर्ति विदेशोंमें फैलायेंगे। परन्तु राष्ट्रकी भाषा अंग्रेजी नहीं हो सकती। अंग्रेजीको राष्ट्रभाषा बनाना 'अस्पेरेण्टो' दाखिल करने जैसी बात है। यह कल्पना ही हमारी कमजोरीको बताती है कि अंग्रेजी राष्ट्रभाषा हो सकती है। 'अस्पेरेण्टो' के लिये प्रयत्न करना हमारी अज्ञानताका और निर्वलताका सूचक होगा।

तो फिर कौनसी भाषा बस पांच लक्षणोंवाली है? यह माने बिना काम नहीं चल सकता कि हिन्दी भाषामें ये सारे लक्षण मौजूद हैं।

ये पांच लक्षण रखनेमें हिन्दीकी होड़ करनेवाली और कोयी भाषा नहीं है। हिन्दीके बाद दूसरा दर्जा बंगलाका है। फिर भी बंगाली लोग बंगालके बाहर हिन्दीका ही अुपयोग करते हैं। हिन्दी बोलनेवाले जहां जाते हैं वहां हिन्दीका ही अुपयोग करते हैं और जिससे किसीको अचम्भा नहीं होता। हिन्दीके धर्मोपदेशक और अुर्दूके मौलवी सारे भारतमें अपने भाषण हिन्दीमें ही देते हैं और अपढ़ जनता अुन्हें समझ लेती है। जहां अपढ़ गुजराती भी अुत्तरमें जाकर थोड़ी-बहुत हिन्दीका अुपयोग कर लेता है, वहां अुत्तरका 'भैया' दम्बजीके सेठकी नौकरी करते हुअे भी गुजराती बोलनेसे अिनकार करता है और सेठ 'भैया' के साथ टूटी-फूटी हिन्दी बोल लेता है। मैंने देखा है कि ठेठ द्राविड़ प्रान्तमें भी हिन्दीकी आवाज सुनायी देती है। यह कहना ठीक नहीं कि मद्रासमें तो अंग्रेजीसे ही काम चलता है। वहां भी मैंने अपना सारा काम हिन्दीसे चलाया है। सैकड़ों मद्रासी मुसाफिरोको मैंने दूसरे लोगोके साथ हिन्दीमें बोलते सुना है। इसके सिवा, मद्रासके मुसलमान भायी तो अच्छी तरह हिन्दी बोलना जानते हैं। यहां यह ध्यानमें रखना चाहिये कि सारे भारतके मुसलमान अुर्दू बोलते हैं और अुनकी संख्या सारे प्रान्तोंमें कुछ कम नहीं है।

जिस तरह हिन्दी भाषा पहलेसे ही राष्ट्रभाषा बन चुकी है। हमने वर्षों पहले अुसका राष्ट्रभाषाके रूपमें अुपयोग किया है। अुर्दू भी हिन्दीकी जिस शक्तिसे ही पैदा हुयी है।

मुसलमान बादशाह भारतमें फारसी-अरबीको राष्ट्रभाषा नहीं बना सके। अुन्होंने हिन्दीके व्याकरणको मानकर अुर्दू लिपि काममें ली और फारसी शब्दोंका ज्यादा अुपयोग किया। परन्तु आम लोगोके साथ अपना व्यवहार वे विदेशी भाषाके द्वारा नहीं चला सके। यह हालत अंग्रेज अधिकारियोसे छिपी हुयी नहीं है। जिन्हें लड़ाकू वर्गोका अनुभव है, वे जानते हैं कि सैनिकोके लिये चीजोके नाम हिन्दी या अुर्दूमें रखने पड़ते हैं।

जिस तरह हम देखते हैं कि हिन्दी ही राष्ट्रभाषा हो सकती है। फिर भी मद्रासके पढ़े-लिखोके लिये यह सवाल कठिन है। लेकिन दक्षिणी,

बंगाली, सिन्धी और गुजराती लोगोंके लिखे तो वह बड़ा आसान है। कुछ महीनोंमें वे हिन्दी पर अच्छा कावू करके राष्ट्रीय कामकाज अुसमें चला सकते हैं। तामिल भाषियोंके बारेमें यह अुतना आसान नहीं। तामिल आदि द्राविडी हिस्सोंकी अपनी भाषायें हैं और अुनकी बनावट और अुनका व्याकरण संस्कृतसे अलग है। शब्दोंकी अेकताके सिवा और कोअी अेकता संस्कृत भाषाओं और द्राविड भाषाओंमें नहीं पाअी जाती।

परन्तु यह कठिनाअी सिर्फ आजके पढ़े-लिखे लोगोंके लिखे ही है। अुनके स्वदेशाभिमान पर भरोसा करने और विशेष प्रयत्न करके हिन्दी सीख लेनेकी आशा रखनेका हमें अधिकार है। भविष्यमें यदि हिन्दीको अुसका राष्ट्रभाषाका पद मिले, तो हर मद्रासी स्कूलमें हिन्दी पढ़ाअी जायगी और मद्रास तथा दूसरे प्रान्तोंके बीच विशेष परिचय होनेकी संभावना बढ़ जायगी। अंग्रेजी भाषा द्राविड जनतामें नहीं घुस सकी। पर हिन्दीको घुसनेमें देर नहीं लगेगी। तेलगू जाति तो आज भी यह प्रयत्न कर रही है।

सच्ची शिक्षा, पृ० १९-२१, २२-२३; १९५९

[२० अक्तूबर, १९१७ में भड़ौचमें हुअी दूसरी गुजरात शिक्षा-परिषदके अव्यक्षपदसे दिये गये भाषणसे।]

जितने साल हम अंग्रेजी सीखनेमें बरबाद करते हैं, अुतने महीने भी अगर हम हिन्दुस्तानी सीखनेकी तकलीफ न अुठायें, तो सचमुच कहना होगा कि जन-साधारणके प्रति अपने प्रेमकी जो डींगें हम हांका करते हैं वे निरी डींगें ही हैं।

रचनात्मक कार्यक्रम, पृ० ३९

प्रान्तीय भाषायें

हमने अपनी मातृभाषाओंके मुकाबले अंग्रेजीसे ज्यादा मुहब्बत रखी, जिसका नतीजा यह हुआ कि पढ़े-लिखे और राजनीतिक दृष्टिसे जागे हुअे अूँचे तबकेके लोगोंके साथ आम लोगोंका रिस्ता विलकुल टूट गया और उन दोनोंके बीच अेक गहरी खाी बन गयी। यही वजह है कि हिन्दुस्तानकी भाषायें गरीब बन गयी हैं, और अुन्हें पूरा पोषण नहीं मिला। अपनी मातृभाषामें दुर्वोध और गहरे तात्त्विक विचारोंको प्रकट करनेकी अपनी व्यर्थ चेष्टामें हम गोते खाते हैं। हमारे पास विज्ञानके निश्चित पारिभाषिक शब्द नहीं हैं। अिस सबका नतीजा खतरनाक हुआ है। हमारी आम जनता आधुनिक मानससे यानी नये जमानेके विचारोंसे विलकुल अछूती रही है। हिन्दुस्तानकी महान भाषाओंकी जो अवगणना हुयी है और अुसकी वजहसे हिन्दुस्तानको जो बेहद नुकसान पहुंचा है, अुसका कोयी अंदाजा या माप आज हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि हम अिस घटनाके बहुत नजदीक हैं। मगर अितनी बात तो आसानीसे समझी जा सकती है कि अगर आज तक हुअे नुकसानका अिलाज नहीं किया गया, यानी जो हानि हो चुकी है अुसकी भरपायी करनेकी कोशिश हमने न की, तो हमारी आम जनताको मानसिक मुक्ति नहीं मिलेगी। वह रूढ़ियों और वहमोंसे घिरी रहेगी। नतीजा यह होगा कि आम जनता स्वराज्यके निर्माणमें कोयी ठोस मदद नहीं पहुंचा सकेगी। अहिंसाकी वुनियाद पर रचे गये स्वराज्यकी चर्चामें यह बात शामिल है कि हमारा हरअेक आदमी आजादीकी हमारी लड़ाीमें खुद स्वतंत्र रूपसे सीधा हाथ बंटाये। लेकिन अगर हमारी आम जनता लड़ाीके हर पहलू और अुसकी हर सीढ़ीसे परिचित न हो और अुसके रहस्यको भलीभांति न समझती हो, तो स्वराज्यकी रचनामें वह अपना हिस्सा किस तरह अदा करेगी? और जब तक सर्व-साधारणकी अपनी

बोलीमें लड़ाईके हर पहलू व कदमको अच्छी तरह समझाया नहीं जाता, तब तक युनसे यह युम्मीद कैसे की जाय कि वे युसमें हाय वंटायेंगे ?

रचनात्मक कार्यक्रम, पृ० ३७-३८

मेरी मातृभाषामें कितनी ही खामियां क्यों न हों, मैं युससे युसी तरह चिपटा रहूंगा जिस तरह अपनी मांकी छातीसे। वही मुझे जीवनदायी दूध दे सकती है। मैं युसकी जगह अंग्रेजीको भी प्यार करता हूं। लेकिन अगर अंग्रेजी युस जगहको हड़पना चाहती है जिसकी वह हकदार नहीं है, तो मैं युससे सख्त नफरत करूंगा। यह बात मानी हुयी है कि अंग्रेजी आज सारी दुनियाकी भाषा बन गयी है। बिस-लिखे मैं युसे दूसरी जवानके तौर पर जगह दूंगा—लेकिन विश्व-विद्यालयके पाठ्यक्रममें, स्कूलोंमें नहीं। वह कुछ लोगोंके सीखनेकी चीज हो सकती है, लाखों-करोड़ोंकी नहीं। आज जब हमारे पास प्राथमरी शिक्षाको भी मुल्कमें लाजिमी बनानेके जरिये नहीं हैं, तो हम अंग्रेजी सिखानेके जरिये कहाँसे जुटा सकते हैं? रुसने बिना अंग्रेजीके विज्ञानमें अितनी युन्नति की है। आज अपनी मानसिक गुलामीकी वजहसे ही हम यह मानने लगे हैं कि अंग्रेजीके बिना हमारा काम चल नहीं सकता। मैं बिस चीजको नहीं मानता।

हरिजनसेवक, २५-८-'४६

अगर सरकारें और युनके दफ्तर सावधानी नहीं लेंगे, तो मुमकिन है कि अंग्रेजी भाषा हिन्दुस्तानीकी जगहको हड़प ले। बिससे हिन्दुस्तानके युन करोड़ों लोगोंको बेहद नुकसान होगा, जो कभी भी अंग्रेजी समझ नहीं सकेंगे। मेरे खयालमें प्रान्तीय सरकारोंके लिये यह बहुत आसान बात होनी चाहिये कि वे अपने यहां जैसे कर्मचारी रखें, जो सारा काम प्रान्तीय भाषाओंमें और अन्तर-प्रान्तीय भाषामें कर सकें। मेरी रायमें अन्तर-प्रान्तीय भाषा सिर्फ नागरी या बुर्दू लिपिमें लिखी जानेवाली हिन्दुस्तानी ही हो सकती है।

यह जरूरी फेरफार करनेमें अेक दिन भी खोना देशको भारी सांस्कृतिक नुकसान पहुंचाना है। सबसे पहली और जरूरी चीज यह

है कि हम अपनी अुन प्रान्तीय भाषाओंका संशोधन करें, जो हिन्दुस्तानक वरदानकी तरह मिली हुयी हैं। यह कहना दिमागी आलसके सिवा औ कुछ नहीं है कि हमारी अदालतों, हमारे स्कूलों और यहां तक कि हमारे दफ्तरोंमें भी यह भाषा-सम्बन्धी फेरफार करनेके लिये कुछ समय, शायद कुछ वरस चाहिये। हां, जब तक प्रान्तोंका भाषाके आधार पर फिर वंटवारा नहीं होता, तब तक बम्बयी और मद्रास जैसे प्रान्तोंमें, जहां बहुतसी भाषायें बोली जाती हैं, थोड़ी मुश्किल जरूर होगी। प्रान्तीय सरकारें अैसा कोअी तरीका खोज सकती हैं, जिससे अुन प्रान्तोंके लोग वहां अपनापन अनुभव कर सकें। जब तक हिन्दुस्तानी संघ अिस सवालक हल न कर ले कि अन्तर-प्रान्तीय भाषा नागरी या अुर्दू लिपिमें लिख जानेवाली हिन्दुस्तानी हो, या सिर्फ नागरी लिपिमें लिखी जानेवाली हिन्दी, तब तक प्रान्तीय सरकारें ठहरी न रहें। अिसकी वजहसे अुन जरूरी सुधार करनेमें देर न लगानी चाहिये। भाषाके बारेमें यह अेक विलकुल गैर-जरूरी विवाद खड़ा हो गया है, जिसकी वजहसे हिन्दुस्तानमें अंग्रेजी भाषा घुस सकती है। और अगर अैसा हुआ तो अिस देशके लिये वह अेक अैसे कलंककी बात होगी, जिसे घौना हमेशाके लिये असंभव होगा। अगर सारे सरकारी दफ्तरोंमें प्रांतीय भाषा अिस्ते माल करनेका कदम अिसी वक्त अुठाया जाय, तो अन्तर-प्रान्तीय भाषाक अुपयोग तो अुसके बाद तुरन्त ही होने लगेगा। प्रान्तोंको केन्द्रसे सम्बन्ध रखना ही पड़ेगा। और अगर केन्द्रीय सरकारने शीघ्र ही यह महसूस करनेकी समझदारी की कि अुन मुट्ठीभर हिन्दुस्तानियोंके लिये हिन्दुस्तानकी संस्कृतिको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिये, जो अितने आलस हैं कि जिस भाषाको किसी भी पार्टी या वर्गका दिल दुखाये वगैर सां हिन्दुस्तानमें आसानीसे अपनाया जा सकता है अुसे भी नहीं सीख सकते तो अैसी हालतमें प्रान्तीय सरकारें केन्द्रीय सरकारसे अंग्रेजीमें अपना व्यवहार रखनेका साहस नहीं कर सकेंगी। मेरा मतलब यह है कि जिस तरह हमारी आजादीको जबरदस्ती छीननेवाले अंग्रेजोंकी सियासी हुकूमतको हमने सफलतापूर्वक अिस देशसे निकाल दिया, अुसी तरह हमारी संस्कृतिको दवानेवाली अंग्रेजी भाषाको भी हमें यहांसे निकाल

बाहर करना चाहिये । हां, व्यापार और राजनीतिकी अन्तर-राष्ट्रीय भाषाके नाते समृद्ध अंग्रेजीका अपना स्वाभाविक स्थान हमेशा कायम रहेगा ।

हरिजनसेवक, २१-९-'४७

संस्कृतका स्थान

मेरी रायमें धार्मिक बातोंमें संस्कृतका अुपयोग करना छोड़ा नहीं जा सकता । अनुवाद कितना ही शुद्ध क्यों न हो, किन्तु वह मूल मंत्रोंका स्थान नहीं ले सकता । मूल मंत्रोंमें अपनी अेक विशेषता है, जो अनुवादमें नहीं आ सकती । इसके सिवा यदि हम जिन मंत्रोंको, जिनका पाठ शाताब्दियों तक संस्कृतमें ही होता रहा है, अब अपनी देशी भाषाओंमें दुहराने लें, तो इससे अनुकी गंभीरतामें कमी आयेगी । लेकिन साथ ही मेरा स्पष्ट मत है कि मंत्रका पाठ और विधिक अनुष्ठान करनेवालेको मंत्रका अर्थ और विधिका तात्पर्य अच्छी तरह समझाया जाना चाहिये । हिन्दू बालककी शिक्षा संस्कृतके प्रारंभिक ज्ञानके बिना अधूरी मानी जानी चाहिये । संस्कृत भाषा और संस्कृत साहित्यका अध्ययन यथेष्ट मात्रामें न चलता रहा तो हिन्दू धर्मका नाश हो जायगा । मौजूदा शिक्षा-मद्वतिकी कमियोंके कारण ही संस्कृत सीखना कठिन मालूम होता है; असलमें वह कठिन नहीं है । लेकिन कठिन हो तो भी धर्मका आचरण और ज्यादा कठिन है । इसलिये जो धर्मका आचरण करना चाहता है, उसे अपने मार्गकी तमाम सीढ़ियोंको, फिर वे कितनी भी कठिन क्यों न दिखायी दें, आसान ही समझना चाहिये ।

यंग अिडिया, १३-५-'२६

दक्षिणमें हिन्दी*

मुझे पक्का विश्वास है कि किसी दिन द्रविड़ भाषी-बहन गंभीर भावसे हिन्दीका अभ्यास करने लग जायेंगे। आज अंग्रेजी पर प्रभुत्व

* अंग्रेजीका ज्ञान

नीचे दिये जा रहे आंकड़े, जो कि १९५१ की जन-गणना पर आधारित हैं, राजभाषा कमीशनकी रिपोर्टके पृ० ४६८ से लिये गये हैं।
(आंकड़े हजारके माने जायें)

राज्य	आवादी	पढ़े- लिखोंकी संख्या	अंग्रेजी पढ़े- लिखों की संख्या (मैट्रिक या कोअी समकक्ष परीक्षा)	पढ़े- लिखोंमें अंग्रेजी पढ़े- लिखोंका शतमान	कुल आवादीमें अंग्रेजी पढ़े- लिखोंका शतमान
१	२	३	४	५	६
वम्बजी	३५९५६.	८८२९	४५८	५.१९	१.२७
पंजाब	१२६४१	२०३९	३२५	१५.९३	२.५६
पश्चिमी बंगाल	२४८१०	६०८८	५९७	९.८१	२.४१
अजमेर	६९३	१३९	१८	१३.११	२.६३
दक्षिण भारत (मद्रास, मैसूर, त्रावन- कोर-कोचीन और कुर्ग)	७५६००	१७२३४	८७६	५.०८	१.१५
मद्रास (आन्ध्रके विभाजनके बाद)	३५७३५	७८००	४००	५.१३	१.१२
आन्ध्र	२०५०८	३१०८	१६५	५.३२	०.८१
मैसूर (बेलारी तालुकाके साथ)	९८४९	१९५६	१३६	६.९४	१.३८

प्राप्त करनेके लिये वे जितनी मेहनत करते हैं, बुझका आठवां हिस्सा भी हिन्दी सीखनेमें करें, तो बाकी हिन्दुस्तानके जो दरवाजे आज बुनके लिये बन्द हैं वे खुल जायं और वे जिस तरह हमारे साथ अंक हो जायं जैसे पहले कभी न थे। मैं जानता हूँ कि जिस पर कुछ लोग यह कहेंगे कि यह दलील तो दोनों ओर लागू होती है। द्रविड़ लोगोंकी संख्या कम है; जिसलिये राष्ट्रकी शक्तके मितव्ययकी दृष्टिसे यह जरूरी है कि हिन्दुस्तानके बाकी सब लोगोंको द्रविड़ भारतके साथ वातचीत करनेके लिये तामिल, तेलगू, कन्नड़ और मलयालम सिखानेके बदले द्रविड़ भारतवालोंको शेष हिन्दुस्तानकी आम भाषा सीख लेनी चाहिये। यही कारण है कि मद्रास प्रदेशमें हिन्दी-प्रचारका कार्य तीव्रतासे किया जा रहा है।

कोवी भी द्रविड़ यह न सोचें कि हिन्दी सीखना जरा भी मुश्किल है। अगर रोजके मनोरंजनके समयमें से नियमपूर्वक थोड़ा समय निकाला जाय, तो साधारण आदमी अंक सालमें हिन्दी सीख सकता है। मैं तो यह भी सुझानेकी हिम्मत करता हूँ कि अब बड़ी-बड़ी म्युनिसिपैलिटियां

हिन्दीका ज्ञान

दक्षिणमें हिन्दी-प्रचारके ये आंकड़े दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रासकी रिपोर्टसे लिये गये हैं और १९१८-१९५५ के कालमें हिन्दी-प्रचारका प्रमाण बतलाते हैं।

(आंकड़े लाखके माने जायें)

	आवादी	पढ़े-लिखोंकी संख्या	हिन्दी पढ़े-लिखोंकी संख्या
आन्ध्र	२०३.२	३०.४	८.०२
तामिलनाड	२७७.७	५१.८	८.९८
केरल	१४०.१	७२.८	१४.२२
कर्नाटक	२२८.४	४८.७	९.८७
तेलंगाना	८०.०	१३.३	१.३६
मद्रास शहर	१४.२	४.३	१.७५

अपने मदरसोंमें हिन्दीकी पढ़ाईको वैकल्पिक बना दें। मैं अपने अनुभवसे यह कह सकता हूँ कि द्रविड़ बालक अद्भुत सरलतासे हिन्दी सीख लेते हैं। शायद कुछ ही लोग यह जानते होंगे कि दक्षिण अफ्रीकामें रहनेवाले लगभग सभी तामिल-तेलगू-भाषी लोग हिन्दी समझते हैं, और अुसमें वातचीत कर सकते हैं। जिसलिअे मैं यह आशा करता हूँ कि अुदार मारवाड़ियोंने मुफ्त हिन्दी सीखनेकी जो सहूलियत पैदा कर दी है, मद्रासके नीजवान अुसकी कदर करेंगे — यानी वे जिस सहूलियतसे लाभ अुठायेंगे।

यंग अिडिया, १६-६-'२०

हिन्दुस्तानकी दूसरी कोअी भाषा न सीखनेके बारेमें बंगालका अपना जो पूर्वग्रह है और द्रविड़ लोकोंको हिन्दुस्तानी सीखनेमें जो कठिनाई मालूम होती है, अुसकी वजहसे हिन्दुस्तानी न जाननेके कारण शेष हिन्दुस्तानसे अलग पड़ जानेवाले दो प्रान्त हैं — बंगाल और मद्रास। अगर कोअी साधारण बंगाली हिन्दुस्तानी सीखनेमें रोज तीन घण्टे खर्च करे, तो सचमुच ही दो महीनोंमें वह अुसे सीख लेगा; और अिसी रफ्तारसे सीखनेमें द्रविड़को छह महीने लगेंगे। कोअी बंगाली या द्रविड़ अितने समयमें अंग्रेजी सीख लेनेकी आशा नहीं कर सकता। हिन्दुस्तानी जाननेवालोंके मुकाबले अंग्रेजी जाननेवाले हिन्दुस्तानियोंकी संख्या कम है। अंग्रेजी जाननेसे अिन थोड़े लोगोंके साथ ही विचार-विनिमयके द्वार खुलते हैं। अिसके विपरीत हिन्दुस्तानीका कामचलाबू ज्ञान अपने देशके बहुत ही ज्यादा भाषी-बहनोंके साथ वातचीत करनेकी शक्ति प्रदान करता है। . . . मैं द्रविड़ भाषियोंकी कठिनाईको समझता हूँ; लेकिन मातृभूमिके प्रति अुनके प्रेम और अुद्यमके सामने कोअी चीज कठिन नहीं है।

यंग अिडिया, २-२-'२१

अंग्रेजी आन्तर-राष्ट्रीय व्यापारकी भाषा है, कूटनीतिकी भाषा है, अुसमें अनेक बढ़िया साहित्यिक रत्न भरे हैं और अुसके द्वारा हमें पाश्चात्य विचार और संस्कृतिका परिचय होता है। अिसलिअे हममें से कुछ लोगोंके लिअे अंग्रेजी जानना जरूरी है। वे राष्ट्रीय व्यापार और

आन्तर-राष्ट्रीय कूटनीतिके विभाग चला सकते हैं और राष्ट्रको पश्चिमका युत्तम साहित्य, विचार और विज्ञान दे सकते हैं। यह अंग्रेजीका युचित्त अपुयोग होगा। आजकल तो अंग्रेजीने हमारे हृदयोंमें सबसे प्रिय स्थान जवरदस्ती छीनकर हमारी मातृभाषाओंको सिंहासन-च्युत कर दिया है। अंग्रेजोंके साथ हमारे बराबरीके संबन्ध न होनेके कारण वह जिस अस्वाभाविक स्थान पर बैठ गयी है। अंग्रेजीके ज्ञानके विना ही भारतीय मस्तिष्कका अुच्चसे अुच्च विकास संभव होना चाहिये। हमारे लड़कों और लड़कियोंको यह सोचनेमें प्रोत्साहन देना कि अंग्रेजी जाने विना युत्तम समाजमें प्रवेश करना असंभव है, भारतके पुरुष-समाजके और खास तौर पर नारी-समाजके प्रति हिंसा करना है। यह विचार अितना अपमानजनक है कि सहन नहीं किया जा सकता। अंग्रेजीके मोहसे छुटकारा पाना स्वराज्यके लिये अेक जरूरी शर्त है।

यंग विडिया, २-२-'२१

अगर हम बनावटी वातावरणमें न रहते होते, तो दक्षिणवासी लोगोंको न तो हिन्दी सीखनेमें कोअी कष्ट मालूम होता, और न अुसकी व्यर्थताका अनुभव ही होता। हिन्दी-भाषी लोगोंको दक्षिणकी भाषा सीखनेकी जितनी जरूरत है, अुसकी अपेक्षा दक्षिणवालोंको हिन्दी सीखनेकी आवश्यकता अवश्य ही अविक है। सारे हिन्दुस्तानमें हिन्दी बोलने और समझनेवालोंकी संख्या दक्षिणकी भाषा बोलनेवालोंसे दुगुनी है। प्रान्तीय भाषा या भाषाओंके बदलेमें नहीं, बल्कि अुनके अलावा अेक प्रान्तका दूसरे प्रान्तसे सम्बन्ध जोड़नेके लिये अेक सर्व-सामान्य भाषाकी आवश्यकता है। अैसी भाषा तो हिन्दी-हिन्दुस्तानी ही हो सकती है।

कुछ लोग, जो अपने मनसे सर्व-साधारणका खयाल ही भुला देते हैं, अंग्रेजीको हिन्दीकी बराबरीसे चलनेवाली ही नहीं, बल्कि अेकमात्र शक्य राष्ट्रभाषा मानते हैं। परदेशी जुअेकी मोहिनी न होती, तो जिस वातकी कोअी कल्पना भी न करता। दक्षिण-भारतकी सर्व-साधारण जनताके लिये, जिसे राष्ट्रीय कार्यमें ज्यादासे ज्यादा हाथ बंटाना होगा, कौनसी भाषा सीखना आसान है — जिस भाषामें अपनी भाषाओंके बहुतेरे शब्द अेकसे

हैं और जो अन्हें अेकदम लगभग सारे अुत्तरी हिन्दुस्तानके सम्पर्कमें लाती है वह हिन्दी, या मुट्ठीभर लोगों द्वारा बोली जानेवाली सब तरहसे विदेशी अंग्रेजी ?

अिस पसन्दका सच्चा आधार मनुष्यकी स्वराज्य-विषयक कल्पना पर निर्भर है। अगर स्वराज्य अंग्रेजी बोलनेवाले भारतीयोंका और अुन्हींके लिअे होनेवाला हो, तो निस्सन्देह अंग्रेजी ही राष्ट्रभाषा होगी। लेकिन अगर स्वराज्य करोड़ों भूखों मरनेवालोंका, करोड़ों निरक्षरोंका, निरक्षर वहनोंका और दलितों व अन्त्यजोंका हो और अिन सबके लिअे हो, तो हिन्दी ही अेकमात्र राष्ट्रभाषा हो सकती है।

यंग अिडिया, १८-६-'३१

यद्यपि मैं अिन दक्षिणकी भाषाओंको संस्कृतकी पुत्रियां मानता हूं, तो भी ये हिन्दी, अुडिया, बंगला, आसामी, पंजाबी, सिन्धी, मराठी और गुजरातीसे भिन्न हैं। अिनका व्याकरण हिन्दीसे विलकुल भिन्न है। अिनको संस्कृतकी पुत्रियां कहनेसे मेरा अभिप्राय अितना ही है कि अिन सबमें संस्कृत शब्द काफी हैं, और जब संकट आ पड़ता है तब ये संस्कृत माताको पुकारती हैं और नये शब्दोंके रूपमें अुसका दूध पीती हैं। प्राचीन कालमें भले ये स्वतंत्र भाषायें रही हों, पर अब तो ये संस्कृतसे शब्द लेकर अपना गौरव बढ़ा रही हैं। अिसके अतिरिक्त और भी तो कअी कारण अिनको संस्कृतकी पुत्रियां कहनेके हैं, पर अुन्हें अिस समय जाने दीजिये।

मैं हमेशासे यह मानता रहा हूं कि हम किसी भी हालतमें प्रांतीय भाषाओंको नुकसान पहुंचाना या मिटाना नहीं चाहते। हमारा मतलब तो सिर्फ यह है कि विभिन्न प्रान्तोंके पारस्परिक सम्बन्धके लिअे हम हिन्दी भाषा सीखें। अैसा कहनेसे हिन्दीके प्रति हमारा कोअी पक्षपात प्रकट नहीं होता। हिन्दीको हम राष्ट्रभाषा मानते हैं। वह राष्ट्रीय होनेके लायक है। वही भाषा राष्ट्रीय बन सकती है, जिसे अधिक संख्यामें लोग जानते-बोलते हों, और जो सीखनेमें सुगम हो। और अिसका कोअी वजन देने लायक विरोध आज तक सुननेमें नहीं आया है।

यदि हिन्दी अंग्रेजीका स्थान ले, तो कमसे कम मुझे तो अच्छा ही लगेगा। लेकिन अंग्रेजी भाषाके महत्त्वको हम अच्छी तरह जानते हैं।

आधुनिक ज्ञानकी प्राप्ति, आधुनिक साहित्यके अध्ययन, सारे जगतके परिचय, अर्थप्राप्ति तथा राज्याधिकारियोंके साथ सम्पर्क रखने और जैसे ही अन्य कार्योंके लिये हमें अंग्रेजीके ज्ञानकी आवश्यकता है। विच्छा न रहते हुये भी हमको अंग्रेजी पढ़नी होगी। यही ही भी रहा है। अंग्रेजी अन्तर-राष्ट्रीय भाषा है।

लेकिन अंग्रेजी राष्ट्रभाषा कभी नहीं बन सकती। आज युसका साम्राज्य-सा जरूर दिखायी देता है। जिससे बचनेके लिये काफी प्रयत्न करते हुये भी हमारे राष्ट्रीय कार्योंमें अंग्रेजीने बहुत स्थान ले रखा है। लेकिन जिससे हमें जिस भ्रममें कभी न पड़ना चाहिये कि अंग्रेजी राष्ट्रभाषा बन रही है।

जिसकी परीक्षा प्रत्येक प्रान्तमें हम आसानीसे कर सकते हैं। बंगाल अथवा दक्षिण भारतको ही लीजिये, जहां अंग्रेजीका प्रभाव सबसे अधिक है। यदि वहां जनताके मारफत हम कुछ भी काम करना चाहते हैं, तो वह आज हिन्दी द्वारा भले ही न कर सकें, पर अंग्रेजी द्वारा तो कर ही नहीं सकते। हिन्दीके दो-चार शब्दोंसे हम अपना भाव कुछ तो प्रगट कर ही देंगे। पर अंग्रेजीसे तो जितना भी नहीं कर सकते।

हां, यह अवश्य माना जा सकता है कि अब तक हमारे यहां एक भी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं बन पायी है। अंग्रेजी राजभाषा है। ऐसा होना स्वाभाविक भी है। अंग्रेजीका जिससे आगे बढ़ना मैं असंभव समझता हूं, चाहे कितना भी प्रयत्न क्यों न किया जाय। अगर हिन्दुस्तानको सचमुच एक राष्ट्र बनाना है, तो चाहे कोयी माने या माने, राष्ट्रभाषा तो हिन्दी ही बन सकती है; क्योंकि जो स्थान हिन्दीको प्राप्त है, वह किसी दूसरी भाषाको कभी नहीं मिल सकता। हिन्दू-मुसलमान दोनोंको मिलाकर करीब बासीस करोड़ मनुष्योंकी भाषा थोड़े-बहुत फेरफारसे हिन्दी-हिन्दुस्तानी ही है।

जिसलिये युचित और संभव तो यही है कि प्रत्येक प्रान्तमें युस प्रान्तकी भाषाका, सारे देशके पारस्परिक व्यवहारके लिये हिन्दीका और अन्तर-राष्ट्रीय उपयोगके लिये अंग्रेजीका व्यवहार हो। हिन्दी बोलनेवालोंकी

संख्या करोड़ोंकी रहेगी, किन्तु अंग्रेजी बोलनेवालोंकी संख्या कुछ लाखसे आगे कभी नहीं बढ़ सकेगी। जिसका प्रयत्न भी करना जनताके साथ अन्याय करना होगा।

(बिन्दौरमें सन् १९३५ में हुअे हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनके २४ वें अधिवेशनमें अध्यक्षपदसे दिये गये गांधीजीके मूल हिन्दी भाषणसे।)

हिन्दुस्तानी हमारी राष्ट्रभाषा है या होगी, ऐसी घोषणायें यदि हमने सच्चाईके साथ की हैं, तो फिर हिन्दुस्तानीकी पढ़ाई अनिवार्य करनेमें कोअी बुराअी नहीं हैं। अंग्लैण्डके स्कूलोंमें लैटिन सीखना अनिवार्य था और शायद अब भी है। उसके अध्ययनसे अंग्रेजीके अध्ययनमें कोअी बाधा नहीं पड़ी। अुलटे, जिस सुसंस्कृत भाषाके ज्ञानसे अंग्रेजीकी समृद्धि ही हुअी है। 'मातृभाषा खतरेमें है' ऐसा जो शोर मचाया जाता है, वह या तो अज्ञानवश मचाया जाता है या अुसमें पाखण्ड है। और जो लोग अीमानदारीसे ऐसा सोचते हैं, अुनकी देशभक्ति पर, यह देखकर कि वे बच्चों द्वारा हिन्दुस्तानी सीखनेके लिये रोज अेक घंटा दिया जाना भी पसन्द नहीं करते, हमें तरस आता है। अगर हमें अखिल भारतीय राष्ट्रियता प्राप्त करनी है, तो हमें जिस प्रान्तीयताकी दीवारको तोड़ना ही होगा। सवाल यह है कि हिन्दुस्तान अेक देश और अेक राष्ट्र है या अनेक देशों और राष्ट्रोंका समूह है?

हरिजन, १०-९-'३८

विद्यार्थियोंके लिये अनुशासनके नियम

१. विद्यार्थियोंको दलबन्दीवाली राजनीतिमें कभी शामिल नहीं होना चाहिये। विद्यार्थी विद्याके खोजी और ज्ञानकी शोष करनेवाले हैं, राजनीतिके खिलाड़ी नहीं।

२. अन्हें राजनीतिक हड़तालें न करनी चाहिये। विद्यार्थी वीरोंकी पूजा चाहे करें, अन्हें करनी चाहिये; लेकिन जब अुनके वीर जेलोंमें जायं, या मर जायं, या यों कहिये कि अन्हें फांसी पर लटकया जाय, तब अुनके प्रति अपनी भक्ति प्रकट करनेके लिये अुनको अुन वीरोंके अुत्तम गुणोंका अनुकरण करना चाहिये, हड़ताल नहीं। अैसे मौकों पर विद्यार्थियोंका शोक असह्य हो जाय और हरअेक विद्यार्थीकी वैसे भावना बन जाय, तो अपनी संस्थाके अधिकारीकी सम्मतिसे स्कूल और कॉलेज बन्द रखे जायं। संस्थाके अधिकारी विद्यार्थियोंकी बात न सुनें, तो अुन्हें छूट है कि वे अुचित रीतिसे, सम्यतापूर्वक, अपनी-अपनी संस्थाओंसे बाहर निकल आयें और तब तक वापस न जायें जब तक संस्थाके व्यवस्थापक पछताकर अुन्हें वापस न बुलायें। किसी भी हालतमें और किसी भी विचारसे अुन्हें अपनेसे भिन्न मत रखनेवाले विद्यार्थियों या स्कूल-कॉलेजके अधिकारियोंके साथ जबरदस्ती न करनी चाहिये। अुन्हें यह विश्वास होना चाहिये कि अगर वे अपनी मर्यादाके अनुरूप व्यवहार करेंगे और मिलकर रहेंगे तो जीत अुन्हींकी होगी।

३. सब विद्यार्थियोंको सेवाके खातिर शास्त्रीय तरीकेसे कातना चाहिये। कतायीके अपने साधनों और दूसरे औजारोंकी अुन्हें हमेशा साफ-सुथरा, सुव्यवस्थित और अच्छी हालतमें रखना चाहिये। संभव हो तो वे अपने हथियारों, औजारों या साधनोंको खुद ही बनाना सीख लें। अलवत्ता, अुनका काता हुआ सूत सबसे बढ़िया होगा। कतायी-सम्बन्धी सारे साहित्यका और अुसमें छिपे आर्थिक, सामाजिक, नैतिक और राजनीतिक सब रहस्योंका अुन्हें अध्ययन करना चाहिये।

४. अपने पहनने-ओढ़नेके लिये वे हमेशा खादीका ही उपयोग करें, और गांवोंमें बनी चीजोंके बदले परदेशकी या यंत्रोंकी बनी वैसी चीजोंको कभी न वरतें।

५. वन्देमातरम् गाने या राष्ट्रीय झण्डा फहरानेके मामलेमें वे दूसरों पर जबरदस्ती न करें। राष्ट्रीय झण्डेके विल्ले वे खुद अपने बदन पर चाहे लगायें, लेकिन दूसरोंको उसके लिये मजबूर न करें।

६. तिरंगे झण्डेके संदेशको अपने जीवनमें अुतारकर दिलमें साम्प्रदायिकता या अस्पृश्यताको घुसने न दें। दूसरे धर्मोवाले विद्यार्थियों और हरिजनोंको अपने भाभी समझकर उनके साथ सच्ची दोस्ती कायम करें।

७. अपने दुःखी-दर्दी पड़ोसियोंकी सहायताके लिये वे तुरन्त दौड़ जायं; आसपासके गांवोंमें सफाईका और भंगीका काम करें और गांवके बड़ी अुमरवाले स्त्री-पुरुषों व बच्चोंको पढ़ावें।

८. आज हिन्दुस्तानीका जो दोहरा स्वरूप तय हुआ है, उसके अनुसार उसकी दोनों शैलियों और दोनों लिपियोंके साथ वे राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी सीख लें, ताकि जब हिन्दी या अुर्दू बोली जाय अथवा नागरी या अुर्दू लिपि लिखी जाय, तब अुन्हें वह नभी न मालूम हो।

९. विद्यार्थी जो भी कुछ नया सीखें, उस सबको अपनी मातृभाषामें लिख लें; और जब वे हर हफ्ते अपने आसपासके गावोंमें दौरा करने निकलें, तो अुसे अपने साथ ले जायं और लोगों तक पहुंचायें।

१०. वे लुक-छिपकर कुछ न करें; जो करें खुल्लम-खुल्ला करें। अपने हर काममें अुनका व्यवहार बिलकुल शुद्ध हो। वे अपने जीवनको संयमी और निर्मल बनायें। किसी चीजसे न डरें और निर्भय रहकर अपने कमजोर साथियोंकी रक्षा करनेमें मुस्तैद रहें; और दंगोंके अवसर पर अपनी जानकी परवाह न करके अहिंसक रीतिसे अुन्हें मिटानेको तैयार रहें। और, जब स्वराज्यकी आखिरी लड़ाई छिड़ जाय, तब अपनी शिक्षण-संस्थायें छोड़कर लड़ाईमें कूद पड़ें और जरूरत पड़ने पर देशकी आजादीके लिये अपनी जान कुरबान कर दें।

११. अपने साथ पढ़नेवाली विद्यार्थिनी बहनोंके प्रति वे अपना व्यवहार बिलकुल शुद्ध और सम्मतापूर्ण रखें।

अपर विद्यार्थियोंके लिये मैंने जो कार्यक्रम सुझाया है, उस पर अमल करनेके लिये अन्हें समय निकालना होगा। मैं जानता हूँ कि वे अपना बहुतसा समय यों ही बरवाद कर देते हैं। अपने समयमें सख्त काट-कसर करके वे मेरे द्वारा सुझाये गये कामके लिये कभी घण्टोंका समय निकाल सकते हैं। लेकिन किसी भी विद्यार्थी पर मैं बेजा बोझा लादना नहीं चाहता। इसलिये देशसे प्रेम रखनेवाले विद्यार्थियोंको मेरी यह सलाह है कि वे अपने अभ्यासके समयमें से अेक सालका समय इस कामके लिये अलग निकाल लें; मैं यह नहीं कहता कि अेक ही वारमें वे सारा साल दे दें। मेरी सलाह यह है कि वे अपने समूचे अभ्यास-कालमें इस सालको वांट लें और थोड़ा-थोड़ा करके पूरा करें। अन्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस तरह बिताया हुआ साल व्यर्थ नहीं गया। इस समयमें की गयी मेहनतके जरिये वे देशकी आजादीकी लड़ाीमें अपना ठोस हिस्सा अदा करेंगे, और साथ ही अपनी मानसिक, नैतिक और शारीरिक शक्तियां भी बहुत-कुछ बढ़ा लेंगे।

रचनात्मक कार्यक्रम, पृ० ५२-५६

पश्चिमकी भद्दी नकल और शुद्ध तथा परिष्कृत अंग्रेजी बोलने व लिखनेकी योग्यतासे स्वतंत्रता देवीके मंदिरकी रचनामें अेक भी अींट नहीं जुड़ेगी। विद्यार्थी-जगतको आज जो शिक्षा मिल रही है, वह भूखे-नंगे भारतके लिये बेहद महंगी है। उसे बहुत ही थोड़े लोग प्राप्त करनेकी आशा रख सकते हैं। इसलिये विद्यार्थियोंसे यह आशा रखी जाती है कि वे राष्ट्रके लिये अपना जीवन तक न्यौछावर करके अपनेको उस शिक्षाके योग्य बनायेंगे। विद्यार्थियोंको समाजकी रक्षा करनेवाले सुधार-कार्यमें तो अगुआ बनना ही चाहिये। वे राष्ट्रमें जो कुछ अच्छा है उसकी रक्षा करें और समाजमें जो बेशुमार बुराियां घुस गयी हैं उनसे निर्भयता पूर्वक समाजको मुक्त करें।

विद्यार्थियोंको देशके करोड़ों मूक लोगों पर असर डालना होगा। अन्हें किसी प्रान्त, नगर, वर्ग या जातिकी दृष्टिसे नहीं, बल्कि अेक महाद्वीप और करोड़ों मनुष्योंकी दृष्टिसे सोचना सीखना चाहिये। अिन करोड़ों लोगोंमें अछूत, शराबी, गुंडे और बेश्यायें भी शामिल हैं, हमारे बीच जिनके

अस्तित्वके लिये हम सभी जिम्मेदार हैं। प्राचीन कालमें विद्यार्थी ब्रह्म-चारी अर्थात् श्रीश्वरके साथ और अुससे डरकर चलनेवाले कहलाते थे। राजा और बड़े-बूढ़े लोग अुनकी अिज्जत करते थे। राष्ट्र खुशी-खुशी अुनका खर्च बरदाश्त करता था और बदलेमें वे राष्ट्रको सौ गुनी बलवान आत्मायें, सौ गुने बलवान मस्तिष्क और सौ गुनी बलिष्ठ भुजायें देते थे। आधुनिक संसारमें गिरे हुअे राष्ट्रोंके विद्यार्थी अुन राष्ट्रोंके आशादीप समझे जाते हैं और जीवनके हर क्षेत्रमें वे सुधारोंके त्यागी नेता बन गये हैं। भारतमें भी अैसे विद्यार्थियोंके अुदाहरण मौजूद हैं। परन्तु वे अिने-गिने हैं। मेरा कहना अितना ही है कि विद्यार्थी-सम्मेलनोंको अिस प्रकारके संगठित कार्योंकी हिमायत करनी चाहिये, जो ब्रह्मचारियोंकी प्रतिष्ठाके योग्य हों।

यंग अिडिया, ९-६-१२७

विद्यार्थियोंको अपनी सारी छुट्टियां ग्रामसेवामें लगानी चाहिये। अिसके लिये अुन्हें मामूली रास्तों पर घूमने जानेके बजाय अुन गांवोंमें जाना चाहिये, जो अुनकी संस्थाओंके पास हों। वहां जाकर अुन्हें गांवके लोगोंकी हालतका अध्ययन करना चाहिये और अुनसे दोस्ती करनी चाहिये। अिस आदतसे वे देहातवालोंके सम्पर्कमें आयेंगे। और जब विद्यार्थी सच-मुच अुनमें जाकर रहेंगे तब पहलेके कभी-कभीके सम्पर्कके कारण गांववाले अुन्हें अपना हितैषी समझकर अुनका स्वागत करेंगे, न कि अजनबी मानकर अुन पर सन्देह करेंगे। लम्बी छुट्टियोंमें विद्यार्थी देहातमें ठहरें, प्रौढशिक्षाके वर्ग चलायें, ग्रामवासियोंको सफाअीके नियम सिखायें और मामूली बीमारियोंके बीमारोंकी दवा-दारू और देखभाल करें। वे अुनमें चरखा भी जारी करें और अुन्हें अपने हर फालतू समयका अुपयोग करना सिखायें। यह काम कर सकनेके लिये विद्यार्थियों और शिक्षकोंको छुट्टियोंके अुपयोगके वारेमें अपने विचार बदलने होंगे। अकसर विचारहीन शिक्षक छुट्टियोंमें घर करनेके लिये विद्यार्थियोंको पढ़ाअीका काम दे देते हैं। मेरी रायमें यह आदत हर तरहसे बुरी है। छुट्टियोंका समय ही तो अैसा होता है, जब विद्यार्थियोंका मन पढ़ाअीके रोजमर्राके कामकाजसे मुक्त रहना चाहिये और स्वावलम्बन तथा मौलिक विकासके लिये स्वतंत्र रहना चाहिये।

मैने जिस ग्रामसेवाका जिक्र किया है, वह मनोरंजनका और बोझ न मालूम होनेवाली शिक्षाका अुत्तम रूप है। स्पष्ट ही यह सेवा पढ़ाओ पूरी करनेके बाद केवल ग्रामसेवाके काममें लग जानेकी सबसे अच्छी तैयारी है।

यंग अिडिया, २६-१२-'२९

अपनी योग्यताओंको रुपया-आत्रा-पाओमें भुनानेके बजाय देशकी सेवामें अर्पित करो। यदि तुम डॉक्टर हो तो देशमें अितनी बीमारी है कि अुसे दूर करनेमें तुम्हारी सारी डॉक्टरी विद्या काम आ सकती है। यदि तुम वकील हो तो देशमें लड़ाओ-झगड़ोंकी कमी नहीं है। अुन्हें बढ़ानेके बजाय तुम लोगोंमें आपसी समझौता कराओ और अिस तरह विनाशक मुकदमेवाओकी दूर करके लोगोंकी सेवा करो। यदि तुम अिजीनियर हो तो अपने देशवासियोंकी आवश्यकताओंके अुनुरूप आदर्श घरोंका निर्माण करो। ये घर अुनके साधनोंकी सीमाके अन्दर होने चाहिये और फिर भी शुद्ध हवा और प्रकाशसे भरपूर तथा स्वास्थ्यप्रद होने चाहिये। तुमने जो भी सीखा है अुसमें अैसा कुछ नहीं है, जिसका देशकी सेवाके काममें सदुपयोग न हो सके।

यंग अिडिया, ५-११-'३१

विद्यार्थी और राजनीति

विद्यार्थियोंको अपनी राय रखने और अुसे प्रगट करनेकी पूरी आजादी होनी चाहिये। अुन्हें जो भी राजनीतिक दल अच्छा लगता हो, अुसके साथ वे खुले तौर पर सहानुभूति रख सकते हैं। लेकिन मेरी रायमें जब तक वे अध्ययन कर रहे हैं, तब तक अुन्हें कार्यकी स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। कोओ विद्यार्थी अपना अध्ययन भी करता रहे और साथ ही सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता भी हो यह शक्य नहीं है।

हरिजन, २-१०-'३७

विद्यार्थियोंका दलगत राजनीतिमें पड़नेसे काम नहीं चल सकता। जैसे वे सब प्रकारकी पुस्तकें पढ़ते हैं, वैसे सब दलोंकी बात सुन सकते हैं। परन्तु अुनका काम यह है कि सबकी सचाओको हजम करें और वाकीको फेंक दें। यही अेकमात्र अुचित रवैया है जिसे वे अपना सकते हैं।

सत्ताकी राजनीति विद्यार्थी-संसारके लिये अपरिचित होनी चाहिये। वे ज्यों ही अिस तरहके काममें पड़ेंगे, त्यों ही विद्यार्थीके पदसे च्युत हो जायेंगे और अिसलिये देशके संकट-कालमें अुसकी सेवा करनेमें असफल होंगे।

विद्यार्थियोंसे, पृ० ८९

५४

भारतीय स्त्रियोंका पुनरुत्थान

जिस रूढ़ि और कानूनके बनानेमें स्त्रीका कोअी हाथ नहीं था और जिसके लिये सिर्फ पुरुष ही जिम्मेदार है, अुस कानून और रूढ़िके जुल्मोंने स्त्रीको लगातार कुचला है। अहिंसाकी नींव पर रचे गये जीवनकी योजनामें जितना और जैसा अधिकार पुरुषको अपने भविष्यकी रचनाका है, अुतना और वैसा ही अधिकार स्त्रीको भी अपना भविष्य तय करनेका है। लेकिन अहिंसक समाजकी व्यवस्थामें जो अधिकार मिलते हैं, वे किसी न किसी कर्तव्य या धर्मके पालनसे प्राप्त होते हैं। अिसलिये यह भी मानना चाहिये कि सामाजिक आचार-व्यवहारके नियम स्त्री और पुरुष दोनों आपसमें मिलकर और राजी-खुशीसे तय करें। अिन नियमोंका पालन करनेके लिये बाहरकी किसी बातकी सत्ता या हुकूमतकी जबरदस्ती काम न देगी। स्त्रियोंके साथ अपने व्यवहार और बरतावमें पुरुषोंने अिस सत्यको पूरी तरह पहचाना नहीं है। स्त्रीको अपना मित्र या साथी माननेके बदले पुरुषने अपनेको अुसका स्वामी माना है। कांग्रेस-वालोंका यह खास हक है कि वे हिन्दुस्तानकी स्त्रियोंको अुनकी अिस गिरी हुआ हालतसे हाथ पकड़कर अूपर अुठावें। पुराने जमानेका गुलाम नहीं जानता था कि अुसे आजाद होना है, या कि वह आजाद हो सकता है। औरतोंकी हालत भी आज कुछ अैसी ही है। जब अुस गुलामको आजादी मिली तो कुछ समय तक अुसे अैसा मालूम हुआ, मानो अुसका सहारा ही जाता रहा। औरतोंको यह सिखाया गया है कि वे अपनेको

पुरुषोंकी दासी समझें। जिसलिये कांग्रेसवालोंका यह फर्ज है कि वे स्त्रियोंको अनुकी मौलिक स्थितिका पूरा बोध करावें और उन्हें जिस तरहकी तालीम दें, जिससे वे जीवनमें पुरुषोंके साथ बराबरीके दरजेसे हाथ बंटाने लायक बनें।

एक वार मनका निश्चय हो जानेके बाद जिस क्रान्तिका काम आसान है। जिसलिये कांग्रेसवाले जिसकी शुरुआत अपने घरसे करें। वे अपनी पत्नियोंको मन बहलानेकी गुड़िया या भोग-विलासका सावन माननेके बदले उनको सेवाके समान कार्यमें अपना सम्मान्य साथी समझें। जिसके लिये जिन स्त्रियोंको स्कूल या कॉलेजकी शिक्षा नहीं मिली है, वे अपने पतियोंसे जितना बन पड़े सीखें। जो बात पत्नियोंके लिये कही है, वही जरूरी परिवर्तनके साथ माताओं और बेटियोंके लिये भी समझनी चाहिये।

यह कहनेकी जरूरत नहीं कि हिन्दुस्तानकी स्त्रियोंकी लाचारीका यह एकतरफा चित्र ही मैंने यहां दिया है। मैं भलीभांति जानता हूं कि गांवोंमें औरतें अपने मदोंके साथ बराबरीसे टक्कर लेती हैं; कुछ मामलोंमें वे अनुसे बढ़ी-बढ़ी हैं और अनु पर हुकूमत भी चलाती हैं। लेकिन हमें बाहरसे देखनेवाला कोयी भी तटस्थ आदमी यह कहेगा कि हमारे समूचे समाजमें कानून और रुढ़िकी रुसे औरतोंको जो दरजा मिला है, उसमें कयी खामियां हैं और उन्हें जड़मूलसे सुवारनेकी जरूरत है।

रचनात्मक कार्यक्रम, पृ० ३२-३४

कानूनकी रचना ज्यादातर पुरुषोंके द्वारा हुई है। और जिस कामको करनेमें, जिसे करनेका जिम्मा मनुष्यने अपने ऊपर खुद ही बुठा लिया है, उसने हमेशा न्याय और विवेकका पालन नहीं किया है। स्त्रियोंमें नये जीवनका संचार करनेके हमारे प्रयत्नका अधिकांश भाग अनु दूषणोंको दूर करनेमें खर्च होता चाहिये, जिनका हमारे शास्त्रोंने स्त्रियोंके जन्मजात और अनिवार्य लक्षण कहकर वर्णन किया है। जिस कामको कौन करेगा और कैसे करेगा? मेरी नम्र रायमें जिस प्रयत्नकी सिद्धिके लिये हमें सीता, दमयन्ती और द्रौपदी जैसी पवित्र और दृढ़ता तथा संयम आदि गुणोंसे युक्त स्त्रियां प्रकट करनी होंगी। यदि हम अपने

बीचमें ऐसी स्त्रियां प्रगट कर सके, तो जिन आधुनिक देवियोंको वही मान्यता मिलेगी जो अभी तक शास्त्रोंको प्राप्त है। अुस हालतमें हमारी स्मृतियोंमें स्त्री-जातिके सम्बन्धमें यहां-वहां जो असम्मान-सूचक अुक्तियां मिलती हैं, उन पर हम लज्जित होंगे। ऐसी क्रान्तियां हिन्दू धर्ममें प्राचीन कालमें हो चुकी हैं और भविष्यमें भी होंगी और हमारे धर्मको ज्यादा स्थायी बनायेंगी।

स्पीचेज़ अेण्ड राइटिंग्ज़ ऑफ महात्मा गांधी, पृ० ४२४

स्त्री पुरुषकी साथिन है, जिसकी बौद्धिक क्षमतायें पुरुषकी वैसी ही क्षमताओंसे किसी तरह कम नहीं हैं। पुरुषकी प्रवृत्तियोंमें, उन प्रवृत्तियोंके प्रत्येक अंग और अुपांगमें भाग लेनेका अुसे अधिकार है; और आजादी तथा स्वाधीनताका अुसे अुतना ही अधिकार है जितना पुरुषको। जिस तरह पुरुष अपनी प्रवृत्तिके क्षेत्रमें सर्वोच्च स्थानका अधिकारी माना गया है, अुसी तरह स्त्री भी अपनी प्रवृत्तिके क्षेत्रमें मानी जानी चाहिये। स्त्रियां पढ़ना-लिखना सीखें और अुसके परिणामस्वरूप यह स्थिति आये, अैसा नहीं होना चाहिये। यह तो हमारी सामाजिक व्यवस्थाकी सहज अवस्था ही होनी चाहिये। महज अेक दूषित रूढ़ि और रिवाजके कारण विलकुल ही मूर्ख और नालायक पुरुष भी स्त्रियोंसे बड़े माने जाते हैं, यद्यपि वे अिस बड़प्पनके पात्र नहीं होते और न वह अुन्हें मिलना चाहिये। हमारे कभी आन्दोलनोंकी प्रगति हमारे स्त्री-समाजकी पिछड़ी हुअी हालतके कारण बीचमें ही रुक जाती है। अिसी तरह हमारे किये हुअे कामका जैसा और जितना फल आना चाहिये, वैसा और अुतना नहीं आता। हमारी दशा अुस कंजूस व्यापारीके जैसी है, जो अपने व्यापारमें पर्याप्त पूंजी नहीं लगाता और अिसलिअे नुकसान अुठाता है।

स्पीचेज़ अेण्ड राइटिंग्ज़ ऑफ महात्मा गांधी, पृ० ४२५

स्त्री और पुरुषकी समानता

स्त्रियोंके अधिकारोंके सवाल पर मैं किसी तरहका समझौता स्वीकार नहीं कर सकता। मेरी रायमें उन पर अैसा कोअी कानूनी प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाना चाहिये, जो पुरुषों पर न लगाया गया हो। पुरुषों

और कन्याओंमें किसी तरहका भेद नहीं होना चाहिये। उनके साथ पूरी समानताका व्यवहार होना चाहिये।

यंग इंडिया, १७-१०-'२९

पुरुष और स्त्रीकी समानताका यह अर्थ नहीं कि वे समान धन्वे भी करें। स्त्रीके घस्त्र धारण करने या शिकार करनेके खिलाफ कोई कानूनी बाधा न होनी चाहिये। लेकिन जो काम पुरुषके करनेके हैं, उनसे वह स्वभावतः विरत होगी। प्रकृतिने स्त्री और पुरुषको अलग-अलगके पूरकके रूपमें सिरजा है। जिस तरह उनके आकारमें भेद है, उसी तरह उनके कार्य भी मर्यादित हैं।

हरिजन, २-१२-'३९

विवाह

यदि हम स्त्री-पुरुषके सम्बन्धोंके सवालको स्वस्थ और शुद्ध मनसे देखें और अपनेको भावी पीढ़ियोंके कल्याणका ट्रस्टी मानें, तो आज जिस क्षेत्रमें जो दुःख नजर आते हैं, उनमें से अधिकांश टाले जा सकते हैं।

यंग इंडिया, २७-१-'२८

विवाह जीवनकी एक स्वाभाविक घटना है और उसे किसी भी तरह दूषित या कुत्सित मानना गलत है। . . . आदर्श यह है कि विवाहको एक पवित्र संस्कार समझा जाय और तदनुसार विवाहित अवस्थामें संयमका पालन किया जाय।

हरिजन, २२-३-'४२

परदा

पवित्रता स्त्रियोंको बाहरी मर्यादाओंमें जकड़कर रखनेसे उत्पन्न होनेवाली चीज नहीं है। उसकी रक्षा उन्हें परदेकी दीवालसे घेरकर नहीं की जा सकती। उसकी उत्पत्ति और उसका विकास भीतरसे होना चाहिये। और उसकी कसौटी यह है कि वह पवित्रता किसी भी प्रलोभनसे डिगे

नहीं। जिस कसौटी पर वह खरी सिद्ध हो तभी उसका कोई मूल्य माना जा सकता है।

यंग अिडिया, ३-२-'२७

और स्त्रियोंकी पवित्रताके विषयमें पुरुष मानसिक अस्वस्थताकी सूचक अितनी चिन्ता क्यों दिखाते हैं? क्या पुरुषोंकी पवित्रताके विषयमें स्त्रियोंको कुछ कहनेका अधिकार है? पुरुषोंके शीलकी पवित्रताके विषयमें हम स्त्रियोंको तो कोई चिन्ता करते हुअे नहीं सुनते। स्त्रियोंके शीलकी पवित्रताके नियमनका अधिकार अपने हाथोंमें लेनेकी अिच्छा पुरुषोंको क्यों करनी चाहिये? पवित्रता कोई अैसी चीज नहीं है जो अूपरसे लादी जा सके। वह तो भीतरसे विकसित होनेवाली और असलिअे वैयक्तिक प्रयत्नसे सिद्ध होनेवाली चीज है।

यंग अिडिया, २५-११-'२६

दहेजकी प्रथा

यह प्रथा नष्ट होनी चाहिये। विवाह लड़के-लड़कीके माता-पिताओं द्वारा पैसे ले-देकर किया हुआ सौदा नहीं होना चाहिये। अस प्रथाका जातिप्रथासे गहरा सम्बन्ध है। जब तक चुनावका क्षेत्र अमुक जातिके अिने-गिने लड़कों या लड़कियों तक ही मर्यादित रहेगा तब तक यह प्रथा भी रहेगी, भले उसके खिलाफ जो भी कहा जाय। यदि अस बुराअीका अुच्छेद करना हो तो लड़कियोंको या लड़कोंको या अुनके माता-पिताओंको जातिके बन्धन तोड़ने पड़ेंगे। सबका मतलब यह है कि अैसी तालीमकी जरूरत है, जो देशके युवकों और युवतियोंके मानसमें आमूल परिवर्तन कर दे।

हरिजन, २३-५-'३६

कोअी भी युवक, जो दहेजको विवाहकी शर्त बनाता है, अपनी शिक्षाको कलंकित करता है, अपने देशको कलंकित करता है और नारी-जातिका अपमान करता है। देशमें आजकल बहुतेरे युवक-आन्दोलन चल रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ये आन्दोलन अस किस्मके सवालकोंको

अपने हाथमें लें। जैसे संवटनोंको किसी ठोस सुधार-कार्यका प्रतिनिधि होना चाहिये और यह सुधार-कार्य अन्हें अपने अन्दरसे ही शुरू करना चाहिये। लेकिन देखा गया है कि जिस तरहके सुधार-कार्यके प्रतिनिधि होनेके वजाय वे अकसर आत्म-प्रशंसा करनेवाली समितियोंका रूप ले लेते हैं। . . . दहेजकी जिस नीचे गिरानेवाली प्रथाके खिलाफ बलवान लोकमत पैदा करना चाहिये; और जो युवक जिस पापके सोनेसे अपने हाथ गंदे करते हैं, उनका समाजसे बहिष्कार किया जाना चाहिये। लड़कियोंके माता-पिताओंको अंग्रेजी डिग्रियोंका मोह छोड़ देना चाहिये, और अपनी कन्याओंके लिये सच्चे और स्त्री-जातिके प्रति सम्मानकी भावना रखनेवाले सुयोग्य वरोंकी खोजमें अपनी जाति या प्रान्तके भी तंग दायरेके बाहर जानेमें संकोच नहीं करना चाहिये।

यंग अिडिया, २१-६-'२८

विधवाओंका पुनर्विवाह

जिस स्त्रीने अपने पतिके प्रेमका अनुभव किया हो उसके द्वारा स्वेच्छासे और समझ-बूझकर स्वीकार किया गया वैधव्य जीवनको सौन्दर्य और गौरव प्रदान करता है, घरको पवित्र बनाता है और धर्मको अपर अुठाता है। लेकिन धर्म या रिवाजके द्वारा अपरसे लादा हुआ वैधव्य अेक असह्य बोझ है; वह गुप्त पापाचारके द्वारा घरको अपवित्र करता है और धर्मको गिराता है।

यदि हम पावित्र्यकी और हिन्दू धर्मकी रक्षा करना चाहते हैं, तो जिस जबरदस्ती लादे जानेवाले वैधव्यके विपसे हमें मुक्त होना ही होगा। जिस सुधारकी शुरुआत अुन लोगोंको करनी चाहिये, जिनके यहां बाल-विधवायें हैं। अुन्हें साहसपूर्वक अिन बाल-विधवाओंका योग्य लड़कोंसे विवाह करा देना चाहिये। बाल-विधवाओंके जिस विवाहको मैं पुनर्विवाहका नाम नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं मानता हूं कि अुनका विवाह तो कभी हुआ ही नहीं था।

यंग अिडिया, ५-८-'२६

तलाक

विवाह विवाह-सूत्रसे बंधे हुए दोनों साथियोंको अेक-दूसरेके साथ शरीर-सम्बन्धका अधिकार देता है। लेकिन इस अधिकारकी अेक मर्यादा है। इस अधिकारका अुपभोग तभी हो जब दोनों साथी इस सम्बन्धकी अिच्छा रखते हों। अेक साथी दूसरेसे अुसकी अनिच्छा होते हुए भी इस सम्बन्धकी मांग करे, अैसा अधिकार विवाह नहीं देता। जब अिनमें से कोअी भी अेक साथी नैतिक अथवा अन्य किसी कारणसे दूसरेकी अैसी अिच्छाका पालन करनेमें असमर्थ हो तब क्या करना चाहिये, यह अेक अलग सवाल है। व्यक्तिगत तौर पर यदि तलाक ही इस सवालका अेकमात्र अुपाय हो, तो अपनी नैतिक प्रगतिको रोकनेके वजाय मैं इस अुपायको ही स्वीकार कर लूंगा — बशर्ते कि मेरे संयमका कारण नैतिक ही हो।

यंग अिडिया, ८-१०-१२५

मैं विवाहित अवस्थाको भी जीवनके दूसरे हिस्सोंकी तरह साधनाकी ही अवस्था मानता हूं। जीवन कर्तव्य-पालन है, अेक लगातार चलनेवाली परीक्षा है। विवाहित जीवनका लक्ष्य दोनों साथियोंका पारस्परिक कल्याण साधना है — यहां इस जीवनमें और इस जीवनके बाद भी। यह संस्था मानव-जातिके हितके लिये है। दोमें से कोअी अेक साथी विवाहके अनुशासनको तोड़े, तो दूसरेको विवाह-सम्बन्ध भंग करनेका अधिकार हो जाता है। यहां विवाह-सम्बन्धका भंग नैतिक है, शारीरिक नहीं; लेकिन इसमें तलाककी बात नहीं है। स्त्री या पुरुष अपने साथीसे अलग हो जायगा, लेकिन अुसी अुद्देश्यकी सिद्धिके लिये जिसके लिये वे विवाह-सूत्रमें बंधे थे। हिन्दू धर्म स्त्री-पुरुष दोनोंको अेक-दूसरेका समकक्ष मानता है; कोअी किसीसे न तो कम है, न ज्यादा। बेशक, न जाने कबसे स्त्रीको छोटा और पुरुषको बड़ा माननेवाला अेक भिन्न रिवाज चल पड़ा है। लेकिन अैसी तो और कितनी ही बुराइयां समाजमें घुस आयी हैं। जो भी हो, मैं यह जरूर जानता हूं कि हिन्दू धर्म व्यक्तिको इस बातकी पूरी आजादी देता है कि वह आत्म-साक्षात्कारके

लिअे जो कुछ करना आवश्यक हो सो करे, क्योंकि वही मानव-जन्मका सच्चा अद्देश्य है।

यंग अिडिया, २१-१०-'२६

स्त्रियोंके शीलकी रक्षा

मैने हमेशा यह माना है कि किसी स्त्रीकी अिच्छाके खिलाफ अुसका शील भंग नहीं किया जा सकता। अिस अत्याचारकी शिकार वह तब होती है जब अुसके मन पर डर छा जाता है या जब अुसे अपने नैतिक बलकी प्रतीति नहीं होती। अगर वह आक्रमणकारीके शारीरिक बलका मुकाबला नहीं कर सकती, तो अुसकी पवित्रता अुसे, आक्रमणकारी अुसके शीलका भंग कर सके अुसके पहले ही, मरनेका अिच्छाबल अवश्य दे सकती है। सीताका अुदाहरण लीजिये। शारीरिक दृष्टिसे रावणकी तुलनामें वे कुछ भी नहीं थीं, किन्तु अुनकी पवित्रता रावणके अपार राक्षसी बलसे भी ज्यादा शक्तिशाली सिद्ध हुयी। रावणने अुन्हें अनेक तरहके प्रलोभन देकर जीतना चाहा, लेकिन अुन्हें वासना-पूर्तिके लिअे छूनेकी हिम्मत वह नहीं कर सका। दूसरी ओर, यदि स्त्री अपने शारीरिक बल पर या हथियार पर भरोसा करे, तो अपनी शक्तिके चूक जाने पर वह निश्चय ही हार जायेगी।

हरिजन, १४-१-'४०

किसी स्त्री पर जब आक्रमण हो अुस समय अुसे हिंसा और अहिंसाका विचार करनेकी जरूरत नहीं। अुसका पहला कर्तव्य आत्मरक्षा करना है। अपने शीलकी रक्षाके लिअे अुसे जो भी अुपाय सूझे अुसका अुपयोग करनेकी अुसे पूरी आजादी है। भगवानने अुसे दांत और नाखून तो दिये ही हैं। अुसे अपनी पूरी ताकतके साथ अुनका अुपयोग करना चाहिये और यदि जरूरत पड़ जाय तो प्रयत्न करते हुअे मर जाना चाहिये। जिस पुरुष या स्त्रीने मरनेका सारा डर छोड़ दिया है, वह न केवल अपनी ही रक्षा कर सकेगी, बल्कि अपने प्राणोंका बलिदान करके दूसरोंकी रक्षा भी कर सकेगी।

हरिजन, १-३-'४२

वेश्यावृत्ति

वेश्यावृत्ति दुनियामें हमेशा रही है, यह सही है। लेकिन आजकी तरह वह कभी शहरी जीवनका अभिन्न अंग भी रही होगी, जिसमें मुझे शंका है। जो भी हो, अेक अैसा समय जरूर आना चाहिये और आयेगा जब कि मानव-जाति जिस अभिशापके खिलाफ अुठ खड़ी होगी; और जिस तरह अुसने दूसरे अनेक बुरे रिवाजोंको, भले वे कितने भी पुराने रहे हों, मिटा दिया है, अुसी तरह वेश्यावृत्तिको भी वह भूतकालकी चीज बना देगी।

यंग अिडिया, २८-५-'२५

५५

स्त्रियोंकी शिक्षा

मैंने समय-समय पर यह बताया है कि स्त्रीमें विद्याका अभाव जिस बातका कारण नहीं होना चाहिये कि पुरुष स्त्रीसे मनुष्य-समाजके स्वाभाविक अधिकार छीन ले या अुसे वे अधिकार न दे। किन्तु अिन स्वाभाविक अधिकारोंको काममें लानेके लिये, अुनकी शोभा बढ़ानेके लिये और अुनका प्रचार करनेके लिये स्त्रियोंमें विद्याकी जरूरत अवश्य है। साथ ही, विद्याके बिना लाखोंको शुद्ध आत्मज्ञान भी नहीं मिल सकता।

स्त्री और पुरुष समान दरजेके हैं, परन्तु अेक नहीं; अुनकी अनोखी जोड़ी है। वे अेक-दूसरेकी कमी पूरी करनेवाले हैं और दोनों अेक-दूसरेका सहारा हैं। यहां तक कि अेकके बिना दूसरा रह नहीं सकता। किन्तु यह सिद्धान्त अूपरकी स्थितिमें से ही निकल आता है कि पुरुष या स्त्री कोअी अेक अपनी जगहसे गिर जाय तो दोनोंका नाश हो जाता है। अिसलिये स्त्री-शिक्षाकी योजना बनानेवालोंको यह बात हमेशा याद रखनी चाहिये। दम्पतीके बाहरी कामोंमें पुरुष सर्वोपरि है। बाहरी कामोंका विशेष ज्ञान अुसके लिये जरूरी है। भीतरी कामोंमें स्त्रीकी प्रधानता है। अिसलिये गृह-व्यवस्था, बच्चोंकी देखभाल, अुनकी शिक्षा वगैराके बारेमें

स्त्रीको विशेष ज्ञान होना चाहिये। यहां किसीको कोयी भी ज्ञान प्राप्त करनेसे रोकनेकी कल्पना नहीं है। किन्तु शिक्षाका क्रम बिन विचारोंको व्यानमें रखकर न बनाया गया हो, तों स्त्री-पुरुष दोनोंको अपने-अपने क्षेत्रमें पूर्णता प्राप्त करनेका मौका नहीं मिलता।

मुझे असा लगा है कि हमारी मामूली पढ़ाईमें स्त्री या पुरुष किसीके लिये भी अंग्रेजी जरूरी नहीं है। कमाऊके खातिर या राजनीतिक कामोंके लिये ही पुरुषोंको अंग्रेजी भाषा जाननेकी जरूरत हो सकती है। मैं नहीं मानता कि स्त्रियोंको नौकरी ढूंढने या व्यापार करनेकी झंझटमें पड़ना चाहिये। जिसलिये अंग्रेजी भाषा थोड़ी ही स्त्रियां सीखेंगी। और जिन्हें सीखना होगा वे पुरुषोंके लिये खोली हुयी शालाओंमें ही सीख सकेंगी। स्त्रियोंके लिये खोली हुयी शालामें अंग्रेजी जारी करना हमारी गुलामीकी अुमर बढ़ानेका कारण बन जायगा। यह वाक्य मैंने बहुतोंके मुंहसे सुना है और बहुत जगह सुना है कि अंग्रेजी भाषामें भरा हुआ खजाना पुरुषोंकी तरह स्त्रियोंको भी मिलना चाहिये। मैं नम्रताके साथ कहूंगा कि जिसमें कहीं न कहीं भूल है। यह तो कोयी नहीं कहता कि, पुरुषोंको अंग्रेजीका खजाना दिया जाय और स्त्रियोंको न दिया जाय।

जिसे साहित्यका शौक है वह अगर सारी दुनियाका साहित्य समझना चाहे, तो उसे रोककर रखनेवाला जिस दुनियामें कोयी पैदा नहीं हुआ है। परन्तु जहां आम लोगोंकी जरूरतें समझकर शिक्षाका क्रम तैयार किया गया हो, वहां अपर बताये हुये साहित्य-प्रेमियोंके लिये योजना तैयार नहीं की जा सकती। स्त्री या पुरुषको अंग्रेजी भाषा सीखनेमें अपना समय नहीं लगाना चाहिये। यह बात मैं अुनका आनन्द कम करनेके लिये नहीं कहता, बल्कि जिसलिये कहता हूं कि जो आनन्द अंग्रेजी शिक्षा पानेवाले बड़े कष्टसे लेते हैं वह हमें आसानीसे मिले। पृथ्वी अमूल्य रत्नोंसे भरी है। सारे साहित्य-रत्न अंग्रेजी भाषामें ही नहीं हैं। दूसरी भाषायें भी रत्नोंसे भरी हैं। मुझे ये सारे रत्न आम जनताके लिये चाहिये। असा करनेके लिये अेक ही अुपाय है और वह यह कि हममें से कुछ असी शक्तिवाले लोग वे भाषायें सीखें और अुनके रत्न हमें अपनी भाषामें दें।

२४६

मेरे सपनोंका भारत

मैं स्त्रियोंकी समुचित शिक्षाका हिमायती हूँ, लेकिन मैं यह भी मानता हूँ कि स्त्री दुनियाकी प्रगतिमें अपना योग पुरुषकी नकल करके या उसकी प्रतिस्पर्धा करके नहीं दे सकती। वह चाहे तो प्रतिस्पर्धा कर सकती है। लेकिन पुरुषकी नकल करके वह उस अंचाभी तक नहीं अुठ सकती, जिस अंचाभी तक अुठना उसके लिये सम्भव है। उसे पुरुषकी पूरक बनना चाहिये।

हरिजन, २७-२-'३७

सहशिक्षा

मैं अभी तक निश्चयपूर्वक यह नहीं कह सकता कि सहशिक्षा सफल होगी या नहीं होगी। पश्चिममें वह सफल हुआ हो ऐसा नहीं लगता। वर्षों पहले मैंने खुद उसका प्रयोग किया था और वह भी जिस हद तक कि लड़के और लड़कियां उसी वरामदेमें सोते थे। उनके बीचमें कोई आड़ नहीं होती थी; अलवत्ता, मैं और श्रीमती गांधी भी उनके साथ उसी वरामदेमें सोते थे। मुझे कहना चाहिये कि जिस प्रयोगके परिणाम अच्छे नहीं आये।

... सहशिक्षा अभी प्रयोगकी ही अवस्थामें है और उसके परिणामोंके बारेमें पक्ष अथवा विपक्षमें निश्चयपूर्वक हम कुछ नहीं कह सकते। मेरा खयाल है कि जिस दिशामें हमें आरम्भ परिवारसे करना चाहिये। परिवारमें लड़के-लड़कियोंको साथ-साथ स्वाभाविक तौर पर और आजादीके वातावरणमें बढ़ने देना चाहिये। सहशिक्षा जिस तरह अपने-आप आयेगी।

अमृतवाजार पत्रिका, १२-१-'३५

अगर आप स्कूलोंमें अिकट्ठी तालीम दें और ट्रेनिंग स्कूलोंमें न दें, तो वच्चे समझेंगे कि कहीं कुछ-न-कुछ गड़बड़ है।

मेरे वच्चे अगर बुरे भी हैं तो भी मैं उन्हें खतरेमें पड़ने दूंगा। अेक दिन हमें काम-प्रवृत्तिको छोड़ना होगा। हमें हिन्दुस्तानके लिये पश्चिमकी मिसालें नहीं ढूँढ़नी चाहिये। ट्रेनिंग स्कूलोंमें अगर सिखानेवाले शिक्षक लायक और पवित्र हों, नयी तालीमकी भावनासे भरे हों, तो कोई खतरा नहीं। दुर्भाग्यसे कुछ घटनायें ऐसी हो भी जायें तो कोई परवाह नहीं। वे

तो हर जगह होंगी। मैं यह बात साहसपूर्वक कहता तो हूँ, लेकिन मैं जिसके खतरोंसे बेखबर नहीं हूँ।

हरिजनसेवक, ९-११-'४७

५६

संतति-नियमन

सन्ततिके जन्मको मर्यादित करनेकी आवश्यकताके बारेमें दो मत हो ही नहीं सकते। परन्तु जिसका अेकमात्र अुपाय है आत्म-संयम या ब्रह्मचर्य, जो कि युगोंसे हमें प्राप्त है। यह रामबाण और सर्वोपरि अुपाय है और जो जिसका सेवन करते हैं अुन्हें लाभ ही लाभ होता है। डॉक्टर लोगोंका मानव-जाति पर बड़ा अुपकार होगा, यदि वे सन्तति-नियमनके लिये कृत्रिम साधनोंकी तजवीज करनेके बजाय आत्म-संयमके साधन निर्माण करें।

कृत्रिम साधनोंकी सलाह देना मानो बुराबीका हीसला बढ़ाना है। अुससे पुरुष और स्त्री दोनों अुच्छृंखल हो जाते हैं। और अिन कृत्रिम साधनोंको जो प्रतिष्ठा दी जा रही है, अुससे अुस संयमके ह्रासकी गति बढ़े बिना न रहेगी, जो कि लोकमतके कारण हम पर रहता है। कृत्रिम साधनोंके अवलंबनका कुफल होगा नपुंसकता और क्षीणवीर्यता। यह दवा रोगसे भी ज्यादा बढतर सावित हुअे बिना न रहेगी।

अपने कर्मके फलको भोगनेसे दुम दवाना दोष है, अनीतिपूर्ण है। जो शख्स जरूरतसे ज्यादा खा लेता है, अुसके लिये यही अच्छा है कि अुसके पेटमें दर्द हो और अुसे लंघन करना पड़े। जवानको काबूमें न रख कर अनाप-शनाप खा लेना और फिर बलवर्धक या दूसरी दवाअियां खाकर अुसके नतीजेसे बचना बुरा है। पशुकी तरह विषय-भोगमें गर्क रहकर अपने अिस कृत्यके फलसे बचना और भी बुरा है। प्रकृति बड़ी कठोर शासक है। वह अपने कानून-भंगका पूरा बदला बिना आगा-पीछा देखे चुकाती है। केवल नैतिक संयमके द्वारा ही हमें नैतिक फल

मिल संकता है। संयमके दूसरे तमाम साधन अपने हेतुके ही विनाशक सिद्ध होंगे।

हिन्दी नवजीवन, १२-३-'२५

विषय-भोग करते हुअे भी कृत्रिम अुपायोंके द्वारा प्रजोत्पत्ति रोकनेकी प्रथा पुरानी है। मगर पूर्वकालमें वह गुप्त रूपसे चलती थी। आधुनिक सभ्यताके अिस जमानेमें अुसे अूंचा स्थान मिल गया है, और कृत्रिम अुपायोंकी रचना भी व्यवस्थित तरीकेसे की गयी है। अिस प्रथाको परमार्थका जामा पहनाया गया है। अिन अुपायोंके हिमायती कहते हैं कि भोगेच्छा स्वाभाविक वस्तु है, शायद अुसे अीश्वरका वरदान भी कहा जा सकता है। अुसे निकाल फेंकना अशक्य है। अुस पर संयमका अंकुश रखना कठिन है। और अगर संयमके सिवा दूसरा कोअी अुपाय न ढूँढा जाय, तो असंख्य स्त्रियोंके लिये प्रजोत्पत्ति बोझरूप हो जायगी; और भोगसे अुत्पन्न होनेवाली प्रजा अितनी बढ़ जायगी कि मनुष्य-जातिके लिये पूरी खुराक ही नहीं मिल सकेगी। अिन दो आपत्तियोंको रोकनेके लिये कृत्रिम अुपायोंकी योजना करना मनुष्यका धर्म हो जाता है।

मुझ पर अिस दलीलका असर नहीं हुआ है। क्यौंकि अिन अुपायोंके द्वारा मनुष्य अनेक दूसरी मुसीबतें मोल लेता है। मगर सबसे बड़ा नुकसान तो यह है कि कृत्रिम अुपायोंके प्रचारसे संयम-धर्मके लोप हो जानेका भय पैदा होगा। अिस रत्नको बेचकर चाहे जैसा तात्कालिक लाभ मिले, तो भी यह सौदा करने योग्य नहीं है। . . . कठिनाअी आत्म-बंधनासे पैदा होती है। अिसमें त्यागका आरम्भ विचार-शुद्धिसे नहीं होता, केवल बाह्याचारको रोकनेके निष्फल प्रयत्नसे होता है। विचारकी दृढ़ताके साथ आचारका संयम शुरू हो, तो सफलता मिले विना रह ही नहीं सकती। स्त्री-पुरुषकी जोड़ी विषय-सेवनके लिये हर-गिज नहीं बनी है।

आरोग्यकी कुंजी, पृ० ३७-३८; १९५९

(मुझे मालूम है कि गुप्त पापने पाठशालाके लड़के-लड़कियोंका कैसा भयंकर विनाश किया है। विज्ञानके नाम पर कृत्रिम साधनोंके प्रचलित

होने और समाजके प्रसिद्ध नेताओंकी अुस पर मुहर लग जानेसे समस्या और बढ़ गयी है; और जो सुधारक सामाजिक जीवनकी शुद्धिका काम करते हैं, उनका कार्य आज असंभव-सा हो गया है। मैं पाठकोंको यह सूचना देते हुअे कोअी विश्वासवात नहीं कर रहा हूँ कि अैसी कुबारी लड़कियाँ हैं, जिन पर आसानीसे किसी भी वातका प्रभाव पड़ सकता है और जो स्कूल-कॉलेजोंमें पढ़ती हैं, परन्तु जो बड़ी अुत्सुकतासे संतति-निग्रहके साहित्य और पत्रिकाओंका अध्ययन करती हैं और जिनके पास अुसके साधन भी मौजूद हैं। अिन साधनोंके प्रयोगको विवाहित स्त्रियों तक सीमित रखना असंभव है। जब विवाहके अुद्देश्य और अुच्चतम अुपयोगकी कल्पना ही पाशविक विकारकी तृप्ति हो और यह विचार तक न किया जाय कि अिस प्रकारकी तृप्तिका कुदरती नतीजा क्या होगा, तब विवाहकी सारी पवित्रता नष्ट हो जाती है।

मुझे अिसमें जरा भी शक नहीं कि जो विद्वान पुरुष और स्त्रियाँ मिशनरी अुत्साहके साथ कृत्रिम साधनोंके पक्षमें आन्दोलन कर रहे हैं, वे देशके युवकोंकी अपार हानि कर रहे हैं। अुनका यह विश्वास झूठा है कि अैसा करके वे अुन गरीब स्त्रियोंको संकटसे बचा लेंगे, जिन्हें अपनी अिच्छाके विरुद्ध मजबूरन् बच्चे पैदा करने पड़ते हैं। जिन्हें बच्चोंकी संख्या मर्यादित करनेकी जरूरत है, अुनके पास तो अिनकी आसानीसे पहुंच नहीं होगी। हमारी गरीब औरतोंके पास न तो वह ज्ञान होता है और न वह तालीम होती है, जो पश्चिमकी स्त्रियोंके पास होती है। अवश्य ही यह आन्दोलन मध्यम श्रेणीकी स्त्रियोंकी तरफसे नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अुन्हें अिस ज्ञानकी अुतनी जरूरत नहीं है जितनी निर्धन वर्गोंकी स्त्रियोंकी है।

परन्तु सबसे बड़ी हानि, जो यह आन्दोलन कर रहा है, यह है कि पुराना आदर्श छोड़कर यह अुसके स्थान पर अेक अैसा आदर्श स्थापित कर रहा है, जिस पर अमल हुआ तो मानव-जातिका नैतिक और शारीरिक विनाश निश्चित है। वीर्यके व्यर्थ व्ययको प्राचीन साहित्यमें जो अितना भयंकर कृत्य माना गया है, वह कोअी अज्ञानजन्य अंधविश्वास नहीं था। कोअी किसान अगर अपने पासका बढ़ियासे बढ़िया बीज

पथरीली जमीनमें बोये या कोसी खेतका मालिक बढ़िया जमीनवाले अपने खेतमें ऐसी परिस्थितियोंमें अच्छा बीज डाले जिनमें उसका अुगना असंभव हो, तो उसके लिये क्या कहा जायगा ? भगवानने पुरुषको अंचीसे अंची शक्तिवाला बीज प्रदान किया है और स्त्रीको ऐसा खेत दिया है जिसके बराबर अुपजाअू धरती अिस दुनियामें और कहीं नहीं है। अवश्य ही पुरुषकी यह भयंकर मूर्खता है कि वह अपनी अिस सबसे कीमती संपत्तिको व्यर्थ जाने देता है। अुसे अपने अत्यन्त मूल्यवान जवाहरात और मोतियोंसे भी अधिक सावधानीके साथ अिसकी रक्षा करनी चाहिये। अिसी तरह वह स्त्री भी अक्षम्य मूर्खता करती है, जो अपने जीवोत्पादक क्षेत्रमें बीजको नष्ट होने देनेके अिरादेसे ही ग्रहण करती है। वे दोनों अीश्वर-प्रदत्त प्रतिभाके दुरुपयोगके अपराधी माने जायंगे और जो चीज अुन्हें दी गयी है वह अुनसे छीन ली जायगी। कामकी प्रेरणा अेक सुन्दर और अुदात्त वस्तु है। अुसमें लज्जित होनेकी कोसी बात नहीं है। परन्तु वह संतानोत्पत्तिके लिये ही बनायी गयी है। अुसका और कोसी अुपयोग करना अीश्वर और मानवता दोनोंके प्रति पाप है। सन्तति-निग्रहके कृत्रिम साधन पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। परन्तु पहले अुन्हें काममें लेना पाप समझा जाता था। पापको पुण्य कहकर अुसका गौरव बढ़ाना हमारी पीढ़ीके ही भाग्यमें वदा है। मेरे खयालसे कृत्रिम साधनोंके हिमायती भारतके युवकोंकी सबसे बड़ी कुसेवा यह कर रहे हैं कि अुनके दिमागोंमें वे गलत विचारधारा भर रहे हैं। भारतके युवा स्त्री-पुरुषोंको, जिनके हाथमें देशका भाग्य है, अिस झूठे देवतासे सावधान रहना चाहिये, अीश्वरने अुन्हें जो खजाना दिया है अुसकी रक्षा करनी चाहिये और अिच्छा हो तो अुसका अुसी काममें अुपयोग करना चाहिये जिसके लिये वह बनाया गया है।

हरिजन, २८-३-३६

मैं यह नहीं मानता कि स्त्री काम-विकारकी अुतनी ही शिकार बनती है जितना पुरुष। पुरुषके बनिस्वत स्त्रीके लिये आत्म-संयम पालना ज्यादा आसान होता है। मैं मानता हूँ कि अिस देशमें स्त्रीको दी जाने

लायक सही शिक्षा यह होगी कि उसे अपने पतिको भी 'नहीं' कहनेकी कला सिखायी जाय; उसे यह सिखाया जाय कि पतिके हाथोंमें केवल विषय-भोगका साधन या गुड़िया बनकर रहना उसका कर्तव्य विलकुल नहीं है। यदि स्त्रीके कर्तव्य हैं तो उसके अधिकार भी हैं।

पहली बात है उसे मानसिक गुलामीसे मुक्त करना, उसे अपने शरीरको पवित्र माननेकी शिक्षा देना और राष्ट्र तथा मानव-जातिकी सेवाकी प्रतिष्ठा और गौरव सिखाना। यह मान लेना अनुचित होगा कि भारतकी स्त्रियां जिस गुलामीसे कभी छूट ही नहीं सकतीं और जिस-लिये प्रजोत्पत्तिको रोकने तथा अपनी बची-खुची तन्दुरुस्तीकी रक्षा करनेके लिये उन्हें कृत्रिम साधनोंका उपयोग सिखानेके सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है।

जिन वहनोंका पुण्य-प्रकोप ऐसी स्त्रियोंके कष्टोंको देखकर जिन्हें अिच्छा या अनिच्छासे बच्चे पैदा करने पड़ते हैं — जाग्रत हुआ है, वे अुतावली न बनें। कृत्रिम साधनोंके पक्षमें किया जानेवाला प्रचार भी वांछित हेतुको अेक दिनमें सिद्ध नहीं कर देगा। हर पद्धतिके लिये लोगोंको शिक्षा देना जरूरी होगा। मेरा कहना अितना ही है कि यह शिक्षा सही रास्ते ले जानेवाली होनी चाहिये।

हरिजन, २-५-'३६

वन्ध्यीकरण

लोगों पर वन्ध्यीकरण (वह क्रिया जिससे पुरुषके वीर्यमें निहित प्रजनन-शक्तिका नाश कर दिया जाता है) का कानून लादनेको मैं अमानुषिक मानता हूं। परन्तु जो व्यक्ति पुराने रोगोंके मरीज हों, वे यदि स्वीकार कर लें तो उनका वन्ध्यीकरण वांछनीय होगा। वन्ध्यीकरण अेक प्रकारका कृत्रिम साधन है। यद्यपि मैं स्त्रियोंके सम्बन्धमें कृत्रिम साधनोंके अपुयोगके खिलाफ हूं, फिर भी मैं पुरुषके सम्बन्धमें स्वेच्छासे किये जानेवाले वन्ध्यीकरणके खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि पुरुष आक्रामक है।

अमृतवाजार पत्रिका, १२-१-'३५

अधिक जनसंख्याका हौवा

यदि यह कहा जाय कि जनसंख्याकी अतिवृद्धिके कारण कृत्रिम साधनों द्वारा सन्तति-नियमनकी राष्ट्रके लिये आवश्यकता है, तो मुझे इस बातमें पूरा शक है। यह बात अब तक सावित ही नहीं की गयी। मेरी रायमें तो यदि जमीन-सम्बन्धी कानूनोंमें समुचित सुधार करा जाय, खेतीकी दशा सुधारी जाय और अेक सहायक धन्धेकी तज-ोज कर दी जाय, तो हमारा यह देश अपनी जनसंख्यासे दूने लोगोंका रण-पोषण कर सकता है।

यंग अिडिया, २-४-'२५

हमारा यह छोटासा पृथ्वी-मंडल कुछ समयका बना हुआ खिलौना हीं है। अनगिनत युगोंसे यह अैसा ही चला आ रहा है। जनसंख्याकी वृद्धिके भारसे अुसने कभी कष्टका अनुभव नहीं किया। तब कुछ लोगोंके मनमें अेकाअेक अस सत्यका अुदय कहांसे ही गया कि यदि सन्तति-नियमनके कृत्रिम साधनोंसे जनसंख्याकी वृद्धिको रोका न गया, तो अन्न मिलनेसे पृथ्वी-मंडलका नाश हो जायगा?

हरिजनसेवक, २०-९-'३५

वढती हुअी जनसंख्याका हौवा कोअी नअी चीज नहीं है। अकसर यह हमारे सामने खड़ा किया गया है। जनसंख्याकी वृद्धि कोअी टालने अयक संकट नहीं है; न होना चाहिये। अुसे कृत्रिम अुपायोंसे रोकना अेक अहान संकट है, फिर चाहे हम अुसे जानते हों या न जानते हों। अगर कृत्रिम अुपायोंका अुपयोग आम तौर पर होने लगे, तो वह समूचे राष्ट्रको पतनकी ओर ले जायगा। खुशी अस बातकी है कि असकी कोअी सम्भावना नहीं है। अेक ओर हम विषय-भोगसे पैदा होनेवाली अनचाही सन्ततिका पाप अपने सिर ओढते हैं, और दूसरी ओर अीश्वर अुस पापको मिटानेके लिये हमें अनाजकी तंगी, महामारी और लड़ाअीके जरिये सजा करता है। अगर अस तिहरे शापसे वचना हो, तो संयम-अुपी कारगर अुपायके जरिये अनचाही सन्ततिको रोकना चाहिये। देखने-पालोंको आज भी यह दिखाअी पड़ता है कि कृत्रिम अुपायोंके कैसे बुरे

नतीजे होते हैं। नीतिकी चर्चामें पड़े बिना मैं यही कहा चाहता हूं कि कुत्ते-विल्लीकी तरह होनेवाली जिस सन्तान-वृद्धिको जरूर रोकना चाहिये। लेकिन जिस बातका खयाल रखना होगा कि ऐसा करनेसे उसका ज्यादा बुरा नतीजा न निकले। जिस बढ़ती हुई प्रजोत्पत्तिको जैसे बुपायोंसे रोकना चाहिये जिनसे जनता ऊपर उठे; यानी जिसके लिये जनताको उसके जीवनसे सम्बन्ध रखनेवाली तालीम मिलनी चाहिये, जिससे एक शापके मिटते ही दूसरे सब शाप अपने-आप मिट जायं। यह सोचकर कि रास्ता पहाड़ी है और उसमें चढ़ावियां हैं, उससे दूर नहीं भागना चाहिये। मनुष्यकी प्रगतिका मार्ग कठिनावियोंसे भरा पड़ा है। उनसे डरना क्या? उनका तो स्वागत करना चाहिये।

हरिजनसेवक, ३१-३-'४६

५७

काम-विज्ञानकी शिक्षा

काम-विज्ञानकी शिक्षाका हमारी शिक्षा-प्रणालीमें क्या स्थान है, या उसका कोयी स्थान है भी या नहीं? काम-विज्ञान दो प्रकारका होता है। एक वह जो काम-विकारको काबूमें रखने या जीतनेके काम आता है और दूसरा वह जो उसे अत्तेजन और पोषण देनेके काम आता है। पहले प्रकारके काम-विज्ञानकी शिक्षा बाल-शिक्षाका अतना ही आवश्यक अंग है, जितनी दूसरे प्रकारकी शिक्षा हानिकारक और खतरनाक है और जिसलिये दूर रहनेके योग्य है। सभी बड़े धर्मोंने कामको मनुष्यका घोर शत्रु माना है, और वह ठीक ही माना है। क्रोध या द्वेषका स्थान दूसरा ही रखा गया है। गीताके अनुसार क्रोध कामकी सन्तान है। वेशक, गीताने काम शब्दका प्रयोग अच्छामात्रके व्यापक अर्थमें किया है। परन्तु जिस संकुचित अर्थमें वह यहां अस्तेमाल किया गया है उसमें भी यह बात लागू होती है।

परन्तु फिर भी जिस प्रश्नका उत्तर देना रह ही जाता है कि छोटी बुराके विद्यार्थियोंको जननेन्द्रियके कार्य और अपुयोगके बारेमें ज्ञान

देना वांछनीय है या नहीं। मेरे खयालसे अेक हृद तक अिस प्रकारका ज्ञान देना जरूरी है। आज तो वे जैसे-तैसे अधर-अुधरसे यह ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। नतीजा यह होता है कि पथभ्रष्ट होकर वे कुछ बुरी आदतें सीख लेते हैं। हम काम-विकार पर अुसकी ओरसे आंखें बन्द कर लेनेसे ठीक तरह नियंत्रण प्राप्त नहीं कर सकते। अिसलिये मेरा यह दृढ़ मत है कि नौजवान लड़के-लड़कियोंको अुनकी जननेंद्रियोंका महत्त्व और अुचित अुपयोग सिखाया जाय। और अपने ढंगसे मैंने अुन अल्पायु बालक-बालिकाओंको, जिनकी तालीमकी जिम्मेदारी मुझ पर थी, यह ज्ञान देनेकी कोशिश की है।

जिस काम-विज्ञानकी शिक्षाके पक्षमें मैं हूं, अुसका लक्ष्य यही होना चाहिये कि अिस विकार पर विजय प्राप्त की जाय और अुसका सदुपयोग हो। अैसी शिक्षाका स्वभावतः यह अुपयोग होना चाहिये कि वह बच्चोंके दिलोंमें अिन्सान और हैवानके बीचका फर्क अच्छी तरह बैठा दे और अुन्हें यह अच्छी तरह समझा दे कि हृदय और मस्तिष्क दोनोंकी शक्तियोंसे विभूषित होना मनुष्यका विशेष अधिकार है; वह जितना विचारशील प्राणी है अुतना ही भावनाशील भी है — जैसा कि मनुष्य शब्दके धात्वर्थसे प्रगट होता है — और अिसलिये ज्ञानहीन प्राकृतिक अिच्छाओं पर बुद्धिका प्रभुत्व छोड़ देना मानवको अीश्वरसे प्राप्त हुअी सम्पत्तिको छोड़ देना है। बुद्धि मनुष्यमें भावनाको जाग्रत करती है और अुसे रास्ता दिखाती है। पशुमें आत्मा सुषुप्त रहती है। हृदयको जाग्रत करनेका अर्थ है सोअी हुअी आत्माको जाग्रत करना, बुद्धिको जाग्रत करना और बुराअी-भलाअीका विवेक पैदा करना।

यह सच्चा काम-विज्ञान कौन सिखाये? स्पष्ट है कि वही सिखाये जिसने अपने विकारों पर प्रभुत्व पा लिया है। ज्योतिष और अन्य विज्ञान सिखानेके लिये हम अैसे शिक्षक रखते हैं, जिन्होंने अिन विषयोंकी तालीम पाअी है और जो अपनी कलामें प्रवीण हैं। अिसी तरह हमें काम-विज्ञान अर्थात् काम-विकारको कावूमें रखनेका विज्ञान सिखानेके लिये अैसे ही लोगोंको शिक्षक बनाना चाहिये, जिन्होंने अिसका अध्ययन किया है और अिन्द्रियों पर प्रभुत्व प्राप्त कर लिया है। अूचे दर्जेका भाषण

भी, यदि ब्रुसके पीछे हृदयकी सचाबी और अनुभव नहीं है, निष्क्रिय और निर्जीव होगा और वह मनुष्योंके हृदयोंमें घुसकर ब्रुन्हें जगा नहीं सकेगा, जब कि आत्म-दर्शन और सच्चे अनुभवसे निकलनेवाली वाणी सदा सफल होती है।

बाज तो हमारे सारे वातावरणका — हमारे पढ़ने, हमारे सोचने और हमारे सामाजिक व्यवहारका — सामान्य हेतु कामेच्छाकी पूर्ति करना होता है। जिस जालको तोड़कर निकलना आसान काम नहीं है। परन्तु यह हमारे बुच्चतम प्रयत्नके योग्य कार्य है। यदि व्यावहारिक अनुभव-वाले मुट्ठीभर शिक्षक भी जैसे हों, जो आत्म-संयमके आदर्शको मनुष्यका सर्वोच्च कर्तव्य मानते हों और अपने कार्यमें सच्चे और अमिट विश्वाससे अनुप्राणित हों, तो ब्रुनके परियमसे . . . बालकोंका मार्ग प्रकाशमान हो जायगा, वे भोलेभाले लोगोंको आत्म-यतनके कीचड़में फंसनेसे बचा लेंगे, और जो पहले ही फंस चुके हैं ब्रुनका ब्रुद्धार कर देंगे।

हरिजन, २१-११-'३६

५८

बालक

जिस प्रकार बच्चोंको माता-पिताकी सूरत-शकल विरासतमें मिलती है, उसी प्रकार ब्रुनके गुण-दोष भी ब्रुन्हें विरासतमें मिलते हैं। अवश्य ही आसपासके वातावरणके कारण जिसमें अनेक प्रकारकी घट-बढ़ होती है, पर मूल पूंजी तो वही होती है जो बाप-दादा आदिसे मिलती है। मैंने देखा है कि कुछ बालक अपनेको जैसे दोषोंकी विरासतसे बचा लेते हैं। यह आत्माका मूल स्वभाव है, ब्रुसकी बलिहारी है।

आत्मकथा, पृ० २७२; १९५७

मां-बाप अपने बालकोंको जो सर्व्वा सम्पत्ति समान रूपसे दे सकते हैं, वह है ब्रुनका अपना चरित्र और शिक्षाकी सुविधायें। . . . माता-पिताको अपने लड़कों और लड़कियोंको स्वावलम्बी बनानेकी, शरीर-

श्रमके द्वारा निर्दोष जीविका कमाने लायक बनानेकी कोशिश करनी चाहिये ।

यंग अिडिया, २९-१०-'३१

मैं पूरी तरह यह मानता हूँ कि बालक जन्मसे बुरा नहीं होता । यदि माता-पिता बालकके जन्मके पहले और जन्मके पश्चात् जिस समय वह बड़ा हो रहा हो सदाचारका पालन करें, तो यह जानी-मानी बात है कि बालक स्वभावतः सत्य और प्रेमके नियमोंका ही पालन करेगा । . . . और मेरा विश्वास कीजिये कि सैकड़ों — या कहूँ कि हजारों — बालकोंके अनुभव परसे मैं यह जानता हूँ कि बालकोंमें हमारी और आपकी अपेक्षा धर्माचारका ज्यादा सूक्ष्म ज्ञान होता है । यदि हम अपना अहंकार छोड़कर कुछ नम्र वैन जायें, तो जीवनके बड़े-से-बड़े पाठ हम बुजुर्गों और विद्वानोंसे नहीं बल्कि जिन्हें अज्ञान माना जाता है अतः बालकोंसे सीख सकते हैं । ज्ञान बालकोंके मुंहसे प्रगट होता है, भगवान् अीसाके अिस वचनमें जो सत्य है अुससे ज्यादा अुदात्त या अूँचा दूसरा सत्य अुन्होंने शायद ही कहा हो । मैं अिस वचनको स्वीकार करता हूँ । मैंने खुद ही देखा है कि यदि हम बच्चोंके पास नम्र होकर जायें, तो हम अुनसे ज्ञान पा सकते हैं । मैंने तो यह अेक पाठ सीखा है कि मनुष्यके लिये जो असंभव है, भगवान्के लिये वह बच्चेका खेल है; और यदि हमारा अुस विधातामें, जो अपनी सृष्टिके क्षुद्रतम जीवके भी भाग्य पर दृष्टि रखता है, विश्वास हो, तो मुझे अिसमें कोअी सन्देह नहीं है कि सब बातें संभव हैं । और अिसी आशाके आधार पर मैं अपना जीवन यापन कर रहा हूँ और अुसकी अिच्छाका पालन करनेका प्रयत्न कर रहा हूँ । यदि हमें अिस दुनियामें सच्ची शान्ति प्राप्त करना है और यदि हमें युद्धके खिलाफ सचमुच युद्ध चलाना है, तो हमें अपने कार्यका आरम्भ बालकोंसे करना होगा । और यदि बालक अपनी स्वाभाविक पवित्रता कायम रखते हुअे बड़े होते हैं, तो हमें अपने अुद्देश्यके लिये संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, निरर्थक और निष्फल सिद्ध होनेवाले प्रस्ताव पास नहीं करने पड़ेंगे । तब हम प्रेमसे ज्यादा प्रेमकी दिशामें, शान्तिसे ज्यादा शान्तिकी दिशामें अनायास बढ़ते चले जायेंगे और अन्तमें हम देखेंगे

कि जिस छोरसे अुस छोर तक सारी दुनिया अुस शान्ति और प्रेमसे प्लावित हो गयी है, जिसके लिये जाने-अनजाने वह तरस रही है।

यंग अिडिया, १९-११-'३१

५९

साम्प्रदायिक ऐकता

कौमी या साम्प्रदायिक ऐकताकी जरूरतको सब कोअी मंजूर करते हैं। लेकिन सब लोगोंको अभी यह बात जंची नहीं कि ऐकताका मतलब सिर्फ राजनीतिक ऐकता नहीं है। राजनीतिक ऐकता तो जोर-जबर-दस्तीसे भी लादी जा सकती है। मगर ऐकताके सच्चे मानी तो हैं वह दिली दोस्ती, जो किसीके तोड़े न टूटे। जिस तरहकी ऐकता पैदा करनेके लिये सबसे पहली जरूरत जिस बातकी है कि कांग्रेसजन, फिर वे किसी भी धर्मके माननेवाले हों, अपनेको हिन्दू, मुसलमान, अीसाअी, पारसी, यहूदी वगैरा सभी कौमोंके नुमाअिन्दा समझें। हिन्दुस्तानके करोड़ों वाशिन्दोंमें से हरअेकके साथ वे अपनेपनका — आत्मीयताका — अनुभव करें; यानी वे अुनके सुख-दुःखमें अपनेको अुनका साथी समझें। जिस तरहकी आत्मीयता सिद्ध करनेके लिये हरअेक कांग्रेसीको चाहिये कि वह अपने धर्मसे भिन्न धर्मका पालन करनेवाले लोगोंके साथ निजी दोस्ती कायम करे, और अपने धर्मके लिये अुसके मनमें जैसा प्रेम हो, ठीक वैसा ही प्रेम वह दूसरे धर्मसे भी करे।

रचनात्मक कार्यक्रम, पृ० ११-१२

हिन्दू, मुसलमान, अीसाअी, सिक्ख, पारसी आदिको अपने मतभेद हिंसाका आश्रय लेकर और लड़ाअी-झगड़ा करके नहीं निपटाने चाहिये। . . . हिन्दू और मुसलमान मुंहसे तो कहते हैं कि धर्ममें जबरदस्तीको कोअी स्थान नहीं है। लेकिन यदि हिन्दू गायको वचानेके लिये मुसलमानकी हत्या करें, तो यह जबरदस्तीके सिवा और क्या है? यह तो

मुसलमानको बलात् हिन्दू बनाने जैसी ही बात है। और अिसी तरह यदि मुसलमान जोर-जबरदस्तीसे हिन्दुओंको मसजिदोंके सामने वाजा बजानेसे रोकनेकी कोशिश करते हैं, तो यह भी जबरदस्तीके सिवा और क्या है? धर्म तो अिस बातमें है कि आसपास चाहे जितना शोरगुल होता रहे, फिर भी हम अपनी प्रार्थनामें तल्लीन रहें। यदि हम अेक-दूसरेको अपनी धार्मिक अिच्छाओंका सम्मान करनेके लिये बाध्य करनेकी बेकार कोशिश करते रहे, तो भावी पीढ़ियां हमें धर्मके तत्त्वसे बेखबर जंगली ही समझेंगी।

यदि अपने अन्तरका आदेश मानकर कोअी आर्यसमाजी प्रचारक अपने धर्मका और मुसलमान प्रचारक अपने धर्मका अुपदेश करता है, और अुससे हिन्दू-मुस्लिम-अेकता खतरेमें पड़ जाती है, तो कहना चाहिये कि यह अेकता बिलंकुल ही अूपरी है। अैसी प्रचार-प्रवृत्तियोंसे हमें विचलित क्यों होना चाहिये? अलवत्ता, ये प्रवृत्तियां सचाअीसे प्रेरित होनी चाहिये। यदि मलकाना जातिके लोग हिन्दू धर्ममें वापिस आना चाहते हैं, तो अुन्हें अिसका पूरा अधिकार है; वे जब भी आना चाहें आ सकते हैं। लेकिन अिस सिलसिलेमें अैसे किसी प्रचारकी अनुमति नहीं दी जा सकती, जिसमें दूसरे धर्मोंको गालियां दी जाती हों। कारण, दूसरे धर्मोंकी निंदामें परमत-सहिष्णुताके सिद्धान्तका भंग होता है। अैसे प्रचारसे निपटनेका सबसे अच्छा अुपाय यह है कि अुसकी सार्वजनिक रीतिसे निन्दा की जाय। हरअेक आन्दोलन सामाजिक प्रतिष्ठाका जामा पहनकर आगे आनेकी कोशिश करता है। यदि लोग अुसके अिस नकली आवरणको फाड़ दें, तो प्रतिष्ठाके अभावमें वह मर जाता है।

अब हिन्दू-मुसलमानोंके झगड़ोंके दो स्थायी कारणोंका क्या अिलाज हो सकता है, अिसकी जांच करें।

पहले गोवधको लीजिये। गोरक्षाको मैं हिन्दू धर्मका प्रधान अंग मानता हूं। प्रधान अिसलिये कि अुच्च वर्गों और आम जनता दोनोंके लिये यह समान है। फिर भी अिस बारेमें हम जो केवल मुसलमानों पर ही रोष करते हैं, यह बात किसी भी तरह मेरी समझमें नहीं आती। अंग्रेजोंके लिये रोज कितनी ही गायें कटती हैं। परन्तु अिस

वारेमें तो हम कभी जवान तक भी शायद ही हिलाते होंगे। केवल जब कोअी मुसलमान गायकी हत्या करता है, तभी हम क्रोधके मारे लाल-पीले हो जाते हैं। गायके नामसे जितने झगड़े हुअे हैं, उनमें से प्रत्येकमें निरा पागलपनभरा शक्तिक्षय हुआ है। अिससे अेक भी गाय नहीं बची। भुलटे, मुसलमान ज्यादा जिद्दी बने हैं और अिस कारण ज्यादा गायें कटने लगी हैं।

गोरक्षाका प्रारंभ तो हमीको करना है। हिन्दुस्तानमें ढोरोंकी जो दुर्दशा है, वैसी दुनियाके किसी भी दूसरे हिस्सेमें नहीं है। हिन्दू गाँडीवानोंको थककर चूर हुअे बँलोंको लोहेकी तेज आरवाली लकड़ीसे निर्दयताके साथ हांकते देखकर मैं कअी बार रोया हूँ। हमारे अधभूखे रहनेवाले जानवर हमारी जीती-जागती बदनामीके प्रतीक हैं। हम हिन्दू गायको बेचते हैं अिसीलिअे गायोंकी गर्दन कसाअीकी छुरीका शिकार होती है।

अैसी हालतमें अेकमात्र सच्चा और शोभास्पद अुपाय यही है कि मुसलमानोंके दिल हम जीत लें और गायका बचाव करना अुनकी शराफत पर छोड़ दें। गोरक्षा-मंडलोंको ढोरोंको खिलाने-पिलाने, अुन पर होनेवाली निर्दयताको रोकने, गोचर-भूमिके दिन-दिन होनेवाले लोपको रोकने, पशुओंकी नसल सुधारने, गरीब ग्वालोंसे अुन्हें खरीद लेने और मौजूदा पिंजरापोलोंको दूधकी आदर्श स्वावलंबी डेरियां बनानेकी तरफ ध्यान देना चाहिये। अूपर बताअी हुआं बातोंमें से अेकके भी करनेमें हिन्दू चूकेंगे, तो वे अीश्वर और मनुष्य दोनोंके सामने अपराधी ठहरेंगे। मुसलमानोंके हाथसे होनेवाले गोबधको वे रोक न सकें, तो अिसमें अुनके मत्ये पाप नहीं चढ़ता। लेकिन जब वे गायको बचानेके लिअे मुसलमानोंके साथ झगड़ा करने लगते हैं, तब वे जरूर भारी पाप करते हैं।

मसजिदोंके सामने बाजे बजनेके सवाल पर—अब तो मन्दिरोंके भीतर होनेवाली आरतीका भी विरोध किया जाता है—मैंने गम्भीरतापूर्वक सोचा है। जिस तरह हिन्दू गोबधसे दुःखी होते हैं, अुसी तरह मुसलमानोंको मसजिदोंके सामने बाजा बजने पर बुरा लगता है। लेकिन जिस तरह हिन्दू मुसलमानोंको गोबध न करनेके लिअे बाध्य नहीं कर

सकते, उसी तरह मुसलमान भी हिन्दुओंको डरा-धमकाकर वाजा या आरती बन्द करनेके लिये बाध्य नहीं कर सकते। उन्हें हिन्दुओंकी सदिच्छाका विश्वास करना चाहिये। हिन्दूके नाते मैं हिन्दुओंको यह सलाह जरूर दूंगा कि वे सौदेवाजीकी भावना रखे बिना अपने मुसलमान पड़ोसियोंके भावोंको समझें और जहां सम्भव हो वहां उनका खयाल रखें। मैंने सुना है कि कभी जगह हिन्दू लोग जान-बूझकर और मुसलमानोंका जी दुखानेके अिरादेसे ही आरती ठीक उस समय करते हैं जब कि मुसलमानोंकी नमाज शुरू होती है। यह अेक हृदयहीन और शत्रुतापूर्ण कार्य है। मित्रतामें मित्रके भावोंका पूरा-पूरा खयाल रखा ही जाना चाहिये। अिसमें तो कुछ सोच-विचारकी भी बात नहीं है। लेकिन मुसलमानोंको हिन्दुओंसे डरा-धमकाकर वाजा बंद करवानेकी आशा नहीं रखनी चाहिये। धमकियों अथवा ब्रास्तविक हिंसाके आगे झुक जाना अपने आत्म-सम्मान और धार्मिक विश्वासोंका हनन है। लेकिन जो आदमी धमकियोंके आगे नहीं झुकेगा, वह जिनसे प्रतिपक्षीको चिढ़ होती हो अैसे मौके हमेशा यथासंभव कम करनेकी और संभव हो तो टालनेकी भी पूरी कोशिश करेगा।

मुझे अिस बातका पूरा निश्चय है कि यदि नेता न लड़ना चाहें तो आम जनताको लड़ना पसंद नहीं है। अिसलिये यदि नेता लोग अिस बात पर राजी हो जायें कि दूसरे सभ्य देशोंकी तरह हमारे देशमें भी आपसी लड़ाई-झगड़ोंका सार्वजनिक जीवनसे पूरा अुच्छेद कर दिया जाना चाहिये और वे जंगलीपन और अधार्मिकताके चिह्न माने जाने चाहिये, तो मुझे अिसमें कोअी सन्देह नहीं कि आम जनता शीघ्र ही उनका अनुकरण करेगी।

क्या जब ब्रिटिश शासन नहीं था और अंग्रेज लोग यहां दिखायी नहीं पड़ते थे, तब हिन्दू, मुसलमान और सिक्ख हमेशा अेक-दूसरेसे लड़ते ही रहते थे? हिन्दू अितिहासकारों और मुसलमान अितिहासकारोंने अुदाहरण देकर यह सिद्ध किया है कि उस समयमें हम बहुत हद तक हिल-मिलकर और शांतिपूर्वक ही रहते थे। और गांवोंमें तो हिन्दू-मुसलमान आज भी नहीं लड़ते। उन दिनों वे विलकुल ही नहीं लड़ते थे। . . .

यह लड़ाई-झगड़ा पुराना नहीं है। . . . मैं तो हिम्मतके साथ यह कहता हूँ कि वह ब्रिटिश शासकोंके आगमनके साथ ही शुरू हुआ है; और जब ग्रेट ब्रिटेन और भारतके बीच आज जो दुर्भाग्यपूर्ण, कृत्रिम और अस्वाभाविक सम्बन्ध है वह बदलकर सही और स्वाभाविक बन जायगा, जब उसका ह्य अके असी स्वेच्छापूर्ण साझेदारीका हो जायगा, जो किसी भी समय दोनोंमें से किसी भी पक्षकी इच्छा पर तोड़ा जा सके, उस समय आप देखेंगे कि हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख, खीसाजी, अछूत, अँग्लो-ब्रिटिश और यूरोपियन सब हिल-मिलकर अके हो गये हैं।

यंग ब्रिडिया, २४-१२-'३१

मुझे जिस बातमें रंचमात्र भी सन्देह नहीं है कि साम्प्रदायिक मतभेदोंका कुहासा आजादीके सूर्यका अुदय होते ही दूर हो जायगा।

यंग ब्रिडिया, २९-१०-'३१

६०

वर्णाश्रम धर्म

मैं असा मानता हूँ कि हरअके आदमी दुनियामें कुछ स्वाभाविक प्रवृत्तियां लेकर जन्म लेता है। इसी तरह हरअके आदमीकी कुछ निश्चित सीमायें होती हैं, जिन्हें जीतना उसके लिये शक्य नहीं होता। जिन सीमाओंके ही अव्ययन और अवलोकनसे वर्णका नियम निष्पन्न हुआ है। वह अमुक प्रवृत्तियोंवाले अमुक लोगोंके लिये अलग-अलग कार्यक्षेत्रोंकी स्थापना करता है। असा करके उसने समाजमें से अनुचित प्रतिस्पर्धाको टाला है। वर्णका नियम आदमियोंकी अपनी स्वाभाविक सीमायें तो मानता है, लेकिन वह उनमें अंचे और नीचेका भेद नहीं मानता। अके ओर तो वह असी व्यवस्था करता है कि हरअकेको उसके परिश्रमका फल अवश्य मिल जाये, और दूसरी ओर वह उसे अपने पड़ोसियों पर भाररूप बननेसे रोकता है। यह अंचा नियम आज गिर गया है और निंदाका पात्र बन गया है। लेकिन मेरा विश्वास है कि आदर्श समाज-व्यवस्थाका

विकास तभी किया जा सकेगा, जब इस नियमके रहस्योंको पूरी तरह समझा जायगा और अन्हें कार्यान्वित किया जायगा।

दि माडर्न रिव्यू, अक्टूबर १९३५, पृ० ४१३

वर्णाश्रम धर्म बताता है कि दुनियामें मनुष्यका सच्चा लक्ष्य क्या है। उसका जन्म इसलिये नहीं हुआ है कि वह रोज-रोज ज्यादा पैसा अकट्टा करनेके रास्ते खोजे और जीविकाके नये-नये साधनोंकी खोज करे। उसका जन्म तो इसलिये हुआ है कि वह अपनी शक्तिका प्रत्येक अणु अपने निर्माताको जाननेमें लगाये। इसलिये वर्णाश्रम-धर्म कहता है कि अपने शरीरके निर्वाहके लिये मनुष्य अपने पूर्वजोंका ही धन्धा करे। वस, वर्णाश्रम धर्मका आशय अितना ही है।

यंग अिडिया, २७-१०-'२७

वर्ण-व्यवस्थामें समाजकी चौमुखी रचना ही मुझे तो असली, कुदरती और जरूरी चीज दीखती है। वेशुमार जातियों और अपजातियोंसे कभी-कभी कुछ आसानी हुअी होगी, लेकिन इसमें शक नहीं कि ज्यादातर तो जातियोंसे अड़चन ही पैदा होती है। अैसी अपजातियां जितनी अेक हो जायें अुतना ही अुसमें समाजका भला है।

यंग अिडिया, ८-१२-'२०

आज तो ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रोंके केवल नाम ही रह गये हैं। वर्णका मैं जो अर्थ करता हूं अुसकी दृष्टिसे देखें, तो वर्णोंका पूरा संकर हो गया है और अैसी हालतमें मैं तो यह चाहता हूं कि सब हिन्दू अपनेको स्वेच्छापूर्वक शूद्र कहने लगें। ब्राह्मण-धर्मकी सच्चायीको अुजागर करने और सच्चे वर्णधर्मको पुनः जीवित करनेका यही अेक रास्ता है।

हरिजन, २५-३-'३३

जातपांत

जातपांतके बारेमें मैंने बहुत वार कहा है कि आजके अर्थमें मैं जातपांतको नहीं मानता। यह समाजका 'फालतू अंग' है और तरक्कीके रास्तेमें रुकावट जैसा है। अिसी तरह आदमी आदमीके बीच अूँच-नीचका भेद भी मैं

नहीं मानता। हम सब पूरी तरह बराबर हैं। लेकिन बराबरी आत्माकी है, शरीरकी नहीं। जिसलिये यह मानसिक अवस्थाकी बात है। बराबरीका विचार करनेकी और उसे जोर देकर जाहिर करनेकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि दुनियामें अंच-नीचके भारी भेद दिखायी देते हैं। जिस बाहरसे दीखनेवाले अंच-नीचपनमें से हमें बराबरी पैदा करनी है। कोभी भी मनुष्य अपनेको दूसरेसे अंचा मानता है, तो वह भीश्वर और मनुष्य दोनोंके सामने पाप करता है। जिस तरह जातपात जिस हद तक दरजेका फर्क जाहिर करती है, उस हद तक वह बुरी चीज है।

लेकिन वर्णको मैं अवश्य मानता हूँ। वर्णकी रचना पीढ़ी-दर-पीढ़ीके धंधोंकी वुनियाद पर हुयी है। मनुष्यके चार धंधे सार्वत्रिक हैं—विद्यादान करना, दुखीको बचाना, खेती तथा व्यापार और शरीरकी मेहनतसे सेवा। जिन्हींको चलानेके लिये चार वर्ण बनाये गये हैं। ये धंधे सारी मानव-जातिके लिये समान हैं, पर हिन्दू धर्मने अन्हें जीवन-धर्म करार देकर उनका अुपयोग समाजके संबंधों और आचार-व्यवहारको नियमनमें लानेके लिये किया है। गुस्त्वाकर्षणके कानूनको हम जानें या न जानें, उसका असर तो हम सभी पर होता है। लेकिन वैज्ञानिकोंने उसके भीतरसे ऐसी बातें निकाली हैं, जो दुनियाको चौंकानेवाली हैं। इसी तरह हिन्दू धर्मने वर्ण-धर्मकी तलाश करके और उसका प्रयोग करके दुनियाको चौंकाया है। जब हिन्दू अज्ञानके शिकार हो गये, तब वर्णके अनुचित अुपयोगके कारण अनगिनत जातियाँ बनीं और रोटी-बेटी-व्यवहारके अनावश्यक और हानिकारक बन्धन पैदा हो गये। वर्ण-धर्मका अिन पावन्दियोंके साथ कोभी नाता नहीं है। अलग अलग वर्णके लोग आपसमें रोटी-बेटी-व्यवहार रख सकते हैं। चरित्र और तन्दुरुस्तीके खातिर ये बन्धन जरूरी हो सकते हैं। लेकिन जो ब्राह्मण शूद्रकी लड़कीसे या शूद्र ब्राह्मणकी लड़कीसे व्याह करता है, वह वर्णधर्मको नहीं मिटाता।

वर्ण-व्यवस्था, पृ० ४९-५०; १९५९

अस्पृश्यताकी बुराईसे खीझ कर जाति-व्यवस्थाका ही नाश करना अुतना ही गलत होगा, जितना कि शरीरमें कोभी कुहल वृद्धि हो जाय तो

शरीरका या फसलमें ज्यादा घास-पात अुगा हुआ दिखे तो फसलका ही नाश कर डालना है। जिसलिअे अस्पृश्यताका नाश तो जरूर करना है। सम्पूर्ण जाति-व्यवस्थाको बचाना हो तो समाजमें बढी हुअी अिस हानिकारक बुराअीको दूर करना ही होगा। अस्पृश्यता जाति-व्यवस्थाकी अुपज नहीं है, बल्कि अुस अूँच-नीच-भेदकी भावनाका परिणाम है, जो हिन्दू धर्ममें घुस गयी है और अुसे भीतर ही भीतर कुतर रही है। जिसलिअे अस्पृश्यताके खिलाफ हमारा आक्रमण अिस अूँच-नीचकी भावनाके खिलाफ ही है। ज्यों ही अस्पृश्यता नष्ट होगी, जाति-व्यवस्था स्वयं शुद्ध हो जायगी; यानी मेरे सपनेके अनुसार वह चार वर्णोंवाली सच्ची वर्ण-व्यवस्थाका रूप ले लेगी। ये चारों वर्ण अेक-दूसरेके पूरक और सहायक होंगे, अुनमें से कोअी किसीसे छोटा-बड़ा नहीं होगा; प्रत्येक वर्ण हिन्दू धर्मके शरीरके पोषणके लिअे समान रूपसे आवश्यक होगा।

हरिजन, ११-२-'३३

आर्थिक दृष्टिसे जातिप्रथाका किसी समय बहुत मूल्य था। अुसके फलस्वरूप नयी पीढ़ियोंको अुनके परिवारोंमें चले आये परम्परागत कला-कौशलकी शिक्षा सहज ही मिल जाती थी और स्पर्धाका क्षेत्र सीमित बनता था। गरीबी और कंगालीसे होनेवाली तकलीफको दूर करनेका वह अेक अुत्तम अिलाज थी। और पश्चिममें प्रचलित व्यापारियोंके संघोंकी संस्थाके सारे लाभ अुसमें भी मिलते थे। यद्यपि यह कहा जा सकता है कि वह साहस और आविष्कारकी वृत्तिको बढावा नहीं देती थी, लेकिन हम जानते हैं कि वह अुनके आड़े भी नहीं आती थी।

अितिहासकी दृष्टिसे जातिप्रथाको भारतीय समाजकी प्रयोग-शालामें किया गया मनुष्यका अैसा प्रयोग कहा जा सकता है, जिसका अुद्देश्य समाजके विविध वर्णोंका पारस्परिक अनुकूलन और संयोजन था। यदि हम अुसे सफल बना सकें तो दुनियामें आजकल लोभके कारण जो क्रूर प्रतिस्पर्धा और सामाजिक विघटन होता दिखाअी देता है, अुसके अुत्तम अिलाजकी तरह अुसे दुनियाको भेंटमें दिया जा सकता है।

यंग अिडिया, ५-१-'२१

आन्तर-जातीय विवाह और खान-पान

वर्णाश्रममें आन्तर-जातीय विवाहों या खान-पानका निषेध नहीं है, लेकिन जिसमें कौबी जोर-जवरदस्ती भी नहीं हो सकती। व्यक्तिको जिस बातका निश्चय करनेकी पूरी छूट मिलनी चाहिये कि वह कहां शादी करेगा और कहां खायगा।

हरिजन, १६-११-'३५

६१

अस्पृश्यताका अभिशाप

आजकल हिन्दू धर्ममें जो अस्पृश्यता देखनेमें आती है, वह युसका अेक अमित कलंक है। मैं यह माननेसे अिनकार करता हूं कि वह हमारे समाजमें स्मरणातीत कालसे चली आयी है। मेरा खयाल है कि अस्पृश्यताकी यह वृणित भावना हम लोगोंमें तब आयी होगी जब हम अपने पतनकी चरम सीमा पर रहे होंगे। और तबसे यह बुराअी हमारे साथ लग गयी और आज भी लगी हुआी है। मैं मानता हूं कि यह अेक भयंकर अभिशाप है। और यह अभिशाप जब तक हमारे साथ रहेगा तब तक मुझे लगता है कि जिस पावन भूमिमें हमें जब जो भी तकलीफ सहना पड़े, वह हमारे जिस अपरावका, जिसे हम आज भी कर रहे हैं, अुचित दण्ड होगी।

स्पीचेज अेण्ड राबिटिग्ज ऑफ महात्मा गांधी, पृ० ३८७

मेरी रायमें हिन्दू धर्ममें दिखायी पड़नेवाला अस्पृश्यताका वर्तमान रूप अीश्वर और मनुष्यके खिलाफ किया गया भयंकर अपराव है और जिसलिये वह अेक अैसा विष है जो धीरे-धीरे हिन्दू धर्मके प्राणको ही निःशेष किये दे रहा है। मेरी रायमें शास्त्रोंमें, यदि हम सब शास्त्रोंको मिलाकर पढ़ें तो, जिस बुराअीका कहीं कौबी समर्थन नहीं है। शास्त्रोंमें अेक तरहकी हितकारी अस्पृश्यताका विधान जरूर है, लेकिन अुस तरहकी अस्पृश्यता सब धर्मोंमें पायी जाती है। वह अस्पृश्यता तो स्वच्छताके

नियमका ही अेक अंग है। वह तो सदा रहेगी। लेकिन भारतमें हम आज जैसी अस्पृश्यता देख रहे हैं वह अेक भयंकर चीज है और अुसके हरअेक प्रान्तमें, यहां तक कि हरअेक जिलेमें, अलग-अलग कितने ही रूप हैं। अुसने अस्पृश्यों और स्पृश्यों, दोनोंको नीचे गिराया है। अुसने लगभग चार करोड़ मनुष्योंका विकास रोक रखा है। अुन्हें जीवनकी सामान्य सुविधायें भी नहीं दी जातीं। अिसलिये अिस वुराअीको जितनी जल्दी निर्मूल कर दिया जाय, अुतना ही हिन्दू धर्म, भारत और शायद समग्र मानव-जातिके लिये वह कल्याणकारी सिद्ध होगा।

हरिजन, ११-२-३३

यदि हम भारतकी आवादीके पांचवें हिस्सेको स्थायी गुलामीकी हालतमें रखना चाहते हैं और अुन्हें जान-बूझकर राष्ट्रीय संस्कृतिके फलोंसे वंचित रखना चाहते हैं, तो स्वराज्य अेक अर्थहीन शब्दमात्र होगा। आत्मशुद्धिके अिस महान आन्दोलनमें हम भगवानकी मददकी आकांक्षा रखते हैं, लेकिन अुसकी प्रजाके सबसे ज्यादा सुपात्र अंशको हम मानवताके अधिकारोंसे वंचित रखते हैं। यदि हम स्वयं मानवीय दयासे शून्य हैं, तो अुसके सिंहासनके निकट दूसरोंकी निष्ठुरतासे मुक्ति पानेकी याचना हम नहीं कर सकते।

यंग अिडिया, २५-५-२१

अिस बातसे कभी किसीने अिनकार नहीं किया कि अस्पृश्यता अेक पुरानी प्रथा है। लेकिन यदि वह अेक अनिष्ट वस्तु है, तो अुसकी प्राचीनताके आधार पर अुसका वचाव नहीं किया जा सकता। यदि अस्पृश्य लोग आर्योंके समाजके बाहर हैं, तो अिसमें अुस समाजकी ही हानि है। और यदि यह कहा जाय कि आर्योंने अपनी प्रगति-यात्रामें किसी मंजिल पर किसी वर्ग-विशेषको दण्डके तौर पर समाजसे वहिष्कृत कर दिया था, तो अुनके पूर्वजोंको किसी भी कारणसे दण्डित किया गया हो परन्तु वह दण्ड अुस वर्गकी सन्तानको देते रहनेका कोअी कारण नहीं हो सकता। अस्पृश्य लोग भी आपसमें अस्पृश्यताका जो पालन करते हैं, अुससे अितना ही सिद्ध होता है कि किसी अनिष्ट

वस्तुको सीमित नहीं रखा जा सकता और अुसका घातक प्रभाव सर्वत्र फैल जाता है। अस्पृश्योंमें भी अस्पृश्यताका होना जिस बातके लिये अेक अतिरिक्त कारण है कि सुसंस्कृत हिन्दू समाजको जिस अभिघापसे जल्दीसे जल्दी मुक्त हो जाना चाहिये। यदि अस्पृश्योंको अस्पृश्य जिसलिये माना जाता है कि वे जानवरोंको मारते हैं और मांस, रक्त, हड्डियां और मैला आदि छूते हैं, तब तो हरअेक नर्स और डॉक्टरको भी अस्पृश्य माना जाना चाहिये; और जिसी तरह मुसलमानों, आस्राधियों और तथाकथित अूचे वर्गोंके अुन हिन्दुओंको भी अस्पृश्य माना जाना चाहिये, जो आहार अथवा बलिके लिये जानवरोंकी हत्या करते हैं। कसाओखाने, शराबकी दुकानें, वेश्यालय आदि वस्तीसे अलग होते हैं या होने चाहिये, जिसलिये अस्पृश्योंको भी समाजसे दूर और अलग रखा जाना चाहिये—यह दलील अस्पृश्योंके खिलाफ लोगोंके मनमें चले आ रहे अुत्कट पूर्वग्रहको ही बतताती है। कसाओखाने और ताड़ी-शराबकी दुकानें आदि जरूर वस्तीसे दूर तथा अलग होते हैं और होने चाहिये। लेकिन कसाधियों और ताड़ी अथवा शराबके विक्रेताओंको शेष समाजसे अलग नहीं रखा जाता।

यंग अिडिया, २९-७-'२६ .

हम आन्तरिक प्रलोभनों तथा मोहमें लिप्त हैं और अत्यंत अस्पृश्य और पापपूर्ण विचारोंके प्रवाह हमारे मनमें चलते हैं और अुसे कलुषित करते हैं। हमें समझना चाहिये कि हमारी कसौटी हो रही है। अैसी स्थितिमें हम अभिमानके आवेशमें अपने अुन भाधियोंके स्पर्शके प्रभावके वारेमें, जिन्हें हम अकसर अज्ञानबल और ज्यादातर तो दुर-भिमानके कारण अपनेसे नीचा समझते हैं, अत्युक्ति न करें। भगवानके दरवारमें हमारी अच्छाअी-बुराअीका निर्णय जिस बातसे नहीं किया जायगा कि हम क्या खाते-पीते रहे हैं या कि हमें किस-किसने छुआ है; अुसका निर्णय तो जिस आधार पर किया जायगा कि हमने किन-किनकी सेवा की है और किस तरह की है। यदि हमने अेक भी दीन-दुखी आदमीकी सेवा की होगी, तो हमें भगवानकी कृपादृष्टि प्राप्त होगी। . . . अमुक वस्तुअें न खानेकी बातका अुपयोग हम कपट-जाल,

पाखण्ड और अुससे भी अधिक पापपूर्ण कार्योंको छिपानेके लिये नहीं कर सकते। अिस आशंकासे कि कहीं अुनका स्पर्श हमारी आध्यात्मिक अुन्नतिमें बाधक न हो, हम किसी पतित अयवा गंदी रहन-सहनवाले भाभी-बहनकी सेवासे अिनकार नहीं कर सकते।

यंग अिडिया, ५-१-'२२

भंगी

जिस समाजमें भंगीका अलग पेशा माना गया है वहां कोअी बड़ा दोष पैठ गया है, अैसा मुझे तो बरसोंसे लगता रहा है। अिस जरूरी और तन्दुरुस्ती बढ़ानेवाले कामको सबसे नीच काम पहले-पहल किसने माना, अिसका अितिहास हमारे पास नहीं है। जिसने भी माना अुसने हम पर अुपकार तो नहीं ही किया। हम सब भंगी हैं, यह भावना हमारे मनमें बचपनसे ही जम जानी चाहिये; और अुसका सबसे आसान तरीका यह है कि जो समझ गये हैं वे जात-मेहनतका आरम्भ पाखाना-सफाअीसे करें। जो समझ-बूझकर ज्ञानपूर्वक यह करेगा, वह अुसी क्षणसे धर्मको निराले ढंगसे और सही तरीकेसे समझने लगेगा।

मंगल-प्रभात, प्रक० ९, पृ० ४३-४४

प्रारम्भमें अस्पृश्यता स्वच्छताके नियमोंमें से अेक थी और भारतके बाहर दुनियाके कअी हिस्सोंमें आज भी अुसका यही रूप है। वह नियम यह है कि चीज गंदी हो गयी हो या आदमी किसी कारण गंदा हो गया हो तो अुसे छूना नहीं चाहिये, लेकिन ज्यों ही अुसका गंदापन दूर हो जाय या कर दिया जाय त्यों ही अुसे छू सकते हैं। अिसलिये भंगीकाम करनेवाले व्यक्ति—फिर चाहे वह भंगी हो जिसे कि अुस कामका पैसा मिलता है या मां हो जिसे अपने अिस कामका कोअी पैसा नहीं मिलता—तब तक गंदे और अस्पृश्य माने जायंगे, जब तक वे नहा-धोकर अिस गंदगीको दूर नहीं कर देते। अिसलिये भंगी हमेशाके लिये अस्पृश्य न माना जाय, बल्कि अुसे हम अपना भाअी मानें। वह समाजकी अेक अैसी सेवा करता है जिसमें अुसका शरीर गंदा हो जाता है; हमें चाहिये कि हम अुसे अिस गंदगीको साफ करनेका

मीका दें, वल्कि अुस कार्यमें अुसकी सहायता करें. और फिर अुसे समाजके किसी भी दूसरे सदस्यकी तरह स्वीकार करें।

हरिजन, ११-२-१३३

६२

भारतमें धार्मिक सहिष्णुता

हिन्दू धर्म

मैं जितने धर्मोंको जानता हूं, अुन सबमें हिन्दू धर्म सबसे अधिक सहिष्णु है। जिसमें कट्टरताका जो अभाव है वह मुझे बहुत पसन्द आता है, क्योंकि जिससे अुसके अनुयायीको आत्माभिव्यक्तिके लिये अधिकसे अधिक अवसर मिलता है। हिन्दू धर्म अेकांगी धर्म न होनेके कारण अुसके अनुयायी न सिर्फ अन्य सब धर्मोंका आदर कर सकते हैं, परन्तु दूसरे धर्मोंमें जो कुछ अच्छाही हो अुसकी प्रशंसा भी कर सकते हैं और अुसे हजम भी कर सकते हैं। अहिंसा सब धर्मोंमें समान है। परन्तु हिन्दू धर्ममें वह सर्वोच्च रूपमें प्रगट हुआ है और अुसका प्रयोग भी हुआ है। (मैं जैन धर्म या बौद्ध धर्मको हिन्दू धर्मसे अलग नहीं मानता।) हिन्दू धर्म न केवल मनुष्यमात्रकी वल्कि प्राणीमात्रकी अेकतामें विश्वास रखता है। मेरी रायमें गायकी पूजा करके अुसने दयाधर्मके विकासमें अद्भुत सहायता की है। यह प्राणीमात्रकी अेकतामें और जिसलिये पवित्रतामें विश्वास रखनेका व्यावहारिक प्रयोग है। पुनर्जन्मकी महान धारणा जिस विश्वासका सीधा परिणाम है। अन्तमें वर्णाश्रम धर्मका आविष्कार सत्यकी निरन्तर शोधका भव्य परिणाम है।

यंग अिडिया, २०-१०-१२७

बौद्ध धर्म

मेरा दृढ़ मत है कि बौद्ध धर्म या बुद्धकी शिक्षाका पूरा परिणत विकास भारतमें ही हुआ; जिससे भिन्न कुछ हो भी नहीं सकता था,

क्योंकि गौतम स्वयं एक श्रेष्ठ हिन्दू ही तो थे। वे हिन्दू धर्ममें जो कुछ अुत्तम है उससे ओतप्रोत थे और अुन्होंने अपना जीवन कतिपय अैसी शिक्षाओंकी शोध और प्रसारके लिये दिया, जो वेदोंमें छिपी पड़ी थीं और जिन्हें समयकी काअीने ढंक दिया था। . . . बुद्धने हिन्दू धर्मका कभी त्याग नहीं किया; अुन्होंने तो अुसके आधारका विस्तार किया। अुन्होंने अुसे नया जीवन और नया अर्थ दिया।

यंग अिडिया, २४-११-'२७

वेशक, अुन्होंने अिस धारणाको अस्वीकार कर दिया था कि अीश्वर नामधारी कोअी प्राणी द्वेषवश काम करता है, अपने कर्मों पर पश्चात्ताप कर सकता है, पार्थिव राजाओंकी तरह वह भी प्रलोभनों और रिश्वतोंमें फंस सकता है और अुसका कृपापात्र बना जा सकता है। अुनकी सारी आत्माने अिस विश्वासके विरुद्ध प्रबल विद्रोह किया था कि अीश्वर नामधारी प्राणीको अपने ही पैदा किये हुअे जीवित प्राणियोंका ताजा खून अच्छा लगता है और अिससे वह प्रसन्न होता है। अिसलिये बुद्धने अीश्वरको फिरसे अुचित स्थान पर बैठा दिया और जिस अनधिकारीने अुस सिंहासनको हस्तगत कर लिया था अुसे पदभ्रष्ट कर दिया। अुन्होंने जोर देकर पुनः अिस बातकी घोषणा की कि अिस विश्वका नैतिक शासन शाश्वत है और अपरिवर्तनीय है। अुन्होंने निःसंकोच यह कहा कि नियम ही अीश्वर है।

यंग अिडिया, २४-११-'२७

अीसामी धर्म

मैं यह नहीं मान सकता कि केवल अीसामें ही देवांश था। अुनमें अुतना ही दिव्यांश था जितना कृष्ण, राम, मुहम्मद या जरथुस्त्रमें था। अिसी तरह जैसे मैं वेदों या कुरानके प्रत्येक शब्दको अीश्वर-प्रेरित नहीं मानता, वैसे ही बाअिबलके प्रत्येक शब्दको भी अीश्वर-प्रेरित नहीं मानता। वेशक, अिन पुस्तकोंकी समस्त वाणी अीश्वर-प्रेरित है, परन्तु अलग अलग वस्तुओंको देखने पर अुनमें से अनेकोंमें मुझे अीश्वर-प्रेरणा

नहीं मिलती। मेरे लिये बाइबिल अतनी ही आदरणीय धर्म-पुस्तक है, जितनी गीता है और कुरान है।

हरिजन, ६-३-३७

यह मेरी पक्की राय है कि आजका यूरोप न तो अीश्वरकी भावनाका प्रतिनिधि है, न अीसाजी धर्मकी भावनाका, बल्कि शैतानकी भावनाका प्रतीक है। और शैतानकी सफलता तब सबसे अधिक होती है, जब वह अपनी जवान पर खुदाका नाम लेकर सामने आता है। यूरोप आज नाममात्रको ही अीसाजी है। वह सचमुच धनकी पूजा कर रहा है। 'अूँके लिये सुअीकी नोकमें होकर निकलना आसान है, मगर किसी धनवानका स्वर्गमें जाना मुश्किल है।' अीसा मसीहने यह बात ठीक ही कही थी। अुनके तथाकथित अनुयायी अपनी नैतिक प्रगतिको अपनी धन-दौलतसे ही नापते हैं।

यंग अिडिया, ८-९-२०

अिस्लाम

अवश्य ही मैं अिस्लामको अुसी अर्थमें शांतिका धर्म मानता हूँ, जिस अर्थमें अीसाजी, बौद्ध और हिन्दू धर्म शांतिके धर्म हैं। बेशक, मात्राका फर्क है, परन्तु अिन सब धर्मोंका अुद्देश्य शांति ही है।

यंग अिडिया, २०-१-२७

भारतकी राष्ट्रीय संस्कृतिके लिये अिस्लामकी विशेष देन तो यह है कि वह अेक अीश्वरमें शुद्ध और अिश्वास रखता है और जो लोग अुसके दायरेके भीतर हैं अुनके लिये व्यवहारमें वह मानव-भ्रातृत्वके सत्यको लागू करता है। अिन्हें मैं अिस्लामकी दो विशेष देनें मानता हूँ, क्योंकि हिन्दू धर्ममें भ्रातृभाव बहुत अधिक दार्शनिक बन गया है। अिसी तरह दार्शनिक हिन्दू धर्ममें अीश्वरके सिवा और कोअी देवता नहीं है, फिर भी अिससे अिनकार नहीं किया जा सकता कि व्यावहारिक हिन्दू धर्म अिस मामलेमें अितना कट्टर और दृढ़ आग्रह नहीं रखता जितना अिस्लाम रखता है।

यंग अिडिया, २१-३-२९

मैं ऐसी आशा नहीं करता हूँ कि मेरे सपनोंके आदर्श भारतमें केवल एक ही धर्म रहेगा, यानी वह संपूर्णतः हिन्दू या औसाजी या मुसलमान बन जायगा। मैं तो यह चाहता हूँ कि वह पूर्णतः बुदार और सहिष्णु बने और उसके सब धर्म साथ-साथ चलते रहें।

यंग अिडिया, २२-१२-'२७

मूर्तिपूजा

हम सब मूर्तिपूजक हैं। अपने आध्यात्मिक विकासके लिये और अीश्वरमें अपने विश्वासको दृढ़ करनेके लिये हमें मन्दिरों, मसजिदों, गिरजाघरों आदिकी जरूरत महसूस होती है। अपने मनमें अीश्वरके प्रति भक्तिभाव प्रेरित करनेके लिये कुछ लोगोंको पत्थर या धातुकी मूर्तियाँ चाहिये, कुछको वेदी चाहिये, तो कुछको किताब या तसवीर चाहिये।

यंग अिडिया, २८-८-'२४

मंदिर, मसजिद या गिरजाघर . . . अीश्वरके अिन विभिन्न निवास-स्थानोंमें मैं कोअी फर्क नहीं करता। मनुष्यकी श्रद्धाने अुनका निर्माण किया है और अुसने अुन्हें जो माना है वही वे हैं। वे मनुष्यकी किसी तरह 'अदृश्य शक्ति' तक पहुंचनेकी आकांक्षाके परिणाम हैं।

हरिजन, १८-३-'३३

मेरे खयालसे मूर्ति-पूजक और मूर्ति-भंजक शब्दोंका जो सच्चा अर्थ है अुस अर्थमें मैं दोनों ही हूँ। मैं मूर्तिपूजाकी भावनाकी कद्र करता हूँ। अिसका मानव-जातिके अुत्थानमें अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भाग रहता है। और मैं चाहूंगा कि मुझमें हमारे देशको पवित्र करनेवाले हजारों पावन देवालियोंकी रक्षा अपने प्राणोंकी वाजी लगाकर भी करनेका सामर्थ्य हो। . . . मैं मूर्ति-भंजक अिस अर्थमें हूँ कि कट्टरताके रूपमें मूर्तिपूजाका जो सूक्ष्म रूप प्रचलित है अुसे मैं तोड़ता हूँ। ऐसी कट्टरता रखनेवालेको अपने ही ढंगके सिवा और किसी भी रूपमें अीश्वरकी पूजा करनेमें कोअी अच्छाअी नजर नहीं आती। मूर्तिपूजाका यह रूप अधिक सूक्ष्म होनेके कारण पूजाके अुस ठोस और स्थूल रूपसे अधिक घातक है, जिसमें

वीश्वरको पत्थरके अेक छोटेसे टुकड़ेके साथ या सोनेकी मूर्तिके साथ अेक समझ लिया जाता है।

यंग अिडिया, २८-८-'२४

जब हम किसी पुस्तकको पवित्र समझकर अुसका आदर करते हैं, तो हम मूर्तिकी पूजा ही करते हैं। पवित्रता या पूजाके भावसे मंदिरों या मसजिदोंमें जानेका भी वंही अर्य है। लेकिन अिन सब बातोंमें मुझे कोअी हानि दिखाअी नहीं देती। अुलटे, मनुष्यकी बुद्धि सीमित है, अिसलिये वह और कुछ कर ही नहीं सकता। अैसी हालतमें वृक्षपूजामें कोअी मौलिक बुराअी या हानि दिखाअी देनेके बजाय मुझे तो अिसमें अेक गहरी भावना और काव्यमय सौन्दर्य ही दिखाअी देता है। वह समस्त वनस्पति-जगतके लिये सच्चे पूजाभावका प्रतीक है। वनस्पति-जगत तो सुन्दर रूपां और आकृतियोंका अनन्त भण्डार है; अुनके द्वारा वह मानों असंख्य जिह्वाओंसे अीश्वरकी महानता और गौरवकी घोषणा करता है। वनस्पतिके बिना अिस पृथ्वी पर जीवधारी अेक क्षणके लिये भी नहीं रह सकते। अिसलिये अैसे देशमें, जहां खास तौर पर पेड़ोंकी कमी है, वृक्षपूजाका अेक गहरा आर्थिक महत्त्व ही जाता है।

यंग अिडिया, २६-९-'२९

६३

धर्म-परिवर्तन

मेरी हिन्दू धर्मवृत्ति मुझे सिखाती है कि थोड़े या बहुत अंशोंमें सभी धर्म सच्चे हैं। सबकी अुत्पत्ति अेक ही अीश्वरसे हुअी है, परन्तु सब धर्म अपूर्ण हैं; क्योंकि वे अपूर्ण मानव-माव्यमके द्वारा हम तक पहुंचे हैं। सच्चा शुद्धिका आन्दोलन यह होना चाहिये कि हम सब अपने अपने धर्ममें रहकर पूर्णता प्राप्त करनेका प्रयत्न करें। अिस प्रकारकी योजनामें अेक-मात्र चरित्र ही मनुष्यकी कसीटी होगा। अगर अेक वाड़ेमें निकलकर दूसरेमें चले जानेसे कोअी नैतिक अुत्थान न होता हो तो जानेसे क्या

लाभ ? शुद्धि या तबलीगका फलितार्थ अीश्वरकी सेवा ही होना चाहिये । असलिअे मैं अीश्वरकी सेवाके खातिर यदि किसीका धर्म बदलनेकी कोशिश करूं तो अुसका क्या अर्थ होगा, जब मेरे ही धर्मको माननेवाले रोज अपने कर्मोंसे अीश्वरका अिनकार करते हैं ? दुनियावी वातोंके वनिस्वत धर्मके मामलोंमें यह कहावत अधिक लागू होती है कि 'वैद्यजी, पहले अपना अिलाज कीजिये' ।

यंग अिडिया, २९-५-'२४

मैं धर्म-परिवर्तनकी आधुनिक पद्धतिके खिलाफ हूं । दक्षिण अफ्रीकामें और भारतमें लोगोंका धर्म-परिवर्तन जिस तरह किया जाता है, अुसके अनेक वर्षोंके अनुभवसे मुझे अिस वातका निश्चय ही गया है कि अुससे नये अीसाअियोंकी नैतिक भावनामें कोअी सुधार नहीं होता; वे यूरोपीय सभ्यताकी अूपरी वातोंकी नकल करने लगते हैं, किन्तु अीसाकी मूल शिक्षासे अछूते ही रहते हैं । मैं सामान्यतः जो परिणाम आता है अुसीकी वात कर रहा हूं; अिस नियमके कुछ अुत्तम अपवाद तो होते ही हैं । दूसरी ओर अीसाअी मिशनरियोंके प्रयत्नसे भारतको अप्रत्यक्ष प्रकारका लाभ बहुत हुआ है । अुसने हिन्दुओं और मुसलमानोंको अपने-अपने धर्मकी शोध करनेके लिये अुत्साहित किया है । अुसने हमें अपने घरको साफ-सुथरा और व्यवस्थित बनानेके लिये मजबूर किया है । अीसाअी मिशनरियों द्वारा चलायी जानेवाली शिक्षा-संस्थाओं तथा अस्पतालों आदिको भी मैं अप्रत्यक्ष लाभोंमें ही गिनता हूं, क्योंकि अुनकी स्थापना शिक्षा-प्रचार या स्वास्थ्य-संवर्धनके लिये नहीं, बल्कि धर्म-परिवर्तनकी अुनकी मुख्य प्रवृत्तिके सहायक साधनके रूपमें ही हुअी है ।

यंग अिडिया, १७-१२-'२५

मेरी रायमें मानव-दयाके कार्योंकी आड़में धर्म-परिवर्तन करना कमसे कम अहितकर तो है ही । अवश्य ही यहांके लोग अिसे नाराजीकी दृष्टिसे देखते हैं । आखिर तो धर्म अेक गहरा व्यक्तिगत मामला है, अुसका सम्बन्ध हृदयसे है । कोअी अीसाअी डॉक्टर मुझे किसी बीमारीसे अंच्छा कर दे तो मैं अपना धर्म क्यों बदल लूं, या जिस समय मैं अुसके अंसरमें

रहें तब वह डॉक्टर मुझसे जिस तरहके परिवर्तनकी आशा क्यों रखे या ऐसा सुझाव क्यों दे? क्या डॉक्टरी सेवा अपने-आपमें ही अकेले पारितोषिक और संतोष नहीं है? या जब मैं किसी औसाबी शिक्षा-संस्थामें शिक्षा लेता होऊं तब मुझ पर औसाबी शिक्षा क्यों थोपी जाय? मेरी रायमें ये बातें ऊपर उठानेवाली नहीं हैं, और अगर भीतर ही भीतर शत्रुता पैदा नहीं करती तो भी सन्देह अवश्य उत्पन्न करती हैं। धर्म-परिवर्तनके तरीके जैसे होने चाहिये, जिन पर सीजरकी पत्नीकी तरह किसीको कोभी शक न हो सके। धर्मकी शिक्षा लौकिक विषयोंकी तरह नहीं दी जाती। वह हृदयकी भाषामें दी जाती है। अगर किसी आदमीमें जीता-जागता धर्म है तो उसकी सुगन्ध गुलाबके फूलकी तरह अपने-आप फैलती है। सुगन्ध दिखायी नहीं देती, जिसलिये फूलकी पंखुड़ियोंके रंगकी प्रत्यक्ष सुन्दरतासे उसकी सुगन्धका प्रभाव अधिक व्यापक होता है।

मैं धर्म-परिवर्तनके विरुद्ध नहीं हूँ, परन्तु मैं उसके आधुनिक उपायोंके विरुद्ध हूँ। आजकल और बातोंकी तरह धर्म-परिवर्तनने भी अकेले व्यापारका रूप ले लिया है। मुझे औसाबी धर्म-प्रचारकोंकी अकेले रिपोर्ट पढ़ी हुई याद है, जिसमें बताया गया था कि प्रत्येक व्यक्तिका धर्म बदलनेमें कितना खर्च हुआ, और फिर 'अगली फसल' के लिये बजट पेश किया गया था।

(हां, मेरी यह राय जरूर है कि भारतके महान धर्म उसके लिये सब तरहसे काफी हैं। औसाबी और यहूदी धर्मके अलावा हिन्दू धर्म और उसकी शाखायें, इस्लाम और पारसी धर्म सब सजीव धर्म हैं। दुनियामें कोभी भी अकेले धर्म पूर्ण नहीं है। सभी धर्म उनके माननेवालोंके लिये समान रूपसे प्रिय हैं। जिसलिये जरूरत संसारके महान धर्मोंके अनुयायियोंमें सजीव और मित्रतापूर्ण संपर्क स्थापित करनेकी है, न कि हर सम्प्रदाय द्वारा दूसरे धर्मोंकी अपेक्षा अपने धर्मकी श्रेष्ठता जतानेकी व्यर्थ कोशिश करके आपसमें संघर्ष पैदा करनेकी। जैसे मित्रतापूर्ण संबंधके द्वारा हमारे लिये अपने अपने धर्मोंकी कमियां और वुराजियां दूर करना संभव होगा।)

मैंने ऊपर जो कुछ कहा है उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जिस प्रकारका धर्म-परिवर्तन मेरी दृष्टिमें है उसकी हिन्दुस्तानमें जरूरत

नहीं है। आजकी सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि आत्मशुद्धि, आत्म-साक्षात्कारके अर्थमें धर्म-परिवर्तन किया जाय। परन्तु धर्म-परिवर्तन करने-वालोंका यह हेतु कभी नहीं होता। जो भारतका धर्म-परिवर्तन करना चाहते हैं, उनसे क्या यह नहीं कहा जा सकता कि 'वैद्यजी, आप अपना ही अिलाज कीजिये?'

यंग अिडिया, २३-४-'३१

कोयी औसाओी किसी हिन्दूको औसाओी धर्ममें लानेकी या हिन्दू किसी औसाओीको हिन्दू धर्ममें लानेकी अिच्छा क्यों रखे? वह हिन्दू यदि सज्जन है या भगवद्-भक्त है, तो अुक्त औसाओीको अिसी वातसे सन्तोष क्यों नहीं हो जाना चाहिये। यदि मनुष्यका नैतिक आचार कैसा है, अिस वातकी परवाह न की जाय, तो फिर पूजाकी पद्धति-विशेष — वह पूजा गिरजाघर, मसजिद या मंदिरमें कहीं भी क्यों न की जाय — अेक निरर्थक कर्मकांड ही होगी। अितना ही नहीं, वह व्यक्ति या समाजकी अुन्नतिमें बाधारूप भी हो सकती है और पूजाकी अमुक पद्धतिके पालनका अथवा अमुक धार्मिक सिद्धान्तके अुच्चारणका आग्रह अिसापूर्ण लड़ाओी-झगड़ोंका अेक बड़ा कारण बन सकता है। ये लड़ाओी-झगड़े आपसी रक्तपातकी ओर ले जाते हैं और अिस तरह अुनकी परिसमाप्ति मूल धर्ममें यानी औश्वरमें ही घोर अश्रद्धाके रूपमें होती है।

हरिजन, ३०-१-'३७

शासन-सम्बन्धी समस्यायें

मुझे डर है कि अगले कभी वर्षों तक दर्दा हुआ और गिरी हुआ जनताको दुःख और गरीबीके कीचड़से उठानेके लिये आवश्यक कानून-कायदे बनानेका कार्य करते रहना होगा। जिस कीचड़में उसे एक हद तक तो पूंजीपतियों, जमींदारों और तथाकथित अच्च वर्गोंने और बादमें ब्रिटिश शासकोंने फंसाया है; अलवत्ता, ब्रिटिश शासकोंने अपना यह काम बहुत वैज्ञानिक रीतिसे किया है। अगर हमें जिस जनताका उसकी जिस दुरवस्थासे उद्धार करना है, तो अपना घर सुव्यवस्थित करनेकी दृष्टिसे भारतकी राष्ट्रीय सरकारका यह कर्तव्य होगा कि वह लगातार उसको ही तरजीह देती रहे और जिन वंशोंके भारसे उसकी कमर टूटी जा रही है, उनसे उसे मुक्त भी कर दे। और यदि जमींदारोंको, अमीरोंको और उन लोगोंको जो आज विशेषाधिकार भोग रहे हैं — वे यूरोपीय हों या भारतीय — ऐसा मालूम हो कि उनके साथ निष्पक्षताका व्यवहार नहीं हो रहा है, तो मैं उनसे सहानुभूति रखूंगा। लेकिन मैं उनकी कोअी सहायता नहीं कर सकूंगा। क्योंकि मैं तो जिस प्रयत्नमें उनकी मदद चाहूंगा और सच तो यह है कि उनकी मददके बिना जिस जनताका उद्धार करना सम्भव ही नहीं होगा।

जिसलिये धन या अधिकारोंके रूपमें जिनके पास कोअी सम्पत्ति है उनके तथा जिनके पास असी कोअी सम्पत्ति नहीं है उन गरीबोंके बीच संघर्ष तो अवश्य होगा और यदि जिस संघर्षका भय रखा जाता हो और सब वर्ग मिलकर करोड़ों बेजवान लोगोंके सिर पर पिस्तौल तानकर ऐसा कहना चाहते हों कि तुम लोगोंको तुम्हारी अपनी सरकार तब तक नहीं मिलेगी, जब तक कि तुम जिस बातका आश्वासन नहीं देते कि हमारी सम्पत्ति और हमारे अधिकारोंको कोअी आंच नहीं आयेगी, तब तो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय सरकारका निर्माण ही नहीं हो सकता।

दि नेशनल् व्हाइस, पृ० ७१

गवर्नर

. . . जिसके बावजूद कि लोगोंकी तिजोरीकी कौड़ी-कौड़ीको बचाना मुझे बहुत पसन्द है, पैसेकी बचतके लिये प्रान्तीय गवर्नरोंकी संस्थाको अकेदम अड़ा देना सही अर्थशास्त्र नहीं होगा। गवर्नरोंको दखल देनेका बहुत अधिकार देना ठीक नहीं है। वैसे ही अनुको सिर्फ शोभाके लिये पुतला बना देना भी ठीक नहीं होगा। मंत्रियोंके कामको दुरुस्त करनेका अधिकार अन्हें होना चाहिये। सूबेकी खटपटसे अलग होनेके कारण भी वे सूबेका कारवार ठीक तरहसे देख सकेंगे और मंत्रियोंको गलतियोंसे बचा सकेंगे। गवर्नर लोग अपने अपने सूबोंकी नीतिके रक्षक होने चाहिये।

हरिजनसेवक, २१-१२-'४७

मंत्रीगण

अगर कांग्रेसको लोकसेवाकी ही संस्था रहना है, तो मंत्री 'साहव लोगों' की तरह नहीं रह सकते और न सरकारी साधनोंका अुपयोग निजी कामोंके लिये ही कर सकते हैं।

हरिजन, २९-९-'४६

भाषी-भतीजावाद

पद-ग्रहणसे यदि पदका सदुपयोग किया जाय तो कांग्रेसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और यदि अुसका दुरुपयोग होगा तो वह अपनी पुरानी प्रतिष्ठा भी खो देगी। यदि दूसरे परिणामसे बचना हो तो मंत्रियों और विधान-सभाके सदस्योंको अपने वैयक्तिक और सार्वजनिक आचरणकी जांच करते रहना होगा। अुन्हें, जैसा अंग्रेजी लोकोक्तिमें कहा जाता है, सीजरकी पत्नीकी तरह अपने प्रत्येक व्यवहारमें सन्देहके परे होना चाहिये। वे अपने पदका अुपयोग अपने या अपने रिश्तेदारों अथवा मित्रोंके लाभके लिये नहीं कर सकते। अगर रिश्तेदारों या मित्रोंकी नियुक्ति किसी पद पर होती है, तो अुसका कारण यही होना चाहिये कि अुस पदके तमाम अुम्मीदवारोंमें वे सबसे ज्यादा योग्य हैं और बाजारमें अुनका मूल्य अुस सरकारी पदसे अुन्हें जो-कुछ मिलेगा अुससे कहीं ज्यादा है।

मंत्रियों और कांग्रेसके टिकट पर चुने गये विधान-सभाके सदस्योंको अपने कर्तव्यके पालनमें निर्भय होना चाहिये। अन्हें हमेशा ही अपना स्थान या पद खोनेके लिये तैयार रहना चाहिये। विधान-सभाओंकी सदस्यता या अुसके आवार पर मिलनेवाले पदका अेकमात्र मूल्य यही है कि वह सम्बन्धित व्यक्तियोंको कांग्रेसकी प्रतिष्ठा और ताकत बढ़ानेकी योग्यता प्रदान करता है; जिससे अधिक मूल्य अुसका नहीं है। और चूँकि ये दोनों चीजें पूरी तरह वैयक्तिक और सार्वजनिक नीतिमत्ता पर निर्भर हैं, जिसलिये सम्बन्धित व्यक्तियोंकी प्रत्येक नैतिक त्रुटिसे कांग्रेसकी हानि होगी।

हरिजन, २३-४-'३८

कर-निर्धारण

मंत्रि-मंडल धारासभाके सदस्योंके मातहत रहकर काम करता है। अुनकी विजाजतके विना वह कुछ कर नहीं सकता। और हरअेक मेम्बर अपने वोटरोके यानी लोकमतके अधीन है। चुनांचे अुसके हरअेक काम पर गहराअीके साथ सोचनेके वाद ही अुसका विरोध करना मुनासिब होगा। आम लोगोंकी अेक खराब आदत पर भी जिस सिल-सिलेमें गौर किया जाना चाहिये। टैक्स चुकानेवालेको टैक्सके नामसे नफरत होती है। फिर भी जहां अच्छा अिन्तजाम है, वहां अकसर यह दिखाया जा सकता है कि टैक्स देनेवाला खुद टैक्स या करके रूपमें जो कुछ देता है, अुसका पूरा-पूरा मुआवजा अुसे मिल जाता है। शहरोंमें पानी पर वसूल किया जानेवाला टैक्स जिसी ढंगका है। शहरमें जिस दरसे मुझे पानी मिलता है, अुस दरमें मैं अपनी जरूरतका पानी खुद पैदा नहीं कर सकता। मतलब यह है कि पानी मुझे सस्ता पड़ता है। अुसकी यह दर मुझे अपनी यानी वोटरोकी अिच्छाके मुताबिक तय करनी पड़ती है। तिस पर भी जब पानीका टैक्स जमा करनेकी नीवत आती है, तब आम शहरियोंमें अुसके खिलाफ अेक नफरत-सी पैदा हो जाती है। वही हाल दूसरे टैक्सोंका भी है। यह सच है कि सभी तरहके टैक्सोंका अैसा सीधा हिसाब नहीं किया जा सकता। जैसे-जैसे समाजका और

बुसकी सेवाका दायरा बढ़ता-जाता है, वैसे-वैसे यह बताना मुश्किल हो जाता है कि टैक्स चुकानेवालेको बुसका सीधा मुआवजा किस तरह मिलता है। लेकिन अितना जरूर कहा जा सकता है कि समाज पर जो अेक खास कर या टैक्स वैठया जाता है, समाजको बुसका पूरा-पूरा मुआवजा मिलता ही है। अगर अैसा न होता हो तो जरूर ही यह कहा जा सकता है कि वह समाज लोकमतकी बुनियाद पर नहीं चल रहा है।

हरिजनसेवक, ८-९-'४६

अपराध और बुसका दण्ड

अहिंसाकी नीति पर चलनेवाले आजाद भारतमें अपराध तो होते रहेंगे, लेकिन अुन्हें करनेवालोंके साथ अपराधियों-जैसा व्यवहार नहीं किया जायगा। अुन्हें दण्ड नहीं दिया जायगा। दूसरी व्याधियोंकी तरह अपराध भी अेक बीमारी है और प्रचलित समाज-व्यवस्थाकी अपुज है। अिसलिअे सारे अपराधोंका, जिनमें हत्या भी शामिल है, बीमारियोंकी तरह अिलाज किया जायगा। भारत अिस मंजिल तक कभी पहुंचेगा कि नहीं, यह अेक अलग सवाल है।

हरिजन, ५-५-'४६

आजाद हिन्दुस्तानमें कैदियोंके जेल कैसे हों? बहुत समयसे मेरी यह राय रही है कि सारे अपराधियोंके साथ बीमारों-जैसा बरताव किया जाय और जेल अुनके अस्पताल हों, जहां अिस वर्गके बीमार अिलाजके लिअे भरती किये जायं। कोअी आदमी अपराध अिसलिअे नहीं करता कि अैसा करनेमें अुसे मजा आता है। अपराध बुसके रोगी दिमागकी निशानी है। जेलमें अैसी किसी खास बीमारीके कारणोंका पता लगाकर अुन्हें दूर करना चाहिये। जब अपराधियोंके जेल अुनके अस्पताल बन जायंगे, तब अुनके लिअे आलीशान अिमारतोंकी जरूरत नहीं होगी। कोअी देश यह नहीं कर सकता। तब हिन्दुस्तान जैसा गरीब देश तो अपराधियोंके लिअे बड़ी बड़ी अिमारतें कहांसे बनावे? लेकिन जेलके कर्मचारियोंकी दृष्टि अस्पतालके डॉक्टरों और नर्सों जैसी होनी चाहिये। कैदियोंको महसूस करना चाहिये कि जेलके अफसर अुनके दोस्त हैं।

अक्सर वहाँ जिसलिखे हैं कि वे अपराधियोंको फिरसे दिमागी तन्दुरुस्ती हासिल करनेमें मदद करें। उनका काम अपराधियोंको किसी तरह सतानेका नहीं है। लोकप्रिय सरकारोंको जिसके लिये जरूरी हुकम निकालने होंगे। लेकिन जिस बीच जेलके कर्मचारी अपने बन्दोबस्तको दिन्सानियत भरा बनानेके लिये बहुत कुछ कर सकते हैं।

कैदियोंका क्या फर्ज है? पहले कैदी रह चुकनेके नाते मैं अपने साथी कैदियोंको सलाह दूंगा कि वे जेलमें आदर्श कैदियों-जैसा बरताव करें। उन्हें जेलके अनुशासनको तोड़नेसे बचना चाहिये। जो भी काम उन्हें सौंपा जाय, उसमें उन्हें अपना दिल और आत्मा, दोनों लगा देने चाहिये। मिसालके लिये, कैदी अपना खाना खुद पकाते हैं। उन्हें चावल, दाल या दूसरे मिलनेवाले अनाजको साफ करना चाहिये, ताकि उसमें कंकड़, रेत, मूसी या कीड़े न रह जायें। कैदियोंको अपनी सारी शिकायतें जेलके अधिकारियोंके सामने अचित्त ढंगसे रखनी चाहिये। उन्हें अपने छोटेसे समाजमें ऐसा काम करना चाहिये कि जेल छोड़ते समय वे जैसे आये थे उससे ज्यादा अच्छे आदमी बनकर जायें।

दिल्ली-डायरी, पृ० ११७-१८

वयस्क मताधिकार

मैं वयस्क मताधिकारका हिमायती हूँ। . . . वयस्क मताधिकार अनेक कारणोंसे जरूरी है। और उसके पक्षमें जो निर्णायक कारण दिये जा सकते हैं, उनमें से एक यह है कि वह मुझे न सिर्फ मुसलमानोंकी बल्कि तथाकथित अस्पृश्यों, अज्ञानियों और सभी वर्गोंके मेहनत-मजदूरी करके रोजी कमानेवालोंकी अचित्त आकांक्षाओंको संतुष्ट करनेका सामर्थ्य देता है। मैं जिस विचारको बरदाश्त ही नहीं कर सकता कि जैसे किसी आदमीको, जो चरित्रवान है किन्तु जिसके पास धन या अक्षर-ज्ञान नहीं है, मताधिकार न दिया जाय; या कि कोश्री आदमी, जो अमानदारीके साथ शरीर-श्रम करके रोजी कमाता है, महज गरीब होनेके अपराधके कारण मताधिकारसे वंचित रहे।

यंग विडिया, ८-१०-३१

मृत्यु-कर

किसी आदमीके पास अत्यधिक धनका होना और देशोंकी अपेक्षा हमारे देशमें ज्यादा निंदनीय माना जाना चाहिये। मैं तो कहूंगा कि वह भारतीय मानव-समाजके खिलाफ किया जानेवाला गुनाह है। जिसलिसे अके नियत राशिके अपर जितना धन हो उस पर कितना कर लगाया जाय, जिसकी अुच्चतम सीमा आ ही नहीं सकती। मुझे मालूम हुआ है कि अंग्लैण्डमें नियत राशिके अपर होनेवाली कमाओका ७० प्रतिशत तक करके रूपमें वसूल करते हैं। कोओ कारण नहीं कि भारत जिससे भी ज्यादा क्यों न वसूल करे। मृत्यु-कर क्यों नहीं लगाया जाना चाहिये? अमीरोंके जिन लड़कोंको वयस्क हो जाने पर भी बाप-दादोंके धनकी विरासत मिलती है, उनकी जिस प्राप्तिसे सचमुच तो हानि ही होती है। जिस तरह देखें तो राष्ट्रको दोहरा नुकसान होता है। क्योंकि वह विरासत न्यायसे तो राष्ट्रको मिलनी चाहिये। राष्ट्रको दूसरा नुकसान यह होता है कि विरासत पानेवाले अुत्तराधिकारीकी सारी शक्तियां खिलतीं नहीं, प्रकाशमें नहीं आतीं। वे धन-सम्पत्तिके बोझके नीचे कुचल जाती हैं।

हरिजन, ३१-७-'३७

कानून द्वारा सुधार

लोग अैसा सोचते मालूम होते हैं कि किसी बुराओके खिलाफ कानून बना दिया जाय, तो वह अपने-आप निर्मूल हो जाती है। उस सम्बन्धमें और अधिक कुछ करनेकी आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन जिससे ज्यादा बड़ी कोओ आत्म-बंधना नहीं हो सकती। कानून तो अज्ञानमें फंसे हुअे या बुरी वृत्तिवाले अल्पसंख्यक लोगोंको ध्यानमें रखकर यानी उनसे उनकी बुराओ छुड़वानेके अुद्देश्यसे बनाया जाता है और उसी स्थितिमें वह कारगर भी होता है। बुद्धिमान और संघटित लोकमत अथवा धर्मकी आड़ लेकर दुराग्रही बहुसंख्यक लोग जिस कानूनका विरोध करते हैं वह कभी सफल नहीं हो सकता।

यंग अिडिया, ३०-६-'२७

पहली चीज तो यह है कि हमारे प्रयत्नमें जबरदस्ती या असत्यका लेश भी नहीं होना चाहिये। मेरी नम्र रायमें आज तक जबरदस्तीके द्वारा कोअी भी महत्त्वपूर्ण सुधार नहीं कराया जा सका है। कारण यह है कि जबरदस्तीके द्वारा अूपरी सफलता होती दिखायी दे यह तो संभव है, किंतु अुससे दूसरी अनेक बुराइयां पैदा हो जाती हैं, जो मूल बुराईसे भी ज्यादा हानिकारक सिद्ध होती हैं।

यंग अिडिया, ८-१२-'२७

जूरी द्वारा न्याय-विचारकी पद्धति

जूरी द्वारा न्याय-विचारकी पद्धतिसे अकसर न्यायकी हानि होती है। सारी दुनियाका अिस विषयमें यही अनुभव है। लेकिन अुसकी अिस कमीके वावजूद लोगोंने सब जगह अुसे खुशीके साथ स्वीकार किया है। क्योंकि अेक तो लोगोंमें अुससे स्वातंत्र्यकी भावनाका विकास होता है, जो अेक महत्त्वपूर्ण लाभ है; और दूसरे, अिस समुचित भावनाकी तृप्ति होती है कि विचार अपने ही जैसे यानी समकक्ष लोगों द्वारा किया जा रहा है।

यंग अिडिया, १२-८-'२६

मैं अिस बातको नहीं मानता कि न्यायाधीशोंकी अपेक्षा जूरी द्वारा न्याय-विचारकी पद्धतिमें ज्यादा लाभ है। हमें . . . अंग्रेजोंकी हरअेक रीतिका अन्वानुकरण नहीं करना चाहिये। जहां सम्पूर्ण निष्पक्षता, समचित्तता, गवाहीकी छान-बीन करने और मनुष्य-स्वभावको पहचाननेकी योग्यता अपेक्षित है, वहां प्रशिक्षित न्यायाधीशोंकी जगह अैसी तालीमसे शून्य और संयोगवत् अेकत्र किये गये लोगोंको नहीं विठाय जा सकता। हमारा अुद्देश्य यह होना चाहिये कि नीचेसे लगाकर अूपर तक हमारे न्याय-विभागमें अैसे लोग हों जिनकी न्यायनिष्ठा किसी भी कारणसे विचलित न हो, जो सर्वथा निष्पक्ष हों और योग्य हों।

यंग अिडिया, २७-८-'३१

न्यायालय

यदि हमारे मन पर वकीलोंका और न्यायालयोंका मोह न छाया होता और यदि हमें लुभाकर अदालतोंके दलदलमें ले जानेवाले तथा हमारी नीच वृत्तियोंको अुत्साहित करनेवाले दलाल न होते, तो हमारा जीवन आज जैसा है अुसकी अपेक्षा ज्यादा सुखी होता । जो लोग अदालतोंमें ज्यादा आते-जाते हैं, अुनकी यानी अुनमें से अच्छे आदमियोंकी गवाही लीजिये तो वे इस बातकी पुष्टि करेंगे कि अदालतोंका वायुमण्डल विलकुल सड़ा हुआ होता है । दोनों पक्षोंकी ओरसे सौगन्ध खाकर झूठ बोलनेवाले गवाह खड़े किये जाते हैं, जो धन या मित्रताके खातिर अपनी आत्माको बेच डालते हैं ।

यंग अिडिया, ६-१०-'२६

अब अगर आप कानून या वकालतके पेशेको धार्मिक बनाना चाहते हैं, तो आपके लिये सबसे पहले यह आवश्यक है कि आप अपने इस पेशेको धन बटोरनेका नहीं, बल्कि देशसेवाका एक साधन मानिये । सभी देशोंमें अैसे बहुत ही योग्य वकीलोंके अुदाहरण मिलेंगे, जिन्होंने बहुत बड़े स्वार्थ-त्यागका जीवन विताया, अपने कानूनी ज्ञानको देश-सेवामें लगाया यद्यपि इससे अुनके हिस्सेमें गरीबी ही गरीबी पड़ी । . . . रस्किनने कहा है, क्यों कोअी वकील दो-दो सौ रुपये अपना मेहनताना लेगा जब कि एक बड़कीको अुतने पैसे भी नहीं मिलते ? वकीलोंकी फीस हर जगह अुनके कामके हिसाबसे बहुत ज्यादा होती है । दक्षिण अफ्रीकामें, अिंग्लैण्डमें, बल्कि सभी कहीं मैंने देखा है कि चाहे जान-बूझकर या अनजाने वकीलोंको अपने मुवक्किलोंके खातिर झूठ-बोलना पड़ता है । एक प्रसिद्ध अंग्रेज वकीलने तो यहां तक लिखा है कि अपने मुवक्किलको अपराधी जानकर भी अुसका वचाव करना वकीलका धर्म है, कर्त्तव्य है । मेरा मत दूसरा है । वकीलका काम तो यह है कि वह हमेशा जजोंके आगे सच्ची बातें रख दे, सचकी तह तक पहुंचनेमें अुनकी मदद करे । अपराधीको निर्दोष साबित करना अुसका काम कभी नहीं है ।

हिन्ही नवजीवन, २९-१२-'२७

साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व

आजाद भारत साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्वकी प्रणालीको प्रथम नहीं दे सकता। किंतु यह भी सही है कि यदि अल्पसंख्यक लोगों पर जबर-दस्ती नहीं करना है, तो उसे सभी सम्प्रदायोंको पूरा संतोष देना चाहिये।

यंग इंडिया, १९-१-३०

सैनिक खर्च

हमारे नेता पिछली दो पीढ़ियोंसे ब्रिटिश शासनके अन्तर्गत होनेवाले भारी फाँजी खर्चकी जोरदार निंदा करते आये हैं। लेकिन अब जब कि हम राजनीतिक गुलामीसे आजाद हो गये हैं, हमारा सैनिक खर्च बढ़ गया है और मालूम होता है कि अभी और बढ़ेगा। आश्चर्य यह है कि हमें इसका गर्व है। इस बातके खिलाफ हमारी विधान-सभाओंमें एक भी आवाज नहीं उठाई जाती। लेकिन इस पागलपन और पश्चिमकी अपूरी चमक-दमकके निरर्थक अनुकरणके वावजूद मुझमें और अन्य अनेकोंमें यह आशा बाकी है कि भारत विनाशके इस ताण्डवसे सुरक्षित बाहर निकल जायगा और उस नैतिक अंशको प्राप्त करेगा, जो सन् १९१५ से लगातार ३२ वर्ष तक अहिंसाकी तालीम — यह तालीम कितनी भी अधूरी क्यों न रही हो — लेनेके बाद उसे प्राप्त करनी ही चाहिये।

हरिजन, ७-१२-४७

जलसेना

जलसेनाके बारेमें तो मैं नहीं जानता। लेकिन यह मैं जरूर जानता हूँ कि भारी भारतकी स्थल सेनामें आजकी तरह दूसरे देशोंसे अनुकी स्वतंत्रता छीननेके लिये और भारतको गुलामीके पाशमें बांधे रखनेके लिये किरायेके सैनिक नहीं होंगे। उसकी संख्या बहुत-कुछ घटा दी जायगी और उसकी रचना देशसेवाके लिये स्वेच्छापूर्वक भरती हुये सैनिकोंके आधार पर होगी, जिनका उपयोग देशमें ही पुलिस-व्यवस्थाके लिये किया जायगा।

यंग इंडिया, ९-३-२२

प्रान्तोंका पुनर्घटन

कांग्रेसने २० सालसे यह तय कर लिया था कि देशमें जितनी बड़ी-बड़ी भाषायें हैं अतने प्रान्त होने चाहिये । कांग्रेसने यह भी कहा था कि हुकूमत हमारे हाथमें आते ही जैसे प्रान्त बनाये जायंगे । जैसे तो आज भी ९ या १० प्रान्त बने हुअे हैं और वे अेक केन्द्रके अधीन हैं । अिसी तरहसे अगर नये प्रान्त बनें और दिल्लीके मातहत रहें, तब तो कोअी हर्जकी बात नहीं । लेकिन वे सब अलग अलग होकर आजाद हो जायं और अेक केन्द्रके अधीन न रहें, तो फिर वह अेक निकम्मी बात हो जाती है । अलग-अलग प्रान्त बननेके बाद वे यह न समझ लें कि बम्बअीका महाराष्ट्रसे कोअी सम्बन्ध नहीं, महाराष्ट्रका कर्नाटकसे कोअी सम्बन्ध नहीं और कर्नाटकका आंध्रसे कोअी सम्बन्ध नहीं । तब तो हमारा काम बिगड़ जाता है । अिसलिये सब आपसमें अेक-दूसरेको भाअी भाअी समझें । अिसके अलावा, भाषावार प्रान्त बन जाते हैं, तो प्रान्तीय भाषाओंकी भी तरक्की होती है । वहांके लोगोंको हिन्दुस्तानीमें तालीम देना वाहियात बात है और अंग्रेजीमें देना तो और भी वाहियात है ।

अब सीमाबन्दी-कमीशनोंकी बात तो हमें भूल जानी चाहिये । लोग आपसमें मिल-जुलकर नकशे बना लें और अुन्हें पंडित जवाहरलालजीके सामने रख दें । वे हुकूमतकी तरफसे अुन पर दस्तखत दे देंगे । वास्तवमें अिसीका नाम तो आजादी है । अगर आप केन्द्रीय सरकारको सीमायें तय करनेके लिये कहें, तब तो काम बहुत कठिन हो जायगा ।

दिल्ली-डायरी, पृ० ३९२-९३

मुझे यह कबूल है कि जो अुचित है, अुसे अब करना चाहिये । वगैर कारणके रुकना ठीक नहीं । अिससे नुकसान भी हो सकता है । पापके साथ हमारा कोअी सरोकार नहीं हो सकता ।

फिर भी भाषावार सूवोंके विभागमें देर होती है अुसका सबब है । अुसका कारण आजका बिगड़ा हुआ वायुमंडल है । आज हरअेक आदमी

अपना ही देखता है। मुल्ककी ओर जानेवाले, उसका भला सोचनेवाले लोग हैं जरूर, लेकिन उनको सुने कौन? अपनी ओर खींचनेवाले लोग शोर मचाते हैं, अिसीलिअे उनको बात सब सुनते हैं। दुनिया अैसी ही है न-?

आज भापावार^० सूत्रोंका विभाग करनेमें झगड़ेका डर रहता है। अुड़िया भापाको ही लीजिये। अुड़ीसा अलग सूवा बन गया है, फिर भी कुछ न कुछ खींचातानी रही ही है। अेक ओर आंध्र, दूसरी ओर विहार और तीसरी ओर वंगाल है। कांग्रेसने तो भापावार विभाग सन् १९२० में किया। वाकानून विभाग तो अुड़िया बोलनेवाले सूवेका ही हुआ। मद्रासके चार विभाग कैसे हों? वम्बअीके कैसे हों? आपसमें मिलकर सब सूत्रे आवें और अपनी हृद बना लें, तो वाकानून विभाग आज बन सकते हैं। आज हुकूमत क्या यह् बोझ अुठा सकती है? कांग्रेसकी जो ताकत १९२० में थी वह् क्या आज है? आज अुसकी चलती है?

आज तो दूसरे हकदार भी पैदा हो गये हैं। अैसे मौके पर हिन्दुस्तान वेहाल-सा लगता है। आज तो संप (मेल) के बदले मौत है। जब कौमी झगड़े बन्द होंगे तब हम समझ सकेंगे कि सब ठीक हुआ है। अैसी हालतमें भापावार विभाग लोग आपसमें मिलकर कर लें, तो कानून आसान होगा अन्यथा शायद नहीं।

हरिजनसेवक, ३०-११-'४७

अैसा लगता है कि अगर यूनियनके सारे सूत्रोंको हर दिशामें अेकसी तरक्की करनी हो, तो हर सूत्रेकी नीकरियां, पूरे हिन्दुस्तानकी तरक्कीके खयालसे, ज्यादातर वहांके रहनेवालोंको ही दी जानी चाहिये। अगर हिन्दुस्तानको दुनियाके सामने स्वाभिमानसे सिर अूंचा रखना है, तो किसी सूवे और किसी जाति या तबकेको पिछड़ा हुआ नहीं रखा जा सकता। लेकिन अपने उन हथियारोंके बल पर हिन्दुस्तान अैसा नहीं कर सकता, जिनसे दुनिया अूब चुकी है। अुसे अपने हर नागरिकके जीवनमें और हालमें ही मेरे द्वारा बताया गये समाजवादमें प्रकट होनेवाली अपनी कुदरती तहजीब या संस्कृतिके द्वारा ही चमकना चाहिये। अिसका

यह मतलब है कि अपनी योजनाओं या असूलोंको जनप्रिय बनानेके लिये किसी भी तरहकी ताकत या दबावको काममें न लिया जाय। जो चीज सचमुच जनप्रिय है उसे सबसे मनवानेके लिये जनताकी रायके सिवा दूसरी किसी ताकतकी शायद ही जरूरत हो। जिसलिये विहार, अड़ीसा और आसाममें कुछ लोगों द्वारा की जानेवाली हिंसाके जो बुरे दृश्य देखे गये, वे कभी नहीं दिखायी देने चाहिये थे। अगर कोई आदमी नियमके खिलाफ काम करता है या दूसरे सूबोंके लोग किसी सूबेमें आकर वहाँके लोगोंके हक मारते हैं, तो उन्हें सजा देने और व्यवस्था कायम रखनेके लिये जनप्रिय सरकारें सूबोंमें राज्य कर रही हैं। सूबोंकी सरकारोंका यह फर्ज है कि वे दूसरे सूबोंसे अपने यहां आनेवाले सब लोगोंकी पूरी-पूरी हिफाजत करें। “जिस चीजको तुम अपनी समझते हो, उसका असा अस्ते-माल करो कि दूसरेको नुकसान न पहुंचे” यह समानताका जाना-पहचाना असूल है। यह नैतिक बरतावका भी सुन्दर नियम है। आजकी हालतमें यह कितना अचित्त मालूम होता है!

“रोममें रोमनोंकी तरह रहो” यह कहावत जहां तक रोमन बुराअियोंसे दूर रहती है वहां तक समझदारीसे भरी और फायदा पहुंचानेवाली कहावत है। अक-दूसरेके साथ घुल-मिलकर तरक्की करनेके काममें यह ध्यान रखना चाहिये कि बुराअियोंको छोड़ दिया जाय और अच्छाअियोंको पचा लिया जाय। बंगालमें अक गुजरातीके नाते मुझे बंगालकी सारी अच्छाअियोंको तुरत पचा लेना चाहिये और उसकी बुराअियोंको कभी छूना भी नहीं चाहिये। मुझे हमेशा बंगालकी सेवा करनी चाहिये; अपने फायदेके लिये उसे चूसना नहीं चाहिये। दूसरोंसे विलकुल अलग रहनेवाली हमारी प्रान्तीयता जिन्दगीको बरवाद करनेवाली चीज है। मेरी कल्पनाके सूबेकी हद सारे हिन्दुस्तानकी हदों तक फैली हुयी होगी, ताकि अन्तमें उसकी हद सारे विश्वकी हदों तक फैल जाय। वर्ना वह खतम हो जायगा।

हरिजनसेवक, २१-९-'४७

मेरी रायमें अक हिन्दुस्तानी हिन्दुस्तानका नागरिक है और देशके हर हिस्सेमें उसे बराबरका हक हासिल है। जिसलिये अक बंगालीको

विहारमें एक विहारीके नाते सभी हक हासिल हैं। मगर मैं जिस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि अन्त बंगालीको विहारियोंके साथ पूरी तरह घुलमिल जाना चाहिये। उसे अपना मतलब साधनेके लिये विहारियोंका अुपयोग करनेका गुनाह नहीं करना चाहिये, या विहारियोंके बीच अपने आपको अजनबी समझना या अुनसे अजनबी जैसा बरताव नहीं करना चाहिये। . . . सारे हक अुन फर्जोंसे निकलते हैं, जिन्हें हम पहलेसे पूरी तरह अदा कर चुकते हैं। एक बात पर मैं जरूर जोर दूंगा कि अगर आपको किसी तरह आगे बढ़ना है, तो हिन्दुस्तानके दोनों अुपनिवेशोंमें जोर-जबरदस्तीसे अपने हक आजमानेकी बातको पूरी तरह छोड़ देना होगा। जिस तरह न तो बंगाली और न विहारी तलवारके जोरसे अपने हक आजमा सकते और न तलवारके जोरसे सीमा-कमीशनके फैसलेको बदला जा सकता। लोकशाहीवाले आजाद हिन्दुस्तानमें सबसे पहले आपको यही सबक सीखना होगा। . . . आजादीका यह मतलब कभी नहीं होता कि आपको अपनी मर्जसे चाहे जो करनेकी छुट्टी मिल गयी। आजादीका मतलब यह है कि आप बिना किसी बाहरी दबावके अपने अुपर काबू रखें और अनुशासन पालें; और राजाखुशीसे अुन कानूनों पर अमल करें जिन्हें पूरे हिन्दुस्तानने अपने चुने हुअे नुमाअिन्दोंके जरिये बनाया है। प्रजातंत्र या लोकशाहीमें एकमात्र ताकत लोकमतकी होती है। खुले या छिपे तौर पर जोर-जबरदस्तीका अिस्तेमाल करनेसे सत्याग्रह, सिविल नाफरमानी और अुपवासोंका कोयी संबन्ध नहीं है। मगर लोकशाहीमें अिनके अिस्तेमाल पर भी काबू रखनेकी जरूरत है। जब सरकारें जम रही हों और साम्प्रदायिक दंगोंका रोग एक सूत्रसे दूसरे सूत्रमें फैल रहा हो, तब तो अिनके बारेमें सोचा भी नहीं जा सकता।

(ता० २९-८-'४७ को कलकत्तेमें दिये गये प्रार्थना-प्रवचनसे)

हरिजनसेवक, ७-९-'४७

द्राविडिस्तान ?

अिसके बाद गांधीजीने द्राविडिस्तानके आन्दोलनका जिक्र किया। यह दक्षिण हिन्दुस्तानका वह हिस्सा है, जहाँके लोग तेलगू, तामिल,

मलयालम और कन्नड़ चार द्राविड़ी भाषायें बोलते हैं। अन्होंने कहा, हिन्दुस्तानका अिन चार भाषाओंको बोलनेवाला हिस्सा वाकीके हिन्दुस्तानसे अलग क्यों किया जाय? क्या ज्यादातर संस्कृतसे निकलनेके कारण ही ये भाषायें अुन्नत नहीं हुअी हैं? मैंने अिन चारों सूवोंका दौरा किया है। मुझे अुनमें और दूसरे सूवोंमें कोअी फर्क नहीं मालूम हुआ। पुराने जमानेमें अैसा माना जाता था कि विन्ध्याचलके दक्षिणमें रहनेवाले अनार्य और अुसके अुत्तरमें रहनेवाले आर्य हैं। पुराने जमानेमें हम कोअी भी रहे हों, आज तो हम अितने घुलमिल गये हैं कि हिन्दुस्तानके दो भाग हो जाने पर भी हम काश्मीरसे कन्याकुमारी तक अेक ही राष्ट्र हैं। देशके और ज्यादा टुकड़े करना मूर्खता होगी। अगर मीजूदा वंटवारेके बाद भी हम देशके छोटे-छोटे टुकड़े करते रहे, तो अनगिनत स्वतंत्र सार्वभौम राज्य बन जायेंगे, जो हिन्दुस्तान और दुनियाके लिये बेकार साबित होंगे। दुनियाको हम अपने वारेमें यह कहनेका मौका न दें कि हिन्दुस्तानी सिर्फ गुलामीमें ही अेक सियासी हुकूमतके मातहत रह सकते थे, लेकिन आजाद होकर वे जंगलियोंकी तरह जितने चाहें अुतने गिरोहोंमें वंट जायेंगे और हर गिरोह अपने रास्ते जायगा। या, क्या हिन्दुस्तानी अैसे निरंकुश राज्यके गुलाम बनकर रहेंगे, जिसके पास अुन्हें गुलामीमें जकड़ने लायक बड़ी भारी फौज होगी?

मैं सब हिन्दुस्तानियों और खासकर दक्षिणके लोगोंसे अपील करता हूँ कि वे अंग्रेजी भाषाकी गुलामी छोड़ दें, जो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और राजनीतिके लिये ही अच्छी भाषा है। वह हिन्दुस्तानके करोड़ों लोगोंकी भाषा कभी नहीं बन सकती। अंग्रेजोंका अेक या डेढ़ सदीका राज्य भी हिन्दुस्तानी जन-समुद्रके कुछ लाखसे ज्यादा लोगोंको अंग्रेजी बोलनेवाले नहीं बना सका। अगर आप जनगणनाके आंकड़े देखें तो आपको पता चलेगा कि कअी लाख आदमी हिन्दी और अुर्दूकी मिलावटवाली और नागरी या अुर्दू लिपिमें लिखी जानेवाली हिन्दुस्तानी बोलते हैं। संस्कृतके शब्दोंसे लदी हुअी हिन्दी या फारसीके शब्दोंसे भरी हुअी अुर्दू बहुत कम लोग बोलते हैं। मुझेसे दक्षिणके लोगोंने पूछा है कि क्या हम अपने सूबेकी लिपिमें हिन्दुस्तानी सीख सकते हैं? मुझे तो कोअी

बेतराज नहीं है। सच पूछा जाय तो हिन्दुस्तानी प्रचार-सभाने दक्षिणके लड़कोंको अुनके सूबेकी लिपिमें हिन्दुस्तानी सीखनेकी बिजाजत दे दी है। वादमें वे नागरी और अुर्दू लिपि सीखते हैं, ताकि वे आसानीसे अुत्तर हिन्दुस्तानके साहित्यकी जानकारी हासिल कर सकें। देशप्रेमका अितना तो अुनसे तकाजा है ही। आज दक्षिणके लोगोंके संकुचित प्रान्तीयताके शिकार होनेका भारी खतरा है। अगर सभी संकुचित बन जायंगे, तो हमारा प्यारा हिन्दुस्तान कहां रह जायगा? मैं खुले तौर पर यह मंजूर करता हूँ कि अगर दक्षिणके लोगोंके लिये हिन्दुस्तानीका न सीखना गलत चीज है — जैसा कि सचमुच है, तो अुत्तरके लोगोंके लिये दक्षिणकी अुत्तम साहित्यवाली चार भाषाओंमें से अेक या अधिक भाषायें न सीखना भी अुतना ही गलत है। मैंने दक्षिणके सदस्योंसे अपील की है कि वे हिन्दुस्तानियोंकी सभामें अंग्रेजी भाषाकी कभी मांग न करनेकी प्रतिज्ञा कर लें। तभी वे जल्दी हिन्दुस्तानी सीख सकेंगे। हमें याद रखना चाहिये कि आजाद हिन्दुस्तान तभी अेक बनकर काम कर सकेगा, जब वह नैतिक शासनको मानेगा। गुलामीके खिलाफ लड़नेवाली संस्थाके नाते कांग्रेस अपनी नैतिक ताकतसे ही आज तक संगठित रह सकी है। लेकिन जब अुसने राजनीतिक आजादी करीब करीब ले ली है, तब क्या अुसका संगठन खतम हो जायगा — वह बिखर जायगी?

(ता० १६-७-'४७ को नयी दिल्लीमें दिये गये प्रार्थना-प्रवचनसे)

हरिजनसेवक, २७-७-'४७

अल्पसंख्यकोंकी समस्यायें

अगर हिन्दू लोग विविध जातियोंके बीच अेकता चाहते हैं, तो अुनमें अल्पसंख्यक जातियोंका विश्वास करनेकी हिम्मत होनी चाहिये। किसी भी दूसरी बुनियाद पर आधारित मेल सच्चा मेल नहीं होगा। करोड़ों सामान्य जन न तो विधान-सभाके सदस्य होना चाहते हैं और न म्युनिसिपल काँसिलर बनना चाहते हैं। और यदि हम सत्याग्रहका सही अुपयोग करना सीख गये हैं, तो हमें जानना चाहिये कि अुसका अुपयोग किसी भी अन्यायी शासकके खिलाफ—वह हिन्दू, मुसलमान या अन्य किसी भी कौमका हो—किया जा सकता है और किया जाना चाहिये। अिसी तरह न्यायी शासक या प्रतिनिधि हमेशा और समान रूपसे अच्छा होता है, फिर वह हिन्दू हो या मुसलमान। हमें साम्प्रदायिक भावना छोड़नी चाहिये। अिसलिअे अिस प्रयत्नमें बहुसंख्यक समाजको पहल करके अल्पसंख्यक जातियोंमें अपनी अीमानदारीके विषयमें विश्वास पैदा करना चाहिये। मेल और समझौता तभी हो सकता है जब कि ज्यादा बलवान पक्ष दूसरे पक्षके जवाबकी राह देखे बिना सही दिशामें बढ़ना शुरू कर दे।

जहां तक सरकारी महकमोंमें नौकरियोंका सवाल है, मेरी राय है कि यदि हम साम्प्रदायिक भावनाको यहां भी दाखिल करेंगे, तो यह चीज सुशासनके लिअे घातक सिद्ध होगी। शासन सुचारु रूपसे चले, अिसके लिअे यह जरूरी है कि वह सबसे योग्य आदमियोंके हाथमें रहे। अुसमें किसी तरहका पक्षपात तो होना ही नहीं चाहिये। अगर हमें पांच अिजीनियरोंकी जरूरत हो तो अैसा नहीं होना चाहिये कि हम हरअेक जातिसे अेक-अेक लें; हमें तो पांच सबसे सुयोग्य अिजीनियर चुन लेने चाहिये, भले वे सब मुसलमान हों या पारसी हों। सबसे निचले दरजेकी जगहें, यदि जरूरी मालूम हो तो, परीक्षाके जरिये भरी जायं और यह परीक्षा किसी अैसी समितिकी निगरानीमें हो जिसमें विविध जातियोंके लोग हों। लेकिन नौकरियोंका यह बंटवारा विविध जातियोंकी संख्याके अनुपातमें नहीं होना

चाहिये। राष्ट्रीय सरकार बनेगी तब शिक्षामें पिछड़ी हुई जातियोंको शिक्षाके मामलेमें जरूर दूसरोंकी अपेक्षा विशेष सुविधायें पानेका अधिकार होगा। ऐसी व्यवस्था करना कठिन नहीं होगा। लेकिन जो लोग देशके शासन-तंत्रमें बड़े-बड़े पदोंको पानेकी आकांक्षा रखते हैं, उन्हें उसके लिये जरूरी परीक्षा अवश्य पास करनी चाहिये।

यंग इंडिया, २९-५-'२४

स्वतंत्र भारत साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्वकी प्रथाको कोजी प्रथम नहीं दे सकता। लेकिन यदि अल्पसंख्यकों पर जोर-जबरदस्ती नहीं करना है, तो उसे सब जातियोंको पूरा संतोष देना पड़ेगा।

यंग इंडिया, १९-१-'३०

हिन्दुस्तान उन सब लोगोंका है, जो यहां पैदा हुए और पले हैं और जो दूसरे किसी देशका आसरा नहीं ताक सकते। जिसलिये वह जितना हिन्दुओंका है उतना ही पारसियों, वेनी अजरायलों, हिन्दुस्तानी अन्नाजियों, मुसलमानों और दीगर गैर-हिन्दुओंका भी है। आजाद हिन्दुस्तानमें राज्य हिन्दुओंका नहीं, बल्कि हिन्दुस्तानियोंका होगा; और उसके आधार किसी धार्मिक पंथ या संप्रदायके बहुमत पर नहीं, बल्कि बिना किसी धार्मिक भेदभावके समूचे राष्ट्रके प्रतिनिधियों पर होगा। मैं एक ऐसे मिश्र बहुमतकी कल्पना कर सकता हूँ, जो हिन्दुओंको अल्पमत बना दे। स्वतन्त्र हिन्दुस्तानमें लोग अपनी सेवा और योग्यताके आधार पर ही चुने जायेंगे। धर्म एक निजी विषय है, जिसका राजनीतिमें कोजी स्थान नहीं होना चाहिये। विदेशी हुकूमतकी वजहसे देशमें जो अस्वाभाविक परिस्थिति पायी जाती है, उसीकी वदोलात हमारे यहां धर्मके अनुसार बितने बनावटी फिरके बन गये हैं। जब देशसे विदेशी हुकूमत अठ जायगी, तो हम अिन झूठे नारों और आदर्शोंसे चिपके रहनेकी अपनी जिस बेबकूफी पर खुद ही हंसेंगे।

हरिजनसेवक, ९-८-'४२

अपने धर्म पर मेरा अटूट विश्वास है। मैं उसके लिये अपने प्राण दे सकता हूँ। लेकिन वह मेरा निजी मामला है। राज्यको उसके कुछ

लेना-देना नहीं है। राज्य हमारे लौकिक कल्याणकी — स्वास्थ्य, आवागमन, विदेशोंसे सम्बन्ध, करेंसी (मुद्रा) आदिकी देखभाल करेगा, लेकिन हमारे या तुम्हारे धर्मकी नहीं। धर्म हरअेकका निजी मामला है।

हरिजन, २२-९-'४६

अँग्लो-अिण्डियन समाज और विदेशी लोग

सब विदेशियोंको यहां रहने और बसनेकी पूरी आजादी है, बशर्ते कि वे अपनेको इस देशकी जनतासे अभिन्न समझें। जो विदेशी यहां अपने अधिकारोंके लिये विशेष संरक्षण चाहते हों, उन्हें भारत आश्रय नहीं दे सकता। अधिकारोंके लिये संरक्षण मांगनेका अर्थ यह होगा कि वे यहां अंचे दरजेके आदमियोंकी तरह रहना चाहते हैं। लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करने दिया जा सकता, क्योंकि उससे संघर्ष पैदा होगा।

हरिजन, २९-९-'४६

अगर अेक यूरोपियन अैसा कर सकता है, तो अँग्लो-अिण्डियन और वे दूसरे लोग तो और भी अैसा कर सकते हैं, जिन्होंने यूरोपियन आचार-व्यवहार और रीति-रिवाज महूज इसलिये अपनाये हैं कि विदेशी सरकारसे अच्छे व्यवहारकी मांग करनेवाले यूरोपियनोंमें अुनकी गिनती हो सके। अगर अैसे लोग यह अुम्मीद रखें कि अब तक जो खास सहूलियतें उन्हें मिलती रही हैं वैसी आगे भी मिलती रहें, तो उन्हें परेशानी ही होगी। अुन्हें तो इस बातके लिये अपनेको धन्य समझना चाहिये कि जिन खास सहूलियतोंको भोगनेका अुन्हें किसी भी तर्कसम्मत कानूनसे कोअी हक नहीं था, और जो अुनकी अिज्जतको बट्टा लगानेवाली थीं, अुनका बोझ अुनके सिरसे अुतर जायगा।

हरिजनसेवक, ७-४-'४६

अुसके राजनीतिक अधिकारोंको कोअी खतरा नहीं है। अुसे अपनी सामाजिक स्थितिकी चिन्ता है, जो कि फिलहाल अस्तित्वमें ही नहीं है। अुसे अेक ओर तो इस बात पर बहुत गुस्सा आता है कि अुसकी मां या अुसके पिता भारतीय थे और दूसरी ओर यूरोपियन लोग अुसे अपने

समाजमें स्वीकार नहीं करते। जिस तरह अुसकी स्थिति कुयें और खाकीके बीच खड़े रहने जैसी है। मुझे अुससे अकसर मिलनेका मौका आता है। यूरोपियनोंकी तरह रहने और यूरोपियन दिखनेकी कोशिशमें अुसे अपने सावनोंकी सीमासे ज्यादा खर्चीला जीवन बिताना पड़ता है और अुसका नतीजा यह है कि वह नैतिक और आर्थिक दृष्टिसे विलकुल कमजोर हो गया है। मैंने अुसे समझाया है कि अुसे चुनाव कर लेना चाहिये और अपना भाग्य भारतकी विशाल जनताके साथ जोड़ देना चाहिये। अगर अिन लोगोंमें जिस अत्यंत सीधी और स्वाभाविक स्थितिको समझने और स्वीकार करनेका साहस और दूरदर्शिता होगी, तो वे न सिर्फ अपना बल्कि भारतका भी भला करेंगे और अपनी मौजूदा अपमानजनक स्थितिसे भी अपना अुद्धार कर सकेंगे। वेजवान अंग्लो-अिन्डियनके सामने सबसे बड़ा सवाल अपनी सामाजिक स्थितिका निर्णय करनेका है। ज्यों ही वह अपनेको भारतीय समझने और मानने लगेगा और अेक भारतीयकी ही तरह रहने लगेगा, त्यों ही वह महसूस करेगा कि वह सुरक्षित है।

यंग अिडिया, २९-८-'२९

६७

भारतीय गवर्नर

१. हिन्दुस्तानी गवर्नरको चाहिये कि वह खुद पूरे संयमका पालन करे और अपने आसपास संयमका वातावरण खड़ा करे। जिसके बिना शराबवन्दीके वारेमें सोचा भी नहीं जा सकता।

२. अुसे अपनेमें और अपने आसपास हाथ-कताओ और हाथ-बुनाओका वातावरण पैदा करना चाहिये, जो हिन्दुस्तानके करोड़ों गूंगोंके साथ अुसकी अेकताकी प्रकट निशानी-हो, 'मेहनत करके रोटी कमाने' की जरूरतका और संगठित हिंसाके खिलाफ—जिस पर आजका समाज टिका हुआ मालूम होता है—संगठित अहिंसाका जीता-जागता प्रतीक हो।

३. अगर गवर्नरको अच्छी तरह काम करना है, तो अुसे लोगोंकी नगाहोंसे बचे अुसे, फिर भी सबकी पहुंचके लायक, छोटेसे मकानमें रहना

चाहिये। ब्रिटिश गवर्नर स्वभावसे ही ब्रिटिश ताकतको दिखाता था। उसके लिये और उसके लोगोंके लिये सुरक्षित महल बनाया गया था — असा महल जिसमें वह और उसके साम्राज्यको टिकाये रखनेवाले उसके सेवक रह सकें। हिन्दुस्तानी गवर्नर राजा-नवाबों और दुनियाके राजदूतोंका स्वागत करनेके लिये थोड़ी शान-शौकतवाली अमारतें रख सकते हैं। गवर्नरके मेहमान बननेवाले लोगोंको उसके व्यक्तित्व और आसपासके वातावरणसे 'ओवन अण्टु दिस लास्ट' (सर्वोदय) — सबके साथ समान बरताव — की सच्ची शिक्षा मिलनी चाहिये। उसके लिये देशी या विदेशी महंगे फर्नीचरकी जरूरत नहीं। 'सादा जीवन और अच्चे विचार' उसका आदर्श होना चाहिये। यह आदर्श सिर्फ उसके दरवाजेकी ही शोभा न बढ़ाये, बल्कि उसके रोजके जीवनमें भी दिखायी दे।

४. उसके लिये न तो किसी रूपमें छुआछूत हो सकती है और न जाति, धर्म या रंगका भेद। हिन्दुस्तानका नागरिक होनेके नाते उसे सारी दुनियाका नागरिक होना चाहिये। हम पढ़ते हैं कि खलीफा अमर अिसी तरह सादगीसे रहते थे, हालांकि उनके कदमों पर लाखों-करोड़ोंकी दौलत लोटती रहती थी। उसी तरह पुराने जमानेमें राजा जनक रहते थे। अिसी सादगीसे अीटनके मुख्याधिकारी, जैसा कि मैंने अुन्हें देखा था, अपने भवनमें ब्रिटिश द्वीपोंके लॉर्ड और नवाबोंके लड़कोंके बीच रहा करते थे। तब क्या करोड़ों भूखोंके देश हिन्दुस्तानके गवर्नर अितनी सादगीसे नहीं रहेंगे?

५. वह जिस प्रान्तका गवर्नर होगा, उसकी भाषा और हिन्दुस्तानी बोलेगा, जो हिन्दुस्तानकी राष्ट्रभाषा है और नागरी या अुर्दू लिपिमें लिखी जाती है। वह न तो संस्कृत शब्दोंसे भरी हुअी हिन्दी है और न फारसी शब्दोंसे लदी हुअी अुर्दू। हिन्दुस्तानी दरअसल वह भाषा है, जिसे विन्ध्या-चलके अुत्तरमें करोड़ों लोग बोलते हैं।

हिन्दुस्तानी गवर्नरमें जो जो गुण होने चाहिये, अुनकी यह पूरी सूची नहीं है। यह तो सिर्फ मिसालके तौर पर दी गयी है।

समाचार-पत्र

समाचार-पत्र सेवाभावसे ही चलाने चाहिये । समाचार-पत्र एक शक्ति है; किन्तु जिस प्रकार निरंकुश पानीका प्रवाह गांवके नाले में जाता है और फसलको नष्ट कर देता है, वुसी प्रकार कलमका प्रवाह भी नाशकी सृष्टि करता है । यदि ऐसा अंकुश बाहरसे लगे, तो वह निरंकुशतासे भी अधिक विपैला सिद्ध होता है । अंकुश ही लाभदायक हो सकता है ।

अदि यह विचारधारा सच हो, तो दुनियाके कितने समाचार-पत्र सौटी पर खरे अुतर सकते हैं? लेकिन निकम्मोंको बन्द कौन कौन किसे निकम्मा समझे? अुपयोगी और निकम्मे दोनों— और बुराईकी तरह — साथ-साथ ही चलते रहेंगे । अुनमें से जो अपना चुनाव करना होगा ।

सकथा, पृ० २४८; १९५७

आधुनिक पत्रकार-कलामें गहराईका अभाव, विषयका कोअी अेक ही अाश करना, तथ्योंके वर्णनमें भूलें और अकसर बेअीमानी आदि जो पा गये हैं, वे अुन अीमानदार व्यक्तियोंको लगातार गुमराह करते हैं अुन न्याय होते देखना चाहते हैं ।

दिल्लिया, १२-५-'२०

मेरे सामने विविध पत्रोंके अैसे अुद्धरण हैं, जिनमें बहुतसी आपत्ति-वाते हैं । अुनमें साम्प्रदायिक भावनाओंको अुभाङ्गनेकी कोशिश है, अुनको अत्यंत गलत ढंगसे पेश किया गया है और हत्याकी हद तक नितिक हिंसाको अुत्तेजना दी गयी है । सरकार चाहे तो अैसे लेखोंके अेंके खिलाफ मुकदमे चला सकती है या अुन्हें रोकनेके लिये दमनकारी कानून पास कर सकती है । लेकिन अिन अुपायोंसे अभीष्ट लक्ष्यकी सिद्धि तो होती नहीं या बहुत अस्थायी तौर पर होती है । और अुन

लेखकोंका मानस-परिवर्तन तो अिनसे कभी नहीं होता। कारण, जब अुन्हें अपनी बातके प्रचारके लिये समाचार-पत्रोंका सबके लिये खुला हुआ स्थान नहीं मिलता, तो वे अकसर गुप्त प्रचारका आश्रय लेते हैं।

अिस बुराअीका सच्चा अिलाज तो अैसे स्वस्थ लोकमतका निर्माण है, जो अिस किस्मके जहरीले पत्रोंको आश्रय देनेसे अिनकार कर दे। हमारा पत्रकारोंका अपना संघ है। अिस संघको अपना अेक अैसा विभाग क्यों नहीं खोलना चाहिये, जो सब पत्रोंको ध्यानसे पढ़े, आपत्ति-जनक लेखोंको ढूँढ निकाले और अुन्हें अुन पत्रोंके सम्पादकोंकी नजरमें लाये? अिस विभागका कार्य अपराधी पत्रोंसे सम्पर्क स्थापित करने तक और जहां अभीष्ट सुधार अिस सम्पर्कसे सिद्ध न किया जा सके, वहां अुन आपत्तिजनक लेखोंकी सार्वजनिक आलोचना करने तक सीमित रहे। समाचार-पत्रोंकी स्वतंत्रता अैसा कीमती अधिकार है जिसे कोअी भी देश छोड़ना नहीं चाहेगा। लेकिन अिस अधिकारके दुरुपयोगको रोकनेके लिये मामूली प्रकारकी कानूनी रोकके सिवा कोअी दूसरी कानूनी रोक न हो, तो मैंने जैसी आन्तरिक रोक सुझाअी है, वैसी आन्तरिक रोक असंभव नहीं होनी चाहिये। और वह लगायी जाय तब अुसका विरोध नहीं होना चाहिये।

यंग अिडिया, २८-५-'३१

मैं अवश्य ही यह मानता हूँ कि अनीतिसे भरे हुअे विज्ञापनोंकी मददसे समाचार-पत्रोंको चलाना अुचित नहीं है। मैं यह भी मानता हूँ कि विज्ञापन यदि लेने ही हों तो अुन पर समाचार-पत्रोंके मालिकों और संपादकोंकी तरफसे बड़ी सख्त चौकीदारी होना आवश्यक है और केवल शुद्ध और पवित्र विज्ञापन ही लिये जाने चाहिये। . . . आज अच्छे प्रतिष्ठित गिने जानेवाले समाचार-पत्रों और मासिकों पर भी यह दूषित विज्ञापनोंका अनिष्ट हावी हो रहा है। यह अनिष्ट तो समाचार-पत्रोंके मालिकों और संपादकोंकी विवेक-बुद्धिको शुद्ध करके ही दूर किया जा सकता है। मेरे जैसे नौसिखुवे संपादकके प्रभावसे यह शुद्धि नहीं हो सकती। लेकिन जब अुनकी विवेक-बुद्धि अिस बढ़नेवाले अनिष्टके प्रति जाग्रत होगी, अथवा जब राष्ट्रका शुद्ध प्रतिनिधित्व करनेवाला और राष्ट्रकी नैतिकता पर सदा

व्यान रखनेवाला राज्यतंत्र अुस विवेक-बुद्धिको जाग्रत करेगा तभी वह जाग्रत हो सकेगी।

हिन्दी नवजीवन, १-४-'२६

मेरा आग्रह है कि विज्ञापनोंमें सत्यका यथेष्ट व्यान रखा जाना चाहिये। हमारे लोगोंकी अेक आदत यह है कि वे पुस्तक या अखबारमें छपे हुअे शब्दोंको शास्त्र-वचनोंकी तरह सत्य मान लेते हैं। जिसलिअे विज्ञापनोंकी सामग्री तैयार करनेमें अत्यंत सावधानी बरतनेकी जरूरत है। झूठी बातें बहुत खतरनाक होती हैं।

हरिजन, २४-८-'३५

६९

शान्तिसेना

कुछ समय पहले मैंने अेक अैसे स्वयंसेवकोंकी सेना बनानेकी तजवीज रखी थी जो दंगों, खासकर साम्प्रदायिक दंगोंको शान्त करनेमें अपने प्राणों तककी बाजी लगा दें। विचार यह था कि यह सेना पुलिसका 'ही नहीं बल्कि फौज तकका स्यान ले लेगी। यह बात बड़ी महत्वाकांक्षावाली मालूम पड़ती है। शायद यह असंभव भी साबित हो। फिर भी, अगर कांग्रेसको अपनी अहिंसात्मक लड़ाईमें कामयाबी हासिल करनी हो, तो अुसे परिस्थितियोंका शान्तिपूर्वक मुकाबला करनेकी अपनी शक्ति बढ़ानी ही चाहिये।

जिसलिअे हमें देखना चाहिये कि जिस शान्तिसेनाकी हमने कल्पना की है, अुसके सदस्योंकी क्या योग्यतायें होनी चाहिये :

(१) शान्तिसेनाका सदस्य पुरुष हो या स्त्री, अहिंसामें अुसका जीवित विश्वास होना चाहिये। यह तभी संभव है जब कि अीश्वरमें अुसका जीवित विश्वास हो। अहिंसक व्यक्ति तो अीश्वरकी कृपा और शक्तिके बगैर कुछ कर ही नहीं सकता। जिसके बिना अुसमें क्रोध, भय और बदलेकी भावना न रखते हुअे मरनेका साहस नहीं होगा। असा

साहस तो जिस श्रद्धासे आता है कि सबके हृदयोंमें श्रीश्वरका निवास है, और श्रीश्वरकी अपस्थितिमें किसी भी भयकी जरूरत नहीं। श्रीश्वरकी सर्व-व्यापकताके ज्ञानका यह भी अर्थ है कि जिन्हें विरोधी या गुंडे कहा जा सकता हो उनके प्राणों तकका हम खयाल रखें। यह अिरादतन दस्तन्दाजी अुस समय मनुष्यके क्रोधको शान्त करनेका अेक तरीका है, जब कि अुसके अन्दरका पशुभाव अुस पर हावी हो जाय।

(२) शान्तिके अिस दूतमें दुनियाके सभी खास-खास धर्मोंके प्रति समान श्रद्धा होना जरूरी है। अिस प्रकार अगर वह हिन्दू हो तो वह हिन्दुस्तानमें प्रचलित अन्य धर्मोंका आदर करेगा। अिसलिअे देशमें माने जानेवाले विभिन्न धर्मोंके सामान्य सिद्धान्तोंका अुसे ज्ञान होना चाहिये।

(३) आम तौर पर शान्तिका यह काम केवल स्थानीय लोगों द्वारा अपनी वस्तियोंमें हो सकता है।

(४) यह काम अकेले या समूहोंमें हो सकता है। अिसलिअे किसीको संगी-साथियोंके लिअे अिन्तजार करनेकी जरूरत नहीं है। फिर भी आदमी स्वभावतः अपनी वस्तीमें से कुछ साथियोंको ढूंढकर स्थानीय सेनाका निर्माण करेगा।

(५) शान्तिका यह दूत व्यक्तिगत सेवा द्वारा अपनी वस्ती या किन्नी चुने हुअे क्षेत्रमें लोगोंके साथ अैसा संबंध स्थापित करेगा, जिससे जब अुसे भद्दी स्थितियोंमें काम करना पड़े तो अपद्रवियोंके लिअे वह विलकुल अैसा अजनवी न हो, जिस पर वे शक करें या जो अुन्हें नागवार मालूम पड़े।

(६) यह कहनेकी तो जरूरत ही नहीं कि शान्तिके लिअे काम करनेवालेका चरित्र अैसा होना चाहिये, जिस पर कोअी अंगुली न अुठा सके और वह अपनी निष्पक्षताके लिअे मशहूर हो।

(७) आम तौर पर दंगोंसे पहले तूफान आनेकी चेतावनी मिल जाया करती है। अगर अैसे आसार दिखाअी दें तो शान्तिसेना आग भड़क अुठने तक अिन्तजार न करके तभीसे परिस्थितिको संभालनेका काम शुरू कर देगी जबसे कि अुसकी संभावना दिखाअी दे।

(८) अगर यह आन्दोलन बढ़े तो कुछ पूरे समय काम करनेवाले कार्यकर्ताओंका जिसके लिये रहना अच्छा होगा। लेकिन यह विलकुल जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। खयाल यह है कि जितने भी अच्छे स्त्री-पुरुष मिल सकें अतने रखे जायं। लेकिन वे तभी मिल सकते हैं जब कि स्वयंसेवक ऐसे लोगोंमें से प्राप्त हों जो जीवनके विविध कार्योंमें लगे हुये हों, पर उनके पास बितना अवकाश हो कि अपने बिलकाओंमें रहनेवाले लोगोंके साथ वे मित्रताके सम्बन्ध पैदा कर सकें तथा उन सब योग्यताओंको रखते हों जो कि शान्तिसेनाके सदस्यमें होनी चाहिये।

(९) जिस सेनाके सदस्योंकी एक खास पांशाक होनी चाहिये, जिससे कालांतरमें अन्हें बिना किसी कठिनाईके पहचाना जा सके।

ये सिर्फ आम सूचनायें हैं। जिनके आधार पर हरएक केन्द्र अपना विधान बना सकता है।

हरिजनसेवक, १८-६-'३८

बड़े-बड़े दलोंको चलानेके लिये सजा नहीं, तो सजाका डर होना चाहिये और जरूरत मालूम होने पर सजा दी भी जानी चाहिये। जैसे हिंसक दलमें आदमीके चाल-चलनको नहीं देखा जाता। अुसके कद और डीलडौलको ही देखा जाता है। अहिंसक दलमें जिससे ठीक अुलटा होता है। अुसमें शरीरकी जगह गांण होती है, शरीरी ही सब कुछ होता है यानी चरित्र सब कुछ होता है। जैसे चरित्रवान व्यक्तिको पहचानना मुश्किल है। जिसलिये बड़े-बड़े शान्तिदल स्थापित नहीं किये जा सकते। वे छोटे ही होंगे। जगह-जगह होंगे, हर गांव या हर मुहल्लेमें होंगे। मतलब यह कि जो जाने-पहचाने लोग हैं, अुन्हींकी टुकड़ियां बनेंगी। वे मिलकर अपना एक मुखिया चुन लेंगे। सबका दरजा बराबर होगा। जहां अेकसे ज्यादा आदमी अेक ही तरहका काम करते हैं वहां अुनमें अेकाग्र असा होना चाहिये, जिसकी आज्ञाके अनुसार सब कोई चल सकें। असा न हो तो मेलजोलके साथ, सहयोगसे, काम नहीं हो सकता। दो या दोसे ज्यादा लोग अपनी-अपनी मरजीसे काम करें, तो मुमकिन है कि अुनके कामकी दिशा अेक-दूसरेसे अुलटी हो। जिसलिये जहां दो या दोसे ज्यादा दल हों, वहां वे हिलमिल कर काम करें तभी काम चल सकता है और

अुसमें कामयाबी हो सकती है । जिस तरहके शान्तिदल जगह-जगह हों, तो वे आरामसे और आसानीसे दंगा-फसादको रोक सकते हैं । जैसे दलोंको अखाड़ोंमें दी जानेवाली सभी तरहकी तालीम देना जरूरी नहीं । अुनमें दी जानेवाली कुछ तालीम लेना जरूरी हो सकता है ।

सब शान्तिदलोंके लिये एक चीज आम यानी सामान्य होनी चाहिये । शान्तिदलके हरएक सदस्यका अीश्वरमें अटल विश्वास होना चाहिये । अुसमें यह श्रद्धा होनी चाहिये कि अीश्वर ही सच्चा साथी है और वही सबका सरजनहार है, कर्ता है । अिसके बिना जो शान्तिसेनायें बनेंगी मेरे खयालमें वे बेजान होंगी । अीश्वरको आप किसी भी नामसे पुकारें, मगर अुसकी शक्तिका अुपयोग तो आपको करना ही है । अैसा आंदमी किसीको मारेगा नहीं, बल्कि खुद मरकर मृत्यु पर विजय पायेगा और जी जायेगा ।

जिस आदमीके लिये यह कानून एक जीती-जागती चीज बन जायगा, अुसको समयके अनुसार बुद्धि भी अपने-आप सूझती रहेगी ।

फिर भी अपने तजरवेसे मैं यहां कुछ नियम देता हूं :

१. सेवक अपने साथ कोई भी हथियार न रखे ।
२. वह अपने वदन पर कोई अैसी निशानी रखे, जिससे फौरन पता चले कि वह शान्तिदलका सदस्य है ।
३. सेवकके पास घायलों वगैराकी सार-संभालके लिये तुरत काम देनेवाली चीजें रहनी चाहिये । जैसे, पट्टी, कैंची, छोटा चाकू, सुअी वगैरा ।
४. सेवकको अैसी तालीम मिलनी चाहिये, जिससे वह घायलोंको आसानीसे अुठाकर ले जा सके ।
५. जलती आगको बुझानेकी, बिना जले या बिना झुलसे आगवाली जगहोंमें जानेकी, अूपर चढ़नेकी और अुतरनेकी कला सेवकमें होनी चाहिये ।
५. अपने मुहल्लेके सब लोगोंसे अुसकी अच्छी जान-पहचान होनी चाहिये । यह खुद ही अपने-आपमें एक सेवा है ।
७. अुसे मन ही मन रामनामका वरावर जप करते रहना चाहिये और अिसमें माननेवाले दूसरोंको भी जैसा करनेके लिये समझाना चाहिये ।

कुछ लोग आलस्यकी वजहसे या झूठी आदतकी वजहसे यह मान बैठते हैं कि आश्वर तो है ही और वह बिना मांगे मदद करता है, फिर उसका नाम रटनेसे क्या फायदा? हम आश्वरकी हस्तीको कबूल करें या न करें, जिससे उसकी हस्तीमें कोयी कमी-वैशी नहीं होती यह सच है। फिर भी उस हस्तीका अुपयोग तो अम्यासी ही कर पाता है। हरअेक भौतिक शास्त्रके लिये यह बात सँ फीसदी सच है, तो फिर अव्यात्मके लिये तो यह उससे भी ज्यादा सच होनी चाहिये। फिर भी हम देखते हैं कि जिस मामलेमें हम तोतेकी तरह रामनाम रटते हैं और फलकी आशा रखते हैं। सेवकमें जिस सचायीको अपने जीवनमें सिद्ध करनेकी ताकत होनी चाहिये।

हरिजनसेवक, ५-५-'४६

गुंडे

गुंडोंको दोष देना गलत है। वे तब तक कोयी शरारत नहीं कर सकते, जब तक कि हम उनके लिये अनुकूल वातावरण नहीं पैदा कर दें। सन् १९२१ में बम्बयीमें ब्रिटिश युवराजके आगमन-दिन पर जो कुछ हुआ, वह सब मैंने खुद देखा था। उसका बीज हमने ही बोया था, गुंडोंने तो उसकी फसल काटी। उनके पीछे बल हमारा ही था। . . . हमें प्रतिष्ठित वर्गको दोषारोपणसे बचानेकी आदत छोड़ देना चाहिये। . . . बनियों और ब्राह्मणोंको, यदि अहिंसासे नहीं तो हिंसासे सही, अपनी रक्षा करना सीख लेना चाहिये। अगर वे अैसा नहीं करेंगे तो उन्हें अपनी स्त्रियों और अपनी धन-सम्पत्तिको गुंडोंके हवाले करना पड़ेगा। गुंडोंकी असलमें — उन्हें हिन्दू कहा जाता हो या मुसलमान — अेक अलग जाति है।

यंग बिडिया, २९-५-'२४

कायरताका अिलाज शारीरिक तालीममें नहीं, बल्कि जो भी खतरे आयें उनका मुकाबला बहादुरीके साथ करनेमें है। जब तक मध्यम वर्गके हिन्दू, जो खुद डरपोक होते हैं, ज्यादा लाड़-प्यारके द्वारा अपने जवान लड़कों-बच्चोंको नाजुक बनाना और जिस तरह अपना डरपोकपन उनमें

भरना जारी रखते हैं, तब तक अुनमें खतरा टालने और किसी भी तरहके जोखिमसे बचनेकी जो वृत्ति पायी जाती है वह भी जारी रहेगी। इसलिये अुन्हें अपने लड़कोंको अकेला छोड़नेका साहस करना चाहिये; अुन्हें खतरेमें पड़ने देना चाहिये और अैसा करते हुअे यदि वे मर जाते हैं तो मर जाने देना चाहिये। शरीरसे कमजोर किसी वीने आदमीमें भी शेरका दिल हो सकता है। और बहुत हट्टे-कट्टे जुलू भी अंग्रेज लड़कोंके सामने कांपने लग जाते हैं। हरअेक गांवको अपनी बस्तीमें से अैसे शेरदिल व्यक्ति ढूंढ निकालना चाहिये।

यंग अिडिया, २९-५-'२४

जिन लोगोंको गुंडा माना जाता है अुनसे हमें जान-पहचान करनी चाहिये। शान्तिका साधक अपने आसपास समाजके किसी अंगको अैसे रहने नहीं देगा। सबके साथ मीठा संबंध बांधेगा, सबकी सेवा करेगा। गुंडे लोग आकाशसे तो नहीं अुतरते। भूतकी तरह जमीनके पेटमें से भी नहीं निकलते। अुनकी अुत्पत्ति समाजकी कुव्यवस्थासे ही होती है। इसलिये समाज अुसके लिये जिम्मेदार है। गुंडोंको समाजका वीमार या अेक प्रकारका दूषित अंग समझना चाहिये। अैसा मानकर अुस वीमारीके कारण ढूंढने चाहिये। कारण हाथ लगने पर बादमें अिलाज किया जा सकता है। अब तक तो अिस दिशामें प्रयत्न तक नहीं किया गया। 'जागे तभी सवेरा' अिस सुभाषितके अनुसार यह प्रयत्न अब शुरू कर देना चाहिये। अिस वारेमें अब कोशिश शुरू हो गयी है। सब अपनी अपनी जगह कोशिश करें। अैसी कोशिशोंकी सफलतामें ही अिस सवालका जवाब समाया हुआ है।

हरिजनसेवक, १४-९-'४०

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

ब्रिण्डियन नेशनल कांग्रेस देशकी सबसे पुरानी राष्ट्रीय राजनीतिक संस्था है। उसने कभी अहिंसक लड़ावियोंके बाद आजादी हासिल की है। उसे मरने नहीं दिया जा सकता। उसका खात्मा सिर्फ तभी हो सकता है जब राष्ट्रका खात्मा हो। एक जीवित संस्था या तो जीवित प्राणीकी तरह लगातार बढ़ती रहती है या मर जाती है। कांग्रेसने राजनीतिक आजादी तो हासिल कर ली है, मगर उसे अभी आर्थिक आजादी, सामाजिक आजादी और नैतिक आजादी हासिल करनी है। ये आजादियां चूँकि रचनात्मक हैं और बढ़कीली नहीं हैं, जिसलिये जिन्हें हासिल करना राजनीतिक आजादीसे ज्यादा मुश्किल है। जीवनके सारे पहलुओंको अपनेमें समा लेनेवाला रचनात्मक काम करोड़ों जनताके सारे अंगोंकी शक्तको जगाता है।

कांग्रेसको उसकी आजादीका प्रारंभिक और जहरी हिस्सा मिल गया है। लेकिन उसकी सबसे कठिन मंजिल आना अभी बाकी है। प्रजातंत्रीय व्यवस्था कायम करनेके अपने मुश्किल मकसद तक पहुंचनेमें उसने अनिवार्य रूपसे दलबन्दी करनेवाले गन्दे पानीके गड़हों-जैसे मंडल खड़े किये हैं, जिनमें घूसखोरी और बेअमानि फैली है और ऐसी संस्थायें पैदा हुयी हैं, जो नामकी ही लोकप्रिय और प्रजातंत्री हैं। बिन सब बुरावियोंके जंगलसे बाहर कैसे निकला जाय ?

कांग्रेसको सबसे पहले अपने मेम्बरोंके उस खास रजिस्टरको अलग हटा देना चाहिये, जिसमें मेम्बरोंकी तादाद कभी भी एक करोड़से आगे नहीं बढ़ी और तब भी जिन्हें आसानीसे शनाख्त नहीं किया जा सकता था। उसके पास ऐसे करोड़ोंका एक अज्ञात रजिस्टर बितना बड़ा होना चाहिये कि देशके मतदाताओंकी सूचीमें जितने पुरुषों और स्त्रियोंके नाम हैं वे सब उसमें आ जायें। कांग्रेसका काम यह देखना होना चाहिये कि कोसी वनावटी नाम उसमें शामिल न हो जाय और कोसी जायज

नाम छूट न जाय । अुसके अपने रजिस्टरमें अुन सेवकोंके नाम रहेंगे, जो समय समय पर अुनको दिया हुआ काम करते रहेंगे ।

देशके दुर्भाग्यसे अैसे कार्यकर्ता फिलहाल खास तौर पर शहरवालोंमें से ही लिये जावेंगे, जिनमें से ज्यादातरको देहातोंके लिये और देहातोंमें काम करनेकी जरूरत होगी । मगर अिस श्रेणीमें ज्यादा और ज्यादा तादादमें देहाती लोग ही भरती किये जाने चाहिये ।

अिन सेवकोंसे यह अपेक्षा रखी जायगी कि वे अपने-अपने हलकोंमें कानूनके मुताबिक रजिस्टरमें दर्ज किये गये मतदाताओंके बीच काम करके अुन पर अपना प्रभाव डालेंगे और अुनकी सेवा करेंगे । कभी व्यक्ति और पार्टियां अिन मतदाताओंको अपने पक्षमें करना चाहेंगी । जो सबसे अच्छे होंगे अुन्हींकी जीत होगी । अिसके सिवा और कोभी दूसरा रास्ता नहीं है, जिससे कांग्रेस देशमें तेजीसे गिरती हुअी अपनी पहलेकी अनुपम स्थितिको फिरसे हासिल कर सके । अभी तक कांग्रेस बेजाने देशकी सेविका थी । वह खुदाजी खिदमतगार थी — भगवानकी सेविका थी । अब वह अपने आपसे और दुनियासे कहे कि वह सिर्फ भगवानकी सेविका है — न अिससे ज्यादा है, न कम । अगर वह सत्ता हड़पनेके व्यर्थके झगड़ोंमें पड़ती है तो अेक दिन वह देखेगी कि वह कहीं नहीं है । भगवानको धन्यवाद है कि अब वह जनसेवाके क्षेत्रकी अेकमात्र स्वामिनी नहीं रही ।

मैंने सिर्फ दूरका दृश्य आपके सामने रखा है । अगर मुझे वक्त मिला और मेरा स्वास्थ्य ठीक रहा तो मैं अिन कालमोंमें यह चर्चा करनेकी अुम्मीद करता हूं कि अपने मालिकों — सारे वालिग पुरुषों और स्त्रियोंकी — नजरोंमें अपनेको अूँचा अुठानेके लिये देशसेवक क्या कर सकते हैं ।

हरिजनसेवक, १-२-'४८

गांधीजीका आखिरी वसीयतनामा

[कांग्रेसके नये विधानका नीचे दिया जा रहा मसविदा गांधीजीने २९ जनवरी, १९४८ को अपनी मृत्युके अेक ही दिन पहले बनाया था । यह अुनका अन्तिम लेख था । अिसलिये अिसे अुनका आखिरी वसीयतनामा कहा जा सकता है ।]

देशका वंटवारा होते हुअे भी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा मुहैया किये गये साधनोंके जरिये हिन्दुस्तानको आजादी मिल जानेके कारण मौजूदा स्वरूपवाली कांग्रेसका काम अब खतम हुआ — यानी प्रचारके वाहन और धारासभाकी प्रवृत्ति चलानेवाले तंत्रके नाते अुसकी अुपयोगिता अब समाप्त हो गयी है। शहरों और क़सबोंसे भिन्न अुसके सात लाख गांवोंकी दृष्टिसे हिन्दुस्तानकी सामाजिक, नैतिक और आर्थिक आजादी हासिल करना अभी बाकी है। लोकशाहीके मुक़सदकी तरफ हिन्दुस्तानकी प्रगतिके दरमियात फौजी सत्ता पर मुल्की सत्ताको प्रधानता देनेकी लड़ायी अनिवार्य है। कांग्रेसको हमें राजनीतिक पार्टियों और साम्प्रदायिक संस्थाओंके साथकी गन्दी होइसे बचाना चाहिये। अिन और अैसे ही दूसरे कारणोंसे अखिल भारत कांग्रेस कमेटी नीचे दिये हुअे नियमोंके मुताबिक अपनी मौजूदा संस्थाको तोड़ने और लोक-सेवक-संघके रूपमें प्रकट होनेका निश्चय करे। जरूरतके मुताबिक अिन नियमोंमें फेरफार करनेका अिस संघको अधिकार रहेगा।

गांववाले या गांववालोंके जैसी मनोवृत्तिवाले पांच वयस्क पुरुषों या स्त्रियोंकी बनी हुयी हरअेक पंचायत अेक अिकायी बनेगी।

पास-पासकी अैसी हर दो पंचायतोंकी, अुन्हींमें से चुने हुअे अेक नेताकी रहनुमायीमें, अेक काम करनेवाली पार्टी बनेगी।

जब अैसी १०० पंचायतें बन जायं, तब पहले दरजेके पचास नेता अपनेमें से दूसरे दरजेका अेक नेता चुनें और अिस तरह पहले दरजेका नेता दूसरे दरजेके नेताके मातहत काम करे। दो सौ पंचायतोंके अैसे जोड़ कायम करना तब तक जारी रखा जाय, जब तक कि वे पूरे हिन्दुस्तानको न ढंक लें। और बादमें कायम की गयी पंचायतोंका हरअेक समूह पहलेकी तरह दूसरे दरजेका नेता चुनता जाय। दूसरे दरजेके नेता सारे हिन्दुस्तानके लिये सम्मिलित रीतिसे काम करें और अपने अपने प्रदेशोंमें अलग अलग काम करें। जब जरूरत महसूस हो तब दूसरे दरजेके नेता अपनेमें से अेक मुखिया चुनें, और वह मुखिया चुननेवाले चाहें तब तक सब समूहोंको व्यवस्थित करके अुनकी रहनुमायी करे।

(प्रान्तों या जिलोंकी अन्तिम रचना अभी तय न होनेसे सेवकोंके अिस समूहको प्रान्तीय या जिला समितियोंमें बांटनेकी कोशिश नहीं की

गयी है। और, किसी भी वक्त बनाये हुअे समूह या समूहोंको सारे हिन्दुस्तानमें काम करनेका अधिकार रहेगा। यह याद रखा जाय कि सेवकोंके अिस समुदायको अधिकार या सत्ता अपने अुन स्वामियोंसे यानी सारे हिन्दुस्तानकी प्रजासे मिलती है, जिसकी अुन्होंने अपनी अिच्छासे और होशियारीसे सेवा की है।)

१. हरअेक सेवक अपने हाथ-कते सूतकी या चरखा-संघ द्वारा प्रमाणित खादी हमेशा पहननेवाला और नशीली चीजोंसे दूर रहनेवाला होना चाहिये। अगर वह हिन्दू है तो अुसे अपनेमें से और अपने परिवारमें से हर किस्मकी छुआछूत दूर करनी चाहिये और जातियोंके बीच अेकताके, सब धर्मोंके प्रति समभावके और जाति, धर्म या स्त्री-पुरुषके किसी भेदभावके बिना सबके लिये समान अवसर और समान दरजेके आदर्शमें विश्वास रखनेवाला होना चाहिये।

२. अपने कार्यक्षेत्रमें अुसे हरअेक गांववालेके निजी संसर्गमें रहना चाहिये।

३. गांववालोंमें से वह कार्यकर्ता चुनेगा और अुन्हें तालीम देगा। अिन सबका वह रजिस्टर रखेगा।

४. वह अपने रोजानाके कामका रेकार्ड रखेगा।

५. वह गांवोंको अिस तरह संगठित करेगा कि वे अपनी खेती और गृह-अुद्योगों द्वारा स्वयंपूर्ण और स्वावलम्बी बनें।

६. गांववालोंको वह सफाई और तन्दुरुस्तीकी तालीम देगा और अुनकी बीमारी व रोगोंको रोकनेके लिये सारे अुपाय काममें लायेगा।

७. हिन्दुस्तानी तालीमी संघकी नीतिके मुताबिक नयी तालीमके आधार पर वह गांववालोंकी पैदा होनेसे मरने तककी सारी शिक्षाका प्रबंध करेगा।

८. जिनके नाम मतदाताओंकी सरकारी यादीमें न आ पाये हों, अुनके नाम वह अुसमें दर्ज करायेगा।

९. जिन्होंने मत देनेके अधिकारके लिये जरूरी योग्यता हासिल न की हो, अुन्हें वह योग्यता हासिल करनेके लिये प्रोत्साहन देगा।

१०. ऊपर बताये हुअे और समय-समय पर बढ़ाये हुअे अुद्देश्योंको पूरा करनेके लिये, योग्य कर्तव्य पालन करनेकी दृष्टिसे, संघके द्वारा तैयार किये गये नियमोंके अनुसार वह स्वयं तालीम लेगा और योग्य बनेगा।

संघ नीचेकी स्वाधीन संस्थानोंको मान्यता देगा :

१. अखिल भारत चरखा-संघ
२. अखिल भारत ग्रामोद्योग-संघ
३. हिन्दुस्तानी तालीमी संघ
४. हरिजन-सेवक-संघ
५. गोसेवा-संघ

संघ अपना मकसद पूरा करनेके लिये गांववालोंसे और दूसरोंसे चंदा लेगा। गरीब लोगोंका पैसा अिकट्टा करने पर खास जोर दिया जायगा।

हरिजनसेवक, २२-२-'४८

७१

भारत, पाकिस्तान और काश्मीर

हमारे देशकी बदकिस्मतीसे हिन्दुस्तान और पाकिस्तान नामसे जो दो टुकड़े हुअे, अुसमें धर्मको ही कारण बताया गया है। अुसके पीछे आर्थिक और दूसरे कारण भले रहे हों, मगर अुनकी वजहसे यह बंट-वारा नहीं हुआ होता। आज हवामें जो जहर फैला हुआ है, वह भी अुन्हीं साम्प्रदायिक कारणोंसे पैदा हुआ है। धर्मके नाम पर लूट-मार होती है, अधर्म होता है। अँसा न हुआ होता तो अच्छा होता, अँसा कहना अच्छा तो लगता है। मगर अिससे हकीकतको बदला नहीं जा सकता।

वह सवाल कभी वार पूछा गया है कि दोनोंके बीच लड़ायी होने पर क्या पाकिस्तानके हिन्दू हिन्दुस्तानके हिन्दुओंके साथ और हिन्दुस्तानके मुसलमान पाकिस्तानके मुसलमानोंके साथ लड़ेंगे? मैं मानता हूँ कि ऊपर बतलायी हुयी हालतमें वे जरूर लड़ेंगे। मुसलमानोंकी

वफादारीके वचनों पर भरोसा करनेमें जितना खतरा है, उसके वजाय भरोसा न करनेमें ज्यादा खतरा है। भरोसा करनेमें भूल हो और खतरेका सामना करना पड़े, तो बहादुरोंके लिये यह एक मामूली बात होगी।

मौजूं ढंग पर इस सवालको दूसरी तरहसे यों रखा जा सकता है कि क्या सत्य और न्यायके खातिर हिन्दू हिन्दूके खिलाफ और मुसलमान मुसलमानके खिलाफ लड़ेगा? इसका जवाब एक अलुट-सवाल पूछकर यह दिया जा सकता है कि क्या अतिहासमें ऐसे अुदाहरण नहीं मिलते?

इस सवालको हल करनेमें सबसे बड़ी अुलझन यह है कि सत्यकी दोनों ही राज्योंमें अुपेक्षा की गयी है। मानो सत्यकी कोअी कीमत ही न हो। अैसी विषम स्थितिमें भी हम अुम्मीद करें कि सत्य पर अटल श्रद्धा रखनेवाले कुछ लोग हमारे देशमें जरूर हैं।

हरिजनसेवक, २६-१०-'४७

धर्मके नाम पर पाकिस्तान कायम हुआ। इसलिये उसको सब तरहसे पाक और साफ रहना चाहिये। गलतियां दोनों तरफ काफी हुईं। मगर क्या अब भी हम गलतियां करते ही रहें? अगर हम दोनों लड़ेंगे तो दोनों तीसरी ताकतके हाथमें चले जायेंगे। इससे बुरी बात और क्या होगी?

दिल्ली-डायरी, पृ० ३२२

अगर (हिन्दुस्तान और पाकिस्तानके बीच) लड़ायी छिड़ जाय, तो पाकिस्तानके हिन्दू वहां पांचवीं कतारवाले नहीं बन सकते। कोअी भी इसे वरदास्त नहीं करेगा। अगर वे पाकिस्तानके प्रति वफादार नहीं हैं, तो उनको पाकिस्तान छोड़ देना चाहिये। अिसी तरह जो मुसलमान पाकिस्तानके प्रति वफादार हैं, उन्हें हिन्दुस्तानी संघमें नहीं रहना चाहिये। सरकारका फर्ज है कि वह हिन्दुओं और सिक्खोंके लिये अिन्साफ हासिल करे। जनता सरकारसे अपना मनचाहा करा सकती है। . . . मुसलमान लोग यह कहते सुने जाते हैं कि 'हंसके लिये पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिन्दुस्तान'। . . . कुछ मुसलमान सारे हिन्दुस्तानको मुसलमान बनानेकी बात सोच रहे हैं। यह काम लड़ायीके जरिये

कभी नहीं हो सकेगा। पाकिस्तान हिन्दू धर्मको कभी बरवाद नहीं कर सकेगा। सिर्फ हिन्दू ही अपने आपको और अपने धर्मको बरवाद कर सकते हैं। विसी तरह अगर पाकिस्तान बरवाद हुआ, तो वह पाकिस्तानके मुसलमानों द्वारा ही बरवाद होगा, हिन्दुस्तानके हिन्दुओं द्वारा नहीं।

दिल्ली-डायरी, पृ० ४३-४४

दोनों राज्योंके लिये ठीक-ठीक समझौता करनेका आम रास्ता यह है कि दोनों राज्य साफ दिलसे अपना पूरा पूरा दोष स्वीकार करें और समझौता कर लें। अगर दोनोंमें कोई समझौता न हो सके, तो वे सामान्य तरीकेसे पंच-फैसलेका सहारा लें। जिससे दूसरा और जंगली रास्ता लड़ायीका है।...लेकिन आपसी समझौते या पंच-फैसलेके अभावमें लड़ायीके सिवा कोई चारा नहीं रह जायगा। जिस बीच...जिन मुसलमानोंने अपनी खिच्छासे पाकिस्तान जानेका चुनाव नहीं किया है, उन्हें उनके पड़ोसी सुरक्षा या सलामतीके पक्के विश्वासके साथ अपने घरोंको लौट आनेके लिये कहेंगे। यह काम फाँजकी मददसे नहीं किया जा सकता। यह तो लोगोंके समझदार बननेसे ही हो सकता है।

दिल्ली-डायरी, पृ० २०

हिन्दुस्तानसे हरखेक मुसलमानको भगाने और पाकिस्तानसे हरखेक हिन्दू और सिक्खको भगानेका नतीजा यह होगा कि दोनों उपनिवेशोंमें लड़ायी होगी और देश हमेशाके लिये बरवाद हो जायगा। अगर दोनों उपनिवेशोंमें यह आत्मघाती नीति बरती गयी, तो अन्तसे पाकिस्तान और हिन्दुस्तान दोनोंमें अिस्लाम और हिन्दू धर्मका नाश हो जायगा। भलायी सिर्फ भलायीसे ही पैदा होती है। प्यारसे प्यार पैदा होता है। जहां तक बदला लेनेकी बात है, जिन्सानको यही शोभा देता है कि वह बुरागी करनेवालेको भगवानके हाथमें छोड़ दे।

दिल्ली-डायरी, पृ० २८

हिन्दुस्तानका, हिन्दू धर्मका, सिक्ख धर्मका और अिस्लामका बेवस बनकर नाश होते देखनेके वनिस्वत मृत्यु मेरे लिये सुन्दर रिहायी होगी।

अगर पाकिस्तानमें दुनियाके सब धर्मोंके लोगोंको समान हक न मिलें, अुनकी जान और माल सुरक्षित न रहें और यूनियन भी पाकिस्तानकी नकल करे, तो दोनोंका नाश निश्चित है। अुस हालतमें अिस्लामका तो हिन्दुस्तान और पाकिस्तानमें ही नाश होगा—बाकी दुनियामें नहीं; मगर हिन्दू धर्म और सिक्ख धर्म तो हिन्दुस्तानके बाहर हैं ही नहीं।

दिल्ली-डायरी, पृ० ३४७

बहुमतवाले लोग अगर अल्पमतवालोंको अिस डरसे मार-डालें या यूनियनसे निकाल दें कि वे सब दगावाज सावित होंगे, तो यह बहुमतवालोंकी वुजदिली होगी। अल्पमतके हकोंका सावधानीसे खयाल रखना ही बहुमतवालोंकी शोभा देता है। जो बहुमतवाले अल्पमतवालोंकी परवाह नहीं करते वे हंसीके पात्र बनते हैं। पक्का आत्म-विश्वास और अपने नामधारी या सच्चे विरोधीमें बहादुरीभरा विश्वास ही बहुमतवालोंका सच्चा बचाव है।

दिल्ली-डायरी, पृ० ३३

जो यह महसूस करते हैं कि पाकिस्तानसे अुन्हें निकाल दिया गया है, अुन्हें यह जानना चाहिये कि वे सारे हिन्दुस्तानके नागरिक हैं, न कि सिर्फ पंजाव, सरहदी सूबे या सिन्धके। शर्त यह है कि वे जहां कहीं जायें, वहांके रहनेवालोंमें दूधमें शक्करकी तरह घुलमिल जायं। अुन्हें मेहनती बनना और अपने व्यवहारमें अीमानदार रहना चाहिये। अुन्हें यह महसूस करना चाहिये कि वे हिन्दुस्तानकी सेवा करने और अुसके यशको बढ़ानेके लिये पैदा हुअे हैं, न कि अुसके नाम पर कालिख पोतने या अुसे दुनियाकी आंखोंसे गिरानेके लिये। अुन्हें अपना समय जुआ खेलने, शराब पीने या आपसी लड़ाअी-झगड़ेमें बरबाद नहीं करना चाहिये। गलती करना अिन्सानका स्वभाव है। लेकिन अिन्सानको गलतियोंसे सबक सीखने और दुवारा गलती न करनेकी ताकत भी दी गअी है। अगर शरणार्थी मेरी सलाह मानेंगे, तो वे जहां कहीं भी जायेंगे वहां फायदेमन्द सावित होंगे और हर सूबेके लोग खुले दिलसे अुनका स्वागत करेंगे।

दिल्ली-डायरी, पृ० ८६

अगर पाकिस्तान पूरी तरह मुस्लिम राज्य हो जाय और हिन्दुस्तानी संघ पूरी तरह हिन्दू और सिक्ख राज्य बन जाय और दोनों तरफ अल्पमतवालोंको कोयी हक न दिये जायं, तो दोनों राज्य बरबाद हो जायंगे।

दिल्ली-डायरी, पृ० ९५

क्या कायदे आजमने यह नहीं कहा है कि पाकिस्तान मजहबी राज्य नहीं है और युसुमें धर्मको कानूनका रूप नहीं दिया जायगा? लेकिन बदकिस्मतीसे यह विलकुल सच है कि जिस दावेको हमेशा अमलमें सच साबित नहीं किया जाता। क्या हिन्दुस्तानी संघ मजहबी राज्य बनेगा और क्या हिन्दू धर्मके युसूल गैर-हिन्दुओं पर लादे जायंगे? . . .

ऐसा हुआ तो हिन्दुस्तानी संघ आशा और अजले भविष्यका देश नहीं रह जायगा। तब वह ऐसा देश नहीं रह जायगा, जिसकी तरफ सारी ओशियाबी और अफ्रीकन जातियां ही नहीं, बल्कि सारी दुनिया आशाभरी नजरसे देखती है। दुनिया यूनियन या पाकिस्तानके रूपमें हिन्दुस्तानसे ओछेपन और वार्मिक पागलपनकी युम्मीद नहीं करती। वह हिन्दुस्तानसे बड़प्पन, भलायी और अुदारताकी आशा करती है, जिससे सारी दुनिया सबक ले सके और आजके फँडे हुअे अंबेरेमें प्रकाश पा सके।

दिल्ली-डायरी, पृ० १४५

काश्मीर

न तो काश्मीरके महाराजा साहब और न हैदराबादके निजामको अपनी प्रजाकी सम्मतिके वगैर किसी भी अुपनिवेशमें शामिल होनेका अधिकार है। जहां तक मैं जानता हूं, यह बात काश्मीरके मामलेमें साफ कर दी गयी थी। अगर अकेले महाराजा संघमें शामिल होना चाहते, तो मैं अुनके जैसे कामका कभी समर्थन नहीं कर सकता था। संघ-सरकार काश्मीरको थोड़े समयके लिये संघमें शामिल करने पर सिर्फ़ जिसलिये राजी हुयी कि महाराजा और काश्मीर व जम्मूकी जनताकी नुमाअिन्दगी करनेवाले शेख अब्दुल्ला दोनों यह बात चाहते थे। शेख अब्दुल्ला जिसलिये सामने आये कि वे काश्मीर और जम्मूके सिर्फ़ मुसलमानोंके ही नहीं, बल्कि सारी जनताके नुमाअिन्दे होनेका दावा करते हैं।

मैंने यह कानाफूसी सुनी है कि काश्मीरको दो हिस्सोंमें बांटा जा सकता है। अिनमें से जम्मू हिन्दुओंके हिस्से आयेगा और काश्मीर मुसलमानोंके हिस्से। मैं अैसी बंटी हुअी वफादारीकी और हिन्दुस्तानकी रियासतोंके कअी हिस्सोंमें बंटनेकी कल्पना नहीं कर सकता। अिसलिअे मुझे अुम्मीद है कि सारा हिन्दुस्तान समझदारीसे काम लेगा, और कमसे कम अुन लाखों हिन्दुस्तानियोंके लिअे, जो लाचार शरणार्थी बननेके लिअे बाध्य हुअे हैं, तुरन्त ही अिस गन्दी हालतको टाला जायगा।

दिल्ली-डायरी, पृ० १६९

७२

भारतमें विदेशी बस्तियां

गोआ

आजाद हिन्दुस्तानमें गोआ हिन्दुस्तानसे विलकुल अलग रहकर अपनी मनमानी नहीं कर सकेगा। गोआवाले आजाद हिन्दुस्तानकी नागरिकताके हकोंका दावा कर सकेंगे और वे अुन हकोंको पा भी सकेंगे। और अिसके लिअे अुन्हें न तो अेक गोली चलानी होगी और न अेक कतरा खून बहाना होगा।

हरिजनसेवक, ३०-६-'४६

सचमुच ही फ्रांसीसी और फिरंगी सल्तनतमें अैसा कोअी खास फर्क नहीं है, जिसकी वजहसे अेकको ठुकराया जाय और दूसरीको अपनाया जाय। सल्तनतोंके हाथ हमेशा खूनसे तर रहे हैं। सारी दुनिया आज अिन सल्तनतोंके बोझसे दबी कराह रही है। अच्छा हो कि ये साम्राज्यवादी ताकतें जल्दी ही अशोक महानकी तरह अपने साम्राज्यवादको छोड़ दें। ... पुर्तगाली सरकारके अिन्फरमेशन ब्यूरोके मुख्य अफसरका यह लिखना कि पुर्तगाल गोआके हिन्दुस्तानियोंकी मातृभूमि है, अेक हंसी लानेवाली चीज है। जिस हद तक हिन्दुस्तान मेरी मातृभूमि है, अुसी हद तक वह गोआवालोंकी भी मातृभूमि है। आज गोआ ब्रिटिश हिन्दुस्तानकी

हृदमें नहीं है, मगर समूचे भौगोलिक हिन्दुस्तानके अन्दर तो वह है ही। फिर, गाँजाके हिन्दुस्तानियों और पुर्तगालियोंके बीच बहुत थोड़ी समानता है — अगर कुछ हो।

हरिजनसेवक, ८-९-१९६६

फ्रांसीसी वस्तियाँ

अुर्हकि सामने जब अुनके करोड़ों देशवासी ब्रिटिश हुकूमतसे आजाद हो रहे हैं, तब अिन छोटी-छोटी विदेशी वस्तियोंके निवासियोंके लिये गुलामीमें रहना सम्भव नहीं है। . . . मैं अुम्मीद करता हूँ कि . . . महान फ्रांसीसी राष्ट्र भारतके या दूसरी जगहोंके काले या भूरे लोगोंको दबाकर रखनेकी नीतिका हामी कर्ना नहीं होगा।

हरिजन, १६-११-१९६६

७३

भारत और विश्वशांति

दुनियाके सुविचारशील लोग आज अैसे पूर्ण स्वतंत्र राज्योंको नहीं चाहते जो अेक-दूसरेसे लड़ते हों, बल्कि अेक-दूसरेके प्रति मित्रभाव रखनेवाले अन्योन्याश्रित राज्योंके संघको चाहते हैं। भले ही अिस अुद्देश्यकी सिद्धिका दिन बहुत दूर हो। मैं अपने देशके लिये कोई भारी दावा नहीं करता चाहता। लेकिन यदि हम पूर्ण स्वतंत्रताके वजाय अन्योन्याश्रित राज्योंके विश्वसंघकी तैयारी जाहिर करें, तो अिसमें हम न तो कोई बहुत भारी बात ही कहते हैं और न वह असंभव ही है।

यंग अिडिया, २६-१२-१९२४

मेरी आकांक्षाका लक्ष्य स्वतंत्रतासे ज्यादा अुंचा है। भारतकी मुक्तिके द्वारा मैं पश्चिमके भीषण शोषणसे दुनियाके कहीं निर्वल देशोंका अुद्धार करना चाहता हूँ। भारतके अपनी सच्ची स्थितिको प्राप्त करनेका अनिवार्य परिणाम यह होगा कि हरअेक देश बँसा ही कर सकेगा और करेगा।

यंग अिडिया, १२-१-१९२८

मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि भारत अपनी स्वतंत्रता अहिंसक अपायाँसे प्राप्त करे, तो फिर वह बड़ी स्थलसेना, अतनी ही बड़ी जलसेना और अुससे भी बड़ी वायुसेना रखनेकी अिच्छा नहीं करेगा। यदि आजादीकी अपनी लड़ाअीमें अहिंसक विजय प्राप्त करनेके लिये अुसकी आत्म-चेतनाको जितनी अूँचाअी तक अुठना चाहिये अुतनी अूँचाअी तक वह अुठ सकी, तो दुनियाके माने हुअे मूल्योंमें परिवर्तन हो जायगा और लड़ाअियोंके साज-सामानका अधिकांश निरर्थक सिद्ध हो जायगा। अैसा भारत भले महज अेक सपना हो, वच्चोंकी जैसी कल्पना हो। लेकिन मेरी रायमें अहिंसाके द्वारा भारतके स्वतंत्र होनेका फलितार्थ तो वेशक यही होना चाहिये। अैसी स्वतंत्रता, वह जब भी आयगी तब, . . . ब्रिटेनके साथ सज्जनोचित समझौतेके जरिये आयगी। लेकिन तब जिस ब्रिटेनसे हमारा समझौता होगा वह दुनियामें सर्वश्रेष्ठ स्थान लेनेके लिये तरह तरहकी कोशिशें करनेवाला आजका साम्राज्यवादी और घमण्डी ब्रिटेन नहीं होगा, वल्कि मानव-जातिकी सुख-शान्तिके लिये नम्रतापूर्वक प्रयत्न करनेवाला ब्रिटेन होगा।

यंग अिडिया, ६-५-'२९

तब भारतको ब्रिटेनके लूट-मारके युद्धोंमें ब्रिटेनके साथ आजकी तरह लाचार होकर नहीं घिसटना होगा। तब अुसकी आवाज दुनियाके सारे हिंसक बलोंको नियंत्रणमें रखनेकी कोशिश करनेवाले अेक शक्तिशाली देशकी आवाज होगी।

यंग अिडिया, ६-५-'२९

मैं अत्यंत नम्रतापूर्वक यह सुझानेका साहस करता हूँ कि यदि भारतने अपना लक्ष्य सत्य और अहिंसाकी राहसे प्राप्त करनेमें सफलता पायी, तो अुसकी यह सफलता जिस विश्वशान्तिके लिये दुनियाके तमाम राष्ट्र तड़प रहे हैं अुसे नजदीक लानेमें अेक मूल्यवान कदम सिद्ध होगी; और तब यह भी कहा जा सकेगा कि ये राष्ट्र अुसे स्वेच्छापूर्वक जो सहायता पहुंचा रहे हैं, अुस सहायताका अुसने थोड़ा-बहुत मूल्य अवश्य चुका दिया है।

यंग अिडिया, १२-३-'३१

जब भारत स्वावलम्बी और स्वाश्रयी बन जायगा और जिन तरह न तो खुद किसीकी सम्पत्तिका लोभ करेगा और न अपनी सम्पत्तिका गोपण होने देगा, तब वह पश्चिम या पूर्वके किसी भी देशके लिये — उसकी शक्ति कितनी भी प्रबल क्यों न हो — लालचका विषय नहीं रहेगा और तब वह खर्चीले शस्त्रास्त्रोंका बोझ उठाये बिना ही अपनेको सुरक्षित अनुभव करेगा। उसकी यह भीतरी स्वाश्रयी अर्थ-व्यवस्था बाहरी आक्रमणके खिलाफ सुदृढतम ढाल होगी।

यंग इंडिया, २-७-'३१

यदि मैं अपने देशके लिये आजादीकी मांग करता हूँ, तो आप विश्वास कीजिये कि मैं यह आजादी जिसलिये नहीं चाहता कि मेरा बड़ा देश, जिसकी आबादी सम्पूर्ण मानव-जातिका पांचवां हिस्सा है, नियाकी किसी भी दूसरी जातिका, या किसी भी व्यक्तिका गोपण करे। आप विश्वास कीजिये कि मैं अपनी शक्तिभर अपने देशको ऐसा अनर्थ नहीं करने दूंगा। यदि मैं अपने देशके लिये आजादी चाहता हूँ, तो मुझे यह मानना ही चाहिये कि प्रत्येक दूसरी सबल या निर्बल जातिको भी उस आजादीका वैसे ही अधिकार है। यदि मैं ऐसा नहीं मानता हूँ और ऐसी इच्छा नहीं करता हूँ, तो उसका यह अर्थ है कि मैं उस आजादीका पात्र नहीं हूँ।

यंग इंडिया, १-१०-'३१

मैं अपने हृदयकी गहराईमें यह महसूस करता हूँ . . . कि निया रक्तपातसे विलकुल अत्र गयी है। दुनिया जिस असह्य स्थितिसे गहर निकलनेका रास्ता खोज रही है। और मैं विश्वास करता हूँ तथा उस विश्वासमें सुख और गर्व अनुभव करता हूँ कि शायद मुक्तिके प्यासे गतको यह रास्ता दिखानेका श्रेय भारतकी प्राचीन भूमिको ही मिलेगा।

इन्डियाज केस फॉर स्वराज, पृ० २०९

हिन्दुस्तानकी राष्ट्रीय सरकार क्या नीति अख्तियार करेगी सो मैं हीं कह सकता। संभव है कि अपनी प्रबल इच्छाके रहते हुये भी मैं व तक जीवित न रहूँ। लेकिन अगर उस वक्त तक मैं जिन्दा रहा,

तो अपनी अहिंसक नीतिको यथासंभव संपूर्णताके साथ अमलमें लानेकी सलाह दूंगा। विश्वकी शांति और नयी विश्व-व्यवस्थाकी स्थापनामें यही हिन्दुस्तानका सबसे बड़ा हिस्सा भी होगा। मुझे आशा तो यह है कि चूंकि हिन्दुस्तानमें अितनी लड़ाकू जातियां हैं और चूंकि स्वतंत्र हिन्दुस्तानकी सरकारके निर्णयमें अनु सबका हिस्सा होगा, अिसलिये हमारी राष्ट्रीय नीतिका झुकाव मौजूदा सैन्यवादसे भिन्न किसी अन्य प्रकारके सैन्यवादकी तरफ होगा। मैं यह अुम्मीद तो जरूर रखूंगा कि अेक राजनीतिक शस्त्रकी हैसियतसे अहिंसाकी व्यावहारिक अुपयोगिताका हमारा पिछला सारा . . . प्रयोग बिलकुल विफल नहीं जायगा और सच्चे अहिंसावादियोंका अेक मजबूत दल हिन्दुस्तानमें पैदा हो जायगा।

हरिजनसेवक, २१-६-'४२

७४

पूर्वका संदेश

अगर हिन्दुस्तान अपने फर्जको भूलता है तो अेशिया मर जायगा। यह ठीक ही कहा गया है कि हिन्दुस्तान कभी मिली-जुली सम्यताओं या तहजीवोंका घर है, जहां वे सब साथ-साथ पनेपी हैं। हम सब अैसे काम करें कि हिन्दुस्तान अेशियाकी या दुनियाके किसी भी हिस्सेकी कुचली और चूसी हुअी जातियोंकी आशा बना रहे।

दिल्ली-डायरी, पृ० ३२

[दिल्लीमें ता० २-४-'४७ के दिन अेशियाअी कान्फरेन्सकी आखिरी बैठकमें भाषण करते हुअे गांधीजीने बताया कि पश्चिमको ज्ञानकी रोशनी पूर्वसे ही मिली है। अिस सिलसिलेमें अुन्होंने आगे कहा :]

अिन विद्वानोंमें सबसे पहले जरथुस्त हुअे थे। वे पूरबके थे। अुनके बाद बुद्ध हुअे, जो पूरब — हिन्दुस्तानके — थे। बुद्धके बाद कौन हुआ ? अीशु ख्रिस्त। वे भी पूरबके थे। अीशुसे पहले मोजेज हुअे, जो फिलस्तीनके थे, अगरचे अुनका जन्म मिस्रमें हुआ था। अीशुके बाद मुहम्मद हुअे।

यहां मैं राम, कृष्ण और दूसरे महापुरुषोंका नाम नहीं लेता। मैं उन्हें कम महान नहीं मानता। मगर साहित्य-जगत उन्हें कम जानता है। जो हो, मैं दुनियाके ऐसे किसी एक भी शख्सको नहीं जानता, जो अशियाके दिन महापुरुषोंकी वरावरी कर सके। और तब क्या हुआ? असाअियत जब पश्चिममें पहुंची, तो उसकी शकल बिगड़ गयी। मुझे अफसोस है कि मुझे असा कहना पड़ता है। जिस विषयमें मैं और आगे नहीं बोलूंगा। . . . जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, वह अशियाका पैगाम है। उसे पश्चिमी चर्मोंसे या अटम-त्रमकी नकल करनेसे नहीं सीखा जा सकता। अगर आप पश्चिमको कोअी पैगाम देना चाहते हैं, तो वह प्रेम और सत्यका पैगाम होना चाहिये। . . . जमहूरियतके इस जमानेमें, गरीबसे गरीबकी जागृत्तिके इस युगमें, आप ज्यादासे ज्यादा जोर देकर इस पैगामका दुनियामें प्रचार कर सकते हैं। चूंकि आपका शोषण किया गया है, जिसलिअे उसका उसी तरह बदला चुकाकर नहीं, बल्कि सच्ची समझदारीके जरिये आप पश्चिम पर पूरी तरहसे विजय पा सकते हैं। अगर हम सिर्फ अपने दिमागोंसे नहीं, बल्कि दिलोंसे भी जिस पैगामके मर्मको, जिसे अशियाके ये विद्वान हमारे लिअे छोड़ गये हैं, अक साथ समझनेकी कोशिश करें और अगर हम सचमुच उस महान पैगामके लायक बन जायं, तो मुझे विश्वास है कि हम पश्चिमको पूरी तरहसे जीत लेंगे। हमारी जिस जीतको पश्चिम खुद भी प्यार करेगा।

पश्चिम आज सच्चे ज्ञानके लिअे तरस रहा है। अणु-त्रमोंकी दिन-दूनी बढ़तीसे वह नाअुम्मीद हो रहा है। क्योंकि अणु-त्रमोंके बढ़नेसे सिर्फ पश्चिमका ही नहीं, बल्कि पूरी दुनियाका नाश हो जायगा; मानो बालिवलकी भविष्य-वाणी सच होने जा रही है और पूरी कयामत होनेवाली है। अब यह आपके अूपर है कि आप दुनियाकी नीचता और पापोंकी तरफ उसका ध्यान खींचें और उसे बचावें। . . . यही वह विरासत है, जो मेरे और आपके पैगम्बरोंसे अशियाको मिली है।

हरिजनसेवक, २०-४-४७

स्फुट वचन

आदिवासी

‘आदिवासी’ नाम अुन लोगोंको दिया गया है, जो कि पहलेसे ही जिस देशमें बसे हुअे थे। अुनकी आर्थिक स्थिति हरिजनोंसे शायद ही अच्छी होगी। लम्बे अरसेसे अपने आपको ‘अूचे वर्गों’ के नामसे पुकारने-वाली हमारी जनताने अुनके प्रति जो बेपरवाही बतानी है, अुसका परिणाम अुन्हें भोगना पड़ा है। आदिवासियोंके प्रश्नको रचनात्मक कार्यक्रममें खास स्थान मिलना चाहिये। सुधारकोंके लिये अुनके बीच सुधारका काम करनेका बड़ा क्षेत्र है, परन्तु अभी तक आसाआी धर्म-प्रचारकोंके ही यह काम किया है। यद्यपि अुन्होंने जिस काममें बहुत-मेहनत की है, तो भी अुनका काम जैसे चाहिये था वैसे फला-फूला नहीं; क्योंकि अुनका अंतिम हेतु आदिवासियोंको आसाआी बनाना था और अुन्हें हिन्दुस्तानी मिटाकर अपने जैसा परदेशी बना लेनेका था। जो भी हो, परन्तु अगर हम अहिंसाके आधार पर स्वराज्य चाहते हैं तो कनिष्ठसे कनिष्ठ वर्गकी तरफसे भी हम बेपरवाह नहीं हो सकते। परन्तु आदिवासियोंकी तो संख्या अितनी बड़ी है कि अुनको कनिष्ठ गिना ही नहीं जा सकता।

हरिजनसेवक, १८-१-’४२

अनुशासन

आजादीके सर्वोच्च रूपके साथ ज्यादासे ज्यादा अनुशासन और नम्रता होनी ही चाहिये; दोनोंका अटूट सम्बन्ध है। अनुशासन और नम्रतासे आयी हुअी आजादी ही सच्ची आजादी है। अनुशासनसे अनियंत्रित आजादी, आजादी नहीं, स्वेच्छाचारिता है; अुससे स्वयं हमारे और हमारे पड़ोसियोंके खिलाफ अभद्रता सूचित होती है।

यंग अिडिया, ३-६-’२६

हमें दृढ़तापूर्वक कठोर अनुशासनका पालन करना सीखना चाहिये। तभी हम कोआी बड़ी और स्थायी वस्तु प्राप्त कर सकेंगे। और यह

अनुशासन कोरी बौद्धिक चर्चा करते रहनेसे या तर्क और विवेक-बुद्धिको अपील करते रहनेसे नहीं आ सकता। अनुशासन विपत्तिकी पाठशालामें सीखा जाता है। और जब युत्साही युवक विना किसी ढालके जिम्मेदारीके काम जुठायेंगे और जुसके लिअे अपनेको तैयार करेंगे, तब वे समझेंगे कि जिम्मेदारी और अनुशासन क्या हैं।

यंग विडिया, ११-५-'२७

डॉक्टर

डॉक्टर हमें धर्मसे भ्रष्ट करते हैं, यह साफ और सीधी बात है। वे हमें स्वच्छन्द बननेको ललचाते हैं। जिसका परिणाम यह आता है कि हम निःसत्त्व और नामर्द बनते हैं।

हिन्द स्वराज्य, पृ० ४३

सामान्य तीर पर जिस धंघेसे मेरा जो विरोध है, उसका कारण यह है कि उसमें आत्माके प्रति कुछ भी ध्यान नहीं दिया जाता और जिस शरीर जैसे नाजुक यंत्रको सुवारनेका प्रयत्न करनेमें जो श्रम किया जाता है वह न-कुछ जैसी वस्तुके लिअे ही किया जाता है। जिस प्रकार आत्माका ही अिनकार करनेसे यह धंघा मनुष्योंको दयाके पात्र बना देता है और मनुष्यके गौरव और आत्म-संयमको घटानेमें मदद करता है।

हिन्दी नवजीवन, ११-६-'२५

पोशाक

किसी भारतीयके लिअे उसकी राष्ट्रीय पोशाक ही सबसे ज्यादा स्वाभाविक और शोभाप्रद है। मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारा यूरोपीय पोशाककी नकल करना हमारे पतनका चिह्न है; उससे हमारा पतन, हमारा अपमान और हमारी दुर्बलता सूचित होती है। अपनी ऐसी पोशाकको छोड़कर, जो भारतीय जलवायुके सबसे ज्यादा अनुकूल है, जो सादगी, कला और सस्तेपनमें दुनियामें अपनी जोड़ नहीं रखती और जो स्वास्थ्य तथा स्वच्छताकी आवश्यकताओंको पूरा करती है, हम अेक राष्ट्रीय पाप कर रहे हैं।

स्पीचेज़ अेण्ड रॉबिर्टिन्ज़ ऑफ महात्मा गांधी, पृ० ३९३

मेरा संकीर्ण राष्ट्रप्रेम टोपका विरोध करता है, किन्तु मेरा छिपा हुआ विश्वप्रेम उसे यूरोपकी अिनी-गिनी बहुमूल्य देनोंमें से अेक मानता है । टोपके खिलाफ देशमें अितनी अुग्र विरोध-भावना न होती, तो मैं टोपके प्रचारके लिये संघटित संस्थाका अव्यक्ष बन जाता ।

भारतके शिक्षित लोगोंने (यहांकी जलवायुमें) पतलून जैसे अनावश्यक, अस्वास्थ्यकर और असुन्दर परिधानको अपनाानेमें तथा टोपको अपनाानेमें आम तौर पर हिचकिचाहट प्रकट करनेमें भूल की है । लेकिन मैं जानता हूं कि राष्ट्रीय रुचियों और अरुचियोंके पीछे कोअी विवेक नहीं होता ।

यंग अिडिया, ६-६-'२९

झंडा

झंडेकी जरूरत सब देशोंको होती है । अुसके लिये लाखों-करोड़ोंने अपने प्राण दिये हैं । अिसमें सन्देह नहीं कि यह अेक प्रकारकी मूर्ति-पूजा है, जिसे नष्ट करना पाप-जैसा होगा । कारण, झंडा अमुक आदर्शका प्रतीक होता है । जब यूनियन जैक फहराया जाता है तब अंग्रेजोंके हृदयमें जो भाव अुठते हैं, अुनकी गहराअी और तीव्रताको मापना कठिन है । अमेरिकाके रेखाओं और तारकोंसे अंकित झंडेमें अमेरिकावालोंको जाने कितना गहरा अर्थ मिलता है । अिसी तरह अिस्लामके अनुयायियोंमें अुनका चन्द्र और तारोंसे अंकित झण्डा अुत्तम वीरताके भाव जगाता है । हम भारतीयोंको यानी हिन्दुओं, मुसलमानों, अीसाअियों, यहूदियों, पारसियों और भारतको अपना देश माननेवाले अन्य सब लोगोंको अपना अेक सर्व-स्वीकृत झंडा तय करना चाहिये, जिसके लिये हम मरें और जियें ।

यंग अिडिया, १३-४-'२१

वकील

वकीलका कर्तव्य हमेशा न्यायाधीशोंके सामने सत्यको रखना और सत्य पर पहुंचनेमें अुनकी मदद करना है । अुनका काम अपराधियोंको निरपराधी सिद्ध करना कदापि नहीं है ।

यंग अिडिया, ११-६-'२५

हम टोलावाहीकी स्थितिको टालना चाहते हैं और वह अच्छा देशकी व्यवस्थित प्रगति हो, तो जो लोग जनताका नेतृत्व करते हैं उन्हें जनताका नेतृत्व माननेसे यानी जनता जो जैसे दृढ़तापूर्वक अिनकार कर देना चाहिये। मैं मानता हूँ कि मतकी घोषणा करना और फिर लोगोंके सामने झुक नहीं है। यदि महत्त्वके मामलोंमें लोगोंका मत नेताओंकी न हो, तो उन्हें चाहिये कि वे उसके खिलाफ काम करें।
 या, १४-७-'२०

पद समान पदवालोंमें प्रथम माने गये व्यक्तिका पद है। को प्रथम स्थान देना ही पड़ता है, लेकिन शृंखलाकी सबसे से ज्यादा शक्तिशाली न तो वह होता है, न उसे होना वार नेताका चुनाव करनेके बाद हमारा कर्तव्य हो जाता सका अनुसरण करें। यदि ऐसा न किया जाय तो शृंखला और सारा संघटन शिथिल हो जाता है।

या, ८-१२-'२१

संगीत

वस्तुतः अेक पुरानी और पवित्र कला है। सामवेदके सूक्त र हैं और कुरानकी किसी भी आयतका पाठ संगीतका विना नहीं हो सकता। डेविडके भक्तिपूर्ण गीत हमें आनन्दके देते हैं और सामवेदके सूक्तोंका स्मरण कराते हैं। हमें पुनर्जीवित करना चाहिये और उसका प्रचार करनेवाली श्रय देना चाहिये।

गित-सम्मेलनोंमें हिन्दू और मुसलमान संगीतजोंको साथ-साथ उसमें हिस्सा लेते हुअे देखते हैं। अपने राष्ट्रीय जीवनके हम भावीचारेकी यही भावना कय देखेंगे? ऐसा होगा नारे होठों पर राम और रहमानका नाम अेकसाथ होगा।

या, १५-४-'२६

क्या हमें यह पता है कि हमारे देश में क्या चल रहा है? हमें अपने देश के बारे में सोचना चाहिए। हमें अपने देश के लोगों को समझना चाहिए। हमें अपने देश के लोगों को एकजुट बनाना चाहिए। हमें अपने देश के लोगों को एक साथ खड़े बनाना चाहिए। हमें अपने देश के लोगों को एक साथ खड़े बनाना चाहिए।

६

हमारे देश में क्या चल रहा है? हमें अपने देश के बारे में सोचना चाहिए। हमें अपने देश के लोगों को समझना चाहिए। हमें अपने देश के लोगों को एकजुट बनाना चाहिए। हमें अपने देश के लोगों को एक साथ खड़े बनाना चाहिए। हमें अपने देश के लोगों को एक साथ खड़े बनाना चाहिए।

६

हमारे देश में क्या चल रहा है? हमें अपने देश के बारे में सोचना चाहिए। हमें अपने देश के लोगों को समझना चाहिए। हमें अपने देश के लोगों को एकजुट बनाना चाहिए। हमें अपने देश के लोगों को एक साथ खड़े बनाना चाहिए। हमें अपने देश के लोगों को एक साथ खड़े बनाना चाहिए।

हमारे देश में क्या चल रहा है? हमें अपने देश के बारे में सोचना चाहिए। हमें अपने देश के लोगों को समझना चाहिए। हमें अपने देश के लोगों को एकजुट बनाना चाहिए। हमें अपने देश के लोगों को एक साथ खड़े बनाना चाहिए। हमें अपने देश के लोगों को एक साथ खड़े बनाना चाहिए।

दलोंकी अनेकता

यदि हममें अुदारता और सहिष्णुता न हो तो हम अपने मतभेद कभी भी मित्रतापूर्वक नहीं सुलझा सकेंगे; और अुस हालतमें हमें हमेशा ही तीसरे पक्षका फैसला स्वीकार करनेके लिये यानी विदेशी सत्ताकी गुलामी अपनानेके लिये लाचार होना पड़ेगा।

यंग अिडिया, १७-४-'२४

किसी भी अेक विचारधाराके अनुयायी यह दावा नहीं कर सकते कि अुनके ही निर्णय हमेशा सही होते हैं। हम सबसे गलतियां हो सकती हैं और हमें अकसर ही अपने निर्णय वादमें बदलने पड़ते हैं। हमारे अिस विशाल देशमें सब अीमानदार विचारधाराओंके लिये गुंजाअिश होनी चाहिये। और अिसलिये अपने प्रति और दूसरोंके प्रति हमारा कमसे कम यह कर्तव्य तो है ही कि हम अपने विरोधीका दृष्टिकोण समझनेकी कोशिश करें और यदि हम अुसे स्वीकार न कर सकते हों तो अुसका अुतना आदर अवश्य करें जितना हम चाहेंगे कि वह हमारे दृष्टिकोणका करे। यह चीज स्वस्थ सार्वजनिक जीवनका और, अिसलिये स्वराज्यकी योग्यताका अेक अनिवार्य प्रमाण है।

यंग अिडिया, १७-४-'२४

राजनीति

अैसे व्यापक सत्यनारायणके प्रत्यक्ष दर्शनके लिये जीवमात्रके प्रति आत्मवत् प्रेमकी परम आवश्यकता है। और जो मनुष्य अैसा करना चाहता है, वह जीवनके किसी भी क्षेत्रसे वाहर नहीं रह सकता। यही कारण है कि सत्यकी मेरी पूजा मुझे राजनीतिमें खींच लायी है। जो मनुष्य यह कहता है कि धर्मका राजनीतिसे कोअी सम्बन्ध नहीं है वह धर्मको नहीं जानता, अैसा कहनेमें मुझे संकोच नहीं होता और न अैसा कहनेमें मैं अविनय करता हूं।

आत्मकथा, पृ० ४३३; १९५७

पंडे और पुजारी

यह एक दुःखदायी हकीकत है, किंतु इतिहास जिसकी गवाही देता है कि पंडे और पुजारी ही, जिन्हें कि धर्मके सच्चे रक्षक होना चाहिये था, अपने-अपने धर्मके पतन और नाशका कारण सिद्ध हुये हैं।

यंग इंडिया, २०-१०-'२७

सार्वजनिक कोष

अगर हम मिले हुये पैसोंकी पाखी-पाखीका हिसाब नहीं रखते और कोषका विचारपूर्वक अचित्त उपयोग नहीं करते, तो सार्वजनिक जीवनसे हमें निकाल दिया जाना चाहिये।

यंग इंडिया, ६-७-'२१

सार्वजनिक धन भारतकी अुस गरीब जनताका है, जिससे ज्यादा गरीब जिस दुनियामें और कोखी नहीं है। जिस धनके उपयोगमें हमें बहुत ज्यादा सावधान तथा सजग रहना चाहिये और जनतासे हमें जो भी पैसा मिलता है अुसकी पाखी-पाखीका हिसाब देनेके लिये तैयार रहना चाहिये।

यंग इंडिया, १६-४-'२१

सार्वजनिक संस्थायें

अनेकानेक सार्वजनिक संस्थाओंकी अुत्पत्ति और अुनके प्रबन्धकी जिम्मेदारी संभालनेके बाद मैं जिस दृढ़ निर्णय पर पहुंचा हूं कि किसी भी सार्वजनिक संस्थाको स्थायी कोष पर निभनेका प्रयत्न नहीं करना चाहिये। जिसमें अुसकी नैतिक अवोगतिका बीज छिपा रहता है। . . . देखा यह गया है कि स्थायी सम्पत्तिके भरोसे चलनेवाली संस्था लोकमतसे स्वतंत्र हो जाती है, और कितनी ही बार वह अुलटा आचरण भी करती है। हिन्दुस्तानमें हमें पग-पग पर जिसका अनुभव होता है। कितनी ही धार्मिक मानी जानेवाली संस्थाओंके हिसाब-किताबका कोखी ठिकाना नहीं रहता। अुनके ट्रस्टी ही अुनके मालिक बन बैठे हैं और वे किसीके प्रति अुत्तरदायी भी नहीं हैं। जिस तरह प्रकृति स्वयं प्रतिदिन

व्युत्पन्न करती और प्रतिदिन खाती है, वैसी ही व्यवस्था सार्वजनिक संस्थाओंकी भी होनी चाहिये, जिसमें मुझे कोभी शंका नहीं है। जिस संस्थाको लोग मदद देनेके लिये तैयार न हों, उसे सार्वजनिक संस्थाके रूपमें जीवित रहनेका अधिकार ही नहीं है।

आत्मकथा, पृ० १७०; १९५७

मैं जिस दृढ़ निश्चय पर पहुंचा हूँ कि कोभी भी सुपात्र संस्था जनतासे मिलनेवाली मददके अभावके कारण नहीं मरती। मरनेवाली संस्थाओंके मरनेका कारण या तो यह रहा है कि उनमें ऐसी कोभी उपयोगिता शेष नहीं रह गयी थी, जिससे आकर्षित होकर जनता उनकी मदद करती, अथवा उनके संचालकोंने अपनी श्रद्धा या दूसरे शब्दोंमें अपनी जीवन-क्षमता खो दी थी।

यंग अिडिया, १५-१०-'२५

हमारी आर्थिक स्थिति नहीं, हमारी नैतिक स्थिति ही अनिश्चित है। अपने कार्यकर्ताओंकी चारित्रिक पवित्रताकी दृढ़ नींव पर खड़े हुए किसी भी कार्य या आन्दोलनको अर्थाभावके कारण नष्ट हो जानेका डर कभी नहीं होता। . . . हमें पैसेके लिये सामान्य जनताके पास पहुंचना चाहिये। हमारे मध्यम वर्गों और गरीब वर्गोंके लोग कितने भिखारियोंको, कितने मन्दिरोंको सहायता देते हैं; ये लोग चंद अच्छे कार्यकर्ताओंका भरण-पोषण क्यों नहीं करेंगे? हमें घर-घर जाकर भीख मांगनी चाहिये, अनाज मांगना चाहिये, और कुछ न मिले तो चंद पैसे ही मांगना और स्वीकार कर लेना चाहिये। जिस मामलेमें हमें वैसा ही करना चाहिये, जैसा कि बिहार और महाराष्ट्रमें किया जा रहा है। . . . लेकिन याद रखिये कि सफलता आपकी ध्येयनिष्ठा पर, कार्यके प्रति आपकी भक्ति पर और आपके चरित्रकी पवित्रता पर निर्भर करेगी। ऐसे कार्यके लिये लोग तब तक नहीं देंगे जब तक अन्हें हमारी निःस्वार्थताका निश्चय न हो जायगा।

हरिजन, २८-११-'३६

लोकमत

लोकमत ही एक ऐसी शक्ति है, जो समाजको सुद्ध और स्वस्थ रख सकती है।

यंग लिडिया, १८-१२-'२०

लोकमतसे आगे बढ़कर कानून बनाना प्रायः निरर्थक ही नहीं, अन्तसे भी ज्यादा बुरा सिद्ध होता है।

यंग लिडिया, २९-१-'२१

स्वस्थ लोकमतमें जो प्रभाव निहित होता है अन्तसे महत्त्वको अभी हमने पूरा-पूरा पहचाना नहीं है। लेकिन जब लोकमत हिसापूर्ण और आक्रामक बन जाता है तब वह असह्य हो जाता है।

यंग लिडिया, ७-५-'३१

सार्वजनिक कार्यकर्ता

आधुनिक सार्वजनिक जीवनमें ऐसी एक प्रवृत्ति रुढ़ हो गयी है कि जब तक कोई सार्वजनिक कार्यकर्ता अमुक व्यवस्था-तंत्रकी जिम्मेदारीकी तरह अपना काम बखूबी करता हो तब तक अन्तसे चरित्रकी ओर दृष्टिपात न किया जाय। कहा जाता है कि चरित्र हरएक व्यक्तिकी निजी वस्तु है, अन्तसे चिन्ता वही करेगा। मैंने लोगोंको अकसर अन्तसे मतका समर्थन करते हुअे देखा है, लेकिन मुझे कभी अन्तसे अन्तसे समझमें नहीं आया, अन्तसे अपना तो दूर रहा। जिन संस्थाओंने अपने कार्यकर्ताओंके वैयक्तिक चरित्रको महत्त्वकी वस्तु नहीं माना है, अन्तसे अपनी अन्तसे नीतिके भयंकर परिणाम भुगतने पड़े हैं।

हरिजन, ७-११-'३६

समयकी पावन्दी

हमारे नेता और कार्यकर्ता वक्तके पावन्द वनें जो राष्ट्रको अन्तसे निश्चित लाभ होगा। कोई आदमी वस्तुतः जितना काम कर सकता है, अन्तसे ज्यादा करनेकी अन्तसे आशा नहीं की जा सकती। दिनभरके कामके बाद भी अगर काम पूरा न हो, या अपना खाना छोड़कर अथवा नींद या आमोद-प्रमोदकी अपेक्षा करके अन्तसे काम करना पड़े, तो समझना

चाहिये कि कहीं-न-कहीं कोअी अव्यवस्था जरूर है। मुझे तो अिसमें कोअी शक नहीं कि अगर हम अपने कार्यक्रमके अनुसार नियमित रूपसे कार्य करनेकी आदत डालें, तो राष्ट्रकी कार्य-क्षमता बढ़ेगी, अपने ध्येयकी ओर हमारी प्रगति तेज गतिसे होगी और कार्यकर्ता ज्यादा तन्दुरुस्त और दीर्घजीवी होंगे।

हरिजनसेवक, २४-९-'३८

घुड़दौड़

घोड़ोंकी परवरिशके लिये शर्त बदना और अुसके वारेमें लोगोंको अुत्तेजित करना विलकुल अनावश्यक है। घुड़दौड़की शर्तसे मनुष्यके दुर्गुणोंका पोषण होता है और अच्छी खेतीके लायक जमीन तथा पैसेका विगाड़ होता है। शर्त बदकर जुआ खेलनेवाले अच्छे अच्छे लोगोंको मैंने पामाल और तबाह होते देखा है। अैसे लोगोंको किसने नहीं देखा है? यह मौका परिचमके दुर्गुणोंको छोड़कर अुसके सद्गुण स्वीकार करनेका है।

हरिजन, १८-१-'४८

शरणार्थी

अुन्हें नम्रताका पाठ सीखना चाहिये, अैसी नम्रता जिससे वे दूसरोंके दोष देखने और अुनकी टीका करनेके बदले अपने दोष देख सकें। अुनकी टीका कभी वार बहुत कड़ी होती है, कभी वार अनुचित होती है और कभी-कभी ही अुचित होती है। अपने दोष देखनेसे अिन्सान अूपर अुठता है, दूसरोंके दोष निकालनेसे नीचे गिरता है। अिसके सिवा दुःखी लोगोंको सहयोगी जीवनकी कला और अुसमें रहनेवाले गुणोंको समझ लेना चाहिये। यह सीखते हुअे वे देखेंगे कि सहयोगका घेरा बड़ा होता जाता है, जिससे अुसमें सारे अिन्सान समा जाते हैं। अगर दुःखी लोग अितना करना सीख जायं-तो अुनमें से कोअी अपने आपको अकेला न माने। तब सभी, चाहे वे जिस प्रान्तके हों, अपनेको अेक मानेंगे और सुख खोजनेके बदले मनुष्यमात्रके कल्याणमें ही अपना कल्याण देखेंगे। अिसका मतलब कोअी यह न करे कि अाखिरमें सबको अेक ही जगह रहना होगा। यह हमेशा असंभव ही रहेगा। और जब लाखोंका सवाल है,

तब तो विलकुल असंभव है। मगर जिसका मतलब अितना जरूर है कि हरअेक अपनेको समुद्रमें अेक बूंदके समान समझकर दूसरेके साथ संबंध रखे; फिर भले ही दुःख आ पड़नेसे पहले सबके दरजे अलग अलग रहे हों, किसीका नीचा रहा हो, किसीका अूँचा, और सभी अलग-अलग प्रान्तोंके हों। और फिर कोअी अैसा तो कह ही नहीं सकता कि मुझे तो फलां जगह पर ही रहना है। तब किसीको न तो अपने दिलमें कोअी शिकायत रहेगी और न कोअी प्रकट रूपमें शिकायत करेगा। अैसी अच्छी व्यवस्थामें वे अपंग या लाचार बनकर नहीं रहेंगे।

अैसे सभी दुःखी अुनको दिया गया काम करेंगे और सभीके खाने, पहनने और रहनेका अच्छा अिन्तजाम हो जायगा। अैसा करनेसे वे स्वावलम्बी बनेंगे। स्त्री-पुरुष सभी अेक-दूसरेको बराबर मानेंगे। कअी काम तो सभी करेंगे, जैसे कि पाखाने साफ करना, कूड़ा-करकट निकालना वगैरा। किसी कामको अूँचा और किसी कामको नीचा नहीं माना जायगा। अैसे समाजमें कोअी आवारा, आलसी या निकम्मा नहीं रहेगा।

हरिजनसेवक, १४-१२-'४७

नदियां

गंगा और यमुना नामकी अिन दो नदियोंके सिवा हमारे देशमें और भी गंगायें और यमुनायें हैं, अुनके वास्तविक नाम चाहे भिन्न हों। वे हमें अुस त्यागकी याद दिलाती हैं, जो कि जिस देशमें हम रहते हैं अुसके लिअे हमें करना होगा। वे हमें अुस शुद्धिकी याद दिलाती हैं जिसके लिअे हमें निरन्तर प्रयत्न करना चाहिये, ठीक वैसे ही जैसे नदियां स्वयं अुसके लिअे क्षण-प्रतिक्षण प्रयत्न करती हैं। आजके जमानेमें तो अिन नदियोंसे हम केवल यही काम लेना जानते हैं कि अुनमें अपनी गंदी मोरियां बहावें और अुनकी छाती पर अपनी नावें चलावें और अिस प्रकार अुन्हें और भी गंदा करें। हमारे पास अितना समय नहीं है कि . . . हम अुनके पास जायें और ध्यानस्थ होकर अुनका वह सन्देश सुनें, जो वे हमारे कानोंमें धीरे-धीरे गुनगुनाती हैं।

यंग अिडिया, २३-१२-'२६

सूची

अ. भा. ग्रामोद्योग-संघ २४, ६४,
११७, ३०९

अ. भा. चरखा-संघ २४, ११२,
११७, १२६, ३०८-०९

अ. भा. समाज-सेवा परिषद १८३
अहिंसा ४; -और सत्य पर आधारित
स्वराज्यका लक्षण १०; -का
पुजारी ६८, ७१, ८०; -का
विकास राज्य पूंजीवादको दवां-
कर नहीं कर सकता ७२; -की
कार्य-पद्धतिका चरखा-संघ और
ग्रामोद्योग-संघ द्वारा देशव्यापी
प्रयोग २४; -की नीतिका
पालन विश्वशान्ति और नयी
विश्व-व्यवस्थामें भारतका
सर्वोच्च योगदान ३१८; -की
भारतमें अुपासना ८२; -की
शिक्षाका लोगोंमें प्रसार ८४;
-की सत्ता ही ग्रामीण समाजका
शासन-बल १०२-०३; -के
आधार पर हमारे समाजवाद
या साम्यवादकी रचना
होना जरूरी ३०; -के द्वारा
आर्थिक समानता ३१, ७९;

-के न होनेसे हिन्दू गायके
नाशक बनते हैं १३८; -के
नियम ९२; -के पालनमें
शरीर-श्रम रामबाणके समान
६१; -के शोधक अृषि न्यूटनसे
बड़े आविष्कारक थे ८२;
-को धर्म मानना सत्याग्रहीका
कर्तव्य १५७; -केवल वैय-
क्तिक नहीं परन्तु सामाजिक
गुण भी है ७३; -पर आधा-
रित जीवन-योजनामें स्त्री-
पुरुषके समान अधिकार २३६;
-पर आधारित प्रमुख अुद्योगों
पर राज्यकी मालिकी हो ३६;
-पर आधारित शासन और
वैयक्तिक स्वतंत्रता १२-१३;
-पर आधारित स्वराज्य १२,
१९, ६४; -पर आधारित
स्वराज्यमें गांवोंका स्थान
१११; -में शान्ति-सैनिकका
जीवित विश्वास हो २९९; -सब
धर्मोंमें समान तथा व्यक्ति
व समाज दोनोंके लिये हितकर
८१, ८६, २६९; -से निकला

सुन्दर धर्म १३५; —से प्राप्त
भारतकी आजादीमें शस्त्रोंकी
व्यर्थता ३१६

आर्यसमाज २५८

अिस्लाम ११, १७१, २७१, ३११,
३२२

अीश्वर १५; —और अुसका कानून
अेक ही चीज ८१; —और धर्म-
ग्रंथ २७०; —और हमारा शरीर
१६७, १७१; —की पूजाका
सच्चा रूप १२१, १२२, १३४;
—की मदद मांगना युवकोंका
कर्तव्य है १६०; —की सेवा
मानवताकी सेवा है ६७; —की
सेविकाके रूपमें कांग्रेसका काम
३०६; —कुदरती अपुचारका
मध्यविन्दु १४७, १४८; —पर
जीवित विश्वासके बिना सत्य
और अहिंसाका पालन असंभव
१०६; —में जीवित और अटल
विश्वास शान्तिदलके सदस्यके
लिअे जरूरी २९९, ३०२, ३०३;
—में श्रद्धा निरा यांत्रिक प्रयत्न
या अनुकरण नहीं ९२; —में
सत्याग्रहीकी सजीव श्रद्धा
होती है १५७; —यानी गोपाल
२२, ३०, ३५

अीसाजी धर्म ११, १२९, २७०-
७१, २७३-७६, ३१९

अेशियाजी कान्फरेन्स ३१८

कस्तूरवा गांधी २४६.

कांग्रेस २८६; —का भाषावार प्रान्त
वनानेका निश्चय २८६; —के
मंत्रीगण २७८; —के सेवकोंसे
अपेक्षा ३०६; —को परिस्थि-
तिका शान्तिसे सामना करनेकी
शक्ति बढ़ानी चाहिये २९९;
—देशकी सबसे पुरानी राष्ट्रीय
संस्था ३०५; —नैतिक ताकतसे
ही संगठित रह सकती है २९१;
—लोकतांत्रिक संस्था है २४;
—लोक-सेवक-संघके रूपमें प्रकट
हो ३०७

कांग्रेसजन ११३; —ग्रामोद्योगोंमें
दिलचस्पी लें ११३; —सभी
धर्मवालोंके साथ निजी दोस्ती
कायम करें २५७; —स्त्रियोंको
अुनकी मौलिक स्थितिका बोध
करावें २३७

कायदे आजम जिन्ना ३१३

गुंडे ३०३; —की अुत्पत्ति समाजकी
कुव्यवस्थासे होती है ३०४;
—की अेक अलग जाति है ३०३;
गुजरात शिक्षा-परिपद १८२, २१९

गोसेवा-संघ ११८, ३०९
 ग्राम १४; —आदर्श कैसा हो १४५-
 ४६; —आन्दोलन ९९, १५४;
 —का आरोग्य १०४, ११३,
 १४७-५०; —का आहार ९८,
 १००-०१, १२०, १५०-५२;
 —की अर्थ-रचना ११३; —की
 कला १२०; —की आर्थिक
 रचना दूसरे धन्धोंके बिना
 सम्पूर्ण नहीं होगी ११३-१६;
 —की अपेक्षा करनेसे भारत
 अधिकाधिक गरीब होता जा
 रहा है ५२; —के अद्योग २०,
 १०८-१६, ११९-२०, १४२;
 —के खेल १२०; —के लोगों
 द्वारा नीचेसे सच्ची लोकशाही
 चलायी जानी चाहिये २१;
 —को अपुलब्ध हो असा पूंजीका
 वितरण किया जाय ८१; —को
 जनपदके लिये अपना बलिदान
 देना चाहिये १४; —को भुला
 देनेका गुनाह शहरोंके अंग्रेजी
 पढ़े-लिखोंने किया है १५९;
 —कार्य ९९-१००, १५३-५४
 २३४-३५; —पुनर्निर्माण १४६;
 —प्रदर्शनियां ११९-२०; —में
 दलबन्दी और मतभेद १५९;
 —में भारत बसा हुआ है, न
 कि चन्द शहरोंमें ९६; —में

लौटनेका अर्थ ६३-६४; —रक्षक
 १०२; —सफाई १४२-४६;
 —सेवक १४६, १५३-५७,
 ३०७-०८; —सेवा १५५-५६,
 १५८-५९, २३४; —स्वयंपूर्ण
 बनें जिस पर हमें अपनी शक्ति
 केन्द्रित करनी चाहिये ३४;
 —स्वराज्य १०२-०५; —स्वराज्य
 पूर्ण प्रजातंत्र होगा १०२;
 —स्वाश्रयी और स्वयंपूर्ण
 अिकायी कैसे बने? १३२

चरखा २५; —और ग्राम-प्रदर्श-
 नियां १२०; —का संगीत १२१;
 —भिखारियोंके लिये ६४; —
 राष्ट्रकी समृद्धि और आजादीका
 चिह्न है १२२; —सत्याग्रहके
 साधनके रूपमें ५७; —सहायक
 अद्योगके रूपमें १२४-२५

जगदीशचन्द्र बोस १३०, १८३,
 १८६, १९२

टॉल्स्टॉय ६०, १९१

दक्षिण भारत हिन्दी-प्रचार-सभा
 २२५

धर्म ३; —का राजनीतिसे कोयी
 संबंध न माननेवाला धर्मको नहीं
 जानता ३२४; —का, सम्बन्ध

हृदयसे है २७४; -की अन्तिम व्याख्या श्रीश्वरका कानून ८१; -के नाम पर लूटमार होना अवर्ष ३०९; -के प्रति श्रद्धा शान्तिदूतका आवश्यक लक्षण ३००; -के समर्थनका बल संरक्षकताके सिद्धान्तको प्राप्त ७३; -द्वारा लादा हुआ वैभव्य एक असह्य बोज है २४१; -में श्रीश्वर-रचित लघुतम वस्तुका भी स्थान १८६; -में प्राणी-मात्रका समावेश १६; -शब्दके सर्वोच्च अर्थमें सब वर्गोंका समावेश होता है ११
धर्म-परिवर्तन २७३; -और गांधीजी २७४-७५; -और मानव-दयाके कार्य २७४-७५; -ने व्यापारका रूप ले लिया है २७५

बोन्दरेव्ह ६०

बौद्ध धर्म १२८, २६९-७१

भारत ३; -अपने चन्द्र शहरोंमें नहीं, बल्कि सात लाख गांवोंमें बसा है ९६; -अपने फर्जको भूलेगा तो अशिया मर जायगा ३१८; -अहिंसाकी साधनासे किसी अन्यायी साम्राज्यके सम्पूर्ण बलको चुनौती दे सकता है ८२; -आजादी और जन-

तंत्र पर आधारित विश्व-व्यवस्थाकी स्थापनाके लिये काम करेगा १९; -का अहिंसक विकास और विकेन्द्रीकरण ७८; -का आर्थिक और नैतिक पुनरुद्धार १२१; -का व्येय दूसरे देशोंके व्येयसे कुछ अलग ३, ४; -का नाश हो जायेगा, अगर गांवोंका नाश होता है ११०; -का मूल स्वभाव और वर्गयुद्ध ३७-३८; -की आजादी और भाषावार प्रान्त २८६, २८९; -की प्रकृतिके साथ साम्यवादका मेल नहीं ३१; -की मुक्ति और अन्य निर्बल देशोंका बुद्धार ३१५; -की सम्यता पश्चिमकी सम्यतासे निराली है ५२; -जैसे बड़े देशको पश्चिमी नमूने की नकल करनेकी जरूरत नहीं ३२, ३५; -दसे कराहती दुनियाको शान्ति और सद्भावका संदेश देगा १५; -ने कभी किसी राष्ट्रके खिलाफ युद्ध नहीं किया ८३; -पहले सुवर्ण भूमि कहलाता था ५२; -में गोआ और अन्य विदेशी वस्तियोंको अलग रहकर मनमानी नहीं करने दी जायगी ३१४; -में विशेष संरक्षण

चाहनेवाले विदेशियोंके लिये स्थान नहीं २९४; —में ही अराजक समाजका आरंभ हो सकता है ८६; —वस्तुतः प्रजातंत्रका अपासक है १२९; —सच्चा प्रजातंत्र गढ़नेका प्रयत्न कर रहा है २०, २४; — साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्वकी प्रणालीको प्रश्रय नहीं दे सकता २८५

मनोहर दीवान १७०
मेकॉले १८०

रवीन्द्रनाथ टैगोर १८३, १८५,
१८६, १९१

रस्किन २८४

राजा राममोहन राय १८४

राय (पी० सी०) १३०, १८३,
१८६

लेनिन २९

लोकतंत्र १७; —की स्थापना आतंकवादमें असंभव २२; —की स्थापना ग्राम-स्वराज्यमें संभव १०३; —के दुरुपयोगकी संभावना १७; —में असहिष्णुताका स्थान नहीं ९१; —में आदमी कानून अपने हाथमें नहीं ले सकता २१; —में लोकमत ही

अकेलता ताकत २८९; —में व्यक्तिके स्वातंत्र्यकी रक्षा अत्यन्त सावधानीसे की जाय २३; —सही अर्थमें जनताका स्वराज्य ११; —हिंसक साधनों को काममें नहीं ला सकता १८-२०

लोकमान्य तिलक १८४

लोक-सेवक-संघ ३०७; —के सदस्यों का कर्तव्य ३०९

विनोबा भावे १७०

शान्तिसेना २९९; —के सदस्योंकी योग्यतायें २९९-३००; —के सैनिकोंके लिये नियम ३०२ शिक्षा २५; —अनिवार्य १९८, २०९; —अुच्च १८७, २०१; —औद्योगिक १०५, १४५; —का आश्रमी आदर्श २१०-१४; —ग्रामीण १००, १५३-५४, ३०८; —धार्मिक २०५-०६; —नयी १५६, १९५-९९; —प्राथमिक १९६, १९८, २२१; —प्रौढ़ १५६, १९६, २०४-०५; —बालकोंकी १५८, १९६-२०१, २१०-१४; —बुनियादी १०२, १५६, १९९-२०१; —लड़के-लड़कियोंकी साथ-साथ २१०, २११, २४६-४७; —विदेशी

माध्यमसे १३०, २२३;
-विश्वविद्यालयको २०२-०४;
-साहित्यिक १९५-९६, २११;
-स्त्रियोंकी २१२-१३, २४४-
४७; -स्वावलम्बी २०९-१०,
२१२, २१३

शेख अब्दुल्ला ३१३

धर्म २५; -और पूंजीके झगड़ोंको
मिटाना आर्थिक समानताका
ध्येय ७७; -करना चाहनेवाले
को स्वराज्यमें काम मिलना ही
चाहिये १३; -का स्थान यंत्रोंको
नहीं लेना चाहिये ३४; -के
लिअे हिंसाका आश्रय लेना
आत्म-घातक ४३

सत्य ४; -और अहिंसाका पालन
सच्चे सत्याग्रहीका कर्तव्य १५७;
-को निरन्तर शोकका भव्य
परिणाम वर्णाश्रम धर्मका आवि-
ष्कार २६९; -की ही जीत
होती है ४३; -के भक्तके लिअे
शरीर-धर्म रामबाणके समान
६१; -को असत्यसे कोअी नहीं
पा सकता ७०; -नारायणके
प्रत्यक्ष दर्शनके लिअे जीवमात्रके
प्रति आत्मवत् प्रेमकी परमाव-
श्यकता ३२४; -पर पंचायत-
राजकी रचना होना जरूरी

१०६; -पर पहुंचनेमें न्याया-
धीशोंकी मदद करना वकील
का कर्तव्य ३२२; -में हमारी
सारी प्रवृत्तियां केन्द्रित हों ६९
सत्याग्रह २०; -आत्मत्यागके
नियमका केवल नया नाम ८२;
-अेक सौम्य वस्तु ८८; -का
सम्बन्ध खुले या छिपे वल-
प्रयोगसे नहीं २८९; -का सही
अुपयोग कहां किया जाय?
२९२; -ग्रामीण समाजका
शासन-बल १०२; -में हिंसा-
मात्रका पूरा बहिष्कार ८८;
-वैधानिक आन्दोलनका शुद्ध-
तम रूप ८७; -सीधी कारं-
वाअीका अेक अत्यन्त बलशाली
अुपाय ८८; -से सम्बन्धित
हिंसक प्रदर्शन दुराग्रह है ८९

सत्याग्रही ८८, ९२-९३, १५७

समाजवाद यानी अद्वैतवाद २७

स्वराज्य ७; -का अर्थ आत्मशासन
और आत्मसंयम ७; -का अर्थ
विदेशी नियंत्रणसे पूरी मुक्ति
और पूर्ण आर्थिक स्वतंत्रता ११;
-का आधार अहिंसा होनेसे
अुसमें गांवोंका अुचित स्थान
होगा १११, १५३; -की प्राप्ति
और संचालन सत्य और अहिंसा
के शुद्ध साधनों द्वारा हो ११,

१२; —के द्वारा हम मानव-जातिकी सेवा करेंगे १६; —में किसानोंकी स्थिति ९५, ९६; —में जाति या धर्मके भेदोंको कोअी स्थान नहीं ९, १०; —हिंसापूर्ण अुपायोंसे प्राप्त किया जाय तो हिंसापूर्ण होगा ७०
स्त्री ६; —और कानूनी प्रतिबंध २३८; —और पुरुष अेक-दूसरे के पूरक तथा सहायक २४४; —और पुरुषका समान दरजा २४४; —और पुरुषकी अनोखी जोड़ी २४४; —और पुरुषकी जोड़ी विषय-सेवनके लिये नहीं है २४८, २५०; —और पुरुषके समान अधिकार ६-७; —को अपना भविष्य तय करनेका पुरुषके समान अधिकार २३६;

—की अवगणना अहिंसाकी विरोधी १५६; —की अिच्छाके खिलाफ अुसका शीलभंग संभव नहीं २४३; —को आजादीका पुरुषके जैसा अधिकार २३८; —को दी जानेवाली सही शिक्षा २५०-५१; —शीलकी रक्षा कैसे करे? २४३

हरिजन-सेवक-संघ ३०९

हाथ-कताअी १२५, १९८, २३१,
२९५

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन २३०

हिन्दुस्तानी तालीमी संघ ११८,
३०८-०९

हिन्दुस्तानी प्रचार सभा २९१

हिन्दू धर्म ११, ३०, ६७, १२८,
१२९, २६९-७१, ३११, ३१३